ज्ञ माला, खंड 13, अंक 22

गुरुवार, 25 अगस्त, 2005
3 भाद्र, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 13 में अंक 21 से 23 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 4 Jun 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 13, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 22, गुरुवार, 25 अगस्त, 2005/3 भाद्र, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
न्यायपालिका के संबंध में लोक सभा कार्यवाही को एक समाचार-पत्र द्वारा गलत ढंग से प्रस्तुत किए जाने के बारे में	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 424	1–68
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 425 से 441	68–121
अतारांकित प्रश्न संख्या 4367 से 4596	121–346
सभा पटल पर रखे गए पत्र	346–359
राज्य सभा से संदेश	359–360
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	360
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	360
विशेषाधिकार समिति	
पहला प्रतिवेदन	361
कोयला और इस्पात संबंधी समिति	
विवरण	361
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	362
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
115वां और 116वां प्रतिवेदन	362

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	362
(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छठे और चौदहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विजय हान्डिक	362–390
(दो) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री हंसराज भारद्वाज	389–318
(तीन) केन-बेतवा लिंक के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	317–420
(चार) (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री मणिशंकर अय्यर	420–440
(ख) "कतर से एल एन जी" के बारे में दिनांक 5 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6082 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	
श्री मणिशंकर अय्यर	441–442
(पांच) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री सुबोधकांत सहाय	442–454
(छह) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विलास मुत्तेमवार	453–464
(सात) रेल संबंधी स्थायी समिति के दूसरे, पांचवें, छठे तथा सातवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री आर. वेलु	465–466
सभा का कार्य	466–469
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) उत्तरांचल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निधियों के असंतोषजनक उपयोग से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	470–481
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूड़ी	470–471, 473–477
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	471–473, 478–480
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	477–478

विषय	कॉलम
(दो) तमिलनाडु के विशेषरूप से नीलगिरि पहाड़ी जिले में चाय की हरी पत्तियों के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट, जिसके कारण छोटे चाय उत्पादकों को कठिनाई हो रही है, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	481–489
श्री आर. प्रभु	481, 483–486
श्री कमलनाथ	481–483, 486–488
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	486
श्री ए. कृष्णास्वामी	486
सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित	
(एक) पंजाब साधारण विक्रय कर (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त) निरसन विधेयक, 2005	489
(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005	489–490
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आतंकवादियों की घुसपैठ में कथित वृद्धि के बारे में	491–494
(दो) कर्नाटक के विभिन्न जिलों में बाढ़ के बारे में	494–505
(तीन) देश में बीमारियों के फैलने के बारे में	614–615, 624–626
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	514
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(एक) सभी राज्य विधानमंडलों और संसद की दोनों सभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण	514–563
श्री के.एस. राव	515–518
श्री चन्द्रकांत खैरे	518–520
श्रीमती सी.एस. सुजाता	520–522
श्री लालमणि प्रसाद	522–523
श्री तूफानी सरोज	523
श्री बिक्रम केशरी देव	523–526
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	526–530
श्री ब्रह्मानन्द पंडा	530–531
श्री पी. सती देवी	531–534
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	534–537
श्री सुरवरम सुधारक रेड्डी	537–539
श्रीमती प्रतिभा सिंह	539–542
श्री राम कृपाल यादव	542–547
श्री पी. करूणाकरन	547–549

विषय	कॉलम
श्री इलियास आजमी	549–550
श्री अधीर चौधरी	551–552
श्री तथागत सत्पथी	552–553
श्री सुनील खां	554–555
श्री सुरेश कुरुप	555–557
श्री के. वेंकटपति	557–560
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	560–562
(दो) उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेलमार्गों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज	563–566
श्री जुएल ओराम	563–566
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) अंतरराज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005	
श्री मोहन सिंह	566–567
(दो) छोटा परिवार संवर्धन विधेयक, 2005	
श्री बालासाहिब विखे पाटील	567
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)	
चौधरी लाल सिंह	567–568
(चार) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2005 (पैरा 3, आदि का संशोधन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	568
(पांच) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2005	
श्री बालासाहिब विखे पाटील	568
(छह) कृषि बीमा स्कीम विधेयक, 2005	
श्री बालासाहिब विखे पाटील	569
(सात) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2005	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	569
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 48क के स्थापन पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	569–570
(नौ) स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2005	
श्री के.एस. राव	570

विषय	कॉलम
(दस) नागरिक (पहचान पत्र) विधेयक, 2005	
श्री के.एस. राव	570–571
(ग्यारह) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 (धारा 375 का संशोधन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	571
(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	571
(तेरह) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 (धारा 2 का संशोधन)	
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	572
संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 47क का अंत:स्थापन)	572–602, 602–617
विचार करने के लिए प्रस्ताव	572
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	572–578
श्री के.एस. राव	578–582
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	582–586
श्री रामजीलाल सुमन	586–591
श्री भर्तृहरि महताब	591–598
श्री एम. अप्पादुरई	598–602
श्री जय प्रकाश (हिसार)	602–606
श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा	606–610
श्री जी. करूणाकर रेड्डी	610–614
श्री राम कृपाल यादव	615–617
कार्य मंत्रणा समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	602
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	627
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	628–634
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	635–636
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	635–636

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 25 अगस्त, 2005/3 भाद्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

न्यायपालिका के संबंध में लोक सभा कार्यवाही को एक समाचार-पत्र द्वारा गलत ढंग से प्रस्तुत किए जाने के बारे में

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल आरंभ करने से पूर्व मैं आज के समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है: 'माइंड योर जाब, स्पीकर टेल्स ज्यूडीशियरी'। यह सभा में अध्यक्षपीठ द्वारा कही गयी बात को जानबूझ कर गलत ढंग से प्रस्तुत करना है, मैं यदि यह आवश्यक हो, पुन: न्यायपालिका के प्रति अपना असीम आदर प्रकट करता हूं। इस सभा में कही गयी बात को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करना विशेषाधिकार के हनन के सिवाय कुछ नहीं है। यह स्वाभाविक है कि भविष्य में ऐसी बातों को हलके ढंग से नहीं लिया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि कल जो कुछ हुआ था वैसा नहीं है। इसके अलावा मुझे दूसरों से यह सीखने की जरूरत नहीं कि आदर कैसे प्रकट किया जाता है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बी. विनोद कुमार, प्रश्न संख्या 421

तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापन

***421. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 2004 से सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को प्रायोजित करने में तथा दृश्य/श्रव्य प्रचार माध्यमों और समाचारपत्रों प्रत्रिकाओं के द्वारा विज्ञापनों पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) इस व्यय का औचित्य क्या है जबकि तेल विपणन कंपनियां अपने उत्पादों पर एकाधिकार रखे हुए हैं और उपभोक्ताओं को ईंधन उत्पादों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है;

(ग) क्या विज्ञापन देते समय इन कंपनियों द्वारा डीएवीपी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे विज्ञापनों पर अनावश्यक व्यय से बचने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नामत: आईओसीएल, आईबीपी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने जुलाई, 2004 से जुलाई, 2005 तक कार्यक्रमों के प्रायोजन पर 36.47 करोड़ रुपए और श्रव्य/दृश्य प्रचार माध्यमों और समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापनों पर 230 करोड़ रुपए व्यय किए। प्रायोजन/विज्ञापनों पर व्यय का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) (1) तेल विपणन कंपनियों का अब एकाधिकार नहीं है और खुदरा व्यवसाय में निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद, बाजार हिस्सों को बचाने और बनाए रखने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां विज्ञापन पर अपनी बिक्री/कारोबार का लगभग 0.1% खर्च करती है। वे अपने नियमित उत्पादों अर्थात पेट्रोल और डीजल का विज्ञापन नहीं देती है। विज्ञापनों के केन्द्र बिन्दु प्रीमियम और नए उत्पाद हैं जो इन कंपनियों द्वारा शुरू किए गए हैं। विज्ञापनों को एक ऐसी परिभाषित कार्यनीति, जिसका कंपनियां पालन करती हैं, के अंतर्गत विशेष बाजार घटकों के लिए लक्षित किया जाता है।

इसके अलावा कुछ विज्ञापन एलपीजी जैसे कतिपय उत्पादों का प्रचालन करने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी लक्षित होती है।

(2) उपर्युक्त के अलावा, कंपनियां डीजल, पेट्रोल और मिट्टी तेल के डीलरों, एलपीजी, एलडीओ और स्नेहकों के लिए

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के संबंध में पारदर्शिता और सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु विज्ञापन देना होता है। इसके अलावा, निविदा सूचनाओं, कर्मचारियों की भर्ती, सेवा प्रदानकर्ताओं की नियुक्ति, सांविधिक वित्तीय परिणामों के प्रकाशन पर व्यय किया जाता है। व्यय का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) सार्वजनक क्षेत्र के उपक्रमों के डीएवीपी के माध्यम जाने के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा 11.8.2005 को लोक सभा में दी गई सूचना और प्रसारण मंत्रालय (14वीं लोक सभा) (14.12.2004 को प्रस्तुत) की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की नौवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति में यह दर्ज है''। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के विज्ञापन के संबंध में समस्या जटिल है क्योंकि कुछ समाचारपत्र विशेष रूप से बड़े समाचारपत्र डीएवीपी की दरों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विज्ञापन को प्रकाशित करने के इच्छुक नहीं होते हैं। डीएवीपी नई गठित दर संरचना समिति के साथ डीएवीपी को जारी होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों के विज्ञापन को स्वीकार करने के लिए उनको सहमत करने हेतु संपर्क कर रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 31 मई, 2005 के पत्र के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रचार कार्य को डीएवीपी के माध्यम से भेजने की सलाह दी है। ये निर्देश 13 जून, 2005 को सभी तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रेषित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने परामर्श को क्रियान्वित करने में सामना की जा रही कठिनाइयों का मामला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ 24 अगस्त, 2005 को उठाया है।

उद्योग प्रक्रियाओं के संबंध में विज्ञापनों को उनकी सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। विज्ञापन आवश्यकता आधारित होते हैं। दरें प्रतिस्पर्धी होती हैं। संविदाओं से पहले खूब बातचीत की जाती है। विज्ञापन पर अनावश्यक व्यय से सभी चरणों पर अति सावधान आयोजना द्वारा बचा जाता है।

मुख्य उत्तर के अनुबंध की अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	ओ.एम.सी. द्वारा जुलाई, 2004 से जुलाई, 2005 तक प्रायोजन का ब्यौरा	7
2.	ओ.एम.सी. द्वारा प्रायोजन का क्षेत्रीय ब्यौरा	8
3.	आई.ओ.सी.एल. के प्रायोजन का ब्यौरा	9-14
4.	बी.पी.सी.एल. के प्रायोजन का ब्यौरा	15-18
5.	एच.पी.सी.एल. के प्रायोजन का ब्यौरा	19-20
6.	आई.बी.पी. कम्पनी के प्रायोजन का ब्यौरा	21
7.	मुख्य ओ.एम.सी. द्वारा विज्ञापनों के व्यय का ब्यौरा	22

अनुबंध

ओएमसीज द्वारा विज्ञापन/प्रायोजन

प्रायोजन जुलाई 2004—जुलाई, 2005

कंपनी का नाम	प्रायोजन कार्यक्रम (लाख रुपए में)	विज्ञापन (लाख रुपए में)
एचपीसीएल	224.67	3923.84
बीपीसीएल	287.32	6130.88
आईओसीएल	3127.34	12712.22
आईबीपी	7.38	236.00
योग	3646.71	23002.94

अनुबंध

ओएमसीज द्वारा विज्ञापन

तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का विवरण

जुलाई 2004-जुलाई, 2005

(रुपए लाख में)

	एचपीसीएल	बीपीसीएल	आईओसीएल	आईबीपी
स्वास्थ्य	शून्य	9.99	3.80	शून्य
शिक्षा	10.15	26.97	23.27	0.30
खेलकूद	64.55	67.93	2209.31	2.00
सांस्कृतिक	30.45	83.50	109.00	शून्य
सम्मेलन/प्रदर्शनी	78.29	95.18	110.73	2.46
अन्य	41.23	3.75	150.00	2.62

अनुबंध

ओएमसीज द्वारा विज्ञापन/प्रायोजन

प्रायोजन जुलाई 2004-जुलाई, 2005

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	विवरण	राशि	दिनांक
1	2	3	4	5
	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड			
1.		गणकृष्ति नाट्य उत्सव 2004 का प्रायोजन	250000	
2.		महाराष्ट्र महोत्सव 2004	100000	
3.		प्रयास संगीत संध्या का सह-प्रायोजन	100000	
4.		वन्दे मातरम् संगीत के माध्यम से आजादी को सलाम का प्रायोजन	150000	
5.		विद्वान्त संस्थान दिल्ली द्वारा लैक्चर श्रृंखला का प्रायोजन	150000	
6.		श्री जगजीत सिंह की गजल संध्या का प्रायोजन	500000	
7.		चार दिवसीय सांस्कृतिक विरोध का प्रायोजन	150000	
8.		सवरंग द्वारा नोएडा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रायोजन	150000	

1	2	3	4	5
9.		लोक मंचन मनचंदा सांस्कृतिक इकाई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रायोजन	100000	
10.		त्यागराज संगीत उत्सव का प्रायोजन	600000	
11.		श्री क्षेत्र वसन्त उत्सव-पुरी में प्रायोजित कार्यक्रम	300000	
12.		गणकृष्ति नाट्य उत्सव 2005 का प्रायोजन	250000	
13.		डीडी मलयालम् पर वृत्त चित्र का प्रायोजन	200000	
14.		एलीफेंटा उत्सव का प्रायोजन	1000000	
15.		पुलिस कला प्रदर्शन का प्रायोजन	1200000	
16.		कार्तिक फाइन आर्टस का प्रायोजन	600000	
17.		कोलकाता फिल्मोत्सव का प्रायोजन	300000	
18.		पूजा रोड माईड का प्रायोजन	500000	
19.		53वीं अखिल भारतीय पुलिस एक्वेटिक और क्रास कन्ट्री चैम्पियनशिप का प्रायोजन	100000	
20.		मारूति वाहन द्वारा 'सेव द रेनफारेस्ट के लिए विश्वभ्रमण	100000	
21.		पहली भारत एशियन कार रैली के शीर्षक का प्रायोजन	250000	
22.		संतोष ट्राफी फुटबाल टूर्नामेंट का शीर्षक प्रायोजन	250000	
23.		एशियाई सैटेलाइट बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का प्रायोजन	5,50,000	
24.		राष्ट्रीय समिट का प्रायोजन (एलबीएसआईएम)	100000	
25.		नेत्रहीनों के लिए भारत पाक पेट्रो कप 2005 का प्रायोजन	808249	
26.		हिमालय चैलेंज आजादी की चोटी 2005	400000	
27.		13वां पुरुष विश्वये 32 वालीबाल चैम्पियनशिप का प्रायोजन	500000	
28.		सैयद मोदी बैडमिंटन का प्रायोजन	500000	
29.		सुरजीत हाकी का प्रायोजन	650000	
30.		वैटन कप का प्रायोजन	500000	
31.		अखिल भारतीय टेबल टेनिस का प्रायोजन	535000	

1	2	3	4	5
32.		अंतर्स्कूल रेगटा का प्रायोजन	300000	
33.		कोलकत्ता शो हार्स का प्रायोजन	400000	
34.		टीएनएसए कोस्टल नेशनल	300000	
35.		इंडियन आयल एशिया कप व त्रिराष्ट्रीय श्रृंखला का प्रायोजन	195000000	
36.		पैन आईआईटी 2004 का प्रायोजन	200000	
37.		आईआईटी खडगपुर फाउंडेशन डे का प्रायोजन	100000	
38.		आईआईटी टैक फैस्टिबल का प्रायोजन	400000	
39.		अंतर्राष्ट्रीय क्विज का प्रायोजन	200000	
40.		प्रतिभा सम्मत समारोह का प्रायोजन	200000	
41.		11वां वार्षिक तेल व गैस पुनरीक्षा स्मयोस्वियम का सहप्रायोजन	200000	
42.		स्कोप और डीपीई को सम्मेलन एवं पुरस्कार का प्रायोजन	500000	
43.		''रिन्यूएबल एनर्जी पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रायोजन	100000	
44.		26वां अखिल भारतीय जनसम्पर्क सम्मेलन कोलकाता में पीआरएसआई द्वारा	100000	
45.		9वां वार्षिक प्रबंध सम्मेलन प्रायोजन	100000	
46.		14वां एनएमजी 2005 द्वारा एआईएमएस का प्रायोजन	200000	
47.		एआईटीयूसी का 38वां राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रायोजन	1000000	
48.		8वां आईआईआईई द्वारा सीईओ सम्मेलन का प्रायोजन	500000	
49.		अंतरराष्ट्रीय जनसम्पर्क समारोह 05 का सह-प्रायोजन	300000	
50.		12वां वार्षिक भारतीय तेल व गैस रिव्यू सिम्पोसियम का प्रायोजन	200000	
51.		चेरिटेबल ट्रस्ट की गतिविधियों में योगदान	500000	लोकाशंक
52.		एनसीपीईडीपी का कला क्षमता का प्रायोजन	500000	एनसीपीईडीपी

1	2	3	4	5
53.		तमन्ना/पायल फैशन शो का प्रायोजन	1450000	तमन्ना
54.		उद्यान घर का वार्षिक व्यय का प्रायोजन	500000	उदयन
55.		पीएफए द्वारा धन संग्रह कार्यक्रम में सहयोगी प्रायोजक	200000	पीएफए
56.		सुबह सवेरे, दूरदर्शन का प्रायोजन	650000	डीडी
57.		बिहार बैंक नेत्र बैंक का प्रायोजन	250000	
58.		नर्सरी स्कूल रायगढ़ के लिए झासकर को दान	750000	
59.		देसूर ग्राम प्राथमिक स्कूल, बेलगांव कर्नाटक को वित्तीय सहायता	630931	
60.		निजारपुर प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं का निर्माण	149000	
61.		तिजारपुर आदर्श एमई स्कूल में कक्षाओं का निर्माण	148000	
62.		वादीनार विद्यालय, वादीनार के लिए 75 लकड़ी के डेस्क उपलब्ध कराना	123200	
63.		सांगानेर में 3 पंचायत, 5 अस्पताल, 5 स्कूलों सहित आरडब्ल्यू को फर्नीचर प्रदान करना	365232	
64.		कोएम्बटूर सीएमसीटीएल के पूर्वी जोन में वार्ड 6 का अंगीकरण हेतु वित्तीय सहायता	500000	
65.		सालिडवेस्ट प्रबंध योजना के लिए		
66.		पश्चिम मेदनापुर में पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल के स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	710136	
67.		पश्चिमी बंगाल		
68-69.		चिकित्सा वाहन व उपकरण खरीदने के लिए भारत सेवाश्रम संघ मिलन मंदिर रोड दीमापुर, नागालैंड को दान	292000	
70.		चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए रामकृष्ण मिशन को वित्तीय सहायता	507500	

1	2	3	4	5
71.		दिव्य मन्दिर कृपालु बाग आश्रम कनखल हरिद्वार को एक टाटा डीजल 17 सीट वाली बस का दान	480000	
72.		दुख निवारण को एक फैको इम्यूसलीफिकेशन मशीन का प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता	500000	
73.		एक समिति चैरिटेबल चिकित्सा का स्वास्थ्य सुरक्षा, नई दिल्ली		
74.		एनजीओ, ग्रामीण विकास केन्द्र गुवाहाटी असम को वित्तीय सहायता	700000	
75.		बीकेपीएल पटना पम्प स्टेशन	190714	
76.		जोतघनश्याम नीलमणी हाईस्कूल को पानी का कनेक्शन		
77.	सीआईएसएफ	53वां अखिल भारतीय पुलिस एक्वैटिक व क्रास कन्ट्री चैम्पियनशिप का प्रायोजन	100000	19.8.04
78.	टी श्रीनिवास राव	मारूति वाहन द्वारा विश्वयात्रा का प्रायोजन-वन बचाव	100000	9.9.04
79.	आशियान	प्रथम भारत आशियान कार रैली 2004 का प्रायोजन	9000000	21.9.04
80.	एनआईसीएचई	संगीत के माध्यम से स्लाम बन्देमातरम का प्रायोजन	150000	23.9.04
81.	एआईएफएफ	संतोष ट्राफी फुटबाल टुर्नामेंट टाइटल का प्रायोजन	2500000	4.10.04
82.	एलबीएसआईएम	एलबीएसआईएम का राष्ट्रीय सम्मेलन 2004 का प्रायोजन	100000	26.10.04
83.	स्पंदन	अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध 4-दिवसीय सांस्कृतिक विरोध का प्रायोजन	150000	11.10.04
84.	सब-रंग	सब रंग द्वारा नौएडा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रायोजन	150000	3.1.2005
85.	ए आई सी ए	बहरे व्यक्तियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का सह-प्रायोजन	50000	25.1.2005
86.	विंटेज कार	प्रो. अशोक कुमार द्वारा 1935 की आस्टिन माडल कार के भाग लेने का प्रायोजन	75000	7.2.2005
87.	त्रिवेणी महोत्सव	त्रिवेणी महोत्सव 2005 का प्रायोजन	100000	9.2.2005

1	2	3	4	5
88.	ए आई टी यू सी	ए आई टी यू सी का 38वां राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रायोजन	80249	15.4.2005
89.	क्रिकेट फार द ब्लाइंड	नेत्रहीन का भारत पाक पेट्रो कप 2005 का प्रायोजन	808249	15.4.2005
90.	स्वरालय	स्वरालय द्वारा आयोजित दो-दिवसीय संगीत व डांस उत्सव का प्रायोजन	100000	20.4.2005
91.	गणक्रिस्टी	गणक्रिस्टी नाट्य उत्सव 2005 का प्रायोजन	250000	9.5.2005
92.	प्यूपिल फार एनिमल्स	पी एफ ए द्वारा फंडरेजर कार्यक्रम का सहयोगी प्रायोजक	200000	26.5.2005
93.	मूविंग पिक्चर कं.	दूरदर्शन पर सुबह सबेरे का प्रायोजन	650000	7.6.2005
94.	सबरंग	सब रंग द्वारा मानसरोवर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रायोजन	150000	6.6.2005
95.		13वां विश्व यू-21 वालीबाल स्पर्धा 05 विजाग का प्रायोजन	500000	22.6.2005

अनुबंध

तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रायोजन

प्रायोजन जुलाई, 2004 जुलाई, 2005

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	विवरण	राशि	दिनांक
1	2	3	4	5
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड				
1.	रास रंग-दिल्ली	शास्त्रीय और संगीत मिश्रण-नोएडा	100000	12.7.04
2.	केयर प्लस	घर देखभाल परियोजना के प्रति ईंधन धन	180000	6.7.04
3.	सचिव, आईसीएआई	उत्कृष्टता के लिए सम्मेलन संवर्धन	100000	15.7.04
4.	पंडित चतुरलाल मेमोरियल सोसाइटी	भारतीय शास्त्रीय संगीत-अमरज्योति	125000	27.7.04
5.	बम्बई सेंट जेवियर्स सोसाइटी	मल्हार-2004	150000	11.8.04
6.	बम्बई जिमखाना लि.	केन्या का क्रिकेट दौरा	100000	26.8.04
7.	कालीदास फेस्टीबल	नागपुर में कालीदास उत्सव-2004	200000	11.8.04
8.	स्कोप	नैगम प्रशासन के बारे में सम्मेलन-पीएसयू	200000	17.8.04
9.	श्री अरविन्द सोसाइटी, देहरादून	केन्द्र में सुविधाओं का विकास	150000	17.8.04

1	2	3	4	5
10.	कंसलटेन्सी डेवलपमेंट सेन्टर	ज्ञान इन्फ्रा के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	200000	17.8.04
11.	मालावार हिल सिटीजन्स फोरम	प्रियदर्शनी पार्क में खेल सुविधाएं	100000	19.8.04
12.	मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन	अखिल भारत अंतर्राज्यीय बैड	100000	11.8.04
13.	वर्ल्ड एनर्जी काउंसील-आईएमसी	सिडनी में 19वीं डब्ल्यूईसी कांग्रेस	500000	29.7.04
14.	फिकी	ग्रामीण विपणन शिखर वार्ता 2004	100000	8.9.04
15.	स्पेशल ओलंपिक भारत	2005 विशेष ओलंपिक्स	100000	5.8.04
16.	आयोजक सचिव, सीआईएसएफ	आल इंडिया पुलिस एकनेटिक चैंपियन	100000	29.7.04
17.	श्री त्याग ब्रह्मा गण सभा	रजत जयंती संगीत समारोह	150000	4.10.04
18.	भारतीय उद्योग संघ	इंडियन एशियन कार रैली	2250000	11.10.04
19.	अखिल भारत फुटबाल फेडरेशन	नई दिल्ली में संतोष ट्राफी	1000000	12.10.04
20.	सीएसआई-2004	वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन सीएसआई-2004	500000	5.10.04
21.	पेट्रोटैक-2005	छठा अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्रदर्शनी	5000000	11.10.04
22.	भारतीय नौसेना कल्याण निधि	नेवी नाइट 2004	500000	2.11.04
23.	उ.प्र. बैडमिंटन एसोसिएशन	अंतराष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप	300000	18.10.04
24.	डूरन्ड फुटबाल टूर्नामेंट सोसाइटी	डूरन्ड फुटबाल टूर्नामेंट	100000	28.10.04
25.	सूफी संत बाबा मलंग उज्जैन	दरगाह कलंदर का उर्स मुबारक	200000	8.11.04
26.	भारतीय रासायनिक इंजीनियरिंग संस्थान	इंजी. कांग्रेस केमकौन-2004	500000	29.10.04
27.	तमिलनाडु विकलांग कल्याण संघ	विकलांगों के लिए सहायक उपकरण	100000	19.11.04
28.	आईएसटीडी-2004 वर्ल्ड कान्फ्रेस	आईएफटीडीओ विश्व सम्मेलन और प्रदर्शनी	500000	19.11.04
29.	अपोलो कैंसर संस्थान	स्तन कैंसर रोगी लाभ कार्यक्रम	200000	25.11.04
30.	राष्ट्रीय केन्द्र-विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार संवर्धन-एनसीपीईडीपी	विश्व विकलांगता दिवस के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम	250000	19.11.04
31.	कौमेट मीडिया फाउन्डेसन	बाल विविध उत्सव में थीम पैविलियन	100000	2.12.04
32.	फिकी	तीसरी एशिया गैस खरीदार संगोष्ठी-2005	500000	9.11.04
33.	जीओवीपीआईकेए	पवित्र ग्रुव्स का वृत्तचित्र केरल	500000	9.12.04
34.	रायल कलकत्ता टर्फ क्लब	बीएसएफ कप 2004-2005	100000	9.12.04
35.	पर्यावरणीय अनुसंधान और शिक्षा केन्द्र	सीईआरई की राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संबंधी परियोजना	100000	10.12.04

1	2	3	4	5
36.	बीएसपीसीए	संगीतमय धन उगाही कार्यक्रम-बीएसपीसीए	150000	7.12.04
37.	पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	तेल और गैस क्षेत्र में उदीयमान अवसरों पर सम्मेलन	100000	16.12.04
38.	बिलिएर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन	एशियाई बिलियर्डस चैम्पियनशिप 2005	500000	28.12.04
39.	बैनेट कौलमेन एंड कंपनी	फन-डा-मेंटल प्रश्नोत्तरी	300000	18.1.05
40.	वेलिंगकर प्रबंध विकास संस्थान	वेलिंकर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता श्रृंखला	100000	7.2.05
41.	बीएसपीसीए	धन उगाही कार्यक्रम	100000	15.2.05
42.	डिगनिटी लाइफ स्टाइल ट्रस्ट	चिकित्सीय उपकरण-स्वास्थ्य क्लीनिक	100000	21.2.05
43.	श्री अरविन्द केन्द्र	ग्रामीण-शहरी एकीकरण की परियोजनाएं	100000	23.2.05
44.	सुकार्य	धन उगाही सांस्कृतिक कार्यक्रम	200000	24.2.05
45.	अरविन्द ग्रामीण-शहरी एकीकरण केन्द्र	केन्द्र की विभिन्न परियोजनाएं	100000	23.2.05
46.	पेट्रोलियम क्रीड़ा संवर्धन बोर्ड	ओपन मास्टर्स गोल्फ चैम्पियनशिप	1033563	18.3.05
47.	अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस	दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन	500000	19.1.05
48.	बम्बई चेम्बर्स आफ कामर्स	ऊर्जा विकल्पों पर सम्मेलन 2005	100000	21.3.05
49.	डा. राम मनोहर लोहिया सेवा	सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली की आपूर्ति	100000	4.4.05
50.	इंडियन वेटरन हाकी एसोसिएशन	वेटरन हाकी मास्टर्स टूर्नामेंट	100000	5.4.05
51.	राम कृष्ण मिशन स्टूडेन्ट होम	सेनेनरी समारोह	100000	12.4.05
52.	स्वरालय	संगीतमय उत्सव	100000	15.4.05
53.	नेत्रहीन क्रिकेट संघ	नेत्रहीनों के लिए भारत-पाक क्रिकेट कप	295500	20.4.05
54.	बम्बई हाकी संघ	अखिल भारत गोल्ड कप हाकी टूर्नामेंट	100000	26.4.05
55.	दिल्ली दक्षिणी पूर्व रोटरी क्लब	चेतना धन उगाही पहल	200000	26.4.05
56.	आईआईएम, बंगलौर	अनुस्मरण 2005-एलुमनी रियूनियन	200000	9.5.05
57.	आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान-बम्बई	वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम	100000	31.5.05
58.	टीईआरआई, नई दिल्ली	टीआरआई नैगम पुरस्कार	500000	26.5.05
59.	फाउंडेशन आफ इंडियन हिस्ट्री	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	500000	6.6.05

1	2	3	4	5
60.	आरकेएम स्टूडेन्टस होम, चेन्नई	शताब्दी बिल्डिंग परियोजनाएं	100000	12.4.05
61.	उदय सोसाइटी	उदय मद चेलेन्ज रैली	100000	24.5.05
62.	मैक कृषि जागरण	ग्रामीण भारत व्यापार एक्सपो.	100000	23.6.05
63.	एएससी सेन्टर और कालेज, बंगलौर	आर्मी कोर का 245वां रेजिंग डे	200000	22.7.05

अनुबंध

तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापन/प्रायोजन

प्रायोजन जुलाई, 2004-जुलाई, 2005

क्र.सं.	दिनांक	पक्षकार का नाम	राशि	श्रेणी
1	2	3	4	5
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड				
1.	जुलाई, 04	आयल एशिया सिंपोजियम डिवीजन	192000	सम्मेलन
2.	जुलाई, 04	इंडियन आयल रिव्यू सिंपोजियम	300000	सम्मेलन
3.	अगस्त, 04	स्कोप	200000	सम्मेलन
4.	अगस्त, 04	राजमाता महिला मंडल	100000	कार्यक्रम
5.	अगस्त, 04	वेदान्त इंस्टी. मद्रास	100000	सम्मेलन
6.	सितम्बर, 04	आर्गो सि.	100000	खेल
7.	सितम्बर, 04	थाणे मेयर वार मेराथन	100000	खेल
8.	अक्तूबर, 04	ग्रीनटैक फाउंडेशन	200000	सम्मेलन
9.	अक्तूबर, 04	इंडियन स्कूल आफ पेट्रोलियम	150000	कालेज समारोह
10.	दिसम्बर, 04	पं. चतुरलाल मेमोरियल सेंटर	250000	कार्यक्रम
11.	जनवरी, 05	पेट्रोटैक 2005	5000000	सम्मेलन
12.	जनवरी, 05	पुणे उत्सव	200000	कार्यक्रम
13.	जनवरी, 05	बी सी सी आई	300000	खेल
14.	जनवरी, 05	एन पी एम पी अवार्डस आफ एक्सीलेंज	130685	कार्यक्रम
15.	नवम्बर, 04	यू पी बैडमिंटन एसो.	300000	खेल
16.	नवम्बर, 04	एन ए एस ई ओ एच	100000	कार्य

1	2	3	4	5
17.	नवम्बर, 04	सी आई आई	2250000	खेल
18.	सितम्बर, 04	आयल इंडिया फुटबाल फैडरेशन	1000000	खेल
19.	दिसम्बर, 04	वासू एसोसिएशन आफ इंडिया	300000	खेल
20.	दिसम्बर, 04	एन सी पी ई डी पी	250000	कार्य
21.	जनवरी, 05	इंडिया एनर्जी फोरम	200000	सम्मेलन
22.	जनवरी, 05	आशीर्वाद	200000	कार्यक्रम
23.	दिसम्बर, 04	एन सी पी ई डी पी	250000	सम्मेलन
24.	जनवरी, 05	आल इंडिया ओलम्पिक एसोसिएशन	200000	खेल
25.	जनवरी, 05	बाइकर्स फार इंटीर्गेन एंड कंस.	200000	कार्यक्रम
26.	जनवरी, 05	थाणे सिटी बैडमिंटन	100000	खेल
27.	जनवरी, 05	पूना वूमेन्स काउंसिल	300000	कार्य
28.	जनवरी, 05	औग्राधा दृष्टिदान	100000	कार्य
29.	जनवरी, 05	कैथर्डल आफ होली नेम	100000	कार्य
30.	दिसम्बर, 04	दिल्ली मलयाली संगम	100000	कार्यक्रम
31.	जनवरी, 05	बिशन बेदी क्रिकेट कोचिंग	250000	खेल
32.	दिसम्बर, 04	आई आई एम अहमदाबाद	250000	कालेज वित्त
33.	जनवरी, 05	फिक्की	300000	सम्मेलन
34.	जनवरी, 05	परिक्रमा ह्यमिटी फाउंडेशन	300000	कार्यक्रम
35.	जनवरी, 05	इंडिया एनर्जी फोरम	200000	सम्मेलन
36.	जनवरी, 05	यूनिवर्सिटी आफ मुंबई	100000	कालेज वित्त
37.	फरवरी, 05	पी एच डी चेम्बर काम. एंड एंड.	100000	सम्मेलन
38.	फरवरी, 05	हिमालय नेचर एंड. फाउंडेशन	100000	सम्मेलन
39.	फरवरी, 05	रोटरी क्लब एयरपोर्ट	150000	कार्यक्रम
40.	फरवरी, 05	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कैमिकल एनर्जी	300000	कालेज वित्त
41.	फरवरी, 05	फाइन आर्ट सोसाइटी	200000	कार्यक्रम
42.	दिसम्बर, 04	हिम ज्योति फाउंडेशन	200000	कार्य
43.	मार्च, 05	पुणे इंटरनेशनल मैराथन	200000	खेल

1	2	3	4	5
44.	मार्च, 05	सिविल सर्विस गोल्फ सोसाइटी	300000	खेल
45.	सितम्बर, 04	एन पी एम पी अवार्डस आफ एक्सीलेंस	130685	कार्यक्रम
46.	26.4.05	दि महा फायर सर्विस पर्सनल वैलफेयर	100000	कार्य
47.	26.4.05	इंडियन वेटरन हाकी एसोसिएशन	150000	खेल
48.	11.5.05	पी एस पी बी	1030874	खेल
49.	11.5.05	गार्डन एट एच पी डी आई-निगडी	550000	कार्य
50.	10.5.05	सुकार्य	300000	कार्यक्रम
51.	6.6.05	प्यूपिल फार एनिमल्स	150000	कार्यक्रम
52.	21.6.05	हृदयेश आर्टस	150000	कार्यक्रम
53.	21.6.05	इंस्टीट्यूट आफ इंटरनल आडीटर्स इंडिया बम्बई	150000	सम्मेलन

ओएमसीज द्वारा विज्ञापन/प्रायोजन

प्रायोजन जुलाई 2004-जुलाई, 2005

आईबीपी कम्पनी लिमिटेड

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	विवरण	राशि	दिनांक
1.	नासिक महानगर बुद्धिबल संस्था	सतरंज टूर्नामेंट	200000	–

अनुबंध

जुलाई, 2004-जुलाई, 2005

क्र.सं.	मद	एचपीसीएल	बीपीसीएल	आईओसी	आईबीपी
1	2	3	4	5	6
1.	कुल विज्ञापन और प्रायोजन लागतें (लाख रुपए)	41.48	64.18	153.17	2.43
1(क)	कुल बिक्री/कारोबार की प्रतिशतता के रूप में	0.055%	0.10%	0.11%	0.02%
2(क)	पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यय कुल विज्ञापन व्यय की प्रतिशतता के रूप में डीलरों, डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन	3.25%	16.3%	5.68%	76.66%
2(ख)	कुल विज्ञापन लागतों की प्रतिशतता के रूप में निविदा पर व्यय	8.08%	1.5%	7.02%	13.70%

1	2	3	4	5	6
2(ग)	कुल विज्ञापन लागतों की प्रतिशतता के रूप में स्टाक (अधिकारी/कामगार और सेवा प्रदानकर्ता) की भर्ती के लिए विज्ञापन पर व्यय	2.5%	0.15%	0.54	1.03%
2(घ)	कुल विज्ञापन लागतों की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय परिणामों के प्रकाशन जैसे सांविधिक विज्ञापन पर व्यय	3.35%	0.91%	0.71%	2.43%
2(ङ)	नैगम और उत्पाद विज्ञापन और विविध	82.82%	80.26%	86.05%	6.18%

श्री बी. विनोद कुमार: श्रीमान, यह प्रश्न पूछने के पीछे मेरा प्रमुख उद्देश्य माननीय मंत्री जी का ध्यान तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापनों के क्षेत्र में किए जा रहे व्यर्थ व्यय की ओर आकृष्ट करना है। हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसलिए इस परिदृश्य में मैंने यह प्रश्न पूछा था।

मंत्रीजी द्वारा दिए गए उत्तर से मुझे यह पता चला कि विज्ञापनों को निःशुल्क जारी करने पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विज्ञापनों को जारी करने से पहले उन्हें जांचे जाने के लिए मंत्रालय किसी विनियामक प्राधिकरण का गठन कर रहा है?

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि माननीय सदस्य को दिए गए मेरे लिखित उत्तर के विस्तृत विवरण में प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में "व्यर्थ व्यय" का उल्लेख अनुपयुक्त है। मैंने बताया है कि दोनों विज्ञापनों और प्रायोजन पर हुआ कुल व्यय एच.पी.सी.एल. के कुल विक्रय कारोबार का 0.055 प्रतिशत; बी.पी.सी.एल. का 0.1 प्रतिशत; आई.ओ.सी. का 0.11 प्रतिशत और ओ.बी.पी. का 0.02 प्रतिशत है। यह कहना कैसे सत्य हो सकता है कि यह व्यर्थ है? उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखते हुए विज्ञापनों और प्रायोजन दोनों पर हुआ व्यय उनके कुल कारोबार का एक लघु अंश है।

माननीय सदस्य के प्रश्न के वस्तुत: दूसरे भाग के संबंध में मुझे यह कहना है कि सरकार के श्रव्य-दृश्य-प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के जरिये विज्ञापनों को जारी किए जाने का इतिहास 1959 और 1965 से शुरू होता है, चौदहवीं लोक सभा की सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के वर्तमान नौवें प्रतिवेदन की तो बात ही छोड़िए। उस समय भी प्रचलित सिद्धांत यही था कि स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समस्याएं सरकारी विभागों अथवा सरकारी मंत्रालयों अथवा सरकारी संगठनों से अलग तरह की होती हैं। पहले तीन में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वाणिज्यिक संगठनों को बाजार में संचालन करना होता है और हमें उन तमाम विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो डी.ए.वी.पी. की दरों के प्रयोग से उत्पन्न हुयी हैं।

वस्तुत: पहली समस्या यह है कि दर संरचना समिति द्वारा दरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशें अनुमोदित की जानी हैं। अतएव इस अवस्था में हमें यह पता नहीं है कि इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में तेल की दर क्या है? इसके अलावा बहुत से समाचार-पत्रों का कहना है कि जब तक किसी विज्ञापन में सरकारी प्रतीक चिह्न (लोगो) नहीं होगा तब तक वे इसे सरकारी डीएवीपी दरों पर नहीं मानेंगे। निगमित गोपनीयता के बारे में भी समस्यायें हैं क्योंकि हम जो भी डीएवीपी के साथ शेयर करते हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है। हमारी समस्या यह है कि दिल्ली स्थित डी.ए.वी.पी. से तो जल्दी ही विज्ञापन जारी हो जाता हैं लेकिन अभी आप बरौनी या डिगबोई से जारी करना चाहें तो दिल्ली जितना जल्दी जारी करना संभव नहीं हो पाता।

इन सबके आलोक में जबकि यह सब मामले बाजार की वास्तविकताओं के आधार पर सरकार के विचाराधीन हैं मेरे विचार से एक विनियामक का लाया जाना आवश्यक नहीं है। हम इन सब मामलों को बाजार के वास्तविक आकलन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध चौदहवीं लोक सभा की समिति के नौवें प्रतिवेदन के आशयों के आधार पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री बी. विनोद कुमार: महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने 31 मई 2005 के पत्र के जरिए यह सलाह दी है कि पी यू सी के सभी प्रचार कार्यों को डी ए वी पी के जरिए कराया जाए। 24 अगस्त 2005 को एक बैठक आयोजित की गयी थी और उस बैठक में मंत्रालय की

कतिपय समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या डी ए वी पी के साथ तेल कंपनियों को होने वाली समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया है, यदि हां तो क्या इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय दिशानिर्देशों का अनुपालन करने जा रहा है?

श्री मणि शंकर अय्यर: कल के जारी पत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ध्यान विशेष तौर से इस तथ्य की ओर दिलाया गया था कि इस संबंध में गठित दर संरचना समिति की सिफारिशें अभी तक हमारे मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुयी हैं और इन्हें यथाशीघ्र हमें उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा हम उन बिंदुओं की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्राचार जारी रखने जा रहे हैं जिनके बारे में मैंने अभी सभा में चर्चा की है।

सभा में प्रश्नों को उठाए जाने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें स्थिति का जायजा लेने का अवसर प्रदान करता है और मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि यह प्रश्न उठाकर उन्होंने हमें एक जटिल समस्या के सभी पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय सी ए जी की 2002-2003 और 2003-2004 की रिपोर्ट में 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की फिजूलखर्ची का जिक्र किया गया है जिसमें विज्ञापन पर होने वाले खर्च का भी उल्लेख है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी?

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, यह प्रश्न कि सी.ए.जी. ने क्या कहा है यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। जब तक कि मैं उस सी ए जी रिपोर्ट को विशेष तौर पर देख न लूं जो कि इनके ध्यान में है तब तक मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा।

मैं नहीं मानता कि विज्ञापन और प्रायोजन पर हुए व्यय को व्यर्थ माना जाना चाहिए तब जबकि यह कंपनियां, पूरे देश में अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही हैं और यह व्यय उनके विक्रय कारोबार का मात्र 0.1 प्रतिशत और कही-कहीं तो इससे भी कम है। अब उनका वैसा एकाधिकार नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था और हमें यह समझना चाहिए कि जब उनका उत्पाद विज्ञापन उनके कुल विज्ञापनों के आधे से अधिक हो और ये उत्पाद विज्ञापन नियमित उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल के लिए नहीं बल्कि ऐसे अन्य उत्पादों के लिए हैं जहां बाजार में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम उन्हें उनके नियमित वाणिज्यिक विज्ञापनों पर व्यय को प्रतिबंधित करने की सलाह दें। अगर हम किन्हीं विशेष मामलों को इंगित कर सकें जो व्यर्थ के खर्चे हैं तो उन्हें ऐसे व्यय नहीं करना चाहिए। हम केवल उनसे इतना करने के लिए कह सकते हैं।

चूंकि ऐसे विज्ञापनों तथा ऐसे प्रायोजनों के लिए माननीय संसद सदस्यों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, महोदय, मैं नहीं समझता कि हम इस सभा के माननीय सदस्यों पर फिजूलखर्ची में संलिप्त होने का परामर्श देने का आरोप लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए और अधिक प्रायोजक होने चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का बड़ा डिटेल्ड रिप्लाई दिया है। इसमें कहा गया है कि स्पान्सरशिप मद में 35 करोड़ 47 लाख रुपए तथा एडवरटाईजमेंट और आडियो-विजुअल मद में 230 करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर किया गया है। अध्यक्ष जी, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां एडवरटाईजमेंट करती हैं, वे अपना सारा खर्चा कंज्यूमर्स के सिर पर डाल देती हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की प्राइस हर बार बढ़ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इन सब चीजों को कंसीडर करके, कोई ऐसी नीति या कार्यक्रम बनाएंगे ताकि सभी एडवरटाईजमेंट्स स्पान्सर हो करके रूट-थ्रू करें, सभी एडवरटाईजमेंट्स स्पौन्सर्ड होकर एक जगह से निकले, जिससे व्यर्थ का खर्चा हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर न पड़े।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करने पर विवश हूं कि पिछले वर्ष हमारी तेल कंपनियों की कम-वसूलियां 20,000 करोड़ रु. थीं तथा यदि हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया, तो इस वर्ष यह राशि 40,000 करोड़ रु. हो सकती है। यदि 40,000 करोड़ रु. से तुलना की जाए, तो 230 करोड़ रु. की राशि बहुत ही कम प्रतीत होती है। मैं नहीं समझता हूं कि विज्ञापनों पर 230 करोड़ रु. से कम व्यय करना सीमित करने के माध्यम से हम तेल के मूल्यों में किसी भी प्रस्तावित वृद्धि को सफलतापूर्वक रोक पाने में सफल हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि जो बात माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, वह यह है कि घरेलू मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के पूर्ण

प्रभाव से उपभोक्ता को बचाने पर आर्थिक-सहायताओं एवं प्रति-आर्थिक सहायताओं के माध्यम से खर्च की जा रही विशाल धनराशि की तुलना में हम विज्ञापनों पर बहुत कम धनराशि खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है।

श्री रूपचन्द पाल: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या प्रायोजन और विज्ञापन के संबंध में केन्द्र द्वारा कोई मार्गदर्शी-सिद्धांत जारी किए गए हैं? उदाहरण के लिए, क्या कोई मार्गदर्शी-सिद्धांत यह कहता है कि ऐसी प्रतिशतता में निरक्षरता उन्मूलन, महिला अधिकारिता, बालिका संरक्षण, असंगठित कमकारों के मूलभूत अधिकारों तथा नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों जैसे सामाजिक मुद्दे निहित होने चाहिए। यदि नहीं, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार विपणन कंपनियों को इस आशय के केन्द्रीय मार्गदर्शी-सिद्धांत जारी करने पर विचार करने के लिए तैयार है कि प्रायोजन तथा विज्ञापन के मामले में ऐसी प्रतिशतता में सामाजिक मुद्दे अवश्य निहित होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसमें खेलों को भी शामिल करना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, हम सामाजिक मुद्दों पर विचार करने का प्रयास करते हैं तथा विशेष रूप से, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम यह चाहते हैं कि हम श्रम संबंधी मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान दें और इसीलिए, हमारी सभा के एक प्रतिष्ठित सदस्य के अनुरोध पर, जो एक प्रमुख वामदल से संबंध रखते हैं, हमने एक करोड़ रुपये की दर पर अखिल भारतीय मजदूर संघ सम्मेलन को प्रायोजित किया क्योंकि हमारे अनेक सदस्य ऐसे हैं जो अत्यंत अधिकारपूर्वक एआईटीयूसी से संबंध रखते हैं। महोदय, मैं और भी बहुत से विनिर्दिष्ट विवरण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप वे विवरण उन्हें भेज सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के श्रमिक मुद्दे तथा सामाजिक मुद्दों को हमारा समर्थन प्राप्त होगा। हिम ज्योति फाउंडेशन उत्तरांचल में विशेष रूप से बालिकाओं की साक्षरता के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमारा समर्थन प्राप्त होता है। महोदय, आपके विचारों का सम्मान करते हुए, मैं समझता हूं कि हम खेल प्रतिस्पर्धाओं पर कुछ ज्यादा ही धनराशि खर्च कर रहे है। मैं यह देखना चाहूंगा कि क्या हम उन्हें प्रमुख सामाजिक मुद्दों में पैसा लगाने के प्रयासों के और अधिक निकट ला सकते हैं। हमें वामदलों के माननीय सदस्यों से परामर्श प्राप्त कर तथा विशेष रूप से कामरेड रूपचन्द पाल से परामर्श प्राप्त करके प्रसन्नता होगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ से मैंने इस बात को तीन बार कहा है। परंतु वे केवल एक ही खेल का उल्लेख कर रहे हैं। संभवत:, उसमें उनकी रुचि हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना

*422. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंचायतों को अहम भूमिका देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(च) वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243छ में पंचायती राज संस्थाओं, जिनमें ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, को अधिकारसंपन्न बनाने के लिए शक्तियों के अंतरण की व्यवस्था है ताकि ये 'स्व-शासी संस्थाओं' के रूप में उन्हें अंतरित विषयों, जिनमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय और ऐसे विषय शामिल हैं, जिन्हें राज्य ने ऐसे शर्तों के अध्यधीन कानून बनाकर विनिर्दिष्ट किया हो, के लिए (1) अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने, और (2) अपने-अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के दोहरे प्रयोजन के लिए कार्य कर सकें।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री और राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के बीच पिछले वर्ष जुलाई-दिसम्बर, 2004 के दौरान संपन्न हुए सात गोलमेज सम्मेलनों में कार्रवाई का एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया गया ताकि क्रियाकलापों की रूपरेखा के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 243जेडडी के साथ पठित संविधान के भाग-IX के अनुसार विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें निधियों, कार्यों और कार्मिकों का अंतरण किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद अप्रैल तथा जून, 2005 में मुख्य सचिवों तथा पंचायती राज के प्रभारी सचिवों की समिति की दो बैठकें तथा 5-6 अगस्त, 2005 को कोच्ची में पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद की पहली बैठक हुई है। बैठक में मुख्य रूप से क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा की गई ताकि कार्यों की प्रभावी सुपुर्दगी के साथ निधियों और कार्मिकों की समानुपातिक सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके। बैठक में लिये गये निर्णयों का संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। एकमत से इस बात पर सहमति हुई कि राज्य, क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार करने में लक्ष्य निर्धारित करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों को सौंपे गए क्रियाकलापों के लिए निधियों और कार्यों की सुपुर्दगी को वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के काम में तेजी लाएंगे। संयुक्त संकल्प की एक प्रति अनुबंध 'I' में देखी जा सकती है।

सरकार स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए और लोगों की जरूरतों के लिए ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के निर्माण की नई योजना शुरू कर रही है जिससे ग्रामीण उद्यमों को गति प्रदान की जा सकेगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी होगा। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के इस संयुक्त पहल के तहत ऐसे ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ में प्रायोगिक राज्यों के रूप में उत्तरांचल, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम का चयन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किए जाने वाले ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के लिए संबंधित राज्यों में सरलीकरण प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी मंत्रालय/सीआईआई के प्रतिनिधियों को सौंप दी गई है। इस संबंध में आईटीसी, अनेक फल प्रसंस्करण इकाइयों तथा उत्तरांचल के नैनीताल जिले के अनेक ब्लाकों के पंचायत प्रतिनिधियों के बीच पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन की एक प्रति अनुबंध-II में दी गई है।

ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के विकास के लिए अभिज्ञात मुख्य क्षेत्र हैं—पुन: नवीकरणीय ऊर्जा जिसमे बायो-गैस, जटरोफा बागानों से प्राप्त बायो-ईंधन तथा सौर ऊर्जा शामिल है, कृषि उद्योग, कृषि प्रसंस्करण तथा ग्रामीण उद्योग, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग तथा वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प शामिल हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा परिचालित किए गए निदेशों के अनुसरण में पंचायती राज मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों और योजना आयोग के परामर्श से नई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और मौजूदा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दिशा-निर्देशों की जांच कर रहा है ताकि संविधान के अनुच्छेद 243'छ' के साथ पठित ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों की योजना और कार्यान्वयन में पंचायतों की मुख्य भूमिका सुनिश्चित की जा सके। ऐसी समीक्षाओं के परिणाम अनुबंध-III में हैं।

(च) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) पंचायतों के तीनों स्तरों को, आयोजना, कार्यों के चयन तथा रोजगार सृजन के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय भूमिका प्रदान करती है।

एसजीआरवाई को जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तरों पर पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत संरचना के सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है। जिला, मध्यस्तरीय तथा ग्राम पंचायतों के बीच संसाधन क्रमश: 20:30:50 के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। अन्य योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं को अलग-अलग मात्रा में भूमिका प्रदान करती है तथा राज्यों को पंचायतों के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने का विकल्प दिया गया है किन्तु वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुख्य भूमिका को अनिवार्य बनाता है तथा उन्हें ये भूमिकाएं सौंपता है (लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक का खंड 13(1) देखें)।

(छ) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के संबंध में आबंटित निधियों के ब्यौरे अनुबंध-IV में है।

अनुबंध I

5-6 अगस्त, 2005 को कोच्ची में आयोजित राज्य के पंचायती राज मंत्रियों की परिषद् की पहली बैठक

बैठक के लिए गए निर्णयों का संयुक्त प्रस्ताव

संविधान के अनुच्छेद 243छ, के प्रावधानों, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति प्रत्यायोजित करने की व्यवस्था है ताकि वे योजनाएं बना सकें तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकें, को लागू करने के उद्देश्य से, जुलाई, 2004 में कोलकाता में आयोजित राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में "कार्यों की प्रभावी सुपुर्दगी" शीर्षक के तहत निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किए गए:

"त्रि-स्तरीय प्रणाली के उचित स्तर को इन क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप की सुपुर्दगी को ध्यान में रखते हुए सौंपे गए कार्यों से संबंधित क्रियाकलापों का चयन एक अनिवार्य कदम है।"

"सौंपे गए कार्यों से संबंधित क्रियाकलापों के चयन के आधार पर तथा अनुक्रम सिद्धांत के अनुप्रयोग के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2004-05 में ही इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से समयबद्ध क्रियाकलाप की रूपरेखा की समीक्षा करें/उसे शुरू करे।" (मद-5)

"सौंपे गए कार्यों के अपरिवर्तन के उपाय को बढ़ावा देने की दृष्टि से सुपुर्दगी, वैधानिक उपायों के माध्यम से या विकल्प के तौर पर कार्यकारी आदेश के जरिए एक मजबूत वैधानिक ढांचा मुहैया कराकर की जाए।" (मद-8)

राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की परिषद् की पहली बैठक में इस दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई तथा यह नोट किया गया कि हालांकि कुछ राज्यों में पंचायत के तीनों स्तरों को कार्यों की सुपुर्दगी का प्रारंभिक कार्य पूरा हो गया है जबकि अनेक राज्यों में यह मामला पूरा होने के स्तर पर लंबित पड़ा है।

तथापि, अनेक राज्यों में संविधान की अक्षरश: और उसकी मूल भावना के अनुरूप पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए सुधारों की दिशा में अनेक सार्थक उपाय करने की आवश्यकता है। इस दिशा में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने पूरी तन्मयता के साथ कोलकाता गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावों को लागू करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया तथा निम्नलिखित विशेष उपायों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया:

(1) राज्य के विभागों के साथ तत्काल आपसी बातचीत की जाएगी ताकि राज्य में क्रियाकलाप की रूपरेखा संबंधी सर्वसम्मति को अंतिम रूप दिया जा सके। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय को इस कार्य को करने की समयाविधि से अवगत कराया जाए।

(2) उन क्षेत्रों, जहां पंचायत के सभी स्तरों को कार्यों और क्रियाकलापों की सुपुर्दगी की आम सहमति है, के संबंध में राज्य तत्काल इसे लागू करने का आवश्यक आदेश जारी करेगा। सरकारी आदेशों/राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियों से पंचायती राज मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

(3) राज्य के लिए यह वांछनीय है कि वे क्रियाकलापों की रूपरेखा में लक्ष्य निर्धारित करेंगे तथा पंचायतों के लिए तैयार किए गए प्रारूप की रूपरेखा का प्रचार-प्रसार करके प्रारंभिक उपाय करेंगे कि ताकि वे अपने नए उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए तैयार हो सकें। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय को इस दिशा में किए गए उपायों की जानकारी दी जाए।

(4) पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्रियाकलाप रूपरेखा विशेषकर, नियोजन और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के संदर्भ के साथ कार्यक्षेत्र और परिणाम से संबंधित विशेष सत्र शामिल होने चाहिए। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, मांग किए जाने पर, वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता को बढ़ाएगा।

(5) विभिन्न लाइन विभागों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि वे पंचायतों के लिए क्रियाकलापों की सुपुर्दगी के बदलते परिवेश में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझ सकें और सहायक की भूमिका निभाने में समर्थ हो सकें। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, मांग किए जाने पर वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता को बढ़ाएगा।

(6) क्रियाकलाप की रूपरेखा के माध्यम से उनको सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के संबंध में उसी अनुपात में निधियों के अंतरण की आवश्यकता होगी। इससे राज्य बजट में पंचायत क्षेत्र के सृजन के माध्यम से संबंधित स्तरों के लिए पंचायतों को सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित सभी योजनाओं को सौंपने की आवश्यकता होगी। राज्य

मंत्री इस दिशा में आवश्यक उपाय करें ताकि 2006-07 के बजट में पंचायतों के लिए योजनाओं के अंतरण को कोलकाता गोलमेज सम्मेलन में सहमत समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय को पंचायती सशक्तीकरण प्रोत्साहन कोष बनाए जाने के पश्चात इसके संचालन के संबंधित प्रगति के बारे में जानकारी दी जाए।

(7) पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के प्रभावी नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इन योजनाओं से संबंधित निधियां उन्हें बिना किसी विलंब या अपवर्तन के अंतरित की जाए। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में राज्यों को ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो बैंकों और खजाने दोनों के माध्यम से पंचायतों को निधियों का अंतरण कर सके। यह विशेष रूप से बारहवें वित्त आयोग अनुदानों की रिलीज और खर्च को सुनिश्चित करेगा। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सहयोग से कार्य करेगा।

(8) राज्य केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय को पंचायतों को सौंपे गए क्रियाकलापों का विवरण भेजेगी ताकि इस संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जा सके जो केन्द्र स्तर पर नीतियां तथा योजनाएं बनाने में पर्याप्त रूप से भी उपयोगी होगी।

सुधार की गति को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को प्रभावी सहायता और समन्वय की जरूरत होगी। पंचायती राज मंत्रालय क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार करने में अपना सहयोग और समन्वय जारी रखेगा और निम्नलिखित विशिष्ट उपाय करेगा:

(1) पंचायती राज मंत्रालय अनटाइड ब्लाक अनुदानों तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के व्यवस्थागत सुधार के माध्यम से केन्द्रीय निधि की सुपुर्दगी को जारी रखेगा जिसमें भाग IXक के अनुच्छेदों के साथ पठित भाग IX में यथा निर्धारित जिला और उप-जिला स्तरों पर बेहतर शासन के लिए इन्हें सांविधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए पंचायत सशक्तीकरण प्रोत्साहन कोष की स्थापना शामिल है।

(2) पंचायती राज मंत्रालय उत्तरांचल में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस के लिए किए गए प्रयासों में सहायता करने पर सहमत हुआ है।

(3) पंचायती राज मंत्रालय क्रियाकलाप रूपरेखा बनाने के लिए जहां कहीं भी यह आवश्यक है, तकनीकी सहायता देना जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सामग्री तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा जो राज्यों में क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार करने में आवश्यक होगा।

(4) क्रियाकलाप की रूपरेखा के संबंध में राज्यों द्वारा तैयार किए गए तथ्य-पत्र और नए प्रयासों तथा बेहतर कार्यों के विवरण राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल पर रखे जाएंगे।

अनुबंध II

समझौता ज्ञापन

"पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि एवं गरीबी उन्मूलन" विषय पर 26 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन में, और केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, उत्तरांचल सरकार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रस्तावों के अनुरूप, स्थायी आर्थिक विकास हासिल करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की क्षमता विकसित कर, बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए उन्नत कृषि उपायों को कार्यान्वित कर तथा रामगढ़ ब्लाक, जिला नैनीताल, उत्तरांचल में प्रसंस्करण और शीत-भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण बहुमूल्य फलों को नष्ट होने से बचाने के लिए 'ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र' स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित, लाभप्रद और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दर से लाभ प्राप्त हो सके।

नीमराना समूह रामगढ़ ब्लाक की स्थानीय ग्राम पंचायतों की मदद से पहले ही स्थानीय रूप से उपलब्ध बहुमूल्य फलों की प्रसंस्कृत कर मुरब्बा और अन्य उत्पाद बना रहा है। चूंकि इन उत्पादों का विपणन सिर्फ नीमराना समूह के नेटवर्क तक सीमित है, इसलिए प्रसंस्कृत उत्पाद कम मात्रा में तैयार किए जाते हैं। स्थानीय फलों खरीद तथा प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने के काम को बढ़ाने के लिए, जिससे ब्लाक में व्यापक तौर पर लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार होगा और यह आवश्यक है कि रामगढ़ ब्लाक की पंचायती राज संस्थाएं जिसका प्रतिनिधित्व नैनीताल जिले की परिषद और क्षेत्र पंचायत कर रही है और नीमराना समूह रामगढ़ में फलों का उत्पादन बढ़ाने तथा प्रसंस्कृत फल उत्पाद उद्योग का विकास करने के लिए कार्यनीति और कार्य-योजना का पता लगाने, उसे तैयार और कार्यान्वित करने के लिए मुख्य कृषि व्यापार और विपणन संस्था के साथ तालमेल करे ताकि पूरे देश और विदेशी बाजारों में बढ़ते हुए उपभोक्ता अधिकारों का लाभ उठाया जा सके।

इस संबंध में, नैनीताल जिला के ग्राम और ब्लाक स्तरों पर रामगढ़ ब्लाक में पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जिला नैनीताल, उत्तरांचल की जिला परिषद तथा क्षेत्र पंचायत, नीमराना समूह तथा आई.टी.सी.लि. एतद्द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए संभावनाओं और आवश्यक उपायों का पता लगाने के लिए यह करार करते हैं।

मुख्यतौर पर, प्राथमिकता दिए जाने वाले केन्द्र बिन्दु के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

1. पंचायती राज संस्थाओं और नगरानी समूह के लिए:

   (क) बागवानी, फलों की खेती, फल तोड़ना, प्राथमिक भण्डारण आदि,

   (ख) प्रसंस्करण, निर्माण, पैकेजिंग, डिब्बा बंद उत्पादों पर लेवल लगाना और ऐसा करने के लिए मानक प्रौद्योगिकी का उपयोग,

   (ग) गुणवत्ता मानकों का कार्यान्वयन,

   (घ) लागत और क्षमता प्रबंधन,

   (ङ) इससे संबंधित अथवा उपर्युक्त क्रिया-कलापों के परिणामस्वरूप कोई अन्य क्रियाकलाप

2. आई.टी.सी.लि. के लिए:

   (क) कार्यनीति से संबंधित सलाहकार सेवाएं,

   (ख) विपणन सलाहकार सेवाएं, ट्रेडमार्ग सलाहकार सेवाएं, मूल्य निर्धारण सलाहकार सेवाएं और जहां संभव हो संचालन सेवाएं/अन्तरण,

   (ग) मांग पूर्वानुमान और विश्लेषण संबंधी सालहकार सेवाएं,

   (घ) नए उत्पादों के बारे में सुझाव देना,

   (ङ) गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मानकों के संबंध में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के बारे में सुझाव देना।

इस प्रस्ताव को तैयार करने और उनकी प्राथमिकता के संबंधित क्षेत्रों के अनुसार पक्षकार निम्नलिखित क्षेत्रों/मामलों की संभावना का पता लगाएंगे:

(1) रामगढ़ ब्लाक में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार सृजन और उनकी आय में वृद्धि करने के साथ-साथ उपलब्ध उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी पद्धति को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक लाभों को बढ़ाने पर जोर देते हुए वैज्ञानिक तरीके से फलों का उत्पादन करने और तोड़ने की व्यवस्था करने के लिए नीमराना समूह, आई.टी.सी. लिमिटेड अथवा उनके सहबद्धों/सम्बद्धों/भागीदारों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच व्यावसायिक और संविदात्मक व्यवस्था करना।

(2) तोड़े गए फलों को प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाने के लिए परिवहन साधनों के बेहतर प्रयोग को विकसित करना।

(3) प्रसंस्करण इकाइयों और अथवा/भण्डारण सुविधाओं, जैसी आवश्यकता हो, में ताजे फलों के भण्डारण तथा परिरक्षण की व्यवस्था करना।

(4) रामगढ़ के प्रतिस्पर्द्धी लाभों को बढ़ाने तथा प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन और आय संवर्द्धन के परिणामी प्रभाव वाली स्थायी वृद्धि हासिल करने की दृष्टि से रामगढ़ की निवेश क्षमता बढ़ने तक रामगढ़ ब्लाक में अथवा किसी अन्य स्थान पर, यथा अपेक्षित, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/प्राप्त करना।

(5) खेत पर प्रौद्योगिकी उन्नयन बढ़ाना/उपलब्ध कराना, फैक्ट्री चलाना, कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पादन को बढ़ाना।

(6) रणनीति तैयार करना और उसका जोखिम कम करने के लिए विभिन्न रूपों में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन करना कि स्थानीय उत्पादन का विभिन्न बाजारों में भिन्न-भिन्न उपयोग किया जाए, और इस प्रकार क्षेत्र में आय स्थायित्व प्राप्त हो सके।

(7) एक भौगोलिक पहचान बनाते हुए रामगढ़ ब्लाक से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए एक अलग लोगो/ब्रांड विकसित करना।

(8) विज्ञापनों, सामाजिक समूहों, जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने की विधि और उपाय।

(9) रामगढ़ ब्लाक से प्रसंस्कृत उत्पादों के विशिष्ट उत्पादों के रूप में विपणन के लिए रणनीति तैयार करना और उत्पादों को भारत तथा विदेशों में विस्तृत वितरण के योग्य बनाना।

(10) जानकारी का विकास और कृषि में प्रशिक्षण, उत्पादन/प्रसंस्करण कार्य-कला और गुणवत्ता मानकों को लागू करना और विशिष्ट सलाह प्राप्त करने की योजना और जानकारी का प्रसार करने में सहायता प्रदान करना।

(11) कृषकों तथा स्थायीय समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक सहयोग तथा/अथवा सलाह देने के लिए तथा कृषि कार्यों, कटाई कार्यों, फलों/कच्ची सामग्री के रखरखाव और प्राप्ति के लिए रणनीति।

(12) फल उत्पादन, बागवानी तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का समन्वय।

(13) स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा स्वच्छता, एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणन तथा सभी अभियानों का रिकार्ड रखने की श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं को लागू करना।

नीमराना समूह जानकारी के हस्तांतरण में और क्षेत्र में अन्य फल प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने में प्रेरणा देने तथा उनकी प्रगति में भी अपने बेहतर प्रयास करेगा।

इस समझौता ज्ञापन के पक्षों ने रामगढ़ के किसानों, खेत मजदूर तथा अन्य निवासियों के हितों को प्राथमिकता देने तथा सहयोग के अपने क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम सभाओं के साथ नियमित तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श करने का प्रण किया कि इस समझौता ज्ञापन में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए।

उत्तरांचल के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंचायती राज मंत्री के सम्मुख, देहरादून में 13 अगस्त, 2005 को हस्ताक्षरित।

नीमराना समूह	आई.टी.सी.लि.	जिला परिषद के स्थानीय पंचायती राज प्रतिनिधि, जिला–नैनीताल, उत्तरांचल

अनुबंध III

सारणी–क: विभिन्न मंत्रालयों की नई योजनाओं का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा परीक्षण

योजना	पंचायती राज मंत्रालय की टिप्पणियों का संक्षिप्त ब्यौरा	परिणाम
1	2	3
कृषि मंत्रालय		
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन	राज्यों को इस कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन में पंचायतों को शामिल करने की छूट दी गई है। पंचायती राज सचिव राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति के सदस्य हैं।
विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता	नियोजन एवं कार्यान्वयन में पंचायतों की केन्द्रीय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सांस्थानिक उपाय	राज्यों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी जैसी अवसंरचनाओं की खोज करनी होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण का एकीकरण एवं यौक्तिकीकरण। पंचायतों को कार्यान्वयन की केन्द्रीय भूमिका दी जानी है	सिद्धांतत: स्वीकार किया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य में पंचायतों को सभी स्तरों पर विशेष भूमिका देने वाली अप्रोच के एकीकरण के विशेष क्षेत्रों की अनुशंसा अब इस उद्देश्य के लिए गठित पृथक कार्यदलों द्वारा की जाएगी।

1	2	3
ग्रामीण विकास मंत्रालय		
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	पंचायतों द्वारा नियोजन और कार्यान्वयन; कार्यान्वयन में सहायता देने वाले अधिकारियों को उपयुक्त स्तर पर पंचायत के प्रति जवाबदेह बनाना।	इन उपायों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे लोक सभा में पारित कर दिया गया है, के प्रावधानों में शामिल कर लिया गया है।
विद्युत मंत्रालय		
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	पंचायतों को विद्युत वितरण के प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण में व्यक्तिगत आधार पर अथवा वितरक/विद्युत बोर्ड की शाखा के रूप में शामिल करना।	लाभार्थियों से विद्युत लागत की वसूली के माध्यम से ग्रामीण विद्युत आपूर्ति का स्थायित्व, पंचायती राज संस्थाओं की उपयुक्त भागीदारी द्वारा एकाधिकार प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करना।
गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	गैर-ग्रिड क्षेत्रों में, गैर-पारंपरिक साधनों का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन एवं वितरण में पंचायतों को शामिल किया जाना।	गैर-पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग करते हुए विद्युत उत्पादन एवं वितरण का प्रबंध पंचायतों के अंतर्गत उप-समितियां/स्थायी समितियों द्वारा किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग		
एकीकृत बाल विकास योजना	लागत मानदंडों के संशोधन को कार्यान्वित करते समय पंचायत के तीनों स्तरों को कार्रवाई रूपरेखा के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विचार करने के लिए सुझाव नोट किए गए।

अनुबंध IV

एसजीआरवाई का वित्तीय और वास्तविक निष्पादन

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय निष्पादन (रुपये करोड़ में)			वास्तविक निष्पादन			अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए सृजित रोजगार	अनु. जाति/अनु. जनजाति की मजदूरी का प्रतिशत
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग में लाई गई कुल निधियां	कुल सृजित मजदूरी रोजगार*	पूरे किए गए कार्य (सं. लाख में)	रिलीज किए गए खाद्यान्न (लाख मीट्रिक टन)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1999-2000	3479.10	3421.70	4217.88	5465.40	6.98	0	2992.68	54.76
2.	2000-2001	2907.50	2472.84	4086.46	4786.86	10.22	0	2639.76	55.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	2001-2002	3743.60	3788.69	4192.07	5229.78	11.07	34.51	2860.13	54.69
4.	2002-2003	3552.53	3684.64	5000.01	7482.93	14.16	45.26	4146.13	55.41
5.	2003-2004	4120.25	4121.04	5957.75	8560.24	16.89	49.97	4852.26	56.68
6.	2004-2005**	4495.25	4496.19	5911.88	8137.75	16.06	50.00	4519.86	55.54
7.	2005-2006	5396.50	2298.66	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	30.73	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल	27694.73	24283.75	29366.05	39662.96	75.39	210.47	22010.82	55.49

टिप्पणी: 1.एसजीआरवाई-1 और एसजीआरवाई-2 के आंकड़े शामिल हैं। *लाख श्रमदिवस

2.वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरे किए गए कार्य जेजीएसवाई से संबंधित हैं क्योंकि ईएएस के अंतर्गत पूरे किए गए कार्य की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों की हालत बदलने का सपना महात्मा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी ने देखा था। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की अहम भूमिका रही है। पंचायतों से ग्रामीण जनता की भागीदारी होने से उनमें उत्साह जागा है जो हमने पंचायतों के चुनावों में देखा है। हर गांव में ग्रामीण जनता की छोटी सी, मगर ताकतवर सरकार होनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो 29 योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे एसजीआरवाई, एसजीएसवाई. पीएमजीएसवाई, पीएमजीएसवाई, आईएवाई, समग्र आवास योजना, अन्नपूर्णा योजना, डीपीएपी आदि हैं, जिन पर सालाना करीब 38 हजार करोड़ रुपए का व्यय होता है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को हम किस रूप में चलाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न करिए।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: पिछले दिनों कोच्चि में अगस्त, 2005 में राज्यों के मंत्रियों की परिषद की बैठक भी हुई थी जिस में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन सिफारिशों को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बिना कोई प्रश्न पूछे इस तरह नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है। आप कोई प्रश्न पूछिए। आपको क्या स्पष्टीकरण चाहिए? आप इस तरह अपनी बात जारी नहीं रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। राज्यों के मंत्रियों की परिषद में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं और जो सुझाव दिए गए हैं, उनमें से कुछ सुझावों को सरकार ने लागू किया है और कुछ सुझाव अभी भी लागू करने बाकी हैं? केन्द्र सरकार उन सुझावों के बारे में कौन से कदम कब तक उठाएगी?

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिफारिशें परिषद की तरफ से मात्र 6-7 अगस्त को इसी साल आई हैं। मैं सदन को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 6 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अभी 17 ही दिन हुए हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अन्य विभागों को थोड़ा समय देना चाहिए जिससे पेश की गई सिफारिशों को अमल में लाया जा सके। हमारा इरादा यह है कि सचिवों की समिति द्वारा इस पर नियंत्रण रखा जाए। जब परिषद की दूसरी बैठक होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि हम उसे इस साल के अन्दर-अन्दर भुवनेश्वर में करा पाएंगे, तब हम देखेंगे कि हमने अपने लिए जो सिफारिशें तैयार की थीं, उन्हें कहां तक अमल में ला पाए हैं।

बाकी सैंटरली स्पौंसर्ड स्कीम्स को हमें दो वर्गों में बांटकर देखना चाहिए-एक जो पुराने जमाने से आ रही हैं और दूसरी, अब जो नई-नई बन रही हैं। जून, 2004 के पश्चात जो नई-नई स्कीम्स बन रही हैं, वे सब पंचायती राज मंत्रालय में लायी जाती हैं, जिनमें हम अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं। आप सब ने देखा होगा कि पिछले हफ्ते इसी सदन में जो नेशनल एम्पलायमैंट रूरल गारंटी बिल पास हुआ, उसी योगदान के नाते, उसमें बहुत से संशोधन लाए गए थे। जिन 20 मंत्रालयों का यहां जिक्र किया, अब यह तय किया गया है कि हम अपने लोगों को इन 20 मंत्रालयों में भेजकर कोशिश करेंगे कि जो पुरानी स्कीम्स हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, उसमें भी ऐसा परिवर्तन लाया जाए ताकि पंचायतों का रोल बिल्कुल मरकजी बन जाए और उन्हें अमल में लाया जा सके।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी बताया है, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि गुजरात में केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं पंचायत स्तर पर लागू की गई हैं, गुजरात पंचायत परिषद ने उनके बारे में शिकायत की है, क्योंकि सिंगल स्तर की पंचायतों को विश्वास में लिए बिना, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो अधिकारी होते हैं—जैसे डीडीओ, टीडीओ, डायरैक्टर आफ डीएंडीआरडी वगैरह, वे अपनी मनमर्जी करते हैं। वहां से उनके बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं। क्या केन्द्र सरकार उन शिकायतों की जांच करेगी या निर्देश जारी करेगी, जिससे पंचायतों की अहमियत बनी रहे।

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास गुजरात पंचायत परिषद की तरफ से बहुत सी सिफारिशें आई हैं। मेरी समझ के अनुसार उन्होंने बहुत ध्यान से उन सिफारिशों को तैयार किया है। हमने उन सिफारिशों को गुजरात सरकार को भेजा है ताकि हमें उनकी तरफ से भी टिप्पणी प्राप्त हो सके। मेरा इरादा आने वाले सितम्बर महीने की 14-15-16 तारीख के आस-पास गुजरात जाने का है। मैं बहुत अभारी होऊंगा, यदि माननीय सदस्य जसुभाई जी मेरे साथ उस दौरे में आएं ताकि उनका दृष्टिकोण समझ कर मैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के सामने पेश कर सकूं।

[अनुवाद]

श्री हितेन बर्मन: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा है:

> "सरकार स्थानीय संस्थान जुटाने के लिए और लोगों की जरूरतों के लिए ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के निर्माण की नई योजना शुरू कर रही है जिससे ग्रामीण उद्यमों को गति प्रदान की जा सकेगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी होगा।"

महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई ठोस प्रस्ताव है। यदि हां, तो उन्हें किस जिले में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री अथवा सीआईआई पश्चिम बंगाल के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल है जहां ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के संबंध में प्रायोगिक परियोजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। हमारे विचारों को पश्चिम बंगाल सरकार को संप्रेषित कर दिया है, विशेष रूप से पंचायती राज मंत्रियों की परिषद की कोच्ची में हुई बैठक के दौरान जहां पश्चिम बंगाल के पंचायती राज मंत्री स्वयं उपस्थित थे। मैं यह आशा कर रहा हूं कि उनकी ओर से हमें इस संबंध में विवरण प्राप्त होंगे कि वे कौन से ब्लाक हैं और कौन से उत्पाद अथवा प्रतिभाएं हैं, विशेष रूप से वे ब्लाक जो ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र परिषद, जिसकी अध्यक्षता मेरे तथा भारतीय उद्योग परिसंघ ने श्री सुनील मुंजाल द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, के समक्ष रखना चाहते हैं। इसके पश्चात्, ऐसे ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों को साकार करने के लिए हम भारत के प्रमुख औद्योगिक अथवा व्यावसायिक घरानों को स्थानीय प्रचालकों तथा स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के संपर्क में लाने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्य का ध्यान विशेष रूप से उत्तर के अनुबंध-II की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो मैंने लिखित रूप में दिया, जहां हमने प्रथम ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के लिए तैयार किए गए समझौता ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसे रामगढ़ ब्लाक तथा नैनीताल जिलों के निकटवर्ती ब्लाकों में स्थापित किए जाने की संभावना है। यह एक अग्रणी पहल है। मैं श्री हितेन बर्मन सहित माननीय संसद सदस्यों द्वारा इस आदर्श समझौता ज्ञापन, जिसे मैंने अपने लिखित उत्तर के अनुबंध 'ख' के माध्यम से परिचालित किया है, के आधार पर देश में ऐसे अधिक से अधिक ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के हमारे प्रयासों में किए जाने वाले योगदान की अत्यधिक सराहना करूंगा।

श्री तापिर गाव: माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने सर्वप्रथम पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियां सौंपे जाने के बारे में ठीक ही उल्लेख किया है। भारत सरकार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं पंचायतों के माध्यम से ही कार्यान्वित की जानी चाहिए।

मेरे राज्य अरूणाचल प्रदेश में शक्ति का हस्तांतरण पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं किया गया है। अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ऐसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, जहां पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्ति का हस्तांतरण नहीं किया गया है, के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: मुझे माननीय सदस्य को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तेरहवीं लोक सभा में इस सभा में उनके पूर्ववर्ती श्री जारबोम गामलिन, जो आज अरूणाचल प्रदेश में पंचायती राज के प्रभारी मंत्री हैं, ने मुझे जोरदार शब्दों में आश्वासन दिया है कि अरूणाचल प्रदेश में मुख्यत: हाल ही में हुए पहले दौर के चुनावों के कारण तथा उनके गृह राज्य में सरकार बदलने के तुरंत बाद उत्पन्न सभी कमियों पर ध्यान दिया जाएगा। मुझे यह आशा है कि अक्तूबर महीने में मैं अरूणाचल प्रदेश का दौरा करूंगा तथा उसी दौरे की समाप्ति पर हम निकट भविष्य में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण

कदमों के बारे में अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त वक्तव्य जारी करेंगे। परंतु इस संबंध में अरूणाचल प्रदेश सरकार का कार्य संबंधी प्रोग्राम, जो वस्तुतः अन्य सभी राज्यों के कार्य संबंधी प्रोग्राम के समान होगा, सातवें गोल मेज के संकल्पों के इस सार-संग्रह पर आधारित होगा, जिसकी एक प्रति मैंने प्रत्येक संसद सदस्य को पहले ही भिजवा दी है। मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा है, सहित सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित राज्य सरकारों पर दबाव डालें कि ये सिफारिशें, सर्व सहमति संबंधी सिफारिशें हैं, को यथाशीघ्र लागू किया जाएं।

अध्यक्ष महोदयः श्री प्रशान्त प्रधान, अपना अनुपूरक प्रश्न रखिए।

श्री प्रशान्त प्रधानः अध्यक्ष महोदय, पेयजल, कृषि, मत्स्यपालन, सामाजिक वानिकी आदि के उद्देश्य से जल की उपयोगिता के संबंध में पंचायती राज का विचार अत्यंत स्थापित, लोकप्रिय और विकेन्द्रीकृत है। हम तेलकूप, गहरे नलकूप और छोटे आकार के नलकूप की खुदाई कर भूमिगत जल पर अत्यधिक निर्भर हैं। अतः भविष्य में, देश में संकट उत्पन्न हो जाएगा। मुझे माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना है। क्या प्रभारी मंत्री महोदय कृषि, वानिकी, मत्स्यपालन, पेजयल और अन्य प्रयोजनों से भूमिगत जल के स्थान पर सतह पर उपलब्ध जल के उपयोग के लिए पूरे देश में पंचायतों के माध्यम से एक कार्यक्रम तैयार करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यरः महोदय, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा ग्रामीण पेयजल के संबंध में योजनाएं प्रायोजित की जा रही हैं। इनमें जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सबसे बढ़कर ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्मिलित हैं। ऐसी केन्द्रीय योजनाओं और राज्य सरकारों की व्यक्तिगत योजनाओं में अनेक आशोधनों के अलावा, हमें यह आशा है कि हम इन सभी योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की केन्द्रिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें तर्कसंगत ठहरा पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि एक बार पंचायती राज संस्थाओं की केन्द्रिकता सुनिश्चित करने के बाद, हम इन पेयजल मिशनों के महान लक्ष्य को अब तक की अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक हासिल कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार स्थानीय संसाधन जुटाने और लोगों की जरूरतों के लिए ग्रामीण व्यावसायिक केंद्रों के निर्माण की योजना शुरू कर रही है जिससे ग्रामीण उद्योगों की गति प्रदान की जा सके और जो ग्रामीण क्षेत्रों के मौजूदा आर्थिक क्रियाकलापों में उपयोगी हो। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ एन.सी.सी.आई. की संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की जा रही है और इसके लिए कुछ राज्यों का चयन किया गया है। आपने राज्यों का चयन किया, हम इसका स्वागत करते हैं, जिसमें उत्तरांचल, केरल, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम आदि राज्य शामिल हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया, अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः मैं जानना चाहता हूं कि इनके चयन का आधार क्या है? किस पैमाने पर माप करके इनका चयन किया है? देश में अन्य राज्य भी हैं, जैसे बिहार पिछड़ा राज्य है, जहां गांवों की स्थिति बहुत खराब है, वहां व्यावसायिक केन्द्र बिल्कुल नहीं हैं, क्या आप ऐसे राज्यों को चुनना चाहते हैं? गांवों की प्रगति के लिए, बिहार और जो अन्य पिछड़े प्रदेश हैं, क्या आपका उन्हें व्यावसायिक केन्द्रों से जोड़ने का विचार है?

श्री मणि शंकर अय्यरः सर, जितने भी राज्य और यूनियन टैरिटरीज हैं, उन्हें हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि बिहार की तरफ से किसी प्रकार का प्रयास किया जाए और वह हमसे सम्पर्क करे। लेकिन फिलहाल हमने बिहार को नहीं जोड़ा, क्योंकि वहां एक लोकतांत्रिक शासन नहीं हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि चुनाव के पश्चात वहां जो सरकार आयेगी, उनसे हम सम्पर्क करेंगे। *...(व्यवधान)* हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि राजभवन की तरफ से हमारे पास कोई सुझाव आये। क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रयास है, इसलिए हमने उसे अभी जोड़ा नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः लेकिन इसके लिए बिहार क्यों सफर करे। *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यरः हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि राम कृपाल यादव जी हमारे सामने कोई प्रस्ताव रखें। यदि वह ऐसा करेंगे तो हम उसे अमल में लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्या बात है, मंत्री जी बिहार के खिलाफ नहीं हैं। वहां के चुनाव के बाद करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, हमने केवल चार अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का निर्णय किया है। परंतु, विषय के महत्व की दृष्टि

से मैं कुछ और माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया विषय के संबंध में संक्षेप में प्रश्न कीजिए ताकि अधिक प्रश्न पूछे जा सकें।

अब प्रो. राम गोपाल यादव अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। मैं कह रहा हूं कि प्रासंगिकता और संक्षिप्तता दोनों ही महान् सद्गुण हैं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, जिला परिषदें पंचायती राज सिस्टम का बिल्कुल नोडल प्वाइंट हैं। आप यहां से जो स्कीम और पैसा देते हैं, वह पंचायतों तक इम्पलीमैन्ट होता है, लेकिन बेसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि जब यह कानून बना तो आपने जिला पंचायत सदस्यों के जरिये इनडायरेक्ट चुनाव करवा दिये। जब माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सुझाव दिया था कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव सीधे होने चाहिए। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो बहुत पैसे वाले और अपराधी किस्म के लोग हैं, वे जिला पंचायत सदस्यों को पकड़ कर ले जाते हैं, उन्हें गाड़ियां देते हैं, पचास-पचास लाख रुपये देते हैं उल्टा-सीधा आदमी जिला परिषद का अध्यक्ष हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से से जानना चाहता हूं कि जिस मंशा से यह विधेयक लाया गया था और कानून बना, इस स्थिति को ठीक करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने के लिए क्या आप संविधान में संशोधन लाने की कृपा करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं समझता हूं कि संविधान में जो आज लिखा है, उसे अमल में लाना मेरा दायित्व बनता है। अभी जो इल्जाम लगाया जाता है कि जिला पंचायतों के सारे इनडायरेक्ट इलैक्शंस होते हैं, उनमें इस प्रकार का काम किया जाता है, अध्यक्ष जी, मैं नहीं समझता कि आपके राज्य में, जहां अरसे से यह तरीका अपनाया गया है, इस इल्जाम को हम साबित कर पायेंगे। मुझे यह भी नहीं लगता है कि जहां देश के अन्य विभागों में यह तरीका है, यदि आपने सीधा चुनाव किया, तो आप ही सोच लीजिए कि एक जिले में, जो तकरीबन दो एम.पीज. की कांस्टीटुएंसी का बनता है, उसमें सभी लोगों के पास जाकर वोट हासिल करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए इस विषय में पहले बहुत गौर से सोचा गया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यदि आप संविधान से सहमत नहीं हैं तो मैं आप पर छोड़ देता हूं, आप जाकर देखिये कि क्या इस सदन में बहुमत आपके दृष्टिकोण को मिलेगा या जो मौजूदा स्थिति है, उसे अपनाने के लिए, यहां जो ज्यादा लोग हैं, वे उसे अपनायेंगे। *...(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: मेयर के चुनाव सीधे होते हैं और कोई अच्छा पोलिटिकल वर्कर कुछ जगह एक्सैप्शन हो सकता है, लेकिन अच्छा राजनीतिक *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका सुझाव कानून बदलने के संबंध में है। माननीय मंत्रीजी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। निस्संदेह, सभी प्रस्तावों पर निरंतर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: कुछ जगहों पर ऐसे लोग आते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या आप संविधान में संशोधन लाने की कृपा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी आप बोलिये, लेकिन बिहार को छोड़कर बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि 20 विभागों से वह सम्पर्क करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत काम हो। अभी मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास इन सभी विभागों का काम चल रहा है। लेकिन जब से पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई है, अन्य प्रदेशों के साथ-साथ, खासकर हमारे बिहार में एक क्लेश शुरू हो गया है। पहले बीडीओ प्रतिनिधियों की इज्जत करते थे, अब बीडीओ और प्रमुख में लड़ाई चल रही है। दोनों में लड़ाई इसलिए चलती है कि एक कहता है कि दूसरा ज्यादा परसेंटेज मांगता है और दूसरा कहता है कि वह ज्यादा परसेंटेज मांगात है। ऐसी स्थिति में हम जानना चाहते हैं कि क्या इन सब स्थितियों की समीक्षा के लिए, जिन विभागों का पैसा आप दिलवाते हैं, उसकी कोई कमेटी केन्द्रीय स्तर पर बनाई है जिससे मानीटरिंग हो सके और मानीटरिंग से पता चल सके कि जितनी निधि जा रही है, उसका कितना उपयोग होता है?

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कोई कमेटी बनाएंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, माफ कीजिए, मैं इस इल्जाम को भी तब तक स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, जब तक किसी प्रकार का सबूत न लाया जाए कि देश में आम तौर पर ऐसा हो रहा हो। आप सब जानते हैं कि *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: मंत्री जी को कुछ नालेज ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। हम रिक्वैस्ट करते हैं कि आप बैठ जाइए। यह बहुत दुख की बात है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समयावधि है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या फायदा हो रहा है इस प्रकार बोलने में? गलत प्रश्न को करैक्ट करने के लिए यहां बहुत से प्रावधान हैं, आप उसके लिए नोटिस दीजिए। आपको प्रश्न करने का हक है और मंत्री जी को जवाब देने का हक है। आपको जवाब पसंद नहीं आया तो इस प्रकार शोर करने से सदन नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

आप कहते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रश्न करते हैं उत्तर के लिए, लेकिन मंत्री जी अव्यावहारिक उत्तर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं। तब मैं रोक दूंगा। मैं अगले प्रश्न के लिए कहूंगा। मैं अन्य अनेक माननीय सदस्यों को प्रश्न करने की अनुमति दे रहा हूं। अगर इसका दुरूपयोग हो, तो मैं अगले प्रश्न के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। मुझे मालूम है कि आप सभी पंचायत के संबंध में चिन्तित हैं। अत:, ये सब आरोप सामने आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पंचायती राज मंत्रालय में बिल्कुल तैयार हैं कि या तो निजी तौर पर माननीय सदस्यों को जो शिकायतें हैं, उनकी जांच करवाएं, या जो स्थाई समिति या सलाहकार समितियां हैं, उनके मैम्बर्स द्वारा जो कमियां या गलतियां हमारे सामने लाई जाएं, जबकि हमारा प्रतिदिन का काम यह रहता है कि हम राज्य सरकारों के संपर्क में रहें और उनके प्रतिनिधिगण हमारी जितने भी गोलमेज हुई हैं, उनमें मौजूद रहे हैं, हमने जितनी भी अपनी सिफारिशें इस सिलसिले में की हैं, उनको हर राज्य सरकार को भेजा है और किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन यहां आकर यह कहना कि सारा कुछ जो आप कर रहे हैं, वह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है और जो मेरा इंप्रैशन है उसी को हमें वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल सच मानना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि यह सही रास्ता होगा। लेकिन यदि कोई भी सुबूत हो तो वह हमारे सामने लाया जाए और यह न भूलें कि पंचायती राज को अमल में लाने के लिए पहली जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है, खास तौर पर कानून व्यवस्था के मामले में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, प्रश्न सं. 423, आप अवसर का दुरूपयोग कर रहे हैं। प्रश्न सं. 423।

श्री थावरचन्द गेहलोत। श्री सिब्बल उत्तर देंगे। मैं और अधिक अवसर देने जा रहा था किन्तु आप इसका दुरूपयोग करते रहे हैं। जी नहीं, मुझे खेद है। मैं इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। माननीय सदस्य, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके लीडर को हमने बोलने का मौका दिया था।

[अनुवाद]

मुझे 27 नाम प्राप्त हुए हैं। आप 27 तथा 2 सामान्य प्रश्नों की उम्मीद करते हैं। मैं एक मुख्य प्रश्न पर उनतीस सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति कैसे दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अपने लीडर को बोलिये कि हाथ नहीं उठाएं।

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्ता में पंचायती राज संस्थान का बहुत महत्व है। पंचायतें राज्यों और केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण एजेन्सी हैं। इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक दिन पंचायत पर पूर्व चर्चा की अनुमति दूंगा। आप समुचित प्रस्ताव लेकर आइए। लेकिन आप लोग वह नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: महोदय, कोई तिथि बता दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन निर्धारित कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार: आप परसों का दिन निर्धारित क्यों नहीं कर सकते हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

टी.वी. चैनलों की अपलिंकिंग

***423. श्री धावरचन्द गेहलोत:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने टेलीविजन चैनल चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कंपनियों को भारत में टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग करने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या भारत से अपने टेलीविजन चैनलों को 'अपलिंक' करने की अनुमति हेतु विभिन्न कंपनियों के बहुत से प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमति दिये जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) इस मंत्रालय ने भारत से अपलिंक करने के लिए अभी तक 161 निजी टी.वी. चैनलों को अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, विदेश से अपलिंक किए जा रहे अनेक चैनल भी भारत में देखने के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) 1 अगस्त, 2002 से अब तक चौवालीस (44) कंपनियों को भारत से अपने टी.वी. चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) आज तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित 24 कंपनियों के प्रस्ताव जांच की विभिन्न स्थितियों में हैं:

1. लोक प्रकाशन लि.
2. पाजिटिव टी.वी. प्रा.लि.
3. विनिंग एज कम्युनिकेशन लि.
4. बालीवुड इन्फोटेनमेंट प्रा.लि.
5. कोहिनूर ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन लि.
6. सब समाचार लि.
7. दक्षिण मीडिया गेमिंग सोल्यूशन्स प्रा.लि.
8. इन केबलनेट (आन्ध्रा) लि.
9. वैल्यू विजन ब्राडकास्टिंग प्रा.लि.
10. बृन्दावन टेलीविजन नेटवर्क लि.
11. जैन स्टुडियोज लि.
12. न्यू दिल्ली टेलीविजन लि.
13. कोक्सवैन टेक्नोलाजीज लि.
14. राज टेलीविजन नेटवर्क लि.
15. टाइम्स ग्लोबल ब्राडकास्टिंग कंपनी लि.
16. यश सैटेलाइट इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
17. संगीत बंगला नेटवर्क (प्रा.) लि.
18. अवन्ति मीडिया प्रा.लि.
19. मविस सैटकाम लि.
20. ग्लोबल ब्राडकास्ट न्यूज प्रा.लि.
21. चैनल भारत एन्टरटेनमेंट प्रा.लि.
22. इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विसेज (प्रा.) लि.
23. टी.वी. टुडे नेटवर्क लि.
24. एम.डी. टी.वी. प्रा.लि.।

(ङ) कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में कितने टीवी चैनल चल रहे हैं, इस बारे में मंत्री

महोदय ने पूरी जानकारी नहीं दी है। सिर्फ इतना कहा गया है कि 161 टीवी चैनल को अपलिंक किया गया है। शायद इसमें कहीं शब्दावली में अंतर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में कुल कितने टीवी चैनल चल रहे हैं और कितने विदेशी चैनल चल रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, हमने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे देश में 161 निजी चैनल चल रहे हैं जिनका अपलिंक भारत से होता है। प्राय: इतने ही चैनल ऐसे हैं जिनका डाउनलिंक विदेश से किया जा रहा है परंतु वे पंजीकृत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि कितने टीवी चैनल चल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने वही उत्तर दोहरा दिया है कि 161 टीवी चैनल्स को अपलिंकिंग किया गया है। अपलिंकिंग करना अलग बात है और कितने चैनल चल रहे हैं, यह अलग बात है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे वही बात कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: गेहलोत उन्होंने कितने टीवी चैनल चल रहे हैं, इसकी संख्या नहीं दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सच्चाई दोहराई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: कुल कितने टीवी चैनल चल रहे हैं, मंत्री जी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जानकारी दे सकते हैं?

श्री कपिल सिब्बल: ये 161 चैनल ऐसे चैनल हैं जो भारत से संचालित और अपलिंक किए जा रहे हैं तथा लगभग इतने ही चैनल विदेश से डाउनलिंक किए जा रहे हैं किन्तु वे भारत में पंजीकृत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री कपिल सिब्बल: उस पर और अधिक विशिष्ट उत्तर हो नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत: [हंस पड़ते हैं।]

अध्यक्ष महोदय: इस हंसी के लिए धन्यवाद यह भी अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। आप बाद में उत्तर दिलवा दीजिएगा। आप हाफ-एन-आवर डिस्कशन करवा दीजिएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरे उत्तर से संतुष्ट हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: महोदय, अपलिंकिंग की अनुमति देते समय केबल रेग्युलेशन एक्ट में प्रावधान है कि कार्यक्रमों में अश्लीलता नहीं दिखानी चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले विज्ञापनों को दिखाने पर प्रतिबंध होना चाहिए—इस प्रकार के नियमों का उल्लेख होते हुए भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। दिनों-दिन सारे देश में अश्लीलता को सारे टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बारे में उनकी सरकार ने क्या किया है, इस संबंध में उनके पास कितनी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? रूल्स एंड रेग्यूलेशंस के बिना चैनलों को अपलिंक करने का काम किया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठेंगे, तभी मंत्री जी आपको जबाव देंगे। श्री गणेश सिंह जी आप बैठ जाइए। आप यहां पर जाइए और चुन लीजिए किसे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारा एक कार्यक्रम और विज्ञापन कोड है जो भारत से अपलिंक किए जाने वाले सभी चैनलों पर लागू होता है तथा उस कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाता है। कुल मिलाकर, भारत से अपलिंक किए जाने वाले सभी चैनल एक कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को अपनाते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, कार्यवाहक मंत्री जी के रूप में कपिल जी को उत्तर देने के लिए आपने प्राधिकृत किया है, लेकिन लगता है कि इनसे तैयारी नहीं हो पाई है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस पर आफ-एन-आवर दे दीजिएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत: मंत्री जी अच्छे वकील है, मैं इनका आदर करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखनी होगी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: लेकिन तैयारी करने के लिए शायद इन्हें समय नहीं मिला होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप किसी वकील को नाराज नहीं कर सकते। आपको किसी दिन उसके पास जाना पड़ सकता है।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, यद्यपि हम यह पाते हैं कि विगत वर्षों में विभिन्न लोग जो कार्यक्रम बनाते हैं यह दर्शाने की स्थिति में हैं कि उन्होंने कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन किया है, परंतु वस्तुत: वे ऐसा नहीं करते हैं। यही एक बिन्दु है जिस पर हमें अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा क्योंकि हमारे समक्ष एक बिल्कुल भिन्न चित्र प्रस्तुत किया जाता है।

किन्तु मेरा प्रश्न एक बिन्दु तक सीमित रहेगा और वह है कि अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो भारत से अपलिंक नहीं किए जाते परंतु भारत में तैयार किए जाते हैं। कार्यक्रम यहां तैयार किए जाते हैं और कार्यक्रमों को कहीं से भी अपलिंक करने का तंत्र उनके पास है और इसलिए उन्होंने स्वयं पर हमारा कोड या हमारा कानून लागू करने की आवश्यकता को अलग रखा है। तथापि, उन कार्यक्रमों का भारत में प्रसारण किया जाता है और उन्हें भारत में हर घर में दिखाया जाता है। हम उस बारे में क्या योजना बना रहे हैं और हम वर्तमान कानून के अंतर्गत उस संबंध में कुछ कर पाने में समर्थ हैं या क्या हमें उसके लिए अपने कानून में संशोधन करना होगा?

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, कृपया मुझे इसे दो मुद्दों में बांटने दीजिए। पहला मुद्दा है समाचार और ताजा घटनाओं संबंधी कार्यक्रम तथा दूसरा मुद्दा है—मनोरंजन कार्यक्रम। जहां तक समाचार और ताजा घटनाओं संबंधी कार्यक्रमों का संबंध है, कुल मिलाकर, अब समाचार और ताजा घटनाओं संबंधी कार्यक्रम भारत में ही तैयार किए जाते हैं और उनका अपलिंक भी भारत से ही किया जाता है। परंतु कुछ ऐसे चैनल हैं जिन्हें इन कार्यक्रमों को लेने और सभी जगह दिखाने की अनुमति है और तब उनकी अपलिंकिंग विदेश से की जाती है। उन्हें भारत में पंजीकृत भी किया जाता है। तत्पश्चात्, ऐसे मनोरंजन कार्यक्रम हैं जिन्हें संभवत: विदेश से अपलिंक किया जाता है। मेरा मानना है कि हमें कुल मिलाकर एक प्रसारण विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की आवश्यकता है। सरकार इस बारे में तौर-तरीकों पर विचार कर रही है, उस विधान के बारे में वस्तुत: विचार कर रही है तथा जैसे ही उसे अंतिम रूप दिया जाता है, हम उसे सभा के समक्ष लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में इस समय 161 टी.वी. चैनल हैं, जिन्हें देखने के लिए अलग-अलग डिश लगवानी पड़ती है। इन पर बहुत खर्च होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत हम सभी चैनलों को एक ही भारतीय सैटेलाइट, आई.एस.आर.ओ. की सैटेलाइट के माध्यम से देख सकें और अलग-अलग डिश लगाने तथा विदेशी सैटेलाइट के माध्यम से चैनलों को दिखाने के ऊपर जो करोड़ों रुपए व्यय होते हैं, उनसे बचा सके?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, इस संबंध में हमारे बहुत कड़े दिशानिर्देश हैं। भारत में दिखाए जाने वाले कई चैनलों का अन्य उपग्रहों के साथ निजी व्यवस्था है और हम यह चाहते हैं कि इन उपग्रहों का समन्वय इनसेट के साथ किया जाए। जहां तक इनका इनसेट के साथ समन्वय होता है सरकार की यह नीति है कि उन्हें भारत में अपना कार्यक्रम दिखाने दिया जाए और मैं यह नहीं

समझता कि नीति में परिवर्तन किया जाए क्योंकि उस प्रक्रिया में अधिकाधिक निवेश किया जा रहा है?

श्रीमती मिनाती सेन: अध्यक्ष महोदय भारत में पहले ही दिखाए जा रहे कई चैनल हिंसा और महिलाओं के अश्लील दृश्यों का प्रसारण कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उन्हें लाइसेंस जारी करने से पूर्व उन पर यह शर्त लगाने पर सहमत है कि वे ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं ताकि करेंगे ताकि ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण न हो यदि नहीं तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, वास्तविक समस्या उन कार्यक्रमों से है जिन्हें भारत से बाहर बनाया गया है और उनका भारत से कोई सरोकार नहीं है जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से देश में दिखाया जाता है। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अधिकांश मुद्दे भारत के बाहर उन कार्यक्रमों को तैयार किए जाने से संबंधित हैं। समस्या यह है कि इन कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। हम इन कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अश्लीलता और हिंसा का प्रसारण न हो, मार्गनिर्देशों के बारे में सोच रहे है जिसेस इन कार्यक्रमों को विनियमित किया जा सके। प्रसारण विनियामक प्राधिकरण विधेयक को संसद में प्रस्तुत करके कानून बनाने के साथ ही इन सभी मुद्दों का समाधान भी हो जाएगा। मैं इन मुद्दों को उठाने के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: डा. कोया।

डा. पी.पी. कोया: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपने साथ बैठे सदस्य अपने सहयोगी को अवसर दे सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

डा. पी.पी. कोया: जी हां, महोदय। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने 'क्या' नहीं बोला, 'कोया' ही बोला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है, नई-नई बातें हो रही हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: समस्या क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

डा. पी.पी. कोया: महोदय, मेरी कोई समस्या नहीं है, चलो मैं ही शुरूआत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा पड़ोसी संबंध है, किंतु यहां इसकी अनुमति नहीं है, क्या आप अपना प्रश्न नहीं रखना चाहते। ठीक है।

डा. पी.पी. कोया: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पूछिए क्या बात है, यह नया तरीका हो गया है।

[अनुवाद]

डा. पी.पी. कोया: मैं माननीय मंत्री जी से चैनलों को अनुमति दिए जाने के बारे में जानना चाहूंगा। प्रश्न से और उसके उत्तर से यह स्पष्ट है कि अपलिंक और डाउनलिंक के लिए बहुत से चैनल प्रतीक्षारत हैं। उन्हें अनुमति दिए जाने या अनुमति न दिए जाने के लिए मुख्य मानदण्ड क्या हैं?

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा नीति निर्धारित की गई है और इस नीति की रूपरेखा है। जो कंपनियां भारत में पंजीकृत होना चाहती हैं उनमें विदेश अंशपूंजी- अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26 प्रतिशत तक ही अनुमत्य है और कंपनी के 51 प्रतिशत अंश भारतीय अंशधारकों के पास होने चाहिए। अत: 51 प्रतिशत अंश पर भारतीयों का नियंत्रण होगा और 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा और प्रबंध के तीन चौथाई या निदेशक मंडल के तीन चौथाई निदेशक भारतीय होने चाहिए। इस मानदण्डों के अंतर्गत नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष जी, यह हकीकत है कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से, चाहे न्यूज चैनल हों या दूसरे चैनल, पूरे देश में सब तरह की जानकारी भेजने का काम हो रहा है। हमारे देश में जो खुफिया काम होते हैं, चाहे 15 अगस्त के प्रबन्ध हों, या दूसरे ऐसे काम हों, न्यू चैनलों द्वारा जो नहीं दिखाना चाहिए, उसे हमारी जनता भी देखती है और आतंकवादी भी उसको देखने का काम करते हैं। जो चीज नहीं दिखानी

चाहिए, वह न्यूज चैनलों के माध्यम से दिखाने का काम हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ऐसे कार्यक्रम हैं, क्या उन्हें न दिखाने हेतु टी.वी. चैनलों पर रोक लगाने का काम करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न अपलिंकिंग के बारे में है, आप क्या कर रहे हैं?

श्री रघुराज सिंह शाक्य: जो हमारी खुफिया एजेंसी काम करती है, क्या उनको टी.वी. पर दिखाने से रोकने का काम होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका भी वही उत्तर होगा। मंत्री महोदय आप पहले ही इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री कपिल सिब्बल: यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। उन्होंने उसी प्रश्न का उत्तर दिया है डा. कोया अब आपके बगल में बैठे सदस्य को अवसर दे रहा हूं। कृपया आपस में बात न करें।

श्री सज्जानंद पंडा: अध्यक्ष महोदय अपलिंकिंग की सुविधा वाले चैनल अश्लीलता प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या दण्डात्मक उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन दायर करके ऐसे प्रसारण को रोकने के लिए उनके पास कोई उपाय है।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत सरकार की नीति का संबंध है हम किसी भी प्रकार की अश्लीलता को अपलिंक करने की अनुमति नहीं देंगे। अधिकांश अश्लील कार्यक्रम भारत से बाहर के होते हैं जो लोगों को केबल नेटवर्क टेलीविजन के माध्यम से दिखाया जाता है। केबल नेटवर्क टेलीविजन वालों के करार और उनके द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता के बीच एक शर्त जो लाइसेंस करार और आचार संहिता दोनों में ही है—वह यह है कि कोई भी अश्लीलता भारत के कानून भारतीय दण्ड संहिता है। इसलिए उन लोगों को भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकता है। इससे भी अधिक करना चाहते हैं। हम उस स्थिति में होना चाहते हैं जहां हम वस्तुत: उस लाइसेंस की रद्द करने की स्थिति में हों। विनियामक अधिनियम के आ जाने पर हम लाइसेंस को रद्द कर सकने की स्थिति में हो जाएंगे। एक बार कानून बन जाए—कानून बनाना होगा—हमें भी लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री जी को अपने सहयोगी की मद्द करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

पत्तनों को रेल सेवा से जोड़ना

***424. श्री जुएल ओराम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने हेतु रेलवे को देश के कुछ मुख्य पत्तनों के प्राधिकारियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रमुख पत्तनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और रेल मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

प्रमुख पत्तन	परियोजना	रेल मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई
1	2	3
मुंबई पत्तन	कुर्ला-वडाला के बीच समर्पित माल यातायात लाइन का निर्माण। इसकी लागत पत्तन ट्रस्ट द्वारा वहन की जाएगी	पत्तन ट्रस्ट के अनुरोध पर सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

1	2	3
कोचीन पत्तन	वल्लारपदम द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल तक रेल संपर्क का निर्माण	रेल मंत्रालय द्वारा पहले ही सर्वेक्षण करा लिया गया है। इस परियोजना के वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम न होने के कारण कोचीन पत्तन ट्रस्ट को अपनी स्वयं की लागत पर इसे निष्पादित करने के लिए कहा गया है।
एन्नोर पत्तन	अट्टीपट्टू-पुत्तूर नई लाइन	इसका सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो गया है। परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं है।

बहरहाल, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत पत्तनों के साथ संपर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ निर्माण कार्यों की पहचान की थी। ये कार्य रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाएं जिनसे प्रमुख पत्तनों का पत्तन संपर्क सुदृढ़ होगा उनमें जे एन पी टी पत्तन के लिए पनवेल-जवाहर लाल नेहरू पत्तन दोहरी लाइन, पारादीप पत्तन के लिए नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर दोहरी लाइन, हरिदासपुर-पारादीप नई लाइन एवं बांसपानी-दैतारी नई लाइन; न्यू मंगलोर पत्तन के लिए हसन-मंगलोर का आमान परिवर्तन; कांदला पत्तन के लिए गांधीधाम-पालनपुर का आमान परिवर्तन; तथा हल्दिया पत्तन के लिए पांसकुड़ा-हल्दिया दोहरी लाइन का निर्माण किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष जी, मेरा पहला सप्लीमेंटरी है कि पोर्ट एथारिटी ने उनके पोर्ट्स को कनेक्टिविटी देने के लिए जो डिमाण्ड की है, उनमें से दो प्रपोजल्स, कोचीन पोर्ट और एनोर पोर्ट को यहां से कामर्शियली वायबल, फाइनेंशियली वायबल नहीं है, ऐसा कहकर रिजैक्ट कर दिया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पोर्ट एथारिटी का इसके बारे में क्या मत था? रेलवे ने अपना कामर्शियल या फाइनेंस बढ़ाने के लिए क्या ऐसा कोई सर्वे किया है? उड़ीसा का पारादीप आज सबसे ज्यादा माल ढोने वाला पोर्ट है। वहां जहाजों को रेलवे वैगन मिलने के लिए सबसे ज्यादा वेटिंग रहती है। इस बारे में मंत्री जी के पास तथ्य हैं और उन्होंने उत्तर में दिया भी है। पारादीप को जोड़ने वाली बांसपानी-दैतारी, निरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर, हरिदासपुर-पाराद्वीप लाइनों को वार फुटिंग पर स्पैशल पैसे देकर जल्दी पूरा करवाने की क्या मंत्री जी कोशिश करेंगे?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, प्रश्न का पहला भाग कोचीन और एन्नोर से संबंधित है। ये वे परियोजनएं हैं जिनका मूल्यांकन उनकी आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगिता का पता लगाने के लिए किया गया है। ऐन्नौर के संबंध में, लाभ की दर है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने यह कहा था। कोई भी कारण नहीं बताया जा सकता है।

वह यह जानना चाहते हैं कि आप पारादीप परियोजना को कब लेंगे।

श्री आर. वेलु: महोदय माननीय सदस्य इस बारे में भली भांति जानते हैं पारादीप से संबंधित छः परियोजनाओं में से दो पूरी की जा चुकी हैं। हरिदासपुर परियोजना के बारे में यह बताना चाहूंगा कि जिन 86 ग्रामों में भूमि का अर्जन किया जाना था उनमें से 46 ग्रामों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

हम 28 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर चुके हैं। इसके लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल परपज विहिकल) तैयार किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन पहुंच चुका है जिसमें अंशधारक-उड़ीसा सरकार, आरवीएनएल के माध्यम से रेलवे स्पेशल परपज विहिकल के हिस्सेदार हैं। यह कार्य भी भूमि के अर्जन का कार्य पूरा होते ही आरंभ कर दिया जाएगा।

नेरगुन्दी और अन्य परियोजनाओं के संबंध में मुझे यह कहना है कि इन परियोजनाओं को 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा। क्योंझर और दैतारी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और उचित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदय, पाराद्वीप को जोड़ने के लिए आयरन ओर एरिया से जो नई लाइन विमलगढ़-तल्चेर है, यह लाइन राउरकेला स्टील प्लांट को भी जो जोड़ रही है, इस लाइन के लिए पांच करोड़ रुपए दो साल से रेलवे मंत्रालय ने दिए हैं, लेकिन वे रुपये अभी तक खर्च नहीं हुए हैं। क्या इसे भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ कर, इन चारों प्रोजेक्टों को पाराद्वीप से जोड़ने के लिए स्पैशल अटेंशन मंत्रालय दे रहा है? इसके लिए धन का प्रावधान कब तक किया जाएगा और इसका काम कब तक पूरा होगा, इसका ब्यौरा माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, तल्चर-विमलगढ़ परियोजना के संबंध में सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बंदरगाह से जोड़ने वाली परियोजना नहीं है। हालांकि, मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इस परियोजना की लागत लगभग 726.96 करोड़ रुपए है। हमने 5 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया है। स्थान का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। अत: संसाधन उपलब्ध करा दिए जाने पर इस कार्य में प्रगति होगी। इस समय, इस वर्ष 5 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, आंध्र प्रदेश में नए विकसित हो रहे कृष्णा पट्टनम बंदरगाह को जोड़ने के लिए ओबुलावरि पल्ली से कृष्णापट्टनम तक रेललाइन बिछाने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक इंजीनियरी और यातायात सवेक्षण तथा अन्य दो सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और सभी में पाया गया है कि यह प्रस्ताव व्यवहार्य और लाभप्रद है।

महोदय, रेलवे के मानदण्डों के अनुसार, रेल लाइन बिछाने के लिए लगभग 14 प्रतिशत आमदनी दर अपेक्षित है जबकि इस परियोजना से लगभग 16.48 प्रतिशत आमदनी दर मिलेगी। चूंकि यह एक व्यवहार्य तथा लाभप्रद परियोजना है इसलिए सरकार इस परियोजना में विलम्ब क्यों कर रही है? मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस परियोजना के लिए कब राशि मंजूर कर रहे हैं?

श्री आर. वेलु: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता समझता हूं। वस्तुत:, यह एक व्यवहार्य परियोजना है। इससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, और समझौता-ज्ञापन प्रक्रियाधीन तथा अग्रिम चरण में है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस पर बहुत ही शीघ्र हस्ताक्षर हो जाएंगे और यह परियोजना शुरू हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री महताब, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

भर्तृहरि महताब: महोदय, मेरा बिल्कुल सीधा प्रश्न है। मंत्री जी ने अभी कहा है कि पाराद्वीप बंदरगाह को जोड़ने वाली नेरगुंडी-रघुनाथपुर लाइन वर्ष 2006 तक पूरी हो जाएगी, जो सही नहीं है।

बजट में पैसा नहीं है, और महानदी पर दूसरा रेल उपरिपुल अभी शुरू किया जाना है। उनके पास पैसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री भर्तृहरि महताब: पैसा कहां है? मैं जानना चाहूंगा कि महानदी पर दूसरा रेल उपरिपुल बनाने के लिए पैसा कहां से उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: इस परियोजना के लिए पैसा कहां है? वित्त मंत्री आ चुके हैं।

श्री आर. वेलु: जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं, यह बंदरगाह को जोड़ने वाली परियोजना है और इसका कुछ ही भाग बचा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पैसा जुटाना उनका उत्तरदायित्व है। आप क्यों चिंतित हैं?

श्री आर. वेलु: मैं संसाधन जुटा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री बसुदेव आचार्य प्रश्न पूछेंगे। यह अंतिम प्रश्न है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हल्दिया बंदरगाह को जोड़ने वाली पंसकुरा-हल्दिया लाइन बहुत पुरानी पड़ चुकी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का रेल विकास निगम के अंतर्गत इस लाइन को दोहरा करने हेतु कार्य शुरू करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: आप 'हां' या 'ना' कहिए।

श्री आर. वेलु: हम निश्चित रूप से इस कार्य को शुरू करेंगे। ये कार्य दो चरणों में होना है। पहला चरण चल रहा है। यह पूरा कर लिया जाएगा। इसके पूरा करते ही दूसरा चरण शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि उनके अनुरोध का अनुपालन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त कुमार, मुझे खेद है। मैं आपको अगली बार अवसर दूंगा। आप समझ सकते हैं, मेरे बारे में टिप्पणी की जा रही है कि मैं बहुत अधिक बोलता हूं जबकि अध्यक्ष के नाते, मुझे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं, मुझे बोलना पड़ता है। विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में, ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा।

अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयल इंडिया लिमिटेड और वेनेजुएला की कंपनी के बीच करार

***425. श्री सुभाष महरिया:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड और वेनेजुएला की किसी कंपनी का विचार जैसलमेर-बीकानेर बेसिन में बड़े पैमाने पर तेल की खोज संबंधी पायलट परियोजना आरंभ करने का है और राजस्थान में कच्चे तेल के दोहन के लिए ब्लाक तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य आरंभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) दिनांक 29.11.2002 को आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने राजस्थान में बीकानेर-नागौर बेसिन के बाधेवाला क्षेत्र में भारी तेल अन्वेषण पर एक प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए मैसर्स पीडीवीएसए-आईएनटीईवीईपी, वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी के साथ संविदा की है। वेनेजुएला की कंपनी राजस्थान के किसी अन्य ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए ओआईएल के साथ संबद्ध नहीं है।

इस संविदा में बाधेवाला ब्लाक के विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन के लिए पर्यवेक्षण सहित परामर्शी सेवाएं और तकनीकी सहयोग की व्यवस्थाएं है जिससे प्रायोगिक संयंत्र अनुभव, डिजाइन और दो चरणों में भारी तेल के अन्वेषण हेतु एक विकास योजना की तैयारी का कार्य आगे बढ़ेगा।

पीडीवीएसए-आईएनटीईवीईपी ने प्रायोगिक अध्ययन का चरण-1 पूरा कर लिया है और उसने एकीकृत रिजर्वायर अध्ययनों को समाहित करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के आधार पर ओआईएल ने चरण-2 में एक प्रायोगिक कूप का वेधन करने और आगामी अध्ययन करने के लिए कार्रवाई आरंभ की है।

(घ) प्रायोगिक कूप का वेधन अक्तूबर 2005 तक आरंभ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

इण्डियन एयरलाइन्स के लिए विमानों की खरीद

***426. श्री सीताराम सिंह:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों की खरीद सम्बन्धी प्रस्ताव की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) या सचिवों की समिति का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस खरीद प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

कम लीज रेंट लिया जाना

***427. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कुछ निजी पार्टियों से कम लीज रेंट लेने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व घाटा हुआ है;

(घ) निजी पार्टियों से कम लीज रेंट लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसी गलतियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आडिट रिपोर्ट के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कुछ मामलों में कम लीज रेंट लेने की बात सरकार के ध्यान में आई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) की 2001 की आडिट पैरा संख्या 4.1.4, रिपोर्ट सं. (3) में इस ओर संकेत किया गया है कि हैदराबाद हवाईअड्डे पर कम कीमत पर स्थान आवंटित कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राजस्व गंवाना पड़ा। 2004 की सी एण्ड ए जी के अन्य आडिट पैरा 2.1.1, रिपोर्ट सं. (3) (वाणिज्यिक) में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एअर इंडिया की गौण संस्था भारतीय होटल निगम (एच सी आई), जिसका

बाद में विनिवेश कर दिया गया था, के साथ लीज करार में राजस्व हानि के संकेत किए गए हैं।

(घ) हैदराबाद हवाईअड्डे द्वारा कम कीमत पर भूमि का लीज दर निर्धारित करना एक अनियमितता है। जहां तक मुंबई एयरपोर्ट सेंटर से संबंधित मामला है, सरकार द्वारा पहले ही पूरा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) को जांच हेतु भेजा जा चुका है।

(ङ) हैदराबाद लीज करार से संबंधित मामले में जांच की गई तथा जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को कड़े दंड का आरोप-पत्र जारी किया गया। रिकार्ड योग्य एक चेतावनी एक अधिकारी को पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सार्वजनिक परिसर निष्कासन अधिनियम (पी.पी.ई.) के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। संपदा अधिकारी द्वारा बेदखली का आदेश भी पारित किया गया है। इस आदेश को चुनौती देकर प्रतिपक्ष द्वारा स्टे ले लिया गया है। यह मामला निर्णयाधीन है। मुंबई एयरपोर्ट सेंटर के मामले में सी बी आई द्वारा एक प्राथमिक जांच पंजीकरण रिपोर्ट पंजीकृत की गई है।

(च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लीज किराएदारी, वृद्धि आदि की समग्र नीति को तर्कसंगत बनाने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। भूमि संबंधी रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने संबंधी एक प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। इस संबंध में प्रक्रियाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।

[हिन्दी]

नशे की लत

***428. श्री बीर सिंह महतो:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर बच्चों तथा विद्यार्थियों में नशे की बढ़ती लत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा नशे की बढ़ती लत को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई;

(ङ) देश में कितने नशा-मुक्ति केन्द्र हैं तथा वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने हैं; और

(च) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इनके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रामाणिक डाटा नहीं है जिससे यह पता चलता है कि देश में विशेष रूप से बच्चों और छात्रों में नशे की लत बढ़ रही है क्योंकि बैंचमार्किंग के लिए कालक्रमानुसार कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तथापि, तनाव कारकों, संगी साथियों के प्रभाव आदि के कारण माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों द्वारा नशीले पदार्थों का दुरुपयोग किए जाने की संभावना होती है। यह महसूस किया गया है कि स्कूल पाठ्यक्रमों में उपयुक्त माध्यमों के द्वारा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के कुप्रभावों के बारे में उन्हें शिक्षित करने से इस लत का शिकार बनने के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। तदनुसार, पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, देश में मादक द्रव्य ट्रेड और नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आयात और निर्यात स्थलों, सीमाओं, हवाई-अड्डों और विदेशी डाक कार्यालयों इत्यादि पर निगरानी और प्रवर्तन करता है और साथ ही ज्ञात नशीले पदार्थ तस्करी मार्गों पर व्यापक रोकथाम और निषेध प्रयास भी करता है। नशीले पदार्थ दुरुपयोग और धूम्रपान के कुप्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए व्यापक प्रचार तथा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और ट्रेड एवं वाणिज्य, उत्पादन, पूर्ति और वितरण का नियमन) अधिनियम, 2003 के उपबंधों, विशेषकर अवयस्कों को व साथ ही किसी शैक्षिक संस्थान के सौ गज के दायरे के भीतर सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री न करने से संबंधित प्रावधानों का भी प्रचार अभियान शुरू किया गया है। मंत्रालय उन स्वैच्छिक संगठनों को भी निधियां जारी करता है जो नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। ये संगठन अपने आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों और कालेजों को शामिल करते हैं।

(घ) से (च) वर्तमान वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित और जारी निधियां, देश में विद्यमान नशा-मुक्ति केन्द्रों और वर्तमान वर्ष के दौरान नशामुक्ति केन्द्रों को खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2005-05 (17.08.2005 तक) के दौरान मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गैर-सरकारी संगठन का नाम व पता	योजना का नाम	2005-06 के दौरान निर्मुक्त अनुदान (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	पीपल्स एक्शन फार सोशल सर्विस, तिरुपति वेस्ट, डोर नं. 10-12, मरुथि नगर, वेस्ट चित्तूर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
2.		रूरल आर्गनाइजेशन फार सोशल एक्टिविटी (रोसा), मंचेंवरि पल्लेम-पोस्ट पितिनवनिपल्लेम मंडल, गुंटूर	नशा मुक्ति केन्द्र	6.35
3.		स्नेह महिला मंडली, फ्लैट नं. 103, सत्य अपार्ट, चप्पल बाजार, काचीगुडा, हैदराबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
4.		ए.पी. गिरिजन सेवक संघ, चंदमामापेट नंदिगामा-521 185, कृष्णा	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
5.	बिहार	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल चेंज, ईस्ट गांधी बाजार, जेहानाबाद, जेहानाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
6.		अल्प संख्यक एवं हरीजन समाज कल्याण केन्द्र, दाता कम्बल शाह रोड मुजफ्फरपुर-842001, मुजफ्फरपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
7.		जागरण, 55, एम.आई.जी. कांकेर बाग, पटना+सी 41	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
8.		सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट, फ्लेरम नं. 18, गांधी कालेज जक्करपुर, पटना-1, पटना	नशा मुक्ति केन्द्र	3.31
9.		यूथ मोबिलाइजेशन फार नेशनल एडवांसमेंट, 303, हिमगिरी भवन, आनंदपुरी बोरिंग कैनाल रोड, पटना	नशा मुक्ति केन्द्र-2	3.40
10.	छत्तीसगढ़	सोसायटी फार सोशल सर्विसेज, भिलाई, दुर्ग	नशा मुक्ति केन्द्र	3.00
11.	हरियाणा	हरियाणा स्टेट कौन्सिल फार चाइल्ड वेलफेयर, बाल विकास भवन, 650 सेक्टर 16-डी, चंडीगढ़	नशा मुक्ति केन्द्र एवं परामर्श केन्द्र	18.95
12.		इंडियन रेड क्रास सोसायटी, रेड क्रास भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	2.86
13.		इंडियन रेड क्रास सोसायटी, डिस्ट, रेड क्रास सोसायटी, फतेहाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.00
14.		अमर ज्योति फाउंडेशन, जींद, असिसटेंट ट्रेजरी आफिस, फर्स्ट फ्लोर, जींद-126102	नशा मुक्ति केन्द्र	6.80
15.		इंडियन रेड क्रास सोसायटी, रेड क्रास भवन, जींद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.09
16.		इंडियन रेड क्रास सोसायटी, रेड क्रास भवन, रोहतक	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
17.		माडर्न एज्युकेशन सोसायटी, मंडोरी रोड, विलेज मंजौरा, डिस्ट, सोनीपत	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40

1	2	3	4	5
18.	हिमाचल प्रदेश	नेशनल कौंसिल फार दी डेवलेपमेंट आफ नेचर एंड ह्यूमन वैल्यू एंड प्रीवेंशन आफ क्राइम, नाहन	नशा मुक्ति केन्द्र	3.32
19.	जम्मू एवं कश्मीर	सोसायटी फार दी प्रोमोशन आफ यूथ एंड मासेस, मासवाश हास्पिटल, कहनू रोड, जम्मू	नशा मुक्ति केन्द्र	3.36
20.	कर्नाटक	केम सोसायटी, 46, हेसारघट्टा रोड, दसारहल्ली, बैंगलूर	नशा मुक्ति केन्द्र	2.13
21.		सेवा संगम, नं. 1163, 80, फीट रोड, प्रकाश नगर, बैंगलूर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.67
22.		निलूर एजुकेशन सोसायटी, निलूर (बी) तालुक, बाल्की, बिदर	नशा मुक्ति केन्द्र	4.59
23.		श्री शक्ति एसोसिएशन, गुट्टूर कालोनी, हरीहरी-577601	नशा मुक्ति केन्द्र	4.72
24.		श्री मैत्री एसोसिएशन, शुगर फैक्ट्री रोड, डोड्डाइत्ती (पीओ), दवानगेरे	नशा मुक्ति केन्द्र	4.99
25.		अन्नपूर्णा सेंटर फार ह्यूमैनिटी रूरल डेवलपमेंट, नं. 2516, 9वां क्रास, एस.एस. पुरम, तुमकुर	नशा मुक्ति केन्द्र	4.79
26.		मदर्स केअर एजुकेशन सोसायटी, बैंगलूर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.67
27.		प्रिवदर्शनी मैडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट नं. 1, होसागल्ली, मैन रोड, पदरायनपुरा, बैंगलूर	नशा मुक्ति केन्द्र	7.34
28.	केरल	कालीकट डिओसेस सोशल सर्विस सोसायटी, सेंट माइकल्स चर्च, वेस्ट हिल, कालीकट	नशा मुक्ति केन्द्र	3.08
29.		प्रथीकशा डिएडीक्शन सेंटर, मक्कुट्टम टेंपल गेट पीओ, तलसेरी-670102	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
30.		चांगनांचेरी सोशल सर्विस सोसायटी, पीबी नं., 20, आर्कबिशप हाउस कोट्टयम, चांगनांचेरा, चांगनांचेरी	नशा मुक्ति केन्द्र एवं परामर्श केन्द्र	6.80
31.		मालंकरा आर्थोडोक्स सिरीयन मिशन हास्पिटल, कोलेंचेरी, इरनाकुलम-682311	नशा मुक्ति केन्द्र	2.92
32.		निर्मल निकेतन मुक्ति सदन, एएन जंक्शन, त्रिपुनीथुरा, कोची-682301	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
33.		यूनिटी ग्रुप, किल्लौर रोड, पेटा, एसएन जंक्शन, त्रिपुनीथुरा, कोची	नशा मुक्ति केन्द्र	3.21
34.		अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्ट्स रिसर्च रिहेबिलिटेशन, पाला पीओ, कोट्टयम-686575	नशा मुक्ति केन्द्र	2.92
35.		ट्रेडा, मंगनम, पीओ कोट्टयम-686018	नशा मुक्ति केन्द्र एवं परामर्श केन्द्र	2.92
36.		सोशल एक्शन फोरम, XII, 117 अलूर, त्रिशूर	नशा मुक्ति केन्द्र एवं परामर्श केन्द्र	3.43
37.		श्रीनिकेतन समाज विकास केन्द्र, छत्तनूर, क्यूलोन	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40

1	2	3	4	5
38.		त्रिवेंद्रम समाज सेवा सोसायटी, त्रिवेंद्रम	नशा मुक्ति केन्द्र	3.24
39.	मध्य प्रदेश	श्री गुरू तेग बहादुर शिक्षा समिति ग्वालियर, अरनेजा मार्किट, नौगज रोड, शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
40.		नई प्रताप शिक्षा समिति, भोपाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.62
41.	महाराष्ट्र	धर्म समन्वय महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज वरकरी विकास व शिक्षण संस्था, अमरावती	निसा मुक्ति केन्द्र	6.80
42.		जय विश्वकर्मा सर्वोदय संस्था, औरंगाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
43.		भारतीय औषधि अनुसंधान संस्था, डाकघर खापा तुमसर, भंडारा	नशा मुक्ति केन्द्र	3.36
44.		जनहिताय मंडल, मार्फत पालीवाल पालीक्लिनिक, चंद्रपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
45.		नवजीवन विद्या विकास मंडल, धुले		
46.		श्री तिरूपति शिक्षा और सांस्कृतिक ट्रस्ट, रामनगर	नशा मुक्ति केन्द्र-2 (धुले व औरंगाबाद)	3.40
47.		ग्रामीण जन सेवा शिक्षण संस्था नरदन्ना, धुले	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
48.		कागल शिक्षा सोसायटी, अम्रिका सदन, कोल्हापुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
49.		जीवन रेखा प्रतिष्ठान, दूसरा तल अबाद काम्पलैक्स, अम्बाजोगई रोड, लातूर	नशा मुक्ति केन्द्र	4.86
50.		श्री गणेश शिक्षा प्रसारक मंडल, प्रियदर्शनी चौक, खडगांव, लातूर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
51.		सेवा धन, हास्पिटल बिल्डिंग, अंधेरी, मुम्बई	नशा मुक्ति केन्द्र व परामर्श केन्द्र	2.05
52.		एकात्मकता सामाजिक शिक्षण मंडल, अम्बेडकर नगर, नागपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
53.		उन्नतशील महिला मंडल, रवि भवन, गणेश नगर मार्ग, नांदेड	नशा मुक्ति केन्द्र	6.80
54.		मुक्तांगन मित्र कृष्ण पत्रकार नगर, पुणे	नशा मुक्ति केन्द्र-2 व परामर्श केन्द्र व आर आर टी सी	10.84
55.		नेहरू युवा केन्द्र, शोलापुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.23
56.		अहिल्यादेवी शिक्षण प्रसारक और बहुउद्देशीय मंडल, वाशिम	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
57.		लोकसेवा शिक्षण प्रसारक मंडल, यवतमाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
58.		भागीरथी शिक्षा सोसायटी, शिवाजी हाई स्कूल के नजदीक, धुले	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
59.	मणिपुर	मणिपुर ग्रामीण सोसायटी संस्थान, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59

1	2	3	4	5
60.		गैलेक्सी क्लब, सिंगजामई माथक, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र-2 व परामर्श केन्द्र और आर आर टी सी	3.58
61.		ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59
62.		सुमचिंगम कुमैन सोसायटी, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59
63.		मेंटल हाइजिन सेंटर, संगईप्रो, एयरपोर्ट रोड, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र	7.18
64.		युवा विकास संगठन, सागोलबंद, टेरा बाजार, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र, इम्फाल पूर्व	3.59
65.		पीपल्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, फ्रओना बाजार, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59
66.		ग्रामीण विकास सोसायटी, वांगचुंग बाजार, इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59
67.		सोशल रिफोरमेशन और विकास संगठन, जेएन हास्पिटल रोड, पूर्वी इम्फाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59
68.	मेघालय	खासी जैंतिा प्रेसबाइटेरियन साइनोड, चर्च रोड, मिशन कम्पाउंड	नशा मुक्ति केन्द्र	2.81
69.	मिजोरम	अमाचे मोरल रिफोरमेशन संगठन, रिपब्लिक रोड, आइजोल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.59
70.		मिजोरम समाज सुरक्षा और पुनर्वास बोर्ड, आइजोल	नशा मुक्ति केन्द्र, व आरआरटीसी	5.01
71.	नागालैंड	प्रोडीगल्स होम्स, सरकुलर रोड, दीमापुर	नशा मुक्ति केन्द्र	5.13
72.	उड़ीसा	ग्रामीण विकास एक्शन सेल, वार्ड नं. 14, तुलसीचौरा, बारीपाडा	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
73.		निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, खारवेला नगर, भुवनेश्वर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
74.		ओपन लर्निंग सिस्टम्स, प्लाट सं. 75, सामंत विहार, नाल्को चक के पास, भुवनेश्वर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.46
75.		प्रोबेकट स्वराज्य, गणेश घाट, भक्तरबाद, कटक	नशा मुक्ति केन्द्र-2	6.70
76.		अरुण ग्रामीण कार्य संस्थान, ढेंकनाल,	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
77.		उड़ीसा बहुउद्देशीय विकास केन्द्र, डीडीए कालोनी, चंद्रशेखर पुर, भुवनेश्वर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
78.		पैरवी क्लब, हाडापाडा, खुर्दा	नशा मुक्ति केन्द्र-2	10.21
79.		जगन्निवास यूथ क्लब, जानकीगढ़, पुरी	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
80.	पंजाब	भारतीय रेड क्रास सोसायटी, सेक्टर 16ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़	नशा मुक्ति केन्द्र-4 (गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और नवांशहर	12.39
81.		सोसायटी फार रिहेबिलिटेशन आफ हैंडीकेप्ड और पर्सन्स सफरिंग फ्रम सोशल एविल्स, सेक्टर 44ए, चंडीगढ़	नशा मुक्ति केन्द्र-2 (पटियाला और फतेहगढ़ साहिब)	6.80

1	2	3	4	5
82.		डा. डी एन कोटनिस हेल्थ एंड शिक्षा केन्द्र, सलीम ताबरी, लुधियाना	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
83.		भारतीय रेड क्रास सोसायटी, जिला शाखा मंसा	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
84.	राजस्थान	निरंजित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, भरतपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
85.		अफीम नशा मुक्ति उपचार प्रशिक्षण और अनुसंधान ट्रस्ट, जोधपुर	नशा मुक्ति केन्द्र-3, परामर्श केन्द्र-1 व नशा मुक्ति शिविर	16.39
86.		आदर्श बीकानेर बाल शिक्षण परिसर, शास्त्री नगर, बीकानेर	नशा मुक्ति केन्द्र	4.86
87.		दैतूर विकास सार्वजनिक पुन्यार्थ ट्रस्ट, बीकानेर	नशा मुक्ति केन्द्र-2 (बीकानेर व जैसलमेर)	3.40
88.		जयपुर रूरल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, बनीपार्क, जयपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
89.		के.जी.एन.एम.एम.डब्ल्यू. एजुकेशनल, रिसर्च और एनालाइसेस सोसायटी, मंगलपुरा, झालावाड़-326 001.	नशा मुक्ति केन्द्र	3.39
90.	तमिलनाडु	भारतीय महिला और बाल स्वास्थ्य ट्रस्ट, डिंडीगुल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
91.		अर्थेंकोट्टसन मुथमिल, काजागम, मोंडाईकाड	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
92.		श्री विक्टोरिया एजुकेशन सोसायटी, थंजावुर, मथक्कोट्टी गांव,	नशा मुक्ति केन्द्र	3.27
93.		तिरुचिरापल्ली बहुउद्देशीय समाज सेवा सोसायटी, पोस्ट बाक्स नं. 12 त्रिच्ची	नशा मुक्ति केन्द्र	2.92
94.	उत्तर प्रदेश	आदर्श जनता शिक्षा समिति कर्छना, इलाहाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	6.80
95.		द्वाबा कल्याण समिति इलाहाबाद, तेला, इलाहाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
96.		ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, अल्हापुर, इलाहाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र-2 (इलाहाबाद व बस्ती)	8.37
97.		भारतीय रेड क्रास सोसायटी, बहादुर गंज, इलाहाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
98.		पारख, थारबिल्डर, पिंडी, कर्छना, इलाहाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र-2 (सोनभद्र व चित्रकूट)	8.26
99.		अर्चना महिला कल्याण समिति, अभिपुर, बाराबंकी	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
100.		गंगासुख ग्रामोद्योग विकास संस्था, बरेली	नशा मुक्ति केन्द्र	6.80
101.		निर्वाण, डी-2059, इंदिरा नगर, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र	3.35
102.		समाज कल्याण संगठन, टीचर्स कालोनी रोड, लाल बाबू चौराहा, बुलंदशहर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
103.		श्रीमती कौशल्या देवी, पूर्वा माध्यमिक विद्यालय, हरदोई, इटावा	नशा मुक्ति केन्द्र	4.86

1	2	3	4	5
104.		शांति सर्वोदय संस्थान, शांतिगंज, गोंडा	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
105.		साकेत महिला मंडल कल्याण समिति, मुरटीगंज, गोंडा	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
106.		सार्वजनिक शिक्षोन्वन संस्थान, एमजी रोड, हरदोई	नशा मुक्ति केन्द्र	1.80
107.		शहरी और ग्रामीण विकास सोसायटी, जिला जौनपुर,	नशा मुक्ति केन्द्र	3.80
108.		ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, मुंगेर, जौनपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	4.86
109.		इसरत मोहनी चैरीटेबल सोसायटी, हुमायूं बाग, कानपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
110.		जन कल्याण सेवा समिति, 28 आदर्श विहार, हरविंदर नगर, कानपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
111.		अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, आजाद विला, डालीगंज, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
112.		भारतीय समाज सेवा संस्थान, बर्फ खाना, मिश्री का बाग, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
113.		ग्राम सेवा निकेतन, सी 31792/23 अशरफाबाद, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र, कानपुर	3.40
114.		जीवन ज्योति सोसायटी, एफ 1914, राजाजीपुरम	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
115.		प्रेरणा समिति, चिंहाट, फैजाबाद रोड, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
116.		सार्वजनिक शिक्षा समिति, 565/180 पूरन नगर, आलमबाग, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
117.		शहीद मैमोरियल सोसायटी, ई-1698 राजाजीपुरम, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र-2 (लखनऊ व कानपुर) और परामर्श केन्द्र	7.02
118.		सोशल एंड इकोनोमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सी-2116, इंदिरा नगर, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
119.		अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण और शिक्षा समिति, बी-12ए, धक्कलगिरी, नोएडा	नशा मुक्ति केन्द्र-2 (नोएडा व गाजियाबाद)	3.40
120.		प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, देवोकली, प्रतापगढ़	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
121.		श्री गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान, 32, सुभाषनगर,	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
122.		प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, गांव कुबेरी खेडा, रायबरेली	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
123.		रतन ग्राम विकास समिति, जाहिदपुर, डाकघर रसूलबाद, रामपुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
124.		शक्ति साधना संस्थान, तरिनपुर, जिला, सीतापुर	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
125.		खानद्वारी देवी शिक्षा प्रसार समिति, चंदौली, वाराणसी	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40
126.		लक्ष्य सेवा प्रतिष्ठान, गांव मंदुरवा, वाराणसी	नशा मुक्ति केन्द्र	3.51
127.		भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र	3.40

1	2	3	4	5
128.	उत्तरांचल	उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति, ग्वालदम, जिला चमोली	नशा मुक्ति केंद्र	3.40
129.	वेस्ट बंगाल	एल्मिरिस्ट इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिटी स्टडीज, बाबा बिथिका, शांति निकेतन, बीरभूम	नशा मुक्ति केन्द्र	3.12
130.		ड्राईव फार यूनाइटेड विक्ट्री ओवर एडिक्शन, 71/सी, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र	3.30
131.		कलकत्ता समरीतांस, 53-बी, इलियट रोड, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र, परामर्श केन्द्र व आरआरटीसी	3.52
132.		विवेकानंद शिक्षा सोसायटी, 13/3, कालीचरण दत्ता रोड, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र, परामर्श केन्द्र व आरआरटीसी	5.62
133.		वुमैन कार्डिनेटिंग काउंसिल, 5/1 रेड क्रास प्लेस, कलकत्ता	नशा मुक्ति केन्द्र	3.67
134.		प्रमोशन आफ यूथ एंड मासेस सोसायटी, 33, एनबी गिरी रोड, दार्जिलिंग	नशा मुक्ति केन्द्र,	3.37
135.		पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण एसोसिएशन, रविन्द्र नगर, मिदनापुर	नशा मुक्ति केन्द्र, परामर्श केन्द्र	6.80
136.	दिल्ली	समाज सेवा संघ, एन 69/10, गली नं. 16, ब्रह्मपुरी, दिल्ली	नशा मुक्ति केन्द्र	3.67
137.		सोसायटी फार प्रोमशन आफ यूथ एंड मासेस, बी-5, 3054, वसंत कुंज, दिल्ली	नशा मुक्ति केन्द्र, परामर्श केन्द्र व आरआरटीसी	3.67
138.		एसोसिएशन आफ नेशनल ब्रदरहुड फार सोशल वेलफेयर, 21-22, नया रोहतक रोड, नई दिल्ली	नशा मुक्ति केन्द्र-3	11.50
139.		नवज्योति दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान, खसरा नं. 99, करोला माजिरी, दिल्ली	नशा मुक्ति केन्द्र व परामर्श केन्द्र	5.70
140.		इवेंट्स अनलिमिटेड, दिल्ली	नशीली दवा दुरुपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना	2.16
141.		अमन आफिस इक्यूपमेंट्स, दिल्ली	नशीली दवा दुरुपयोग निवारण संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना	0.03
142.		दिल्ली पर्यटन और दुलाई विकास निगम, दिल्ली	नशीली दवा दुरुपयोग निवारण संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना	0.15
			कुल	603.76

विवरण I

नशामुक्ति केन्द्रों (राज्यवार) की संख्या (22.08.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नशामुक्ति केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	असम	7
3.	बिहार	15
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	8
7.	हरियाणा	20
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	2
10.	झारखंड	3
11.	कर्नाटक	25
12.	केरल	22
13.	मध्य प्रदेश	11
14.	महाराष्ट्र	56
15.	मणिपुर	21
16.	मेघालय	2
17.	मिजोरम	10
18.	नागालैंड	6
19.	उड़ीसा	29
20.	पंजाब	17
21.	राजस्थान	12
22.	सिक्किम	–
23.	तमिलनाडु	22
24.	त्रिपुरा	2
25.	उत्तर प्रदेश	49
26.	उत्तरांचल	4
27.	पश्चिम बंगाल	12
28.	चंडीगढ़	–
29.	दिल्ली	10
30.	पांडिचेरी	1
	कुल	387

विवरण III

वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त नए प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों के नाम	परियोजना जिसके लिए आवेदन किया गया
1	2	3
1.	जनजातीय विकास प्रतिष्ठा, ईटानगर	नशा मुक्ति केन्द्र
2.	मिगे-नान चैरिटेबल सोसाइटी, ईटानगर	नशा मुक्ति केन्द्र
3.	हेल्थ कांसिएस सोसाइटी आफ अरूणाचल प्रदेश, चेंगलाग	नशा मुक्ति केन्द्र
4.	ए जी यू एस शिव सागर, असम	नशा मुक्ति केन्द्र
5.	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सिल्चर	नशा मुक्ति केन्द्र

1	2	3
6.	महिला विकास संगठन, शिमला	नशा मुक्ति केन्द्र
7.	कंडाघाट समग्र विकास समिति, सोलन	नशा मुक्ति केन्द्र
8.	ईको क्लब, शिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा	नशा मुक्ति केन्द्र
9.	सरस्वती साहित्य संगठन, खारगांव	नशा मुक्ति केन्द्र
10.	मेडी केयर एवं रिसर्च फाउंडेशन, भोपाल	नशा मुक्ति केन्द्र
11.	श्री पार्श्वनाथ बाल मंदिर समिति, इन्दौर	नशा मुक्ति केन्द्र
12.	रेड स्वास्तिक सोसाइटी, भोपाल	नशा मुक्ति केन्द्र
13.	गुरूकुल संस्कृत शिक्षण समिति, सीधी	नशा मुक्ति केन्द्र
14.	सामाजिक जागरूकता एवं ग्रामीण विकास संगठन, इम्फाल ईस्ट	नशा मुक्ति केन्द्र
15.	इंडीजीनियस प्रोग्रेसिव फोरम, कंगपोकपी	नशा मुक्ति केन्द्र
16.	इंडीजीनियस प्रोग्रेसिव फोरम, कंगपोकपी	नशा मुक्ति केन्द्र
17.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, जौवाई	नशा मुक्ति केन्द्र
18.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, शिलांग	नशा मुक्ति केन्द्र
19.	मनभा फाउंडेशन, जौवाई, मेघालय	नशा मुक्ति केन्द्र
20.	चडुह दिमानिया एसोसिएशन, जौवाई	नशा मुक्ति केन्द्र
21.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, संगरूर	नशा मुक्ति केन्द्र
22.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, मोगा	धर्मकोट, मोगा में नशा मुक्ति केन्द्र
23.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, मोगा	बधिनिकला जिला मोगा में नशा मुक्ति केन्द्र
24.	एओईएस, बारन राजस्थान	नशा मुक्ति केन्द्र
25.	नारी चेतना समिति, जयपुर	नशा मुक्ति केन्द्र
26.	महर्षि दयानन्द विकास समिति, बीकानेर	नशा मुक्ति केन्द्र
27.	मानव मंगल समिति, श्रीगंगानगर	नशा मुक्ति केन्द्र
28.	सरगम कला परिषद, राजसमंद	नशा मुक्ति केन्द्र
29.	वसुन्धरा वैभव फाउंडेशन, लखनऊ	नशा मुक्ति केन्द्र
30.	जन कल्याण सेवा समिति, कानपुर	नशा मुक्ति केन्द्र
31.	वसुदेव तिवारी सेवा संस्थान, गोरखपुर	नशा मुक्ति केन्द्र
32.	जनमानस कल्याण संस्थान, आजमगढ़	नशा मुक्ति केन्द्र

1	2	3
33.	वीआईकेएएलपी अकोडा, इलाहाबाद	नशा मुक्ति केन्द्र
34.	टाठघाट ग्रामोत्थान एवं समाज कल्याण सेवा संस्थान, कुशीनगर	नशा मुक्ति केन्द्र
35.	शीरियक इलियास वालंटरी एसोसिएशन	नशा मुक्ति केन्द्र
36.	ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान, देहरादून	नशा मुक्ति केन्द्र
37.	राजा बाजार शिक्षा एवं जागरूकता विकास समिति, कोलकाता	नशा मुक्ति केन्द्र
38.	नेताजी यूथ क्लब एंड पाठगढ़, जिला पूर्व मेदनीपुर	नशा मुक्ति केन्द्र
39.	यूथ वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी, हावडा	नशा मुक्ति केन्द्र
40.	बेलुनी जन कल्याण संघ, जिला दक्षिण 24 परगना	नशा मुक्ति केन्द्र
41.	वेद विगनान महा विद्या पीठ, हावडा	नशा मुक्ति केन्द्र
42.	शिव योगिनी महिला संघ, बीजापुर जिला, कर्नाटक	नशा मुक्ति केन्द्र
43.	श्री मैत्री एसोसिएशन दावनगेरे, कर्नाटक	नशा मुक्ति केन्द्र
44.	भारत रत्न महिला मंडली, कुड्डापा, आंध्र प्रदेश	नशा मुक्ति केन्द्र
45.	आशीर्वाद, कंधामल, उड़ीसा	नशा मुक्ति केन्द्र
46.	सुनिथास महिलास मंडली, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	नशा मुक्ति केन्द्र
47.	गांधी पीस सेंटर, सलेम, तमिलनाडु	नशा मुक्ति केन्द्र
48.	सालिडरिटी मूवमेंट आफ इंडिया इडुक्की, केरल	नशा मुक्ति केन्द्र
49.	ग्रामीण विकास एवं शिक्षा केन्द्र, रामनाथपुरम, तमिलनाडु	नशा मुक्ति केन्द्र
50.	पवन इंडिग्रेडिट रूरल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी, कोलार, कर्नाटक	नशा मुक्ति केन्द्र
51.	श्री राजीव गांधी शिक्षा एवं कल्याण न्यास, मैसूर, कर्नाटक	नशा मुक्ति केन्द्र
52.	नवनीत फाउंडेशन ट्रस्ट, वदोदरा, गुजरात	नशा मुक्ति केन्द्र
53.	रूरल इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश	नशा मुक्ति केन्द्र
54.	कपूचिंग कृषक सेवा केन्द्र, कर्नाटक	नशा मुक्ति केन्द्र
55.	मास वेलफेयर एसोसिएशन, त्रिरूवन्नमलाई, तमिलनाडु	नशा मुक्ति केन्द्र
56.	नवनीत फाउंडेशन ट्रस्ट, वदोदरा, गुजरात	नशा मुक्ति केन्द्र
57.	सूरबी महिला मंडली, देवेनगिरी, कर्नाटक	नशा मुक्ति केन्द्र

1	2	3
58.	मित्र सेवा संस्थान, पटना, बिहार	नशा मुक्ति केन्द्र
59.	सेवा संकल्प एवं विकास समिति, मजफ्फरपुर, बिहार	नशा मुक्ति केन्द्र
60.	महिला शिशु केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बिहार	नशा मुक्ति केन्द्र
61.	जन उत्थान संस्था, लकीसारी, बिहार	नशा मुक्ति केन्द्र
62.	डीओवीई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	नशा मुक्ति केन्द्र

[अनुवाद]

ईसीएचएस के अंतर्गत बहुचिकित्सा केन्द्र

***429. डा. के.एस. मनोज:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्वक सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत राज्य-वार कितने सशस्त्र बल चिकित्सा केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान ईसीएचएस के अंतर्गत और अधिक बहुचिकित्सा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या युद्ध में विकलांग हुए व्यक्तियों को ईसीएचएस में अंशदान का भुगतान करने से छूट दिए जाने की कोई मांग सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अधीन 163 सशस्त्र सेना क्लीनिक चल रहे हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2005-06 के दौरान भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत 64 और पोलीक्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

युद्ध में निशक्त हुए व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में अंशदान की अदायगी से छूट देने की मांग, निशक्त युद्ध सेनानियों (भारत) से प्राप्त हुई थी। सरकार ने 24 जुलाई, 2005 को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए अंशदान की अदायगी से उन युद्ध निशक्त पेंशनभोगियों को छूट दिए जाने हेतु सहमति दे दी है जो घोषित युद्धों या अन्य मुठभेड़ों के दौरान निशक्त हुए थे जिन्हें विशेष रूप से ऐसा दर्जा दिया गया था।

विवरण I

आज की तारीख तक भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अधीन चल रहे 163 पोलीक्लीनिक

क्र.सं.	राज्य	पोलीक्लीनिक का नाम	जोड़
1	2	3	4
1.	अंडमान-निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	1
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, विशाखापट्नम, गुंटूर	3
3.	असम	जोरहाट, माशीमपुर (सिल्चर), कामरूप (गुवाहाटी)	3
4.	बिहार	दानापुर, गया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा	5

1	2	3	4
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1
6.	दिल्ली	दिल्ली (बेस अस्पताल), दिल्ली (लोदी कालोनी)	2
7.	गोवा	पणजी	1
8.	गुजरात	अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर	3
9.	हरियाणा	हिसार, अम्बाला, सिरसा, चंडीमंदिर, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, जींद	12
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, सोलन, योल, बकलोह, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी	8
11.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, राजौरी, सांबा, जंगलौट (कठुआ) बारामूला, लेह	8
12.	झारखण्ड	रांची	1
13.	कर्नाटक	बेंगलूर (अर्बन), कारवाड़, बेलगाम, बेंगलूर (येलहंका) कोडगु, मंगलूर, बीजापुर	7
14.	केरल	कोच्चि, त्रिवेन्द्रम, कण्णूर, पालाकाड, पतिनामित्तट्टा, कोझीकोड	6
15.	महाराष्ट्र	मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, अहमदनगर, मुंबई (उपनगर) देवलाली, सतारा, कोल्हापुर, अकोला, शोलापुर, बुलढाणा, अमरावती, लातूर, उस्मानाबाद	15
16.	मणिपुर	इम्फाल	1
17.	मेघालय	शिलांग	1
18.	मिजोरम	आइजोल	1
19.	मध्य प्रदेश	इंदौर (महू), जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, भिंड, रीवा	7
20.	नागालैंड	जखामा (कोहिमा)	1
21.	उड़ीसा	बालासोर, भुवनेश्वर, गंजम (बेहरामपुर)	3
22.	पंजाब	गुरुदासपुर, जालंधर, भटिण्डा, अमृतसर, संगरूर, फरीदकोट, कपूरथला, फिरोजपुर, मोगा, पठानकोट, पटियाला, होशियारपुर, रोपड़, मुक्तसर, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना	16

1	2	3	4
23.	राजस्थान	बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, नागौर, चूरू, पाली, सीकर	16
24.	सिक्किम	गंगटोक	1
25.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, वेलिंगटन, आवडी, वेल्लूर, श्रीवितलीपुतूर, तिरुनलवेली, तिरुवनमल्लाई, मदुराई	9
26.	त्रिपुरा	अगरतला	1
27.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद (हिण्डन), फतेहगढ़, कानपुर, मथुरा, सहारनपुर, शाहजहांपुर, झांसी, गाजीपुर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, सुल्तानपुर	20
28.	उत्तरांचल	देहरादून, लैंसडाउन, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल	5
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, दार्जिलिंग, बेंगडुबी (जलपाइगुड़ी), कृष्णानगर, वर्धवान	5
	जोड़		163

विवरण II

वर्ष 2005-06 के दौरान भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अधीन 64 पोलीक्लीनिक खोलने का प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	पोलीक्लीनिक का नाम	जोड़
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर, गिडडालूर, काकीनाडा, विजयवाड़ा, गोलकोंडा	5
2.	बिहार	दरभंगा	1
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1
4.	हरियाणा	नारनौल, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहबाद	7
5.	झारखण्ड	सिंहभूम (जमशेदपुर)	1
6.	कर्नाटक	मैसूर, धारवाड़	2
7.	केरल	पेरिनथलामन्ना, एल्लेपी, त्रिसूर, कोट्टयम, कुइलोन	5
8.	महाराष्ट्र	जलगांव, सांगली, रत्नागिरी, सिंधदुर्ग, ठाणे, महाड	6

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	मुरैना	1
10.	नागालैंड	दीमापुर	1
11.	पंजाब	मानसा	1
12.	राजस्थान	सवाई माधोपुर	1
13.	तमिलनाडु	कांचीपुरम, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, कृष्णागिरि, सेलम, डिंडीगुल, तिकुची, नागापट्टनम, तंजावुर, थिनी, नागरकोइल, तूतीकोरिन	12
14.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, बुलंदशहर, बदायूं, कानपुर देहात, रायबरेली, जालौन, अलीगढ़	14
15.	उत्तरांचल	हल्द्वानी, रुड़की, अल्मोड़ा	3
16.	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर, साल्ट लेक, मिदनापुर	3
	जोड़		64

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विकास और विस्तार

***430. श्री अनन्त नायक:**
श्री मोहन सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विकास और विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकास और विस्तार कार्य हेतु कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी और राशि किस प्रकार जुटाई जाएगी;

(घ) खेलों के आरंभ से पूर्व भली-भांति कार्य पूरा होने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) खेलों में विदेशों से अनुमानत: कितने लोगों के आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई) का आधुनिकीकरण तथा पुनर्निर्माण करने का निर्णय किया है, जो संयुक्त उद्यम कम्पनी इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई) का प्रबंधन करेगी, उसके लिए अक्तूबर, 2009 तक अनेक पूंजीगत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना अनिवार्य होगा। इन परियोजनाओं में शामिल हैं-नया समानान्तर रनवे, रनवे तथा समानान्तर प्रारम्भिक टैक्सी वे, उच्च गति निकास टैक्सी वे तथा रनवे तक अन्य प्रवेश निकास टैक्सी वे, क्रास लिंक्ड टैक्सी वे का वैस्टर्न पेयर, अंतरराष्ट्रीय/घरेलू टर्मिनल के विकास का प्रथम चरण, अन्तरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का विस्तार आदि। इन परियोजनाओं के विकास की लगभग लागत 2800 करोड़ रुपए होगी, जिसका वित्तपोषण संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा इक्विटी के साथ-साथ ऋण के द्वारा किया जाएगा। सौदे संबंधी दस्तावेज की प्रस्तावित शर्तों के अनुसार, इन कार्यों को अक्तूबर, 2009 तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रकुल खेलों के लिए विदेश से आने वाले सम्भावित यात्रियों का कोई अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं है।

रेल नेटवर्क का विस्तार

***431. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 85 प्रतिशत रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश शासन से विरासत में प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आजादी के बाद, रेलवे नेटवर्क का बहुत धीमी गति से विस्तार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे नेटवर्क में वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा परिवहन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे नेटवर्क के विस्तार की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत को विरासत में हासिल हुआ रेल नेटवर्क तथा वर्तमान नेटवर्क नीचे लिखे अनुसार है:

विवरण	लंबाई किलोमीटर में		वर्ष 1947-48 से प्रतिशत वृद्धि
	1947-48	2003-04 (नवीनतम उपलब्ध)	
मार्ग किलोमीटर	54693	63,221	15.6%
चालित रेलपथ किलोमीटर	60116	83,859	39.5%
कुल रेलपथ किलोमीटर (यार्ड लाइनों और साइडिंगों सहित)	85000	1,08,486	27.6%

(ग) और (घ) स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात वाली अवधियों के दौरान नेटवर्क के विस्तार को सही मायनों में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ये दोनों अवधियां विभिन्न कारकों/कारणों पर आधारित हैं। स्वतंत्रता पश्चात वाली अवधि में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण आदि तथा गतायु रेलपथों के नवीकरण द्वारा उच्च घनत्व वाले मार्गों विशेष रूप से चार महानगरों अर्थात् चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को जोड़ने वाले मार्गों की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया गया है। इस प्रकार, मार्ग किलोमीटर स्वतंत्रता के समय के 54,693 किलोमीटर से बढ़कर 31.03.2004 को 63,221 किलोमीटर (15.6%), चालित रेलपथ किलोमीटर (मार्ग किलोमीटर जमा बहु रेलपथों की अतिरिक्त दूरी अर्थात् दोहरी, तिहरी लाइन आदि जिन्हें दो या तीन या उससे अधिक रेलपथ माना गया है) 60,116 किलोमीटर से बढ़कर 424 किलोमीटर की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए 31.3.2004 को 83,859 किलोमीटर (39.5%) हो गया है।

(ङ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान परियोजनाओं के वित्तपोषण और क्रियान्वयन संबंधी स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव आया है। परियोजना को पूरा करने के काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के सृजन हेतु अनेक बजटेतर उपाय किए गए हैं। इनमें राज्यों की साझेदारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, राष्ट्रीय परियोजनाएं, रक्षा संबंधी कार्यों के लिए वित्तपोषण और राष्ट्रीय रेल विकास योजना की शुरुआत किया जाना शामिल है। इसके अलावा, संसाधनों की तंगी के कारण विशेषकर पिछड़े, अल्प विकसित और दूरस्थ क्षेत्रों में परियोजनाओं की धीमी प्रगति को देखते हुए, सरकार ने 2004-05 के अंतरिम बजट में "दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना" (आरआरएसवाई) की घोषणा की है जिसमें सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर शुरू की गई चालू परियोजनाओं पर 5 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की संकल्पना की गई है। बहरहाल, इस योजना के लिए निधियों की व्यवस्था अभी की जानी है। नई लाइनों, आमान-परिवर्तन और दोहरीकरण के अंतर्गत चालू सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने से बड़ी लाइन में 18,000 किमी. से भी अधिक की वृद्धि हो जाएगी।

[हिन्दी]

जाली/कागजी गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन

***432. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से जाली/कागजी गैर-सरकारी (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठन (वीओ) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक इसमें शामिल ऐसे गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार के पास इस बात की जांच करने के लिए कोई तंत्र है कि कौन से गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन जाली/कागजी हैं और कौन से वास्तविक रूप में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि अनुदान सहायता केवल वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को ही मिले?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे किसी भी जाली/कागजी गैर-सरकारी संगठनों का मामला नहीं है, जो मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। कभी-कभी यह पाया जाता है कि कुछ मामलों के संबंध में राज्य सरकारों की सिफारिशें जाली हैं, संगठन किसी आधार पर संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा है, लाभार्थियों की संख्या दावा की गई संख्या से बहुत कम है, सेवाओं की गुणता जारी सहायता-अनुदान इत्यादि के अनुरूप नहीं है। ऐसे संगठनों को कारण-बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यदि इनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो सहायता अनुदान तुरंत बंद कर दिया जाता है और संगठन काली सूचीबद्ध हो जाता है।

असली गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को ही सहायता अनुदान जारी हो, को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान जारी करने से पहले अपनाए जा रहे मानदंड इस प्रकार हैं:

* यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक निकाय/पब्लिक रजिस्टर्ड ट्रस्ट/कंपनी एक्ट, 1958 की धारा 20 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त चैरिटेबल कंपनी/इंडियन रेड क्रास सोसाइटी या इसकी शाखाएं/सहायता अनुदान के लिए आवेदन करते हुए कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत कोई कानूनी स्थिति/निकाय वाली कोई सार्वजनिक संस्था होनी चाहिए।
* आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो और बजटीय व्यय का न्यूनतम 10% मात्र वहन करने की क्षमता हो।
* पिछले दो वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट
* पिछले एक वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र
* पिछले दो वर्षों के लेखा-परीक्षित लेखे (प्राप्त व भुगतान, आय व व्यय और तुलन पत्र सहित)
* निरीक्षण रिपोर्टों के साथ राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुति।

सीएनजी ईंजनों का विकास

***433. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
डा. के. धनराजू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सी.एन.जी. चालित इंजन का विकास किया है और इसका परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक वाणिज्यिक परिचालन में लाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सी.एन.जी. चालित इंजन पर कम लागत आएगी और यह पर्यावरण के अनुकूल होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं। रेलवे ने संपीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) चालित किसी रेल इंजन का विकास नहीं किया है। बहरहाल, उत्तर रेलवे पर सी एन जी से एक डीजल मल्टिपल यूनिट (डी एम यू) चलाने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। परीक्षणों की सफलता के बाद इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी।

(ग) और (घ) संपीडित प्राकृतिक गैस आधारित डीजल मल्टिपल यूनिट की परिचालनिक लागत डीजल आधारित डीजल मल्टिपल यूनिट की अपेक्षा 25% कम होने की संभावना है और इससे उत्सर्जित होने वाली गैस पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक नहीं होगी।

[अनुवाद]

'इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन्स प्लान-2004'

***434. श्री वाडिगा रामकृष्णा:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन्स प्लान-2004' तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा की गई राहत उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राहत उड़ानों द्वारा कितने यात्री और राहत सामग्री को ले जाया गया;

(ङ) क्या निजी विमान कंपनियों ने भी उक्त अवधि के दौरान ऐसे राहत कार्यों में भाग लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) गृह मंत्रालय के निदेश पर, नागर विमानन मंत्रालय ने, प्राकृतिक तथा व्यक्ति-प्रदत्त आपदाओं की स्थिति में गृह मंत्रालय को आवश्यक आपात समर्थन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक 'इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन्स प्लान-2004' बनाई है। इस प्लान के अन्तर्गत, एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध सामग्री, उपस्कर, मानवशक्ति तथा सेवाएं आपदाओं के दौरान गृह मंत्रालय को दी जाती हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर ने सुनामी तथा जम्मू कश्मीर राहत अभियानों के तहत 22192 यात्रियों (बलों सहित) तथा 622 टन राहत सामग्री का वहन करते हुए 347 राहत उड़ानें प्रचालित कीं।

(ङ) और (च) सुनामी आपरेशनों के दौरान, मैसर्स जेट एयरवेज ने 3384 यात्रियों (बलों सहित) तथा 50 शिशुओं का वहन करते हुए 35 राहत उड़ानें प्रचालित कीं तथा 53.12 टन राहत सामग्री ढ़ोई। मैसर्स ब्लू डार्ट ने 89.1 टन राहत सामग्री ढ़ोते हुए 8 कार्गो राहत उड़ानें प्रचालित कीं।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र

***435. श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्यवार कितने रेलवे स्टेशनों और सिटी बुकिंग कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या देश में और अधिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे को विभिन्न पक्षों से उनके राज्यों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने संबंधी अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों पर 1224 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र स्थित हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) अप्रैल, 2004 से नए कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों की संस्थापना हेतु 197 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 15.08.2005 की स्थिति के अनुसार 152 नए प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं जिन्हें अभी शुरू किया जाना है। (ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्र खोलने के लिए कोई समय सीमा तय करना संभव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न कारकों तथा भारत संचार निगम लिमिटेड से संचार चैनल प्राप्त करना, आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराना और गैर-रेलशीर्ष स्थलों के मामले में राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से कंप्यूटर टर्मिनलों के वास्ते नि:शुल्क स्थान प्राप्त करने आदि पर निर्भर करता है।

विवरण I

कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	98
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	33
4.	बिहार	121
5.	छत्तीसगढ़	22
6.	दिल्ली	29
7.	गोवा	3
8.	गुजरात	49
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	11
11.	जम्मू एवं कश्मीर	20
12.	झारखंड	40
13.	कर्नाटक	44
14.	केरल	37
15.	मध्य प्रदेश	59
16.	महाराष्ट्र	119
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	2

1	2	3
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	3
21.	उड़ीसा	36
22.	पंजाब	33
23.	राजस्थान	66
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	92
26.	त्रिपुरा	2
27.	संघ शासित क्षेत्र	9
28.	उत्तर प्रदेश	141
29.	उत्तरांचल	22
30.	पश्चिम बंगाल	108
	जोड़	1224

विवरण II

स्वीकृत कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	2
3.	असम	11
4.	बिहार	8
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	दिल्ली	4
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	6
9.	हरियाणा	6
10.	हिमाचल प्रदेश	4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2
12.	झारखंड	10
13.	कर्नाटक	15
14.	केरल	7
15.	मध्य प्रदेश	7
16.	महाराष्ट्र	4
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	0
21.	उड़ीसा	9
22.	पंजाब	8
23.	राजस्थान	2
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	7
26.	त्रिपुरा	0
27.	संघ शासित क्षेत्र	2
28.	उत्तर प्रदेश	19
29.	उत्तरांचल	6
30.	पश्चिम बंगाल	5
	जोड़	152

[हिन्दी]

टी.वी. ब्राडकास्टरों के लिए नीति

***436. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टी.वी. ब्राडकास्टरों के लिए कोई नीति है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए अलग से नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए अलग-अलग नीति बनाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) सरकार ने टी.वी. चैनलों को अपलिंक करने के लिए टेलीविजन प्रसारकों को अनुमति प्रदान करने हेतु एक नीति बनाई है। टी.वी. चैनल की अपलिंकिंग करने की इच्छुक किसी भी कंपनी के लिए भारत में कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित है। समाचार और समसामयिक विषयक टी.वी. चैनलों के लिए पात्रता मापदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि आवेदक कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) प्रदत्त इक्विटी के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; केवल उन्हीं मामलों में अनुमति प्रदान की जाएगी जहां सबसे बड़े भारतीय शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी प्रदत्त इक्विटी की कम से कम 51 प्रतिशत है; निदेशक मंडल में कम से कम 3/4 निदेशक और सभी महत्वपूर्ण कार्यपालक एवं संपादकीय स्टाफ निवासी भारतीय होगा; जहां तक संभव हो मंडल में प्रतिनिधित्व शेयरधारिता के अनुपात में होगा; तथा आवेदक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और/अथवा चैनल का प्रमुख एक निवासी भारतीय होगा। गैर समाचारिक और समसामयिक विषयक टी.वी. चैनलों हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए इक्विटी की कोई पाबंदी नहीं है।

(ग) से (ङ) विदेशी कंपनियां भारत से टी.वी. चैनल अपलिंक करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, विदेशी कंपनियों के टी.वी. चैनलों को अस्थायी रूप से अपलिंकिंग हेतु समय-समय पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। उन विदेशी कंपनियों जो अपने टी.वी. चैनलों को विदेश से अपलिंक कर रही हैं और भारत में डाउनलिंक तथा प्रसारित कर रही हैं, को डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों जो सरकार के विचाराधीन हैं, के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रेडियो सेटों की खरीद

***437. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 2005 के 'दक्कन हेराल्ड' में 'रेडियो सेट्स वर्थ करोर्स रॉट इन डिफेन्स गोडाऊन्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी द्वारा खरीदे गए हजारों रेडियो रिसीवर सेट विदेशी फर्म द्वारा घटिया किस्म के पुर्जों की आपूर्ति किए जाने के कारण बेकार हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(च) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) 1,618,800 अमरीकी डालर की कुल लागत पर 180 नग एच एफ/वी एच एफ/यू एच एफ रेडियो रिसीवरों की सप्लाई के लिए दिनांक 18.12.2001 को मैसर्स विन रेडियो कम्यूनीकेशन, आस्ट्रेलिया के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये रेडियो रिसीवर मई, 2002 में डिलीवर किए गए थे। संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण बोर्ड द्वारा निरीक्षण के स्तर पर कतिपय तकनीकी विसंगतियां/खामियां पाए जाने के कारण ये रेडियो रिसीवर अभी तक चालू नहीं हुए हैं।

संविदा के प्रावधानों के अनुसार सप्लाई किए गए उपस्करों के मूल्य का 80 प्रतिशत अर्थात् 1,295,040 अमरीकी डालर का भुगतान विक्रेता को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 79,562.50 अमरीकी डालर की निष्पादन बैंक गारंटी पहले ही भुनाई जा चुकी है। आपूर्तियों के लिए वारंटी तथा वार्षिक अनुरक्षण संविदा हेतु संविदागत प्रावधान हैं। शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 323,760 अमरीकी डालर की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

तेल-शोधन संयंत्रों की तेल शोधन क्षमता

***438. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात पर जोर देते हुए भारत की तेल शोधन क्षमता को बढ़ाने पर जोर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य योजना का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) देश की वर्तमान शोधन क्षमता 127.37 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत (2006-07) तक इस क्षमता को निम्नलिखित क्षमता संवर्धनों/विस्तारों के क्रियान्वयन द्वारा 141.70 एमएमटीपीए तक बढ़ाने की योजना है:-

क्र.सं.	तेल कंपनी का नाम	रिफाइनरी की अवस्थिति	क्षमता (मिलियन मीट्रिक टन)
1.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	मुंबई (महाराष्ट्र)	5.10
2.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी)	पानीपत (हरियाणा)	6.00
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	मुंबई (महाराष्ट्र)	2.40
4.	एचपीसीएल	विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)	0.83
	कुल		14.33

इसके अतिरिक्त, तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने निम्नलिखित चार नई रिफाइनरियों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिनका समापन कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना से और आगे तक पूरा होने की संभावना है:-

क्र.सं.	तेल कंपनी का नाम	रिफाइनरी की अवस्थिति	स्थापित क्षमता
1.	आईओसी	अभ्यचन्द्रपुर (पारादीप) (उड़ीसा)	9.0 एमएमटीपीए
2.	एचपीसीएल	भटिंडा (पंजाब)	9.0 एमएमटीपीए
3.	बीपीसीएल	बीना (मध्य प्रदेश)	6.0 एमएमटीपीए
4.	बीपीसीएल	लोहगारा (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश	7.0 एमएमटीपीए

इस तथ्य को देखते हुए कि भारत ने वर्ष 2004-05 में पेट्रोलियम उत्पादों से 28,000 करोड़ रुपए से अधिक निर्यात अर्जन के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में अपने आपको पहले ही सिद्ध कर दिया है, भारत को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक निर्यात हब के रूप में बनाने के उद्देश्य से रिफाइनरियों, विशेषकर निर्यातोन्मुखी रिफाइनरियों के लिए, भारत एक प्रमुख निवेश स्थान बनने के बारे में आईओसी से एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए कहा गया है। आईओसी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कार्य योजना तैयार की जाएगी।

भिखारियों की गणना

*439. **डा. आर. सेनथिल:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भिखारियों की संख्या के बारे में कोई गणना की है या अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में चौराहों पर बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांगते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भिखारियों को हतोत्साहित करने हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने और भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोई "भिक्षावृत्ति रोधी कानून" लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) देश में भिखारियों की संख्या के बारे में भारत सरकार के पास कोई विश्वसनीय आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में चौराहों पर बच्चे भीख मांगते हैं।

(घ) बाम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को मार्च, 1961 में दिल्ली में भी अंगीकार किया गया था। अधिनियम में भिखारियों को पकड़ने और उनको प्रमाणित संस्थाओं में निरूद्ध करने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक भिक्षा निरोधी दस्ते का गठन किया है, जिसमें भिखारियों को पकड़ने और उनको प्रमाणित संस्थाओं में निरुद्ध करने के लिए समाज कल्याण विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारी होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने मंदिरों, लाल-बत्ती चौराहों आदि जैसे भिक्षावृत्ति बहुल स्थानों पर सघन भिक्षा निरोधी अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने भिखारियों को भिक्षा देने के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान आरंभ किया है। किशोर न्याय (बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000, नामक एक केन्द्रीय अधिनियम में भिक्षावृत्ति के काम में बच्चों को लगाने या उनका दुरूपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय योजना को भी क्रियान्वित करता है। इस योजना में बेसहारा बच्चों के लिए आश्रय, पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं के लिए प्रावधान है और दुरूपयोग एवं पोषण के विरुद्ध उनके संरक्षण का प्रावधान है। 2004-05 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 44,934 बच्चों को शामिल किया गया।

(ङ) जी नहीं। बच्चों द्वारा भिक्षा मांगने सहित भिक्षावृत्ति का निवारण, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधि अधिनियमित करके किया जाना चाहिए।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना

***440. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी विश्वविद्यालय के साथ कोई समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय संबंधी समिति ने शैक्षिक उपाधियां, डिप्लोमे और क्रेडिट प्रदान करने वाली एक पूर्णत: स्वायत्त संस्था के रूप में एक भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (नई दिल्ली), रक्षा प्रबंधन संस्थान (सिकन्दराबाद), रक्षा सेवा स्टाफ कालेज (वेलिंगटन) और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (खड़कवासला) नामक मौजूदा संस्थाएं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति महाविद्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान और उन्नत प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्थान नामक नई संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की परिधि में आएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार विकलांग युवकों का प्रशिक्षण

***441. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बेरोजगार विकलांग युवक हैं;

(ख) क्या देश में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए बेरोजगार विकलांग युवकों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित हुए बेरोजगार विकलांग युवकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) देश में आज की तारीख तक बेरोजगार विकलांग युवकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) से (ङ) बेरोजगार विकलांग युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम कौशल और उद्यमीय विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक तकनीकी व्यवसायों और उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। राज्य चैनेलाइजिंग-एजेंसियों के माध्यम से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिसका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करने, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण और प्लांट ट्रेनिंग जैसी उपयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के लिए निधियों के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(3) उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने अथवा स्वरोजगार कामधंधों को आरंभ करने के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना में स्वैच्छिक संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक केन्द्र चलाने हेतु सहायता अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को जारी राज्यवार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

31.12.2003 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1		2
1.	आंध्र प्रदेश	88891
2.	अरुणाचल प्रदेश	42
3.	असम	5046
4.	बिहार	15079
5.	छत्तीसगढ़	9583
6.	दिल्ली	7638
7.	गोवा	822
8.	गुजरात	21058
9.	हरियाणा	12768
10.	हिमाचल प्रदेश	10432
11.	जम्मू-कश्मीर	946
12.	झारखंड	7665
13.	कर्नाटक	31123
14.	केरल	43392
15.	मध्य प्रदेश	23190
16.	महाराष्ट्र	46686
17.	मणिपुर	1744
18.	मेघालय	149
19.	मिजोरम	298
20.	नागालैंड	1367
21.	उड़ीसा	10570
22.	पंजाब	10655
23.	राजस्थान	26442
24.	तमिलनाडु	70868
25.	त्रिपुरा	2032
26.	उत्तरांचल	3721
27.	उत्तर प्रदेश	26785
28.	पश्चिम बंगाल	69231
29.	अंडमान व निकोबार	580
30.	चंडीगढ़	1122
31.	दादर व नगर हवेली	40
32.	दमन व दीव	114
33.	लक्षद्वीप	88
34.	पांडिचेरी	1658
	कुल	551825

कुल 1. यह आवश्यक नहीं कि सभी पंजीकृत विकलांग बेरोजगार हों।

2. यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार विकलांग व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हों।

विवरण II

विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि आबंटन

क्र.सं.	संघ/राज्य क्षेत्र	वीआरसी स्थान	योजना या गैर-योजना	बजट आबंटन (रुपए)		
				2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	गैर-योजना	7700	5759	6059
2.	असम	गुवाहाटी	गैर-योजना	3409	2971	3356
3.	बिहार	पटना	योजना	2575	2375	2797
4.	दिल्ली	दिल्ली	गैर-योजना	3570	3860	7635
5.	गुजरात	अहमदाबाद	गैर-योजना	5985	5292	5917
6.	गुजरात	वडोदरा	योजना	2108	2224	2694
7.	कर्नाटक	बैंगलूर	गैर-योजना	5502	4704	5785
8.	केरल	त्रिवेंद्रम	गैर-योजना	6640	5252	6055
9.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	गैर-योजना	3999	3114	3934
10.	महाराष्ट्र	मुम्बई	गैर-योजना	7755	6290	7481
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	गैर-योजना	3809	2802	3537
12.	पंजाब	लुधियाना	गैर-योजना	3505	3364	4143
13.	राजस्थान	जयपुर	गैर-योजना	3355	2932	3047
14.	तमिलनाडु	चेन्नै	गैर-योजना	5625	5078	6742
15.	त्रिपुरा	अगरतला	योजना	2115	2165	2000
16.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	गैर-योजना/योजना	4540	4487	5224
17.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गैर-योजना	4008	3991	5106

विवरण III

विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों से लाभान्वित विकलांग व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्वासित उम्मीदवारों की संख्या			
	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	874	1614	1649	1403
असम	401	136	451	892

1	2	3	4	5
बिहार	531	432	44	421
दिल्ली	408	437	402	355
गुजरात	869	928	920	1152
कर्नाटक	572	517	579	590
केरल	616	568	686	572
मध्य प्रदेश	553	584	508	428
महाराष्ट्र	656	952	950	897
उड़ीसा	643	373	635	737
पंजाब	317	272	246	306
राजस्थान	395	384	370	326
तमिलनाडु	642	664	692	1005
त्रिपुरा	174	172	161	185
उत्तर प्रदेश	1037	649	578	634
पश्चिम बंगाल	424	387	497	588

विवरण IV

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की परियोजनाओं के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत सहायता अनुदान प्रदान किए गए संगठनों की संख्या और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

	संगठनों की संख्या			जारी की गई धनराशि (लाख रुपयों में)			लाभार्थियों की संख्या		
राज्य कोड	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	34	29	30	541.71	373.55	389.13	7713	3390	4357
असम	2	2	3	21.79	21.72	22.46	347	238	365
बिहार	9	8	8	87.64	116.16	92.48	1048	1613	1310
चंडीगढ़	1	1	1	2.00	2.64	3.27	107	120	117
छत्तीसगढ़	–	–	1	0.00	0.00	1.70	–	–	50
दिल्ली	11	13	9	45.21	111.05	41.17	3883	2929	401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	5	5	5	16.13	16.15	8.22	179	267	105
हरियाणा	5	5	5	21.93	29.78	29.28	264	295	287
हिमाचल प्रदेश	1	1	1	4.06	2.67	3.51	27	19	25
झारखंड	1	1	1	1.18	0.77	1.26	20	20	20
कर्नाटक	11	14	11	146.53	168.83	124.21	1466	1647	1071
केरल	19	22	24	103.67	133.96	140.73	1379	2327	1618
मध्य प्रदेश	3	5	5	4.82	11.07	12.90	284	299	411
महाराष्ट्र	7	2	4	82.08	30.36	43.29	1284	307	409
मणिपुर	4	4	5	21.13	18.34	16.92	320	296	258
मेघालय	2	2	2	23.85	22.18	15.41	223	229	81
मिजोरम	1	1	1	17.92	12.43	13.35	128	132	152
उड़ीसा	9	10	9	51.19	74.63	46.12	474	966	444
पंजाब	3	3	2	31.52	28.74	19.68	841	730	542
राजस्थान	9	10	8	49.11	47.20	52.53	763	888	804
तमिलनाडु	18	16	17	111.57	100.51	89.59	1401	898	1181
उत्तर प्रदेश	27	24	21	199.60	195.46	154.66	2249	3065	2018
उत्तरांचल	2	2	2	40.51	24.68	18.71	396	200	104
पश्चिम बंगाल	10	10	11	76.16	68.27	54.84	760	867	457
कुल	194	190	186	1701.31	1611.16	1395.44	25556	21742	16587

[हिन्दी]

अ.जा. और अ.पि.व. के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

4367. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं और इन केन्द्रों को चलाने वाली संस्थाओं के नाम क्या है; और

(ग) अब तक इन प्रशिक्षण केन्द्रों का कार्य निष्पादन क्या है और वैसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने इन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना कारोबार शुरू किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) अनूसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चलाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों यथा: (1) ध्यानराज शिक्षण प्रसारक मंडल, 9, भाग्यनगर, तालुक और जिला-नांदेड; (2) माइक्रोलीन कंप्यूटर सेंटर, 15, ओल्ड सुबेदार लेआऊट, मानेवाडा रोड, नागपुर

द्वारा संचालित अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र में दो कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र में 8 कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। इन केन्द्रों के नाम निम्नलिखित हैं:

(1) श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर-1 केन्द्र

(2) क्रांति ज्योति सावित्रिबाई महिला बहुद्देश्यीय संस्था, जलगांव-1 केन्द्र

(3) केआईबीबीटीयूएस, पूणे-1 केन्द्र

(4) बाल विकास महिला मंडल, लातूर-1 केन्द्र

(5) वांगेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, अकोला।

(ग) वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए दो कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है। ये दो केन्द्र 2003-04 की दूसरी छमाही में आरंभ किए गए और राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण रिपोर्टें भेजी नहीं गई है। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना व्यवसाय आरंभ करने वाले व्यक्तियों की संख्या का इस समय पता नहीं लगाया जा सकता है।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में, राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश के आधार पर, इन संस्थानों को सहायता अनुदान 2004-05 तक निर्मुक्त की गई है। संगठनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 87 प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय आरंभ किया है।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अ.जा. के लिए कंप्यूटर केन्द्र	अ.पि.व. के लिए कंप्यूटर केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	1
2.	असम	–	1
3.	छत्तीसगढ़	–	1
4.	जम्मू व कश्मीर	–	1
5.	कर्नाटक	–	1
6.	मध्य प्रदेश	3	2
7.	महाराष्ट्र	2	8
8.	मणिपुर	1	–
9.	उड़ीसा	3	–
10.	पंजाब	1	–
11.	तमिलनाडु	4	–
12.	उत्तर प्रदेश	3	–
13.	उत्तरांचल	–	1
	कुल	22	16

प्राचीन गोंड राजा अवधि के अवशेष

4368. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में प्राचीन गोंड राजा अवधि के अवशेष बेहतर ढंग से संरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन अवशेषों के अनुरक्षण और रखरखाव हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चंद्रपुर और गढ़चिरौली में स्थित स्मारकों के अनुरक्षण और रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई और वर्ष 2005-06 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) जी, हां। जिला चन्द्रपुर में 21 स्मारकों तथा जिला गढ़चिरौली में 9 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है जिसमें गोंडराज अवधि से संबंधित किले, मंदिर, मकबरे तथा एकाश्म शामिल हैं। इन स्मारकों की दैनंदिन देखभाल के साथ-साथ संरचनात्मक मरम्मतों, पर्यावरण

विकास तथा परिरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। स्मारकों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है तथा संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों ने चन्द्रपुर तथा गढ़चिरौली के स्मारकों पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2005-06 में आबंटित राशि का ब्यौरा नीचे दिया है:

	व्यय		आबंटन	
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
चन्द्रपुर	2,22,476	4,92,128	2,06,815	12,45,500
गढ़चिरौली	2,08,755	1,79,789	11,89,650	7,84,400

अपव्यय

4369. श्री गणेश सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 2005 (वाणिज्यिक) की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या-3 की ओर आकर्षित कराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एयरलाइन एलायड सर्विसेज लिमिटेड ने उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलंब के कारण पट्टा किराया के रूप में 45.14 लाख रुपए का अपव्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इस अपव्यय से बचने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा लीज पर लिए गए 04 एटीआर विमानों के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पाने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है कि कंपनी ने नागर विमानन महानिदेशक (डी जी सी ए) से पहले विमान का उपयुक्तता प्रणाण-पत्र भारत में उसके आगमन के 05 दिनों में ले लिया था लेकिन अन्य तीन विमानों के लिए कंपनी द्वारा क्रमश: 14 दिन, 21 दिन और 22 दिन का समय लिया गया। इस प्रकार कंपनी ने पहले विमान से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पाने के लिए गए समय से कुल 42 दिन (9+16+17) अधिक लिए तथा विमान को वाणिज्यिक प्रचालन पर लेने से पहले इस अवधि के लिए लीज किराया वहन किया।

(ग) पहला विमान जो कि 19.12.2002 को आया, दिनांक 25.12.2002 को उद्घाटन उडान के लिए प्रतिबद्ध था तथा सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा नियत तिथि तक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की सुनिश्चितता के लिए अग्रिम रूप से कार्रवाई की गई थी। इस कार्य में लगी हुई सभी एजेंसियों के विशेष प्रयासों से 5 दिनों के भीतर उपयुक्तता प्रमाण पत्र पाने के बाद, पहले विमान को आरंभिक उड़ान के प्रचालन हेतु तैयार करने में लिए गए समय को, उपुयक्तता प्रमाण-पत्र पाने हेतु अपेक्षित समय का मानक नहीं माना जा सकता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-उना रेल लाइन

4370. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-उना रेल लाइन के और विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नांगल डैम से तलवारा तक नई लाइन का कार्य शुरू किया गया है और नांगल डैम-उना-चूरारू टकराला का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। चुरूर टकराला-अम्ब अन्दौरा (11 किमी) पर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है।

(ख) उना-तलवारा खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत कार्य नहीं है।

निजी क्षेत्र में अ.जा./अ.ज.जा. के बेरोजगार युवकों को रोजगार

4371. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और प्रबंधन संस्थानों से पास होने वाले अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने और उनकी नियुक्ति हेतु उनके बायो-

डाटा को भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) के विचारार्थ भेजने की कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सीआईआई की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) निजी क्षेत्र, अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवकों की आकांक्षाओं को कहां तक पूरा कर सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए उद्योग और व्यापार संगठनों के साथ हुए राष्ट्रीय संवाद के एक भाग के रूप में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 51 आवेदकों की एक सूची जिसमें उनकी योग्यता एवं सम्पर्क पते दर्ज हैं, भारतीय उद्योग महासंघ (सी आई आई) के अपने सदस्य संगठनों में उनकी नियुक्ति पर विचार करने हेतु 31 मई, 2005 को भेज दिया गया था। भारतीय उद्योग महासंघ ने अपने दिनांक 10 जून, 2005 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने इस सूची को अपने सदस्यों में परिचालित किया है और इन आवेदनों पर विचार करने का अनुरोध किया है।

सामाजिक न्याय केन्द्र की स्थापना

4372. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने सामाजिक न्याय केन्द्र की स्थापना हेतु कोई योजना तैयार की थी और स्वीकृति हेतु उसे योजना आयोग के पास भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर योजना आयोग के क्या विचार/प्रतिक्रिया है;

(घ) मंत्रालय द्वारा उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(ङ) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्रों द्वारा सहायता और उपकरण वितरण का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए 100 जिलों में सामाजिक न्याय केन्द्र स्थापित करने की एक योजना को योजना आयोग के पास उनके "सैद्धांतिक अनुमोदन" के लिए भेजा गया था।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने सलाह दी कि इस योजना का कार्यान्वयन विद्यमान जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए और नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) के अंतर्गत राज्यों के पास उपलब्ध कर्मचारियों का उपयोग किया जाना चाहिए। चूंकि 10वीं योजना में एन पी आर पी डी कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया, इसलिए योजना आयोग द्वारा उल्लेख की गई कर्मचारियों की उपलब्धता इस उद्देश्य के लिए नहीं थी। तदनुसार, विभिन्न जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों को समुचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। सामाजिक न्याय केन्द्र योजना क्रियाशील नहीं हो सकी, क्योंकि जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र योजना का कार्यक्षेत्र, सामाजिक न्याय केन्द्रों के प्रस्तावित क्रिया-कलापों को कवर नहीं करता, इसलिए सामाजिक न्याय केन्द्रों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने हेतु डीडीआरसी स्टाफ के लिए अतिरिक्त परिलब्धियों के प्रस्ताव को वित्तीय अनुमति प्राप्त नहीं हुई।

(च) विवरण संलग्न है।

विवरण

सामाजिक न्याय केन्द्रों की स्थापना

क्र.सं.	केन्द्र	संवितरित किए गए सहायक यंत्र और उपकरण				कुल
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (जून, 2005 तक)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	डीडीआरसी, अगार		85	323	32	440
2.	डीडीआरसी, अलोट		776	285	187	1248

1	2	3	4	5	6	7
3.	डीडीआरसी, बालाघाट		229	1134	1308	2671
4.	डीडीआरसी, देवास	186	175	1027		1558
5.	डीडीआरसी, ग्वालियर	803	344	540		1687
6.	डीडीआरसी, इंदौर	482	240	100	5	827
7.	डीडीआरसी, जवाद		5	55	30	90
8.	डीडीआरसी, झाबुआ	481	391	294	164	1330
9.	डीडीआरसी, मंदसौर		28	212	39	279
10.	डीडीआरसी, राजगढ़	772	249	250	71	1342
11.	डीडीआरसी, रीवा	186	219	153	1795	2353
12.	डीडीआरसी, सागर	489	228	315	209	1241
13.	डीडीआरसी, सतना	112	14	1296	219	1641
14.	डीडीआरसी, उज्जैन	1535	1318	149	61	3063
15.	डीडीआरसी, दमोह*					
16.	डीडीआरसी, खंडवा**					
17.	डीडीआरसी, खारगांव**					

*डीडीआरसी दमोह हाल ही में क्रियाशील हुआ है।
**डीडीआरसी क्रियाशील नहीं है।

[अनुवाद]

दृष्टिहीन लोगों के लिए कायिक निधि

4373. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में दृष्टिहीन बच्चों की स्थिति बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या दृष्टिहीन लोगों के कल्याण हेतु कायिक निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं है जो यह दर्शाता हो कि देश में दृष्टिबाधित बच्चों की दशा और खराब हो रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यात्री डिब्बे/पहिया कारखाने की स्थापना

4374. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरनौत में यात्री डिब्बा कारखाना और छपरा में पहिया निर्माण कारखाने स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान इन परियोजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) हरनौत में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना और छपरा में पहिया निर्माण संयंत्र स्थापित करने का विनिश्चिय किया गया है।

(ख) 2005-06 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए निम्न प्रकार से धन उपलब्ध कराया गया है:

हरनौत	-	22.80 करोड़ रु.
छपरा	-	4.00 करोड़ रु.

(ग) मार्च 2004 में हरनौत के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने का कार्य शुरू किया गया था और जून 2008 तक इसे पूरा करने की संभावना है। छपरा में पहिया निर्माण संयंत्र पर अप्रैल 2005 में कार्य प्रारंभ हो गया था और जनवरी 2010 तक इसे पूरा करने की संभावना है।

[अनुवाद]

असम में आयुध कारखाने की स्थापना

4375. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक आयुध कारखाने की स्थापना हेतु असम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से स्थान की पहचान की गई है; और

(ग) उक्त कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक): (क) से (ग) लघु शस्त्रों के निर्माण के लिए नयी आयुध निर्माणियां स्थापित किए जाने हेतु समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। असम सरकार से भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। आयुध निर्माणियों की मौजूदा क्षमताएं सशस्त्र बलों की मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले ही पर्याप्त हैं और इसलिए एक नयी यूनिट स्थापित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं के लिए जापान से सहायता

4376. मोहम्मद शाहिद:
श्री हरिभाऊ राठौड:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वाई.जी. महाजन:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को पूरा करने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या है;

(ग) जापान सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए कुल कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा डिवीजन की रेल परियोजनाएं

4377. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में कोटा डिवीजन की कुछ रेल परियोजनाओं का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाकिया तालाब रेलवे स्टेशन परियोजना के विकास और विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2005-06 के बजट में 4.05 करोड़ रुपये की लागत पर दकनिया तालाब-अप और डाउन के लूप कार्य को शामिल किया गया था।

पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

4378. श्री रामस्वरूप कोली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसान विकास केन्द्र श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में हाल ही में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा कुल कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए गए है; और

(ख) इन राज्यों में "परिवहन" श्रेणी के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान कितने खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने विभिन्न नामों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र) खोलने की योजनाएं बनाई हैं। आईओसी के बिक्री केन्द्र को "किसान सेवा केन्द्र" कहा जाता है, आईबीपी और एचपीसीएल के बिक्री केन्द्रों को क्रमश: ग्रामीण सेवा केन्द्र और किसान विकास केन्द्र कहा जाता है। उनके ग्रामीण क्षेत्र की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना के अंतर्गत बीपीसीएल की योजना, आईओसी की योजना के समान है।

अप्रैल-जून, 2005 के दौरान तेल विपणन कंपनियों ने निम्नलिखित राज्यों में 17 ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए:

मध्य प्रदेश	–	2 नग
राजस्थान	–	8 नग
उत्तर प्रदेश	–	7 नग

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों की "परिवहन" श्रेणी नामक कोई श्रेणी नहीं है। तथापि, तेल विपणन कंपनियों के दिशानिर्देशों में "बेड़ा प्रचालकों अर्थात् वे लोग जिनके पास निश्चित मात्रा वचनबद्धताओं के साथ वाहनों का स्वामित्व है या इनकी व्यवस्था है, को खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन का प्रावधान है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बेड़ा प्रचालक श्रेणी के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों द्वारा चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार थी:

राज्य	निम्नलिखित वर्षों के दौरान चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	
	2003-04	2004-05
मध्य प्रदेश	27	62
छत्तीसगढ़	9	26
राजस्थान	5	35
बिहार	0	4
उत्तर प्रदेश	23	63

फरक्का एक्सप्रेस के परिचालन को बंद करना

4379. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भिवानी से मालदा टाउन तक चलने वाली फरक्का एक्सप्रेस की सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे इसको बंद किए जाने के विरुद्ध लोगों के असंतोष को देखते हुए फरक्का एक्सप्रेस की सेवा को पुन: बहाल करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। 3413/3414 एवं 3483/3484 मालदा टाउन-भिवानी फरक्का एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र कम करके दिल्ली कर दिया गया है। अब यह गाड़ी दिल्ली और मालदा टाउन के बीच चल रही है।

(ख) से (घ) फरक्का एक्सप्रेस के समय पर न चलने के कारण दिल्ली और भिवानी के बीच इस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। इसके अलावा, इस गाड़ी के विलंब से चलने के कारण इस गाड़ी को कई बार दिल्ली में ही टर्मिनेट करना पड़ा। बहरहाल, बदले में फरूखाबाद-दिल्ली कालिंदी एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र भिवानी तक बढ़ाया गया है। कालिंदी एक्सप्रेस भी इसी समय अनुसूची के अनुसार दिल्ली-भिवानी खंड पर चल रही है। दिल्ली-भिवानी खंड पर फरक्का एक्सप्रेस को पुन: चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां

4380. **श्री रनेन बर्मन:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में राज्यवार कितनी रसोई गैस एजेंसियां चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) दिनांक 1.7.2005 की स्थिति अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश में 9104 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रहीं थीं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ओएमसीज अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसको देखते हुए, सरकार द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, नीतिगत मामले के रूप में, ओएमसीज को अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी भावी विस्तार योजनाओं को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है।

विवरण

देश में दिनांक 1.7.2005 की स्थितिनुसार ओएमसीज के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का ब्यौरा

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	814
अरूणाचल प्रदेश	28
असम	243
बिहार	291
छत्तीसगढ़	144
दिल्ली	308
गोवा	52
गुजरात	539
हरियाणा	275
हिमाचल प्रदेश	113
जम्मू-कश्मीर	150
झारखंड	138
कर्नाटक	482
केरल	370
मध्य प्रदेश	550
महाराष्ट्र	996
मणिपुर	30
मेघालय	32
मिजोरम	25
नागालैंड	24
उड़ीसा	176
पंजाब	424
राजस्थान	433
सिक्किम	4
तमिलनाडु	627
त्रिपुरा	28
उत्तर प्रदेश	1131
उत्तरांचल	160
पश्चिम बंगाल	465
अंडमान एंड निकोबार	4
चंडीगढ़	30
दादरा और नगर हवेली	1
दमन और दीव	2
लक्षदीप	1
पांडिचेरी	14
योग	9104

छत्तीसगढ़ में बड़े शहर के अवशेष

4381. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई के दौरान छत्तीसगढ़ में एक बड़े शहर के अवशेष पाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, अभी हाल में, छत्तीसगढ़ में उत्खनन नहीं किए हैं। तथापि, बोधिसत्व नागार्जुन स्मारक संस्था व अनुसंधान केन्द्र, नागपुर ने वर्ष 1999-2001 तथा 2002-04 में तथा बाद में संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2004-05 में सिरपुर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में उत्खनन किए हैं। उत्खननों से लगभग छठीं से नौवीं शताब्दी ई. के एक विशाल शहर के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इस शहर में, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ, एक विशाल बौद्ध मठीय परिसर है जिसमें एक परमपावन मंदिर-गर्भ, सोलह खम्भों वाला एक हाल तथा दस भिक्षु-प्रकोष्ठ हैं। परिसर में कीमती नक्काशियों के साक्ष्य परिरक्षित हैं जिनमें कीर्ति-मुख चिह्न समूह के साथ-साथ बुद्ध के जीवन से दृश्य, प्रणयी युगल, वनस्पति तथा पशुओं के डिजाइन दर्शाए गए हैं।

बोर्ड आफ नेशनल ट्रस्ट की चुनाव प्रक्रिया

4382. श्री कैलाश मेघवाल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को "बोर्ड आफ नेशनल ट्रस्ट" के सदस्यों के चुनाव की जनतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड और हस्तक्षेप संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच के आदेश दिए गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) अगस्त, 2003 में हुए आटिज्म, अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के संबंध में बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के अभिभाव संगठन के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में स्वीकार कार्यकारी समिति नागपुर के सदस्य श्री अनिल जोशी के नामांकन की वैधता के बारे में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए। दोनों अभ्यावेदनों में एक संदेह व्यक्त किया गया था कि क्या स्वीकार समिति बहुविकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत थी। "स्वीकार" समिति ने स्पष्ट किया कि यह बहु विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करती रही थी। इसके अतिरिक्त, बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों को शामिल करने के लिए उन्होंने अपने संविधान में पहले ही संशोधन कर दिया था तथा उन संशोधनों को पंजीबद्ध कर लिया गया था और 16.10.2002 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। चूंकि चुनाव अधिकारी श्री जोशी के नामांकन को वैध पाया था। अत: न्यास के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया।

नागपुर विमानपत्तन पर निजी विमानों के लिए पार्किंग व्यवस्था

4383. श्री सुबोध मोहिते: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार नागपुर विमानपत्तन पर निजी विमानों की पार्किंग और रात्रि ठहराव के लिए व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी परिचालकों ने सोनेगांव विमानपत्तन पर इन सुविधाओं के लिए अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। नागपुर हवाईअड्डे पर उपलब्ध 7 पार्किंग में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रात्रि पार्किंग के लिए 3 बे आवंटित कर सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ने डेक्कन एयर को पहले ही दो बे, रात्रि पार्किंग के लिए आवंटित किया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्र

4384. श्री पुष्प जैन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आगामी वर्ष में राजस्थान में नए दूरदर्शन केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा परिचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि राजस्थान में खजुवाला में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित कर दिया गया है जिसके शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, बीकानेर में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी.डी.-1) के स्थान पर एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है जिसके वर्ष 2006-07 तक अधिष्ठापित किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

"पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम" के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी करना

4385. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों में "पुस्तक कोष" हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुस्तक कोष योजना का पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के साथ विलय कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता जारी कर दी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) आवश्यक राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्ष 2003-04 में बुक-बैंक योजना मैट्रिकोत्तर योजना में विलय कर दिया गया। विलयित योजना के तहत कर्नाटक सरकार को वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमश: 24.82 करोड़ रुपए और 26.99 करोड़ रुपए राशि की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

जुहू हैंगर में हेलिकाप्टरों का डूबना

4386. श्रीमती अर्चना नायक: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में हाल की वर्षा के दौरान जुहू हैंगर में पवन हंस के कई हेलिकाप्टर डूब गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी हां। पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड (पी एच एच एल) के जुहू हैंगर में 10 डॉफिन हेलीकाप्टर तथा एक एमआई-172 हेलीकाप्टर पानी में डूब गए थे।

इसके अतिरिक्त, एक एमआई-172 हेलीकाप्टर जो कि ओएनजीसी आयल रिग मुंबई हाई उत्तर (बी एच एन) में पार्क किया गया था, दिनांक 27.7.2005 को अग्निकांड में नष्ट हो गया था।

(ग) पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड (पी एच एच एल) द्वारा ओरियेंटल इनश्योरेंस कंपनी, जिसके पास इन संपत्तियों का बीमा था, के परामर्श से इस हानि का विवरण तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मंद बुद्धि बच्चों हेतु प्रस्ताव

4387. श्रीमती करूणा शुक्ला: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने मंद बुद्धि बच्चों के लिए कार्यरत अंकुर और इनरव्हील एजुकेशन सोसाइटी, कोर्बा को कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) राज्य सरकार

ने "मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल" परियोजना के लिए अंकुर, कोरबा को सहायता अनुदान जारी रखने की सिफारिश की थी। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए इनरव्हील एजुकेशन सोसाइटी की "दृष्टि विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल" परियोजना के नए प्रस्ताव की भी सिफारिश की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंकुर, कोरबा को निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	निर्मुक्त राशि (लाख में)
2002-03	5.70
2003-04	4.70
2004-05	5.56

(2) इनरव्हील एजुकेशन सोसाइटी, कोरबा परियोजना चलाने के लिए 2 वर्षों का अनुभव होने का न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा नहीं करती है।

[अनुवाद]

दावणगेरे में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4388. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दावणगेरे में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दावणगेरे में रेलवे स्टेशनों पर कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भुवनेश्वर विमानपत्तन का विस्तार

4389. श्री तथागत सत्पथी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर विमानपत्तन का आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को भुवनेश्वर विमानपत्तन के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु उड़ीसा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) भुवनेश्वर हवाईअड्डे का आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि, इस हवाईअड्डे का आधुनिकीरण तथा स्तरोन्नयन पहले ही चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा चुका है। प्रथम चरण में, रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा 9000 फुट तक विस्तार करने का कार्य शुरू किया गया है और मार्च, 2006 तक काम पूरा होने की संभावना है। द्वितीय चरण के लिए, अधिक विमानों के ठहरने के लिए एप्रन का विस्तार करने का एक प्रस्ताव है।

रेलगाड़ियों में इलेक्ट्रानिक स्टेथेस्कोप शुरू करना

4390. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु सुरक्षोपाय सुदृढ़ करने के लिए इलेक्ट्रानिक स्टेथेस्कोप का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नयी प्रणाली के क्या लाभ हैं; और

(ग) रेलगाड़ियों में इस नयी प्रणाली के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सावधि-जमा धनराशि

4391. श्री सुनील खां: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की भारी धनराशि अनुसूचित बैंकों में सावधि-जमा के तौर पर जमा की हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बीबीयूएनएल की विभिन्न सहायक इकाइयों को धन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं देने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक, अर्थात दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की अनुसूचित बैंकों सहित सावधि-जमा की कुल धनराशि 26.46 करोड़ रुपये थी।

(ग) से (ङ) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायिकाएं मुख्य रूप से निःशुल्क आपूर्ति मदों की कमी के कारण उत्पादन में हानि, इस्पात, बोगियों एवं काप्लरों जैसे आदानों के मूल्य में वृद्धि, वैगनों आदि के अलाभकर मूल्य आदि के कारण नकदी की समस्याओं का सामना कर रही हैं। बीबीयूएनएल अपनी सहायिकाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता समय-समय पर मुहैया कराता रहा है। हाल ही में, बीबीयूएनएल के मुख्य बैंकर ने बीबीयूएनएल कारपोरेट गारंटी पर बीबीजे को 26.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

विमानन क्षेत्र में भारतीय मूल के व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

4392. डा. राजेश मिश्रा:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू विमानन क्षेत्र में भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों को शत-प्रतिशत निवेश करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त नीतिगत निर्णय का कार्यान्वयन नहीं करने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सरकार के रूख को स्पष्ट करते हुए संबद्ध मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। मौजूदा नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारण किया गया है कि एक अनुसूचित/गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन प्रचालक परमिट केवल भारत के किसी नागरिक अथवा कम्पनी/निकाय निगम को प्रदान किया जाता है जिसके लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, शर्त है कि उस कम्पनी/निकाय निगम का पर्याप्त स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण भारतीय राष्ट्रिकों के हाथों में हो। इस प्रकार, भारतीय मूल के उन व्यक्तियों, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, को वर्तमान नियामक स्थिति की शर्तों में हवाई परिवहन सेवाओं का प्रचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(ग) सरकार को मैसर्स मैजिक एयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु उनके आवेदन के सन्दर्भ में, एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) मामले की जांच चल रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर का बोझ

4393. प्रो. एम. रामदास: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते मूल्यों का लोगों पर भार कम करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य सरकारों से बिक्री कर घटाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्रियों से अपने दिनांक 12 अगस्त/15 अक्तूबर 2004 के पत्रों और राज्य वित्त मंत्रियों की शक्तिप्रदत्त समिति के अध्यक्ष को दिनांक 10 नवंबर 2004 के पत्र के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर दरें कम करने/पिछले सहमत न्यूनतम मूल्य स्तरों पर बनाए रखने का अनुरोध किया है जिससे इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके।

संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार तेईस (23) राज्यों ने पत्र की प्राप्ति की सूचना दी है। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

उन राज्यों की सूची जिन्होंने मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के पत्र की प्राप्ति की सूचना दी है

क्र.सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	छत्तीसगढ़
5.	दिल्ली
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	जम्मू-कश्मीर
9.	झारखंड
10.	कर्नाटक
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	मणिपुर
14.	मेघालय
15.	मिजोरम
16.	नागालैंड
17.	उड़ीसा
18.	पंजाब
19.	राजस्थान
20.	सिक्किम
21.	उत्तर प्रदेश
22.	उत्तरांचल
23.	पश्चिम बंगाल

पेट्रोल पंप डीलरशिप हेतु जमाराशि

4394. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां बिक्री की मात्रा के आधार पर पेट्रोल पंप डीलरशिप देने हेतु 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की जमाराशि/जमानत ले रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी जमाराशि/जमानत पर ब्याज दिया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार किसान सेवा केन्द्र की प्रणाली को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को या तो ब्याज देने या ऐसे डीलरों को लाइसेंस शुल्क की वसूली से छूट देने के लिए निर्देश देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पंप) के लिए चयनित डीलर से, अनुमानित बिक्री मात्रा के आधार पर 50,000/- रुपए से 5 लाख रुपए की जमानती राशि एकत्रित करती हैं। यह एक जमानती राशि होती है, इसलिए इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग या उन लोगों से जो कारपस निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र है के लिए आरक्षित डीलरशिपों से कोई जमानती राशि नहीं ली जाती है।

(घ) और (ङ) "किसान सेवा केन्द्र" योजना के तहत इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड चयनित उम्मीदवार से 25,000/-रुपये की जमानती राशि एकत्रित कर रहे हैं। जैसा कि जमानती राशि ओएमसीज तथा चयनित डीलर के बीच का एक वाणिज्यिक मुद्दा है, सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है और न ही उसका इस मामले में ऐसा करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा टिकट चैकिंग

4395. श्री कैलाश बैठा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कार्मिकों द्वारा रेलगाड़ियों में यात्री टिकटों की चैकिंग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्री टिकटों की चैकिंग हेतु आरपीएफ कार्मिक अधिकृत किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो आर पी एफ कार्मिकों द्वारा उनके अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आरपीएफ कार्मिकों द्वारा टिकट चैकिंग किए जाने और यात्रियों को परेशान करने के क्या कारण हैं;

(घ) दोषी पाए गए आरपीएफ कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) आरपीएफ कार्मिकों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस प्रकार का एक मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल के दो कार्मिकों के विरुद्ध राजकीय रेलवे पुलिस, शहडोल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/392/190 के अंतर्गत मामला सं. 33/05 दर्ज किया गया है।

(ङ) क्षेत्रीय रेलों के सभी मुख्य संरक्षा आयुक्तों को इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं कि रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक टिकट जांच में शामिल न हों, ऐसा पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेनों का ठहराव

4396. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूड़की और लक्सर रेलवे स्टेशनों के औद्योगिक दृष्टि से महत्व को देखते हुए इन स्थानों पर बरौनी-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस, दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस, जम्मू-गोरखपुर-एक्सप्रेस और टाटा-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के ठहराव का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) 5209/5210 बरौनी-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस, 5211/5212 दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस, 2587/2588 जम्मू-गोरखपुर अमरनाथ एक्सप्रेस और 8103/8104 टाटा-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस पहले से ही लक्सर रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। इसके अतिरिक्त, 2587/2588 जम्मू-गोरखपुर अमरनाथ एक्सप्रेस रूड़की रेलवे स्टेशन पर भी रुकती है। 5209/5210 बरौनी-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस, 5211/5212 दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस और 8103/8104 टाटा-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को रूड़की रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने के लिए जांच की गई है परंतु परिचालनिक तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

पौड़ी और गोपेश्वर से प्रसारण का समय

4397. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में पौड़ी और गोपेश्वर के आकाशवाणी केन्द्रों से कार्यक्रमों का दैनिक प्रसारण कितनी अवधि तक होता है;

(ख) क्या गोपेश्वर केन्द्र मात्र रिले केन्द्र के रूप में काम कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसका उन्नयन प्रसारण केन्द्र के रूप में किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके कब तक भरे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी, पौड़ी से दैनिक प्रसारण का समय सांय 4.55 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक आकाशवाणी, गोपेश्वर से सांय 5.45 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि भर्ती संबंधी कठिनाईयों के कारण इस समय आकाशवाणी, गोपेश्वर का एक उद्भावक (प्रारंभ) केन्द्र के रूप में उन्नयन करने अथवा रिक्त पदों को भरने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जमीन खाली कराना

4398. श्री अधीर चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियां पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद रेलवे की जमीन पर अपना पेट्रोल पंप चला रही है और जमीन खाली नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे उन्हें पुन: पट्टे पर जमीन देगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनसे जमीन खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भद्रक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड

4399. श्री अर्जुन सेठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा कि:

उद्देश्य (क) क्या उड़ीसा में भद्रक रेलवे स्टेशन पर माल ढुलाई की ...टफार्म शेड नहीं है जिसमें बारिश के दिनों में शीघ्र नष्ट (...ली वस्तुओं की चढ़ाई उतराई में काफी कठिनाइयों का ...ा करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेलवे स्टेशन पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए विभिन्न पक्षों से रेलवे को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी हां। संबंधित मंडल में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) अन्य मांगों के अलावा गुड्स शेड पर प्लेटफार्म सायबान मुहैया कराने के लिए राजस्व मंत्रालय, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय, उड़ीसा सरकार द्वारा अग्रेषित स्थानीय जनता से दिनांक 28.9.2004 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। शेड के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को वर्ष 2006-07 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।

पेट्रो उत्पादों की डीलरशिप

4400. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आबंटन हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशानिर्देशों में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) अगस्त 2003 में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को सरकार द्वारा कतिपय बोर्ड प्रचालों पर दिए गए सुझाव के आधार पर देश में व्यवहार्य स्थानों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के चयन के लिए उन्होंने अपने दिशानिर्देश बनाए हैं और वे इन दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार चयन कर रहे हैं। इन दिशानिर्देशों में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने में ओएमसी द्वारा अपनाई जाने वाली एक विस्तृत कार्यप्रक्रिया का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में कतिपय निर्धारित प्रचालों के प्रति अभ्यर्थी की उपयुक्तता के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित ओएमसी की चयन समिति द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन शामिल है। आगे इन दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण का प्रावधान है और डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन से संबंधित शिकायत का निवारण ओएमसीज द्वारा इस व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

बाद में जुलाई 2004 में सरकार ने चयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ओएमसीज को कतिपय निर्देश जारी किए। फरवरी 2005 में सरकार ने ओएमसीज को फिर सुझाव दिया कि वह डीलरशिप की स्थापना के लिए भूमि मालिकों से भूमि के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु कार्यविधि में संशोधन करें।

[हिन्दी]

हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल मार्ग

4401. श्री रामकृपाल यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाजीपुर-वैशाली-सुगौली नए रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नए रेल मार्ग पर रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय आने की संभावना है; और

(ङ) इस रेल मार्ग पर निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने तथा इसके चालू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

(घ) परियोजना पर 324.66 करोड़ रु. खर्च होने की संभावना है।

(ङ) लाइन के पूरा और चालू होने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

लेखन सामग्री की खरीद

4402. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री 2 दिसम्बर, 2004 और 24 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 432, 3396 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। सूचना इकट्ठी की जा चुकी है। बहरहाल, यह संकलित की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में आंकड़ों को इकट्ठा और संकलन करना है, इसलिए आश्वासन को पूरा करने के लिए और समय लगेगा।

रामनिवास मिर्धा समिति

4403. श्री सीता राम यादव:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऐतिहासिक संस्मारकों को तोड़-फोड़ की घटनाओं से बचाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने हेतु 1983 में गठित रामनिवास मिर्धा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1984 में सौंप दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। भारत के ऐतिहासिक स्मारकों को परिरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों तथ एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में व्यावसायिक अध्य के लिए वर्ष 1983 में राम निवास मिर्धा समिति बनाई थी, वर्ष 1984 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

समिति ने लगभग 81 सिफारिशें की हैं जिसमें ऐलान स्मारकों तथा स्थल संग्रहालयों को चोरी तथा तोड़-फोड़ से प करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

"कतिपय महत्वपूर्ण स्मारकों पर चौबीसों घंटे निगरानी रख के लिए स्मारक परिचरों की वर्तमान 2700 की संख्या को कम से कम 9,000 तक बढ़ाने की आवश्यकता है।"

स्मारकों तथा साथ ही पुरातात्विक संग्रहालयों की सुरक्षा को देखने के लिए सुरक्षा बल को समुचित रूप से संगठित किया जाना चाहिए। संग्रहालयों तथा मूर्तियों, खजुराहो जैसे मूर्तियों से भरपूर स्मारकों, या ऐसे स्मारकों, जहां मूर्ति शेड विद्यमान हैं, के लिए सशस्त्र गार्डों का उचित प्रावधान होना चाहिए; कोई भी स्म परिचरों की पर्याप्त व्यवस्था के बिना, नहीं होना चाहिए।

"इस बल को तैयार करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सीमा सुरक्षा बल आदि जैसे संगठनों से दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं।"

(ग) योजना आयोग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, स्मारक परिचरों के 5000 पदों के सृजन के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी। बल्कि, आयोग ने निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव दिया:

(1) निजी एजेंसियों को कार्य में लगाना।

(2) स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, निगम तथा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना।

(3) समुदाय तथा संबद्ध परिवारों को कार्य में लगाना।

योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल तथा लालकिला की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपते हुए तथा चुनिंदा स्मारकों तथा संग्रहालयों पर निजी सुरक्षा कार्मिकों, राज्य पुलिस तथा होम गार्डों को तैनात करते हुए सुरक्षा सेवाओं की प्रतिपूर्ति की है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर

4404. श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उद्योग में विकास के एकमात्र मुख्य उद्देश्य से 1974 में पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इससे अब तक कितनी राशि जमा हुई है;

(ग) पेट्रोलियम उद्योग के विकास के लिए विशेषत: उसमें आज की तिथि तक जमा हुई राशि का कितना प्रतिशत व्यय किया गया है; और

(घ) सरकार शेष राशि का इस्तेमाल कैसे कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) कच्चे तेल पर उपकर, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 के तहत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(ट) के तहत यथा परिभाषित तेल उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, 1974 में लागू किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खनिज तेल का उत्पादन, परिशोधन, सभी उत्पादों का विपणन, किसी तेल रिफाइनरी का डाऊनस्ट्रीम, उर्वरकों और पेट्रोरसायनों का उत्पादन और प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: तत्संबंधी सभी क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ख) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार सरकार ने लगभग 55,967 करोड़ रुपये की निवल उपकर धनराशि का संग्रह किया है।

(ग) और (घ) कच्चे तेल पर उपकर का उपयोग तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 2 (ट) के उपबंधों द्वारा शासित होता है। "तेल उद्योग" शब्दों में उर्वरक और पेट्रोरसायन इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए शामिल हैं। तेल उद्योग पर अब तक किया गया व्यय उपकर संग्रह से अधिक है। आज तक तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा असम क्षेत्र में तेल उद्योग के विकास के लिए तेल क्षेत्र के सा.क्षे. उपक्रमों/अन्य संगठनों को लगभग 3250 करोड़ रुपये ऋण के तौर पर और 11 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर जारी किए गए हैं।

मच्छरदानियों की खरीद

4405. श्री रघुनाथ झा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 2001-02 और उसके बाद वायु सेना और नौ सेना द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अधिक मूल्य पर मच्छरदानियों और वर्दियों की खरीद के कारण सरकार को वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राजकोष को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या नियमों और प्रक्रियाओं जिसमें सार्वजनिक निविदा की बात कही गयी है उसके उल्लंघन तथा सीवीसी के दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से खरीद की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो राजकोष को परिहार्य वित्तीय घाटा कराने तथा सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) भारतीय वायुसेना द्वारा मच्छरदानियों की खरीद तथा नौसेना द्वारा वर्दियों के कपड़े की खरीद को, 31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (2005 की सं. 7) (वायुसेना तथा नौसेना) में लेखा परीक्षा पैराओं के रूप में शामिल किया गया है।

नौसेना ने रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कभी भी मच्छरदानियों की खरीद नहीं की।

भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2001 से, सरकारी आर्डरों के अनुसार, पंजीकृत विक्रेताओं से, प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के जरिए ट्रेड के माध्यम से वर्दी के कपड़े की खरीद की है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों की सुरक्षा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति

4406. डा. राम लखन सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को विमानपत्तनों की सुरक्षा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार को कुल कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की जानी है; और

(ग) राज्य सरकार को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति कब तक की जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) अभी तक, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का कोई भी बिल भुगतान हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय पाण्डुलिपियां

4407. श्री के.एस. राव: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय पाण्डुलिपियों का पता लगाने और उन्हें संरक्षित रखने हेतु कोई विशेष अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रलेखन हेतु पाण्डुलिपियां देने वाले मालिकों को कुछ वित्तीय पारितोषिक देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन की स्थापना भारतीय पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण करने के लिए की थी। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए मिशन पूरे देश की 77 प्रसिद्ध संस्थाओं के साथ जुड़ गया है। मिशन ने पाण्डुलिपियों के संरक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख संस्थाओं में संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। मिशन ने एक सर्वेक्षण किया और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली स्थित 37,000 आगारों में 6.5 लाख पाण्डुलिपियों का पता लगाया। गुजरात, जम्मू और कश्मीर, असम, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश आदि राज्यों में इसी प्रकार के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। यह पाण्डुलिपियों के संबंध में इलैक्ट्रानिक डाटाबेस भी तैयार कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दामोदर रेल परियोजना

4408. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर रेल संबंधी परियोजना का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस परियोजना पर अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांकुरा दामोदर नदी (बी डी आर) रेलवे आमान परिवर्तन परियोजना का कार्य संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है। बांकुरा से सोनामुखी तक आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के शेष हिस्से पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) संपूर्ण परियोजना के पूरा होने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति लेना

4409. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री खारवेल स्वाईं:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वायु सेना के पायलट बेहतर वेतन और परिलब्धियां देने वाली निजी एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी करने हेतु समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कितने पायलट समय से पूर्व सेवा निवृत्ति ले चुके हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पायलटों के अन्यत्र नौकरी करने हेतु जाने को रोकने के लिए नियमों और सेवा शर्तों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ)_वर्ष 2002 से 2004 के दौरान भारतीय वायुसेना से समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले पायलटों की संख्या 236 है। वर्ष 2005 (31 जुलाई, 2005 तक) के दौरान 42 पायलटों ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति ली है। सेवा से मुक्त किए गए अधिकांश पायलटों ने पायलट के रूप में अपने उपयोगी कार्यकाल को पहले ही पूरा कर लिया है। इन पायलटों के जाने से स्क्वाड्रनों की संक्रियात्मक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पायलटों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति/पद त्यागने संबंधी अनुरोधों को स्वीकार किए जाने के प्रयोजनार्थ सरकारी अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाता है। भारतीय वायुसेना के पायलटों तथा वाणिज्यिक एयरलाइनों के पायलटों के जाब प्रोफाइल तथा जाब अपेक्षाएं भिन्न-भिन्न हैं और उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। जाब विशिष्ट अपेक्षाओं तथा संक्रियात्मक आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए भारतीय वायुसेना के पायलटों के जाब प्रोफाइल में सुधार करना एक सतत् क्रिया है।

तत्काल आरक्षण योजना में भ्रष्टाचार

4410. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सांठगांठ होने और भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद लोगों को तत्काल आरक्षण योजना के अंतर्गत टिकटें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जाती है; और

(घ) रेलवे द्वारा तत्काल आरक्षण योजना में कदाचार को रोकने हेतु क्या कठोर उपाय किए गए/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) 'तत्काल आरक्षण योजना' प्रत्येक सदाशयी यात्री के लिए सभी काउन्टरों पर उपलब्ध है। जब कभी, शिकायत प्राप्त होती है तो जांच की जाती है एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, ऐसी शिकायतों के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) तत्काल आरक्षण योजना सहित आरक्षण के कार्य में भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त कर्मचारियों का पता लगाने के लिए समय-समय पर निवारक और औचक जांच की जाती है।

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिकों की भर्ती

4411. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भर्ती और मूल्यांकन केन्द्र, नई दिल्ली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) हेतु वैज्ञानिकों की भर्ती करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भर्ती में निष्पक्षता बनाए रखने हेतु डी आर डी ओ में वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया का काम संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। सरकार ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिकों के लिए भर्ती एजेंसी के रूप में भर्ती और मूल्यांकन केन्द्र (आर ए सी), नई दिल्ली को मंजूरी प्रदान की है। महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा

विकास संगठन की, वैज्ञानिकों की भर्ती में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की तरह भर्ती और मूल्यांकन केन्द्र का एक स्वतंत्र अध्यक्ष है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भर्ती और मूल्यांकन केन्द्र ने विशेष रूप से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, वस्तुनिष्ठ तथा शीघ्रतापूर्वक चयन सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों तथा प्रणालियों को अपनाया है।

नि:शक्तता पेंशन में संशोधन

4412. श्री सुरेश कुरुप: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की बाबत निशक्तता पेंशन की दरों में संशोधन करने के लिए आदेश जारी किए गए थे। शतप्रतिशत निशक्तता के लिए निशक्तता पेंशन के निशक्तता अंश की संशोधित दरों का ब्यौरा इस प्रकार है:

कमीशनप्राप्त अफसर	2600/- रुपए प्रतिमाह
जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर	1900/- रुपए प्रतिमाह
अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक	1550/- रुपए प्रतिमाह

यह संशोधन पेंशन मंजूरी दाता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी कर दिया गया है।

(ग) उपुर्यक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

4413. श्री गिरिधारी यादव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री काशीराम राणा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेडिकल और डेंटल कालेजों सहित शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) को आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इसे कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अधीन शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

एम.एस.टी. योजना में परिवर्तन

4414. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपनी मासिक किराया टिकट योजना (एम.एस.टी.) में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एम.एस.टी. योजना में क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) एम.एस.टी. योजना में संशोधनों को कब से प्रभावी किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र/एलपीजी एजेंसियां खोलना

4415. श्री सुव्रत बोस:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नए पेट्रोल/डीजल/सीएनजी बिक्री केन्द्र/एलपीजी एजेंसियां खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए गए स्थानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त स्थानों पर पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र/एलपीजी एजेंसियां कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों ने वर्ष के दौरान इन राज्यों में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र) (आरओ) और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (एलपीजी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य	वर्ष 2005-06 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरों की सं.	
	आरओ	एलपीजी
पश्चिम बंगाल	396	45
तमिलनाडु	432	69

ओएमसी द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के स्थलवार ब्यौरे के साथ इन डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का स्थल-वार ब्यौरा संबंधित ओएमसी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

(घ) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने के लिए समय-सीमा बता पाना संभव नहीं होगा क्योंकि इस कार्य को करने में विभिन्न कदम शामिल हैं जैसे आवेदन और दस्तावेजों की छंटाई, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित करना, योग्यता सूची जारी करना, चुने गए अभ्यर्थियों के संबंध में क्षेत्र की जांच, भूमि की प्राप्ति/सांविधिक अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करना, निर्माण, इत्यादि।

पद्मानाभापुरम पैलेस का वैज्ञानिक संरक्षण

4416. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरुवनंतपुरम में पद्मानाभापुरम पैलेस का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, नहीं। पैलेस के संरक्षण के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव, प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभापुरम पैलेस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। इस स्मारक का परिरक्षण, पुरातत्व विभाग, केरल सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनों और स्टेशनों का निर्माण

4417. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री अजीत जोगी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई रेल लाइनों और स्टेशन के निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्तावों, जिन्हें अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है; का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) नई रेल परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त प्रत्येक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए नए प्रस्तावों संबंधी कुछ मांगें महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सेऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त मांगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना	टिप्पणी
1	2	3
1.	यवतमाल-मूर्तिजापुर-अचलपुर (आमान परिवर्तन))	अचलपुर-मूर्तिजापुर-यवतमाल, पुलगांव-अरवी (225 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है।
2.	पुणे-मिरज-कोल्हापुर (दोहरीकरण)	पुणे-मिरज-कोल्हापुर के दोहरीकरण (326 कि.मी.) के लिए अद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
3.	सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद (नई लाइन)	तुलजापुर के रास्ते सोलापुर से उस्मानाबाद तक (60 कि.मी.) नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
4.	मुदखेड-निजामाबाद (दोहरीकरण)	इस लाइन के दोहरीकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, मुदखेड-निजामाबाद का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है।
5.	राजूरा के रास्ते आदिलाबाद से गढ़चिरोली (190 कि.मी.) नई लाइन	(5) से (16): प्रस्तावित लाइनों की लंबाई लगभग 1500 कि.मी. होगी जिसकी लागत 5000 करोड़ रु. से कम नहीं है। चालू परियोजनाओं का भारी ओफारवर्ड हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 46,000 करोड़ रु. से भी अधिक राशि की आवश्यकता है। संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और ऐसी स्थिति में, किसी नई परियोजना को शुरू करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं होगा।
6.	पंढारपुर-लोनाड (145 कि.मी.) नई लाइन लाइन	
7.	गुहागर (चिपलुन) लोनाड (105 कि.मी.) नई लाइन	
8.	बोधन से दिगलूर (135 कि.मी.) नई लाइन	
9.	जालना से वाशिम (155 कि.मी.) नई लाइन	
10.	शेगांव से जालना (110 कि.मी.) नई लाइन	
11.	उदगीर-बोधन-देगलूर (100 कि.मी.) नई लाइन	
12.	बोधन-बिलोली-नरसी-मुदखेड-शिरूर-ताजबंद-लातूर रोड (135 कि.मी.) नई लाइन	
13.	नांदेड-लोहा-गंगाखेड (65 कि.मी.) नई लाइन	
14.	लोहा-अहमदपुर-चाकुर-लातूर रोड (165 कि.मी.) नई लाइन	
15.	लोहा-कंढार-मुदखेड (90 कि.मी.) नई लाइन	
16.	धर्माबाद-बिलोली-दिगलूर (65 कि.मी.) नई लाइन	

1	2	3
17.	मुदखेड-काचीगुडा	मुदखेड काचीगुडा खंड पर, मुतखेड-सिकंदारबाद का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है। अब कांचीकुडा से मुदखेड तक बड़ी लाइन उपलब्ध है।
18.	जलगांव-उधना दोहरीकरण (295 कि.मी.)	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
19.	वर्धा-यवतमाल-नांदेड-पुसाउ-नांदेड नई लाइन (260 कि.मी.)	अद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।
20.	दहानु-नासिक नई लाइन (168 कि.मी.)	(20) से (26): सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
21.	पचोरा-जामनेर आमान परिवर्तन (104 कि.मी.)	संसाधनों की तंगी और चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
22.	नंदगांव के रास्ते कोल्हापुर के लिए कोंकण रेल संपर्क (211 कि.मी.)	
23.	पुणे-नगर-नासिक नई लाइन (266 कि.मी.)	
24.	पूर्णा-खंडवा आमान परिवर्तन	
25.	मनमाड-धूले-शिरपुर-इंदौर एवं मनमाड-सिलोद नई लाइन	
26.	पनवेल-पेन-रोहा (76 कि.मी. दोहरीकरण)	

[अनुवाद]

सिकंदराबाद से निजामाबाद तक आमान परिवर्तन

4418. श्री ए. साई प्रताप: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिकंदराबाद से निजामाबाद तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज तक परियोजना पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सिकंदराबाद-मुदखेद और जनकमपेट-बोधन आमान परिवर्तन का कार्य परियोजना का एक हिस्सा है। मुदखेद-निजामाबाद-बोलारम और जनकमपेट-बोधन खंड पूरे हो गए हैं और चालू कर दिए हैं। 31.3.2005 तक परियोजना पर 283.77 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं। 2005-06 के दौरान शेष खंड को पूरा करने का लक्ष्य है।

टर्मिनलों का निर्माण

4419. श्री एस. अजय कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार तिरुवनंतपुरम्, कोचीन और कोझीकोड विमानपत्तनों पर नए टर्मिनलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का

केवल तिरुवनंतपुरम, हवाईअड्डे पर एक नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। कालीकट (कोझीकोड) के मौजूदा टर्मिनल भवन को एक समय में 1000 यात्रियों को संभालने के लिए विस्तृत करने तथा उसमें सुधार करने का प्रस्ताव है। कोचीन हवाईअड्डा, जो एक निजी हवाईअड्डा है, के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तिरूवनंतपुरम, हवाईअड्डे पर एक नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण के प्रस्ताव को इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित किया जाना होगा। कोझीकोड हवाईअड्डे की स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के विस्तार तथा सुधार का कार्य जून, 2006 तक समाप्त किए जाने की संभावना है।

बी.एच.ई.एल. को ठेका

4420. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को दो विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन से 2120 करोड़ रुपये का ठेका मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन और भूपालापल्ली थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन (एपीजेनका) से कुल 2120 करोड़ रुपये मूल्य के 500-500 मेगावाट के दो ठेके मिले हैं।

(ग) उपरोक्त दोनों परियोजनाओं को चालू करने की समय अनुसूची निम्नानुसार है:

	विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन (500 मेगावाट)	भूपालपल्ली थर्मल पावर स्टेशन (500 मेगावाट)
तुल्यकालन	36 माह	38 माह
परीक्षण प्रचालन	39 माह	41 माह

[हिन्दी]

गणपुर में रेल हाल्ट स्टेशन का निर्माण

4421. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने निजामाबाद और मनमाड के बीच गणपुर में रेल हाल्ट स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त हाल्ट के निर्माण हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना पर काम कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) निजामाबाद और मनमाड के बीच गणपुर में हाल्ट स्टेशन खोलने के संबंध में प्रस्ताव की जांच की गई है और उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिलासपुर और जगदलपुर से विमान सेवा

4422. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर तक विमान सेवा शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस समय निजी अनुसूचित आपरेटर सहित कोई भी अनुसूचित आपरेटर बिलासपुर और जगदलपुर के लिए/से कोई विमान सेवा का प्रचालन नहीं कर रहा है। तथापि, निम्नलिखित अनुसूचित विमान सेवाएं रायपुर के लिए/से उपलब्ध हैं:

नाम	सेक्टर	उड़ानें/सप्ताह
इंडियन एयरलाइंस	मुम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-मुम्बई	दैनिक
	दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली	3
एलाइंस एयर	दिल्ली-रायपुर-विजाग-चेन्नई और वापसी	4
जेट एयरवेज	मुम्बई-रायपुर-मुम्बई	दैनिक

देश में विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखकर, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार ने मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। इस प्रकार एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, देश में किन्हीं भी स्थानों पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि

4423. मोहम्मद शाहिद:
श्री नरेंद्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सुधार के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि अर्जित की गई है;

(ग) क्या इस वर्ष के अंत तक इस धनराशि में वृद्धि के बारे में कोई आकलन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस अतिरिक्त धनराशि का उपयोग अधूरी रेल परियोजनाओं को पूरा करने हेतु खर्च करने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो लंबित रेल परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है; और

(च) लंबित परियोजनाओं में से पहले पूरी की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जून, 2005 के अंत तक, रेलों ने यातायात आमदनी के रूप में 12,853 करोड़ रु. कमाए हैं, जो आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में 700 करोड़ रु. अधिक हैं। बहरहाल, खर्च में भी वृद्धि हुई है। अत: सरप्लस आदि का आकलन चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध हो जाने की संभावना है तथा इसका संभावित उपयोग संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देते समय उपलब्ध हो जाएगा, जिसके बारे में बजट प्रलेखों के माध्यम से संसद को सूचित कर दिया जाएगा।

(ङ) 1.4.2005 को, नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजना की 240 चालू परियोजनाएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए लगभग 47000 करोड़ रु. से अधिक की आवश्यकता है।

(च) परियोजनाओं के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 2005-06 के दौरान, पूरा किए जाने वाली लक्षित परियोजनाओं/खंडों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि

रेलवे	लक्षित खंड
1	2
नई लाइन	
पूर्व मध्य	नेकपुर-राजगीर के नटेसर-तिलैया
पूर्व मध्य	आरा-सासाराम के संजौली-पीरो
पूर्व	देवगढ़-सुल्तानगंज के बांका-बरहट
पश्चिम	गांधीनगर-कलोल
उत्तर	चंडीगढ़-मोरिन्डा
उत्तर पश्चिम	कोलायत-फलोदी (सैन्य कोष)
आमान परिवर्तन	
दक्षिण मध्य	सिंकदराबाद-बोलाराम
पूर्व मध्य	समस्तीपुर-खगड़िया, खगड़िया-मानसी
पूर्वोत्तर सीमा	बरसोई-राधिकापुर
उत्तर पश्चिम	दिल्ली-रेवाड़ी
पश्चिम	गांधीधाम-पालनपुर के पालनपुर-समखैली
दक्षिण पश्चिम	सकलेशपुर-सुब्रह्मण्या रोड
दक्षिण	त्रिचि-मनामादुरई कोलन-पुनालूर और वृद्धाचलम-आतूर के पुडुकोटाई, कुंभकोणम-मईलादुथुरई, मनामादुरई-मंदापम-त्रिचि
पूर्वोत्तर	कानपुर कासगंज-मथुरा के कानपुर-अनवरगंज-फरूखाबाद

1	2
दोहरीकरण	
दक्षिण मध्य	हजारी-बेल्लारी
पूर्व मध्य	छपरा-हाजीपुर
दक्षिण मध्य	कोरबा-गेवरा रोड
दक्षिण पश्चिम	बंगलोर-केंगेरी-बिदादी, तोरनगल्लू-हासपेट और यशवंतपुर-गोल्लाहली
दक्षिण	पल्लीपुरम-शोरनुर
पश्चिम	कालापिपतल-फन्डा के फन्डा-पंचावन-सेहोर
मध्य	दीवा-कल्याण और पनवेल-जेएनपीटी
पूर्व तट	कटक-रघुनाथपुर और संबलपुर-सासोन के केसिनगा-तितलागढ़, खुरदा रोड-डेलंग-बैलेन्स
उत्तर	सूचीपिंड-भोगपुर, भोगपुर-तन्दा, मिरथल-चक्कीबैंक और जम्मूतवी-विजयपुर जम्मू
दक्षिण	कोल्वकूपेट-इन्नौर
उत्तर मध्य	चिओनकी-लोहगारा
उत्तर	जाफराबाद-उतरतिया और उतरतिया-चंद्रौली, सुल्तानपुर-भदुन कलां
पूर्व	दियारा-सिंगुर, चंपाहाटी-घुटीयारीशरीफ, बंडेल-बंसबेरिया
पूर्वोत्तर सीमा	हरिश्चन्द्रपुर-कुमारगंज, कुमारगंज-इकलाखी
दक्षिण पूर्व	रघुनाथबरी-राजगोडा
रेल विद्युतीकरण	
दक्षिण मध्य	निजामाबाद-मुरादाबाद
दक्षिण	पारादुर-त्रिवेन्द्रम
पूर्व तट	तलचर-अंगुल
दक्षिण मध्य	तिरूपति-पकाला-काडपडी
पूर्व	कृष्णानगर-बहरामपुर
पूर्व तट	

[अनुवाद]

तुमकूर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय का निर्माण

4424. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुमकूर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। तुमकूर स्टेशन पर पुरुष और महिला प्रतीक्षालय पहले से ही मौजूदा हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिग 29 का संयुक्त उत्पादन

4425. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस मिग-29 का संयुक्त रूप से उत्पादन करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) रूस ने भारत में मिग-29 एम/एम 2 लड़ाकू विमान के लाइसेंसशुदा उत्पादन के लिए अपने इरादे की सूचना दी है।

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशों से पायलट किराये पर लिया जाना

4426. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाईंस अपनी सेवाओं को चलाने के लिए अमरीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों से पायलट किराये पर लेने का प्रयास कर रहा है, जैसाकि दिनांक

1 अगस्त, 2005 के द टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस रिक्त पदों को भरने के अपने प्रयासों में कितना सफल रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी कूरियर कंपनियों द्वारा कारगो सेवाओं का उपयोग

4427. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कूरियर कंपनियां एयरलाइंस कारगो सेवा का उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 निजी कूरियर कंपनियों को एयरलाइंस की कारगो सेवा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करता; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के खण्ड 5 में यात्रियों अथवा माल के समान वाहकों तथा उनके नौकरों अथवा एजेंटों के लिए (उनकी गाड़ियों अथवा वाहनों में रखे माल से संबंध रखने वाले विशुद्ध रूप से पत्रों से संबंधित मामलों को छोड़कर), निविदा एकत्रित करना, लाना-ले-जाना अथवा पत्रों को वितरित करना अथवा उन्हें लाने-ले-जाने अथवा वितरित करने के प्रयोजनार्थ पत्रों को प्राप्त करना स्पष्ट रूप से वर्जित है, यद्यपि उन्हें ऐसा करने के लिए कोई भाड़ा, पारितोषिक अथवा कोई अन्य लाभ अथवा सुलाभ/सुविधा प्राप्त नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

विज्ञापनों के लिए समाचारपत्रों का चयन

4428. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा विज्ञापनों को प्रकाशित कराने के लिए, समाचार पत्रों के चयन में पक्षपात संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अभी तक ऐसी कितनी शिकायतें हुई हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) को हाल ही में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचारपत्रों का चयन करने में पक्षपात करने संबंधी कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, विभिन्न समाचारपत्रों/पत्रिकाओं से और अधिक सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। डी.ए.वी.पी. के प्रिंट मीडिया के विज्ञापन संबंधी क्रियाकलाप, भारत सरकार की विज्ञापन नीति तथा समाचारपत्रों को डी.ए.वी.पी. के पैनल में शामिल करने संबंधी दिशा-निर्देशों से अभिशासित होते हैं।

ग्राहक की आवश्यकताओं, बजट, लक्षित पाठकों आदि को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निर्देशों के अनुसार डी.ए.वी.पी. द्वारा समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ओएनजीसी और गेल में भारतीय तेल निगम की हिस्सेदारी

4429. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने साकरार से तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और गेल (इंडिया) लिमिटेड में अपने हिस्से को बेचने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां, आईओसी ने ओएनजीसी और गेल में अपने इक्विटी शेयरों का निपटान करने के लिए सरकार से अनुमोदन मांगा है।

(ख) 1999-2000 के दौरान ओएनजीसी और गेल के इक्विटी शेयरों में आईओसी द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कंपनी	शेयरों की संख्या	धारिता प्रतिशत	मूल्य/शेयर (रुपए)	धन राशि रुपए/करोड़
ओएनजीसी	13,70,67,381	9.60%	162.34	2225
गेल	4,08,39,549	4.83%	60.00	245
योग				2470

(ग) वर्तमान में इन तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की परस्पर धारिता का निपटान करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

मछुआरों को मुआवजा

4430. श्री शंकरलाल माहीः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन मछुआरों को मुआवजा प्रदान करने की कोई व्यवस्था की जा रही है जिनके जाल और मछली पकड़ने के अन्य उपकरण ओएनजीसी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) ओएनजीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के दौरान ओएनजीसी के प्रतिनिधियों और स्थानीय मत्स्य क्षेत्र प्राधिकारियों की उपस्थिति में मत्स्य समुदाय और भूकंपीय ठेकेदारों के बीच समय से पहले अंतसम्पर्क रखा गया और भूकंपीय सर्वेक्षणों की योजना बताई गई ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसे नुकसान, जिसकी लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाती है, के लिए ठेकेदारों द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए सभी भूकंपीय सर्वेक्षण ठेकों में प्रावधान किया जाता है।

जहां तक विभागीय भूकंपीय सर्वेक्षणों का प्रश्न है ओएनजीसी, समुदाय और मत्स्य विभाग के साथ संपर्क के माध्यम से सर्वेक्षणों के बारे में सारी पूर्व सूचना उपलब्ध करवाने के सभी आवश्यक बचाव उपाय करती है।

रेलगाड़ियों में रसोई यान (पैन्ट्री कार) सुविधा

4431. श्री देविदास पिंगले:
श्री अनंत गुडे:
श्री पंकज चौधरी:

क्या रेल मंत्री रेलगाड़ियों में रसोई यान सुविधा के बारे में 21.4.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4287 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान जिन रेलगाड़ियों में रसोई यान की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है उन पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये रेलगाड़ियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) ऐसी रेलगाड़ियों में रसोई यान सुविधा की व्यवस्था के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान गोरखधाम एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, कोल्हापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस में रसोई यान की सुविधा की व्यवस्था शामिल की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) 2005-06 में पैन्ट्रीकार की व्यवस्था के लिए अभी तक किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यदि कार्यक्रम को अंतिम रूप दे भी दिया जाता है तो पैन्ट्रीकार की व्यवस्था के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह पैन्ट्रीकार की उपलब्धता और पारिचालनिक व्यावहारिकता पर निर्भर करता है। बहरहाल, 2005-06 में अब तक 12 गाड़ियों में नई पैन्ट्रीकारों का आबंटन और व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत स्टेशनों को नाफ्था की आपूर्ति

4432. श्री टी.के. हमजा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा केरल में ब्रह्मपुरम, कोझीकोड, कायमकुलम, कसरगौड और कोची स्थित विद्युत संयंत्रों को नाफ्था की कितनी आपूर्ति की गयी;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन के लिए आपूर्ति किये जा रहे नाफ्था की लागत जुलाई 2005 से काफी बढ़ गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों को उस समय तक नाफ्था सस्ते मूल्य पर प्रदान करने का है जब तक कि इनके लिए एलएनजी उपलब्ध नहीं होती;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) केरल में 2004-05 और 2005-06 (अप्रैल से जुलाई 2005) के दौरान तेल सा.क्षे.उ. से विद्युत केन्द्रों द्वारा उठाई गई नाफ्था की मात्रा निम्नवत् है:

(मात्रा हजार एमटी में)

स्थान	2004-05	2005-06
ब्रह्मपुरम	–	–
कोझीकोड	–	–
कायमकुलम	105.92	58.61
कासरगोडा	–	–
कोच्चि	16.70	6.90

(ख) बिजली के उत्पादन के लिए नाफ्था का मूल्य निर्धारण आयात समता पर आधारित है। इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने यह सूचित किया है कि पहले मैसर्स बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड, कोच्चि और एनटीपीसी, कायमकुलम को पहले उपलब्ध बिक्री कर की छूट, वैट के कार्यान्वयन के कारण 1 अप्रैल, 2005 से वापस ले ली गई है। उत्पादन शुल्क छूट 2 जुलाई, 2005 से वापस ले ली गई है। इसके परिणामस्वरूप इससे कोच्चि और कायमकुलम को विद्युत संयंत्र पर आपूर्त नाफ्था का मूल्य प्रभावित होगा।

(ग) से (ङ) नाफ्था एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा केरल में विद्युत केन्द्रों को आपूर्ति नाफ्था का मूल्य दोनों पक्षकारों के वाणिज्यिक प्रतिफलों पर आधारित है।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में जातियों का शामिल किया जाना

4433. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महीस्या और अन्य जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जातियों, विशेषकर महीस्या जाति को मंडल आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर इन जातियों की पहचान अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में की गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग में पहले ही शामिल की जा चुकी अन्य जातियों पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक 4582 जातियां/समुदाय (पर्याय सहित) अन्य पिछले वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए गए हैं, जिसका ब्यौरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट एन सी बी सी (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनसीबीसी.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध है।

(ग) महीस्या जाति असम, बिहार और मेघालय राज्यों की मंडल सूची में है।

(घ) चूंकि महीस्या जाति असम राज्य में मंडल सूची और राज्य सूची दोनों में सामान्य थी, अत: असम हेतु इसे अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर धावनपट्टियों की मरम्मत

4434. श्री मोहन सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की कुछ धावनपट्टियों (रनवे) को कुछ आवश्यक मरम्मत कार्य आरंभ करने के लिए सितम्बर, 2005 से बंद रखे जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कितने दिनों तक बंद रखा जायेगा; और

(घ) इस अवधि के दौरान उक्त मरम्मत कार्य से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे 10/28 को शीघ्र निकास तथा संपर्क टैक्सीवे के निर्माण तथा विलयन (दोनों को साथ मिलाने) के लिए दिनांक 16.08.2005 से 30.11.2005 तक प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए 107 दिनों की अवधि तक के लिए बंद कर दिया गया है।

(घ) इस अवधि के दौरान विमानों के प्रचालन के लिए दूसरा रनवे 09/27 उपलब्ध कराया जाएगा। अत:, इस रनवे के बंद होने के कारण किसी उड़ान के प्रचालन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रनवे 10/28 का निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के बाद यह रनवे भी उपलब्ध होगा।

रेल सवारी डिब्बों का अभाव

4435. श्री राजेश पाठक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेल सवारी डिब्बों का कोई अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाला कोई अन्य कारखाना स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। निर्धारित रेल सेवाओं को चलाने हेतु कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) दो सवारी डिब्बा फैक्टरियों यथा एक निजी क्षेत्र में मैसर्स जेसप्स एंड कंपनी, कोलकाता एवं एक सार्वजनिक क्षेत्र में यथा मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि., बैंगलूरू द्वारा अनुपूरित भारतीय रेल के दो सवारी डिब्बा कारखानों अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना (आई सी एफ), चेन्नै एवं रेल कोच फैक्टरी (आर सी एफ), कपूरथला में मौजूदा उपलब्ध क्षमता भारतीय रेल की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

द्वारका स्टेशन

4436. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास गुजरात के द्वारका स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्टेशन पर कार्य को कब तक आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) द्वारका रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चयन किया गया है जिसके लिए क्षेत्रीय रेलवे को पहली ही अनुदेश दिए जा चुके हैं।

(ग) कार्य शुरू हो चुका है और मार्च, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

टेलीविजन विपणन में धनराशि का वसूल न होना

4437. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड त्रुटिपूर्ण संग्रह प्रणाली और वसूली की अप्रभावी कार्यवाही के कारण विपणन एजेन्टों से 3.98 करोड़ रुपये की राशि वसूलने में विफल रहा है, जैसाकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2005 की रिपोर्ट संख्या 3 में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जवाबदेही तय की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विपणित दूरदर्शन के शुक्रवार/शनिवार फिल्म स्लाट में निम्नलिखित कम्पनियों के उत्पादों का विज्ञापन प्रसारित करने के लिए वाणिज्यिक समय (एफ.सी.टी.) की खरीद के लिए इन कम्पनियों की ओर 3.98 करोड़ रुपये की राशि बकाया है:

(1)	मैसर्स प्लस चैनल	– 2.24 करोड़ रु.
(2)	मैसर्स पैन्जोन ग्रुप आफ कम्पनीज लि.	– 1.74 करोड़ रु.

(ग) जी, हां।

(घ) संबंधित वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें टी.वी. विपणन विभाग में विभिन्न चूकों हेतु निलंबित कर दिया गया है, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुरातात्विक विरासत के परिरक्षण के लिए व्यापक योजना

4438. श्री भर्तृहरि महताब: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुरातात्विक विरासत, स्मारक परिसरों और अभिलेख विरासत के परिरक्षण के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अनुमोदित वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय संरक्षित पुरातात्विक स्मारकों और स्थलों का संरक्षण करता है। इस कार्यक्रम में वार्षिक रखरखाव, संरचनात्मक मरम्मतें, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के लिए योजना के अन्तर्गत 50.25 करोड़ रुपए तथा गैर-योजना के अन्तर्गत 57.20 करोड़ रुपए का बजट आबंटन है।

[हिन्दी]

डिजिटल कोच इंडिकेटर प्रणाली की स्थापना

4439. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल कोच इंडिकेटर प्रणाली लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-कौन स्टेशनों का चयन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) मुख्य स्टेशनों पर चरणबद्ध आधार पर डिजिटल सवारी संकेतक प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। बहरहाल, केन्द्रीय रूप से इस प्रकार के स्टेशनों का अलग से कोई विवरण नहीं रखा जाता है क्योंकि मंडल प्राधिकारियों द्वारा इस कार्य को स्थानीय रूप से किया जाता है।

शताब्दी रेलगाड़ियों में घटिया खाद्य पदार्थों की आपूर्ति

4440. श्री प्रदीप गांधी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को शताब्दी रेलगाड़ियों में घटिया खाद्य पदार्थ और 'रेल नीर' के अलावा दूसरे मिनरल वाटर की आपूर्ति किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी/की जानी है; और

(घ) रेलवे द्वारा शताब्दी रेलगाड़ियों में खाद्य पदार्थों और पानी की आपूर्ति की निगरानी के लिए कौन-कौन से ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) शताब्दी रेलगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले भोज्य पदार्थ और पीने के पानी के पैकेज्ड ब्रांड, जिसमें रेल नीर भी शामिल है, भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टियों के अनुरूप है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रेल में शिकायतों के संदर्भ में आंकड़ों का ब्यौरा रेलगाड़ी वार नहीं रखा जाता है। शताब्दी रेलगाड़ियों सहित सभी रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों और पीने के पैकेज्ड जल की गुणवत्ता और मात्रा की जांच के लिए रेल प्रशासन और भारतीय खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा सामान्य/औचक निरीक्षण किए जाते हैं। चूक पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है और लाइसेंस समाप्त कर दिया जाता है। विभागीय खानपान इकाइयों में घटिया सेवाओं और अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

एलपीजी/एसकेओ/खुदरा विक्रय केन्द्रों का पुनर्गठन

4441. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय तेल निगम को जुलाई 2004 से प्राप्त एलपीजी, एसकेओ और दिल्ली के खुदरा विक्रय केन्द्रों के डीलरों के संबंध में पुनर्गठन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये प्रस्ताव निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(घ) कंपनी ऐसे प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने सूचित किया है कि जुलाई, 2004 से इसे दिल्ली के एलपीजी, एसकेओ और खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के संबंध में क्रमश: 5, 3 और 8 पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों से संबंधित सभी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। एसकेओ डीलरों के मामले में 2 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और एक प्रस्ताव संबंधित डीलर से कागजात न मिलने के कारण लंबित है। जहां तक आरओ डीलरों का संबंध है, 3 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। शेष 5 प्रस्तावों में से 2 प्रस्ताव दिशानिर्देशों की निर्धारित अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, 2 प्रस्ताव संबंधित डीलरों से कागजात न मिलने के कारण लंबित हैं और एक प्रस्ताव डीलर द्वारा वापस ले लिया गया है।

आईओसीएल ने सूचित किया है कि उनके द्वारा केवल उन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं। प्रस्तावों और निर्धारित दिशानिर्देशों के बीच किसी असंगति के मामले में वे असंगतियां सुधार के लिए संबंधित डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर के ध्यान में लाई जाती हैं ताकि कंपनी प्रस्ताव पर शीघ्रता से कार्यवाही कर सके।

नागपुर में रक्षा भूमि पर अतिक्रमण

4442. श्री अनंत गुढ़े: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीताबुल्दी फोर्ट, नागपुर स्थित रक्षा भूमि पर भवन निर्माताओं द्वारा अतिक्रमण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सीताबुल्दी फोर्ट तथा इसके आसपास के क्षेत्र में कुल सुरक्षा भूमि 126.97 एकड़ है जिसमें से लगभग 2.53 एकड़ क्षेत्र पर निजी पार्टियों ने बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है।

(ग) उपर्युक्त अतिक्रमणों के स्वामित्व तथा बेदखली से संबंधित विवाद इस समय विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं और न्याय निर्णयाधीन हैं।

कोचीन विमानपत्तन पर राडार सुविधा

4443. श्री पी.सी. थामस: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन ने विमानपत्तन पर राडार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर टर्मिनल एरिया राडार सुलभ कराये जाने के लिए एक प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विचाराधीन है।

प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

4444. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से राज्य स्तर पर प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्डों को गठित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जबकि कुछ राज्य सरकारों ने प्राकृतिक गैस के लिए राज्य स्तरीय विनियामक बोर्ड स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है, उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चूंकि प्राकृतिक गैस संघ का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड स्थापित करने के लिए विधायी सक्षमता प्राप्त नहीं है। केन्द्र सरकार का प्रस्ताव देश के सभी को पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों में संलग्न इकाइयों के हितों की सुरक्षा करने के लिए एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना करने का है।

माल-भाड़ा यातायात

4445. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान माल-भाड़ा यातायात के संबंध में विभिन्न जोनों का कार्य निष्पादन कैसा है;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में किसी जोन ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) माल यातायात संचलन का जोनवार निष्पादन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में उत्तर मध्य और पूर्वोत्तर रेलों को छोड़कर सभी क्षेत्रीय रेलों ने अपने निष्पादन में सुधार किया है। इसे संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण I

रेलवे	लदान (मिलियन टन में)			राजस्व शुद्ध टन किलोमीटर (मिलियन में)		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	56.16	41.12	42.98	35257	25055	26245
पूर्व	57.09	37.97	42.47	28099	13011	14291
पूर्व मध्य	26.42	54.97	58.25	18304	37791	39369

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व तटीय	0*	64.05	70.46	*0	34826	37934
उत्तर	44.08	42.22	41.40	63955	62430	58774
उत्तर मध्य	*0	5.57	5.43	*0	4607	4413
पूर्वोत्तर	2.05	1.96	2.06	1457	1767	1512
पूर्वोत्तर सीमा	7.08	9.10	9.94	7030	10729	11168
उत्तर पश्चिम	7.60	9.77	9.05	9367	11069	11233
दक्षिण	24.07	23.57	23.19	12160	10781	10196
दक्षिण मध्य	62.29	44.79	51.00	34574	24492	28054
दक्षिण पूर्व	201.54	69.15	73.07	121699	31475	34478
दक्षिण पूर्व मध्य	*0	83.02	92.52	*0	63245	75020
दक्षिण पश्चिम	*0	25.75	31.75	*0	12977	16073
पश्चिम	30.10	26.01	28.35	24950	23792	28157
पश्चिम मध्य	*0	18.37	19.97	*0	13194	14437
जोड़	518.74	557.39	601.89	353194	381241	411354

*1.4.2003 से उदभव हुआ है।

विवरण II

रेलवे	1.4.2005 से 30.6.2005 तक लदान (मिलियन टन में)		1.4.2005 से 30.6.2005 तक राजस्व शुद्ध टन किलोमीटर (मिलियन में)	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
मध्य	10.28	11.17	6027	6954
पूर्व	10.28	11.61	3430	3629
पूर्व मध्य	14.32	14.94	9840	9646
पूर्व तटीय	16.20	18.39	8959	9591
उत्तर	9.57	9.60	13807	13215
पूर्वोत्तर सीमा	2.53	2.70	3095	3096
उत्तर पश्चिम	2.72	2.81	3026	2952

1	2	3	4	5
दक्षिण	5.04	6.59	2160	2588
दक्षिण मध्य	11.42	13.72	6604	7305
दक्षिण पूर्व	17.07	19.74	8165	9005
दक्षिण पूर्व मध्य	21.72	24.23	17903	19528
दक्षिण पश्चिम	6.90	9.27	3306	4400
पश्चिम	6.43	7.71	6371	8405
पश्चिम मध्य	4.71	5.88	3499	4235
जोड़	139.19	158.36	96192	104549

विमानपत्तनों पर मूलभूत सुविधाएं

4446. श्री अनंत कुमार:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक स्थित विमानपत्तनों पर मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में कोई अन्य विमानपत्तन विकसित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बंगलौर में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल भवनों तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार तथा सुधार, बेलगाम तथा हुबली में रनवे को तथा उससे जुड़े हुए फुटपाथ को मजबूत करना और वर्तमान ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं में वृद्धि तथा बंगलौर में नए 8000 फुट लम्बे रनवे का निर्माण और उससे जुड़े हुए कार्यों सहित कर्नाटक के विभिन्न हवाईअड्डों में सुधार कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक राज्य सरकार का मौसूर हवाईअड्डे का विकास तथा हासन व गुलबर्गा में नए हवाईअड्डों के निर्माण का प्रस्ताव है।

हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान

4447. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी विमान सेवाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानों का संचालन करने की अनुमति दी गई है;

(ख) प्रत्येक उड़ान की बारंबारता क्या है;

(ग) क्या कुछ और विदेशी विमान सेवाओं ने इसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) यू.ए.ई. (दुबई), कर, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, फ्रांस, ओमान, जर्मनी तथा कनाडा की नामित विमान कंपनियों को आज तक भी हैदराबाद के लिए/से विमान सेवा प्रचालन की अनुमति है।

इस समय 7 विदेशी विमान कंपनियां हैदराबाद के लिए प्रचालन कर रही हैं, जिनके नाम एमीरेट्स (यू.ए.ई.-प्रति सप्ताह 8 सेवाएं), मलेशिया एयरलाइंस (मलेशिया-प्रति सप्ताह 3 सेवाएं), कतर एयरवेज (कतर-प्रति सप्ताह 4 सेवाएं), सिल्क एयर (सिंगापुर-प्रति सप्ताह 4 सेवाएं), लुफ्तांसा जर्मन एयरलाइंस (जर्मनी-प्रति सप्ताह 3 सेवाएं), सऊदिया (सऊदी अरब-प्रति सप्ताह 2 सेवाएं) तथा श्रीलंका एयरलाइंस (श्रीलंका-प्रति सप्ताह 7 सेवाएं)।

(ग) से (ङ) हाल ही में, फ्रांस, ओमान, जर्मनी और कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान उनके अनुरोध के अनुसार, हैदराबाद को नये अवतरण स्थल के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, भारत में किसी भी स्थान के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के लिए यातायात अधिकारों का निर्णय द्विपक्षीय विमान सेवाओं के प्रचालन पर विचार-विमर्श के माध्यम से किया जाता है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक विशिष्ट गंतव्य स्थानों के लिए/से मांग पर आधारित होता है।

वजन तोलने वाली मशीनों का उपयोग

4448. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे पर उसके सभी स्टेशनों पर सरकार से बिना प्रमाण पत्र किए उपयोग में लाई जा रही वजन तोलने वाली मशीनों का उपयोग करने के लिए जुर्माना किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कमी के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। निर्धारित तारीख को वजन तौलने वाली मशीनों के प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के कारण महाराष्ट्र राज्य सरकार के माप एवं तौल विभाग ने मध्य रेलवे के 43 स्टेशनों पर निर्धारित शुल्क के अलावा 1,24,185 रु. की राशि का जुर्माना लगाया है।

(ग) और (घ) प्रशिक्षित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त तथा स्थानांतरण हो जाने के कारण, वजन तौलने वाली मशीनों पर मुहर लगाने तथा सत्यापन संबंधी आवश्यक कार्रवाई समय पर नहीं की जा सकी। बहरहाल, वजन तौलने वाली मशीनों पर मुहर लगाने तथा सत्यापित करने का कार्य पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। इस संबंध में, इस कार्य को मानीटर करने के लिए निरीक्षकों की एक टीम विशिष्ट रूप से नामित की जाती है। उपर्युक्त के दृष्टिगत कोई कर्मी दोषी नहीं पाया गया है और किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का सुदृढ़ीकरण

4449. श्री राहुल गांधी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज, राय बरेली अपनी अपेक्षित क्षमता के अनुरूप पायलटों को प्रशिक्षित करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्षमता से कम कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। पायलटों को ट्रेनिंग देने संबंधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) के प्रयासों में पर्याप्त आधुनिक प्रशिक्षण सहायताओं, अनुरूपकों, भवनों तथा एयरफील्ड अवसंरचना के साथ-साथ पर्याप्त मैनपावर के अभाव से बाधा आती है। अन्य बाधक कारणों में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति तथा अकादमी तक जाने वाली सुव्यवस्थित (कंक्रीट की) सड़क का अभाव है।

(ग) इग्नुआ की वर्तमान अवसंरचना की एक व्यापक समीक्षा हाल ही में की गई, ताकि स्थिति को समझते हुए कोर अवसंरचना की तत्काल आवश्यकताओं तथा वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने वाली इसकी सुविधाओं का जायजा किया जा सके। तदनुसार, इग्नुआ की क्षमता वर्धन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं:

(क) मौजूदा पी पी एल से पी एल कोर्स के अतिरिक्त एब-इनीशियो से पी एल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत, (ख) 6 नए एब-इनीशियों प्रशिक्षक विमानों की खरीद, (ग) जेट प्लेनों तथा सिमुलेटरों की खरीद, (घ) नव एड्स की संस्थापना, (ङ) हेलीकाप्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना, तथा (च) इग्नुआ की क्षमता को 40 छात्रों से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 100 सी पी एल धारकों के लिए करना।

हाल ही में इग्नुआ की अवसंरचना को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक समिति इग्नुआ के पूर्व निदेशक कैप्टन एन.के. डावर की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह समिति 31 अगस्त, 2005 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इग्नुआ को मजबूत करने संबंधी आवश्यक कदम उक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित होंगे।

मदुरई में अलग टर्मिनल

4450. श्री पी. मोहन:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरई में बढ़ते यात्री यातायात और कार्गो के मद्देनजर यहां अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रचालनों हेतु अलग-अलग टर्मिनल बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने हर समय दोनों घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने के लिए एक नये समेकित टर्मिनल भवन का निर्माण करने की योजना बनाई है। अलग कार्गो काम्पलैक्स का प्रावधान मांग पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु में उपरि पुल का निर्माण

4451. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे ने तमिलनाडु में उपरि पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितना धन नियत किया गया है; और

(घ) इन पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी हां। 1.4.2005 को, तमिलनाडु में, 46 ऊपरी/निचले सड़क पुल (आर ओ बी/आर यू बी) कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत हैं। ये कार्य योजना, अभिकल्प और निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। रेलवे, पुल खास अर्थात रेलपथ पर पुल का निर्माण करेगी और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण करेगा।

चालू वर्ष में, तमिलनाडु में रेलवे के हिस्से का कार्य निष्पादित करने के लिए 25.87 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

रेलवे द्वारा अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले पहुंच मार्गों संबंधी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

[हिन्दी]

व्यस्त रेल समपारों पर उपरि पुलों का निर्माण

4452. श्री अजीत जोगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान देश के व्यस्त रेल समपारों पर रेल उपरि पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपरि पुलों के निर्माण-कार्य पर रेलवे द्वारा कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन पुलों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) रेलें मौजूदा समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर करती हैं, यदि इन समपारों पर यातायात का घनत्व 1 लाख से अधिक टी वी यू हो (टी वी यू-24 घंटों में समपार से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या को गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त इकाई), अन्यथा निक्षेप शर्तों पर करती हैं। दोनों ही मामलों में मौजूदा नियमों के अनुसार अपेक्षित कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत् रूप से पूरा करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना होता है। 1.04.2005 को लागत में भागीदारी के आधार पर 428 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2005 को 15 और निर्माण कार्यों को रेलों की पूरक अनुदान की मांगों में शामिल किया गया है। ये सभी कार्य नियोजन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) बजट 2005-06 में लागत में भागीदारी के आधार पर इन निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए 411 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) पुल खास अर्थात् रेलपथ के आर-पार पुल का निर्माण रेलों द्वारा किया जाता है और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। रेलों द्वारा अपने

हिस्से के कार्य के साथ-साथ सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना

4453. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री एम. शिवन्ना:
प्रो. एम. रामदास:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु किस स्थान की पहचान की गई है; और

(ग) इसको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलोर और सत्यमंगला के बीच रेल मार्ग

4454. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलोर और सत्यमंगला के बीच नए रेल मार्ग के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आज की तिथि तक इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इस परियोजना हेतु कितनी धन उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ख) 0.36 करोड़ रुपए।

(ग) 0.01 करोड़ रुपए।

(घ) पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

केरल में आकाशवाणी केन्द्र

4455. **डा. सिबैस्टियन पॉल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के कोच्चि, त्रिचूर और देविकुलम स्थित आकाशवाणी केन्द्र, केन्द्र निदेशकों के बगैर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों पर केन्द्र निदेशकों को पदस्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के वर्ष 1995 में उद्घाटित कोच्चि स्थित विविध भारती केन्द्र में कार्यक्रम कार्मिकों को तैनात कर इसे चालू करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोच्चि एफ एम केन्द्र को गत वित्तीय वर्ष के 6.9 लाख रुपये के आबंटन को इसके वाणिज्यिक अर्जन के 83 लाख रुपये के अनुपात में निधियों का आबंटन बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। कोच्चि तथा त्रिसूर स्थित आकाशवाणी केन्द्र पात्र अधिकारियों की कमी के कारण फिलहाल केन्द्र निदेशकों के बिना ही कार्य कर रहे हैं। तथापि, आकाशवाणी, देवीकुलम में केन्द्र निदेशक का कोई स्वीकृत पद नहीं है।

(ग) और (घ) कोच्चि स्थित विविध भारती स्टेशन में मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक मध्याह्न प्रसारण शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आकाशवाणी, कोच्चि प्रात: 06.15 से 10.05 बजे तक तथा सायं 6.15 से रात्रि 11.00 बजे तक विविध भारती कार्यक्रमों को प्रसारित करता है।

(ङ) और (च) आई.ई.बी.आर. संवर्धित निर्माण हेतु साफ्टवेयर योजनागत स्कीम एवं किसान वाणी कार्यक्रमों के अन्तर्गत, आकाशवाणी, कोच्चि को वर्ष 2005-06 के लिए 13.18 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। और अधिक वृद्धियां बजटीय सहायता की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

आशुलिपिकों का कैडर पुनर्गठन

4456. श्री मनोरंजन भक्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे बोर्ड में कार्यरत आशुलिपिकों का कैडर पुनर्गठन करने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन के लिए सरकार के निर्णय के आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक संवर्ग के पुनर्गठन को लागू करने के लिए औचित्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करने की दृष्टि से कार्यपालक निदेशकों की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया है। इस समिति में तीन कार्यपालक निदेशक और संयुक्त सचिव (राजपत्रित), रेलवे बोर्ड शामिल हैं। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(1) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के मामले में लिए गए निर्णयों को रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सचिवालय सेवा के लिए आवश्यक परिवर्तनों एवं परिवर्द्धनों सहित अपनाया जा सकता है।

(2) स्टेगनेशन और फंग्शनल आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में अलग-अलग ग्रेडों के पदों की वास्तविक संख्या (आइडियल साइज) क्या होनी चाहिए; और

(3) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के लिए यथा उपलब्ध किसी अन्य सुझाव/निर्णय को रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में किस हद तक अपनाया जा सकता है।

समिति रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अनेक ग्रेडों में पदों की संख्या और उन कर्मचारियों की संख्या जो अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, से संबंधित विस्तृत सूचना प्रशासन से प्राप्त कर रही है। यह समिति रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा एसोसिएशन के विचार/सुझाव भी लेगी और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करेगी और उनसे शामिल विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करेगी और उसके बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें जल्दी ही प्रस्तुत करने वाली है।

पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेल मार्ग का आमान-परिवर्तन

4457. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेल मार्ग का आमान-परिवर्तन करने हेतु कोई अद्यतन सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पठानकोट-जोगिन्दर नगर खंड के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 189.5 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत 1316.16 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिसकी प्रतिफल की दर (-) 22.04 प्रतिशत होगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच/अंतिम रूप देने का कार्य शुरू हो गया है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

4458. श्री शिशुपाल एन. पाटले:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मो. ताहिर:
मोहम्मद शाहिद:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की घोषणा किस वर्ष की गई थी;

(ग) इनमें से उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर अब तक कार्य आरंभ हो चुका है;

(घ) क्या विलंब से आरंभ होने वाली परियोजनाओं के संबंध में लागत वृद्धि का आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) लागत को ध्यान में रखे बिना सभी परियोजनाओं की समीक्षा समय-समय पर समुचित स्तर पर की जाती है।

(ख) 100 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(घ) और (ङ) लागत के निर्धारित से अधिक होने का आकलन करना तभी व्यावहारिक है जहां परियोजना को चालू करते समय निधियों को सुनिश्चित किया गया हो। रेलवे परियोजनाओं के मामले में परियोजना चालू होते समय वित्त व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया जाता है। अत: लागत अधिक होने का आकलन करना व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

रेल परियोजनाएं

100 करोड़ रु. से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं एवं उन्हें शामिल किए जाने के वर्ष का ब्यौरा निम्नानुसार है

बजट में शामिल करने का वर्ष	नई लाइनें	दोहरीकरण	आमान परिवर्तन	रेल विद्युतीकरण	महानगर परियोजना
1	2	3	4	5	6
1972-73	–	–	–	–	1
1974-75	1	–	–	–	–
1981-82	2	–	–	–	–
1982-83	1	–	–	–	–
1983-84	1	–	–	–	1
1984-85	3	–	1	–	1
1985-86	1	–	–	–	–
1987-88	1	–	–	–	–
1989-90	1	–	–	–	–
1990-91	–	2	2	–	–
1991-92	–	–	–	3	–
1992-93	1	1	5	2	–
1993-94	3	–	5	–	–
1994-95	2	1	2	–	–
1995-96	5	1	5	1	2

1	2	3	4	5	6
1996-97	10	2	7	–	2
1997-98	18	6	14	3	–
1998-99	5	–	3	–	1
1999-00	2	1	2	1	–
2000-01	5	–	3	–	–
2001-02	1	1	–	–	–
2002-03	1	–	–	–	–
2003-04	8	5	2	–	1
2005-06	1	1	3	1	–

उपरोक्त परियोजनाओं में से, 30 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है।

जंतर-मंतर का पुनरुद्धार

4459. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2000 में भी निजी पार्टी के सहयोग से जंतर-मंतर के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से संरक्षण तथा पर्यावरण विकास के लिए जंतर-मंतर की पहचान की गई है।

निम्नलिखित कार्यों को शुरू करने के लिए, वर्ष 2000 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल लिमिटेड, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:-

1. मिश्र यंत्र का संरक्षण।
2. मिश्र यंत्र का प्रदीपन (इल्यूमिनेशन)।
3. जंतर-मंतर पर संकेत पटल लगाना।

मिश्र यंत्र का प्रदीपन कार्य प्रगति पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षण के लिए पहले ही विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए हैं।

[अनुवाद]

ए.एस.आई. द्वारा स्मारकों का संरक्षण

4460. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा संरक्षित और अनुरक्षित स्मारकों/संग्रहालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्मारकों और संग्रहालयों के अनुरक्षण हेतु कितनी धनराशि व्यय और जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देश के विभिन्न भागों में स्थित 3660 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों तथा 41 स्थल

संग्रहालयों का परिरक्षण तथा रखरखाव करता है। राज्यवार सूची संलग्न विवरण-1 तथा 2 में है)।

(ख) स्मारकों तथा संग्रहालयों के रखरखाव के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि तथा किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

स्मारक

	आबंटित धनराशि	व्यय (करोड़ रु. में)
2002-2003	79.43	79.34
2003-2004	108.28	107.06
2004-2005	117.45	115.95

संग्रहालय

	आबंटित धनराशि	व्यय (करोड़ रुपए में)
2002-2003	3.00	2.86
2003-2004	4.50	4.30
2004-2005	3.85	3.62

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) के अन्तर्गत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थल संग्रहालयों की उचित रूप से देखभाल की जाती है। अपने वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत, भा.पु.स., संरक्षित स्मारकों की वार्षिक देखरेख तथा मरम्मतें, संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास कता है। भा.पु.स. ने स्थल संग्रहालयों का चरणबद्ध उन्नयन करने का एक कार्यक्रम बनाया है। चालू वर्ष में, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, पांच संग्रहालयों में कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

कुल केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	136
2.	असम	50
3.	अरूणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	65
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दिल्ली	172
7.	दमन और दीव	12
8.	गोवा	21
9.	गुजरात	202
10.	हरियाणा	90
11.	हिमाचल प्रदेश	40
12.	जम्मू एवं कश्मीर	69
13.	झारखण्ड	12
14.	केरल	26
15.	कर्नाटक	507
16.	महाराष्ट्र	286
17.	मध्य प्रदेश	287
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	8
20.	नागालैण्ड	4
21.	उड़ीसा	78
22.	पंजाब	31
23.	पांडिचेरी	7
24.	राजस्थान	161
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	416
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	44
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3660

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	संग्रहालय का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 अमरावती संग्रहालय, 2 चन्द्रगिरि संग्रहालय, 3 कोंडापुर संग्रहालय, 4 नागार्जुनकोंडा संग्रहालय, (सभी हैदराबाद मंडल के अधीन)
2.	असम	5 श्री सूर्य पहाड़ संग्रहालय, (गुवाहाटी मंडल के अधीन)
3.	बिहार	6 बोधगया संग्रहालय, 7 नालन्दा संग्रहालय, 8 वैशाली संग्रहालय, 9 विक्रमशिला संग्रहालय, (पटना मंडल के अधीन)
4.	दिल्ली	10 इंडियन वार मिमोरियल संग्रहालय, लाल किला 11 पुरातात्विक संग्रहालय, लाल किला, 12 सलीमगढ़ संग्रहालय, लाल किला, 13 स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, 14 पुराना किला संग्रहालय, (सभी दिल्ली मंडल के अधीन)
5.	गोवा	15 वेल्हा गोवा संग्रहालय, (लघु मंडल गोवा के अधीन)
6.	गुजरात	16 लोथल संग्रहालय, (बडोदरा मंडल के अधीन)
7.	हरियाणा	17 शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर, (चंडीगढ़ मंडल के अधीन)
8.	हिमाचल प्रदेश	18 कांगड़ा किला संग्रहालय, (लघु मंडल शिमला के अधीन)
9.	कर्नाटक	19 ऐहोल संग्रहालय, 20 बादामी संग्रहालय, 21 बीजापुर संग्रहालय, (सभी धारवाड़ मंडल के अधीन) 22 हेलेविदू संग्रहालय, 23 कमलापुरम संग्रहालय, (हम्पी) 24 टीपू सुल्तान संग्रहालय, (बंगलौर मंडल के अधीन)
10.	केरल	25 मत्तनचेरी पैलेस संग्रहालय, (त्रिसूर मंडल के अधीन)
11.	मध्य प्रदेश	26 चंदेरी संग्रहालय, 27 ग्वालियर संग्रहालय, 28 खजुराहो संग्रहालय, 29 सांची संग्रहालय, (भोपाल मंडल के अधीन)
12.	उड़ीसा	30 कोणार्क संग्रहालय, 31 रत्नागिरी संग्रहालय, (भुवनेश्वर मंडल के अधीन)
13.	पंजाब	32 रोपड़ संग्रहालय, (चंडीगढ़ मंडल के अधीन)
14.	राजस्थान	33 काली बंगन संग्रहालय, (जयपुर मंडल के अधीन)
15.	तमिलनाडु	34 34 फोर्ट सैंट जार्ज संग्रहालय, चैन्नै (चैन्नै मंडल के अधीन)
16.	उत्तर प्रदेश	35 सारनाथ संग्रहालय, (पटना मंडल के अधीन) 36 ताज संग्रहालय, आगरा, (आगरा मंडल के अधीन) 37 रेजीडेन्सी संग्रहालय, (लखनऊ मंडल के अधीन)
17.	उत्तरांचल	38 जागेश्वर संग्रहालय, (उत्तरांचल मंडल के अधीन)
18.	पश्चिम बंगाल	39 हजारद्वारी पैलेस संग्रहालय, 40 कूच बिहार पैलेस संग्रहालय, 41 तामलुक संग्रहालय, (कोलकाता मंडल के अधीन)

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का निर्माण

4461. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दिसम्बर, 2004 में मध्य प्रदेश में इंदौर-पीथमपुर रेलवे लाइन के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या रेलवे इस रेल लाइन का बी.ओ.टी. आधार पर निर्माण कराने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने इन्दौर-पीथमपुर रेल लाइन बिछाने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) दाहोद-सरदारपुर के रास्ते गोधरा-इन्दौर और धार नई लाइन जो पीथमपुर से होकर गुजरेगी पर कार्य शुरू करने के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कम लागत की विमान सेवाएं

4462. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी, शिलांग, एजावल, डिब्रूगढ़ और ईटानगर सहित पूर्वोत्तर में विभिन्न स्थानों को कोलकाता और अन्य स्थानों से कम लागत की विमान सेवाओं से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और स्थापित विमान सम्पर्कों के स्वरूप और बारंबारता संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में अन्य किन-किन स्थानों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस समय पूर्वोत्तर में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी एवं ऐजवाल को, कम लागत की एयरलाइन एयर डेक्कन द्वारा कोलकाता तथा अन्य गंतव्य स्थलों द्वारा निम्नानुसार जोड़ा गया है:-

सेक्टर	विमानन	उड़ानें/सप्ताह
कोलकाता-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ एवं वापसी	एटीआर 42	7
दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली	ए-320	1
दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	ए-320	3
दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	ए-320	3
कोलकाता-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ एवं वापसी	एटीआर 42	7
कोलकाता-ऐजवाल-कोलकाता	एटीआर 42	7
कोलकाता-बागडोगरा-कोलकाता	एटीआर 42	7

(ग) सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हवाई यातायात सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए हवाई यातायात सेवाओं का बेहतर विनियमन करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। फिर भी, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाएं। इस प्रकार, एयरलाइनें देश भर में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देश का अनुपालन करती हों।

मराठी चैनल

4463. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से मुम्बई दूरदर्शन के अंतर्गत अलग से एक मराठी चैनल शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, दूरदर्शन महाराष्ट्र के लिए पहले से ही डी.डी. सहयाद्रि मराठी चैनल चला रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल उपरि पुल और रेल निम्न पुल

4464. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राजस्थान में लागत हिस्सेदारी के आधार पर निर्माणाधीन रेल उपरि पुल और रेल निम्न पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पुलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन पुलों के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) राजस्थान में लागत में भागीदारी के आधार पर दो ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण कार्य स्वीकृत है। रेलवे पुल खास का निर्माण करेगी अर्थात् रेलपथ पार पुल और राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण करेगी। इन दोनों कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

1. हनुमानगढ़ में समपार संख्या 71ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल की स्वीकृति 2000-01 में दे दी गई थी। राज्य सरकार से पहुंच भाग के विस्तृत अनुमान प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। अनुमान को अंतिम रूप देने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

2. समपार संख्या 109 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण 1996-97 में स्वीकृति हुआ था। रेलवे भाग के साथ राज्य सरकार के हिस्से का कार्य प्रगति पर है।

(ग) रेलवे द्वारा अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले पहुंच मार्गों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

हेलिकाप्टर संचालन संबंधी कौशिक समिति

4465. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हेलिकाप्टर संचालन की सुरक्षा और रख-रखाव संबंधी कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) शेष सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) कौशिक समिति ने दिनांक 10.3.2005 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लेखा सुरक्षा तथा प्रारंभिक तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रवीणता मानीटरिंग तथा उपकरण रेटिंग, आफशोर फ्लाइंग, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचालन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, विद्युत उपकरणों द्वारा समाचार एकत्रित करना, सुरंग की जांच के लिए निचली उड़ान भरना तथा हैलीकाप्टर प्रशिक्षण संस्थान के प्रमाणन की आवश्यकताएं, इत्यादि से संबंधित संस्तुति रखी हैं।

(ग) कौशिक समिति की सभी सिफारिशों को नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है। 20 सिफारिशों में से 11 सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा 2 पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अन्य सिफारिशें, जिनके लिए नियम, नीति तथा नियामक कार्यप्रणाली संशोधन अपेक्षित हैं, उनके कार्यान्वयन का कार्य जारी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृतिक बल का गठन

4466. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन और आपूर्ति हेतु अधिकार देने के लिए कृतिक बल के गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, नहीं।

तथापि, पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र स्थापित करने की पहल के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने संयुक्त रूप से विद्युत पर एक कोर ग्रुप गठित किया है। विद्युत से संबंधित कोर ग्रुप के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

1. ऐसे प्रकाशन निकालना जो पंचायतों को निम्नलिखित से अवगत कराएगा:-

   (क) स्थानीय विद्युत उत्पादन तथा विकेन्द्रीकृत वितरण प्रबंधन के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से स्वयं को परिचित कराना।

   (ख) बायो-गैस जैसी स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री तथा पृथक गैस क्षेत्रों से विद्युत उत्पादन तथा वितरण में सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी सहित व्यवसाय माडलों के विभिन्न विकल्पों से स्वयं को परिचित कराना।

   (ग) आर.ई.सी. इत्यादि के कार्यक्रमों सहित मौजूदा सरकारी योजनाओं की और अधिकर जानकारी प्राप्त करना।

   (घ) विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन तथा वितरण के लिए वित्तीय माडलों से स्वयं को परिचित कराना।

   (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 तथा विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन तथा वितरण से संबंधित नियमों तथा विनियमों पर भी विशेष ध्यान देते हुए नए कानूनों को समझना।

   (च) सरकार, उद्योग तथा गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र में ऐसे संसाधन व्यक्तियों की डायरेक्टरी तैयार करना जो पंचायतों की उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता कर सकें।

   (छ) पंचायतों को विद्युत उत्पादन तथा वितरण के लिए स्वतंत्र विनियामक फ्रेमवर्क से परिचित कराने तथा विनियामकों के समक्ष उनकी चिंताएं व्यक्त करने के लिए क्षमता निर्माण के तरीके सुझाना।

2. उन पंचायतों की पहचान करना जहां विद्युत उत्पादन तथा वितरण में सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी के लिए एक केन्द्रित एप्रोच विकसित की जा सकती हो।

3. पंचायतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन तथा वितरण में सहायता देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार नीति तथा प्रक्रियात्मक बदलावों का सुझाव देना।

[अनुवाद]

इतवारी रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण

4467. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के इतवारी रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण और स्टेशन पर यात्री सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस संदर्भ में विभिन्न वर्गों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के इतवारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने तथा समतल का कार्य हाल ही में पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, सवारी डिब्बों में पानी की सुविधा के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए एवं अनारक्षित टिकट प्रणाली की व्यवस्था करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से का जारी किया जाना

4468. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार को उन बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है जिनके माता-पिता अस्वच्छ कार्यों में लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 हेतु योजना के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्सा जारी करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जी, हां। पिछले वर्ष से उपलब्ध 14.87 लाख रुपए की अव्ययित केन्द्रीय सहायता का समायोजन करने के बाद वर्ष 2002-03 के दौरान कर्नाटक सरकार को 11.46 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई। विगत वर्षों की अव्ययित केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के कारण वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई।

चित्रदुर्ग-जगलूर-कोट्टूर नई रेल लाइन

4469. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा चित्रदुर्ग-जगलूर-कोट्टूर नई रेल लाइन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो कराए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इसे कब तक शुरू और पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। बहरहाल, जगलूर के रास्ते कोट्टूर से चित्रदुर्ग तक नई लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण 2005-06 में शुरू किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र से ग्रामीण भाषा के कार्यक्रम

4470. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित ग्रामीण भाषा कार्यक्रमों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत वित्त वर्ष के दौरान अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र को कमीशन कैटेगरी के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कैटेगरी के अंतर्गत धनराशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से गुजराती में (सोमवार से शुक्रवार) प्रतिदिन एक घंटे की मिश्रित अवधि वाले तीन ग्रामीण भाषा के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान चूंकि कमीशन्ड श्रेणी के अंतर्गत किसी कार्यक्रम को कमीशन्ड नहीं किया गया था इसलिए दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ङ) और (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 97.00 लाख रुपये के बजट के साथ भारतीय श्रेण्य साहित्य श्रेणी में कमीशन्ड कार्यक्रमों हेतु एक प्रस्ताव है।

स्थलों की खुदाई और खोज

4471. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान देश में पानी के भीतर खोज सहित किन्हीं स्थलों की खुदाई और खोज करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खुदाई और खोज हेतु कौन-कौन से स्थलों की पहचान की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) क्षेत्र-कार्य (फील्ड सीजन) 2005-2006 के लिए उत्खनन/अन्वेषण के वास्ते प्राप्त प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा इनके अनुमोदन पर विचार किया जाएगा।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान उत्खनन एवं अन्वेषण कार्य के लिए योजना के अंतर्गत 500 लाख रुपए तथा गैर-योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की निधि निर्धारित की है।

विवरण

क्षेत्र कार्य 2005-06 के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन एवं अन्वेषण प्रस्ताव

क्र.सं.	स्थल का नाम	कार्य का स्वरूप
1	2	3
1.	भिर्राना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा	उत्खनन
2.	बरौर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान	उत्खनन
3.	कुर्कीहार, जिला गया, बिहार	उत्खनन
4.	जोफरडीह, जिला नालंदा, बिहार	उत्खनन
5.	अरागढ़, हरिपुर ग्राम पंचायत, जिला पुरी, उड़ीसा	उत्खनन
6.	जूनी कुरन, जिला कच्छ, गुजरात	उत्खनन
7.	दौलताबाद किला, दौलताबाद, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	उत्खनन
8.	आदिच्चनाल्लुर, तालुक श्रीवाईकुंदरम, तूतीकोरिन, तमिलनाडु	उत्खनन
9.	धन्ना दिब्बालू, कोट्टरू, रामबाली मंडल, जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	उत्खनन
10.	नीलकुटी टीला, मौजा चाक चांदपारा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	उत्खनन
11.	एरिच, तहसील गरौठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश	उत्खनन
12.	पलक्कड, जिला पलक्कड, केरल	उत्खनन
13.	संत अगस्ताइन परिसर की वैज्ञानिक सफाई, पुराना गोवा, उत्तर गोवा	वैज्ञानिक सफाई
14.	सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश	उत्खनन
15.	जिला मंडी एवं कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के मंडी से लेकर देहरा गोपीपुर तक व्यास नदी के दाहिने एवं बायीं तट के साथ-साथ पुरातत्वीय अन्वेषण	अन्वेषण/उत्खनन
16.	हिसार जिला का अन्वेषण, हरियाणा	अन्वेषण
17.	रांची, सिंहभूम एवं हजारीबाग जिलों में अन्वेषण, झारखंड	अन्वेषण
18.	पूर्व सिक्किम में अन्वेषण, सिक्किम	अन्वेषण
19.	विदर्भ क्षेत्र के चन्द्रपुर एवं यवतमल जिला में अन्वेषण, महाराष्ट्र	अन्वेषण
20.	पूर्व खासी पहाड़ी जिला में महापाषाणी स्थलों का अन्वेषण, मेघालय	अन्वेषण

1	2	3
21.	ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे में कामरूप जिला का अन्वेषण, असम	अन्वेषण
22.	देवगढ़ जिला ललितपुर से हमीरपुर तक नदी बेतवा के किनारे में अन्वेषण, (उत्तर प्रदेश)	अन्वेषण
23.	भावनगर के दक्षिणी क्षेत्र में अन्वेषण, गुजरात	अन्वेषण
24.	सत्तरी तालुक, दक्षिण गोवा, जिला गोवा में अन्वेषण	अन्वेषण
25.	कनकोना तालुक दक्षिण गोवा एवं इससे लगे क्षेत्र में अन्वेषण	अन्वेषण
26.	मिथिलांचल एवं पश्चिम बंगाल के मंदिरों का वास्तुशिल्पगत सर्वेक्षण	अन्वेषण
27.	टोन्डानाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संरचनात्मक मंदिरों का सर्वेक्षण	अन्वेषण
अन्तः जलीय उत्खनन/अन्वेषण		
28.	महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तमिलनाडु	उत्खनन
29.	एलीफेंटा द्वीप, एलीफेंटा, रायगढ़, महाराष्ट्र	उत्खनन
30.	लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप सं.रा. क्षेत्र, कावारट्टी, लक्षद्वीप	अन्वेषण/उत्खनन

मुद्रण उद्योग को मिट्टी के तेल का आवंटन

4472. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से मुद्रण उद्योग को मिट्टी के तेल के विशेष कोटे के आवंटन के संबंध में कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) मुद्रण उद्योग के लिए मिट्टी के तेल के विशेष कोटे के आबंटन के संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, श्री ए. रविचन्द्रन, माननीय संसद सदस्य ने जुलाई, 2005 में मंत्री (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) को लिखा है कि सिवाकासी में मुद्रण उद्योग के लिए मिट्टी तेल की कमी है क्योंकि डीलरों को आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्टाक नहीं मिल पा रहा है। मामले को देखा जा रहा है।

बकाया राशि का भुगतान

4473. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग लिमिटेड ने मई, 2005 में अपने बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के लिए 1 जनवरी, 1997 से नए वेतनमान लागू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भारी उद्योग लिमिटेड ने 1 जनवरी, 1997 से नए वेतनमानों के कारण बकाया धनराशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम्पनी यह भुगतान अपने आंतरिक स्रोतों से कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो कम्पनी ने बकाया राशि के भुगतान हेतु धनराशि किस तरह से जुटाई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) जी, हां। बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए कुल देय राशि 196.61 करोड़ रुपये है जिसमें से अभी तक 66.24 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) बिनी किसी सरकारी वित्तीय सहायता के निर्यातों आदि के माध्यम से सृजित अपनी स्वयं के आंतरिक संसाधनों से बकाया राशि का भुगतान कर रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

यूरो-2/3 पेट्रोल/डीजल की दरें

4474. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में आपूर्ति किए जा रहे यूरो-2/3 डीजल/पेट्रोल हेतु समान दरें वसूल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम पंजाब में समस्त यूरो-1 डीजल की आपूर्ति सस्ती दरों पर कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या रिलायंस हरियाणा और अन्य राज्यों में सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की तुलना में सस्ती दरों पर यूरो-2 की आपूर्ति कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा निजी कंपनियों की तुलना में उच्च दरों पर यूरो-1 की आपूर्ति करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) आटो ईंधन नीति के अनुसार यूरो-3 समकक्ष डीजल/पेट्रोल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तथा भारत चरण-2 डीजल/पेट्रोल को हरियाणा में दिनांक 1.4.2005 से आरंभ कर दिया गया है। यूरो-3 पेट्रोल उच्च कोटि का है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) भारत चरण-2 पेट्रोल की तुलना में इसकी ज्यादा कीमत वसूल रहे है।

(ख) वर्तमान में, ओएमसीज पंजाब में इंडिया 2000 मानकों (भारत चरण-1) के अनुपालन में डीजल की आपूर्ति कर रही है जो भारत चरण-2 डीजल की तुलना में निम्नकोटि के कारण सस्ता है। तथापि, भारत चरण-2 डीजल को पंजाब में दिनांक 1.10.2005 से शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) आटो ईंधन नीति के अनुसार, भारत चरण-2 (बीएस-2) डीजल को राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जहां इस ईंधन को दिनांक 1.10.2005 तक धीरे-धीरे शुरू किया जाना है, को छोड़कर दिनांक 1.4.2005 से समस्त भारत में शुरू कर दिया गया है। जबकि पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों का निर्धारण सरकार के साथ परामर्श से उद्योग आधार पर ओएमसीज द्वारा किया जाता है, वहीं निजी कंपनियां अपने स्वयं के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में ओएमसीज और निजी कंपनियों द्वारा वसूली जाने वाली दरों में थोड़ा और अंतर संभव है।

[हिन्दी]

मोतीपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

4475. श्री रामकृपाल यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य पूर्व रेलवे के अंतर्गत मोतीपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और वहां कंप्यूटरीकृत टिकट बुकिंग प्रणाली की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

4476. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टेशन के वर्तमान भवन की संरक्षित स्मारक के रूप में घोषणा की गई है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण करते समय स्टेशन की विरासत बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विभिन्न निर्माण कार्य जैसे धुलनीय एप्रन का बदलाव, पानी की निकासी में सुधार, प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त कूड़ेदानों और बेंचों की व्यवस्था, पुराने विश्राम कक्ष का नवीकरण, चार प्लेटफार्मों पर प्लेटफार्म सायबान का विस्तार, आठ प्लेटफार्मों पर प्लेटफार्म सतह की मरम्मत, छत की मरम्मत, ऊपरी पैदल पुल की जस्तायुक्त आयरन शीट की छत का बदलाव, पोर्च के मेन कानकोर्स का नवीकरण, संकेत चिन्हों की व्यवस्था, परिचलन क्षेत्र में स्टेशन इमारत का सौंदर्यवर्धन तथा यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए प्रथम एवं द्वितीय प्रवेश द्वार पर ऊंचे मस्तूल वाले टावर की व्यवस्था के कार्य चल रहे हैं।

(ग) और (घ) पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की मौजूदा इमारत धरोहर के रूप में घोषित कर दी गई है। विकास कार्य करते समय इमारत के बुनियादी डिजाइन और इसके फ्रेम वर्क को नहीं छेड़ा जाएगा। नवीकरण के जुड़े कार्यों तथा परम्परागत स्टेशन इमारत के संरक्षण के लिए 10.73 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(ङ) 9.84 करोड़ रुपए।

पुराने टर्मिनल का नवीकरण

4477. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार 1940 के विंटेज टर्मिनल के पुराने तथा अप्रयुक्त भाग का नवीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य में लगभग कितनी लागत आएगी; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची

4478. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची (आईएनबी) का प्रकाशन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पुस्तकों को नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता में रखने के लिए और स्थान उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या दीमक लग जाने के कारण 3 करोड़ रुपए लागत की 30,000 पुस्तकों की हालत खराब हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पुस्तकों की बेहतर सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा 1958 से भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची (आईएनबी) का प्रकाशन किया जा रहा है।

(ख) इस समय राष्ट्रीय पुस्तकालय में इन पुस्तकों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तकालय में दीमक लगने की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अधिवर्षिता लाभ योजना

4479. डा. के.एस. मनोज:
श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में स्व अंशदान सेवानिवृत्ति पश्चात् तथा सेवा में मृत्यु अधिवर्षिता लाभ योजना लागू है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के पास कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस योजना के तहत दावे पेश करने के लिए ओएनजीसी की एक निर्धारित प्रक्रिया है। ओएनजीसी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और दावों का निपटान करते हुए भुगतान किया जाता है। इस प्रकार के दावों के निपटान की प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल उन्हीं मामलों में निपटान में विलंब होता है, जहां दावेदारों द्वारा दावा संबंधी दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया हो। जैसा कि ओएनजीसी द्वारा बताया गया है, आज की तिथि में, इस प्रकार के 21 दावे लंबित हैं।

विलम्बित उड़ानों के यात्रियों को यान सुविधा

4480. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलंब किया जाता है तथा निजी विमान कंपनियों के विमानों को मौका देने के लिए पुन: उड़ान भरी जाती है;

(ख) यदि हां, तो जून, 2005 माह के दौरान विलम्बित तथा पुन: उड़ान भरने वाले विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानों के पुन: उड़ान भरने संबंधी क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की योजना विलंबित उड़ानों के यात्रियों को यान सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संकट में फंसे यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और/अथवा रूके हुए विमान यात्रियों के लिए अथवा सामग्री एवं मानव उतारने के लिए, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में मार्ग बदले जाने का सहारा लिया जाता है।

(घ) से (च) एयरलाइनें उड़ानों के रद्द होने की स्थिति में अपनी व्यावसायिक नीतियों के अनुसार यात्रियों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करती हैं।

[हिन्दी]

पनडुब्बियों की खरीद

4481. डा. राजेश मिश्रा:
श्री तूफानी सरोज:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पनडुब्बियों तथा तोपों की खरीद के लिए गत कई वर्षों से केवल एक ही कंपनी से लेन-देन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फ्रांस से स्कोरपीन पनडुब्बी खरीदने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने केवल फ्रांस की एक ही कंपनी से निविदा आमंत्रित की है या अन्य कंपनियों से भी निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रक्षा सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 के अनुसार की जाती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न विक्रेताओं से तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव आमंत्रित करने तथा निम्नतम बोलीदाता, जिसके उपस्कर तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए हैं, के साथ वार्ता करने की परिकल्पना है।

माझगांव डाक लिमिटेड, मुंबई में दो पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए आरंभ में प्रस्ताव संबंधी अनुरोध 1997 में चार फर्मों को जारी किए गए थे जिनमें से केवल एक फर्म ने प्रत्युत्तर दिया था। बाद में यह निर्णय लिया गया कि फ्रांसीसी कंपनी से प्रौद्योगिकी के अंतरण के अंतर्गत छह पनडुब्बियों का स्वदेश में निर्माण करने के लिए बातचीत की जाए। तथापि, इस संबंध में सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) और (च) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2005 में और पारदर्शिता लाने तथा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब को कम करने हेतु

कतिपय प्रावधान शामिल करने के लिए अर्जन प्रक्रिया को और सरल तथा कारगर बनाया गया है। इनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(1) गुणात्मक अपेक्षाओं को अधिक व्यापक बनाना जिससे एकल विक्रेता जैसी परिस्थितियों से बचा जा सके।

(2) वाणिज्यिक रूप से आफ-द-शेल्प मदों के लिए खुली निविदा आमंत्रित करना।

(3) 300 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के लिए प्रस्ताव संबंधी अनुरोध के एक हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष प्रतिसंतुलन तथा सत्यनिष्ठा अनुबंध।

(4) प्रस्ताव संबंधी अनुरोध के एक हिस्से के रूप में मानक संविदा शर्तें पहले से ही स्पष्ट करना।

(5) अधिप्राप्ति संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा।

[अनुवाद]

केरोसिन की कालाबाजारी

4482. श्री रघुनाथ झा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में नई दिल्ली में केरोसिन की कालाबाजारी के लिए कुछ केरोसिन तेल डीलरों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में केरोसिन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, नहीं। सीबीआई ने हाल ही में नई दिल्ली में किसी भी मिट्टी तेल के डीलर को कालाबाजारी के लिए गिरफ्तार नहीं किया है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी केरोसिन (प्रयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य का नियतन) आदेश 1993 में प्रावधान बनाए हैं कि डीलर सरकार या तेल कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मिट्टी तेल नहीं बेच सकते हैं और पीडीएस मिट्टी तेल डीलरों को विशिष्ट भंडारण के स्थान सहित व्यापार के स्थान पर बोर्ड पर स्टाक-सह-मूल्य लिखकर अवश्य दर्शाना चाहिए।

राज्य सरकारें अपने पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से पीडीएस मिट्टी तेल का वितरण करती हैं और अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों का कार्यान्वयन भी करती हैं।

रेल विरासत स्थल

4483. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ पर्वतीय रेलों को रेल विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार कुछ अन्य पर्वतीय रेलों को रेल विरासत स्थल घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पर्वतीय रेलों को कब तक रेल विरासत स्थल घोषित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। बहरहाल, देश में कुछ माऊंटेन रेलवे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।

(ख) यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक को-आपरेशन आर्गेनाइजेशन (यूनेस्को) द्वारा निम्नलिखितन माऊंटेन रेलों को विश्व धरोहर स्थल कहा गया है।

(1) दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दिसंबर, 1999 में।

(2) नीलगिरि माऊंटेन रेलवे, जुलाई, 2005 में।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बहरहाल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक को-आपरेशन आर्गेनाइजेशन द्वारा कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) अभी यूनेस्को द्वारा स्थल मूल्यांकन के लिए कालका-शिमला रेलवे को लिया जाना है। अभी तक कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए कोई नियत समय उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

तेलशोधन क्षमता

4484. श्री सीताराम सिंह:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल की शोधन क्षमता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान तेल शोधन क्षमता लगभग कितनी है;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए कच्चा तेल परिशोधन क्षमता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

की स्थिति के अनुसार	क्षमता मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए)
1.4.2003	118.368
1.4.2004	127.368
1.4.2005	127.368

(ग) दिनांक 1.4.2006 तक अनुमानित परिशोधन क्षमता 138.468 एमएमटीपीए हो जाएगी।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों का वास्तविक क्षमता उपयोग 98% था। बरौनी रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी के योजनाबद्ध तरीके से किए गए बंद तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की गुजरात रिफाइनरी में हुई एक आग दुर्घटना के कारण क्षमता उपयोग पूरी क्षमता की अपेक्षा में कुछ कम रहा।

[अनुवाद]

एयरलाइन प्रचालकों की सेफ्टी आडिट

4485. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरलाइन प्रचालकों की सेफ्टी आडिट नियमित रूप से सेफ्टी आडिट टीमों द्वारा की गई है;

(ख) यदि हां, तो सेफ्टी आडिट के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसी टीमों द्वारा कितने सेफ्टी आडिट किए गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सेफ्टी आडिट टीमों द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी टिप्पणियों पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एयरलाइनों/प्रचालकों का सेफ्टी आडिट संबंधित नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय की आडिट टीम द्वारा किया जाता है। तो भी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा किए जा रहे सभी प्रचालकों के सेफ्टी आडिट में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों, नियमित निगरानी तथा घटनाओं और दुर्घटनाओं की जांच पर प्रचालकों के आडिट में जब भी आवश्यक हो, बल दिया जाता है।

(ग) 2004-05 की अवधि के दौरान 13 सेफ्टी आडिट नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा किए गए।

(घ) और (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय की आडिट टीम प्रचालकों को सेफ्टी में आने वाले मामलों की समीक्षा, निरीक्षण तथा विश्लेषण करती है। सेफ्टी आडिट की सिफारिशें, कार्यान्वयन एक नियमित प्रक्रिया है। इन आडिटों के दौरान डीजीसीए द्वारा पाई गई कमियों को संबंधित प्रचालकों की जानकारी में लाया जाता है, ताकि वे आवश्यक सुधार उपाय कर सकें। प्रचालकों द्वारा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रचालकों द्वारा कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए तथा सुरक्षा सिफारिशों का अनुपालन किया गया, पुन: समीक्षा की जाती है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशों में ठेके लेना

4486. श्री अनन्त नायक: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने विदेशों में कुछ ठेके लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भेल द्वारा प्राप्त किए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ग) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा विदेशों में लिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इनसे कितना राजस्व अर्जित किया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने विगत 3 वर्षों (2001-02, 2002-03 और 2003-04) में वास्तविक निर्यात के लिए 2488 करोड़ रुपये के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये हैं। इन वर्षों के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा प्राप्त किए गए मुख्य निर्यात क्रयादेशों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

* त्रिपोली वेस्ट पावर स्टेशन लिबिया में 120 मे.वा. इकाई की मरम्मत।
* जाम्बिया के लिये 135 एमवीए के 10 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति और स्थापना एवं चालू करना।
* रोमानिया के लिये फैब्रिक फिल्टर की आपूर्ति तथा पर्यवेक्षण।
* 600 मे.वा. गैस टरबाईन आधारित वैस्टर्न माउंटेन विद्युत परियोजना, लिबिया।
* ताइवान विद्युत कम्पनी से बिहाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र के लिये संयंत्र सी एंड आई सहित 1×68 एमवीए हाइड्रो टरबाईन जनरेटर तथा अतिरिक्तयों की आपूर्ति तथा पर्यवेक्षण।
* मलेशिया के लिये 8×90 एमवीए ट्रांसफार्मर।
* इंडोनेशिया में 20 मे.वा. स्टीम टरबाईन आधारित उत्पादन परियोजना की आपूर्ति तथा स्थापना एवं चालू करने का पर्यवेक्षण।
* ओमान से 2×70 मे.वा. गैस टरबाईन आधारित र्टनकी विद्युत संयंत्र।
* कजाकिस्तान, एक्जौन मोबिल, शेवरान-टेक्सको और कजाक तेल कम्पनी की संयुक्त उध्यम से 1×40 मे.वा. आईएसओ गैस टरबाईन, जनरेटर और अतिरिक्त कलपूर्जे।
* श्रीलंका में 57 मे.वा. स्टीम टरबाईन तथा जनरेटर की आपूर्ति तथा पर्यवेक्षण।
* रूमल्ला जी टी पी पी इराक के लिये 4×124 मे.वा. आईएसओ गैस टरबाईन तथा उत्पादन इकाई की आपूर्ति तथा पर्यवेक्षण।
* चीन से 1×124 मे.वा. आईएसओ गैस टरबाईन तथा उत्पादन इकाई की आपूर्ति तथा पर्यवेक्षण।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न निर्यात ठेकों के क्रियान्वयन से भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	वर्ष 2001-02 में वास्तविक निर्यात	वर्ष 2002-03 में वास्तविक निर्यात	वर्ष 2003-04 में वास्तविक निर्यात
1	2	3	4	5
1.	एन्ड्रू यूल और कम्पनी	8.09	6.51	0.53
2.	ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लिमिटेड	8.47	8.97	0.69
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	987.00	637.00	596.00

1	2	3	4	5
4.	बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड	4.89	1.48	2.53
5.	एच.एम.टी. (बियरिंग) लिमिटेड	0.15	0.07	0.00
6.	एच.एम.टी. (आई) लिमिटेड	49.68	34.73	29.94
7.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि.	0.40	0.59	0.23
8.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	0.92	0.65	0.21
9.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड	0.25	0.51	0.26
10.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.08
11.	रिचर्डसन एवं क्रुडास लिमिटेड	0.24	0.71	0.00
12.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.	0.08	0.09	0.17
13.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	0.31	0.94	1.06
14.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	0.10	0.10	0.10
15.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	1.69	0.00	0.00
	कुल	1062.27	692.35	631.80

तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में निवेश पद्धति

4487. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री गणेश सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों की निवेश पद्धति यह दर्शाती है कि सह-प्रतियोगिता बनाने के बजाए, उनका उद्देश्य अपस्ट्रीम खोज तथा उत्पादन से डाउनस्ट्रीम खुदरा गतिविधियों तक संक्रियाओं को उर्ध्वाधर रूप से समेकित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रम के निवेश कार्यक्रम की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) दसवीं योजना के मध्यावधि समीक्षा में योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ कहा है कि तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) की उनकी प्रमुख क्षमता का निर्माण करने की बजाय अपस्ट्रीम अन्वेषण और उत्पादन से डाऊन स्ट्रीम खुदरा क्रियाकलापों से प्रचालनों को ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत करने को लक्ष्य बना रहे हैं।

(ख) और (ग) जी हां, तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के निवेश कार्यक्रमों की समीक्षा करने की जरूरत है। जबकि वास्तव में तेल पीएसयूज अपने व्यापार और वाणिज्यिक बिन्दुओं और अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों के निवेश के आधार पर निर्णय लेने में अधिकृत है। इसके भाग के रूप में सरकार यह सुनिश्चित करने को बाध्य है कि ऐसे निर्णय देश की दीर्घावधि हित के अनुरूप हों। इसलिए इन कंपनियों के बोर्डों में सरकारी निदेशक इस संबंध में सरकार और इन कंपनियों के बीच संचार चैनल के रूप में कार्य करते हैं। समग्रत: और सामान्यत: तेल पीएसयूज अपनी प्रमुख क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से परियोजनाओं में और परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और लाभप्रदता पर निर्भर करते हुए संबंधित व्यापार पहलुओं में विविधता तथा विस्तार दोनों हेतु निवेश करते हैं।

(घ) तेल पीएसयूज की वार्षिक योजना परिव्ययों का अनुमोदन करने के अलावा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी हस्तक्षेप करती है कि निवेश बल मुख्य क्षमताओं पर रहे, पीएसयूज के बीच अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से बचे, और तेल और गैस क्षेत्र में समग्रतः इष्टतम निवेशों के लिए उन्मुख रहे।

पाटन तथा मेहसाणा के बीच आमान परिवर्तन

4488. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाटन तथा मेहसाणा के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) भीलडी-वीरमगाम आमान परिवर्तन परियोजना के एक हिस्से के रूप में मेहसाना-पाटन आमान परिवर्तन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। भूमि कार्य, पुल कार्य और गिट्टी आपूर्ति के लिए निविदाओं की प्रक्रिया चालू कर दी गई है।

(ग) नियत नहीं है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में चल टिकट निरीक्षकों की तैनाती

4489. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियमानुसार प्रत्येक शयनयान डिब्बे में चल टिकट निरीक्षक (टी.टी.ई.) उपस्थित होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में चल टिकट निरीक्षक की तैनाती के संबंध में नियमानुसार प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रत्येक शयनयान डिब्बे में चल निरीक्षकों को तैनात नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलगाड़ियों में अपराध के मद्देनजर रेलवे प्रत्येक रेलगाड़ी विशेषकर प्रत्येक द्वितीय श्रेणी शयनयान डिब्बे में एक चल टिकट निरीक्षक तथा एक रेलवे पुलिसकर्मी को तैनात करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) निर्धारित मानदंड के अनुसार, यात्रा के पहले चरण के दौरान बिमा गालियारेदार गाड़ियों के एक स्लीपर के डिब्बे श्रेणी और गलियारेदार गाड़ियों के दो स्लीपर श्रेणी के डिब्बों में एक चल टिकट परीक्षक तैनात होता है। यात्रा के उत्तरवर्ती चरण में 3 स्लीपर श्रेणी के डिब्बों में एक चल टिकट परीक्षक (टीटीई) तैनात होता है। बहरहाल, टिकट जांच कैडर के कर्मचारियों की कमी के कारण कभी-कभी निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैनाती कठिन हो जाती है।

(ग) वर्तमान में किसी योजना को लागू करने का विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयरोस्पेस कमान

4490. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका की भारतीय वायु सेना के दो अधिकारियों को अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग में प्रशिक्षित करने की योजना है जैसा कि दिनांक 31 जुलाई, 2005 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन अधिकारियों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण की अवधि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार अलग से एयरोस्पेस कमान गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किस स्थान की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के दो अफसरों, एक ग्रुप कैप्टन और एक विंग कमांडर का चयन घनिष्ठता स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका

की पांच दिवसीय यात्रा पर जाने हेतु किया गया है। तथापि, यह कोई प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार को एक एयरोस्पेस कमान गठित करने की आवश्यकता से अवगत करवाया गया है। तथापि, इस कमान का गठन करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्र तथा राज्य सरकारों को राजस्व

4491. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा गैस कंपनियां केन्द्र तथा राज्य सरकारों को राजस्व प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान कितनी राजस्व धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) उक्त धनराशि में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का हिस्सा कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) तेल तथा गैस कंपनियां केन्द्रीय राजकोष में उद्ग्रहणों/करों नामत: उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, नैगर कर, रायल्टी, लाभांश पर कर, उपकर, आदि के माध्यम से तथा राज्य राजकोष में बिक्री कर, भाड़ा, शुल्कों, रायल्टी, राज्य सरकार की लाभांश आदि के रूप में भुगतान करती हैं।

(ख) और (ग) तेल तथा गैस कंपनियों का केन्द्रीय राजकोष तथा राज्य राजकोष को पिछले तीन वर्ष के दौरान अलग-अलग किया गया अनुमानित अंशदान निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय राजकोष	राज्य राजकोष
2002-03	64595	32156
2003-04	69195	35180
2004-05	77692	43254

गोरखपुर में प्रसारण सेवा

4492. श्री पंकज चौधरी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र में असंतोषजनक प्रसारण सेवा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रसारण सेवा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार गोरखपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन चैनलों के प्रसारण के लिए नए ट्रांसमीटर स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गोरखपुर जिले को दूरदर्शन के दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (डी.डी.-1-10 किवा और डी.डी. न्यूज-1 किवा) तथा एक 100 कि.वा. मी.वे. रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा पर्याप्त प्रसारण कवरेज मिलती है। ये ट्रांसमीटर सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोगीबील परियोजना

4493. श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
डा. अरूण कुमार शर्मा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोगीबील सेतु परियोजना पर अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर आज तक कितना खर्च हुआ है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान परियोजना के लिए रेलवे द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने लागत में अपने हिस्से के रूप में कोई धनराशि दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्धारित समय सीमा में सेतु का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) संपूर्ण वास्तविक प्रगति लगभग 19% है।

(ख) मार्च, 2005 तक 294.74 करोड़ रुपए।

(ग) 2005-06 के बजट में 82 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं जिनमें से 70 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित अवसंरचना विशेष प्रयोजन योजना के जरिए प्राप्त होना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सामान्य रेलवे योजना के अतिरिक्त परियोजना विशेष निधि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

वीरता पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को भत्ते

4494. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वीरता पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को कतिपय भत्ते देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीरता पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को दिये जा रहे भत्ते की धनराशि में वृद्धि करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) वीरता पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में प्रतिमाह दिए जाने वाले भत्ते दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) वीरता पुरस्कारों से जुड़े वित्तीय भत्तों में समय-समय पर वृद्धि की गई है। इस प्रकार की वृद्धि पिछली बार 1999 में की गई थी। फिलहाल भत्तों की धनराशि में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

स्वतंत्रता-पश्चात्

	वीरता पुरस्कार	वित्तीय भत्ता (रुपए)
(1)	परमवीर चक्र	1,500/- प्रतिमाह
(2)	अशोक चक्र	1,400/- प्रतिमाह
(3)	महावीर चक्र	1,200/- प्रतिमाह
(4)	कीर्ति चक्र	1,050/- प्रतिमाह
(5)	वीर चक्र	850/- प्रतिमाह
(6)	शौर्य चक्र	750/- प्रतिमाह
(7)	सेना/नौसेना/वायुसेना मेडल (वीरता)	250/- प्रतिमाह

स्वतंत्रता-पूर्व

	वीरता पुरस्कार	वित्तीय भत्ता (रुपए)
(1)	विक्टोरिया क्रास	
	(क) अफसर/जेसीओ	80/- प्रतिमाह
	(ख) अन्य रैंक (इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 पाउंड स्टर्लिंग दिए जाते हैं)	40/- प्रतिमाह
(2)	इंडियन आर्डर आफ मेरिट	350/- प्रतिमाह
(3)	इंडियन आर्डर आफ मेरिट क्लास-1	300/- प्रतिमाह
(4)	इंडियन आर्डर आफ मेरिट क्लास-2	200/- प्रतिमाह
(5)	विशिष्ट सेवा क्रास	200/- प्रतिमाह
(6)	मिलिटरी क्रास	200/- प्रतिमाह
(7)	विशिष्ट फ्लाइंग क्रास	200/- प्रतिमाह
(8)	उत्कृष्ट वीरता मेडल	200/- प्रतिमाह
(9)	मिलिटरी मेडल	90/- प्रतिमाह
(10)	भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल	70/- प्रतिमाह
(11)	विशिष्ट फ्लाइंग मेडल	50/- प्रतिमाह

टिप्पणी:- पुरस्कार की प्रत्येक श्लाका के लिए नकद भत्ते की धनराशि उतनी ही होगी, जितनी मूल पुरस्कार पर देय है।

बाल फिल्म परिसर

4495. **श्री ए. साई प्रताप:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में बाल जिला परिसर स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों हेतु गरीबी उपशमन कार्यक्रम

4496. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ क्रियान्वित किये जा रहे गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इसके अंतर्गत योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ग) क्या देश के विभिन्न पिछड़े वर्गों के असमान विकास के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय/विभाग सामान्यत: गरीब लोगों के लिए विभिन्न गरीबी उपशमन योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धन व्यक्ति भी इन योजनाओं के द्वारा शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, गरीबी रेखा से दुगुना नीचे जीवन यापन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को ही स्व-रोजगार उद्यमों और अन्य आय सृजन कार्यकलापों को स्थापित करने के लिए अपनी आवधिक ऋण और माइक्रो फाइनेंस योजनाओं के अंतर्गत रियायती ऋण प्रदान करता है जो उन्हें अन्य बातों के साथ, गरीबी रेखा से ऊपर आने में सहायता करता है। अन्य पिछड़े वर्गों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मंत्रालय स्वैच्छिक संगटनों को भी सहायता अनुदान दे रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ, लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में भी उनकी मदद करता है और अन्तत: लाभार्थियों के गरीबी उपशमन में सहायक होता है। इन योजनाओं का ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) इस मंत्रालय की उपर्युक्त वर्णित तीन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी निधियां इस प्रकार हैं:-

(राशि: करोड़ रुपए)

योजना	वर्ष			
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आवधिक ऋण	114.83	112.25	72.37	20.66
माइक्रो फाइनेंस	11.10	18.84	21.06	4.34
गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	4.80	4.47	5.51	1.07

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करना

4497. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2004-05 के दौरान पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास निर्माण योजना और अन्य योजनाओं के लिए धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो 2004-05 के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों को 2003-04 के लिए धनराशि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये बिना भी धनराशि जारी की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई धनराशि के औचित्यपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) 2004-05 के दौरान निर्मुक्त निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग से आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के बाद तथा विगत निर्मुक्तियों के उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होने की शर्त पर गैर-सरकारी संगठनों को निधि निर्मुक्त की जाती है।

विवरण

2004-2005 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	एनबीसी-एफडीसी द्वारा किया गया संवितरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	673.37	299.02	333.00	35.05	250.00
2.	असम	–	100.02	–	13.25	80.20
3.	बिहार	–	–	–	–	170.00
4.	छत्तीसगढ़	102.00	–	132.67	1.23	108.19
5.	चंडीगढ़	–	–	–	–	24.70
6.	गुजरात	335.30	365.25	138.00	–	350.09
7.	गोवा	–	5.96	–	–	28.45
8.	हरियाणा	–	13.77	–	9.34	175.00
9.	हिमाचल प्रदेश	–	16.28	42.00	–	250.00
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	2.02	40.60
11.	झारखंड	–	–	96.57	–	–
12.	कर्नाटक	–	248.45	–	16.61	1000.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	केरल	–	–	–	–	1697.50
14.	मध्य प्रदेश	–	–	91.50	22.10	148.75
15.	महाराष्ट्र	–	13.76	–	122.84	1950.00
16.	मणिपुर	75.00	108.51	–	70.94	–
17.	उड़ीसा	–	–	–	8.52	50.00
18.	पंजाब	–	109.53	–	–	200.00
19.	पांडिचेरी	–	10.00	50.00	–	50.00
20.	राजस्थान	–	–	–	78.25	293.40
21.	सिक्किम	–	6.55	–	–	257.90
22.	तमिलनाडु	242.55	26.63	157.50	3.80	800.00
23.	त्रिपुरा	120.67	98.83	26.86	–	99.03
24.	उत्तरांचल	1.60	62.31	–	9.70	52.75
25.	उत्तर प्रदेश	325.17	742.09	212.00	64.83	616.00
26.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	10.10	600.00
27.	दिल्ली	–	–	–	82.66	50.00
	कुल	1875.00	2466.97	1276.00	551.24	9342.47

जापानी सहायता से विमानपत्तन का निर्माण

4498. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने देश में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर मौसम पूर्वानुमान सूचना

4499. श्री संजय धोत्रे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में सभी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा मौसम के पूर्वानुमान की सूचना प्रसारित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों द्वारा मौसम संबंधी सूचना प्रसारित न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मौसम के पूर्वानुमान की सूचना राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों और देश में स्थित विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित/रिले किए जाने वाले कृषि और अन्य कार्यक्रमों में दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय हेलीकाप्टर का निर्माण

4500. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और यूरोकाप्टर संयुक्त रूप से दस टन से अधिक भार वाले बहुउद्देशीय हेलीकाप्टर के निर्माण पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने दस टन वर्ग के हेलिकाप्टर के सह-विकास तथा विनिर्माण की संभावना तलाशने के लिए प्रतिष्ठित हेलिकाप्टर विनिर्माताओं के साथ बातचीत शुरू की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में उत्खनन परियोजनाएं

4501. डा. राम लखन सिंह:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के समक्ष मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय उत्खनन से संबंधित कतिपय प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, मध्य प्रदेश से क्षेत्र कार्य (फील्ड सीजन) 2004-05 के लिए चार उत्खनन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, नामत: (1) प्रागैतिहासिक शैलाश्रय (राक शैल्टर) भीमबेटका (जिला रायसेन), (2) सांची स्तूप परिसर (जिला रायसेन), (3) गोंडारमऊ (जिला भोपाल) तथा (4) चतुर्भुज नाला, भानपुरा (जिला मंदसौर)। केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका के उत्खनन प्रस्ताव को छोड़कर अन्य किसी प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की। भीमबेटका उत्खनन के लिए हाल ही में अनुमोदन दिया गया है।

बिलासपुल-नैनपुर नई रेल लाइन का सर्वेक्षण

4502. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बिलासपुर से मांडला-नैनपुर तक नई रेल लाइन और नैनपुर और छिंदवाड़ा के बीच रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) बिलासपुर से मांडला तक नई रेल लाइन और मांडला फोर्ट-नैनपुर खंड के आमान परिवर्तन के लिए 2003-04 के दौरान सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की लागत ऋणात्मक प्रतिफल दर के साथ 736.96 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

इसके अलावा, नैनपुर-छिंदवाड़ा (139.6 कि.मी.) खंड का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन हेतु 2003-04 के दौरान सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर के साथ 228.22 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

उपर्युक्त प्रस्तावों की अलाभकारी प्रकृति, चालू परियोजनाओं के भारी ओफारवर्ड एवं संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

गुड्स शैडस के लिए स्थान की उपलब्धता

4503. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिपतूर रेलवे स्टेशन पर गुड्स शैडस के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुड्स शैडस के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। तीपतूर रेलवे स्टेशन पर 232.9 वर्ग मीटर क्षेत्र वाला एक माल शेड है।

ओएनजीसी द्वारा मिट्टी तेल का विपणन

4504. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से मिट्टी तेल का विपणन किये जाने तथा गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को भी इसका विपणन किये जाने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार ने अगस्त, 2005 में ओएनजीसी को यह अनुमति दे दी है कि वह देश में उत्पादित अपने मिट्टी तेल को, पीडीएस के तहत मिट्टी तेल के वितरण के लिए तेल विपणन कंपनियों की पूरी मांग को पूरी करने के पश्चात्, गैर पीडीएस ग्राहकों को बेच सकती है।

छोटे वायुयानों की खरीद

4505. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे छोटे और कम लागत वाले मार्गों पर विमान चलाने हेतु इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर में छोटे वायुयान शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे विमानों की खरीद के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विमान सेवा संपर्क बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त छोटे फिक्स्ड विंग विमान को सेवा में लगाने के लिए, एक विस्तृत साध्यता अध्ययन कराने के लिए एक अन्त: विभागीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

[हिन्दी]

नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

4506. श्री देविदास पिंगले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ की समस्या को सुलझाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इस स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इन उद्देश्यों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकटों के जारी करने संबंधी मौजूदा व्यवस्था को स्टेशन पर सम्हाले गए यातायात की मात्रा को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

(ग) से (ङ) नए कवर ओवर शेड के अंतर्गत प्लेटफार्म सं. 2 एवं 3 पर फर्श में सुधार का कार्य हाल ही में पूरा हो गया है और दो यात्री सुविधा संबंधी कार्य अर्थात् (1) 2.2 लाख लीटर क्षमता वाले पूर्व-बलित सीमेंट कंक्रीट के पानी के टैंक का बदलाव (लागत 24.30 लाख रुपए) और (2) विश्राम कक्ष का सुधार (लागत 4.00 लाख रुपए) शुरू किए हैं जिसके लिए इस स्टेशन पर चालू वर्ष के दौरान क्रमश: 3.00 लाख रुपए और 1.00 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

4507. श्री ब्रजेश पाठक: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयल इंडिया लिमिटेड और अन्य तेल कंपनियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए देश में और विदेशों में प्रशिक्षण में आरक्षण प्रदान करने हेतु क्या दिशा-निर्देश और नियम/अनुदेश तैयार किये गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत और विदेशों में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए तथा आयल इंडिया लिमिटेड और अन्य तेल कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कितने एस.सी./एस.टी. आवेदकों को नामांकित किया गया;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में नियम के उल्लंघन का कोई मामला आया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) आयल इंडिया तथा अन्य तेल कंपनियां देश और विदेश में उनके अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रही हैं जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/सरकार द्वारा जारी किए गए हैं।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य कंपनियों द्वारा भारत और विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित अनु.जा./अनु.ज.जा. के उम्मीदवारों की संख्या विवरण-1 और 2 में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

देशभर में प्रशिक्षण हेतु नामित अधिकारी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वर्ष 2002-03/ 2003-04/2004-05 के के दौरान देशभर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	वर्ष 2002-03 के दौरान नामित अनु. जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारी	वर्ष 2003-04 के दौरान नामित अनु. जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारी	वर्ष 2004-05 के दौरान नामित अनु. जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारी
1.	आई ओ सी	1424/1427/1840	2474	3108	2914
2.	बी आर पी एल	84/101/108	79	98	205
3.	एन आर एल	48/50/63	8	14	10
4.	एमआरपीएल	120/176/168	17	19	22
5.	गेल	122/207/196	352	365	407
6.	बीको लारी	11/24/107	3	0	7
7.	बामर लारी	11/19/23	2	1	1
8.	सीपीसीएल	221/230/329	181	219	285
9.	ओआईएल	0/1/1	112	205	202
10.	ओएनजीसी	255/256/227	440	665	546
11.	एचपीसीएल	420/463/374	681	680	612
12.	आईबीपी	173/244/219	167	525	347
13.	केआरएल	157/189/196	57	59	78
14.	बीपीसीएल	135/123/176	41	38	26
15.	ईआईएल	79/53/53	241	237	167

विवरण II

विदेशों में प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वर्ष 2002-03/ 2003-04/2004-05 के के दौरान विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	वर्ष 2002-03 के दौरान नामित अनु. जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारी	वर्ष 2003-04 के दौरान नामित अनु. जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारी	वर्ष 2004-05 के दौरान नामित अनु. जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारी
1.	आई ओ सी	36/29/27	16	9	2
2.	बी आर पी एल	4/6/7	0	1	1
3.	एन आर एल	–	0	0	1
4.	एमआरपीएल	0/1/0	0	1	0
5.	गेल	8/2/9	8	2	9
6.	बीको लारी	–	–	–	–
7.	बामर लारी	–	0	0	0
8.	सीपीसीएल	27/5/3	7	1	0
9.	ओआईएल	34/36/45	3	6	11
10.	ओएनजीसी	2/2/1	4	6	2
11.	एचपीसीएल	7/9/11	–	–	–
12.	आईबीपी	2/2/6	–	–	–
13.	केआरएल	11/18/15	0	1	4
14.	बीपीसीएल	35/41/27	0	1	4
15.	ईआईएल	–	–	–	–

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तेलशोधक कारखाने

4508. श्री एस.के. खारवेनन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में तमिलनाडु में कौन-कौन से तेलशोधक कारखाने कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में तेलशोधक कारखाने-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का कच्चा तेल शोधित किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में नई तेलशोधक परियोजना आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) तमिलनाडु राज्य में कार्यरत रिफाइनरियों के नाम निम्नानुसार हैं-

(1) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) की मणली (चेन्नई) रिफाइनरी

(2) सीपीसीएल की कावेरी बेसिन (नागापट्टिनम) रिफाइनरी

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में शामिल किए गए कच्चे तेल की रिफाइनरी वार कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है-

वर्ष	सी.पी.सी.एल. मणली		सी.पी.सी.एल. नागापट्टिनम	
	मात्रा टीएमटी में	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा टीएमटी में	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2002-03	6176.1	6534.2	643.2	712.8
2003-04	6386.7	6942.1	653.2	744.0
2004-05	8180.7	11610.1	742.2	1153.6

(ग) और (घ) रिफाइनरी क्षेत्र जून, 1998 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और किसी रिफाइनरी को प्रोन्नायक द्वारा इसकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन के अनुसार निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। केन्द्र सरकार नहीं, वरन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यम इन रिफाइनरियों को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 22.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/11/(2)/97-वित्त के द्वारा सरकार द्वारा उनको निर्णय लेने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार कोई रिफाइनरी स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।

बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना

4509. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां देश के विभिन्न भागों में बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कहां पर स्थापित किये जायेंगे और इनकी कितनी क्षमता होगी;

(ग) इनकी स्थापना कब तक होने की संभावना है; और

(घ) इन संयंत्रों के लिए धनराशि किस प्रकार जुटाई जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सात नए एलपीजी भरण संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) नए एलपीजी भरण संयंत्रों के विकास/भरण क्षमता में वृद्धि करने हेतु विकास के लिए निधियां ओएमसीज के आंतरिक संसाधनों से जुटाई जाएंगी।

विवरण

ओएमसीज के योजित नए एलपीजी भरण संयंत्रों का ब्यौरा

स्थल का नाम	क्षमता (टीएम टीपीए में)	वर्तमान स्थिति
रायपुर (छत्तीसगढ़)	44	मार्च, 2006 तक पूरा किया जाना प्रत्याशित
वसई (महाराष्ट्र)	10	मार्च, 2006 तक पूरा किया जाना प्रत्याशित
इलायांगुडी (तमिलनाडु)	22	सितम्बर, 2005 में प्रारम्भ किया जाना प्रत्याशित
राजामुंद्री (आंध्र प्रदेश)	44	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर
मुंबई (महाराष्ट्र)	88	अक्तूबर, 2005 तक पूरा किया जाना प्रत्याशित
पटना (बिहार)	44	2006-07 के दौरान पूरा किया जाना प्रत्याशित
लोनी (उत्तर प्रदेश)	44	मार्च, 2006 तक पूरा किया जाना प्रत्याशित

ग्रन्थों से छुआछूत को बढ़ावा देने वाले संदर्भों का हटाना

4510. श्री के.एस. राव: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दलितों के प्रति भेदभाव बरतने और छुआछूत को बढ़ावा देने वाले संदर्भों को ग्रन्थों से हटाने/समाप्त करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अस्पृश्यता को अपराध माना गया है।

[हिन्दी]

आरटीएसए हेतु समिति

4511. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट (आरटीएसए) हेतु बनी समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) उक्त समिति को क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) इन वर्षों के दौरान उक्त समिति द्वारा जोन-वार कितने आरटीएसए नियुक्त किए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने इस समिति के कार्य की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल यात्री सेवा एजेंटों (आरटीएसए) का चयन आवेदन पत्र आमंत्रित करके आमतौर पर मंडलीय स्तर के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाता है। समिति की संरचना का निर्धारण मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किया जाता है।

समिति आवेदन पत्रों की जांच करती है और अनुमोदन के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करती है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) समितियां मंडलीय/जोनल स्तर पर बनाई जाती हैं, जिनका गठन समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर रेल यात्री सेवा एजेंटों का चयन करने के लिए किया जाता है।

टर्बो जनरेटर लगाना

4512. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को हरिद्वार स्थित हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट संयंत्र में टर्बो जेनरेटर लगाने में अत्यधिक विलंब की वजह से 3.62 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2005 की रिपोर्ट संख्या 3 (वाणिज्यिक) में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) वर्ष 2005 की रिपोर्ट संख्या 3 के संगत पैरा 11.1.1 पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट विचाराधीन है।

पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमितताएं

4513. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडिया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां भू-स्वामियों को मनमाने ढंग से पेट्रोल पम्प आबंटित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पहले, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को बिना विज्ञापनों के माध्यम से उन भूस्वामियों, जिन्होंने अपनी भूमि प्रस्तावित की हो, को खुदरा बिक्री डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों) के आबंटन के लिए उनके दिशानिर्देशों में अनुमति थी। चूंकि यह प्रावधान पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं था इसलिए सरकार द्वारा इसका पुनरीक्षण किया गया और ओएमसीज को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी गई थी-

> "ओएमसीज को भूमि के सीधे प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद, स्थान की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना चाहिए और यदि व्यवहार्य पाया जाए तो ओएमसीज को उक्त क्षेत्र में परिचालनाधीन दो अग्रणी समाचार पत्रों में एक विज्ञापन अवश्य जारी करना चाहिए और विज्ञापन में यह तथ्य बताया जाना चाहिए कि उन्हें डीलरशिपों आदि के लिए भूमि प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं/हुआ है तथा वे अन्य व्यक्तियों से ऐसे ही प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन विज्ञापनों में अवश्य बताया जाना चाहिए कि डीलर का अंतिम चयन प्रस्तावित भूमियों के मूल्यांकन के आधार पर और दिशानिर्देशों में प्रावधान किए गए अनुसार अन्य मानकों के लिए उम्मीदवारों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।"

(ख) से (घ) वर्ष 2004-05 और अप्रैल-जून, 2005 की अवधि के दौरान ओएमसीज को क्रमश: 98 और 19 शिकायतें भूस्वामियों को डीलरशिपों के अवार्ड के संबंध में प्राप्त हुई। ओएमसीज द्वारा ऐसी शिकायतों का निपटान डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए ओएमसीज के दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण व्यवस्था के लिए किए गए प्रावधान के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा ओएमसीज को सलाह दिए गए कतिपय व्यापक प्राचलों के आधार पर उनके द्वारा बनाए गए ये दिशानिर्देश वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी हैं। सरकार को भी समय-समय पर डीलरों के चयन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। गुणावगुण के आधार पर ऐसी शिकायतों की जांच ओएमसीज/ओएमसीज के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के जरिए कराई जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

रेलवे स्टेशनों पर शौचालयों का जीर्णोद्धार

4514. श्री प्रदीप गांधी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थित शौचालयों के जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) जीर्णोद्धार कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलों ने बहुत से स्टेशनों पर डिलक्स शौचालयों सहित "पे एंड यूज" शौचालयों की व्यवस्था की है और इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक शौचालयों का नवीकरण किया जा रहा है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए अलग से धन आबंटित नहीं किया जाता है।

(घ) योजना के अनुसार उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे में स्टोर्स मेनेजमेंट और इन्वेन्ट्री कंट्रोल

4515. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में "स्टोर्स मेनेजमेंट और इन्वेन्ट्री कंट्रोल' में गड़बड़ है जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट सं. 9 ए में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे में स्टोर्स मेनेजमेंट तथा इन्वेन्ट्री कंट्रोल को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाया गया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार रेलवे के सभी स्टोरों में इस्तेमाल न किए जाने वाले तथा अप्रयोज्य पड़ी चीजों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन चीजों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे में कुल्हड़ों तथा खादी की खरीद

4516. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों में तथा रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ों और खादी/हैंडलूम वैरायटी के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान जोन-वार कितने कुल्हड़ तथा खादी खरीदी गई है/खरीदी जानी है तथा इस पर कितना व्यय किया गया है/किया जाना है;

(ग) रेलवे में कुल्हड़ों तथा खादी की जोन-वार दैनिक आवश्यकता तथा उपलब्धता कितनी है; और

(घ) रेलवे द्वारा क्रमशः कुम्हारों तथा बुनकरों को कुल्हड़ों तथा खादी के लाभकारी मूल्य प्रदान करने तथा इसमें बिचौलियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलगाड़ियों में एवं रेलवे स्टेशन पर चाय, काफी एवं अन्य पेय पदार्थों को परोसने के लिए कुल्हड़ के प्रयोग को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। रेलगाड़ियों में खादी/हस्तकरघा उत्पादों के प्रयोग के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) 2004-05 के दौरान खादी एवं हैण्डलूम की खरीद पर किए गए जोनवार खर्च को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है और साथ ही 2005-06 के दौरान भी इतना ही खर्च होने का अनुमान है। विभागीय खानपान इकाईयों हेतु 2004-05 एवं 2005-06 (जून तक) के दौरान कुल्हड़ों की खरीद और उस पर होने वाला खर्च दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। लाइसेंस पर चलाई जाने वाली इकाईयों के लिए इस प्रकार के आंकड़े रखना संभव नहीं है।

(घ) अन्य एजेंसियों जैसे जनजातीय सहकारिताओं, लघु उद्योगों, महिला विकास सहभागिताओं इत्यादि से मूल्य की व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के बाद "एकल संविदा" के द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) से कुल्हड़ों की खरीद की जाती है। केवीआईसी के अनुपस्थिति अथवा आवश्यकता की आपूर्ति में केवीआईसी की असमर्थता पर जनजातीय सहकारिताओं, लघु उद्योगों, महिला विकास सहभागिताओं, स्थानीय कुम्हारों इत्यादि के कुल्हड़ों की खरीद की जाती है। इन मामलों में खरीद के लिए सर्वेक्षण एवं कोटेशन की विधि अपनाई जाती है। कुल्हड़ों की खरीद में इससे दलालों पर रोक लगती है।

खादी की खरीद अनन्य रूप से खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) जो एक सरकारी संस्था है, से की जाती है।

विवरण I

2004-05 के दौरान रेलवे/उत्पादक इकाइयों द्वारा खादी एवं हैण्डलूम की खरीद पर किया गया खर्च

रेलवे/उत्पादन इकाईयों	खर्च (मूल्य लाख रु. में)
मध्य रेलवे	192.30
पूर्व रेलवे	315.00
उत्तर रेलवे	1005.00
पूर्वोत्तर रेलवे	34.76
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	51.06
दक्षिण रेलवे	222.30
दक्षिण मध्य रेलवे	291.10
दक्षिण पूर्व रेलवे	149.72
पश्चिम रेलवे	305.46
पूर्व मध्य रेलवे	113.94
पूर्व तट रेलवे	16.41
उत्तर मध्य रेलवे	0.37
उत्तर पश्चिम रेलवे	89.20
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	29.65
दक्षिण पश्चिम रेलवे	33.59
पश्चिम मध्य रेलवे	45.71
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	0.57
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	35.43
डीजल रेल इंजन कारखाना	19.28
सवारी डिब्बा कारखाना	12.16
रेल डिब्बा कारखाना	49.04
रेल पहिया कारखाना	5.27
कुल	3017.32

विवरण II

विभागीय खानपान इकाईयों में उपयोग किए गए कुल्हड़ का विवरण

रेलवे	2004-05		2005-06 (जून 2005 तक)	
	उपयोग किए गए कुल्हड़ों की संख्या (संख्या लाख में)	कुल खर्च की गई राशि (मूल्य लाख रु. में)	उपयोग किए गए कुल्हड़ों की संख्या (संख्या लाख में)	कुल खर्च की गई राशि (मूल्य लाख रु. में)
मध्य	4.60	2.44	0.34	0.14
पूर्व	7.61	2.60	1.89	0.63
उत्तर	30.14	10.57	9.00	3.25
पूर्वोत्तर	81.06	22.70	24.82	6.95
पूर्वोत्तर सीमा	4.45	2.57	1.14	0.63
दक्षिण	1.26	0.72	0.20	0.11
दक्षिण मध्य	7.89	5.31	0.65	0.50
दक्षिण पूर्व	16.62	6.32	4.23	1.61
पश्चिम	4.45	2.18	0.78	0.65
पूर्व मध्य	13.77	5.03	4.12	1.51
पूर्व तट	6.51	3.00	2.18	0.99
उत्तर मध्य	25.77	7.39	8.32	9.62
उत्तर पश्चिम	0.13	0.03	0.04	0.01
दक्षिण पूर्व मध्य	31.90	18.03	9.08	5.45
दक्षिम पश्चिम	0.59	0.41	0.05	0.03
पश्चिम मध्य	67.48	37.64	21.94	12.02
कुल	304.23	126.94	88.78	44.10
आईआरसीटीसी	34.20	16.48	8.31	5.03
कुल योग	338.43	143.42	97.09	49.13

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना को बेगमपेट विमानपत्तन सौंपना

4517. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के बेगमपेट विमानपत्तन को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को सौंपे जाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) शमशाबाद में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के शुरू होने के बाद, हैदराबाद के मौजूदा बेगमपेट हवाईअड्डे को नागरिक प्रचालनों के लिए बन्द कर दिया जाएगा। तथापि मौजूदा हवाईअड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ही रहेगा एवं इसका रख-रखाव भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों के आस-पास अतिक्रमण

4518. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के कई विमानपत्तनों के आस-पास के क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे भय की भावना बन रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विमानपत्तनों के आस-पास के क्षेत्रों पर अतिक्रमण रोकने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा अतिक्रमणों को हटाने हेतु राज्य सरकार से संपर्क करने के लिए हवाईअड्डा निदेशक/हवाईअड्डा प्रभारी के पास निदेश पहले से मौजूद हैं। आगे किसी भी होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चारदीवारी का निर्माण करने/हवाईअड्डों की परिसीमा/भूमि पर बाड़ लगाने तथा नियमित निरीक्षण करने के लिए अन्तर संगठनीय निदेश जारी कर दिए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कमीशन पर आधारित टी.वी. कार्यक्रमों का निर्माण

4519. श्री कमला प्रसाद राक्त: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमीशन पर आधारित टी.वी. कार्यक्रमों का निर्माण बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे टी.वी. कार्यक्रमों को पुन: शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इनके कब पुन: शुरू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आज तक की स्थिति के अनुसार कमीशन्ड कार्यक्रमों का निर्माण बंद नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अतिशय कार्गो क्षमता

4520. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में कार्गो की अतिशय क्षमता का निर्माण किया गया है, जो अभी तक प्रयोग में नहीं लाई गई है, जिससे करोड़ों रुपयों का निवेश बेकार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त निर्यात कार्गो क्षमता का निर्माण करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2005 की अपनी रिपोर्ट सं. 3 (वाणिज्यिक) में इस मामले के संबंध में बताया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। भविष्य के यातायात अनुमानों के आधार पर, निर्यात कार्गो की संवृद्धि को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त स्थान मुहैया कराया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) मुहैया कराए गए अतिरिक्त स्थान का प्रयोग अब हज टर्मिनल की स्थापना तथा कूरियर कार्यकलापों के लिए किया गया

है। शेष स्थान का उपयोग कार्गो प्रचालनों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों के आवास के लिए किया गया है।

जम्मू से श्रीनगर तक पेट्रोलियम पाइपलाइन

4521. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जम्मू से श्रीनगर तक पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इस परियोजना के वित्तीय प्रभावों का भी अध्ययन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पाकिस्तान से ईंधन लाने के लिए मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक गैस पाइपलाइन बिछाने के एक विकल्प का जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) सरकार ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को श्रीनगर को एक उत्पाद पाइपलाइन के विनिर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, लागत अनुमान तथा अन्य आवश्यकताओं के बारे में बताने और साथ-साथ एलपीजी की आपूर्ति के लिए एक और पाइपलाइन बिछाने की व्यवहार्यता तलाशने हेतु भी कहा है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त (छ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में लूटपाट की घटनाएं

4522. मोहम्मद शाहिद:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेल यात्रियों की लूटपाट की घटनाओं की जानकारी है जैसाकि दिनांक 11 अगस्त, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की भी जानकारी है कि यह घटना रेलगाड़ी में आरपीएफ जीआरपी के जवानों की उपस्थिति के बावजूद हुई;

(घ) यदि हां, तो ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए आरपीएफ जीआरपी के जवानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऐसी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। 8.8.2005 को लगभग 22.00 बजे दिल्ली शाहदरा-शामली खंड में खेखड़ा-नुसरताबाद खड़खड़ी हाल्ट के बीच 7/8 शरारती तत्वों ने गाड़ी सं. 6-एसएसडी (शामली-दिल्ली पैसेंजर) के साधारण सवारी डिब्बा सं. 16118/1 के यात्रियों को कथित रूप से लूट लिया था। गाड़ी का मार्ग रक्षण राजकीय रेल पुलिस बड़ौत, उत्तर प्रदेश के दो कांस्टेबलों द्वारा किया गया था। कथित लूट की घटना की रिपोर्ट दिल्ली रेलवे पुलिस, दिल्ली को की गई थी, जिन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 8.8.2005 को भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 397, 34 के तहत अपराध सं. 0172/05 पर मामला दर्ज किया था और बाद में उन्होंने यह मामला क्षेत्राधिकार के आधार पर राजकीय रेल पुलिस, बड़ौत, उत्तर प्रदेश को अंतरित कर दिया था। तत्पश्चात् राजकीय रेल पुलिस, बड़ौत, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 9.8.2005 को आईपीसी की धारा 397, 34 के अंतर्गत अपराध सं. 14/05 पर एक मामला दर्ज किया था।

(ग) और (घ) पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होने के नाते चलती गाड़ियों और रेल परिसरों में यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा संबंधित राज्य सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है जिसे वह अपनी राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से निभाती है। रेलों पर अपराध के मामले राजकीय रेल पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं, उनके द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उनकी छानबीन की जाती है।

रेल मंत्रालय का राजकीय रेल पुलिस के कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होता है। बहरहाल, जहां कहीं राजकीय रेल पुलिस के कर्मचारी लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं, वहां उनके मामले राज्य सरकारों के संबंधित राजकीय रेल पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार चलती गाड़ियों और रेल परिसरों में डकैती तथा लूट-पाट की घटनाओं में विगत वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 (जनवरी से जून) में कमी हुई है। वर्ष 2005 के दौरान (जनवरी से जून) 2004 की तद्नुरूपी अवधि में डकैती एवं लूट-पाट के 23 मामलों की तुलना में 7 मामले रिपोर्ट किए गए थे।

(छ) गाड़ियों तथा यात्री क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया है ताकि रेलें रेल सुरक्षा बल के माध्यम से रेलों पर अपराध को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में कारगर ढंग से मदद कर सकें। रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को कई गाड़ियों का मार्गरक्षण करने के लिए तैनात किया जा रहा है तथा राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यात्री क्षेत्र में तैनात किया जाता है। जुलाई, 2004 से (रे सु ब अधिनियम और रेल अधिनियम में संशोधन के बाद) रेल सुरक्षा बल अपनी सीमित कुल स्वीकृत संख्या में से प्रभावित गाड़ियों में राज्य सरकारों के समन्वय से प्रतिदिन औसतन 1128 मार्गरक्षी पार्टियां मुहैया करा रहा है जिसमें औसतन 3443 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, अनुमानतः प्रतिदिन 2774 जवान तैनात करके रे सु ब द्वारा औसतन 577 स्टेशनों पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। जुलाई, 2004 से रेल अधिनियम में संशोधन करके रे.सु.ब. को गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने वाले छोटे अपराधों (धारा 150 से 152 के अंतर्गत आने वाले तोड़-फोड़ संबंधी अपराधों को छोड़कर) जैसे जंजीर खींचना, छत पर यात्रा करना, दलाली करना, बिना टिकट यात्री करना, अप्राधिकृत प्रवेश आदि से निपटने के लिए भी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में फुट ओवरब्रिज का निर्माण

4523. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक की देवणगेरे कोटन मिल्स में रेलवे गेटों के समीप तथा हरिहर नामक स्थान पर फुट ओवरब्रिज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई; और

(ग) परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) देवणगेरे-हरिहर रोड पर लागत में भागीदारी के आधार पर दो ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) (न कि ऊपरी पैदल पुल) स्वीकृत हैं। ये दो कार्य निम्नलिखित हैं:

(1) समपार (एलसी) संख्या 197 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल- सामान्य व्यवस्था संबंधी नक्शे अनुमोदित किए जा चुके हैं। रेलवे भाग के लिए एजेंसी को अंतिम रूप देने की कार्रवाई चल रही है। 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 1 करोड़ रु. और 2 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(2) समपार संख्या 208 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल- स्थानीय अभ्यावेदन के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सामान्य व्यवस्था संबंधी नक्शे संशोधित किए गए हैं। सामान्य व्यवस्था संबंधी नक्शे और आकलन के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। 2004-05 और 2005-06 के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) रेलें पुल खास अर्थात् रेलपथ के आर-पार पुल का निर्माण करती हैं और पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य राज्य सरकार करती है। रेलों द्वारा अपने हिस्से के कार्य के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ानों का संचालन

4524 श्री ई.जी. सुगावनम: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई विमानपत्तनों द्वारा औसतन कितनी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से विमानों को बहुत सी बार विमानपत्तन का चक्कर लगाना पड़ता है तथा विमानपत्तनों पर भीड़-भीड़ होने के कारण इनमें से कुछेक को अन्यत्र भेज दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) दिल्ली, मुंबई और चेन्नई हवाईअड्डों पर वर्ष 2004-05 में

घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की औसत संख्या क्रमशः (229,105), (300,120) तथा (118,50) प्रतिदिन है।

(ख) विमानन क्षेत्र में अनेक निजी एयरलाइनों के आने के कारण विमान यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह मांग कई बार रनवे, एप्रन, टर्मिनल भवन आदि तथा विशेष अवसर की प्रचालन संबंधी समस्याओं के कारण क्षमता से बाहर हो जाती है। इन कारणों से उड़ानों में विलंब भी होता है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मैट्रो हवाईअड्डों पर अतिरिक्त पार्किंग स्टैण्ड उपलब्ध कराने, मैट्रो हवाईअड्डों की रनवे क्षमता तथा टर्मिनल भवन की क्षमता बढ़ाने, तीव्र निकासी वाले टैक्सी ट्रैक तथा सेकेंडरी रनवेज को समानान्तर टैक्सी ट्रैक उपलब्ध कराए जाने संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमान यातायात प्रणाली में सुधार के द्वारा विमानों की आवाजाही की संख्या में बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। घरेलू एयरलाइंसों को उनके विमान गैर-मैट्रो हवाईअड्डों पर पार्क करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना है।

साऊदर्न गैस ग्रिड

4525 श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का साऊदर्न गैस ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन्नोर पत्तन पर एलएनजी टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) एक मसौदा पाईपलाइन नीति, सरकार के पास विचाराधीन है, जिसमें एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में एक राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं, के प्रगतिशील विकास की परिकल्पना है। पाइपलाइन घटक का विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन, अन्य बातों के साथ-साथ, गैस आपूर्ति के उपयुक्त स्रोतों को पाने एवं विपणन समझौतों पर निर्भर करता है।

गैस आपूर्ति के उपयुक्त स्रोतों के संयोजन तथा विपणन समझौतों की शर्त पर गेल भविष्य में देश के दक्षिणी हिस्से में निम्नलिखित पाइपलाइनें बिछाने जा रहा है-

(1) कोच्ची कन्जीरक्कोड-मैंगलोर-कंजीरक्कोड-कोयम्बटूर-बैंगलोर।

(2) कोच्चि-कायमकुलम

(3) काकीनाडा-चैन्ने

(ग) एन्नौर में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव अभी शुरूआती अवस्था में है।

[हिन्दी]

मोहम्मदपुर बल पर हाल्ट स्टेशन

4526. श्री राम कृपाल यादव: क्या रेल मंत्री न्यू रेलवे हाल्ट स्टेशन के बारे में 24 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3401 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत मोतीपुर तथा माहवाल स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव को तर्कसंगत तथा व्यावहारिक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित हाल्ट स्टेशन के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) मोतीपुर और महवल स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई परन्तु इसे परिचालनिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा बकाया राशि वसूलना

4527. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों पर दूरदर्शन की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालयों/विभाग-वार ब्यौरा क्या है तथा यह राशि कब से बकाया है;

(ग) बकाया राशि वसूलने के लिए दूरदर्शन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान दूरदर्शन द्वारा कुल कितना वाणिज्यिक राजस्व अर्जित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2003-04 से संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ओर निम्नलिखित राशि बकाया है:-

मंत्रालय	राशि (लाख रुपयों में)
रेलवे	200
कृषि	150
ग्रामीण विकास	75

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उक्त राशि की वसूली के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मामले को उठाया जा रहा है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित वाणिज्यिक राजस्व अर्जित किया है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
2002-03	553.81
2003-04	530.23
2004-05	665.27

मिट्टी के तेल के वितरण केन्द्र

4528. डा. के.एस. मनोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने मिट्टी के तेल के अपने वितरण केन्द्र को त्रिवेन्द्रम से हटाकर एर्नाकुलम में कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कोचुवेली, त्रिवेन्द्रम में वितरण केन्द्र रखने के लिए कोई अनुरोध/अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) एचपीसीएल अप्रैल, 2005 तक बी.पी.सी.एल. से आतिथ्य प्रबंध के तहत त्रिवेन्द्रम से मिट्टी तेल (एसकेओ) की आपूर्ति कर रही थी। 1 मई, 2005 से आपूर्ति बिन्दु को प्रचालनात्मक बाधाओं के कारण इरूप्पणम में ले जाया गया। परन्तु अब एचपीसीएल ने एसकेओ के आपूर्ति बिन्दु को मूल गन्तव्य बीपीसीएल के आतिथ्य के तहत त्रिवेन्द्रम में वापस स्थानान्तरित कर दिया है।

(ग) जी, नहीं। सरकार को कोचुवेली, त्रिवेन्द्रम में वितरण बिन्दु बनाए रखने के लिए कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी को पुन: चालू करना

4529. श्री सुनील खां: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड को पुन: चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड (एनपीपीसी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर भारत सरकार का सुदृढ़ दृष्टिकोण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विस्थापित परिवारों को राहत पैकेज

4530. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसंबर, 2001 के बाद नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सैन्य निर्माण के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के बहुत से परिवार विस्थापित हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विस्थापित परिवारों के लिए कोई राहत पैकेज बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया;

(च) इससे कितने परिवारों को लाभ पहुंचा;

(छ) क्या सभी विस्थावित परिवार अपने घरों में वापस लौट गए हैं;

(ज) यदि नहीं, तो ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी भी अपने घरों को लौटना है; और

(झ) उन्हें अपने-अपने घरों में स्थानांतरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (झ) 1999 में कारगिल संघर्ष तथा दिसंबर, 2001 से सैन्य निर्माण के दौरान जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा-पार से गोलीबारी होने के कारण 35756 परिवार विस्थापित हुए थे।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप सीमा प्रवासियों को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार राहत दी जा चुकी है:

* प्रति व्यक्ति 400/- रु. की दर से नकद सहायता बशर्ते कि वह प्रतिमाह प्रति परिवार 1600/- रु. से अधिक न हो।
* 11 किलोग्राम की दर से मुफ्त राशन। इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति 9 किलोग्राम आटा, 2 किलोग्राम चावल है।
* प्रति परिवार/प्रति माह 300/- रु. की दर से चारा।
* प्रति पविार/प्रति माह 10 लीटर की दर से मिट्टी का तेल।

प्रभावित परिवारों के पक्ष में, निम्नलिखित दरों से, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है:-

पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्का मकान	- 40,000/- रु.
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान	- 20,000/- रु.
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान	- 25,000/- रु.
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान	- 15,000/- रु.

सीमा प्रवासियों को राहत पहुंचाने के लिए जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार को, सुरक्षा संबंधी व्यय के अधीन अब तक 113.315 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। इस राहत पैकेज से सभी विस्थापित लाभान्वित हुए हैं।

जैसाकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने सूचित किया है, जम्मू जिले की अखनूर तहसील के 600 परिवारों को छोड़कर, सभी प्रवासी परिवार अपने घरों को लौट आए हैं। उन प्रवासियों में से पुंछ जिले के बालाकोट क्षेत्र से 541 परिवारों को 7.00 करोड़ रुपए खर्च करके अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थानों पर पुन: बसाया जा चुका है। जम्मू जिले की अखनूर तहसील के 6072 परिवारों, जिनमें वे 600 परिवार भी शामिल हैं जो अभी भी शिविरों में रह रहे हैं, के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है जिस पर 59.18 करोड़ रुपए का व्यय आएगा।

नई नागर विमानन नीति

4531. श्री जुएल ओराम:
श्री अनन्त नायक:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को नरेश चन्द्र समिति रिपोर्ट के आधार पर नई नागर विमानन नीति बनाते समय उन्हें साथ में शामिल करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा तेल तथा गैस भण्डारों का अन्वेषण

4532. श्री सीताराम सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा देश में तेल तथा गैस भण्डारों का अन्वेषण करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना में किन राज्यों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां।

ओएनजीसी वर्तमान में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्वेषण कार्यक्रम के अनुसार देश में तेल और गैस भण्डारों के लिए अन्वेषण कर रही है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्वेषण कार्यक्रम में 4786 लाइन किलोमीटर 2डी भूकंपीय आंकड़ों, 3934 वर्ग कि.मी. 3डी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन और गुजरात में कैम्बे बेसिन, राजस्थान में जैसलमेर बेसिन, असम, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा में असम शेल्फ और असम अराकान फोल्ड बेल्ट बेसिनों, आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी बेसिन, तमिलनाडु में कावेरी बेसिन, पश्चिम बंगाल में बंगाल बेसिन और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सीमावर्ती जमीनी बेसिनों में 408 अन्वेषण कूपों के वेधन की योजनाओं की परिकल्पना है।

इसके अतिरिक्त, पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से दूर अपतट में 30,500 लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े, 30,900 वर्ग कि.मी. त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े और 153 अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन की भी योजना है।

1.4.2005 की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी ने 8,611.84 लाइन किलोमीटर 2डी भूकंपीय आंकड़ों, 5,142.44 व. कि.मी. 3डी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में जमीनी क्षेत्रों में 300 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है। अपतटीय क्षेत्रों में ओएनजीसी ने 35,123.18 लाइन किलोमीटर 2डी भूकंपीय आंकड़ों, 43,808.76 व. कि.मी. 3डी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन किया है तथा 83 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 33,418.95 करोड़ रुपये है। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में 23,367.37 करोड़ का व्यय पहले ही कर चुकी है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए निधियों का उपयोग

4533. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत खर्च का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं में से प्रत्येक पर किए गए परिव्यय तथा व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने लोगों को लाभ हुआ है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए परिव्यय का पूर्ण उपयोग हो?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सामान्यत: सहायता पिछले वर्षों में जारी अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्राप्त होने पर जारी की जाती है। मंत्रालय आवधिक बैठकों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मामले को उठा रहा है और मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का भी दौरा करते हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए निधियों का उपयोग

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	2003-2004			2004-2005		
		परिव्यय	वास्तविक व्यय	शामिल लाभार्थी	परिव्यय	वास्तविक व्यय	शामिल लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अ.जा. की लड़कियों के लिए छात्रावास	20.00	20.50	9277	23.00	16.03	7172

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अ.जा. के लड़कों के लिए छात्रावास	23.00	35.25	8779	27.00	24.92	6618
3.	कोचिंग व सम्बद्ध	6.00	3.98	7030	8.00	4.96	11905
4.	अ.जा. के लिए मैरिट उन्नयन	58.00	1.85	1378	20.00	1.77	1334
5.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	260.00	264.99	1983296	313.24	330.27	2404971 (प्रत्याशित)
6.	अनुसूचित जाति विकास निगम	48.13	48.13	543665	4900	48.63	623785
7.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	31.50	36.38	–	34.75	34.75	–
8.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	15.30	17.00	1595736	16.80	18.75	1287610
9.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	21.59	23.99	234598	21.73	24.67	227980
10.	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास	13.00	10.20	4060	12.76	12.76	5821

तेल और गैस क्षेत्र के लिए विनियामक

4534. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक मूल्य तंत्र को समाप्त करने के बावजूद भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अभी भी प्रभावी ढंग से तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के सभी सरकारी उपक्रमों के निवेश संबंधी निर्णय के साथ-साथ मूल्यों को भी नियंत्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र को अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों में एक स्वतंत्र विनियामक (रेगुलेटर) की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) अप्रैल, 2002 में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बाजार-निर्धारित मूल्य निर्धारण की ओर बढ़ने की घोषित मंशा के साथ सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली (एपीएम) को समाप्त करने की घोषणा की। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों का सरकार द्वारा निर्णय किया जाता रहा क्योंकि ये रियायती उत्पाद हैं। 2003 कि अन्त से अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अभूतपूर्व, तीव्र और सर्पिल वृद्धि रही है और इसके साथ-साथ सप्ताह-दर-सप्ताह और यहां तक कि दिन-प्रतिदिन उतार चढ़ाव रहा है। इसलिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के मूल्य स्थिर कर दिए और घरेलू एलपीजी के

अलावा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को भी समायोजित करना आरम्भ कर दिया। बाकी उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार निर्धारित है।

सरकार ने ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और गेल को नवरत्न दर्जा दिया है और आईबीपी, सीपीसीएल, एनआरएल, केआरएल और बीआरपीएल को लघु रत्न दर्जा दिया है। इन कंपनियों के बोर्ड नवरत्न और लघु रत्न कंपनियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार निवेश निर्णय लेती हैं। निवेश के निर्णय उनके व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिफलों पर आधारित होते हैं। सरकार उनके बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकने और कुल मिलाकर क्षेत्र में इष्टतम निवेश सुनिश्चित करने के लिए जरूरत होने पर हस्तक्षेप भी करती हैं।

(ग) से (ङ) सरकार अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए एक अलग और स्वतंत्र विनियामक पर विचार नहीं कर रही है। तथापि डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट

4535. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल सुरक्षा आयुक्त ने सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में नए प्रकार के इंजन, चल स्टाक इत्यादि के संबंध में सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेल संरक्षा आयोग ने रेल मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी किसी भी रिपोर्ट के स्वप्रेरित बयान में नए किस्म के रेल इंजनों, चल स्टाक आदि की सिफारिश नहीं की है। बहरहाल, आयोग समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों से नए किस्म के रेल इंजन, चल स्टाक चलाने आदि संबंधी प्रस्तावों को अपनी टिप्पणी और सिफारिशों के साथ रेल मंत्रालय की स्वीकृति हेतु अग्रेषित करता है। ऐसे सभी प्रस्तावों की रेल मंत्रालय द्वारा छंटनी और जांच की जाती है और रेल मंत्रालय की स्वीकृति के बारे में क्षेत्रीय रेलों को सूचित किया जाता है। बशर्ते प्रस्ताव पूर्णतया उपयुक्त हों।

कच्चे तेल का उत्पादन

4536. श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति कितनी थी;

(ग) क्या देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कच्चे तेल के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसका वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है-

तेल उत्पादन [मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में]

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2002-03	33.17	33.05
2003-04	33.50	33.37
2004-05	33.63	33.98

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग व उत्पादन निम्नानुसार रहे हैं-

	(एमएमटी)	
वर्ष	मांग	उत्पादन
2002-03	104.126	108.674
2003-04	107.751	117.641
2004-05	111.710	122.749

(ग) और (घ) घरेलू तेल व गैस उत्पादन के लिए अन्वेषण संबंधी गतिविधियों में और अधिक तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं, एनईएलपी के तहत, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय तेल कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को 108 अन्वेषण ब्लाक आबंटित किए गए हैं। इनमें एनईएलपी के पांचवें दौर में हाल ही में आबंटित 18 अन्वेषण ब्लाक भी शामिल हैं।

(2) वर्धित तेल निकास (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं को लागू करते हुए विद्यमान प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार; विशेषतौर पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 10,972 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ इस प्रयोजन के लिए 15 क्षेत्र हाथ में लिए गए हैं, जो इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होंगे।

(3) नए क्षेत्रों, विशेषतौर पर गहरे पानी तथा कठिन सीमान्त क्षेत्रों और साथ-साथ पहले से ही उत्पादन कर रहे क्षेत्रों की अधिक गहरी परतों की खोज करना।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादन कर रहे क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण प्रचालनों, कूपों के भेदन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की ओर अग्रसर होना।

(ङ) तेल उत्पादन के लिए दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों नामत: आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 26.614 एमएमटी तथा 3.3 एमएमटी हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस का उत्पादन और बिक्री

4537. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और जुलाई, 2005 तक घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी गैस के उत्पादन और बिक्री संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार एलपीजी का उत्पादन और अप्रैल-जून, 2005 तक उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की राज्यवार बिक्री और अप्रैल-जून, 2005 तक उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण I

एलपीजी का उत्पादन

स्थान (राज्य)	एलपीजी का उत्पादन (टीएमटी में) (रिफाइनरी+प्रमाणक)			
	2002-03	2003-04	2004-05	अप्रैल-जून, 2005
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	279.5	323.7	296.7	74.4
असम	164.3	216.2	226.4	47.1
बिहार	105.6	184.5	245.1	70.2
गुजरात	3595.1	3692.5	3782.5	858.9
हरियाणा	204.2	236	236.7	69.5

1	2	3	4	5
कर्नाटक	180.4	231.3	283	58.5
केरल	364.1	422.6	422.7	28.8
मध्य प्रदेश	497.2	469.8	441.7	110.7
महाराष्ट्र	1082.9	1082.6	1032.5	219.6
तमिलनाडु	179.5	192.2	267.3	94.6
उत्तर प्रदेश	509.5	475.7	423.6	118.1
पश्चिम बंगाल	125.5	123.5	159	32.4
योग	7287.8	7650.6	7817.2	1782.8

विवरण II

सार्वजनिक उपक्रमों की एलपीजी बिक्री

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

	2002-03			2003-04			2004-05			अप्रैल-जून 2005**
राज्य	घरेलू	वाणिज्यिक	कुल	घरेलू	वाणिज्यिक	कुल	घरेलू	वाणिज्यिक	कुल	(अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर										
जम्मू व कश्मीर	83637	326	83964	90628	336	90964	102955	459	103414	24411
पंजाब	425114	2816	427930	484848	3918	488765	506718	4221	510940	114640
राजस्थान	331074	15209	346282	377377	7669	385046	415370	10309	425679	101415
उत्तर प्रदेश	857679	15127	872806	966094	11786	977880	1052629	6801	1059430	252961
हरियाणा	290542	13565	304106	336302	18435	354737	364989	9910	374900	86571
हिमाचल प्रदेश	62981	918	63899	72643	860	73503	76317	1809	78126	18995
उत्तरांचल	105679	1001	106680	117084	1073	118158	124335	771	125106	30891
चण्डीगढ़	29661	818	30479	30252	707	30959	30009	661	30671	6606
दिल्ली	499235	9020	508255	543464	6295	549759	568574	7643	576218	127815
उत्तर योग	2685601	58799	2744400	3018692	51077	3069770	3241897	42585	3284483	764305
उत्तर पूर्व										
असम	126363	4728	131092	144369	674	145043	154494	707	155200	40287
मणिपुर	22147	58	22206	17801	10	17811	17013	1	17014	4414
मेघालय	9669	57	9726	10587	73	10659	11726	76	11802	3007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नागालैण्ड	10567	2	10569	11376	13	11389	12727	9	12736	3243
त्रिपुरा	16080	4	16084	17718	0	17718	18069	4	18073	4371
अरूणाचल प्रदेश	8497	50	8547	9256	29	9285	9704	21	9725	2265
मिजोरम	15582	10	15592	17125	6	17131	16081	4	16086	3938
उत्तर पूर्व योग	208906	4910	213816	228232	805	229037	239814	821	240636	61525
पूर्व										
बिहार	182766	306	183072	222873	234	223107	243802	254	244056	59406
उड़ीसा	94561	660	95222	111715	1159	112874	130062	1034	131097	30220
पश्चिम बंगाल	403851	14552	418403	451913	3098	455012	478028	5124	483152	120069
झारखण्ड	78423	2110	80533	78343	1616	79960	88685	1716	90401	22241
सिक्किम	5774	99	5873	7301	24	7325	3428	18	3446	2012
अंडमान व निकोबार	353	0	353	4159	0	4159	10287	0	10287	1124
पूर्व योग	765728	17728	783456	876305	6132	882436	954292	8145	962438	235072
पश्चिम										
गोवा	32006	4724	36730	34296	4438	38733	37080	5162	42242	9965
गुजरात	411491	90633	502124	505834	20526	526360	554508	40343	594851	131210
मध्य प्रदेश	312193	3969	316162	350497	3521	354018	377220	5101	382321	89949
महाराष्ट्र	1108062	104197	1212259	1229869	106227	1336096	1352672	155812	1508485	341779
छत्तीसगढ़	67906	790	68696	78380	9724	88104	90711	1982	92693	22172
दादर व नागर हवेली	2057	3613	5671	2833	5126	7959	5122	3519	8640	2341
दमन एवं दीव	2410	1362	3772	3393	873	4266	3889	1150	5039	1226
पश्चिम योग	1936125	209290	2145414	2205101	150436	2355537	2421201	213069	2634271	598641
दक्षिण										
आंध्र प्रदेश	626083	12972	639054	703133	23791	726924	771646	12035	783681	182092
केरल	321374	37144	358517	380209	31286	411495	442775	39495	482269	111476
तमिलनाडु	729140	40711	769851	808510	29097	837607	891041	34723	925764	216861
कर्नाटक	437777	23667	461444	528478	18260	546738	591859	37303	629163	154385
लक्षद्वीप	258	0	258	269	0	269	–	–	–	51
पाण्डिचेरी	21672	783	22455	24091	631	24722	22843	1169	24012	6503
दक्षिण योग	2136304	115276	2251580	2444690	103065	2547754	2720163	124725	2844888	671369
अखिल भारत योग*	7736585	406003	8142588	8775029	313599	9088628	9577369	389346	9966715	2330913

*भूटान/नेपाल सम्मिलित

**खरेलू और वाणिज्यिक का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ा वर्ग को रियायती ऋण

4538. श्री रघुनाथ झा:
श्री सज्जन कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को स्वरोजगार उद्यम और आय का सृजन करने वाली योजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को रियायती ऋण नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोगों को रियायती ऋण प्रदान किया गया है और कितनी धनराशि संवितरित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम गरीबी रेखा से दुगुना नीचे जीवन यापन कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को रियायती ऋण प्रदान करता है और इसने अभी तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को 6,31,351 लाभार्थियों के लिए 1017.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। 2004-05 और 2005-06 के दौरान निगम द्वारा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार संबंधित जारी निधि और लाभार्थियों की संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। इस निगम की विभिन्न योजनाओं के लिए ब्याज दर संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान 16.8.2005 तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त "अन्य पिछड़े वर्गों" के लाभार्थियों की संख्या और राज्यवार संवितरित धनराशि

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2004-05		2005-06 (16.8.2005)	
		संवितरण (रुपए लाख)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण (रुपए लाख)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	135	–	–
2.	असम	80.20	220	–	–
3.	बिहार	170.00	523	–	–
4.	छत्तीसगढ़	108.19	137	–	–
5.	चण्डीगढ़ (संघ-राज्य क्षेत्र)	24.70	72	–	–
6.	दिल्ली (संघ-राज्य क्षेत्र)	50.00	78	–	–
7.	गुजरात	350.00	880	–	–
8.	गोवा	28.45	15	5.67	4

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	175.00	769	60.00	236
10.	हिमाचल प्रदेश	250.00	500	60.92	72
11.	जम्मू-कश्मीर	40.60	97	–	–
12.	झारखण्ड	–	–	–	–
13.	कर्नाटक	1000.00	6528	150.37	967
14.	केरल	1697.50	5362	700.00	2300
15.	मध्य प्रदेश	148.75	507	–	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–
17.	महाराष्ट्र	1950.00	5941	840.00	2050
18.	उड़ीसा	50.00	495	–	–
19.	पंजाब	200.00	321	–	–
20.	पाण्डिचेरी (संघ-राज्य क्षेत्र)	50.00	176	49.96	161
21.	राजस्थान	293.40	792	–	–
22.	सिक्किम	257.90	300	–	–
23.	तमिलनाडु	800.00	29799	325.00	8736
24.	त्रिपुरा	99.03	190	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	616.00	4770	108.00	2000
26.	उत्तरांचल	52.75	74	–	–
27.	पश्चिम बंगाल	600.00	2857	200.00	755
	कुल	9342.47	61538	2499.92	17281

विवरण II

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर

ऋण का प्रकार	निगम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को निधियों के अग्रिम पर राज्य दर	राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सी द्वारा लाभार्थियों से अधिकतम ब्याज दर
1	2	3
आवधिक ऋण	3% प्रति वर्ष	6% प्रति वर्ष
माइक्रो-फाइनेंस	2% प्रति वर्ष	5% प्रति वर्ष
महिला-समृद्धि योजना	1% प्रति वर्ष	4% प्रति वर्ष

1	2	3
महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम	2% प्रति वर्ष	5% प्रति वर्ष
स्वयं सक्षम	2% प्रति वर्ष	5% प्रति वर्ष
शिक्षा ऋण	1.5% प्रति वर्ष	4% प्रति वर्ष
मार्जिन धनराशि	3% प्रति वर्ष	6% प्रति वर्ष

दक्षिण-पूर्व रेल में सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण

4539. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व रेल के खड़गपुर मंडल के अंतर्गत आईआईटी, खड़गपुर के समीप पुरीगेट और मिदनापुर स्टेशन के समीप रंगामति में बनाए जा रहे सड़क ऊपरि पुलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आज की तारीख तक इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलवे, राज्य सरकार और आईआईटी, खड़गपुर के बीच लागत में भागेदारी के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के पास समपार (एलसी) संख्या 1,118/4-5 कि.मी. पर ऊपरी सड़क पुल को 2003-04 में स्वीकृति दे दी गई थी। रेलवे पुल खास अर्थात् रेलपथ पर पुल का निर्माण करेगी और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार करेगी। सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) स्वीकृत हो चुके हैं। पहुंच मार्गों के अनुमान की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।

पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लागत में भागेदारी के आधार पर रंगमति के पास 127/12-13 कि.मी. पर समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के कार्य को 2000-01 में स्वीकृति दे दी गई थी। रेलवे के हिस्से के कार्य के लिए निविदा को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इसके 31.03.2006 तक पूरा होने की आशा है। पहुंच मार्गों संबंधी कार्य का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

चालू वर्ष के बजट में रंगमति ऊपरी सड़क पुल के लिए 295.00 लाख रु. और आईआईटी, खड़गपुर के पास पुरीगेट पर आरओबी के लिए 295.35 लाख रु. आवंटित किए गए हैं।

सफाई में सुधार

4540. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी मूल की डयू कान इन्स्ट्रूमेंट इन्क की भारतीय शाखा टीमसस्टेन ने रेल मंत्रालय को रेल डिब्बों में सफाई में सुधार के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कनाट प्लेस से दिल्ली एयरपोर्ट तक मैट्रो कोरीडोर का वित्तपोषण

4541. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने योजना आयोग से कनाट प्लेस से दिल्ली एयरपोर्ट तक मेट्रो कोरीडोर का वित्तपोषण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। नागर विमानन मंत्रालय ने योजना आयोग को कनाट प्लेस से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे तक मैट्रो कोरीडोर के लिए परियोजना लागत, फंडिंग (निधिकरण) तथा सांस्थानिक व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) पहले से ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से विस्तृत तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन का संचालन कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल पर राजसहायता

4542. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू एल.पी.जी. और पी.डी.एस. मिट्टी के तेल पर राजसहायता आकलन की क्या पद्धति है;

(ख) क्या सरकार राजसहायता का आकलन करने संबंधी पद्धति में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से पारदर्शी तरीके से पीडीएस मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता देने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार ने पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) उपरांत राजसहायता को प्रशासित करने के लिए "पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002" अधिसूचित की थी। इस योजना की शर्तों के अनुसार, प्रति बिक्री यूनिट राजसहायता की समान दर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार लागत मूल्य और प्रति बिक्री यूनिट निर्गम मूल्य के बीच अंतर के समान दी जाती है। ओएमसीज को इन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप समायोजित करने थे। यह निर्णय भी लिया गया था कि पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर सरकारी राजसहायता 5 वर्ष की अवधि में अर्थात् 1.4.2007 तक चरणबद्ध ढंग से समाप्त की जानी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एक ओर पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के घरेलू खुदरा बिक्री मूल्यों और दूसरी ओर लगातार बढ़ते रहे अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के बीच लगातार और बढ़ती असमानता तथा पेट्रोल और डीजल के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खुदरा मूल्यों के बीच 2004 के आरम्भ से असमानता के कारण ओएमसीज को भारी न्यून वसूलियां झेलनी पड़ी हैं। पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर 2003-04 के लिए अनुमानित न्यून वसूलियां 9370 करोड़ रुपये और 2004-05 में 17,720 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-जून, 2005 की अवधि के दौरान ओएमसीज को पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर अनुमानित न्यून वसूलियां 48,000 करोड़ रुपये और पेट्रोल और डीजल पर 4900 करोड़ रुपये थी। वर्तमान रूझान से 2005-06 के पूरे वर्ष में न्यून वसूलियां 40,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ओएमसीज द्वारा उठाया गया कुल घाटा ओएनजीसी और ओआईएल तथा गेल जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों से 3257 करोड़ रुपये के भारी योगदान के होते हुए भी 1227 करोड़ रुपये है। ओएमसीज की अत्यधिक बढ़ती न्यून वसूलियों और उनके द्वारा उठाए तदुपरांत घाटों के मद्देनजर यह सुझाव दिया गया है कि राजसहायताएं पारदर्शी होनी चाहिएं और ये सीधे केन्द्रीय बजट से पूरी की जानी चाहिएं। सरकार राजसहायताओं को पारदर्शी बनाने सहित उपयुक्त सुधारात्मक विकल्पों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है।

[हिन्दी]

इंदौर विमानपत्तन का विस्तार

4543. श्री गणेश सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर विमानपत्तन के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार इंदौर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या वहां पर एयर-कार्गो की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इंदौर हवाईअड्डे का स्तरोन्नयन अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित करने का भी अनुरोध किया है। इंदौर का वर्तमान हवाईअड्डा ए-320/बी-737-800 प्रकार के विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है, चूंकि किसी भी एयरलाइन आपरेटर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए कोई मांग नहीं की है, इसलिए इसे इस समय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) यद्यपि कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, घरेलू एयरलाइनें इनका प्रयोग नहीं कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कार्गो कॉम्पलैक्स की व्यवस्था मांग पर संभाव्य होती है।

रेलवे प्लेटफार्मों का विकास

4544. श्री देविदास पिंगले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान महाराष्ट्र सरकार से रेलवे प्लेटफार्मों के विकास के संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या रेलवे का विचार नासिक रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों को विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर नए सायवान के नीचे फर्श पर सुधार करने का कार्य फिलहाल ही पूरा किया गया है।

आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड

4545. श्री राजेश पाठक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तारीख तक देशवासियों द्वारा आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड में कितनी धनराशि का अंशदान किया गया है;

(ख) उक्त फंड में से कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या भविष्य में शहीदों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के अंतर्गत कोई अन्य योजना तैयार की गई है अथवा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त दान की राशियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	राशि
2002-2003	81,16,560.39 रुपए
2003-2004	35,24,611.09 रुपए
2004-2005	43,02,302.80 रुपए
2005-2006 (आज तक)	2,15,031.00 रुपए

(ख) सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से 522 कारगिल-शहीदों के आश्रितों को 1,56,60,000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रत्येक निकटतम संबंधी को 30,000/- रुपए की दर से उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) और (घ) शहीदों के आश्रितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सेना केन्द्रीय कल्याण कोष के तहत उपलब्ध मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. सेना में बने रहे निशक्त सैनिक (युद्ध हताहत)

01 मई 1999 से तथा इसके पश्चात् विभिन्न सैन्य संक्रियाओं में घायल हुए निशक्त सैनिक जिन्हें तदंतर सेवा में ही बने रहने दिया गया, वे निशक्तता की अपनी प्रतिशतता के आधार पर सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से एकबारगी अनुदान के लिए पात्र हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(क) 75 प्रतिशत से अधिक निशक्तता 30,000/- रुपए

(ख) 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत निशक्तता 20,000/- रुपए

(ग) 50 प्रतिशत से कम निशक्तता 10,000/- रुपए

2. नियुक्त की अवधि पूरी करने से पहले डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त किए गए निशक्त सैनिक (युद्ध हताहत)

विभिन्न सैन्य संक्रियाओं में लगी चोटों के कारण सेवा की नियुक्ति की अवधि पूरी करने से पहले डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त किए गए निशक्त सैनिकों (युद्ध हताहत) में से प्रत्येक सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से एक लाख रुपए के एक बारगी अनुदान के लिए पात्र है।

3. अन्य सभी घातक हताहतों को सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से अनुग्रह राशि

01 अप्रैल, 2001 से, सभी दिवंगत सैनिकों के निकटतम संबंधियों को 30,000/- रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है।

टिप्पणी: नेपाल के अधिवासी सैनिकों के लिए भी लागू है।

[अनुवाद]

पलानी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और नवीकरण

4546. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भगवान कार्तिक के मन्दिर में आने वाले भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे के पास पलानी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और नवीकरण की मांग लम्बित है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वरोजगार कार्यक्रम

4547. श्री सुबोध मोहिते: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के लिए कोई स्वरोजगार कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम के तौर पर वीआरएस/वीएसएस के अंतर्गत पृथक किए गए केन्द्रीय सरकार उद्यमों के कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन: प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन से संबंधित एक योजनागत स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुनर्वास करना है। इस संबंध में रणनीति यह बनाई गई है कि उन्हें व्यावसायिक कुशलता प्रदान की जाए, जिससे कि वे मुख्यत: स्व-रोजगार के कार्यों में संलग्न हो सकें।

विशिष्ट व्यक्तियों को हेलीकाप्टर्स से लाना-ले जाना

4548. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असैनिक हेलीकाप्टर्स, नागर विमानन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असैनिक हेलीकाप्टर्स द्वारा नागर विमानन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एक इंजन वाले हेलीकाप्टर्स में विशिष्ट व्यक्तियों को लाने और ले जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सिविल हेलीकाप्टरों सहित सभी हवाई जहाजों के प्रचालन के लिए भारतीय विमानन नियम तथा नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन अनिवार्य है। ये नियम सभी प्रचालकों द्वारा कड़ाई से पालन किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हवाई जहाज के सुरक्षित प्रचालन के लिए विनियम नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रपत्र तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी परिपत्रों में उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकार तथा निजी विमानों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के परिवहन हेतु भी निदेश जारी किए गए हैं। एक इंजन वाले हेलीकाप्टरों को भी अतिविशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति है बशर्ते इन हेलीकाप्टरों के कार्य निष्पादन की पुष्टि डीजीसीए द्वारा विमान प्रचालन में सुरक्षा हेतु तैयार नियम अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

क्षेत्रीय समाचारों के लिए नए चैनल

4549. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दूरदर्शन के अंतर्गत क्षेत्रीय समाचारों, संगीत इत्यादि के लिए नए चैनल शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चैनलों के कब तक शुरू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय समाचारों, संगीत आदि के लिए नए चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकटों की बुकिंग

4550. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने इंटरनेट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इंटरनेट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग 0400 बजे आरंभ हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे को आम जनता को आ रही कठिनाइयों की जानकारी है जिनकी पहुंच में इंटरनेट नहीं है तथा केवल टिकट काउंटरों के माध्यम से ही टिकट बुक कर सकते हैं जो कि 0800 बजे आरंभ होते हैं जिसके परिणामस्वरूप टिकट प्रतीक्षा-सूची में आ जाता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इंटरनेट बुकिंग का समय 0400 बजे से बदल कर 0800 बजे करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा अगस्त, 2002 में इन्टरनेट पर आरक्षण शुरू कर दिया गया था। इन्टरनेट बुकिंग की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) किसी भी ट्रेन की अग्रिम बुकिंग के पहले दिन से ही कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली जो कि 0800 बजे आरंभ होती है, के साथ-साथ इंटरनेट बुकिंग एक साथ खोली जाती हैं जिससे इन्टरनेट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग कराने वाले यात्रियों को कोई तरजीह नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकटों की बुकिंग के संबंध में 25.8.2005 को लोक सभा में श्री ई.जी. सुगावनम द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 4550 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट

इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकटों की बुकिंग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) ग्राहक को वेबसाइट (www.irctc.co.in) पर पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण नि:शुल्क है।

(2) ग्राहक तब लॉग इन करेगा और ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले दो वाणिज्यिक हाल्टों के बीच के लिए टिकट बुक करेगा।

(3) बच्चे और वरिष्ठ नागरिक रियायत का लाभ भी इन्टरनेट के माध्यम से उठाया जा सकता है।

(4) इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए भुगतान सिर्फ ऑन लाइन हैं और विकल्प हैं।

(क) क्रेडिट कार्ड-मास्टर/वीजा/अमेरिकन एक्सप्रेस

(ख) 15 बैंकों की इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके बैंक खातों को सीधे डेबिट करना।

(ग) प्री-पेड कैश कार्ड (आईटीजेड कैश)

5. 171 शहरों में ग्राहकों को टिकटों का वितरण किया जाता है।

6. यात्री आरक्षण प्रणाली के बुकिंग कार्यालय के किसी भी काउंटर पर आरक्षण रद्द किया जा सकता है लेकिन कोई धन वापसी नहीं की जाती है। ग्राहक के क्रेडिट कार्ड/बैंक खाता/कैश कार्ड के खाते में दन वापसी इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है।

[हिन्दी]

मोतीपुर में ठहराव

4551. श्री राम कृपाल यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व-मध्य रेलवे के मोतीपुर स्टेशन पर टिकटों की बिक्री से कुल कितनी वार्षिक आय होती है;

(ख) क्या इसकी वार्षिक आय के मद्देनजर उक्त स्टेशन पर बांद्रा एक्सप्रेस तथा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त रेलगाड़ियों का मोतीपुर स्टेशन पर ठहराव कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मोतीपुर स्टेशन पर टिकट बिक्री से वार्षिक आय लगभग एक करोड़ रु. है।

(ख) से (ङ) ठहरावों में निकटता के कारण, वर्तमान में 9039/9040 मुजफ्फरपुर-बांद्रा (टी) अवध एक्सप्रेस का मोतीपुर पर ठहराव के प्रावधान का कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसा कर पाना भी अपेक्षित नहीं है और 2565/2566 दरभंगा-नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मोतीपुर स्टेशन से होकर नहीं जाती।

[अनुवाद]

वित्त तथा विकास निगमों द्वारा धनराशि का उपयोग न किया जाना

4552. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमजोर वर्गों हेतु राष्ट्रीय वित्त तथा विकास निगम विशेषकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम (एन.एस.सी.एफ.डी.सी.) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) ने 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिन उद्देश्यों के लिए इन निगमों की स्थापना की गई थी, उक्त अवधि के दौरान उनके कार्यनिष्पादन को देखते हुए वे इसमें सफल नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन निगमों द्वारा आवंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ताड़पत्र पांडुलिपियों का संग्रहालय

4553. डा. के.एस. मनोज: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताड़पत्र पांडुलिपियों के अभिलेखागार संग्रहालय हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस प्रकार के अभिलेखागारों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार से ताड़पत्र पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजीटलीकरण तथा अनुवाद तथा ताड़पत्र पांडुलिपियों के एक अभिलेखागार संग्रहालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) देश में ताड़पत्र पांडुलिपियों के लिए कई संस्थान हैं। तथापि, अभिलेखागारों, संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों, भारतविद्या शास्त्र संस्थानों, धार्मिक संस्थानों तथा पैतृक परिवारों में रखे गए पांडुलिपियों के अनेक संग्रह भी है, जिनमें ताड़पत्र पांडुलिपियां शामिल हैं। इस श्रेणी में राज्य अभिलेखागार निदेशालय जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद तथा केरल राज्य अभिलेखागार, तिरूवनंतपुरम महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं। हैं। भारत सरकार ने भारत की पांडुलिपि संपदा के सर्वेक्षण, तालिकाकरण, संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रचार के लिए फरवरी, 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन ने पांडुलिपियों की एक राष्ट्रीय तालिका तैयार करके, संरक्षण केन्द्रों की स्थापना करके, पांडुलिपि पठन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करके तथा जन दू-दराज संपर्क (आउटरीच) कार्यक्रम के माध्यम से सुलभता को प्रोत्साहित करके प्रमुख पांडुलिपि भंडारगृहों के साथ मिलकर काफी प्रगति की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी

4554. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेलगाड़ियों के प्रचालन के लिए सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों विशेषकर पर्यटक रेलगाड़ियों के प्रचालन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी एयरलाइंस को अनुमति

4555. श्री वाडिगा रामकृष्णा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निजी एयरलाइंस को देश में घरेलू निर्धारित विमान यातायात सेवाएं चलाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी एयरलाइंस को ऐसी अनुमति देने के लिए क्या मानदंड हैं;

(घ) क्या घरेलू क्षेत्र में विमान सेवा के प्रचालन की अनुमति हेतु कुछ निजी एयरलाइंस के आवेदन सरकार के पास लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) निम्नलिखित निजी एयरलाइनों को देश में निर्धारित विमान यातायात सेवाएं चलाने के अनुमति दी गई हैं:-

1. जेट एयरवेज (इंडिया) प्राइवेट लि.
2. सहारा एयरलाइन्स लि.
3. डेक्कन एविएशन प्राइवेट लि.
4. ब्लू डार्ट एविएशन प्राइवेट लि. (कार्गो)
5. किंगफिशर एयरलाइन्स लि.
6. स्पाइस जेट लि.

(ग) निजी एयरलाइनों को ऐसी अनुमति देने का मानदंड नागर विमानन आवश्यकता धारा 3 श्रेणी ग भाग 2 में निहित है।

(घ) और (ङ) इस समय, निर्धारित विमान यातायात सेवाओं के अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दो आवेदन अनुमोदनार्थ लंबित हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है:-

(1) मैसर्स मैजिक एयरवेज प्राइवेट लि.	-	भारत में जन्मे व्यक्तियों द्वारा निवेश मामले के परीक्षण के लिए लंबित।
(2) मैसर्स मुक्ति एयरवेज प्राइवेट लि.	-	कंपनी के निदेशक मंडल की सुरक्षा निकासी की आवश्यकता के लिए लंबित।

त्रिपुरा में ओ.एन.जी.सी. विद्युत संयंत्र

4556. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम दक्षिण त्रिपुरा जिले में पालातना में एक गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) त्रिपुरा राज्य में, अलग-थलग गैस कुण्डों में बंद परिसम्पत्तियों के मौद्रीकरण के लिए, दक्षिणी त्रिपुरा जिले के पालाताना में एक संयुक्त चक्र गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिसके लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम "त्रिपुरा विद्युत विकास कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड" (टीपीडीसी) को ओएनजीसी, त्रिपुरा सरकार तथा मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्टचर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसिज

लि. (आईएल एण्ड एफएस) ने क्रमश: 26%, 24% तथा 50% की इक्विटी भागीदारी के साथ तैयार किया है। अब टीपीडीसी का "ओएनजीसी-त्रिपुरा पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा.लि." (ओटीपीसीएल) के रूप में पुन: नामकरण किया गया है।

(ग) ओएनजीसी तथा ओटीपीएल ने प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने के लिए एक ईंधन आपूर्ति संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया गया है।

प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना

4557. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समूह 'ग' के स्टेशनों पर रेलवे प्लेटफार्मों की ऊंचाई काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों विशेषकर महिलाओं, बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों को राहत देने के लिए इनकी ऊंचाई समूह क तथा ख के स्टेशनों के बराबर करने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) स्टेशनों पर यात्री यातायात से प्राप्त आमदनियों के आधार पर रेलवे स्टेशनों को 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। स्टेशन की कोटि के मद्देनजर, सुख-सुविधाओं के विशिष्ट मापदंड अपनाए जाते हैं। न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के मानकों के तहत, 'ए' और 'सी' कोटि के स्टेशनों के प्लेटफार्मों की ऊंचाई अधिक होती हैं, 'बी' और 'डी' कोटि के स्टेशनों की मध्यम दर्जे की तथा 'ई' और 'एफ' कोटि के स्टेशनों जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों शामिल हैं, के प्लेटफार्म पटरी की सतह वाले होते हैं। सभी स्टेशनों पर स्टेशन की कोटि के मद्देनजर प्लेटफार्म की यथावश्यक ऊंचाई मुहैया कराई गई है।

एल.एन.जी. टर्मिनल

4558. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एल.एन.जी. टर्मिनलों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) नए टर्मिनलों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में, देश में वाणिज्यिक विचार से अलग-अलग स्थानों पर एलएनजी टर्मिनल बनने की संभावना है। वर्तमान में, देश में दो एलएनजी टर्मिनल हैं अर्थात् दहेज स्थित 5 एमएमटीपीए क्षमता वाले पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) और हजीरा में 2.5 एमएमटीपीए क्षमता वाला शैल का एलएनजी टर्मिनल। पीएलएल ने वर्ष 2008 तक अपने दहेज टर्मिनल का विस्तार 10 एमएमटीपीए तक करने का तथा वर्ष 2009 तक कोच्चि में 5 एमएमटीपीए क्षमता वाले एक ग्रीनफील्ड टर्मिनल को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। 5 एमएमटीपीए क्षमता वाले दामोल एलएनजी टर्मिनल का वर्ष 2006 की चौथी तिमाही तक पूरा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दो अन्य टर्मिनल एक मैंगलोर में तथा दूसरा एन्नोर में, अभी योजना अवस्था में है।

पानीपत तेल शोधक कारखाना

4559. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने पानीपत तेल शोधक कारखाने की क्षमता 12 मिलियन टन से बढ़ाकर 15 मिलियन टन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) पानीपत रिफाइनरी के 12 मिलियन मिट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) से 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) तक विस्तार की अनुमानित लागत 806 करोड़ रुपए है।

(ग) इस परियोजना के मार्च, 2008 तक पूरी होने का कार्यक्रम है।

चाइल्डलाइन सेवाएं

4560. **श्री गणेश सिंह:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे शहर कौन-कौन से हैं जहां इस समय चाइल्डलाइन सेवा उपलब्ध है;

(ख) देश में विशेषकर गुजरात में चाइल्डलाइन सेवा चलाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चुने गए स्वयंसेवी संगठन कौन-कौन से हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में स्वयंसेवी संगठन को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के कुछ और शहरों में यह सुविधा प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे शहर कौन-कौन से हैं तथा इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर सूचना उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नए नगरों में सेवा आरंभ करने का प्रारंभिक कार्य, चाइल्डलाइन सेवा की मानीटरिंग और विस्तार के लिए नोडल एजेंसी, चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुम्बई द्वारा चलाई जा रही एक सतत प्रक्रिया है।

"बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत बेसहारा बच्चों और चाइल्डलाइन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले संगठनों को सहायता दी जाती है। वर्ष 2005-06 के लिए 12.20 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.40 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। निधि का राज्यवार निर्धारण नहीं किया जा सकता।

आई.एल.एस. की खरीद

4561. **श्री रघुनाथ झा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न विमानपत्तनों पर स्थापित किए जाने के लिए करोड़ों रु. के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई.एल.एस.) खरीदे हैं परन्तु उनका उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तनों पर आई.एल.एस. स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी 2005 की अपनी रिपोर्ट सं. 3 (वाणिज्यिक) में इस मामले का उल्लेख किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अनेक हवाईअड्डों पर प्रतिस्थापन/संस्थापना के प्रयोजनार्थ, 2001-03 के दौरान 20 इन्स्ट्रूमैण्ट लैंडिंग सिस्टम (आई.एल.एस.) खरीदे हैं। भूमि अधिग्रहण, रूकावटें हटाने आदि में विलम्ब की वजह से 8 हवाईअड्डों पर आई.एल.एस. संस्थापित करने में विलम्ब हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निरन्तर प्रयासों से अवरोधों पर अब तक नियंत्रण कर लिया है तथा 8 आई.एल.एस. में से 6 संस्थापित कर दिए हैं। 7वां आई.एल.एस. विशाखापट्टनम हवाईअड्डे के नए रनवे पर, रनवे के पूरा हो जाने के बाद, उपलब्ध कराये जाने की संभावना है। जम्मू हवाईअड्डे पर रनवे के बढ़ाए गए भाग जो कि एक पुरानी सुरक्षा दीवार को ढहाए जाने में विलम्ब होने की वजह से रुका पड़ा है, के चालू हो जाने के बाद 8वें आई.एल.एस. को भी संस्थापित पर दिया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

उल्फा उग्रवादियों द्वारा पाइपलाइनों को अवरुद्ध करना

4562. **श्री राजेश पाठक:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उल्फा उग्रवादियों ने हाल ही में पाइपलाइनों को क्षति पहुंचाकर असम में तेल शोधक कारखानों की आपूर्ति बाधित कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में तेल शोधक कारखानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। दो घटनाएं घटीं थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(1) 6.8.2005 को लगभग 2300 बजे आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) से गुवाहाटी रिफाइनरी तक कच्चे तेल की आपूर्ति मोरान और जोरहाट के बीच शिबसागर के पास ओआईएल की क्रूड पाइपलाइन में विस्फोट होने के कारण निलंबित कर दी गई थी। गुवाहाटी रिफाइनरी की कच्चे तेल की आपूर्ति मैसर्स आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा बनाए रखी गई। गुवाहाटी रिफाइनरी में कच्चे तेल की संसाधन प्रक्रिया सामान्य बनी रही। तथापि विस्फोट के कारण ओआईएल को 248.46 लाख रुपए की अनुमानित क्षति झेलनी पड़ी।

(2) 7.8.2005 को लगभग 2105 बजे, डिग्बोई-तिनसुकिया पाइपलाइन (डीपीटीएल) में डीजल पम्पिंग को माकुम और तिनसुकिया के बीच टेंगापाणी टी एस्टेट में डीटीपीएल में विस्फोट के कारण निलंबित कर दिया गया। आवश्यक मरम्मतों के बाद डीटीपीएल पम्पिंग प्रचालन 9.8.2005 को फिर से चालू कर दिए गए। उत्पाद टैंकों में पर्याप्त मात्रा के कारण डिग्बोई रिफाइनरी के प्रचालन सामान्य बने रहे। इस विस्फोट के कारण आईओसीएल को 20 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) असम में तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की देखभाल तेल कंपनियों के कर्मचारीगण, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम पुलिस द्वारा की जाती है। सुरक्षा स्थिति का पुनरीक्षण राज्य सरकार के साथ समन्वय से नियमित आधार पर किया जाता है। पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), आसूचना उप समिति की बैठक में, तेल क्षेत्र रिफाइनरियों, पाइपलाइनों और प्रतिष्ठानों के सुरक्षा प्रबंधों का तिमाही आधार पर पुनरीक्षण करते हैं।

[अनुवाद]

परंपरागत संस्कृति को बढ़ावा

4563. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परंपरागत/क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु के संबंध में चल रही परियोजनाओं की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार का विचार कला एवं संस्कृति उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी उद्यमों के सहयोग से नई परियोजनाएं क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय को सभी कलारूपों के परिरक्षण और संवर्धन का कार्य सौंपा गया है। भारत की प्राचीन विरासत के परिरक्षण संबंधी कार्यक्रमों के साथ-साथ संस्कृति मंत्रालय के कार्यकलाप विविध समकालीन सृजनात्मक कलाओं का प्रोत्साहन तथा प्रचार भी करते हैं। तमिलनाडु में चल रही परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:-

संस्कृति मंत्रालय के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर ने तमिलनाडु के कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2005-06 के लिए 23 कार्यक्रमों को अनुमोदित किया है। इन अनुमोदित कार्यक्रमों के अलावा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रमों और सहयोगात्मक कार्यक्रमों, गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम आदि के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा उनका संचालन किया जा रहा है।

संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदानों का वितरण करके तमिलनाडु की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है।

तमिलनाडु के लिए साहित्य अकादमी, नई दिल्ली अपने विभिन्न स्कीमों में उचित भागीदारी दे रही है। साहित्य अकादमी ने अनुवाद तथा तमिल लेखकों पर विनिबंधों सहित 350 शीर्षक प्रकाशित किए हैं।

कला क्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। यह प्रतिष्ठान भारतीय कला, शास्त्रीय नृत्य तथा संगीत में पारंपरिक

मूल्यों के परिरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यकलाप आयोजित कर रहा है। विद्यार्थियों के लाभार्थ कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा व्याख्यान प्रदर्शनों को आयोजित किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा संस्कृति मंत्रालय, युवा कलाकारों, मंच, साहित्यिक तथा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ छात्रवृत्ति, स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता, जनजातीय/लोक कला तथा संस्कृति के संवर्धन और प्रचार की स्कीमों के तहत तमिलनाडु को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण में कार्यरत निगमित क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र तथा निजी व्यक्तियों की भागीदारी आमंत्रित करने और साथ ही नई वीथियों, संग्रहालयों के सृजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

विरासत क्षेत्र (हेरीटेज जोंस)

4564. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को देश के महत्वपूर्ण स्मारकों वाले विरासत क्षेत्र (हेरीटेज जोंस) को सृजित करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनेस्को के दल का देश में महत्वपूर्ण स्मारकों की यात्रा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय किसी यूनेस्को-दल के दौरे का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संरक्षण की स्थिति के मूल्यांकन के लिए यूनेस्को मिशन कुछ विश्व दाय स्थलों का दौरा करते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

4565. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्वास महानिदेशालय (डी.जी.आर.) ने डी.जी.आर. में पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा कवर प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक राज्य में डी.जी.आर. के माध्यम से कितने भूतपूर्व सैनिकों ने रोजगार प्राप्त किया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) लोक उद्यम विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि पुनर्वास महानिदेशालय, सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, राज्य भूतपूर्व सैनिक निगमों सहित, भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों को प्रायोजित करने वाला नाडल प्राधिकारी होगा।

(ख) कुछ राज्यों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके राज्य भूतपूर्व सैनिक निगमों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीधे आवेदन करने की अनुमति दी जाए जैसेकि पहले व्यवस्था थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की संख्या (1 जनवरी, 2005 से 10 अगस्त, 2005 तक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	915
2.	अरुणाचल प्रदेश	85
3.	असम	285
4.	बिहार	345
5.	छत्तीसगढ़	537
6.	गोवा	98
7.	गुजरात	1124
8.	हिमाचल प्रदेश	204

1	2	3
9.	हरियाणा	632
10.	जम्मू-कश्मीर	379
11.	झारखंड	753
12.	कर्नाटक	1371
13.	केरल	488
14.	मध्य प्रदेश	1223
15.	महाराष्ट्र	2110
16.	मेघालय	6
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	1469
19.	पंजाब	160
20.	राजस्थान	527
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	690
23.	त्रिपुरा	38
24.	उत्तर प्रदेश	1068
25.	उत्तरांचल	134
26.	पश्चिम बंगाल	1362
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5
28.	दिल्ली	3035
29.	दादर एवं नगर हवेली	6
30.	पांडिचेरी	36
	कुल	19088

टिप्पणी: केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन एक सतत प्रक्रिया है।

एम.ई.एस. में अभियंत्रण और प्रशासनिक सेवा की संवर्ग समीक्षा

4566. डा. के.एस. मनोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य अभियंत्रण सेवा (एम.ई.एस.) में अभियंत्रण सेवाओं की संवर्ग समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सैन्य अभियंत्रण सेवा में प्रशासनिक सेवाओं की संवर्ग समीक्षा भी की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रशासनिक सेवाओं की संवर्ग समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) सैन्य अभियंत्रण सेवा (एम.ई.एस.) के प्रशासनिक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा नहीं की गई है।

(ग) विभागीय संवर्ग समीक्षा समिति द्वारा संवर्ग समीक्षा के प्रस्ताव की जांच पूरी नहीं हुई है।

(घ) संवर्ग समीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करना होता है। इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बहुमूल्य कला वस्तुओं के लिए समिति

4567. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी प्रदर्शनियों के लिए देश के बाहर न भेजे जाने वाली बहुमूल्य कला वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की है अथवा गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से अन्य उपाय किये जा रहे हैं कि प्रदर्शनी हेतु विदेशों में भेजे जाने वाली बहुमूल्य कला वस्तुएं क्षतिग्रस्त न हों?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। काफी समय पहले 1987 में ऐसी कलावस्तुओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसका कार्य अत्यधिक नाजुक और बहुमूल्य वस्तुओं का पता लगाना था जिन्हें थोड़े समय के लिए भी हटाया नहीं जा सकता हो और इसलिए अपवादस्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर उन्हें प्रदर्शन के प्रयोजनों से विदेशों में नहीं भेजा जाना चाहिए। तत्पश्चात् भारत सरकार ने विदेशों में प्रदर्शनियां भेजने तथा विदेशों से प्रदर्शनियों का स्वागत करने के

संबंध में दिनांक 30.09.1988 के पत्र के जरिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को दिनांक 18.06.1999 के मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा संशोधित किया गया है।

(ग) विदेशों में भेजे जाने वाली कलावस्तुओं की जांच और मूल्यांकन के लिए एक सात सदस्यीय राष्ट्रीय जांच एवं मूल्यांकन समिति गठित की गई है। यह समिति विदेशों में भेजे जाने वाली कला वस्तुओं के संबंध में उनके वर्गीकरण तथा बीमा मूल्य सहित उनकी प्राचीनता के बारे में सिफारिशें करती है। इसके अलावा विदेशों में भेजे जाने वाली कलावस्तुओं का वैज्ञानिक संरक्षण, फोटो प्रलेखन आदि किया जाता है। कलावस्तुओं को पैक करने, उन्हें डिब्बों (क्रेटों) में रखने तथा विभिन्न स्तरों पर उनको सम्भालने और परिवहन में विशेष ध्यान दिया जाता है। इन कलावस्तुओं का सभी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए निर्बाध रूप से विधिवत् बीमा कराया जाता है और मानव देखरेख तथा इलेक्ट्रानिक सुरक्षा के जरिए दिनरात इनकी सुरक्षा की जाती है। इन कलावस्तुओं के वापिस आने पर पहले की भांति वैज्ञानिक दशा रिपोर्टों की तुलना में किसी क्षति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एवं मूल्यांकन समिति द्वारा समुचित रूप से फिर से जांच की जाती है। तथापि, कलावस्तुओं को भेजने या प्राप्त करने से पहले प्रेषक तथा प्राप्तकर्त्ता संगठनों की जिम्मेदारियों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रेषक/प्राप्तकर्त्ता संगठनों के साथ करार किया जाता है।

कन्याकुमारी में रेलवे निर्माण कार्य हेतु तैनात व्यक्तियों की नियुक्ति

4568. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में 1988-99 में रेलवे निर्माण कार्य के दौरान काम पर लगाए गए व्यक्तियों को रेल विभाग ने उन्हें भविष्य में होने वाली रिक्तियों के लिए रोजगार देने के लिए सूचीबद्ध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सूचीबद्ध व्यक्तियों को रेलवे में रोजगार प्रदान कर दिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) 36 व्यक्तियों, जो पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं, को तिरूवनंतपुरम मंडल में समाहित किया गया है (जो कन्याकुमारी जिला के क्षेत्राधिकार में आता है)।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती

4569. श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री प्रशान्त प्रधान:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रसार भारती के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग आदि जैसे अन्य स्वायत्त संस्थानों की तरह प्रसार भारती के पूर्ण वित्त पोषण पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती जो कि एक लोक प्रसारक है केवल समाचारों के प्रसारण के कार्य में ही नहीं बल्कि शिक्षा और मनोरंजन दोनों के प्रयोजनार्थ सृजनात्मक कार्यक्रमों का निर्माण करने में भी कार्यरत है। इसलिए इसकी तुलना संघ लोक सेवा आयोग या निर्वाचन आयोग से नहीं की जा सकती है। तथापि, सरकार जो कि प्रसार भारती को इसके शासनादेश की पूर्ति करने हेतु यथा अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराएगी।

स्मार्ट कार्ड परियोजना

4570. श्री वी.के. ढुम्मर:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना ने स्मार्ट कार्ड आधारित कैंटीन और ग्रासरी प्रबंधन को दिल्ली स्थित कंपनी मै. स्मार्ट चिप लिमिटेड को इस परियोजना में सुरक्षा संबंधी जोखिमों की ओर ध्यान बिना सौंप दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) स्मार्ट कार्डों से जुड़े सीआईएमएस (कैंटीन मालसूची प्रबंधन प्रणाली) साफ्टवेयर

पर क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा के साफ्टवेयर के कार्यान्वयन का कार्य, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, मैसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड को सौंपा गया है। सुरक्षा संबंधी अनुमति नहीं मांगी गयी थी क्योंकि सेना मुख्यालय ने यह मूल्यांकन किया है कि सीआईएमएस से संबंधित आंकड़े वर्गीकृत नहीं हैं। तथापि, स्मार्ट चिप लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को, जो सीआईएमएस के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं, कार्य आरंभ करने से पूर्व संबंधित विरचना मुख्यालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होती है। उन्हें वर्गीकृत आंकड़ों तक अथवा कैंटीनों के सिवाय किसी अन्य क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। इसलिए देश के सुरक्षा हितों को खतरे में नहीं डाला गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन

4571. श्री राकेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल मानचित्र पर पर्यटकों की अभिरुचि वाले स्थानों के रूप में दर्शाए गए मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे मध्य प्रदेश में विशेषकर जबलपुर रेलवे स्टेशन सहित कुछ अन्य स्टेशनों को पर्यटक अभिरुचि वाले स्थानों के रूप में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) भारतीय रेल, रेलवे स्टेशनों को उनके पर्यटक महत्व के आधार पर वर्गीकृत नहीं करता है। बहरहाल, यात्रियों की सुविधा के लिए कतिपय समय-सारणियों में प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की सूचना दी जाती है।

[अनुवाद]

महाप्रबंधक कार्यालय भवनों का निर्माण

4572. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दो वर्ष पूर्व स्थापित सभी नए सात जोनों हेतु महाप्रबंधक कार्यालय के नए निर्माणाधीन भवनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम रेलवे के मुख्यालय हुबली में महाप्रबंधक कार्यालय के निर्माण हेतु प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण-पश्चिम रेलवे मुख्यालय भवन की प्रस्तावित वर्तमान जगह के संबंध में स्थानीय लोगों का कोई विरोध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 1. पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

(1) निर्माण योग्य कुल स्थान – 15750 वर्ग मी.

(2) अब तक निर्मित स्थान – 3150 वर्ग मी.

(3) निर्माणाधीन स्थान – 12600 वर्ग मी.

2. पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर

(1) निर्माण योग्य कुल स्थान – 20000 वर्ग मी.

(2) निर्माणाधीन स्थान – 20000 वर्ग मी.

(3) प्रगति – 50%

3. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

(1) निर्माण योग्य कुल स्थान – 17800 वर्ग मी.

(2) निर्माणाधीन स्थान – 15300 वर्ग मी.

(3) प्रगति – 25.06.2005 को निविदा को अंतिम रूप दिया गया।

4. उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

(1) निर्माण योग्य कुल स्थान – 20595 वर्ग मी.

(2) निर्माणाधीन स्थान – 20595 वर्ग मी.

(3) प्रगति-इमारत निर्माण के संबंध में परामर्श के लिए ठेका प्रदान किया गया।

5. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

(1) निर्माण योग्य कुल स्थान – 13000 वर्ग मी.

(2) प्रगति—इस स्थल पर भराई की जांच के दौरान भूमिगत गुफाएं मिलने के वजह से इमारत के लिए अन्यत्र स्थान निर्धारण की योजना बनाई जा रही है।

6. दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली

(1) निर्माण योग्य कुल स्थान – 17900 वर्ग मी.

(2) अब तक निर्मित स्थान – 2000 वर्ग मी.

(3) शेष निर्माण कार्य – 15900 वर्ग मी.

(4) प्रगति – मैसर्स इरकान को निर्माण कार्य सौंपा गया है। आरेख को अंतिम रूप दे दिया गया है और स्थल का अंतिम निर्धारण कर दिया गया है।

7. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

(1) निर्माण योग्य कुल स्थान – 15000 वर्ग मी.

(2) अब तक निर्मित स्थान – 4500 वर्ग मी.

(3) निर्माणाधीन स्थान – 10500 वर्ग मी.

(4) प्रगति – 90%

(ख) हुबली में नए जोन की स्थापना, जिसमें महाप्रबंधक कार्यालय का निर्माण भी शामिल है, के लिए मौजूदा वर्ष (2005-06) में 11.00 करोड़ रु. मुहैया कराए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे में विनिवेश

4573. श्री रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कतिपय क्षेत्रों में विनिवेश पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बारूदी सुरंग रोधी वाहनों को शामिल किया जाना

4574. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रवण क्षेत्र बुरी तरह बारूदी सुरंगों से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना का विचार स्वदेशी रूप से विकसित और विनिर्मित बारूदी सुरंग रोधी वाहन को अपने वाहन बेड़े में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारूदी सुरंग रोधी वाहन से उग्रवादियों/आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने में कितनी सहायता मिलेगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के विद्रोह संभावित क्षेत्रों में सुरंगों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तथापि, आतंकवादियों द्वारा कभी-कभार सुरंगों के ही समान काम चलाऊ विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कभी-कभी जमीन के नीचे दबाए जाते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय सेना का स्वदेश में विनिर्मित सुरंग रोधी वाहन शामिल करने का प्रस्ताव है। स्वदेशी सुरंग रोधी वाहन का विकास आयुध निर्माणी, मेडक ने किया है।

(घ) सुरंग रोधी वाहनों से, काम चलाऊ विस्फोटक उपकरण पाए जाने की संभावना वाले क्षेत्रों में बेहिचक आवा-जाही की जा सकती है तथा इससे अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा के साथ तुरंत जवाबी कार्रवाई कर पाना संभव होता है।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में भ्रष्टाचार

4575. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों विशेषकर इंडियन आयल कारपोरेशन में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आज तक कितने मामलों का पता चला है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) में प्राप्त शिकायतों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सतर्कता इकाइयों द्वारा की गई औचक जांचों, संविदाओं की जांच के आधार पर, वर्तमान वर्ष के

दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रष्टाचार सहित अनियमितताओं के 504 मामले सूचित किए गए हैं। उपर्युक्त में से 401 मामले इंडियन आयल कारपोरेशन से संबंधित हैं। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सतर्कता इकाइयों के माध्यम से जांच पड़ताल/छानबीन की जाती है या इन्हें शिकायत की प्रकृति या प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर सीबीआई को भेजा जाता है और आचरण नियमावली के प्रावधान अथवा कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) सतर्कता प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रणालियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वाणिज्यिक निर्णय लेने में और अधिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करने के लिए लगातार कहा गया है। भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं-

(1) ई-भुगतानों का प्रारम्भ।

(2) निविदा भेजने के लिए वेबसाइटों के उपयोग सहित निविदाओं को व्यापक प्रचार।

(3) नामांकन आधार पर कार्य प्रदान करने की सूक्ष्म निगरानी।

(4) गुणवत्ता नियंत्रण कक्षों की स्थापना।

(5) सतर्कता जागरूकता पर अधिक बल।

(6) सतर्कता स्कंध द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण किया जाना।

(7) शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा।

(8) वार्षिक सम्पत्ति विवरणियों की जांच।

(9) सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना जिससे उनके क्रियाकलापों पर विशेष निगरानी रखी जा सके।

चालकों की रात में ड्यूटी

4576. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में चालकों को लगातार दस रातों तक रात में ड्यूटी पर रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उनकी सतर्कता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लगातार की जाने वाली रात की ड्यूटी कम करने के लिए उपायों पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। चालकों को लगातार रात्रि ड्यूटी से बचने के बारे में अनुदेश पहले ही मौजूद हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ड्यूटी पर वापस लौटना

4577. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों संबंधी रेलवे नियमों में कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से विशेषकर रेलवे चिकित्सा अधिकारी/रेलवे अस्पताल द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने पर ड्यूटी पर वापस लेने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अधिकारी किसी कर्मचारी को रेलवे अस्पताल के डाक्टरों द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद भी ड्यूटी पर वापस आने से रोक सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उत्तर रेलवे में ऐसे असंख्य मामले हैं जिनमें कर्मचारियों को रेलवे अस्पताल/डाक्टरों द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद भी ड्यूटी पर वापस आने से रोक दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं का परित्याग किया जाना

4578. श्री बीर सिंह महतो: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने धनाभाव के कारण कई परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अधूरी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी. में अन्य पिछड़ा वर्ग की बकाया रिक्तियां

4579. डा. आर. सेनथिल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या नीति अपनायी जा रही है;

(ख) वर्ष 2004 और 2005 के दौरान आज की तिथि तक ओ.एन.जी.सी. द्वारा अलग-अलग श्रेणियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. में अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई बकाया रिक्तियां हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) ओ.एन.जी.सी. ने रिपोर्ट दी है कि वे अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भारत सरकार की नीति/दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं।

(ख) ओएनजीसी में वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान नियुक्त किये गये ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है-

समूह	वर्ष	
	2004	2005 (जुलाई, 2005 तक)
क	47	शून्य
ग	08	शून्य
घ	शून्य	शून्य

(ओएनजीसी में समूह ख का पद पदोन्नति आधारित पद है)

(ग) और (घ) ओएनजीसी में कार्मिकों की विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। जब भी ओबीसी के लिए आरक्षित वर्ग में कोई गिरावट दिखाई देती है, तब ओएनजीसी अनुवर्ती नियुक्ति प्रक्रिया से रिक्त स्थानों को भरने की कार्रवाई करती है।

निम्नलिखित वर्गों में गिरावट हुई है-

समूह	गिरावट
क	66
ग	22
घ	10

(ङ) ओएनजीसी ने रिपोर्ट दी है कि ओबीसी रिक्त स्थानों को चिह्नित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ओबीसी के लिए चिह्नित रिक्त स्थानों को भरने के लिए, जब भी इस वर्ग में पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों की भांति लिखित परीक्षाओं और इसी प्रकार साक्षात्कारों में भी मानकों की छूट की अनुमति दी जाती है। ओएनजीसी ने वर्तमान वर्ष के दौरान समूह क में ओबीसीज की नियुक्ति की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

बाम्बे हाई में सुरक्षा उपाय

4580. श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्रीमती अर्चना नायक:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री हेमलाल मुर्मू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री टी.के. हमजा:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
डा. के. धनराजू:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बाम्बे हाई में आफशोर आयल प्लेटफार्म में लगी बड़ी आग के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने तीन वर्ष पहले एमएचएन प्लेटफार्म पर आग लगने के समय सुरक्षा उपाय संबंधी समिति गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन-कौन से निवारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) इस संबंध में भारत सरकार एक जांच समिति का गठन कर रही है।

(ग) 14.2.2001 को बीएचएफ प्लेटफार्म (मुंबई हाई नार्थ से जुड़ा हुआ पुल) में आग लगने की घटना के बारे में ओएनजीसी ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एससीएन जटार, आयल इंडिया लिमिटेड के पूर्व सीएमडी और ओएनजी विदेश लिमिटेड के पूर्व एमडी वाली एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2001 में प्रस्तुत की थी।

(घ) समिति ने अपतट में भविष्य में जीर्णोद्धार कार्यों के लिए कई एहतियाती उपायों पर फिर बल दिया। ये निम्नानुसार थे-

(1) उन्नत कार्य व्यवहार।

(2) वर्धित समन्वय और कार्य करने के लिए अनुज्ञा पत्र (पीटीडब्ल्यू) प्रणाली।

(3) जीर्णोद्धार कार्यों के दौरान एक स्पष्ट प्रक्रिया तैयार करना।

(ङ) और (च) सिफारिशों के आधार पर ओएनजीसी ने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया-

(1) कार्य करने के लिए एकीकृत अनुज्ञा-पत्र प्रणाली (जीटीडब्ल्यू) की शुरूआत और कार्यनीतिक नियंत्रण स्थानों पर ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना।

(2) वर्धित सहयोग।

(3) जीर्णोद्धार कार्यों के दौरान मानक प्रचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देश।

(4) समसामयिक प्रचालन मैट्रिक्स (एसआईएमओपी) का विकास।

(5) अग्निशमन के लिए सहायक बहु आपूर्ति जहाज (एमएसवीज) और अपतटीय आपूर्ति जहाज (ओएसवीज)

(6) ओएनजीसी और इसके संविदाकारों दोनों के अपतटीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य समुद्री जीवन रक्षण और मूलभूत अग्निशमन प्रशिक्षण।

(7) जीर्णोद्धार से पहले और बाद के खतरों और जोखिमों का विश्लेषण।

(8) परिवर्तन के प्रबंधन (एमओसी) का विकास।

(9) उन्नत नियमित हाउस कीपिंग जांच।

(10) किसी जीर्णोद्धार कार्य के निष्पादन के दौरान तृतीय पक्ष की प्रमाणन एजेंसियों की तैनाती।

(छ) तब से अनेक जीर्णोद्धार कार्य किए गए हैं और एमएनडब्ल्यू (प्लेटफार्म), एमएसपी (प्लेटफार्म) औएमयूटी (गैस और तेल प्रेषण के लिए मुंबई हाई उरण ट्रंक लाइनें) जैसी नई सुविधाओं की इंटरफेसिंग की गई है। 2005-06 से पहले के मानसून के दौरान 200 नावों/बजरों और जहाजों से संबंधित निर्माण कार्य बिना किसी दुर्घटना के किए गए जिनमें 6500 करोड़ रुपए लागत वाली 12 मुख्य परियोजनाओं के लिए 43 राष्ट्रीयताओं वाले 4000 से अधिक कार्मिकों ने कार्य किया। ओएनजीसी, संस्थापनाओं के निकट एमएसवीज और ओएसवीज के प्रचालनों के लिए पहले से ही अपनी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का उन्नयन करने की प्रक्रिया में है।

27 जुलाई, 2005 को बीएचएन प्लेटफार्म में त्रासद घटना को देखते हुए ओएनजीसी ने पूर्व अध्यक्ष, ओएनजीसी, पूर्व अध्यक्ष गेल और पूर्व निदेशक (तकनीकी) वाली एक उच्च शक्तिप्राप्त समिति का दुर्घटना के कारण(णों) का पता लगाने, आपात प्रयुत्तर की समीक्षा करने और संशोधन तथा सुधार के लिए कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए गठन किया है। इसके अलावा सरकार

एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच समिति की स्थापना करने की प्रक्रिया में भी है जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है। दोनों समितियों की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर इनकी जांच की जाएगी और ओएनजीसी की परिसंपत्तियों/संस्थापनाओं को और अधिक सुदृढ़ करने तथा कार्मिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

श्रमिक संघों को मान्यता

4581. **श्री संतोष गंगवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेलवे मजदूर संघ (बीआरएमएस) से संबद्ध सभी श्रमिक संघों को मान्यता देने के लिए सभी रेलवे जोनों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत उत्तर रेलवे के अधीन उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को अन्य संघों के समान सुविधाएं मिल रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 26.06.2002 को सभी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें उन्हें अपनी रेलवे पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ और अन्य के साथ संबद्ध यूनियनों को आवेदन करने पर मान्यता प्रदान करने के बारे में विचार करने का अधिकार दिया गया था, बशर्ते उनके पास उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, की कम से कम 30% सदस्यता हो। अलग-अलग जोनों के कुल अराजपत्रित कर्मचारियों की 30% सदस्यता संख्या का निर्धारण नवीनतम वर्ष के लिए क्षेत्रीय यूनियनों द्वारा अपने-अपने ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत और उसके द्वारा यथा सत्यापित/स्वीकृत वार्षिक रिटर्न फार्मों के आधार पर की जानी थी।

बहरहाल, 2002 की रिट याचिका सं. 25274 के संबंध में 17.10.2003 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा उक्त आदेशों को रद्द कर दिया गया था। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समर्थन किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

संवर्ग का गठन

4582. **श्री राकेश सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि गृह मंत्रालय वर्षों से रक्षा मंत्रालय के राजभाषा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु संवर्ग के गठन के लिए ज्ञापन जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आयुध कारखाने, जबलपुर में संवर्ग के गठन के लिए सरकार कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयुध निर्माणी बोर्ड में एक संवर्ग पहले से ही है, जिसमें निम्नलिखित पद शामिल हैं:-

1. हिंदी अधिकारी
2. वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
3. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

इस प्रकार, आयुध निर्माणी, जबलपुर के संबंध में अलग संवर्ग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

4583. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम विद्युत संयंत्रों को गैस मुहैया कराने के अपने वायदे को पूरा करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) विद्यमान विद्युत संयंत्रों को 38.61 एमएमएससीएमडी एपीएम (प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली) गैस के कुल आबंटन की तुलना में, वर्ष 2005-06 की पहली तिमाही में गेल की इन संयंत्रों को लगभग 28 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति की गई थी। एपीएम के अतिरिक्त, 2.5 एमएमएससीएमडी पुनर्गैसीकृत एलएनजी की आपूर्ति भी विद्युत क्षेत्र को बाजार मूल्य पर की जा रही है। विद्यमान घरेलू गैस आपूर्ति स्रोतों की क्षीणता को देखते हुए, देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को आयात और अतिरिक्त अन्वेषण से बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में प्राकृतिक गैस को राष्ट्रपार पाइपलाइनों के माध्यम से आयात करना तथा एनईएलपी स्रोतों से प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करना शामिल है। तथापि, नए स्रोतों से गैस बाजार संचालित मूल्यों पर उपलब्ध होगी।

रेलवे में समूह 'ख' के अधिकारी

4584. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय के समूह 'ख' (राजपत्रित/अराजपत्रित) अधिकारी पिछले 9-10 साल से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल मंत्रालय इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेल मंत्रालय में पिछले नौ सालों से कार्यरत अनुभाग अधिकारियों के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग ग्रेड (अर्थात् 8000-12000 रुपए) को दिए गए वेतनमान के बराबर वेतनमान देने पर ध्यान नहीं दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या ये अधिकारी नियमित रिक्तियों पर पद तथा ग्रेड में कार्य कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इन अधिकारियों की सेवा कब तक नियमित किए जाने तथा संशोधित ग्रेड दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) रेल मंत्रालय में श्रेणी 'ख' (राजपत्रित/अराजपत्रित) में तदर्थ आधार पर 9-10 वर्षों से बहुत ही कम अधिकारी कार्य कर रहे हैं। उनके नियमितीकरण में देरी या तो न्यायालय में चर्ल रहे मामलों अथवा पदों की अस्थाई प्रकृति के कारण या सीधी भर्ती की तुलना में ग्रेड में रिक्तियों का निर्धारित कोटा चिन्हित करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन न होने के कारण हुई है। ये तदर्थ पदोन्नतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए भर्ती नियमों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की गई हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। सभी नियमित अनुभाग अधिकारियों को, जिनकी अपनी ग्रेड में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) ग्रेड के समतुल्य अर्थात् 8000-13500 रु. का संशोधित वेतमान दे दिया गया है।

(छ) और (ज) कुछेक अधिकारियों को छोड़कर जो अस्थाई पदों पर कार्य कर रहे हैं। बाकी तदर्थ अधिकारी नियमित रिक्तियों पर कार्य कर रहे हैं। उनको नियमित करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि मुद्दों को सुलझाने के बाद शीघ्र ही वे नियमित किए जाएंगे। नियमित हो जाने के बाद, ये अनुभाग अधिकारी नीति के अनुसार, चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने के बाद 8000-13500 रु. के संशोधित नान-फंक्शनल वेतनमान के लिए योग्य हो जाएंगे और उनके बकाये का यदि देय होगा तो, भुगतान कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों को रेलवे पास जारी किया जाना

4585. श्री मनोरंजन भक्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों सेवा में आने के पहले दिन से प्रति वर्ष 6 सेट प्लस 6 सेट प्रथम श्रेणी के नि:शुल्क रेलवे पास लेने के लिए पात्र होते हैं तथा अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी सेवा में आने के पहले दिन से 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 1 सेट प्लस 1 सेट द्वितीय श्रेणी के नि:शुल्क रेलवे पास लेने के पात्र होते हैं और 5 वर्ष के बाद अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 3 सेट प्लस 3 सेट नि:शुल्क पास जारी किए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 5 वर्षों के लिए नि:शुल्क रेलवे का पास 1 सेट जारी करने के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों में इस असंगति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तो केवल पति या पत्नी ही एलटीसी सुविधाओं को लाभ उठा सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे में यही नियम लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) रेलवे कर्मचारियों को पासों के अलग-अलग सेटों की संख्या की पात्रता उनके ओहदे और वेतन पर निर्भर करती है।

(ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, वे अपने अलग-अलग होम टाउन का विकल्प दे सकते हैं और वो दोनों केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अपने-अपने परिवार के सदस्यों के लिए इस शर्त के अध्यधीन अलग-अलग रियायत के लिए दावा कर सकते हैं कि यदि पति अथवा पत्नी दूसरे के परिवार के सदस्य के रूप में इस सुविधा का लाभ उठाते हों तो, पति अथवा पत्नी अपने लिए स्वतंत्र रूप से रियायत दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(घ) रेलवे कर्मचारी और केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारी अलग-अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं। अत: इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।

असिसटिड साइडिंग कानसेप्ट को पुन: प्रयोग में लाना

4586. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने असिसटिड साइडिंग कानसेप्ट जिसका पहले प्रयोग होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, को पुन: प्रयोग में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या, इस असिसटिड साइडिंग कान्सेप्ट के अंतर्गत रेलवे केवल संबंधित खरीददारों के साथ नई रेलवे साइडिंग की लागत शेयर करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असिसटिड साइडिंग कानसेप्ट को पुन: प्रयोग में लाना

यह विनिश्चय किया गया है कि रेलें नई रेलवे साइडिंग की लागत में सहभागी होगा यदि उद्योग 10 वर्ष या उससे अधिक के लिए दीर्घावधि यातायात की वचनबद्धता करता है तो रेलों द्वारा भी आनुपातिक निवेश किया जाएगा। रेलें और उद्योग दोनों को दीर्घावधि में लाभकारी होगा। योजना का विवरण इस प्रकार है:-

(1) इस व्यवस्था के अंतर्गत साइडिंग के मालिक को भूमि मिट्टी डालने का कार्य, रेलपथ उप-संरचना, गिट्टियां, साईडिंग मालिक के परिसर के बाहर भवन की लागत वहन करनी होगी।

(2) साइडिंग के मालिक से परिसर से बाहर हटाए जाने वाली उप-संरचनाओं जिनमें रेलपथ स्लीपर, पुलों के गर्डरों के बंधकों पाईंटों और समपारों, बाड़ लगाना, सिगनलिंग और अंत: पार्शन उपस्कर किसी भी प्रकार की मशीनरी और शिरोपरि विद्युत उपस्कर की लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी।

(3) आवेदक (साइडिंग मालिक) के परिसर के भीतर साइडिंग की पूरी लागत साइडिंग मालिक द्वारा वहन की जाएगी।

अपेक्षित अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है और योजना 01.04.2005 से चालू की जा चुकी है। योजना का विवरण भारतीय रेलवे की वेब साइट www.indianrail.gov.in पर भी उपलब्ध है।

नि:शक्त कर्मचारियों की बहाली

4587. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कुछ नि:शक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारण क्या हैं;

(ग) क्या नि:शक्त व्यक्तियों के कुछ संगठनों ने इन नि:शक्त व्यक्तियों को बहाल करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने उन चार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियमित नौकरी न देने का निर्णय किया, जिन्होंने नौकरी के दौरान प्रशिक्षण लिया था। गेल द्वारा उन्हें सीधे नियमित नौकरी न देने के लिए दिया गया कारण यह था कि इसका विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संभावित अधिकार और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 34 में प्रावधान नहीं है। हालांकि संबंधित व्यक्तियों को यह परामर्श दिया गया था कि वे अपने नाम विशेष रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत करवाएं जिससे उनके नाम पर तब विचार किया जा सके, जब दिल्ली सहित पन्द्रह विशेष रोजगार केन्द्रों से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के विभिन्न पदों के लिए अनुरोध मांगे जाते हैं, इन चार व्यक्तियों के नाम किसी विशेष रोजगार केन्द्र द्वारा नहीं भेजे गए थे। प्रभावित व्यक्तियों ने तब 9 फरवरी, 2004 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या 2117-2219/2004 दाखिल कर दी। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका निपटा दी, इसने यह कहते हुए याचिकाकर्त्ता को राहत प्रदान की कि हालांकि उनके नाम विशेष रोजगार केन्द्र द्वारा प्रायोजित किए भी जाते तो भी कंपनी केवल उन नामों का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य नहीं थी जो रोजगार केन्द्र द्वारा प्रायोजित किए गए थे और भर्ती अभियान को व्यापक प्रचार देने के बाद याचिका कर्त्ताओं पर विचार कर सकती थी जिससे सरकार शारीरिक रूप से विकलांग सभी व्यक्तियों पर रोजगार के लिए विचार कर सके। माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी ने विशेष रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया आस्थगित रखी और अग्रणी समाचार पत्रों और रोजगार समाचार ने नए विज्ञापन जारी किए। समाचार पत्र विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कंपनी को लगभग आठ हजार आवेदनपत्र प्राप्त हुए जिनमें चार विकलांग व्यक्तियों में से तीन के आवेदनपत्र भी सम्मिलित थे। इस बीच प्रभावित व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे 6 दिसम्बर, 2004 को खारिज कर दिया गया। यद्यपि सभी चारों शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को 3 अक्तूबर, 2004 को आयोजित की गई लिखित परीक्षा के लिए 5032 आवेदकों के साथ सूचीबद्ध किया गया फिर भी संबंधित शारीरिक विकलांग व्यक्तियों में से किसी ने भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रदान किए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया। उसके बाद तीन शारीरिक विकलांग व्यक्तियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर की जिसका निपटान 27 अक्तूबर, 2004 को जब रिट याचिकाकर्त्ताओं के काउंसिल के याचिका को वापस लेने पर हुआ। फिर याचिकाकर्त्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली की खण्ड पीठ के समक्ष एक अपील दायर कर दी जिसे 13 दिसम्बर, 2004 को खारिज कर दिया गया। लगभग उसी समय तीन शारीरिक विकलांग व्यक्तियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया जिसने 31 जनवरी, 2005 को मामला समाप्त कर दिया। इस बीच गेल ने महान्यायवादी और अपने सालिसिटरों की कानूनी राय ली जिनमें से दोनों ने मत व्यक्त किया कि चयन के लिए अन्य उम्मीदवारों के भागीदारी करने के बदले इन व्यक्तियों को प्रस्तावित किए जाने के लिए संख्यातिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए कानून में कोई आधार नहीं है।

(ग) और (घ) अपंगाधिकार दल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के हस्तक्षेप का अनुरोध किया है जिन्होंने प्रभावित व्यक्तियों और दल के संयोजक से मुलाकात की है और उनके सामने स्थिति स्पष्ट की है।

(ङ) कानूनन और तत्संबंधी नियमों के चार कोनों के भीतर समाधान निकालने के लिए सरकार और गेल प्रबंधन के बीच चर्चाएं आयोजित की गई हैं। अब गेल बोर्ड के साथ परामर्श से इसकी समीक्षा की जा रही है कि क्या विधि और नियमों के अनुरूप संबंधित शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति करने अथवा अन्यथा उनकी सहायता करने के लिए अनुकम्पा आधार तलाश किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

फर्जी नामों से माल की बुकिंग

4588. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि कुछ राज्यों में मूल्य संवर्धित कर (वैट) लागू होने के बाद कुछ कथित व्यापारी अपने माल की बुकिंग नकली नामों से कर रहे हैं और उस माल को रेलवे से छुड़ा लेते हैं जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मूल्य संवर्धन कर (वैट) के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से सामान्य उल्लेख को छोड़कर कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) समस्याओं का आकलन करने के लिए रेलवे एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों का संयुक्त दल गठित किया गया है।

अतिक्रमित भूमि को खाली कराना

4589. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पटना के खगौल में लंका कालोनी में 5 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय को विद्यालय हेतु नया भवन और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने हेतु पट्टे पर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त 5 एकड़ भूमि में से 1.25 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करते हुए दो सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या दानापुर मंडल को उक्त भूमि खाली करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। रेलवे ने 1989 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को खगोल में स्कूल के भवन का निर्माण करने के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए 300.00 रु. प्रति वर्ष के मामूली लाइसेंस शुल्क पर 8.57 एकड़ जमीन लाइसेंस पर दी है। इसमें बच्चों के लिए पार्क और केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर का निर्माण भी शामिल है।

(ख) जी, हां। दो सड़कों का निर्माण किया गया है। दोनों निर्मित सड़कों का क्षेत्रफल लगभग 0.16 एकड़ है न कि 1.25 एकड़।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार के अवसर

4590. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबलपुर स्थानीय उद्यमियों तथा बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहा है जैसाकि इसकी स्थापना के समय कल्पना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना से आज तक उक्त रेल जोन द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें जबलपुर एवं जबलपुर मंडल से कितने स्थानीय उद्यमियों और बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) करोड़ों रुपए की अवसंरचना के सृजन के लिए नए निर्माण कार्य हेतु जगह का चुनाव किया गया है जिस पर कार्यालय भवन का निर्माण, विभिन्न स्थलों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स एवं विश्रामालय आदि के निर्माण कार्य में तेजी आई है। छपाई-कार्य, स्टोरों की व्यवस्था, वाहन संचालन, सफाई आदि में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इसके फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में निरंतर सुधार हो रहा है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों को हानि

4591. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई/अगस्त, 2005 में भारी वर्षा होने के कारण महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों को नुकसान हुआ है और उनमें काम बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन तेल शोधक कारखानों को कितनी हानि हुई; और

(ग) इन कारखानों में काम शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जुलाई, 2005 में भारी वर्षा और बाढ़ के दौरान, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की मुंबई रिफाइनरी की कुछ प्रसंस्करण इकाइयां किसी बड़ी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में बन्द कर दी गई थी। बाद में सभी बंद पड़ी इकाइयां चालू कर दी गई थीं।

इसके साथ-साथ, दिनांक 26.7.2005 को मुंबई में हुई भारी वर्षा के कारण, प्रचालन कार्मिकों व उपकरणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की मुंबई रिफाइनरी को उस एक दिन के लिए सुरक्षित रूप से बंद रखा गया था। रिफाइनरी को दिनांक 28.7.2005 को पुनः चालू कर दिया गया था।

जबकि बी.पी.सी.एल. की रिफाइनरी को उपकरणों के नष्ट होने के कारण लगभग 1.47 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, एचपीसीएल की रिफाइनरी द्वारा कोई वित्तीय घाटा/नुकसान नहीं उठाया गया।

निजी कंपनियों द्वारा एल.पी.जी. का विपणन

4592. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नई कंपनियों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) के विपणन की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी नई कंपनियों को क्षेत्रों का आबंटन करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा एल.पी.जी. का विपणन कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) जो देश में एलपीजी का विपणन करती रही हैं, के साथ-साथ सरकार ने अप्रैल, 1993 से एलपीजी के समानान्तर विपणन की ऐसी योजना में निजी कंपनियों को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत ये कंपनियां एलपीजी का आयात कर सकती हैं और बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर इसे बेच सकती हैं।

सरकार ने आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को भी देश में देशी अस्तर पर उत्पादित एलपीजी का विपणन निम्नलिखित शर्तों पर करने के लिए प्राधिकृत किया है-

(1) शहरी और ग्रामीण बाजार में एलपीजी की बिक्री 75:25 के अनुपात में होगी।

(2) घरेलू और गैर घरेलू (थोक अथवा पैक घटक) में एलपीजी की बिक्री 80:20 के अनुपात में होगी।

(3) शहरी-ग्रामीण तथा घरेलू/गैर-घरेलू घटकों में एलपीजी की बिक्री के उपर्युक्त अनुपात की सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाएगी और प्राधिकृत कंपनियां सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए निदेशों से बाध्य होंगी।

(4) ओएनजीसी, गेल तथा आरआईएल घरेलू और गैर-घरेलू बाजारों में एलपीजी की बिक्री के लिए एलपीजी (आपूर्ति एवं संवितरण का विनियमन) आदेश, 2000 दिनांक 26.4.2000 तथा एलपीजी (मोटर वाहन में प्रयोग के विनियमन) आदेश, 2001 के दिनांक 1.8.2001 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपाल करेंगे।

प्राधिकृत निजी कंपनियों के साथ-साथ सरकारी तेल कंपनियां शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मालगाड़ियों के माध्यम से तस्करी

4593. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी मिली है कि गढ़े (भारत) और दर्शुआ (बांगलादेश) के बीच एक मालगाड़ी के माध्यम से औषधियों, हथियारों, दैनिक जरूरत की वस्तुओं गोला-बारूद आदि की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कबाड़ की बिक्री

4594. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न रेल डिविजनों द्वारा संग्रहित किए गए और बेचे गए कबाड़ों का ब्यौरा क्या है और इन कबाड़ों की बिक्री द्वारा जोन-वार कुल कितनी राशि अर्जित की गई;

(ख) क्या प्रत्येक रेल डिवीजन में कबाड़ बिक्री हेतु बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कबाड़ों और धातुओं की चोरी से रेलवे को भारी घाटा हुआ है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितना घाटा हुआ; और

(च) ऐसी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं। क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां सुविधाजनक स्थलों पर स्क्रैप की बिक्री की व्यवस्था करती हैं और मंडलवार नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान एकत्रित और बिक्री किए गए स्क्रैप और इन स्क्रैपों की बिक्री द्वारा उपार्जित कुल राशि का जोनवार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

वर्ष 2002-03

रेलवे/उत्पादन इकाई	पटरियों सहित स्टील स्क्रैप (एम.टी.)*		अस्टील स्क्रैप (एम.टी.)*		माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयां)		सवारी डिब्बे (अदद)		इंजन (अदद)		कुल विक्रय मूल्य (करोड़ रुपयों में)
	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	
मध्य	184600	166459	1375	1281	4402	4206	164	124	18	9	193
पूर्व	99078	95448	2032	1938	2148	1807	188	128	45	50	118
उत्तर	157630	153939	675	512	2734	2702	117	107	11	6	170
पूर्वोत्तर	46503	47343	1067	866	368	351	254	251	10	10	44
पूर्वोत्तर सीमा	20369	19887	74	71	291	250	44	37	2	2	16
दक्षिण	102305	103393	3263	3139	579	579	248	248	2	2	103
दक्षिण मध्य	117199	115773	1497	657	713	631	81	64	5	0	105
दक्षिण पूर्व	202638	197692	1226	992	2533	2418	66	45	19	12	192
पश्चिम	70906	69080	2138	1939	1383	1358	114	102	3	3	84
उत्तर पश्चिम	29420	26933	384	306	528	486	36	29	8	8	40
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	3491	3258	147	137	–	–	–	–	–	–	3
डीजल आधुनिकीकरण कारखाना	4089	4278	464	436	–	–	–	–	–	–	8
डीजल रेल इंजन कारखाना	2530	2662	27	6	–	–	–	–	–	–	2
सवारी डिब्बा कारखाना	5701	5009	120	102	–	–	–	–	–	–	11
मेट्रो रेल	63	363	22	13	–	–	–	–	–	–	1
रेल डिब्बा कारखाना	4468	5305	76	54	–	–	–	–	–	–	8
रेल पहिया कारखाना	14041	21742	3	1	–	–	–	–	–	–	13
जोड़	1065031	1038564	14590	12450	15679	14788	1312	1135	123	102	1111

टिप्पणी: स्क्रैप जोनवार/उत्पादन इकाई कर बेचा जाता है और मंडल-वार नहीं।

वर्ष 2003-04

रेलवे/उत्पादन इकाई	घटियों सहित लौह स्क्रैप (एम.टी.)*		अलौह स्क्रैप (एम.टी.)*		माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयां)		सवारी डिब्बे (अदद)		इंजन (अदद)		कुल विक्रय मूल्य
	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	(करोड़ रुपयों में)
मध्य	57521	53075	920	756	1164	955	98	85	2	2	96
पूर्व	87507	76778	1879	1481	2412	2145	163	122	4	4	130
उत्तर	125588	114059	557	333	1543	1465	152	111	5	0	168
पूर्वोत्तर	23587	22981	592	573	32	31	87	81	0	0	31
पूर्वोत्तर सीमा	28641	26814	80	77	424	414	36	29	1	1	35
दक्षिण	87116	86559	1613	1541	341	339	292	274	0	0	116
दक्षिण मध्य	107555	99648	1291	1149	741	676	184	184	7	7	124
दक्षिण पूर्व	72259	56013	517	322	966	952	59	57	11	11	89
पश्चिम	61642	54985	1053	1048	476	383	101	75	5	2	85
उत्तर पश्चिम	43033	41173	721	650	668	662	195	192	1	1	68
उत्तर मध्य	59233	50194	58	57	1839	1616	11	11	0	0	42
पूर्व मध्य	34432	31317	140	112	350	278	71	59	0	0	91
पूर्व तटीय	34945	30872	60	0	228	133	8	2	0	0	40
दक्षिण पूर्व मध्य	35413	31617	147	140	733	625	14	11	4	3	47
दक्षिण पश्चिम	14594	13653	845	725	202	201	55	54	0	0	21
पश्चिम मध्य	55175	51018	1159	1127	1336	1276	9	9	17	16	83
चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना	2375	2355	107	70	–	–	–	–	–	–	3
डीजल आधुनिकीकरण कारखाना	4824	4127	469	383	–	–	–	–	–	–	10
डीजल रेलइंजन कारखाना	2857	2308	38	27	–	–	–	–	–	–	2
सवारी डिब्बा कारखाना	5998	5512	77	63	–	–	–	–	–	–	11
मेट्रो रेल	531	524	50	54	–	–	–	–	–	–	1
रेल डिब्बा कारखाना	6245	5528	65	40	–	–	–	–	–	–	10
रेल पहिया कारखाना	14996	14996	8	2	–	–	–	–	–	–	11
जोड़	966067	876106	12446	10740	13455	12151	1535	1356	57	47	1314

वर्ष 2004-05

रेलवे/उत्पादन इकाई	पटरियों सहित लौह स्क्रैप (एम.टी.)*		अलौह स्क्रैप (एम.टी.)*		माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयां)		सवारी डिब्बे (अदद)		इंजन (अदद)		कुल विक्रय मूल्य (करोड़ रुपयों में)
	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	एकत्रित	विक्रय	
मध्य	55622	32699	983	756	937	822	68	48	2	0	72
पूर्व	38236	34981	2290	1582	1339	896	173	122	39	39	105
उत्तर	58114	39493	531	341	1979	1979	228	227	5	5	104
पूर्वोत्तर	10002	6472	611	581	124	124	98	93	0	0	23
पूर्वोत्तर सीमा	20620	8868	397	359	1065	796	72	30	1	1	21
दक्षिण	68716	58513	2970	2914	545	545	263	261	28	28	119
दक्षिण मध्य	62634	46103	1724	1675	709	532	70	69	15	12	88
दक्षिण पूर्व	28170	25546	1445	1156	2783	2685	58	52	13	12	77
पश्चिम	29123	18781	1179	1154	1331	1101	157	104	8	8	56
उत्तर पश्चिम	16139	15263	824	808	357	357	78	78	4	3	33
उत्तर मध्य	39220	39829	219	202	3386	3356	4	1	0	0	113
पूर्व मध्य	22687	31453	212	212	704	687	47	47	0	0	47
पूर्व तटीय	18477	16292	0	0	331	302	12	8	0	0	27
दक्षिण पूर्व मध्य	13270	14280	111	92	774	535	15	12	6	4	38
दक्षिण पश्चिम	8335	7220	748	233	62	62	44	37	4	4	13
पश्चिम मध्य	32406	25443	162	128	1406	1312	15	7	15	13	61
चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना	2332	2264	95	50	–	–	–	–	–	–	3
डीजल आधुनिकीकरण कारखाना	4226	2204	516	393	–	–	–	–	–	–	9
डीजल रेलइंजन कारखाना	2437	1956	18	14	–	–	–	–	–	–	2
सवारी डिब्बा कारखाना	5336	4527	58	39	–	–	–	–	–	–	9
मेट्रो रेल	182	741	5	0	–	–	–	–	–	–	1
रेल डिब्बा कारखाना	4580	1485	78	64	–	–	–	–	–	–	3
रेल पहिया कारखाना	10280	7005	6	4	–	–	–	–	–	–	8
जोड़	551144	441418	15182	12757	17832	16091	1402	1196	140	129	1032

नोट-एम.टी.-मीट्रिक टन।

निगरानी/प्रति निगरानी उपकरणों की आपूर्ति

4595. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य आसूचना को निगरानी और प्रति-निगरानी उपकरणों का थोक मात्रा में आपूर्ति करने वाली कंपनी धोखाधड़ी और निजी पक्षों को उक्त उपकरणों की बिक्री करने में संलिप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार को, धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त होने वाली फर्मों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट मिलने पर उनकी जांच की जाती है। जांच परिणामों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को हाल ही में जांच के लिए एक मामला भेजा गया है जिसमें एक फर्म को पहली नजर में धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आगामी कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

मिलावटी डीजल की आपूर्ति

4596. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के ध्यान में यह बात आई है कि इंडियन आयल कारपोरेशन इकाई, शाहजहांपुर द्वारा मेलानी रेल जंक्शन, उत्तर प्रदेश (एनईआर) को मिलावटी डीजल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में उक्त दुर्घटनाओं की रोकथाम करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2769/2005]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं-

(1) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 31 की धारा उपधारा (1) के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2770/2005]

(2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2771/2005]

(4) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2772/2005]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं परिणाम बजट-2005-2006 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2773/2005]

महोदय, आपकी अनुमति से क्या मैं यह कह सकता हूं? यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। हम ऐसा पहली बार कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनिए। यह महत्वपूर्ण घोषणा है जो माननीय मंत्री जी कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: सरकार ऐसा पहली बार कर रही है। हमें आशा है कि ऐसा हर वर्ष किया जाएगा। संभवत: यह सर्वाधिक परिपूर्ण दस्तावेज न हो पर मेरा मानना है कि यह बहुत अच्छी शुरूआत है और समय के साथ-साथ यह परिणाम बजट इस सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक बजट जैसे महत्वपूर्ण हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: इस नई शुरूआत के लिए धन्यवाद।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) अब जबकि परिणाम बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, इस पर चर्चा के लिए कुछ समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हां, बिलकुल।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री शंकर सिंह वाघेला की ओर से मैं हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 877(अ), जो 23 जून, 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनी एक सलाहकार समिति का गठन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी 2774/2005]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदनों के बारे में पहले वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2775/2005]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री के. चन्द्रशेखर राव की ओर से मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (पहला संशोधन) नियम, 2004 जो 12-18 सितम्बर, 2004 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2776/2005]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2777/2005]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): मैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2778/2005]

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2005 जो 28 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए (7)/83/2005 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2779/2005]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1989-1990 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1989-1990 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2780/2005]

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2781/2005]

(ग) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2782/2005]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट शीप एण्ड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट शीप एण्ड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 2783/2005]

(3) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट शीप एण्ड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट शीप एण्ड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 2784/2005]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 2785/2005]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 2786/2005]

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 2787/2005]

(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 2788/2005]

(7) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2789/2005]

(9) (एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 2790/2005]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पर रखता हूं:

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक परितवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2791/2005]

(दो) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2792/2005]

(तीन) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2793/2005]

(चार) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2794/2005]

(पांच) इंडियन बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2795/2005]

(छह) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2796/2005]

(सात) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2797/2005]

(आठ) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2798/2005]

(नौ) केनरा बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2799/2005]

(दस) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2800/2005]

(ग्यारह) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2801/2005]

(बारह) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2802/2005]

(तेरह) यूको बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2803/2005]

(चौदह) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2804/2005]

(2) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 2805/2005]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) प्रक्रिया विनियम, 2005 जो 10 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 12(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 534(अ) जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी 2806/2005]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 144(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 251(अ) जो 29 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 43/2001-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 313(अ) जो 16 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा अप्रत्यक्ष करों जैसे आठ अंकीय टैरिफ और नए शुल्क जैसे सेनवैट और एस.ई.डी. में किए गए परिवर्तन के अनुसार पूर्ववर्ती ई.आर. I, II और III प्रारूपों में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी 2807/2005]

(5) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 527(अ) जो 10 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम के अध्याय पांच के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को शास्ति के न्याय निर्णयन की शक्ति प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी 2808/2005]

(6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ मैसूर और स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 2809, 2810 और 2811/2005]

(7) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 924(अ) जो 13 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2004 की तारीख को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स के साथ विलय के लिए योजना के संबंध में निर्धारित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 2812/2005]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): महोदय, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ पर्सन्स विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलीटीज अधिनियम, 1999 की धारा 36 के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ पर्सन्स विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन एण्ट मल्टीपल डिसेबिलीटीज (संशोधन) नियम, 2005 जो 18 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 478(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 2813/2005]

(2) (एक) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 2814/2005]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलांगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 2815/2005]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी 2816/2005]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): महोदय, श्री नमोनारायण मीना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी 2817/2005]

अपराह्न 12.08 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 में किए गए निम्नलिखित संशोधन से सहमत हुई:-

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति-1,

"पचपनवें" के *स्थान* पर "छप्पनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

खंड-1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति-3

"2004" के *स्थान* पर "2005" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.8½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण—मुद्रा विनिमय फलकों के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्तियां देने में हुए विलंब के कारण राजस्व की हानि के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.8¾ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान आयोजित ग्यारहवीं से तेरहवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09$^{1}/_{4}$ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी समिति के की-गई-कार्यवाही संबंधी निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-आगे अनुवर्ती कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) "कोयला खानों में आग और धंसाव नियंत्रण (2001)" के संबंध में 12वां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा);

(दो) "हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और विस्तार कार्यक्रम (2002)" के संबंध में 79वां प्रतिवेदन (राज्य सभा);

(तीन) कोयला विभाग की "अनुदानों की मांगों (2003-2004) के संबंध में 46वां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा);

(चार) कोयला मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2004-2005)" के संबंध में चौथा प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा); और

(पांच) खान मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2004-2005)" के संबंध में पांचवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.09$^{1}/_{2}$ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 'बायोमास पावर/को-जेनेरेशन प्रोग्राम-एक मूल्यांकन' विषय पर आठवां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय के 'त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन' विषय पर नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.09$^{3}/_{4}$ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

115वां और 116वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 के बारे में 115वां प्रतिवेदन; और

(2) भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2004 के बारे में 116वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छठे और चौदहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): *महोदय, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से, मैं, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2818/2005

बुलेटिन भाग-दो के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73(क) के अनुसरण में सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) (2004-2005) की छठी रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की छठी रिपोर्ट को लोक सभा में दिनांक 14.12.2004 को रखा गया था। यह रिपोर्ट "डायरेक्ट टु होम (डी.टी.एच.) प्रसारण" पर सरकार की चालीसवीं रिपोर्ट में शामिल इस समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित थी।

छठी रिपोर्ट में समिति ने कुल 5 सिफारिशें/टिप्पणियां कीं। इन सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणियां समिति के समक्ष दिनांक 10.08.2005 को प्रस्तुत कर दी गई हैं। मुख्यत: ये सिफारिशें भारत में डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) सेवा से संबंधित हैं।

इस समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे विवरण के अनुलग्नक में दी गई है जो कि सभापटल पर रख दिया गया है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पठित समझा जाए।

अनुबंध

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियां पर की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट को दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	क्या इसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
45.	**क. समग्र विधान की आवश्यकता** 6. समिति ने अपने 40वें प्रतिवेदन में इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि हालांकि डीटीएच को एक सशक्त माध्यम माना गया, फिर भी सरकार ने गहन अध्ययन के बिना ही अचानक डीटीएच सेवा के प्रसारण की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त, विनियामक तंत्र तैयार किए जाने से काफी समय पहले ही निजी संचालकों को इसके प्रसारण की अनुमति दे दी गई, हालांकि पहले व्यापक विनियामक तंत्र न होने के कारण सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। संसद के विशेषाधिकारों के तहत उसे ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यहां तक कि डीटीएच को अनुमति देने संबंधी निर्णय की घोषणा संसद के बाहर की गई। समिति ने इस मामले में दर्शकगण, लागत, अंशदान दरों आदि का कोई अध्ययन किए बिना, दिखाई गई अनुचित और अनावश्यक जल्दबाजी की आलोचना की, खासतौर पर जबकि लाइसेंस के	डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा, एक उपग्रह प्रणाली के प्रयोग से टीवी सिग्नलों को बिना केबल आपरेटर जैसे मध्यवर्ती से गुजरते हुए सीधे उपभोक्ताओं के घरों में उपलब्ध करवाकर के यू बैंड में बहुचैनल टी वी कार्यक्रमों के वितरण से संबंधित है। डीटीएच चैनल तत्वत: केबल नेटवर्कों की तरह टीवी चैनलों के लिए एक वितरण प्लेटफार्म है। मार्च, 2001 में जारी डीटीएच दिशानिर्देश अधिकतम 20% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ एक डीटीएच कंपनी की प्रदत्त इक्विटी में एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी/एफआईआई सहित पूरे विदेशी निवेश की अनुमति देती हैं। इसके अतिरिक्त, एक डीटीएच कम्पनी द्वारा हमेशा भारतीय प्रबंधन नियंत्रण में होना और बोर्ड में अधिकांश प्रतिनिधियों और		

1	2	3	4	5

लिए केवल एक दावेदार था। हालांकि यह मामला तीन वर्षों से विचाराधीन था, लेकिन इसके लिए नाममात्र की भी तैयारी नहीं की गई थी। समिति ने आगे नोट किया कि सरकार द्वारा डीटीएच प्रसारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें लाइसेंस की किन्हीं शर्तों और अनुबंधों का उल्लंघन करने की स्थिति में कठोर उपबंध समाविष्ट हैं, जिनमें मौद्रिक शास्तियों समेत लाइसेंस का निरस्तीकरण भी शामिल है। दिशानिर्देशों में आपातकाल व राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीटीएच सेवा के समूचे नेटवर्क का अधिग्रहण करने का भी प्रावधान है। समिति यह भी नहीं समझ पाई कि सरकार डीटीएच सेवा के लिए कोई कानून या प्रक्रिया निर्धारित नहीं किए जाने की स्थिति में इस सेवा का अधिग्रहण कैसे करेगी। अत: इस संबंध में दिशानिर्देश अस्पष्ट हैं जिन्हें पर्याप्त कानूनी प्रावधानों के जरिए लागू किए जाने की आवश्यकता है जोकि इस समय विद्यमान नहीं है। समिति ने महसूस किया कि जब डीटीएच प्रसारण आरंभ हो जाएगा तब देश में टीवी चैनलों की बेरोकटोक उपलब्धता हो जाएगी। हालांकि, इस समय यह समझ पाना मुश्किल है कि इसके क्या दीर्घकालिक लाभ होंगे या लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

7. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्यवाही टिप्पणी में निम्नलिखित उत्तर दिया:

''मंत्रियों के समूह द्वारा डीटीएच सेवा से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात सरकार ने नवम्बर, 2000 में देश में डीटीएच सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया था। अंतर्मंत्रालयी परामर्श करने के पश्चात ही मार्च 2001 में डीटीएच सेवा आरंभ करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। डीटीएच सेवा आरंभ करने की अनुमति के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर सक्रिय तौर पर विचार किया जा रहा है।

1996 में जब कुछ विदेशी सैटेलाइट प्रसारक भारत में के.यू. बैंड में डीटीएच सेवा आरंभ करने की कम्पनी के मुख्य कार्यकारी का निवासी भारतीय नागरिक होना अपेक्षित है।

इस मंत्रालय ने डीटीएच लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु अनेक आवेदन प्राप्त किए हैं। एक निजी सेवा प्रदाता ने अक्तूबर, 2003 में अपनी सेवा पहले ही शुरू कर दी है। दो और निजी कंपनियों को डीटीएच सेवा शुरू करने के लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय में तीन अन्य कम्पनियों के आवेदन विचार की विभिन्न स्थितियों में हैं। इस बीच, दूरदर्शन ने स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न किए गए और कम कवर किए गए क्षेत्रों को टीवी कवरेज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अपनी फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर पूरे देश में बहु चैनल टीवी कवरेज का विस्तार किया है। अब एक लघु आकार की अधिग्रहण प्रणाली की सहायता से 33 टीवी चैनलों और 12 रेडियो चैनलों को प्राप्त करना संभव है।

एक डीटीएच कम्पनी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करना होता है। इस मंत्रालय द्वारा निषिद्ध किसी भी चैनल का प्रसारण न करना इसके लिए अनिवार्य है। इसे यह सुनिश्चित करना होता है कि इसकी सुविधाओं का प्रयोग किसी भी ऐसे आपत्तिजनक या अश्लील विषय-वस्तु संदेशों या संप्रेषण का प्रसारण करने के लिए नहीं किया जाए जो भारत के कानूनों के अनुरूप नहीं है और इस सुविधा या सेवा का प्रयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए करना

योजना बना रहे थे तो यह महसूस किया गया कि के.यू. बैंड में सिग्नलों की प्राप्ति और वितरण को सीमित किया जाना चाहिए। सचिवों की समिति ने विदेशी टी वी कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव को नोट किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशी सैटेलाइट चेनलों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के उद्देश्य से प्रसारण के बारे में एक व्यापक कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ की है। तथापि, इसमें समय लगता है और उधर विदेशी चैनलों द्वारा डीटीएच सेवा शुरू करने की संभावना थी। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि के अलावा ये चैनल विशेषकर कार्यक्रमों की विषयवस्तु के संबंध में किसी विनियामक तंत्र के अधीन भी नहीं होते। पूरे देश में केबल नेटवर्क में हुई अव्यवस्थित और अनियंत्रित वृद्धि के अनुभवों को देखते हुए डीटीएच सेवा में भी इसी प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए उपाय करने की जरूरत महसूस की गई है। यद्यपि, प्रस्तावित प्रसारण कानून में डीटीएच सेवा भी सम्मिलित होनी थी लेकिन विनियम के लागू होने से पहले ही अंतरिम अवधि में के.यू. बैंड के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता थी। अत: 1997 में के.यू. बैंड के प्रचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

जब यह देखा गया कि 1997 में जिन कारणों से डीटीएच सेवा की अनुमति नहीं दी गई थी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रसारण एवं संचार के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों की वजह से वे कारण सुसंगत नहीं रह गए हैं, मार्च 2000 में मंत्रियों के समूह द्वारा इस मामले पर चर्चा की गई। इसके अलावा, उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के रूप में डीटीएच ने कार्यक्रम प्रदायकों और उपभोक्ताओं दोनों को टेलिविजन पर कार्यक्रमों की प्राप्ति और वितरण का विकल्प प्रस्तुत कर दिया। मंत्रियों के समूह ने इन मुद्दों पर मार्च और अक्तूबर 2000 के बीच हुई बैठकों में विचार-विमर्श किया तथा निष्कर्ष निकाला कि उचित सुरक्षोपाय करने के बाद भारत में डीटीएच की अनुमति दे दी जाए। समूह ने यह भी पाया कि भारतीय दंड संहिता और अनुप्रयोज्य कानूनों के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर डीटीएच लाइसेंस को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार, डीटीएच दिशानिर्देश, डीटीएच प्लेटफार्म के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे विषय-वस्तु के संबंध में अनेक सुरक्षोपाय निर्धारित करते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2005 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव की अध्यक्षता वाली एक अन्तरमंत्रालयीय समिति जिसमें गृह, विधि और न्याय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय से लिए गए सदस्य तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का एक प्रतिनिधि शामिल है, को डीटीएच प्लेटफार्म पर विषय-वस्तु को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।

सरकारी टीवी चैनलों की विषयवस्तु को विनियमित करने के उद्देश्यार्थ एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है। एक मसौदा विधान तैयार किया जा रहा है इस प्रस्तावित विधान में डीटीएच सहित सभी प्रकार की प्रसारण सेवाएं शामिल होंगी और इसमें इस विषय से संबंधित सभी मौजूदा अधिनियम और दिशा-निर्देश शामिल होंगे। इस प्रस्तावित विधान में प्रसारण क्षेत्र के लिए पात्रता मानदंड, लाइसेसिंग तंत्र और अन्य विनियामक विशेषता निर्धारित किए जाने की परिकल्पना है।

1	2	3	4	5

कन्वरजेंस में और विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएं उपलब्ध कराने में भी डीटीएच प्रौद्योगिकी के काफी लाभ हैं। इसलिए मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की कि नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत में डीटीएच टेलीविजन सेवा की अनुमति दे दी जाए तथा साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता और एकाधिकार संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस सेवा के संबंध में आवश्यक शर्तें लगाना भी सुनिश्चित किया जाए।

यह विश्वव्यापी अनुभव रहा है कि डीटीएच प्रणाली का लक्ष्य सामान्यत: आला दर्शक होते हैं और यह सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ावा देती है। आशा है कि शुरू में उच्च आय वाले लोग ही डीटीएच सेवा का लाभ उठाएंगे और मांग के साथ जब उसका मूल्य गिर जाएगा तो उसे व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाएगा। यह भी आशा है कि दर्शकों की संख्या और पहुंच बढ़ाने के लिए डीटीएच आपरेटर हार्डवेयर की कीमत में आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे।

जहां तक दिशानिर्देशों के प्रावधानों विशेषकर शास्तियों और सेवाओं के अधिग्रहण से संबंधित प्रावधानों को लागू करने का संबंध है, ये प्रावधान फार्म ख अर्थात् अनुज्ञप्तिदाता [भारत सरकार] और अनुज्ञप्तिधारी के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुज्ञप्ति करार, की अनुसूची के अनुच्छेद 6, 8, 9, 15 आदि में सम्मिलित हैं।

8. समिति नोट करती है कि वर्ष 1997 में के.यू. बैंड के प्रचालन पर विदेशी टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और प्रसारण संबंधी व्यापक कानून न होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 2000 में एक मंत्री समूह ने यह महसूस किया कि ये कारण अब प्रासंगिक नहीं हैं और चूंकि डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा एक उत्तम प्रौद्योगिकी मानी जाती है और यह अभिसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाएं प्रदान करने में

1	2	3	4	5
	उपयोगी है इसलिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, प्रसारण और संचार क्षेत्र में बदलते परिदृश्य का लाभ उठाने के लिए कुछ मार्गनिर्देशों के अनुपालन की शर्तों पर भारत में डीटीएच शुरू करने की अपनी अनुमति दे दी।			
	9. समिति यह समझने में असफल है कि वर्ष 2000 में भारतीय नागरिकों पर विदेशी टेलीविजन कार्यक्रमों का सामाजिक प्रभाव किस प्रकार प्रासंगिक नहीं रहा और मंत्री समूह ने उत्तम प्रौद्योगिकी के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। इसके अतिरिक्त, मंत्री समूह के समक्ष ऐसे कौन-से कारण थे जिनकी वजह से उन्हें नैतिकता, सुरक्षा और एकाधिकार विनियमित किए जाने से संबंधित संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने के लिए एक व्यापक विधान के बजाय मार्गनिर्देशों के माध्यम का सहारा लेना पड़ा।			
	10. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र के बदलते परिदृश्य का लाभ उठाने की आवश्यकता को समझते हुए समिति पुरजोर महसूस करती है कि भारतीय नागरिकों पर विदेशी टेलीविजन चैनलों के प्रभाव का सामाजिक कारण सर्वोत्तम महत्व का है और इसकी बलि नहीं दी जा सकती। समिति की यह भी सुविचारित राय है कि मार्गनिर्देश का माध्यम एक समग्र विधायी ढांचे का विकल्प नहीं हो सकता।			
	11. अत: समिति अपनी पूर्व सिफारिश दोहराती है और सरकार से बिना किसी विलंब के बदलते परिदृश्य के मद्देनजर सभी पहलुओं को समाविष्ट करते हुए डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के प्रवेश/विकास को विनियमित करने हेतु एक प्रासंगिक कानून को अधिनियमित करने की मांग करती है। समिति यह भी चाहती है कि उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया जाए।			
46.	**ख. चिंता वाले क्षेत्र**			
	12. समिति सरकार के इस मत को स्वीकार नहीं करती कि इस मामले को संसद/संसदीय समिति के समक्ष नहीं लाया गया था क्योंकि डीटीएच को	यद्यपि सरकार ने टीवी चैनलों की विषयवस्तु को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की		

1	2	3	4	5
	स्वीकृति देने का जब निर्णय लिया गया था उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था। मंत्रियों के समूह द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने और कैबिनेट द्वारा इसको स्वीकृति दिए जाने के अंतराल में संसद के सत्र चल रहे थे। समिति का मत है कि यदि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वास्तव में संसद की राय जानने के लिए उत्सुक थी तो इसने कम से कम इस समिति के विचार जान लिए होते जिसमें संसद के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समिति ने महसूस किया कि सरकार डीटीएच पर किसी भी सभा में विधेयक पेश कर सकती थी क्योंकि यह मामला बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। समिति ने महसूस किया कि लाइसेंस की दस वर्षों की वैधता की अवधि भी असाधारण रूप से लंबी है। समिति ने इस बात की भी प्रशंसा नहीं की कि ऐसे अत्यधिक संवेदनशील और कारगर मीडिया को कानून बनाकर नहीं अपितु महज प्रशासनिक आदेशों के जरिए विनियमित किया जाए। यदि सरकार ने इस मामले को संसद के समक्ष रखने का निर्णय लिया होता, तो इस प्रकार की अस्पष्टताओं और कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता था खासतौर पर जबकि कोई जल्दबाजी नहीं थी और जबकि अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था और अभी तक इसके लिए केवल एक ही आवेदक था। सरकार ने समिति से आग्रह किया कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को विश्वास में ले और डीटीएच के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक विस्तृत विधान लाने के बारे में विचार करे। 13. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्यवाही टिप्पण में निम्नवत् बताया: "दिनांक 31.01.2000 को गठित मंत्रियों के एक समूह द्वारा के.यू. बैंड चालू करने और डीटीएच प्रसारण शुरू करने से संबंधित सभी मामलों की जांच की गई थी। मंत्रियों के समूह द्वारा मार्च और अक्तूबर 2000 के बीच हुई अपनी बैठकों में उक्त मामलों पर गहन	स्थापना करने का निर्णय लिया है फिर भी यह निर्धारित किया जाना है कि क्या प्रसारण और प्रसारण की विषय-वस्तु दोनों के लिए एक विनियामक होना चाहिए अथवा दो विनियामक होने चाहिए-एक प्रसारण के लिए और दूसरा विषय-वस्तु के लिए। यह मंत्रालय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पत्र-व्यवहार कर रहा है और शीघ्र ही एक निश्चित नतीजे पर पहुंचने की संभावना है। इस बीच, यह मंत्रालय एक विधेयक तैयार कर रहा है जिसमें प्रसारण क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करना परिकल्पित है।		

1	2	3	4	5

विचार किया गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि टेलीविजन सेवाओं के वितरण और प्रसारण में सुरक्षा, नैतिकता और एकाधिकार से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उचित रक्षोपाय के साथ भारत में डीटीएच की अनुमति दे दी जानी चाहिए। मंत्रियों के समूह ने न केवल टेलीविजन चेनलों के वितरण में डीटीएच प्रौद्योगिकी के लाभों पर विचार किया था अपितु अभिसारता [कन्वरजेंस] और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराए जाने में उसकी भूमिका पर भी विचार किया था। दिनांक 15.3.2001 को जारी दिशा-निर्देशों में सम्मिलित शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन डीटीएच सेवाओं की अनुमति दी गई।

डीटीएच प्रसारण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रसारणकर्त्ता डीटीएच प्लेटफार्म पर ले जाने के लिए सभी चैनलों को एकत्र करता है तथा सीधे प्राधिकृत ग्राहक द्वारा प्राप्ति हेतु उन्हें अपलिंक करता है। सचिवों की समिति ने दिसंबर, 1996 में यह सिफारिश भी की थी कि डीटीएच सेवाओं के अनधिकृत प्रवेश/वृद्धि पर अंकुश लगाने की स्पष्ट आवश्यकता है। यदि के.यू. बैंड में संकेतों को प्राप्त करने पर कोई पाबंदी नहीं होती तो विदेशी कंपनियों द्वारा डीटीएच सेवाएं शुरू कर दी गई होती तथा बाद में प्रसारण कानून के संबंधित प्रावधानों से इस आधार पर छूट/क्षतिपूर्ति का दावा कर दिया जाता कि पूर्व प्रभाव से कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। सचिवों की समिति ने सलाह दी थी कि प्रस्तावित प्रसारण कानून का शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। प्रसारण बिल, 1997 जो मई, 1997 में संसद में पेश किया गया था, के तहत सम्पूर्ण प्रसारण क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचा स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उक्त बिल में अन्य बातों के साथ-साथ डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस देने और इनके विनियमन का भी प्रावधान किया गया था तथा उसे जांच हेतु संसद की प्रवर समिति को भेज दिया गया था। प्रवर समिति की कई बैठकें हुईं लेकिन जब तक यह अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देती तब तक

1	2	3	4	5

संसद भंग कर दी गई थी। प्रसारण बिल, 1997 व्यपगत हो गया। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के परिप्रेक्ष्य में 1997 के बिल के प्रावधानों की पुन: जांच की गई तथा प्रसारण विनियामक प्राधिकरण बिल, 2000 का मसौदा तैयार करके उसे संबंधित मंत्रालयों में परिचालित किया गया था।

टेलीकाम और सूचना प्रौद्योगिकी अभिसारिता संबंधी दल ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 2000 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि विधि मंत्रालय एक व्यापक विधान का मसौदा तैयार करने की संभावना पर विचार करेगा जिसमें प्रसारित की गई सूचना के कैरिज और विषय-वस्तु दोनों शामिल होंगे और इस प्रकार उसके द्वारा सुसंगत कानूनों को समाकलित किया जाएगा। मुख्य दल के उप दल ने संचार अभिसारिता बिल का मसौदा तैयार किया था जिस पर दल द्वारा विचार किया गया तथा अंत में मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया था। संचार अभिसारिता बिल, 2001 लोक सभा में दिनांक 31 अगस्त, 2001 को पेश किया गया था तथा इसे जांच एवं सिफारिश के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने दिनांक 20.11.2002 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।''

14. समिति उल्लेख करना चाहती है कि फरवरी-मई, 2000, जुलाई-अगस्त, 2000, नवम्बर से दिसम्बर, 2000, फरवरी-अप्रैल, 2001 इत्यादि समयावधि में संसदीय सत्र चल रहा था। मंत्रालय के लिए संसद अथवा समिति के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण नहीं है।

15. समिति ऐसा महसूस करती है कि मंत्रालय न केवल सिफारिश में जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है उनकी विवेचना करने में विफल रहा है बल्कि उसने समिति की सिफारिशों को गंभीरतापूर्वक भी नहीं लिया है। समिति इस बात से चिंतित है कि सरकार ने 15.3.2001 को भारत में डीटीएच सेवा शुरू करने की अनुमति दी और तत्पश्चात् 31 अगस्त, 2001 को संचार अभिसारिता विधेयक पुर:स्थापित किया। विधेयक पर अभी भी इस सभा में विचार किया जा रहा है। समिति

1	2	3	4	5

महसूस करती है कि सरकार को डीटीएच सेवा शुरू करने की अनुमति देने से पहले डीटीएच सेवा संबंधी विधायी ढांचा तैयार करना चाहिए। यदि सरकार ने दोनों में किसी भी सभा में डीटीएच संबंधी विधेयक पुर:स्थापित किया होता, तो इससे न सिर्फ डीटीएच सेवा के विनियमन में अंतर्ग्रस्त जटिल मुद्दों के व्यापक पहलुओं पर व्यापक और सार्थक चर्चा होती बल्कि इससे सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में विद्यमान अस्पष्टता एवं खामियों को भी दूर करने में मदद मिली होती।

16. समिति सरकार द्वारा बिना व्यापक कानून के ही डीटीएच सेवा शुरू करने में की गई अत्यधिक जल्दबाजी तथा प्रभावी विधान की बजाय प्रशासनिक आदेश द्वारा डीटीएच सेवा को विनियमित करने के तरीके की कड़ी निन्दा करती है। इसलिए, समिति डीटीएच सेवा संबंधी कानून बनाने के लिए संसद को विश्वास में लेने के सर्वाधिक महत्व पर जोर देती है ताकि नैतिकता, सुरक्षा और एकाधिकार से संबंधित आशंकाओं को दूर किया जा सके।

47. **ग. संचार अभिसारिता विधेयक**

17. समिति ने पाया कि यह महत्वपूर्ण बात है कि दिशानिर्देशों के कतिपय प्रावधान तभी लागू होंगे जब प्रस्तावित संचार अभिसारिता विधेयक अधिनियमित होगा। इसलिए समिति ने महसूस किया कि डीटीएच प्रसारण की अनुमति देने से पूर्व सरकार ने न केवल अपेक्षित कानून बनाया होता जैसाकि साक्ष्य के दौरान सूचना एवं प्रसारण सचिव ने स्वीकार किया है अपितु संचार अभिसारिता विधेयक के अधिनियमित होने तक इंतजार किया होता (जिस पर समिति ने 20 नवम्बर 2002 को लोक सभा में तथा 21 नवम्बर 2002 को राज्य सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया)।

18. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्यवाही टिप्पण में निम्नांकित उत्तर प्रस्तुत किया:

"यह बात स्वीकार की जाती है कि प्रसारण से संबंधित सभी मुद्दों के संबंध में देश में एक व्यापक प्रसारण कानून की जरूरत है। डीटीएच संबंधी दिशानिर्देशों में ये प्रावधान सम्मिलित हैं कि प्रसारण संचार अभिसारण विधेयक, 2001 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। यह मंत्रालय टी.वी. चैनलों की विषयवस्तु को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त विधान का मसौदा तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इस प्रस्तावित विधान में डी.टी.एच. सेवाओं सहित सभी प्रकार की प्रसारण सेवा शामिल होंगी।

1	2	3	4	5

संबंधी भावी विनियामक कानून जब प्रभावी होंगे तब वे अनुज्ञप्तिधारी पर भी लागू होंगे। डीटीएच, प्रसारण का एक तरीका मात्र है जिसमें प्रसारक सभी चैनलों को एक प्लेटफार्म पर लेकर प्राधिकृत ग्राहकों द्वारा सीधे प्राप्त करने के लिए उन्हें अपलिंक करता है। मंत्रियों के समूह ने टेलीविजन चैनलों के वितरण के मामले में ही नहीं बल्कि अभिसारिता और विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में उसकी भूमिका के बारे में भी डीटीएच के लाभों पर विचार किया है।''

19. समिति मंत्रालय के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। यद्यपि मंत्रालय ने देश में एक व्यापक प्रसारण कानून की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है, तथापि उसने देश में डीटीएच सेवा को विनियमित करने के लिए ऐसी विधि को पुर:स्थापित करने हेतु उठाए गए कदमों का स्पष्टत: उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अपने उत्तर में संचार अभिसरण अभिसारिता विधेयक पारित कराने हेतु किए गए प्रयासों के बारे में भी उल्लेख नहीं किया है यद्यपि इस समिति ने उक्त विधेयक पर अपना प्रतिवेदन 2002 में ही प्रस्तुत कर दिया था। इसलिए, समिति चाहती है कि सरकार तात्कालिकता के आधार पर प्रसारण संबंधी मुद्दों के निवारण हेतु और समय गंवाए बगैर डीटीएच सेवा के विनियमन हेतु आवश्यक विधि-निर्माण करे। समिति चाहती है कि उसे इस बारे में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

48. **घ. शास्तियों का वर्गीकरण**

(सिफारिश पैरा संख्या 48)

20. समिति ने यह चिंता व्यक्त की कि विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई सामान्य नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है जैसे लाइसेंस रद्द करना, प्रतिसंहरण करना, लाइसेंस निलंबित करना अथवा सेवा अधिग्रहण करना इत्यादि। समिति ने आशंका व्यक्त की कि विस्तृत विनियमों के अभाव में लाइसेंसदाता छोटी भूलों के लिए भी मनमाने ढंग से दंड दे सकता है। अत: समिति ने सिफारिश की कि अनियमितताओं को बड़े और छोटे शीर्षों के अंतर्गत उनके उचित कानूनी परिणामों सहित वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

1	2	3	4	5
	21. मंत्रालय ने अपने उत्तर में इस प्रकार बताया:- ''फार्म 'ख' की अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियम व शर्तें लाइसेंस करार का अंग हैं और करार के सभी पक्ष उनसे बाध्य होंगे। इस प्रकार शर्तों का उल्लंघन अनुबंध का उल्लंघन है जिसका निपटारा करार के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। उल्लंघन बड़ा है या छोटा इसका वर्गीकरण करना कठिन होगा लेकिन दंड का निर्णय करते समय नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत लागू किए जाएंगे।'' 22. समिति सरकार द्वारा दिए गए कारणों को स्वीकार करने में असमर्थ है कि कानून का उल्लंघन 'बड़ा' है या 'छोटा' इसे वर्गीकृत करना कठिन है। उल्लंघनों के 'बड़े' और 'छोटे' स्वरूप का साफ तौर पर वर्गीकरण नहीं होने से हमेशा ऐसी आशंका रहती है कि छोटे उल्लंघन को बड़ा और विलोमत: समझा जा सकता है और अनुज्ञप्तिधारक के विरुद्ध (यादृच्छिक रूप से) कार्यवाही की जा सकती है। इससे दोनों पक्षों के बीच अनावश्यक तौर पर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई जारी रह सकती है। अतएव, उचित न्याय दिए जाने हेतु, समिति इस बात को दोहराती है कि सरकार को अविलंब उपयुक्त विधिक परिणामों का उल्लेख करते हुए अनियमितताओं को 'बड़ा' और 'छोटा' के रूप में वर्गीकरण करना चाहिए और साथ ही उल्लंघन की प्रकृति का भी वर्गीकरण यथा सुरक्षा, आर्थिक/वित्तीय या विषय का उल्लंघन शीर्षकों के रूप में करके उपयुक्त विधिक परिणाम/दण्ड को अधिक विलम्ब किए बिना लगाया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उसे अवगत कराया जाए।			
51.	**ङ निगरानी क्षेत्र**			
	23. समिति ने यह नोट किया कि सरकार को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अधिनियम के अंतर्गत चूककर्त्ता केबल संचालकों के विरुद्ध राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता तथा अखंडता के हित में, सार्वजनिक व्यवस्था, भद्रता, नैतिकता बनाए रखने के लिए सक्षम	यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2005 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव की अध्यक्षता वाली एक अन्तरमंत्रालयीय समिति जिसमें गृह, विधि और न्याय, महिला एवं बाल		

1	2	3	4	5

प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त जिलाधिकारी/एसडीएम/ पुलिस आयुक्त के माध्यम से तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का अधिकार है। समिति ने ऐसा महसूस किया है कि डीटीएच केबल टीवी की तुलना में अधिक शक्तिशाली और संवेदनशील होगा और इसके लिए कठोर उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है किंतु सरकार ने अपनी मानीटरिंग बढ़ाने की अपेक्षा उसे सुरक्षा, नैतिकता और एकपक्षीय एकाधिकार तक ही सीमित रखा है। अतः सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा।

24. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नानुसार बताया:-

''मानिटरिंग के क्षेत्र में सुरक्षा, नैतिकता एवं एकपक्षीय एकाधिकार सम्मिलित है। लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों में मोटे तौर पर लाइसेंसधारकों की निम्नलिखित गतिविधियों के क्षेत्र सम्मिलित हैं, अर्थात्-

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संबंधी संहिता का अनुसरण करना (अनुच्छेद 5)

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निषिद्ध किसी भी चैनल को न दिखाना तथा यह सुनिश्चित करना कि उसकी सुविधाओं का उपयोग किन्हीं ऐसे आपत्तिजनक या अभद्र विषय, संदेशों या संचार के लिए न किया जाए जो भारतीय कानून के अनुरूप न हो। लाइसेंसदाता के अनुमोदन को छोड़कर लाइसेंसधारी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करार के अन्तर्गत अपने अधिकार को किसी भी प्रकार से किसी अन्य पार्टी को नहीं देगा/हस्तांतरित नहीं करेगा या किसी तीसरी पार्टी को लाइसेंस की किसी विषयवस्तु से संबंधित पूर्णतः या अंशतः उप-लाइसेंस और/ या साझेदारी का कोई करार नहीं करेगा। (अनुच्छेद 6)

3. सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ओपन आर्किटेक्चर (नान प्रोपरायटरी) टाप बाक्स सेट की विशिष्टताओं का अनुपालन करना तथा बिना विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय से लिए गए सदस्य तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का एक प्रतिनिधि शामिल है, को डी.टी.एच. प्लेटफार्म पर विषय-वस्तु को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।

1	2	3	4	5

भेदभाव के आधार पर विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/ चैनलों तक पहुंच प्रदान करना। डीटीएच प्लेटफार्म द्वारा ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए सभी कंटेंट, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो, भारतीय भूमि पर स्थित भू स्टेशन में लगी हुई इंक्रिप्शन एवं कंडीशनल पहुंच प्रणाली से गुजरेंगे (अनुच्छेद 7)।

4. उन दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना जो लाइसेंसदाता द्वारा उपभोक्ता के हित में निर्धारित किए जाएंगे जैसे कि चैनलों के बुके और टियर का मूल्य निर्धारण आदि तथा अत्यंत अनुकूल वित्तीय शर्तों पर प्रसार भारती के चैनलों को किसी दूसरे चैनल पर दिखाना। (अनुच्छेद 7)।

5. लाइसेंस प्राधिकारी या उसके विधिवत तौर पर प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्कर, रिकार्ड प्रणाली आदि सहित उसकी सभी सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा लाइसेंसधारक द्वारा सेवा के अंतर्गत प्रसारित या प्रदान किए जा रहे चैनलों या विषयों, तकनीकी पैरामीटरों आदि के बारे में आवधिक जानकारी इस प्रयोजन के लिए विहित प्रारूप में प्रस्तुत करना। (अनुच्छेद 8), तथा

6. संचार के अन्य तरीकों जिनमें वायस, फैक्स, डाटा, संचार, इंटरनेट आदि के लिए डीटीएच सुविधा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इस प्रकार की मूल्य-वर्धित सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त न कर लिया जाये। (अनुच्छेद 10)

इनमें से किसी भी शर्त तथा अन्य निबन्धनों एवं शर्तों के उल्लंघन को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की शर्तों को भंग करना माना जाएगा तथा लाइसेंस या किसी अन्य कानून की निबंधनों और शर्तों के अधीन की गई किसी अन्य कार्रवाई के बावजूद, अनुच्छेद 4.2 और अनुच्छेद 15 आदि जैसे विभिन्न उपबंधों के

1	2	3	4	5
	अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी जिसमें लाइसेंस को निरस्त करना या लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसधारक पर 50 करोड़ रुपये तक की शास्ति लगाना शामिल है।''			
	25. समिति ऐसा समझती हैं कि केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारियों को दोषी पाए गए केबल टी.वी. आपरेटरों के विरुद्ध उन कृत्यों के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, गरिमा, नैतिकता आदि के विरुद्ध हो। किंतु डीटीएच सेवाओं के विनियमन हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों में इनका उल्लेख नहीं होने के कारण ये उपबंध स्पष्ट हैं। इसके विपरीत सरकार ने मार्गनिर्देश में लाइसेंस (अनुज्ञा पत्र) के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर लाइसेंस धारक पर शास्ति लगाने संबंधी खंड शामिल किया है। समिति महसूस करती है कि केवल कठोर शास्ति संबंधी खंड की अनुज्ञप्तिधारक की अवांछित एवं अशिष्ट गतिविधियों, यदि कोई हों, को रोकने में कारगर नहीं होगा। अतएव भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक-व्यवस्था, गरिमा इत्यादि हितों की रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त नियामक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। समिति को इस संबंध में की गई पहलों से अवगत कराया जाए।			

अपराह्न 12.10¼ बजे

(दो) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय,* मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73'क' के अनुसरण में, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट 2004-2005 में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

समिति ने कुल 23 संस्तुतियां की थीं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है जो कि सभा सपटल पर रख दिया गया है। मैं उक्त अनुबंध की समस्त अंतर्वस्तु पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझ लिया जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2819/2005

अनुबंध

विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई अथवा नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5
10.	समिति ने यह नोट किया है कि विभिन्न कारणों से परिसीमन आयोग का कार्य धीमी गति से हुआ है। समिति को उम्मीद है कि आयोग अपना कार्य बढ़ाई गई अवधि अर्थात् 11 जुलाई, 2005 तक अवश्य पूरा कर लेगा तथा उस दिशा में सरकार से यह अनुरोध करती है कि वह आयोग को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे ताकि बढ़ाई गई अंतिम तिथि तक आयोग सौंपा गया कार्य संपन्न कर सके।	आयोग ने सूचित किया है कि उसने पांच राज्यों अर्थात् गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में परिसीमन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा पंजाब में कार्य अंतिम चरण में है तथा तमिलनाडु एवं असम में परिसीमन कार्य सितम्बर अंत/मध्य अक्टूबर, 2005 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा हिमचाल प्रदेश के संबंध में कार्य काफी हद तक प्रगति पर है तथा अक्तूबर अंत/मध्य नवम्बर, 2005 तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है। आयोग ने आगे यह भी सूचित किया है कि 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में, आधार-पत्र तैयार कर लिए गए हैं तथा शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आधार पर पत्र शीघ्र तैयार किए जाने की संभावना है। तदनुसार, आयोग ने पुष्टि की है कि वह सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का परिसीमन कार्य 31 जुलाई, 2006 तक पूर्ण करने का प्रयास करेगा अत: उसने इसका कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की है। आयोग के उक्त अनुरोध पर सरकार ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल की अवधि को दिनांक 31 जुलाई, 2006 तक बढ़ा दिया गया है ताकि आयोग 31 जुलाई, 2006 तक की तय तिथि तक सौंपा गया कार्य पूर्ण कर सके।		
19.	समिति ने गौर किया है कि आयकर अपील अधिकरण के आठ नियमित पीठों ने अभी कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आयकर अपील अधिकरण के लिए मंजूर किए गए दस अतिरिक्त पीठों और 20 अस्थायी पीठों में भी कामकाज शुरू होना बाकी है। अधिकरण में बकाया	आयकर अपील अधिकरण में सदस्यों के पदों की रिक्तियों (नवसृजित पीठों की रिक्तियों सहित) को भरने का प्रस्ताव पहले ही नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव को नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, शेष रिक्तियों को, जिनमें विद्यमान	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
	मामलों की संख्या को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए ताकि राजस्व की रकम मुकदमों में न फंसी रहे, यह समिति सिफारिश करती है कि सरकार को अब और अधिक विलम्ब किए बिना अधिकरण के शेष सभी नियमित, अतिरिक्त और अस्थायी पीठों में कामकाज प्रारंभ करवाने के लिए हर संभव प्रयार करना चाहिए और अधिकरण में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं। सरकार को अंतरिम उपाय के तौर पर पीठों को किराये के भवनों में शुरू करने की संभावनाएं भी तलाश करनी चाहिएं।	रिक्तियां और पिछले वर्ष से चली आ रही रिक्तियां तथा वर्ष 2004 के दौरान प्रत्याशित रिक्तियां शामिल हैं, भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयकर अपील अधिकरण के नवसृजित 20 अस्थायी पीठों के अस्थायी सदस्यों के पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु दिनांक 26.05.2004 और 27.10.2004 को विशेष स्थायी चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। विधि और न्याय मंत्री द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद उन्हें अनुमोदन हेतु नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को भेजा जाएगा। इस प्रकार, आयकर अपील अधिकरण के स्थायी और अस्थायी पीठों के सदस्यों के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और इसके बहुत जल्द पूरा होने की आशा है।		
23.	समिति का विचार है कि जिन राज्यों ने अभी तक विधिक सहायता प्रदान करने हेतु आय सीमा में संशोधन नहीं किया है, उन्हें सरकार शीघ्र ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। समिति का यह भी विचार है कि चूंकि संघ राज्य क्षेत्र सीधे केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं, अत: शेष संघ राज्य क्षेत्रों में आय सीमा को बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।	जिन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक आय की अधिकतम सीमा को नहीं बढ़ाया है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र आय सीमा को बढ़ाएं।	स्वीकृत	
29.	विभाग के उत्तर पर विचार करते हुए और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस उल्लेख को देखते हुए कि विधिक सहायता सेवाओं में वृद्धि की जाएगी, समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना को शत प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना द्वारा कार्यान्वित करने के विचार की जांच करे। राज्य सरकारों से भी यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाना चाहिए कि कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा मुहैया कराने के लिए	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा मुहैया कराने के लिए केंद्रीय अनुदानों का उपयोग सुनिश्चित करें जिससे उनकी सार्थक व कारगर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
	केन्द्रीय अनुदानों का पूर्ण उपयोग किया जाए, जिससे उसमें उनकी सार्थक और कारगर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।			
31.	समिति ने पाया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में काफी पद खाली पड़े हैं अर्थात् 28 स्वीकृत पदों में से 11 पद रिक्त हैं जो प्राधिकरण के कारगर संचालन के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। अतः यह समिति सिफारिश करती है कि रिक्त पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।	स्वीकृत	
36.	समिति ने गौर किया है कि धन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कुछ राज्य स्थायी लोक अदालतों की स्थापना नहीं कर सके। समिति का विचार है कि सरकार को विभिन्न राज्यों में और अधिक स्थायी लोक अदालतों की स्थापना किए जाने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए ताकि आम आदमी कम खर्च में शीघ्र समुचित न्याय प्राप्त कर सके।	आम आदमी को कम खर्च में शीघ्र समुचित न्याय प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में और अधिक स्थायी लोक अदालतें स्थापित किए जाने की संभावनाओं का पता तभी लगाया जा सकता है जब इसके लिए सरकार द्वारा धन और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं।	स्वीकृत	
41.	समिति को सूचित किया गया था कि विधि आयोग ने सरकार के समक्ष अब तक 188 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से 47 रिपोर्टों का कार्यान्वयन विभिन्न कारणों से विभिन्न अवस्थाओं पर लंबित है। समिति यह सिफारिश करती है कि विधि आयोग की रिपोर्टों के कार्यान्वयन का संचालन करने वाली शीर्ष एजेंसी होने के नाते विधि कार्य विभाग सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को विधि आयोग की रिपोर्टों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं का रिकार्ड रखने के लिए कहे। समिति ने यह देखा है कि विधि आयोग की कुछ रिपोर्टों को लागू करने में बहुत अधिक विलंब हुआ है। यहां इस बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि 1957 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई विधि आयोग की छठी रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई है। इस संदर्भ में, समिति यह महसूस करती है कि विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों के लागू होने की स्थिति के बारे में संसद	विधि सचिव ने दिनांक 28.09.2004 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अर्ध-शासकीय पत्र लिखे हैं जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां लंबित विधि आयोग की रिपोर्टों को लागू करने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करें।	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
	को वर्ष में एक बार अवगत कराना बेहतर होगा। इस प्रकार, सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इस बारे में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधि आयोग की कतिपय सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुए विलंब के कारणों का भी उल्लेख हो।			
43.	समिति के विचार से विधि विद्यालयों और विधि विश्वविद्यालय की स्थापना एक स्वागतयोग्य कदम है और समिति सिफारिश करती है कि इनकी स्थापना यथाशीघ्र की जाए।	संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 25.08.2004 को एक नया कैबिनेट नोट परिचालित किया गया है। मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों/विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।	स्वीकृत	
47.	समिति यह सिफारिश करती है कि विधि कार्य विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान इस क्षेत्र में उन संस्थानों के योगदान के अनुरूप हो तथा उनके द्वारा स्वयं अर्जित धन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग अगले वर्ष अनुदान जारी करने से पूर्व विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले वर्ष में किए कार्यों का विवेचनात्मक मूल्यांकन करे। विभाग को वर्ष-प्रति-वर्ष उन्हीं संगठनों को अनुदान मुहैया कराने के बजाए विधि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अच्छे रिकार्ड वाले नए संस्थानों को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिएं।	अनुदानग्राही संस्थानों से यह अनुरोध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान इस विभाग द्वारा उन्हें जारी किए गए सहायता अनुदानों के संदर्भ में वे अपना-अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र, वार्षिक रिपोर्ट व लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत करें ताकि यह विभाग समिति की सिफारिशों को लागू कर सके।	स्वीकृत	
53.	समिति का यह विचार है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के खाते की उचित समय पर लेखा-परीक्षा तथा उसके भवन निर्माण के लिए उसे जारी की गई धनराशि का उचित समय-सीमा के अंतर्गत उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग सुनिश्चित करे।	इस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र को 31 मार्च, 2004 तक निर्मुक्त की गई सहायता राशि का चार्टर्ड एकाउंटेंट से विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र केन्द्र से प्राप्त किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के लेखों की नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने के लिए माननीय राष्ट्रपति के नाम से नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) को संबोधित एक औपचारिक अनुरोध पत्र	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
		भेजें। अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र से यह अनुरोध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करे ताकि उन्हें संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखा जा सके।		
66.	विधायी प्रारूपण एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रमुख स्थान पर भूमि के आबंटन को रद्द किए जाने के बारे में समिति चिन्तित है। समिति इस बात पर जोर देती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि शीघ्र ही संस्थान के पास अपना एक स्वतंत्र परिसर हो।	विधायी प्रारूपण एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रमुख स्थान पर भूमि के आवंटन को रद्द कर दिए जाने पर इस विभाग ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 2004 के पत्र सं. ए. 45011/13/2001-प्रशा.-1 (वि.वि.) द्वारा यह मामला पुन: शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ उठाया है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और विधायी प्रारूपण एवं प्रशिक्षण संस्थान को भूमि पुन: आबंटित कर दें। उक्त विभाग से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर इस विभाग के दिनांक 21 अक्तूबर, 2004 के पत्र सं. ए 45011/13/2001-प्रशा.-1 (वि.वि.) के द्वारा उन्हें एक अनुस्मारक भी भेजा गया। शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय से अभी तक उत्तर अपेक्षित है।		शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय को तदन्तर अनुस्मारक भेजे गए हैं किन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान स्थिति यह है कि जब तक भूमि का आबंटन नहीं किया जाता, इस विभाग द्वारा आगे और कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
69.	समिति यह नोट करती है कि परिवर्तित परिस्थितियों में जब सारे देश में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान हुआ था, यह उपर्युक्त होगा कि सरकार सभी राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों की मांगों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मशीनें उपलब्ध करवायेंगी, ताकि उन मशीनों द्वारा संसदीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा के निर्वाचन संचालित किए जा सकें।	आयोग ने इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को 15 वर्षों बाद बदलने का निर्णय लिया है तथा 1989-90 की 1.5 लाख इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को नई इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से बदला जाएगा। नई इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में कुछ नई विशेषताएं होंगी जिन पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। अधिकतर राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने अपने राज्य में स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने में रुचि दर्शायी है निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयोग राज्य निर्वाचन आयुक्तों को इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें उधार देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है:- (1) ई.वी.एम. तब ही दी जाएंगी यदि विधि शासी निकायों के निर्वाचनों के लिए ई.वी.एम. के प्रयोग का प्रावधान है। (2) स्थानीय निकाय, अकेले स्थान के निर्वाचन की वही प्रणाली अर्थात् प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली और अकेले स्थान के लिए निर्वाचन अपनाएगा।		

1	2	3	4	5
		(3) राज्य निर्वाचन आयोग, उस राज्य में विधान सभा निर्वाचन के लिए तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए ई.वी.एम. की कुल मांग का 25% के बराबर रिजर्व रखने के लिए सहमत हो गया है।		
		(4) राज्य निर्वाचन आयोग 30 जून, 2006 के पहले राज्य में विधान सभा निर्वाचन के लिए ई.वी.एम. की कुल मांग का 10% के बराबर वास्तव में प्राप्त करते थे। आयोग प्रारंभिक रूप में प्रदान की गई इस शर्त को लचीला करने पर विचार कर रहा है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के बाद कोर्ट केस में बंद हुई मशीनों में टूट-फूट होने पर उतनी ही संख्या में मशीनों को तत्काल बदलने की व्यवस्था करता है।		
		(5) उक्त पैरा (3) व (4) के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय की गई ई.वी.एम. संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में रखी जानी चाहिए तथा निर्वाचनों के समय ही निकाली जानी चाहिए।		
		(6) राज्य निर्वाचन आयोग ई.सी.आई.एल./ बी.ई.एल. के तकनीशियनों/इंजीनियरों द्वारा जो भी मामला हो, मतदान पूर्व जांच, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, बैटरियों, मतदान के बाद मशीनों की सफाई, उनकी मरम्मत (यदि आवश्यकता हो), भण्डार के स्थान से जाने और वापस आने का परिवहन और कोई अन्य आकस्मिक व्यय जो ई.वी.एम. के उधार लेने के कारण हो सकते हैं, सभी पर खर्च करता है।		
		(7) राज्य निर्वाचन आयोग मशीनों की टूट-फूट के कारण होने वाली किसी भी हानि को पूरा कर लेते हैं।		

1	2	3	4	5
		स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के पूरा होते ही संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ई.वी.एम. तत्काल वापिस की जाएंगी। (8) आयोग द्वारा भविष्य में लगायी जाने वाली अन्य शर्त/शर्तों के अध्याधीन।		
75.	समिति ने यह नोट किया है कि निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र योजना को आरम्भ हुए काफी समय बीत चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में समिति यह सिफारिश करती हैं कि यही उचित समय है कि हम इस मामले को नए सिरे से देखें और एक ऐसी क्रिया विधि का विकास करें जिससे एक निश्चित समय अवधि के अन्दर काम पूरा किया जा सके।	अरुणाचल प्रदेश में, 01.01.2005 के संदर्भ में स्कूल परीक्षाओं तथा वर्षा के कारण निर्वाचन नामावलियों का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जा सका। इसलिए कोई भी निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अभियान प्रारम्भ नहीं किया जा सका। यह निर्णय लिया गया है कि 01.01.2006 को अर्हता की तारीख मानकर घर-घर जा कर गणना द्वारा गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाए। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अभियान अगले वर्ष किया जाएगा। महाराष्ट्र में 2005 के लिए नामावलियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्राकृतिक आपदाओं के कारण विलंबित हुई हैं। सितम्बर में नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अभियान प्रारंभ किया जाएगा। बिहार में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अभियान प्रगति पर है। हरियाणा में, दिनांक 01.01.2006 को अर्हता तिथि मानकर निर्वाचक नामावलियों के अगले पुनरीक्षण के दौरान, सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए, निर्वाचकों के फोटो के साथ निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र नहीं रखने वाले छूटे हुए निर्वाचकों को शामिल करने के लिए एक निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अभियान प्रारंभ किया जाएगा। झारखण्ड में एक निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अभियान प्रारंभ किया जाएगा। विद्यमान प्रगति हरियाणा में लगभग 90%, बिहार में लगभग 57% तथा झारखण्ड में लगभग 60% हैं। बिहार में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र का कार्य अभी भी प्रगति पर है। केरल राज्य के सभी 140 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के सभी 30 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, हरियाणा राज्य के दो विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों तथा हिमाचल		

1	2	3	4	5
		प्रदेश और पंजाब राज्यों में से प्रत्येक के एक-एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, दिनांक 01.01.2005 को अर्हता की तिथि मानकर किए जाने वाले पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचकों की फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में आन-लाईन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए स्थायी संरचना का निर्माण करने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।		
82.	**न्यायपालिका के लिए ढांचे संबंधी सुविधाओं से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना** न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना लंबे समय से विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के संवीक्षाधीन रही है। समिति ने अपने प्रतिवेदनों में समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन में समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण समुक्तियां और सिफारिशें की हैं। समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों (2002-2003) के संबंध में अपने 86वें प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, जिनका सारांश नीचे प्रस्तुत है: जबकि न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना न्याय के सुचारू प्रशासन की दिशा में एक अच्छी शुरूआत है, इस योजना के अधीन उपलब्ध कराई गई निधियां, विशेषकर योजना आयोग द्वारा निश्चित की गई निधियों की तुलना में राज्यों द्वारा अनुमानित मांग को देखते हुए पर्याप्त प्रतीत नहीं होती। न्यायपालिका के लिए बजटीय आबंटन को बढ़ाने का पुरजोर मामला है। सरकार को राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। सरकार को केंद्र तथा राज्य के हिस्से के प्रतिरूप को पुन: डिजाइन करना चाहिए, ताकि राज्यों पर कम बजटीय दबाव पड़े।	न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 से लागू है, तथापि इसके मूल्यांकन से पता चला है कि राज्यों के हिस्से का भुगतान न होने और अयोजनाबद्ध निष्पादन के कारण अपेक्षित प्रगति प्राय: प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके साथ ही, राज्य-वार विशिष्ट लक्ष्यों के निर्धारण, जिसके आधार पर संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन किया जा सकता है, के बिना यह योजना अधूरी रह गई। अत: योजना आयोग की सलाह पर दस वर्षों के लिए एक भावी योजना चलाई जा रही है जो कि नए निर्माणों के साथ-साथ पुराने भवनों के जीर्णोद्धार, दोनों के लिए लागू होगी। भावी योजना तैयार होने और अखिल भारतीय स्तर के आधार पर इसको मिलाने के बाद पर्याप्त योजना व्यय के लिए इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया जाएगा। जिसके आधार पर योजना आयोग के साथ परामर्श करके परिव्यय और कार्य के तरीके, दोनों पर चर्चा की जाएगी। अब तक 18 राज्यों ने न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसरों के निर्माण हेतु दस वर्षों की भावी योजना प्रस्तुत की है।		

1	2	3	4	5
	समिति गृह कार्य संबंधी समिति द्वारा विधि तथा न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में अपने पिछले प्रतिवेदनों में की गई समुक्तियों का समर्थन करती है तथा यह सिफारिश करती है कि सरकार को न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को अनुदान उपलब्ध कराने में उदार होना चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए अनुदानों के दक्ष उपयोग के लिए राज्य सरकारों को राजी करना चाहिए।			
85.	**न्याय विभाग के बजट को गृह मंत्रालय के बजट से अलग करना** समिति महसूस करती है कि यह मामला काफी लंबित अवधि के लिए मंत्रालय के संवीक्षाधीन रहा है। अत: समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले को पुरजोर ढंग से वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए ताकि वर्ष 2005-06 के लिए बजट में न्याय विभाग को एक पृथक मांग आबंटित किया जाए।	अब तक कोई अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मामले को आर्थिक कार्य विभाग के साथ उठाया जा रहा है। उस विभाग पर इस बात के लिए जोर दिया जाएगा कि कम से कम वर्ष 2006-2007 और आगे के लिए न्याय विभाग की अलग मांग होनी चाहिए।		
88.	**राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एन.जे.ए.)** समिति नोट करती है कि पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 1998-99 से 2002-03 तक के लेखे के वार्षिक विवरण के विरुद्ध अनेक लेखा-परीक्षा संबंधी आपत्तियां हैं और अकादमी द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा युक्तियुक्त नहीं पाये गए। समिति सरकार से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध करती है कि सार्वजनिक राजकोष का उपयोग सरकार की निर्धारित नीतियों के अनुरूप किया जाये।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के 1998-99 से 2002-03 तक के पांच वर्षों की अवधि के लेखों की वार्षिक विवरणी के संबंध में लेखा-परीक्षा की आपत्तियां मुख्यत: विवरणी के संबंध में लेखा-परीक्षा की आपत्तियां मुख्यत: अनुदान की राशि के उपयोग के संबंध में हैं। अकादमी निम्नलिखित कारणों से अनुदान की राशि का उपयोग समय पर नहीं कर सकी: (1) बाहरी विद्युतीकरण का कार्य मूल रूप से 11 किलोवाट के लिए डिजाईन किया गया था। परन्तु मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जैसे उपभोक्ताओं को 11 किलोवाट का एचटी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। अत: बोर्ड से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए बाहरी विद्युतीकरण के कार्य को 33 किलोवाट के लिए पुन: डिजाईन किया गया।		

1	2	3	4	5
		(2) विद्युत ठेकेदार मैसर्स ई.ई.एल., जिन्हें बाहरी एवं आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य का ठेका दिया गया था, के असफल हो जाने के कारण निर्माण गतिविधियों में देरी हुई। परियोजना के निष्पादन में देरी के परिप्रेक्ष्य में, कार्यनिष्पादन में तीव्रता लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:- (क) विभिन्न निर्माण गतिविधियों की गहन एवं नियमित मानीटरिंग के जरिए देरी को कम करने के उद्देश्य से अगस्त, 2000 में भोपाल में अकादमी के लिए एक कार्यालय की स्थापना की गई। (ख) परियोजना की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के एक मुख्य अभियन्ता की सेवाएं निर्माण निदेशक के रूप में अंशकालिक आधार पर ली गई। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता स्तर के दूसरे अभियन्ता और अन्य कर्मचारियों को भी उनकी सहायता के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया। (ग) बाहरी और आंतरिक विद्युतीकरण के कार्यनिष्पादन में विलम्ब होने के कारण, मूल रूप से मैसर्स ई.ई.एल. इंजीनियरिंग लिमिटेड, पुणे को दिए गए ठेके को सितंबर, 2000 में रद्द कर दिया गया और शेष बचे कार्य के लिए ठेका, मूल ठेके में निर्धारित शर्तों और दरों पर, इस स्पष्ट उल्लेख के साथ कि कार्य 23 जून, 2001 तक पूरा हो जाना चाहिए, मैसर्स एल. एण्ड टी. (ई.सी.सी.जी.) को दे दिया गया।		

1	2	3	4	5
		(घ) विभिन्न ठेकेदारों को समय सीमा में वृद्धि करने की अनुमति दरों में किसी प्रकार की वृद्धि किए बिना और नुकसान निस्तारण के लिए अधिकार का उल्लेख करते हुए दी गई। (ङ) निविदा प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया और ठेके का देरी से निष्पादन करने के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी के संबंध में भविष्य में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों में एक दण्डात्मक खण्ड शामिल किया गया। अकादमी ने वर्ष 2001-02 तक प्राप्त 78,95,67,000/- रु. के कुल अनुदान में से विभिन्न निर्माण गतिविधियों पर 31 मार्च, 2005 तक 67,31,57,068/- रु. के अनुदान का उपयोग पहले ही कर लिया है। अधिकांश ठेकेदारों ने अपना अधिकांश कार्य पूरा कर लिया है और शेष कार्य भी शीघ्र पूरा होने की आशा है।		
92.	**फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफ.टी.सी.)** समिति नोट करती है कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत किये गए 1734 फास्ट ट्रैक न्यायालयों में से 246 न्यायालयों को कार्यशील बनाया जाना अभी तक शेष है। निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे न्यायालयों की स्थापना में देरी से संस्वीकृत राशि व्यपगत हो जायेगी, जिससे शीघ्रता से न्याय को लागू करने का उद्देश्य असफल हो जायेगा। अतः, समिति ने शेष 246 त्वरित न्यायालयों में कार्य आरंभ करने हेतु राज्य सरकारों को राजी करने के लिए सरकार से हरसंभव प्रयास करने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ त्वरित न्यायालयों की दक्षता और उपयोगिता के स्तर को बनाये रखते हुए न्याय विभाग को ऐसे न्यायालयों द्वारा जल्दबाजी में निर्णय दिए जाने से बचने के लिए उपाय खोजने चाहिए ताकि निर्दोष व्यक्ति दण्डित नहीं किये जायें। सरकार को त्वरित न्यायालयों के लिए वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अनुभव का लाभ उठाने पर भी विचार करना चाहिए।	ग्यारहवें वित्त आयोग ने लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए पांच वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2005 तक ही सीमित अवधि के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 1734 फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन की सिफारिश की। राज्य सरकारों, जिन्हें ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, ने न्यायालय कक्षों की उपलब्धता, अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर लंबित पड़े मामलों की संख्या जैसे विभिन्न अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपेक्षा के अनुसार अनेक न्यायालयों का गठन किया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को पूरी वित्तीय सहायता सहित 509.00 करोड़ रु. के प्रावधान के साथ पांच वर्षों की और अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक पहले से ही कार्य कर रहे 1562 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को जारी रखने का अनुमोदन किया है।		

1	2	3	4	5
97.	**विशेष/कुटुम्ब न्यायालय** समिति विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-04) के संबंध में गृह कार्य संबंधी समिति द्वारा उसके 101वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को दोहराती है कि सरकार को कुटुम्ब विवाद और उससे संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम एक परिवार न्यायालय की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सरकार, लोगों में कुटुम्ब न्यायालयों की उपयोगिता के संबंध में व्यापक प्रचार करने के लिए कार्यवाही योजना को शीघ्र अंतिम रूप दे।	कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। राज्यों द्वारा कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना प्रत्येक जिले में नहीं की गई है। देश में अब तक 136 कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गई है। न्याय विभाग ने सभी राज्य सरकारों से देश के प्रत्येक जिले में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का अनुरोध किया है। तथापि, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम जैसे कुछ राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों ने कुटुम्ब न्यायालय स्थापित न कर पाने के लिए अनेक कारणों का उल्लेख किया है। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना न कर पाने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय संसाधनों की कमी, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और अपर्याप्त संख्या में वैवाहिक मामलों का दायर होना शामिल है।		
102.	**न्यायाधीशों की रिक्तियां** समिति सिफारिश करती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों की रिक्तियों को तेजी से भरा जाना चाहिए।	उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 01.08.2005 की स्थिति के अनुसार 23 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) कार्यरत थे और केवल तीन रिक्तियां भरी जानी थी। सभी उच्च न्यायालयों में 670 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 01.08.2005 की स्थिति के अनुसार 536 न्यायाधीश कार्यरत थे और 134 रिक्तियां भरी जानी थीं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों का भरा जाना संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच होने वाले विचार-विमर्श की एक सतत् प्रक्रिया है। यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को तत्काल भरने का हर संभव प्रयास किया जाता है और फिर भी सेवानिवृत्ति के कारण या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर न्यायाधीशों की पदोन्नति हो जाने के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।		

1	2	3	4	5
		उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अपने न्यायालय की रिक्तियों को भरने के संबंध में आवधिक रूप से स्मरण कराया जाता है।		
110.	समिति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के मामले में वर्ष 1993 से पहले वाली स्थिति को बरकरार रखने की अपनी पूर्व सिफारिश पर बल देती है।	सुझाव नोट कर लिया गया है।		
114.	**उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें** समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को इस मामले का तेजी से समाधान करने के लिए अपनी कार्रवाई निश्चित करनी चाहिए।	भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दिनांक 16 नवम्बर, 2004 के पत्र में सूचित किया है कि इस मामले पर दिनांक 14.12.2004 को माननीय न्यायाधीशों की पूर्ण न्यायालय बैठक में पुन: चर्चा की गई थी और पूर्ण न्यायालय का यह सुविचारित मत था कि उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।		
119.	**मामलों का लंबित रहना** समिति आशा करती है कि सरकार, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अंतर्विष्ट अपने संकल्प के साथ उच्च न्यायालयों तथा निचली न्यायपालिका में विलंब में भारी कटौती कर पाएगी।	सरकार विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की स्थिति की आवधिक रूप से मानीटर करती है। लम्बित मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए उठाए गए कदमों में, न्यायाधीशों की रिक्तियों को समय पर भरना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, कानून की समान प्रकृति वाले मामलों को समूहीकृत करना, विशिष्ट पीठों की स्थापना करना, नियमित अन्तरालों पर लोक अदालतों का आयोजन करना, विवादों के निपटान के लिए वैकल्पिक तरीकों जैसे बातचीत के जरिए, और माध्यस्थम को प्रोत्साहन देना और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों, कुटुम्ब न्यायालयों और श्रम न्यायालयों जैसे विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 509 करोड़ रु. की लागत से फास्ट ट्रैक न्यायालयों की अवधि, आगामी पांच वर्षों अर्थात् 31.3.2010 तक बढ़ा दी है। सरकार ने 384.53 करोड़ रु. की लागत से राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में सभी जिला		

1	2	3	4	5
		और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी आरंभ कर दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा दोनों स्कीमों को पूर्ण वित्त पोषित किया जाता है। सरकार ने न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत अगले दस वर्षों में निर्माण के लिए प्रस्तावित न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के लिए आवासीय भवनों की वास्तविक संख्या के बारे में दस वर्षों के लिए एक भावी योजना बनाने का अनुरोध भी राज्य सरकारों से किया है।		
121.	**सामान्य** समिति नोट करती है कि विधि और न्याय मंत्रालय को छोड़कर लगभग सभी मंत्रालयों में चिकित्सीय व्यय के लिए अलग शीर्ष रखा गया है। समिति महसूस करती है कि यदि अन्य मंत्रालय इस आशय का शीर्ष रख सकते हैं तो इस मंत्रालय को भी समय पर ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए थी। ताकि प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।	चिकित्सा व्यय के लिए एक अलग शीर्ष सृजित किया गया है।		

अपराह्न 12.10½ बजे

(तीन) केन-बेतवा लिंक के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, *मैं केन-बेतवा लिंक के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में एक वक्तव्य दे रहा हूं।

भारत के महान सपूत, पूर्व केन्द्रीय सिंचाई मंत्री स्वर्गीय डा. के.एल. राव ने देश की नदियों को जोड़ने का सपना देखा था। तथापि, यह पूरा नहीं हो सका। स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डा. के.एल. राव के सपने को समाप्त नहीं होने दिया। वर्ष 1980 में, उनके नेतृत्व में, राष्ट्रीय संदर्शी योजना (एनपीपी) की संकल्पना की गई जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन को जल का अंतरण किया जाना था और वर्ष 1982 में, केन्द्र सरकार ने एनपीपी में दिए गए सुझाव के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने के प्रस्तावों की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए संकल्प द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) नामक सोसाइटी का गठन किया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यह इच्छा थी कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों में संपर्कों की पहचान की जाए और उन्होंने एनडब्ल्यूडीए को अग्रणी भूमिका निभाने का निदेश दिया। एनडब्ल्यूडीए ने 1980 के बाद के दशकों से संपर्कों की पहचान करने का अपना कार्य प्रारंभ किया और इसमें राष्ट्रीय संदर्शी योजना के प्रस्ताव के अनुरूप व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए 30 सम्पर्कों की पहचान की जिसमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 संपर्क शामिल हैं।

इसी बीच, यमुना नदी के प्रदूषण के एक अलग मुद्दे पर एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) में सुनवाई के दौरान न्याय मित्र (अमीकस क्यूरी) ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि वह नदियों को जोड़ने पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार को निदेश दे। माननीय न्यायालय ने इसको स्वतंत्र जनहित याचिका के रूप में "नदियों की नेटवर्किंग" शीर्षक से इस मुद्दे पर विचार

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2820/2005

1	2	3	4	5
2.	ओएनजीसी/ओआईएल को अभिवृद्धि प्रक्रिया पर जोरदार ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए। एनईएलपी दौरों के तहत बोलियों की बारम्बरता में वृद्धि की जानी चाहिए।	ओएनजीसी/ओआईएल ने अभिवृद्धि प्रक्रिया को अधिक तीव्रता से करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: भूकंपीय आंकड़े अंकीकृत किए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूकंपीय लाइनों को मूल्य वर्धन के लिए पुन: संसाधित किया जा रहा है तथा संपूर्ण आंकड़ों का पुन: निर्वचन किया जा रहा है, नई समय सारणी मैप तैयार किए गए हैं, नए भू-वैज्ञानिक माडल तैयार किए गए हैं। एनईएलपी दौरों के प्रस्तुतीकरण में बहु क्रियाकलाप शामिल है, जिनमें सामान्यत: करीब एक वर्ष का समय लगता है।	स्वीकृत एनईएलपी के दौरों के तहत बोली के लिए विभिन्न कार्यों के पूर्ण होने के लिए अपेक्षित समय की शर्त पर।	
3.	समिति को ऐसे कारकों की जानकारी दी जाए जिनके परिणामस्वरूप 2002-03 की तुलना में 2003-04 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कम रहा। असम, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में प्राकृतिक गैस बाजार के विकास के लिए मंत्रालय पर्याप्त कदम उठाए।	ओएनजीसी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक गैस के उत्पादन की वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों में उत्पादन वृद्धि हेतु मुख्य क्षेत्रों के लिए आईओआर/ईओआर योजना तथा नई अभिक्रियाओं प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों का परिनियोजन शामिल है। असम, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पर्याप्त पाइपलाइन बुनियादी संरचना तैयार की गई है किन्तु गैस बाजार का विकास आपूर्ति पर निर्भर करता है।	स्वीकृत, कालम 3 में उल्लिखित बाधाओं की शर्त पर।	
4.	सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां भविष्य में अपने कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रयास करें।	अपनी 10वीं योजना कार्यक्रमों की मध्यावधि समीक्षा के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 10वीं योजना की शेष अवधि में अपने कार्य निष्पादन सुधारने के लिए सम्मिलित प्रयास करने में सक्षम होंगे।	स्वीकृत	
5.	यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंत में वेधन कार्य बेकार साबित न हो, वेधन पूर्व भूकंपीय आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा निर्वचन में पर्याप्त सावधानी बरती जाए।	वेधन पूर्व भूकंपीय आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा निर्वचन में निम्नलिखित सावधानियां बरती जा रही हैं: - वेधन पूर्व त्रि-आयामी अधिग्रहण, संसाधन तथा निर्वचन का प्रयोग। - उत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात परामर्शदाताओं द्वारा संसाधन वैधता।	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
		– बड़ी संरचनात्मक संभावनाओं की परीक्षण जांच। – पश्च वेधन विश्लेषण द्वारा मध्य कोर्स सुधार।		
6.	एनईएलपी बोली का अगला दौर तेजी से पूरा किया जाना चाहिए तथा भावी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए संगत आंकड़ों का उचित प्रचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	एनईएलपी का पांचवां दौर चल रहा है। विशिष्ट भू-तकनीकी पहलुओं को दर्शाते हुए, विशेष वैब पोर्टल की शुरूआत की गई है। कंपनियो द्वारा आंकड़ों की जानकारी लेने के लिए दिल्ली ह्यूस्टन तथा लंदन में पर्यवलोकन कक्ष खोले गए।	स्वीकृत	
7.	ऊर्जा संरक्षण उपायों, सक्रिय अन्वेषण कार्यों, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की टैपिंग का जोरदार ढंग से क्रियान्वयन किया जाए।	पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण तथा तेल संरक्षण, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के बीच तीव्र सहक्रिया समन्वयों का कार्य पीसीआरए को सौंपा गया है। अपनाई गई विधियों में क्षेत्र कार्यकलाप, शिक्षा अभियान, आर एण्ड डी तथा एच आर डी कार्य शामिल हैं। अन्वेषम और उत्पादन कार्य में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं: – ईओआर/आईओआर के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान बड़े क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार। – एनईएलपी के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। – विशेष रूप से गहरे जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में नए क्षेत्रों का अन्वेषण करना। – नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना। – विदेश में रकबे प्राप्त करना। – सीबीएम और गैस हाइड्रेटों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करना। पे. और प्राक. गैस मंत्रालय ऐथनाल मिश्रित पेट्रोल के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने का प्रयास कर रहा है। भविष्य के लिए वैकल्पिक ईंधनों के रूप में बायो-डीजल और हाइड्रोजन पर काम भी जारी है।	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
8.	चार नई रिफाइनरी परियोजनाओं की समय पर पूर्णता पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लागत में वृद्धि रोकी जा सके।	मुख्य जारी परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्टों, तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्टों के माध्यम से, बोर्ड की बैठकों आदि के माध्यम से निरन्तर निगरानी की जाती है और गतिशील बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।	स्वीकृत	
9.	तेल पीएसयूज को उपकरणों के लिए आदेश विख्यात विक्रेताओं को देने चाहिए और सुपुर्दगी में चूक के मामले में परिसमाप्त क्षति खंड का आश्रय लिया जाना चाहिए। तेल पीएसयूज को योजनागत निधियों के उपयोग में सुधार करने के लिए योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्यकालिक सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।	तेल पीएसयूज उपकरणों और अन्य मदों की खरीद के लिए सिद्ध और विख्यात विक्रेताओं को खरीद के आदेश देते हैं। सुपुर्दगी में चूक के मामले में तेल पीएसयूज परिसमाप्त क्षति खंड का आश्रय लेते हैं। तेल पीएसयूज ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यकालिक मूल्यांकन के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की है।	स्वीकृत	
10.	जन साधारण पर बोझ को कम करने के लिए ईंधन और गैर-ईंधन की कीमत में न्यूनतम वृद्धि होनी चाहिए। घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता जारी रहनी चाहिए।	जनसाधारण पर मूल्य वृद्धि का बोझ कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं- * घरेलू एलपीजी पर उत्पादन शुल्क में 16.6.04 से 16% से 8% की कमी की गई है। * घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल पर सीमा शुल्क में 19.8.2004 से 10% से 5% की कमी की गई है। * मिट्टी तेल पर उत्पाद शुल्क में 19.8.04 से 16% से 12% की कमी की गई है। घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के उपभोक्ता मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बावजूद 1.3.02 के बाद, 16.6.04 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में 20 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि के अतिरिक्त कोई वृद्धि नहीं की गई है।	स्वीकृत	
11.	राज सहायता के बोझ में हिस्सेदारी करने के लिए तेल क्षेत्र के पीएसयूज को शामिल करने की नीति जारी रखी जाए।	पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर के कारण तेल विपणन कंपनियों की अल्पवसूलियों में तेल पीएसयूज के बीच	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
		हिस्सेदारी की जा रही है। वर्तमान व्यवस्था जारी रखने के लिए समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है।		
12.	एलपीजी, मिट्टी तेल, पेट्रोल और डीजल पर आयात शुल्क/उत्पादन शुल्क में कमी के मामले में कुशन का काम करने के लिए कच्चे तेल पर उपकर से एकत्रित धनराशि का उपयोग करके पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष का सृजन किया जाना चाहिए।	पेट्रोल और डीजल के लिए मूल्य श्रृंखला व्यवस्था में आयात समता के अनुकूल उत्पाद मूल्यों में वृद्धि-कमी करने के लिए अन्तर्निहित व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल के लिए किसी मूल्य स्थिरीकरण कोष की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। यह मंत्रालय समिति की इस सिफारिश से सहमत है कि ओआईडीबी अधिनियम के तहत एकत्रित उपकर का उपयोग, फिलहाल तेल पीएसयूज द्वारा वहन की जाने वाली बजटीकृत राजसहायता को ध्यान में रखने के बाद, शेष राजसहायता जरूरत पूरी करने के लिए किया जाना चाहिए।	मूल्य स्थिरीकरण कोष के संबंध में स्वीकार नहीं। राजसहायता बोझ के लिए उपकर के उपयोग के संबंध में सिफारिश स्वीकार है।	
13.	मूल्यानुसार शुल्क की बजाय प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पादों पर एक निश्चित/ विशिष्ट शुल्क लगाया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा उद्ग्रहीत बिक्री कर भी मूल्यानुसार की बजाए विशिष्ट होना चाहिए।	भारत सरकार ने पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर सीमा शुल्क 19.8.2004 से 10% से कम करके 5% कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य सरकारों से पेट्रोल और डीजल पर पहले स्वीकृत स्तरों अर्थात् डीजल पर 12% और पेट्रोल पर 20% पर बिक्री कर दरों को कम करने/बनाए रखने के लिए अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मूल्यानुसार बिक्री कर दरों को विशिष्ट दरों से प्रतिस्थापित करने का मामला उठाया है।	स्वीकृत	
14.	संशोधित पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक यथाशीघ्र पेश किया जाना चाहिए।	संशोधित विधेयक विधि मंत्रालय के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है और इसे यथाशीघ्र पेश किए जाने की आशा है।	स्वीकृत	
15.	31.7.2004 को बंद किए गए मिलावट रोधी प्रकोष्ठ को पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट के खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए तुरन्त चालू किया जाना चाहिए।	मिलावटरोधी प्रकोष्ठ (एएसी) को 31.7.2004 को बंद कर दिया गया था क्योंकि इस प्रकोष्ठ के कार्यचालन के पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट पर नियंत्रण रखने पर अपेक्षित असर नहीं पड़े थे। इस	स्तम्भ 3 में दिए गए कारणों में स्वीकार नहीं।	

1	2	3	4	5
		मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोषी डीलरों के विरुद्ध जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो, अपनी-अपनी निरीक्षण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का अनुरोध किया है। सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों को मिलावट के मामलों का पता लगाने और अभियोग चलाने में अपनी प्रवर्तक एजेंसियों को सक्रिय बनाने और इस प्रयास में चुने हुए स्थानीय निकायों और उपभोक्ता संगठनों को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है। तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट पर निर्बंधन पाने के लिए सभी क्रियाकलापों और प्रचालनों की निगरानी करने के लिए निदेशक (विपणन) के अलावा निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पृथक स्कंध का सृजन करने पर विचार करने के लिए कहा गया है।		
16.	मंत्रालय को वर्ष का व्यय मंत्रालय के स्वीकृत बजट के भीतर सीमित रखना चाहिए और गैर-योजना व्यय में मितव्ययता बरतने के लिए वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का पालन करना चाहिए।	वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान वास्तविक व्यय इन वर्षों के लिए बजट अनुमानों के बिल्कुल भीतर रहा। वर्ष 2004-05 के लिए व्यय भी स्वीकृत बजट के भीतर रखा गया है।	स्वीकृत	
17.	भारत सरकार को कार्यनीति भंडारण टैंकों की स्थापना के लिए संबंधित मुद्दों जैसे वित्त का स्वरूप, मांग सूची के रखरखाव, राजकोषीय छूट इत्यादि को अंतिम रूप देना चाहिए।	समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है और इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।	स्वीकृत	
18.	भारत सरकार को, पेट्रोल के साथ समिश्रण, के लिए एथेनोल की कमी, राज्य सरकारों के साथ परिवहन अनुज्ञापत्रों में विलंब के मुद्दों को उठाने में तेजी लानी चाहिए और ऐसे कदम तुरंत उठाने चाहिए जिनसे वर्ष 2004-05 के अंत तक पूरे देश को 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल दिया जा सके।	शीरा, जो एथेनोल के उत्पादन हेतु कच्चा माल है, की कमी के कारण पेट्रोल में एथेनोल मिश्रण की योजना प्रभावित हुई है। यह कमी आने वाले गन्ना पिराई के मौसम में भी बनी रहने की संभावना है। पर्याप्त एथेनोल की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2004-05 के अंत तक पूरे देश को 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल दे पाना संभव नहीं लगता है।	कालम 3 में दिए गए कारणों की वजह से वर्ष 2004-05 के अंत तक पूरे देश को 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल दे पाना संभव नहीं लगता है।	

1	2	3	4	5
19.	भारत सरकार बायो डीजल मिश्रित डीजल कार्यक्रम के परीक्षणों को तत्काल पूरा करे और इसे देश के विभिन्न भागों में बड़े स्तर पर शुरू करे बशर्ते परीक्षणों का परिणाम संतोषजनक हो।	निविदा से प्राप्त बायो डीजल के मूल्य, पेट्रोलियम डीजल के मूल्य से 3-4 गुणा अधिक हैं। हालांकि परीक्षण के परिणामों के अनुसार धुएं में कमी है और बसों के प्रचालन में इससे किसी प्रकार की समस्या नहीं आई लेकिन जब तक बायो डीजल के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बने रहेंगे तब तक भारत के विभिन्न भागों में बड़े स्तर पर बायो डीजल कार्यक्रम लाना संभव नहीं हो सकेगा।	कालम 3 में उल्लिखित कारणों की वजह से इस स्तर पर देश व्यापी बायो डीजल कार्यक्रम की शुरूआत पर विचार करना संभव नहीं समझा गया है।	
20.	भारत सरकार को कोयला गैसीकरण प्रक्रिया को ऊर्जा विकसित करने के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और परियोजना पर योजना आयोग तथा विद्युत मंत्रालय एवं उर्वरक विभाग के परामर्श से आगे कार्यवाही करनी चाहिए।	प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से गेल एक उपाय के रूप में, विशेष तौर पर पूर्वी क्षेत्र में, कोयले से प्राप्त सिंथेसिस गैस (सिनगैस) से लाभ उठाने के मुद्दे की जांच-पड़ताल कर रही है। सिनगैस कार्बन मोनोआक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, जिसका विद्युत उत्पादन, उर्वरक, हाइड्रोजन और मिथनोल उत्पादन के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया जाता है। मैसर्स शैल जो कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है, के साथ हुई पूर्व चर्चा के आधार पर कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार की जा रही है। संयंत्र के स्थान के अंतिम निर्णय तथा गेल और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच कोयला उपलब्धता समझौता ज्ञापन के लिए कार्य प्रारंभ हो गया है और सीआईएल अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन का इंतजार कर रही है। आगे की कार्रवाई के लिए विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग और रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के साथ परामर्श सहित डीएफआर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।	स्वीकृत	
21.	तेल विपणन कंपनियों को आईओसीएल के "एक्स्ट्रा प्रीमियम" और एचपीसीएल के "पावर" जैसा प्रीमियर श्रेणी का पेट्रोल आरंभ करना चाहिए जो वाहनों को शीर्ष कार्य निष्पादन दे सके। ओएमसीज को	खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सर्वेक्षण/जांच के साथ-साथ ग्राहकों के साथ नियमित बातचीत से पता चला है कि वाहन मालिकों ने प्रीमियम श्रेणी के पेट्रोल का प्रयोग करने से एक और एक से अधिक लाभ प्राप्त किए हैं।	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
	ऐसे प्रीमियम ब्रांड पेट्रोल का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों से फीडबैक लेना चाहिए जिससे वह उत्पाद में आगे सुधार करने में सक्षम हो सकें।	– अतिरिक्त माइलेज – अतिरिक्त शक्ति और उत्तम गति – आसान शुरूआत – निर्विघ्न गति – आवाज रहित ड्राइव – उत्सर्जनों में कमी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के प्रीमियम ब्रांड को नए बाजारों और मौजूदा बाजारों में अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उतार कर इसके क्षेत्र को बढ़ाने के कदम उठाए हैं।		
22.	सीएनजी प्रणाली को देश के पूर्वी क्षेत्रों जैसे कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर और रांची जैसे शहरों में भी विस्तारित करना चाहिए। निधियों की कमी के कारण इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक समय नहीं लगना चाहिए।	शहरों में सीएनजी की आपूर्ति के लिए अपेक्षित सुविधाएं निम्नानुसार है:- – प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का स्रोत सामान्यत: ट्रंक पाइपलाइन के माध्यम से – शहर में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क – गैस वितरण सुविधा तक पहुंच सीएनजी कम्प्रैशर्स, कास्केड और डिस्पेंसर से युक्त सुविधायुक्त सीएनजी वितरण केन्द्र पूर्वी राज्यों- पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में प्राकृतिक गैस की कोई पाइपलाइन नहीं है। गैस आपूर्ति का निकटतम स्रोत गेल का जगदीशपुर टर्मिनल है जो कोलकाता से लगभग 800 कि.मी. की दूरी पर है। गैस की आपूर्ति के स्रोत सुनिश्चित होने पर तथा सीएनजी परियोजनाओं हेतु गैस आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाना व्यवहार्य पाये जाने पर इन शहरों में सीएनजी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। निधियां इसमें रूकावट नहीं है।	सिद्धान्तत: स्वीकृत बशर्ते प्राकृतिक गैस की उपलब्धता हो।	
23.	विशेषकर पूर्वी दिल्ली में भू-स्वामी एजेंसियों और ओएमसीज के साथ संपर्क कार्य तथा केवल सीएनजी सुविधाओं हेतु स्थल पाने के लिए काम को आगे बढ़ाने के लिए	आईजीएल के योजना विभाग से अधिकारियों का एक समर्पित दल पूर्वी दिल्ली में और अधिक प्लाट पाने के लिए भू-स्वामी एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। गाजीपुर के आईएफसी	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
	आईजीएल में एक छोटा परन्तु पृथक प्रकोष्ठ बनाया जाए।	पाकेट, मयूर विहार फेज 3 में पहले ही दो स्थलों की पहचान कर ली गई है और निकट भविष्य में इनके आईजीएल के स्वामित्व में आ जाने की आशा है।		
24.	सीबीएम ब्लाकों के लिए अन्वेषण बोलियों की बारंबारता बढ़ाई जानी चाहिए। प्राप्त विशेष निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ अगले 2 वर्षों के लिए सीबीएम गतिविधियों की ब्लाकवार प्रगति की सूचना से समिति को अवगत कराया जाए।	सीबीएम ब्लाकों की बोली के दो दौर पूरे हो चुके हैं। सीबीएम के अन्वेषण तथा उत्पादन संबंधी 16 संविदाओं पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सीबीएम के तीसरे दौर के तहत प्रस्ताव हेतु विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 7 ब्लाकों की पहचान कर ली गई है। सीबीएम गतिविधियों का ब्लाकवार विवरण एटीएन में दे दिया गया है।	स्वीकृत	
25.	राष्ट्रीय गैस हाईड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के क्रियाकलापों का दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसरण होना चाहिए। अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, पर्याप्त निपुणता प्राप्त वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा उन्हें प्रशंसा प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त अधिक वित्तीय लाभ दिए जाने चाहिए।	वर्तमान में, एनजीएचपी तथा इसकी परियोजनाओं के तहत आने वाली सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन एनजीएचपी दिशानिर्देशों के अनुसार हो रहा है। एनजीएचपी में नियुक्त वैज्ञानिकों को उच्च श्रेणी का अनुभव प्राप्त है, उन्हें तेल व गैस के अन्वेषण/उत्पादन में पर्याप्त निपुणता प्राप्त है और गैस हाईड्रेट से संबंधित वैज्ञानिक क्रियाकलापों का अच्छा ज्ञान है। जैसा कि समिति ने सिफारिश की है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के लिए वित्तीय लाभों के रूप में पुरस्कारों पर विचार करेगा।	स्वीकृत	
26.	पीसीआरए की क्षेत्र गतिविधियों में गिरावट की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। पीसीआरए प्रयासों में तेजी लाए तथा भविष्य में क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा दे।	पीसीआरए भविष्य में अपनी क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करेगा।	स्वीकृत	
27.	पीसीआरए को ऊर्जा तथा इसके संरक्षण के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक परिवहन व	पीसीआरए ने सरल ऋण संवितरण योजनाओं में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-	स्वीकृत	

1	2	3	4	5
	कृषि क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने वाली सरल ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन में गिरावट की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार के ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरें घटाई जाएं ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए आगे आएं, जो अधिक ऊर्जा संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा।	– क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालय सरल ऋण प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुग्राही बनाए जा रहे हैं। – सरल ऋणों के लिए विद्यमान योजनाओं में अन्य सुधारों के साथ-साथ, ब्याज की दरों को घटाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।		
28.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कच्चे तेल की चोरी रोकने के लिए तत्काल और सख्त कदम उठाएं।	कच्चे तेल की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पिछले दो वर्षों में कई रोकथाम संबंधी उपाय किए गए हैं। जिनमें निम्न शामिल हैं:- – तेल क्षेत्रों में सचल गश्त लगाना – असुरक्षित व उच्च प्राप्ति वाले स्वत-बहावयुक्त कुओं/सकर रोड पंपों का सरपंच सुरक्षा प्रणाली/ग्राम रक्षकपाल के तहत लाया जाना। – कच्चे तेल की चोरी में होने वाली गंभीर पर्यावरणीय प्रणाली व आग संबंधी जोखिमों के बारे में स्थानीय लोगों की संवेदना को जगाना। – पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में जमीनी सुरक्षा समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन। – तेल चोरी आदि में संलग्न गुटों का पता लगाने/पकड़ने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार बांटा जाना। – सुरक्षा तंत्र को तुरन्त प्रत्युत्तर देने में सक्षम बनाने के लिए पाइपलाइन निगरानी प्रणाली को दुरस्त करने की संभाव्यता ताकि उचित समय में पाइपलाइन पर किसी तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप का पता लगाया जा सके।	स्वीकृत	

अपराह्न 12.13½ बजे

(ख) "कतर से एलएनजी" के बारे में दिनांक 5 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6082 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): *महोदय, मैं, कतर से एलएनजी के बारे में 5 मई, 2005 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 6082 के उत्तर में निम्नानुसार शुद्धि करता हूं:-

प्रश्न का भाग	के स्थान पर	पढ़ा जाए
(क) और (ख)	(क) और (ख) कतर के अमीर की यात्रा के दौरान, भारत की ओर से प्रस्ताव किया गया था कि कतर से एलएनजी की खरीद को अगले बीस वर्षों में क्रमिक रूप से 20 मिलियन टन तक बढ़ाया जाए। कतर इस लक्ष्य पर काम करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है। वाणिज्यिक वार्ताएं शीघ्र ही शुरू हो जाएंगी।	(क) और (ख) कतर के अमीर की हाल की यात्रा के दौरान, भारत की ओर से प्रस्ताव किया गया था कि कतर से एल एन जी की खरीद को अगले दस वर्षों में क्रमिक 20 एम एम टी पी ए तक बढ़ाया जाए।

उत्तर में असावधानीवश हुई त्रुटि के कारण यह शुद्धि करने वाला वक्तव्य देना आवश्यक हो गया है। उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

माननीय सदस्य को हुई असुविधा के लिए खेद है।

अनुबंध

कतर से एलएनजी के संबंध में श्री के.सी. पलनिसामी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6082 का इस मंत्रालय द्वारा 5.5.2005 को उत्तर दिया गया था। इस प्रश्न के उत्तर में अनजाने में हुई कुछ त्रुटियां थीं।

इन त्रुटियों का, कतर से एलएनजी के आयात के बारे में राज्य सभा के दिनांक 10.5.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5059 का उत्तर तैयार करते समय दिनांक 6.5.2005 को पता चला। त्रुटियों का संशोधन करने और सदन में प्रस्तुत करने हेतु संशोधित उत्तर भेजने के लिए कार्रवाई तुरंत आरंभ की गई। तथापि, चूंकि संसद का बजट सत्र 13.5.2005 को समाप्त हो रहा था, इसलिए संशोधित उत्तर उपलब्ध समय में उस सत्र में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

अपराह्न 12.13¾ बजे

(पांच) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): **महोदय, मैं दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग II के तहत माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के चौथे, प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री सुबोध कांत सहाय: सभा का समय नष्ट किए बिना मैं इस वक्तव्य का शेष भाग सभा पटल पर रखता हूं।

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एलटी 2822/2005

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2823/2005

अध्यक्ष महोदय: यह समय नष्ट करने का प्रश्न नहीं बल्कि समय का बेहतर तरीके से उपयोग करने का प्रश्न है क्योंकि बहुत कम समय उपलब्ध है।

श्री सुबोध कांत सहाय: कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की चौथी रिपोर्ट दिनांक 17.8.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण दिनांक 16.11.2004 को कृषि संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई 24 सिफारिशें हैं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्यत: मंत्रालय को आबंटित अपर्याप्त बजट, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए 100% अनुदान का प्रावधान, प्राथमिकता क्षेत्र बैंक ऋण के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ऋण राशि की कतिपय प्रतिशतता निर्दिष्ट करना, प्रसंस्कृत खाद्य विकास निधि का सृजन, समेकित खाद्य कानून को शीघ्र अंतिम रूप देना, बुनियादी विकास/खाद्य पार्क के लिए सहायता के स्वरूप का उदारीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का विलय, दोपहर के भोजन के रूप में स्कूली बच्चों को फलों की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के लिए अधिक निधि का आबंटन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना, प्रत्येक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अलग विभाग का सृजन आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गई है और उसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अनुबंध

कृषि संबंधी स्थायी समिति द्वारा चौथी रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश संख्या	सिफारिश का सार	कार्यान्वयन की स्थिति
1	2	3
1.	समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस मंत्रालय हेतु निधियों की कटौती को चालू वर्ष की संशोधित अनुमान की अवस्था में टाला जाए और दसवीं योजनावधि के शेष दो वर्षों के बजट अनुमान में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने में सक्षम हो।	समिति की सिफारिश वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के ध्यान में लाई गई है। हालांकि 2004-05 के लिए 110 करोड़ रु. के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 85 करोड़ रुपये किया गया था, पर बजट अनुमान 2005-06 में 180 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
2.	समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अन्य पहाड़ी राज्यों की बागवानी उपाज की जबरदस्त और अनूठी संभावना के उपयोग हेतु शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित योजना शुरू करना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पुनर्नवीकरण किया जा सके।	पूर्वोत्तर राज्यों को दुर्गम क्षेत्र समझा जा रहा है। तद्नुसार, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है, की तुलना में पूर्वोत्तर स्थित परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, वित्तीय सहायता दी जाती है। बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए यूनिटों/सुविधाओं की स्थापना हेतु मिनी-मिशन-4 कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 50% जिसकी

1	2	3
		अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है, दिया जाता है। चूंकि वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है और प्रमोटर का अंशदान अपेक्षित है इसलिए पूर्वोत्तर स्थित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय निधि आबंटित करना संभव नहीं है। तथापि सहायता की दर परियोजना लागत के 33.33% से बढ़कर 50% करने संबंधी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और विचारार्थ योजना आयोग को भेजा गया है। योजना आयोग इससे सहमत नहीं है और मामले को पुन: उठाया जाएगा।
3.	समिति पुरजोर इच्छा व्यक्त करती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ यह मामला पुन: उठाए और वित्तीय संस्थानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को ऋण देने का एक निश्चित प्रतिशत नियत करने के लिए उपाय करे।	समिति की इच्छानुसार, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के तहत, ऋण का एक निश्चित प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए चिह्नित करने संबंधी प्रस्ताव दोबारा से बैंकिंग विभाग के विचारार्थ भेजा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।
4.	मंत्रालय नए उद्यमियों को उदार शर्तों पर संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए "खाद्य विकास निधि" के सृजन के मामले को पुन: योजना आयोग के साथ उठाए ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जा सके।	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु बुनियादी सुविधा विकास संबंधी स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनिटों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन एवं अनुसंधान तथा विकास, बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज, व्यापक संवर्धन आदि जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। बजट अनुमान 2005-06 में इन स्कीमों के तहत व्यय हेतु 180.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। अनुवर्ती वर्षों में इन स्कीमों के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, यथार्थ उद्यमियों के लिए बैंक ऋण कोई समस्या नहीं है। वैसे भी खाद्य विकास निधि का सृजन व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं होगा। यह मंत्रालय इच्छुक व्यक्तियों के उद्यमशील दक्षता को बढ़ाने के विचार से पहले ही उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का कार्य करता है।
5.	समिति चाहती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को शीघ्र ही इस मामले पर कार्यवाही करनी चाहिए और खाद्य प्रसंस्करण कानून पर समेकित प्रारूप संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए।	समेकित खाद्य कानून की जांच और उसे अंतिम रूप देने के लिए गठित ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने अब प्रस्ताव को क्लियर कर दिया है। मंत्रिमंडल ने दिनांक 4.8.2005 को हुई अपनी बैठक में सिद्धान्तत: समेकित खाद्य कानून को अनुमोदित कर दिया। अगली आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
6.	समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि बुनियादी विकास संबंधी स्कीम हेतु आबंटन को वर्ष 2004-05 की संशोधित अनुमान अवस्था और आगामी वर्षों में भी सकारात्मक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के अंतर्गत सभी कार्यकलाप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए पूर्णत: संचालित	बुनियादी विकास संबंधी स्कीम हेतु आबंटन को वर्ष 2004-2005 में बढ़ाकर 49.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। खाद्य पार्कों की प्रगति/कार्यसंचलन की नियमित आधार पर पुनरीक्षा की जा रही है। खाद्य पार्कों के समक्ष आने वाले समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 13 अक्तूबर, 2004 को नई दिल्ली में राज्य नोडल एजेंसियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

1	2	3
	हों। समिति आगे इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय अधिक व्यवहार्य प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए खाद्य पार्कों के बारे में जागरूकता लाने के लिए सहायता पैटर्न के तरीकों को उदार बनाए और स्वीकृत किये गये सभी खाद्य पार्कों को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए एकजुट प्रयास करे।	05 नवम्बर, 2004 को राज्यों के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रियों का भी एक सम्मेलन किया गया। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करके उत्साही प्रयास करें ताकि खाद्य पार्कों में यथाशीघ्र काम शुरू हो सके। समिति की सिफारिश के अनुसार खाद्य पार्क, बूचड़खानों संबंधी स्कीम के तहत सहायता के स्वरूप को उदारीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करके योजना आयोग को भेजा गया है। उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
7.	खाद्य प्रसंस्करण, परिरक्षण और भंडारण के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी संवर्धनात्मक संगठनों अर्थात् कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आदि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एकल प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए।	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आदि का विलय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ करने संबंधी विषय पर सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया है और उसे अभी तक स्वीकार्य नहीं पाया गया। इस संबंध में दोबारा से एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किया गया है।
8.	मंत्रालय को राज्य नोडल एजेंसियों और फल तथा सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय के समन्वय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से परामर्श करके स्कूलों में मध्याह्न भोजन में फल वितरित करने हेतु इनकी आपूर्ति की संभावना की जांच करनी चाहिए।	विद्यालय संबंधी मामले मानव संसाधन विकास मंत्रालय/राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं। तदनुसार, उक्त समिति की सिफारिशें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गई हैं।
9.	समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि कोल्ड चेन संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। मंत्रालय को संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से उन खेतों से, जहां जल्दी खराब होने वाली उपज पैदा होती है, शहरी बाजार क्षेत्रों को जाने वाली सड़कों को सुधारने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए। सरकार दूरस्थ स्थानों से मुख्य बाजारों/उपभोक्ताओं तक शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटिड रेल वैगन्स, कार्गों तथा वैसल्स उपलब्ध कराने पर भी विचार करे ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त ताजे खाद्य पदार्थ मिलें। समिति चाहती है कि मंत्रालय मुख्य फल तथा सब्जी उत्पादक जिलों तथा क्षेत्रों की पहचान करे ताकि इन्हें खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत संरचना सुविधाएं सृजित करने के मुख्य स्थल बनाया जा सके।	शीत श्रृंखला सुविधाओं संबंधी स्कीम अब कार्यान्वित कर दी गई है। खाद्य पार्कों जैसी खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी सुविधाएं सामान्यत: उन प्रदेशों/क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, जहां पर्याप्त कृषि उपज पैदावार क्षेत्र हों। अब तक देश के विभिन्न भागों में 50 खाद्य पार्कों को स्वीकृति दी गई है। जहां तक सड़कों के सुधार, रेफ्रिजरेटिड रेल वैगनों की व्यवस्था करने आदि का संबंध है, यह सिफारिश आवश्यक कार्रवाई हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय के नोटिस में लाई गई है।
10.	वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का महत्व समझाया जाए तथा भविष्य में आबंटन बढ़ाने हेतु आग्रह किया जाए।	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उपलब्ध संसाधनों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है। इस बीच बजट अनुमान 2005-06 में मानव संसाधन

1	2	3
		विकास संबंधी स्कीम हेतु 37 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि दी गई है।
11.	प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कृषि के संवर्धन तथा इसे प्रसंस्करणकर्त्ताओं एवं किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण योग्य किस्मों के बारे में जानकारी का संकलन करके इसका प्रचार करे।	अन्य बातों के साथ-साथ प्रसंस्करण योग्य कृषि उपज उपजाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा बैकवर्ड लिंकेज संबंधी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। यह मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे अनुसंधान संस्थानों और प्रसंस्करण योग्य कृषि उपज पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाने वाले अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को भी वित्तीय सहायता देता है। ये सिफारिशें कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के नोटिस में इस अनुरोध के साथ लाई गई हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बोर्डों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों को नामित किया जाए ताकि परस्पर हितों के बारे में बेहतर समझ उत्पन्न हो सके।
12.	मंत्रालय इस पहलू पर अपना ध्यान दे और जैव खाद्य के प्रसंस्करण और इसके विपणन के विकास का प्रचार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और राज्य सरकारों के विभाग के साथ समन्वय करे।	उक्त सिफारिश को, कृषि मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके समुचित कार्रवाई करने हेतु नोट किया गया है।
13.	मंत्रालय इस स्कीम को सभी फ्लोर मिलों में लागू करे और कुपोषण पर नियंत्रण करने के लिए पौष्टिकरण संबंधी मौजूदा योजना की व्यवहार्यता की गंभीरतापूर्वक जांच करे और तदनुसार उपाय करे।	खाद्य पुष्टिकरण, पोषण आदि से संबंधित मामला महिला तथा बाल विकास द्वारा देखा जा रहा है। उक्त स्कीम के प्रावधानों पर विचार-विमर्श 13 अक्तूबर, 2004 को आयोजित राज्य नोडल एजेंसियों के सम्मेलन में किया गया है। राज्य नोडल एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस स्कीम को उद्यमियों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
14.	मंत्रालय स्थानीय समाचार पत्र सहित प्रिंट और इलैक्ट्रानिक माध्यम से कारगर प्रचार करे और इसकी योजनाओं से होने वाले लाभों, लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया, निवेश की शर्तें, अच्छा-खासा लाभ अर्जित करने के अवसर, आदि की भी इसमें जानकारी दे ताकि अधिक उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके।	समिति की सिफारिशें नोट कर ली गई हैं और इस मंत्रालय की स्कीमों के लाभों के बारे में प्रचार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।
15.	समिति पुरजोर महसूस करती है कि संगत आंकड़े जुटाकर इनका संकलन खाद्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु एक अत्यावश्यक व अनिवार्य शर्त है और इसलिए समिति उम्मीद करती है कि मंत्रालय इस दिशा में एकजुट प्रयास करेगा।	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्य-योजना/विजन डाक्यूमेंट तैयार किया गया है। मंत्रालय के प्रयोग के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में आंकड़े जुटाने और इनका संकलन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई चल रही है।
16.	समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य नोडल एजेंसियों और	राज्य नोडल एजेंसियों को पहले से अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और विचार के लिए वित्त

1	2	3
	धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए और आगामी वर्षों में आबंटन राशि बढ़ाई जानी चाहिए।	मंत्रालय भेजा गया है। उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा है। जहां तक धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र का संबंध है, इस केंद्र के कार्य क्षेत्र में मोटे अनाज, तिलहन और दालों को शामिल करने के लिए इसका उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। संस्थान को इस मंत्रालय के बजट से आवश्यक धनराशि प्रदान की जाती है।
17.	समिति सिफारिश करती है कि गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान विकास की योजना को अधिक आबंटन मिलना चाहिए तथा मंत्रालय को खाद्य प्रसंस्करण के सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए आकर्षक योजनाएं बनाकर, इन आबंटनों के संपूर्ण उपयोग का उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए। परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को आकर्षक प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधान योजना में ही किया जाना चाहिए।	गुणवत्ता आश्वासन एवं अनुसंधान और विकास संबंधी स्कीम के लिए बजट आबंटन को संशोधित अनुमान वर्ष 2004-05 में 3.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर बजट अनुमान वर्ष 2005-06 में 10.00 करोड़ रु. किया गया है। स्कीम के अंतर्गत सहायता के प्रावधान/स्वरूप को उदारीकृत करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
18.	समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास/स्थापना संबंधी स्कीम को उचित महत्व दिया जाए और तदनुसार इसके लिए अधिक आबंटन किये जाएं।	सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के लिए बजट अनुमान 2004-05 में 35.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर बजट अनुमान 2005-06 में 49.00 करोड़ रु. कर दिया है। दसवीं योजना में निधि का आबंटन 98 करोड़ रु. से बढ़ाकर 295 करोड़ रु. करने के लिए अनुमोदन मांगा जा रहा है।
19.	समिति राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करती है और यह अपेक्षा करती है कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन को शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि खाद्य विकास, खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संबंधी शीर्ष निकाय, शीघ्रातिशीघ्र स्थापित हों।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है। योजना आयोग ने सिद्धांतत: इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
20.	खाद्य प्रसंसस्करण उद्योग मंत्रालय भारत में वर्तमान विशाल समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी ससांधनों का उपयोग करने हेतु जापान, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाए। शीत जल मत्स्यन और स्थायी रूप से अवरुद्ध जल वाले क्षेत्र में मत्स्यन पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।	स्थाई समिति की उक्त सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से मछली सुखाने में मशीनी ड्रायर को लोकप्रिय बनाने और साथ ही मछली सुखाने हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु, उपलब्ध अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उपयोग करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मात्स्यिकी सहकारिताओं को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता भी मांगी गई है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर और केंद्रीय मछली प्रौद्योगिकी संस्थान से भी लागत प्रभावी मशीनी ड्रायर हेतु प्रौद्योगिकी पर किए जा रहे अनुसंधान को गहन करने के उपाय प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3
21.	यह अनिवार्य है कि मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति हेतु एक क्रियाविधि बनाए। प्रत्यक्ष असफलता के मामले में, मंत्रालय दूसरी किस्त को रोकने पर विचार कर सकता है और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी कर सकता है जिससे उनसे दंडात्मक ब्याज के साथ धन की वापसी कराई जा सके। समिति चाहती है कि उसे राज्यवार स्वीकृत अनुदानों तथा प्राप्त एवं प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण भी उपलब्ध कराया जाए।	प्रथम और द्वितीय किस्तों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। यदि प्रथम किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी किस्त रोक दी जाती है। उपयोग प्रमाण-पत्रों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकारों से प्राप्त होने पर यह समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
22.	समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय योजना को उत्साहवर्धक और लोकप्रिय बनाने हेतु इसकी पुनः जांच करे ताकि देश में उच्च मानकपरक गुणवत्तायुक्त और स्वास्थ्यवर्धक दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उद्देश्य को हासिल करने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय के पास ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक प्रस्ताव आएं।	डेरी यूनिटों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनिटों को अनुदान देने संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने संबंधी क्रिया-विधि को सरल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप डेरी यूनिटों को सहायता देने संबंधी कई आवेदन अनुमोदित किए गए हैं।
23.	मंत्रालय भारतीय शाकाहारी पदार्थों को पेटेंट कराने हेतु संबंधित मंत्रालयों के सहयोग के सभी आवश्यक कदम उठाए।	सिफारिश वाणिज्य विभाग एवं औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग को मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेज दी गई है।
24.	समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करने हेतु एक नोडल मंत्रालय की हैसियत से राज्य सरकारों को अलग मंत्रालय/विभाग जहां वे नहीं है, बनाने हेतु राजी करे जो विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित कार्य करे ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का तेजी से विकास हो।	समिति की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन संबंधी कार्य करने के लिए अलग से मंत्रालय/विभाग बनाएं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की सरकारें अलग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय/विभाग की स्थापना कर चुकी हैं। अन्य राज्यों से उक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

अपराह्न 12.14 बजे

(छह) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं:

*मैं, लोक सभा बुलेटिन-भाग II दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73ए के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की दूसरी रिपोर्ट लोक सभा में 19 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2824/2005

समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/अवलोकनों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 17 सिफारिशें की गई, जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी आवश्यक है। ये सिफारिशें मुख्यतया बजटीय संसाधनों को बढ़ाने, विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों, विशेषकर लघु पनबिजली, पवन विद्युत, बायोमास विद्युत और दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है जो कि सदन के पटल पर रखा गया है। मैं इस अनुबंध में दी गई सामग्री को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इन्हें पठित मान लिया जाए।

अनुबंध

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2004-05) की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सिफारिश	पैरा सं.	कार्यान्वयन की स्थिति
1	2	3	4
1.	व्यय में भिन्नताओं का मुख्य कारण मंत्रालय के बजटीय तंत्र में अंतर्निहित कमी का होना है जिसकी ओर तत्काल ध्यान देने और वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ गहन विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है ताकि वित्त वर्ष की चारों तिमाहियों में एक समान ढंग से आबंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।	2.9	मंत्रालय की योजनाओं में राज्य सरकारों सहित कई एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसलिए कार्यान्वयन उद्देश्यों हेतु यह पूर्णत: उन्हीं पर निर्भर है और परिणामत: निधियों के उपयोग की मात्रा और पद्धति कभी-कभी कार्य क्षेत्र स्तर की अड़चनों से प्रभावित होती है जिसके ऊपर मंत्रालय का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। उपरोक्त के बावजूद, निधियों के उपयोग की मात्रा तथा पद्धति के संतोषजनक होने को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।
2.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय/भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को अपनी पद्धतियों आदि की समीक्षा करने और दस्तावेजों की आवश्यकता को सरल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि आईईबीआर निधियों के उपयोग संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।	2.10	सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और वास्तविक आईईबीआर के बीच कुछ भिन्नताएं होंगी क्योंकि इरेडा की संसाधनों की आवश्यकता वास्तविक संवितरण पर निर्भर करती है जो कई बाहरी कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि परियोजना कार्यान्वयन में उधारकर्ताओं द्वारा देरी, अदायगी आदि में विलंब, जिन पर इरेडा को कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। फिर भी भिन्नताओं को न्यूनतम सीमा तक लाने के लिए हर प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इरेडा ने अपनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और दस्तावेज जरूरतों को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं।
3.	मंत्रालय को अनुसंधान एवं विकास में अधिक परिव्यय के लिए बजटीय सहायता मांगनी चाहिए और इस राशि के उपयोग के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।	2.11	वर्ष 2005-06 के दौरान अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी संस्थाओं के लिए बजट अनुमान वर्ष 2004-05 में 24.25 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में

1	2	3	4
	समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।		54.10 करोड़ रु. कर दिया गया जो सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के लगभग 9 प्रतिशत के तदनुरूप है। नए तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश को विदेशी मुद्रा का शुद्ध अर्जक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने और एक वैज्ञानिक विभाग होने के नाते मंत्रालय के चार्टर को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि में इस भाग को जीबीएस के लगभग एक तिहाई तक बढ़ाने का उद्देश्य है।
4.	समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मुद्दे पर एक विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और महानगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा हेतु व्यवहार्य योजना तैयार करनी चाहिए।	2.12	नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए एक योजना तैयार की गई है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के हाल ही के एक अंतरिम आदेश के कारण इसका प्रचालन रोक दिया गया है। न्यायालय के अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा है।
5.	एसएचपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और एसएचपी परियोजनाओं के निष्पादन में उनके सामने आने वाली कठिनाईयों का समाधान। समिति सिफारिश करती है कि उद्यमियों की सहायता से इन्हें पहचाना जाना चाहिए और सुधारात्मक उपाय किए जाए।	2.33	10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान लघु पन बिजली से 2000 मेगावाट के तदनुरूप अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता के लगभग 2 प्रतिशत की संस्थापना किए जाने का लक्ष्य है। 10वीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-05) के दौरान आरंभ की गई अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता का लगभग 2 प्रतिशत अर्थात् 267 मेगावाट लघु पन बिजली से प्राप्त हुआ है। लघु पनबिजली से 2 प्रतिशत के लक्ष्य को बनाए रखा जा रहा है। मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना, जिसमें एसएचपी परियोजनाओं को सहायता दी जाती है, की समीक्षा की गई है ताकि इसे निजी निवेश के लिए अधिक प्रभावी बनाया जा सके जिसमें निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के स्तर को उसी स्तर पर रखा गया है। लघु पनबिजली विकासकर्त्ताओं की संप्रेषण लागतों में कमी लाने के लिए एक विस्तृत संसाधन मूल्यांकन किए जाने का प्रस्ताव है।
6.	समिति महसूस करती है कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि नए स्थलों की पहचान हेतु परियोजनाओं के लिए लघु पनबिजली कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि पर्याप्त है अथवा किसी बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है।	2.34	नए स्थलों की पहचान करने की स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता ने काफी हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है क्योंकि लघु पनबिजली विकास देश में इस क्षेत्र द्वारा योगदान की जा रही अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता का 2 प्रतिशत के व्यापक उद्देश्य को पूरा कर रही है।
7.	नहर आधारित लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए निवेशकों द्वारा आकर्षित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।	2.35	जैसा कि सिफारिश क्रम सं. 5 के संदर्भ में कहा गया है, निजी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता को सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर कर दिया गया है जो नहर

1	2	3	4
			आधारित और बांध तलहटी परियोजनाओं सहित लघु पनबिजली क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में और सहायता करेगा।
8.	लघु पनबिजली परियोजनाओं, जिनका नवीकरण और आधुनिकीकरण किफायती ढंग से किया जा सकता है, को समयबद्ध तरीके से नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	2.26	वर्तमान स्कीम 7 वर्ष पुरानी राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र की लघु पनबिजली परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देती है जो स्कीम की शर्तों को पूरा करने और उनकी सकारात्मक लाभ-लागत अनुपात के अध्यधीन है।
9.	पवन विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में भिन्नता स्पष्ट रूप से मंत्रालय के बजटीय अनुमानों के दोष को दर्शाती है जिसे समिति के विचार से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय को ऐसे कार्य-कलापों की गहन निगरानी भी रखनी चाहिए।	2.46	पवन विद्युत परियोजनाओं को कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। तथापि, संसाधन मूल्यांकन आदि जैसे कार्यकलापों के लिए केवल सवंर्धनात्मक और संस्थागत सहायता हेतु निधियां मांगी जाती हैं। इसलिए, हो सकता है कि इस क्षेत्र के लिए बजट आबंटन और लक्ष्यों में पूरी-पूरी समानता न हो। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2005-06 के दौरान पवन विद्युत क्षेत्र में संभावित निवेश लगभग 5500 करोड़ रु. अनुमानित है जिसकी तुलना में वर्ष के लिए इस क्षेत्र पर केवल 13.69 करोड़ रु. वास्तविक व्यय है।
10.	समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को पवन विद्युत संभाव्यता वाले राज्यों में निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए ताकि लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।	2.47	बिजली अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, विनियामकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए कोटे का निर्धारण करें तथा इसके लिए अधिमान्य शुल्क दर तय करें। चूंकि राज्य बिजली विनियामक आयोग (एसईआरसी) अर्द्धन्यायिक निकाय हैं, अत: मंत्रालय की भूमिका बिजली और शुल्क दर नीतियों के लिए इनपुट प्रदान करने तक सीमित है। तथापि, संसाधन मूल्यांकन डाटा बेस में सुधार करने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई गई पद्धति के समान, 7 प्वाइंट स्केल पर संभाव्यता वाले स्थानों की गुणवत्ता को श्रेणीकृत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
11.	समिति की इच्छा है कि पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपलब्ध निधियों का ईष्टतम उपयोग हो सके।	2.48	मंत्रालय का लक्ष्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तरों, विशिष्ट विवरणों और कार्यनिष्पादन पैरामीटरों के स्वदेशी मेगावाट पैमाने के पवन बिजली जनरेटरों की डिजाइन, विकास और वाणिज्यिकरण में सहायता प्रदान करे जो लागत में अपेक्षाकृत कम हों। पवन विद्युत उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घट रही है और स्वदेशी पवन विद्युत उत्पादन लागत को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के समान करने के प्रयास

1	2	3	4
			जारी हैं। इसके लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, जैसा कि सिफारिश क्रम सं. 10 के उत्तर में कहा गया है, बेहतर संसाधन वर्गीकरण और अपेक्षाकृत अधिक उन्नत संसाधन डाटा बेस तैयार किए जा रहे हैं।
12.	समिति सिफारिश करती है कि सरकार को दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए तथा तदनुसार सूचित करना चाहिए।	2.60	यह सिफारिश उचित आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर ली गई है।
13.	समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए और दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वृहत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।	2.61	यह सिफारिश उचित आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर ली गई है।
14.	समिति की सिफारिश है कि मंत्रालय को दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए परिव्यय में वृद्धि करने हेतु योजना आयोग/वित्त मंत्रालय के साथ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि 10वीं योजना के दौरान ही इस कार्यक्रम का कवरेज 5000 गांवों से 10000 गांवों या इससे अधिक तक बढ़ाया जा सके।	2.62	5000 गांवों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु 10वीं योजना का परिव्यय 735 करोड़ रु. है। तथापि, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 (एनईपी) के लक्ष्यों की स्कीम के बराबर ही इसमें अब एक अच्छे कदम के रूप में उचित दरों पर विशिष्ट स्तरों की भरोसेमंद और गुणवत्ता वाली बिजली के 1 किवा. घंटा/घर/दिन की न्यूनतम ''जीवन स्तर'' की आपूर्ति उपलब्ध कराकर वितरित उत्पादन के माध्यम से दूरस्थ जनगणना गांवों के विद्युतीकरण पर विचार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप दसवीं योजना अवधि के दौरान 910 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता होगी। 5000 दूरस्थ जनगणना गांवों में बिजली प्रदान करने के लिए 175 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि आवश्यकता मंत्रालय के मौजूदा दसवीं योजना परिव्यय से पूरी की जाएगी। योजना आयोग से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। तथापि, 11वीं योजना के दौरान, शेष 20,000 दूरस्थ जनगणना गांवों को कवर करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्तर पर 27 लाख रु. प्रति गांव की औसत दर पर लगभग 5400 करोड़ रु. के प्रावधान की मांग की जाएगी।
15.	समिति महसूस करती है कि सरकार को आईआरईपी और आरवीईपी कार्यक्रमों की समीक्षा करनी चाहिए और	2.63	जबकि दूरस्थ ग्राम कार्यक्रम में केवल लगभग 25000 दूरस्थ जनगणना गांवों को कवर करने की आशा है,

1	2	3	4
	यह देखना चाहिए कि क्या ये एकीकृत कार्यक्रम के अनुसार चलाए जा सकते हैं ताकि प्रयासों की आवृत्ति न हो तथा यदि इन्हें अलग-अलग रखा जाए तो ये एक-दूसरे के पूरक हों।		आईआरईपी या संबंधित कार्यक्रम से रोशनी, कुकिंग और मोटिव पावर की गैर-बिजली अक्षय ऊर्जा सेवाओं की व्यवस्था के लिए देश में शेष 5.55 लाख विद्युतीकृत या विद्युतीकृत किए जाने वाले जनगणना गांवों को कवर किया जा सकता है। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के समान है, में केन्द्रीकृत कार्यान्वयन और प्रभावी मानीटरिंग के लिए इसकी विशिष्ट प्रकृति को आदर्श रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।
16.	समिति यह जोर देकर कहना चाहती है कि सरकार को बायोमास में निरंतर अनुसंधान एवं विकास करना चाहिए और आगामी वर्षों में इन प्रणालियों की संस्थापना का बहुगुणित विस्तार एक वास्तविकता बन सकता है। इस संबंध में किए गए प्रयासों से समिति को अवगत कराया जाए।	2.71	मंत्रालय में एक अलग जैव ऊर्जा विकास समूह का सृजन किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य और प्रयोजन सभी जैव ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसके साथ-साथ जालंधर, पंजाब में इस मंत्रालय की एक संस्था, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान (एनआईआरई) भी केवल जैव ऊर्जा और सिंथेटिक ईंधनों पर ध्यान केन्द्रित करेगी।
17.	समिति दृढ़तापूर्वक यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को खोई सहउत्पादन के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहायता सहित एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए तथा समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी। इसी प्रकार, समिति यह अनुभव करती है कि मंत्रालय को एक नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें गन्ना उत्पादक राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि में ऐसी परियोजनाओं के लिए एक ही स्थान पर स्वीकृति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाए। सरकार को ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने पर भी विचार करना चाहिए।	2.72	पूर्व कारणों से अनेक चीनी मिलें विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें लिक्विडिटी समस्याओं का सामना करने के अतिरिक्त वित्तीय रूप से ठोस नहीं है। वे 2500 टन/दिन के न्यूनतम "आर्थिक आकार" तक विस्तार करने की स्थिति में नहीं रही हैं। इसके फलस्वरूप, सह-उत्पादन की संभाव्यता वाली अनेक चीनी मिलें सहउत्पादन सुविधाएं लगाने के लिए बैंक से ऋण लेने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, अपेक्षाकृत लम्बे पेराई मौसम वाली चीनी मिलों, विशेष रूप से जो चीनी मिलें तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, सहउत्पादन अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य हैं। इस प्रकार, अनेक चीनी मिलों, जिनमें ये सीमाएं नहीं है, में पहले से ही सहउत्पादन हो रहा है और ये ऐसा करने में रुचि दिखा रही हैं। मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर सहउत्पादन में सहायता प्रदान करता है। चूंकि उपर्युक्त सीमाओं के कारण, सहउत्पादन के लिए भरोसेमंद प्रस्ताव तैयार करने का मामला जटिल विषय है, अतः संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं जिनमें संयुक्त उद्यम भागीदार को सहउत्पादन सुविधाओं की स्थापना करने के लिए अतिरिक्त निधियों की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी तथा वे अतिरिक्त बिजली के विक्रय की आय में चीनी मिल के स्वामी के साथ भागीदार होंगे।

अपराह्न 12.14½ बजे

(सात) रेल संबंधी स्थायी समिति के दूसरे, पांचवें, छठे तथा सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं:

*मैं माननीय, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क समाचार भाग II, देखिए 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा के अनुसरण में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2004-05) के दूसरे, पांचवें, छठे और सातवें प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभापटल पर रख रहा हूं।

02.12.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत "निर्माणाधीन एवं लंबित परियोजनाओं" संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में 4 सिफारिशें अन्तर्विष्ट थी जिनपर रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था और इन पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (अंग्रेजी संस्करण) 05.05.2005 को और 25.5.2005 को (हिन्दी संस्करण) समिति को प्रस्तुत किया गया।

22.12.2004 को "भारतीय रेल में संरक्षा और सुरक्षा" संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया गया जिसमें 26 सिफारिशें थी तथा सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाली टिप्पणी 27.3.2005 को अंग्रेजी संस्करण तथा 07.06.2005 को हिन्दी संस्करण प्रस्तुत किया गया है।

"उत्तर पूर्व क्षेत्र में रेल नेटवर्क-विस्तार और निवेश" संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन 02.03.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया इसमें 12 सिफारिशें अन्तर्विष्ट थी और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाली की गई कार्रवाई टिप्पणी 03.06.2005 को अंग्रेजी संस्करण तथा 28.06.2005 को हिन्दी संस्करण समिति को प्रस्तुत किया गया है।

02.03.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत "रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-05) संबंधी पहले प्रतिवेदन पर समिति के की गई कार्यवाही टिप्पण संबंधी 7वें प्रतिवेदन में 4 सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं और उन पर की गई कार्रवाई टिप्पण का अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण क्रमश: 27.05.2005 और 06.06.2005 को समिति को प्रस्तुत किए गए हैं।

इन प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों को दर्शाने वाला वक्तव्य तथा तत्संबंधी कार्यान्वयन स्थिति संलग्न हैं। चूंकि वक्तव्य वृहत स्वरूप में हैं। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.15 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सत्र के शेष भाग के दौरान किए जाने वाले सरकारी कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

1. आज का कार्य-सूची पत्र से लिये गये सरकारी कार्य का किसी मद पर विचार किया जाना।
2. वर्ष 2005-06 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामले के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार किया जाना और स्वीकार किया जाना।
3. रेल (संशोधन) विधेयक, 2005, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाना और पारित किया जाना।
4. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना और पारित किया जाना:
   (क) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005
   (ख) विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विधि (निरसन) विधेयक, 2005
   (ग) आप्रवास (वाहक दायित्व) संशोधन विधेयक, 2005
   (घ) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005
   (ङ) भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) एन.आई.टी. विभाग, दुर्गापुर के एम.बी.ए. के छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्या और उनका भविष्य खतरे में डाला जा रहा है;

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एलटी 2825/2005

[श्री सुनील खां]

(2) निर्माण किए जाने के तीन वर्ष के भीतर पानागढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग दो में आर.ओ.बी. के क्षतिग्रस्त होने के कारण और चार लेन किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग दो का निर्माण कार्य नहीं किए जाने के कारण मोरेग्राम जंक्शन से पानागढ़ मार्ग पूर्णत: जाम पड़ा हुआ है जो पूर्वी भारत की जीवन-धारा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव-उपस्थित नहीं।

श्री रामदास आठवले-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों की भर्ती में उत्तरांचल के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्र के युवकों को जम्मू-कश्मीर की भांति भर्ती में विशेष कोटा निर्धारित कर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने की आवश्यकता।

(2) देश के पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तरांचल के राजकीय हाई-स्कूलों व इण्टरमीडिएट कालेजों में छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रवक्ताओं के, अध्यापकों के सैकड़ों रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां किए जाने की आवश्यकता।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): आगामी सप्ताह में कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

1. महिला आरक्षण में पिछड़ा वर्ग महिला, अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम महिलाओं और अनुसूचित जाति की महिलाओं का जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो, महिला उम्मीदवार की सीट का अधिकार सरकार या आयोग न करके बल्कि राजनैतिक दलों पर छोड़ा जाए।

2. 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की जगह 10 प्रतिशत सीट आरक्षित हो तथा अनुसूचित जाति महिला आरक्षण अलग से आरक्षित किया जाए। पूर्व में आरक्षित सीट यथावत रहे।

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को शामिल किया जाए: बिहार राज्य के गया शहर में होने वाले पितृ पक्ष मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करवाने की आवश्यकता।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. भारत के निराश्रितों, अपंगों, मूक-बधिर बीमारी से पीड़ित लोगों को, जिनका गरीबी रेखा में नाम दर्ज है, उन्हें सहायता शासन की ओर से बहुत ही कम मिल पा रही है। ये लोग गुजर-बसर करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इनके विकास, निवास तथा बीमारी के इलाज हेतु केंद्र सरकार गारंटी कार्य योजना घोषित कर प्रत्येक राज्य में एक वर्ष में एक लाख लोगों के विकास की अन्य सुविधा गारंटी जैसे नि:शुल्क शिक्षा, इलाज एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कई वर्षों से चल रहा है। नए राज्य के विश्वविद्यालय जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अत: केंद्र सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए विश्वविद्यालय बनाने का प्रावधान है। 90 विधान सभा सीटों में 34 सीट आदिवासी, दस सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अत: अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार हेतु सम्मिलित किया जाए:

1. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27, जो कि बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जो सुहागी के आगे और उत्तर प्रदेश के आरंभ होने के पहले चारघाट तक बहुत ही खराब स्थिति में है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग है और प्रतिदिन यहां से हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। इस राजमार्ग के दोनों और बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों, स्कूल, विद्यालय एवं स्नातक स्तर के विद्यालय हैं, जिस कारण यह मार्ग हमेशा व्यस्त रहता है। इस राजमार्ग के अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। अत: उक्त राजमार्ग 27 के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित करने पर विचार किए जाने की आवश्यकता।

2. सीआईएल द्वारा खनन तथा विपणन के लिए कोयला खानें शुरू करने के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहित की जाती है। भूमि अधिग्रहित विस्थापितों के पुनर्वास,

नौकरी तथा मौद्रिक मुआवजे से जुड़े हजारों मामले लंबित रहने से उपजा जनाक्रोश, ई-आक्शन प्रणाली अपनाने से लघु उद्योगों को कोयला आपूर्ति में बाधा तथा उद्योग एवं कोर-सैक्टर को दिये जाने वाले कैप्टीव ब्लाकों के आवंटन में हुई भारी अनियमितताओं के संदर्भ में सीआईएल के कार्यकरण पर विचार किए जाने की आवश्यकता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. जयपुर स्थित दूरदर्शन केन्द्र से जो एफ.एम. चैनल प्रारम्भ किया गया है, उसका समय दिल्ली की भांति 24 घंटे किया जाए और उस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और भक्ति-संगीत के कार्यक्रम अधिक सुनाए जाएं।

2. गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत राजस्थान को अधिक आर्थिक सहायता व आर्थिक पैकेज दिया जाए क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या क्षेत्रफल भौगोलिक परिस्थिति और भारत की नदियों का 1 प्रतिशत पानी प्राप्त होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चंद्रमणि त्रिपाठी-उपस्थित नहीं।

अब डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डये बोलेंगे।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न सार्वजनिक महत्व के विषय को सम्मिलित करें:-

"रेलवे द्वारा सामान्य जनता की सुविधा की दृष्टि से वर्तमान में उदयपुर-चित्तौड़ रेल खंड का आमान परिवर्तन पूरा किया गया है, किन्तु जब तक नीमच-रतलाम खण्ड का आमान परिवर्तन पूरा नहीं होता, हजारों यात्रियों को प्रतिदिन अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अत: इस खण्ड को जो प्राथमिकता सूची में है, शीघ्र ही पूरा किया जाए, क्योंकि यह सार्वजनिक हित का विषय है।"

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उसमें उल्लेख किया गया है कि एपीएम के बारे में जो जवाब दिया गया था, वह सही नहीं था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक महत्वपूर्ण मामले पर विचार-विमर्श करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि अभी कालिंग अटेंशन का विषय लिया जा रहा है। इसलिए आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, मैंने आयोडीन रहित नमक के इस्तेमाल, जिससे मत्स्य उद्योग प्रभावित हो रहा है, पर बोलने की सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम यहां नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: यह एक अत्यंत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: यह गंभीर मामला हो सकता है, लेकिन आपका नाम बैलट में सफलतापूर्वक आना चाहिए। आप अगली बार कोशिश कीजिए। मैं किसी अन्य तरीके से आपकी क्षतिपूर्ति कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.23 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) उत्तरांचल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निधियों के असंतोषजनक उपयोग से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]

लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"उत्तरांचल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निधियों के असंतोषजनक उपयोग से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है, जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-2 की क्रम संख्या 13 पर निर्दिष्ट है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं बाकी का वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

*2. केन्द्र सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उत्तरांचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन की गति संतोषजनक नहीं है। चरण-I (2000-01) के 69 सड़क कार्यों में 67 कार्य पूरे हो गए हैं। चरण-II (2001-03) के 92 सड़क कार्यों में से 53 कार्य पूरे हो गए हैं। चरण-III के 52 सड़क कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 7.6.2003 को स्वीकृत किए थे। चरण-III का कोई भी सड़क कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार पर पहले से अनुमोदित सड़क कार्यों को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर बल दे रहा है।

3. मंत्रालय ने राज्य सरकार से 20 मई, 2003 को 60 करोड़ रुपए की राशि के चरण-IV (2004-05) के लिए अपने प्रस्ताव 30 अक्टूबर तक भेजने का अनुरोध किया था। 1 फरवरी, 2005 को राज्य सरकार को चरण-IV के प्रस्तावों के आकार के बारे में भी जानकारी दे दी गई थी। 29 अप्रैल, 2005 को उत्तरांचल के मुख्यमंत्री को भी, चरण-III के सभी कार्य देने के पश्चात् चरण-IV और चरण-V (2005-06) दोनों के लिए 215 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। अब तक राज्य सरकार से चरण-IV और चरण-V के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए राज्यों को निधियों की रिलीज कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिशासित की जाती है, जिनमें पिछले चरणों में वास्तविक और वित्तीय प्रगति के कतिपय स्तरों को हासिल करना शामिल है। चरण-I के कार्यों के लिए 60.63 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि एक किस्त में मार्च, 2001 में रिलीज की गई थी। चरण-II के कार्यों के लिए 140.41 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि दो किस्तों में 2001-02 में 70 करोड़ रुपए और 2003-04 में 70.41 करोड़ रुपए-रिलीज की गई थी। राज्य सरकार ने चरण-I में 56.13 करोड़ रुपए और चरण-II में 65.89 करोड़ रुपए का व्यय होने की जानकारी दी है। चरण-III के संबंध में कोई व्यय न होने की जानकारी दी गई है। इस तरह से राज्य सरकार के पास खर्च न हुई शेष राशि 79.02 करोड़ रुपए है। चरण-III के लिए निधियां अभी तक रिलीज नहीं की गई हैं।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को समय-समय पर कार्य में तेजी लाने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने बताया है कि कार्य में धीमी प्रगति, वन भूमि को स्थानांतरित करने की लंबी और बहु-स्तरीय प्रक्रिया, कार्य करने के सीमित मौसम, खराब मौसम, पर्याप्त क्षमता वाले ठेकेदारों का न मिलना, वर्षा के मौसम में अत्यधिक वर्षा और भू-स्खलन, जिनके कारण सड़कों को क्षति पहुंचती है, बनाई जाने वाली सड़कों की अधिक लंबाई, जिसके लिए केवल सिंगल वर्किंग फेस वाली मशीनें ही उपलब्ध हैं, मशीनों को आगे बढ़ाने में बाधक चट्टानी पर्वतीय भाग और संयोजन पुलों के निर्माण में देरी, के कारण हैं। राज्य सरकार पर मंत्रालय जिन बातों पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है, वे निम्नलिखित हैं:-

(क) 8-9 मई, 2003 को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में राज्य को यह बताया गया था कि 2001-02 में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की गति बहुत धीमी है और यह है कि वन भूमि की मंजूरी के अभाव में 10 जिलों में कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। राज्य को यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या इस चरण के कार्यों को और ऐसे कार्यों को, जो वन भूमि की स्वीकृति न मिलने जैसे मुद्दों के कारण शुरू नहीं किए जा सकते, अनुवर्ती चरणों में शुरू किया जा सकता है। उन्हें समयबद्ध तरीके से इस चरण के कार्यों को पूरा करने की सलाह भी दी गई थी। राज्य से विशेष रूप से यह अनुरोध किया गया था कि वन भूमि की

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2826/2005

स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और यह कि राज्य कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य में बनाई जाने वाली सड़कों में वन भूमि के शामिल होने वाले मामलों में स्वीकृति की आवश्यकता का पता लगाएं।

(ख) 10-12 नवम्बर, 2003 को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में राज्यों को यह बताया गया था कि कार्यों की प्रगति चिंता का विषय है तथा राज्य इस मुद्दे का समाधान करें। इस मुद्दे को एक बार फिर 26-27 अक्तूबर, 2004 को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में राज्यों के साथ उठाया गया था।

(ग) कार्य की धीमी प्रगति के कारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने अप्रैल, 2005 के दौरान उत्तरांचल का दौरा किया तथा राज्य में पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्री ने 29 अप्रैल, 2005 को राज्य के मुख्यमंत्रियों को कार्यों की धीमी प्रगति से अवगत कराया और कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए शुरू किए जाने उपचारी उपाय सुझाए। मंत्रालय ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। मुख्य मंत्री से स्थिति की समीक्षा करने तथा उपचारी उपाय करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया गया।

(ङ) मंत्रालय ने पाया कि राज्य में कार्यान्वयन की प्रगति को सुधारने के लिए राज्य में संस्थागत, तकनीकी, प्रबंधकीय तथा संविदात्मक क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यह सलाह (13 जून, 2005 को) दी गई है कि वे कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों की सहायता करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार (पी.आई.सी.) नियुक्त कर सकते हैं। परियोजना कार्यान्वयन सलाहकारों को पी.एम.जी.एस.वाई. में से धनराशि दी जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार, परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने, कार्य प्रापण, निर्माण पर्यवेक्षण, परियोजना निष्पादन निगरानी, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों तथा ठेकेदार के लोगों को प्रशिक्षण देने, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय करने में- परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों की मदद कर सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से इस प्रकार के जवाब से मुझे बहुत निराशा हुई है। आपके सामने समस्या रखी गई थी और आपने पूरे दो-ढाई पेज के स्टेटमेंट में बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन उनसे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने उसकी कोई चिंता नहीं की है। आपने जो आंकड़े दिए हैं, उससे क्या नतीजा निकलना चाहिए और क्या विश्लेषण करके उस पर कुछ करना चाहिए था, यह स्पष्ट नहीं है। मंत्री जी द्वारा अपने स्टेटमेंट में दिए गए आंकड़े और सदन में पूछे गए इस संबंध में प्रश्नों के उत्तर में जो आंकड़े दिए गए थे, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। मुझे आशा थी कि उन आंकड़ों के आधार पर आप तथ्यों की जानकारी लेकर कोई निष्कर्ष निकालेंगे। आपने वजह दी है कि क्यों पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है और क्यों सड़कें नहीं बन रही हैं। प्रदेश सरकार ने जो आपको उसकी वजह और आंकड़े दिए हैं, उन्हें आपने स्वीकार कर लिया है। क्या आपने देखा है कि पहले वाली स्थिति अब भी वहां है, जब तेज गति से काम तब हुआ था? आपने जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार वर्ष 2000 में यह योजना शुरू हुई। 2001 के शुरू में काम प्रारम्भ हुआ। पहले एक साल के अंदर, जनवरी 2001 से जनवरी 2002 तक 60.63 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें से 54.11 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ। सरकार ने 69 सड़कों का काम स्वीकृत किया और उसमें से 65 का काम पूरा हुआ। एक साल के अंदर 284 किलोमीटर से ज्यादा पूरी हो गयी। पहले साल में जबकि काम मुश्किल होता है क्योंकि नयी योजना होती है, लेकिन वे पूरी हुईं। जब 2001-2002 में दूसरी सरकार वहां आई, जो आज बहानेबाजी कर रही है, वहां कोई काम नहीं हुआ। आपने 70 करोड़ रुपए रुपया स्वीकृत किया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। आपने वर्ष 2002-2003 के मिलाकर आंकड़े दिये हैं। इन दो सालों में 92 काम स्वीकृत हुए हैं और जून 2005 तक 53 सड़कें पूरी हुई हैं। एक साल के अंदर 69 में 65 सड़कें पूरी होती हैं और चार साल में 92 में से 53 सड़कें पूरी होती हैं। इन चार सालों में कितनी सड़कें बनती हैं- 101 किलोमीटर जबकि एक साल में बनती हैं 284 किलोमीटर।

आगे और देखिये। सन् 2003-2004 में न तो आप पैसा देते हैं न सड़कें बनती हैं, न स्वीकृति आती है और कोई काम पूरे साल नहीं होता है, पूरी तरह से शांति रहती है। उसी तरह से सन् 2004-2005 में सब शून्य है, आपने कोई पैसा नहीं दिया है और आंकड़ों में आप कहते हैं कि पैसा उनके पास पड़ा है, इसलिए पैसा भी रिलीज नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि ग्रामीण सड़क बनाना स्टेट का काम है। पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन वे काम नहीं करते हैं और आप अपना हाथ झाड़ जाते हैं। आप यहां से किस प्रकार का कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे आपसे बहुत निराशा हुई है। मैं आपसे अपेक्षा करता था कि इसमें कुछ काम होगा। आपसे दो-तीन बार मैं मिला हूं, चिट्ठियां भी लिखी हैं। आपने जवाब दिया है और समय-समय पर आप भी और पिछली सरकार भी

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]

बराबर कह रही है कि काम नहीं हो रहा है, उनको वार्निंग दे रहे हैं, जब भी काम नहीं होता है तो वजह पूछते हैं। मंत्री जी, वे जो वजह देते हैं वह आपने दी हैं। पैरा 5(क) में आपने दिया है कि 8-9 मई, 2003 को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में राज्य को जांच आदेश दिये गये थे और राज्य ने इसके जवाब में आपको बताया कि राज्य को यह बताया गया था कि काम बिल्कुल खराब चल रहा है, लेकिन

[अनुवाद]

उत्तर में यह कहा गया है:

"राज्य सरकार ने बताया है कि कार्य में धीमी प्रगति, वन भूमि को स्थानांतरित करने की लम्बी और बहुस्तरीय प्रक्रिया, कार्य करने के सीमित और मौसम खराब व मौसम पर्याप्त क्षमता वाले ठेकेदारों का न मिलना, अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन के कारण है....।"

[हिन्दी]

क्या ये चीजें पहले साल में नहीं थीं, क्या ये चीजें वर्ष 2000, 2001 में नहीं थीं? शुरू में तो नयी सरकार थी, नयी योजना थी। अब तो सरकार पिछले साढ़े तीन साल से चल रही है और आप इन बातों को मान लेते हैं कि सब ठीक है। केन्द्र सरकार क्या असहाय है, कुछ कर नहीं सकती है? आप तो सिर्फ वार्निंग दिये जा रहे हैं। क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे काम हो सके? मंत्री जी, यह बात ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी, इन्होंने जो वजह दी हैं वास्तव में वजह वे नहीं हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके मंत्रालय को सही वजह क्यों नहीं मालूम है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब नयी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो झगड़ा हुआ कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इस काम को करेगी या पीडब्ल्यूडी इस काम को करेगी। हमारे समय में पीडब्ल्यूडी ने काम किया था। उसके पास व्यवस्था थी, आदमी थे और पूरा आरगेनाइजेशन था। रूरल डैवलपमेंट के पास कोई व्यवस्था तो है नहीं और उनको काम दे दिया। उनका आपस में झगड़ा हुआ। अब यहां पर मुझे वे कारण बताने की शायद इजाजत नहीं है कि क्योंकि झगड़ा हुआ? रूरल डैवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास कोई आदमी नहीं हैं, व्यवस्था नहीं है। इसलिए उन्होंने मेगा-टैक नाम की कंपनी को काम दे दिया। पांच आदमी इकट्ठा किये और कंपनी को काम दे दिया, 13 जिलों के अंदर 5-6 आदमियों की टीम बना दी। हमारे जिले में एक आदमी भी ढूंढने पर नहीं मिलता है। यहां से शिकायत हुई। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके कार्यालय के पूर्व मंत्री जी ने एक सख्त चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखी थी कि यह जो काम हो रहा है यह ठीक नहीं है। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आपने लिख दिया है कि क्या वार्निंग दी गयी। वजह यह नहीं है कि बारिश हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रही हैं। वे पूरे भारतवर्ष में और उत्तरांचल में हो रही हैं। एक साल में 284 किलोमीटर सड़क बनी है। वजह यह है कि ऐसी संस्था को अपने स्वार्थ के लिए काम दिया गया जिन के पास उसकी कैपेबिल्टी और कैपेसिटी नहीं थी। झगड़ा यही चलता रहा। उन्होंने आधा काम किया। आज वे सड़कें अधूरी हैं। जिस कम्पनी ने उसे शुरू किया, उसने काम पूरा नहीं किया। आज फिर पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया गया है। जो काम उन्होंने किया, वह काम आज भी उपलब्ध नहीं है। वह इंजीनियर भाग गए। हम सड़क की प्रोग्रैस के बारे में पूछते हैं तो पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री जी, यही वजह है जिस की आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए। प्रदेश सरकार को उनसे पूछना चाहिए था कि क्यों ऐसा किया? आपने उनकी बातें मान कर अपना भी समर्थन दे दिया जो ठीक बात नहीं है। अब आपने उनको और छूट दी है। आप कनसल्टैंट्स की टीम बना लीजिए, यह कर लीजिए, वह कर लीजिए। अगर जरूरत है तो केन्द्र से एक टीम बना कर भेजिए। उनके इस अधिकार को वापस लीजिए। अगर वह इतनी अयोग्यता बरत रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए। कहा जाता है कि पैसा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका पैसा पड़ा है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आज के दिन 74 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हैं और दो साल से आपने पैसा रीलिज नहीं किया है। डेढ़ सौ करोड़ रुपए के करीब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा पड़ा है। मेरी संसदीय क्षेत्र में ऐसी जगह हैं जहां आदमी दो दिन पैदल चल कर पहुंचता है। वे सड़कें स्वीकृत नहीं हो रही हैं। मैं यहां आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं कुछ सुधार चाहता हूं। हमें वहां के लिए सड़कें चाहिएं क्योंकि मुश्किल हो रही है। वहां के लोग इसके लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वे चिल्लाते हैं कि सड़क नहीं है लेकिन पैसा फालतू पड़ा है।

अगर आप कोई निर्णय करेंगे और प्रदेश सरकार उसे नहीं मानती है तो क्या ऐसे बात को टालते जाएंगे? मैं आपके पास आया, कितनी दफा मिला, चार सड़कें पूर्व मंत्री ने विशेष परिस्थिति में स्वीकृत करने दी थीं लेकिन प्रदेश सरकार नहीं देख रही है। वह जनसंख्या वगैरह के बहाने बना रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह स्टेट गवर्नमैंट का मसला है। ये केवल पैसा देते हैं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: नहीं महोदय, मुद्दा यह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमान खंडूडी, मैंने आपको इस विषय पर बोलने के लिए 12 मिनट दिए। मैंने आपको बोलने का मौका दिया।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: महोदय, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

वहां के लोग सड़क तक पहुंचने के लिए दो दिन पैदल चलते हैं। मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपने कहा कि जनसंख्या नहीं है इसलिए वे चारो सड़कें स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे विशेष तौर पर जानना चाहूंगा कि क्या पिछले चार साल से कोई भी ऐसी सड़क स्वीकृत नहीं हुई है जो उस मानक से बाहर है? पहाड़ों के लिए जनसंख्या ढाई सौ है। आपने कहा कि एक हजार पूरी होगी तब देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में क्या कोई ऐसी सड़क नहीं है जिन्हें इन मानकों को कम करके स्वीकृति दी गई हो? मैं जानता हूं कि दी गई है। सवाल यह है कि पूर्व मंत्री ने इसे स्वीकृति दी थी और प्रदेश नकार रही है। यह चिन्ता की बात है। आप उनको भी समर्थन दे रहे हैं जो ठीक बात नहीं है।

अंतिम बात यह जानना चाहता हूं कि जनसंख्या का जो विषय है, पिछली दफा इस बात पर चर्चा की गई थी और पहाड़ों के लिए पांच सौ से लेकर ढाई सौ तक की छूट दी गई थी। इसमें एक व्यवस्था यह भी थी कि सड़क का जो एलाइनमैंट है, उसके आधा किलोमीटर एक तरफ और दूसरी तरफ उस जनसंख्या को जोड़ लिया जाए। अब आपके मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? क्या आखिरी गांव की जनसंख्या ही जोड़ी जाएगी? बीच में दो हजार-तीन हजार आदमी रहते हैं, क्या उनका कोई मतलब नहीं है? उनको भी उस सड़क से फायदा हो रहा है इसलिए आधा किलोमीटर आइदर साइड आफ दी एलाइनमैंट, उस जनसंख्या को भी जोड़ने के लिए क्या आप स्वीकृति देंगे? कृपया बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत जी, आप नोट करें कि आपने नोटिस 12.20 बजे दिया है, लेकिन मैं आपको बोलने का अवसर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप उस क्षेत्र से हैं। आप माननीय मंत्री से केवल, एक प्रश्न पूछ सकते हैं और यहां भाषण नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): मैं केवल दो तथ्यों का उल्लेख करके सीधा प्रश्न पूछ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चार जिले आते हैं जो पर्वतीय हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत। वहां 2001-2002 के बाद कोई सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं बनी। जो सड़कें बनी थीं, वे लैंड स्लाइड्स आदि से टूट कर बह चुकी हैं। इस प्रकार बनी हुई सड़कें जीरों की हालत में हो गई हैं। सड़कें टूट गईं, बाद में बनी नहीं। क्या उनके लिए अलग से पैसा देंगे? खंडूड़ी जी ने कहा कि धन का दुरुपयोग हुआ। मेगाटेक कम्पनी पांच परसैंट कनसल्टैंसी लेकर चली गई है। आपका उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसकी जांच करके पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम इसमें बहुत रूकावट डाल रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी अन्य माननीय सदस्य को इस मुद्दे पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह मामला विशेषतया उत्तरांचल राज्य के लिए है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन आ जाए। *...(व्यवधान)* संशोधन अगर सरकार ला सके तो सड़कें बन सकती हैं, इस संबंध में क्या आप विचार करेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो ध्यानाकर्षण किया गया है, उनकी चिंता जायज है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के छठे साल में राज्य का हिस्सा कुल 395 करोड़ रु. बनता है, जिसमें से अभी तक 200 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। 200 करोड़ रुपए में से वे 121 करोड़ रुपए खर्च कर पाए हैं और 79 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इस तरह से 79 करोड़ रुपए स्टेट में बचे हुए हैं और हमारे यहां 195 करोड़ रुपए बाकी हैं। अभी पैसे बचे हुए हैं और काम ठीक से नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य ने स्पष्ट किया है कि पहले इसे रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय कर रहा था कि फिर पी.डब्ल्यू.डी. की अदला-बदला हुई, यह स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिस्डिक्शन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ देखभाल कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 29 अप्रैल, जो बीत गया है, को पत्र लिखा था कि हालत ठीक नहीं है, आप इसे देखें और सही कराएं। 29 तारीख, जो चार दिन बाद आने वाली है, उसमें तेरह राज्यों में, जहां काम पीछे हैं, उन सभी राज्यों के सैक्रेट्रीज को बुलाया है और यह पूछने के लिए कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं। माननीय सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हम उन सभी कठिनाइयों को देखेंगे कि काम क्यों पीछे है, राज्य सरकार की क्या कठिनाइयां हैं क्योंकि राज्य सरकार की भी कठिनाइयां होती

हैं। हम उन्हें बुलाकर जानकारी लेंगे कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं। हमारी तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है ताकि जनता का काम हो, सड़कों का निर्माण हो और बढ़िया तरीके से हो। हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। हम सब जगह लिखा-पढ़ी करके, उनको बुलाकर उनसे बात करके देखते हैं कि यह सब कैसे होगा।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल दो तीन जिलों के बारे में उठाया है-चमौली में दो सड़कें हैं कुनार बैण्ड से धेस और देवरखाल उड्डा मण्डा से पाटियूं चौपड़ा। इन दो सड़कों के संबंध में जिला परिषद और स्टेट ने भी अनुशंसा की है और हमारे यहां एम्पावरमेंट कमेटी को देखने के लिए कहा है कि वहां एक हजार की आबादी नहीं है इसलिए इसे रोक रखा है। आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है इसलिए मैंने अपनी तरफ से जानकारी ली है। जो अन्य दो सड़कें हैं-जिला रूद्रप्रयाग से जिला पौड़ी गढ़वाल, इन दोनों के संबंध में न जिला परिषद् ने लिखा है और न राज्य सरकार ने लिखा है। माननीय सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं कि ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: वह इसलिए इसमें नहीं लिखा गया क्योंकि जगह बदल गई है, राजनीति चल रही है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसमें कोई भी राजनीति नहीं है। गाईडलाईन में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी माननीय सदस्य सड़कों की अनुशंसा जिला परिषद् को देंगे और वहां से, स्टेट के मार्फत हमारे यहां आएगा और यदि जिला परिषद् उस सड़क को स्वीकार नहीं करता है तो उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने माननीय सदस्य की अनुशंसाओं की कद्र क्यों नहीं की। यह स्पष्ट गाईडलाईन में है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य खंडूरी जी और अन्य माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि जिला परिषद् में जो भी लोग सड़क की अनुशंसा करना चाहें, वह करें। अगर जिला परिषद् उसे नहीं मानेगा तो उनको बताना पड़ेगा कि किस कारण से माननीय सदस्य की अनुशंसा की कद्र नहीं हुई। हम चाहते हैं कि माननीय सदस्य की अनुशंसाओं की कद्र हो और राज्य सरकार भी उसका आदर करे। हम भी उनका आदर करेंगे इसमें माननीय सदस्यों की उपेक्षा का कोई सवाल नहीं है। दो सड़कों के संबंध में उन्होंने औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, दो सड़कों के लिए जिला परिषद् और राज्य सरकार से अनुशंसा कराकर हमें भिजवाएं, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री बची सिंह जी ने सवाल उठाया है ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: आधा किलोमीटर के बारे में बताइए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम इस पर खुल कर विचार करेंगे। इसे आप भिजवाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको सभी सुझावों को ध्यान में रखना होगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उस सुझाव को भी देखेंगे कि कैसे कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है और उसे किया जाएगा। श्री बची सिंह रावत ने सवाल उठाया है कि उनका क्षेत्र पहाड़ी एरिया है। आप जानते हैं कि पहाड़ी एरिया में सड़क बनाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए सारा सामान ऊपर ले जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि वहां की एजेन्सी का एक हिस्सा भाग गया, वहां इस तरह की तमाम कठिनाइयां सामने आती हैं और पैसा होते हुए भी काम नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार की योजना के तहत समतल जगह में एक हजार की आबादी को और पहाड़ी एरिया में पांच सौ की आबादी को चार वर्ष के अंदर सड़क से जोड़ा जायेगा। हम बताना चाहते हैं कि उसमें भी पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी। भारत निर्माण की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी इसे शामिल किया गया है। इनके समय में 2300 से 2400 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे इस साल बढ़ाकर 4200 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध किया गया है। इनका जो उत्तरांचल का हिस्सा 60 करोड़ था। ...*(व्यवधान)* हमने इनका हिस्सा बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये किया है। यदि पैसे की और कमी होगी तो हम और पैसा देंगे। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: वह सब पैसा आपके पास पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा मत कीजिए, आप तो बहुत डिसिप्लिन्ड सदस्य हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यहां से वहां राय करके, राज्यों से परामर्श तथा आपसी सहयोग करके, माननीय सदस्यों की सहायता लेकर तथा सब जानकारी प्राप्त करके हम देखेंगे कि जो पैसा वहां खर्च हो, वह सही ढंग से खर्च हो तथा जनता की महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की जनता को जो सहूलियत देना चाहते हैं, उसमें भी हम इनका सहयोग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं बोल सकता है।

अपराह्न 12.42 बजे

(दो) तमिलनाडु के विशेषरूप से नीलगिरि पहाड़ी जिले में चाय की हरी पत्तियों के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट, जिसके कारण छोटे चाय उत्पादकों को कठिनाई हो रही है, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 35

श्री के. सुब्बारायण - उपस्थित नहीं

श्री आर. प्रभु

श्री आर. प्रभु (नीलगिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"तमिलनाडु के विशेषरूप से नीलगिरि पहाड़ी जिले में चाय की हरी पत्तियों के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट, जिसके कारण छोटे चाय उत्पादकों को कठिनाई हो रही है, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

***वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ):** माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल के वर्षों में सामान्यत: चाय की कीमतों में कमी देखी गयी है। यहां तक कि वर्ष 2004 में लगातार पांच वर्षों तक कीमतों में कमी के पश्चात् अखिल भारतीय नीलामी मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि देखी गयी तथा इसके पश्चात् कीमतों में कमी आयी है। जनवरी 2005 से जुलाई 2005 के दौरान चाय का अखिल भारतीय औसत नीलामी मूल्य लगभग 58 रुपया प्रति किलो ग्राम रहा जबकि वर्ष 2004 में समकालीन अवधि के दौरान यह 60 रुपये प्रति किलोग्राम था। दक्षिण भारत के मामले में यह कमी कुछ ज्यादा ही रही है। दक्षिण भारत में जनवरी 2004 में 43 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में जनवरी 2005 में चाय का औसत नीलामी मूल्य लगभग 49 रुपये प्रति किलोग्राम रहा जो कि मार्च 2005 में लगभग 51 रुपये प्रति किलोग्राम के शीर्ष मूल्य तक पहुंचने के पश्चात् जुलाई 2005 में गिरकर 36 रुपये प्रति किलोग्राम से भी नीचे चला गया।

तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में लघु चाय उत्पादकों, जिनका जिला के कुल चाय उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का हिस्सा है, को भी नुकसान हुआ क्योंकि तैयार चाय की कीमतों के साथ-साथ चाय की हरी पत्तियों की कीमतों में भी औसत गिरावट दर्ज की गयी। देश के अन्य भागों में भी चाय की हरी पत्तियों की कीमतों में कुछ हद तक गिरावट आयी है लेकिन नीलगिरि क्षेत्र में अधिकतम गिरावट आई है।

कीमतों में कमी अंशत: फसलों के व्यस्त मौसम के दौरान उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के कारण होती हैं जिसमें ढेर सारी पत्तियां तोड़ी जाती हैं और इस समय तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्तावाली तोड़ी गयी हरी पत्तियों की आपूर्ति शोधन फैक्ट्रियों से लेकर दी जाती है। ऐसा लगता है कि बेहतर कीमत की उम्मीद में फैक्ट्रियों में अत्यधिक पत्तियां लायी गयी जिससे कि कीमतों में गिरावट आयी। तथापि यह देखने लायक बात है अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियों की कीमत तुलनात्मक रूप से अच्छी रही है और बेहतर गुणवत्ता वाली तैयार चाय के भी अच्छी कीमत मिली है जबकि औसत कीमतों में कमी आयी है।

गुणवत्ता के मामले को हल करने के लिए चाय बोर्ड ने नीलगिरि में जुलाई 2000 में एक गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है और यह अभी भी जारी है। यह कार्यक्रम तमिलनाडु सरकार के बागवानी विभाग के 'उपासी' कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम से संबद्ध बाट लीफ फैक्ट्रीज ने चुनिंदा अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियों को खरीदना और उत्पादकों को ऊंचा मूल्य देना शुरू कर दिया है। इन कुछ फैक्ट्रियों द्वारा तैयार चाय के लिए दिए गए मूल्य के कारण जून 2005 में लघु उत्पादकों को इन फैक्ट्रियों द्वारा गुणवत्ता वाली हरी चाय की पत्ती के लिए 8.50 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम तक ज्यादा मूल्य दिया गया जबकि कम गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती को इसका आधा मूल्य मिला।

नीलगिरि स्माल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन और माननीय संसद सदस्य श्री आर. प्रभु ने समय-समय पर और हाल ही में यह अनुरोध किया है कि हरी चाय और तैयार चाय के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। तैयार चाय के लिए कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना आसान नहीं होगा क्योंकि मूल्य विभिन्न श्रेणियों जैसे साबुत, तुड़ी-मुड़ी, फैनिंग्स और डस्ट पर निर्भर करता है जिसके आगे चलकर और भी ग्रेड हैं। निर्मित चाय भी अनेक प्रकार की होती है जैसे परंपरागत और सीटीसी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार में किसी विशिष्ट चाय का मूल्य उस चाय की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी 2827/2005

[श्री कमलनाथ]

अन्ततः चाय की गुणवत्ता उस हरी चाय की पत्ती की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है जो तोड़ी जाती है और जिसकी आपूर्ति की जाती है। अगर हरी चाय की पत्ती का न्यूनतम मूल्य नियत किया जाता है और अगर तैयार चाय के उत्पादन की कीमत प्रयुक्त हरी चाय की पत्ती की कीमत के आधार पर उस कीमत, जो क्रेता देने का इच्छुक है, से ज्यादा होता है तो उत्पादन करने वाली इकाइयां पहले से नियत मूल्य पर हरी चाय की पत्ती खरीदने में असमर्थ होंगी।

चाय बोर्ड के इन प्रयासों, कि वह फैक्ट्रियों को क्वालिटी चाय का उत्पादन करने के लिए राजी करे इसके अलावा उन गुणवत्ता मानकों को लागू करना आवश्यक हो गया है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानको के अनुरूप हैं। इस संबंध में चाय बोर्ड द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसमें घटिया चाय का उत्पाद करने वाली फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना भी शामिल है।

महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों की चिन्ताओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं जिन्होंने यह मामला उठाया है। सरकार स्थिति पर सूक्ष्म निगरानी रख रही है।

श्री आर. प्रभुः अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जिससे कि नीलगिरि जिले के लोगों की जीविका प्रभावित होती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है चाय देश में और विदेशों में भी पानी की खपत के पश्चात् सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है।

दक्षिण भारत में नीलगिरि जिले को ऐसा पहला जिला होने का गौरव प्राप्त है जहां दक्षिण भारत में सर्वप्रथम चाय का उत्पादन शुरू हुआ। यह सन् 1835 की बात है। पिछले लगभग दो शताब्दियों से वे चाय का उत्पादन करते आ रहे हैं। वे 45000 हेक्टेयर में चाय की खेती करते हैं। वे 70 मिलियन किलोग्राम प्रति वर्ष चाय का उत्पादन करते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा नीलगिरि जिले में उगायी जाने वाली चाय के 40 प्रतिशत का उत्पादन लघु चाय उत्पादकों द्वारा किया जाता है जिनके पास लगभग 10 सेन्टस से लेकर 5 एकड़ तक की सीमांत फार्म होते हैं।

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले सात या आठ वर्षों से चाय उद्योग में संकट चल रहा है। ज्यों ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. की सरकार सत्ता में आयी तो माननीय मंत्री जी ने जो पहला काम किया वह लघु चाय उत्पादकों को आंतरिक राहत प्रदान करना था। उन्होंने पिछले साल चार महीनों के लिए दो रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी।

महोदय, मंत्री जी ने चाय उद्योग की समस्याओं को महसूस किया है और उन्होंने इसका सार निकाला और कहा है कि उत्पादन अधिक हुआ है और आपूर्ति मांग से ज्यादा है। स्थिति का लाभ उठाते हुए बाटल लीफ फैक्ट्रियों, जो लघु उत्पादकों की चाय तैयार करती हैं, ने चाय के दामों में कमी कर दी। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि अच्छी क्वालिटी वाली चाय की कीमत 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम है लेकिन आप देखेंगे कि इसके साथ वाली फैक्टरी 2 या 3 रुपये प्रति किलोग्राम का ही मूल्य दे रही है। ऐसा इसलिए है कि जिन फैक्ट्रियों को कम क्वालिटी वाली हरी चाय की पत्ती मिलती है वे उसकी कीमत कम कर देते हैं और जिनको बेहतर क्वालिटी वाली चाय की पत्ती मिलती है वे भी स्थिति का लाभ उठाते हुए कीमत कम करके 3 रुपये तक रखते है। यहां चाय नीलामी के जरिये भी बेची जाती है। नब्बे प्रतिशत चाय नीलामी के जरिये बेची जाती है। नीलामी में दलालों, खरीदारों और बाटल लीफ फैक्ट्रियों के बीच संघर्ष होता है। नीलगिरि जिले में दलाल बाटल लीफ फैक्ट्रियों को ऊंची ब्याज दरों पर भारी ऋण उपलब्ध कराते हैं और इसी के कारण वे नीलामी मूल्यों में हेरा-फेरी करने में सफल होते हैं माननीय मंत्री जी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना कठिन होगा। इसके लिए हम लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि चाय अधिनियम 1953 चाय के न्यूनतम अथवा अधिकतम समर्थन मूल्य पर जोर देता है।

महोदय, चाय विपणन नियंत्रण आदेश जिसके अंतर्गत नीलामी होती है, बहुत स्पष्ट है। चाय अधिनियम 1953 की धारा 30(1)(क) केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नीलामी अथवा अन्य के जरिये बेची जाने वाली चाय के लिए एक न्यूनतम अथवा अधिकतम मूल्य नियत करे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संदर्भ लें और चाय पत्तियों के लघु चाय उत्पादकों के लिए न्यूनतम सांविधिक मूल्य नियत करने पर सिद्धांतः सहमत हों। अगर वे सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार करते हैं तो वे इसे क्रियात्मक रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. से नीलामी में हस्तक्षेप करने को कहें और बेहतर मूल्य पर चाय प्राप्त करें। रक्षा सेवाएं बहुत ज्यादा चाय की खरीद करती हैं, लगभग 7 मिलियन किलोग्राम प्रतिवर्ष। यह रक्षा सेवाओं की खरीद एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. द्वारा एजेंटों के जरिये की जाती है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे एम.एम.टी.सी. से कहें कि वह नीलामी में सीधे हस्तक्षेप करे और रक्षा सेवाओं से यह अनुरोध किया जाए कि वे सहयोगी फैक्ट्रियों में लघु चाय उत्पादकों से सीधे चाय खरीदें, जो नीलगिरि में सहकारी फैक्ट्रियां हैं।

अब, माननीय मंत्री जी ने गुणवत्ता के बारे में उल्लेख किया है। स्वाभाविक रूप से, एक बार जब न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाएगा, तो कारखाने स्वयं ही पत्तियों की श्रेणियां निर्धारित करेंगे तथा एक अथवा दो वर्ष के भीतर गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा, पत्तियों की छंटाई और उन्हें नवजीवन देने का काम किया जाना चाहिए तथा छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और नवीकरण कार्यक्रम एवं छंटाई कार्यक्रम के लिए उन्हें 7,500 रु. प्रति एकड़ की एक मुस्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, दिसम्बर, 2004 में माननीय मंत्री जी ने चाय उत्पादक क्षेत्रों के सभी संसद सदस्यों को बुलाया था तथा उनके साथ एक बैठक की थी, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए थे, अनेक निर्णय लिए गए थे तथा अनेक निर्णयों पर विचार किया जा रहा है। उस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने उठाया था वह यह है कि मैं मंत्री महोदय से छोटे चाय उत्पादकों की समस्याओं की जांच के लिए चाय बोर्ड के अधीन एक लघु चाय उत्पाद विकास अभिकरण के गठन का निवेदन किया था। अकेले मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ही 65,000 छोटे चाय उत्पादक हैं और वे एक विशेष समुदाय-एक पहाड़ी जनजाति समुदाय से संबंध रखते हैं तथा उनका जीविकोपार्जन केवल छोटे चाय बागानों से ही होता है।

महोदय, चाय बोर्ड का कार्यालय कुन्नूर में स्थित है। मंत्री महोदय ने अभी-अभी यह उल्लेख किया कि चाय बोर्ड गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी है, और इसके लिए "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम" भी है। उन्हें उन चाय कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इन विनियमों के अनुरूप नहीं है। परंतु दुर्भाग्यवश, कुन्नूर में चाय बोर्ड में पर्याप्त सहायक कर्मचारी नहीं हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को देखें तथा सुनिश्चित करें कि चाय बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त सहायक कर्मचारी उपलब्ध करा दिए गए हैं।

महोदय, निष्कर्ष के रूप में, मैं यह कहूंगा कि हमने हाल में तमिलनाडु में सभी दलों की ओर से, जिनमें हमारे सभी 40 संसद सदस्य शामिल थे, मंत्री महोदय को एक अनुरोध किया था। हमने उनसे अनुरोध किया था कि छोटे चाय उत्पादकों को एक अंतरिम सहायता प्रदान की जाए। हमने उनसे कम से कम चार या पांच महीनों के लिए प्रति किलोग्राम 5/- रुपये आर्थिक सहायता के रूप में देने का अनुरोध किया था। परंतु दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार इस मामले में कूद पड़ी और उसने प्रति किलोग्राम 1.50 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी तथा वह केन्द्रीय सरकार से उसका पुनर्भुगतान करने को कह रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे वे इसका पुनर्भुगतान करें अथवा नहीं, परंतु छोटे चाय उत्पादकों के लिए प्रति किलोग्राम 3/- रु. की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर दें।

मैं पुन: उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया छोटे चाय उत्पादकों के लिए सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय: अब, केवल दो और माननीय सदस्यों को इस ध्यानाकर्षण पर बोलने की अनुमति दी जाएगी जिनमें से प्रत्येक एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार, आपने अपनी सूचना आज पूर्वाह्न 10.00 बजे दी थी। कृपया केवल एक ही प्रश्न पूछें।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): जी हां, महोदय, मैं केवल एक ही स्पष्टीकरण प्रश्न पूछूंगा।

माननीय अध्यक्ष, महोदय, हरी चाय की पत्तियों के मूल्य में अभूतपूर्व गिरावट के कारण अन्य राज्यों की भांति ही केरल राज्य भी प्रभावित है। यह एक संकट है। केरल में कई संपदाएं बंद है। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पादुर बागान पिछले दो वर्षों से बंद है जिसके कारण हजारों चाय मजदूर घोर निर्धनता में घिर गए हैं। अत: क्या केन्द्र सरकार यह जानने के लिए कि यह बागान क्यों बंद हुआ केरल सरकार के साथ मामला उठाएगी?

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णास्वामी, आपकी सूचना अपराह्न 12.42 बजे प्राप्त हुई थी। फिर भी चूंकि यह लगभग सत्र की समाप्ति का समय है, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। परंतु भविष्य में, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सदस्य को सूचना समय पर देनी चाहिए। आपको केवल एक ही प्रश्न पूछना है।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): धन्यवाद, महोदय। हमारे नेता डा. कलिंगनार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिखा है। तीन-चार साल पहले ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी। उस समय, हमारे माननीय नेता मुरासोली मारन वाणिज्य मंत्री थे। उस समय, दो रुपये प्रति किलोग्राम की आर्थिक सहायता थी। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी घोषणा भी अभी की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: आप दो रुपये प्रति किलोग्राम की आर्थिक सहायता चाहते हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी: जी, हां।

श्री कमलनाथ: महोदय, इस मामले पर समय-समय पर ध्यान आकर्षित करने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस मामले को मेरे ध्यान में लाया गया है। जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है, मैंने उस

[श्री कमलनाथ]

क्षेत्र के संसद सदस्यों के साथ बैठक की। मैंने पहली बार एक स्टेकहोल्डर सम्मेलन भी आयोजित किया जिसमें न केवल नीलगिरि क्षेत्र के लिए बल्कि असम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्रों के लिए भी चाय के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था और इस मामले को औचित्यपूर्ण ढंग से देखने का प्रयास किया।

नीलगिरि में मूल्यों में गिरावट उस समस्या का केवल एक भाग है, जिसका सामना चाय उद्योग कर रहा है। जैसाकि मैंने इस सभा में कई बार कहा है, चाय उद्योग में भारी परिवर्तन आया है तथा यह परिवर्तन केवल इस कारण नहीं है कि बागान पुराने हो रहे हैं, चाय की झाड़ियों का नवीकरण नहीं किया जा रहा है, परंतु इस कारण हैं कि नई-नई घटनाएं घटित हो रही हैं। जिसमें कीनिया और श्रीलंका में छोटे चाय उत्पादकों तथा चाय उत्पादन में वृद्धि एक अन्य परिघटना है। कीनिया और श्रीलंका चाय के बहुत छोटे उत्पादक हुआ करते थे। हालांकि वे भारत के बराबर नहीं हैं, फिर भी वे भारतीय चाय उत्पादक के बहुत निकट पहुंच चुके हैं।

महोदय, गुणवत्ता और मूल्य को हरी पत्तियों की गुणवत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसाकि मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में बताया है, बेहतर गुणवत्ता वाली हरी पत्तियों के मूल्यों में अधिक गिरावट नहीं आई है। माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक उल्लेख किया और मैं सदस्य की चिंता से सहमत हूं कि मूल्यों में गिरावट आई है। परंतु गुणवत्ता वाली पत्तियों के लिए गुणवत्ता में उस प्रकार गिरावट नहीं आई है। मूल्यों में गिरावट क्यों आई? वे इसलिए गिरे क्योंकि उत्पादक अधिक मात्रा में पत्तियां चुन रहे हैं। यदि उन्हें दो पत्तियां चुननी थी, तो उन्होंने आठ पत्तियां चुनीं। बेहतर मूल्य प्राप्त करने की आशा में उन्होंने वे पत्तियां भी चुन लीं, जो उन्हें चुननी नहीं चाहिए थी। जब वे उन पत्तियों को चाय कारखानों में ले गए जो उनका मूल्य स्वाभाविक रूप से कम था। वास्तव में, यही असली समस्या है। इस समस्या का समाधान किया जाना है। एक गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप, हम इसमें सफल हो रहे हैं तथा उत्पादकों को इस तथ्य से अवगत करा रहे हैं कि ज्यादा पत्तियां चुनने का अर्थ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका अर्थ अधिक पत्तियां तो हो सकता है परंतु इसका अर्थ बेहतर मूल्य नहीं है। अतः, गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है।

महोदय, माननीय सदस्य ने न्यूनतम सांविधिक मूल्यों के बारे में भी कहा। मैं यह अवश्य कहूंगा और मैं यह कहने से स्वयं को रोक नहीं सकता कि पिछले वर्ष फरवरी में, चुनावों की घोषणा होने के बाद, तत्कालीन सरकार ने एक स्कीम को घोषणा की जिससे केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सहमत नहीं हुआ। उन्होंने केवल चार महीने के लिए एक आर्थिक-सहायता स्कीम की घोषणा की तथा उस अवधि में चुनावों की घोषणा से आरंभ होने से लेकर चुनावों की तारीख तक की अवधि शामिल थी। महोदय, ऐसे उपायों से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि कोई समर्थन मूल्य अथवा न्यूनतम मूल्य दिया जाता है, तो चाय कारखानों को उस मूल्य का भुगतान चाय की खराब गुणवत्ता के लिए भी देना पड़ता है। यह बात उत्पादक को हर प्रकार की पत्ती चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसाकि, मैंने सभा को सूचित किया है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम यहां भी एक भूमिका निभाता है। अतः जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्यों का संबंध है, हमें माननीय सदस्य तथा उन माननीय सदस्यों, जो इस मामले से संबंधित है तथा नीलगिरि के अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ भी चर्चा करके प्रसन्नता होगी।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: केरल के बारे में क्या स्थिति है?

श्री कमलनाथ: मैं केरल के विषय पर आ रहा हूं। पहले मुझे नीलगिरि का मामला निपटा देने दीजिए।

इस समस्या का एक दीर्घकालिक व्यवहार्य समाधान ढूंढने के लिए, यदि माननीय सदस्य मुझे आमंत्रित करें, तो मुझे वहां जाने तथा समस्या का हल ढूंढने के लिए सभी संबंधित लोगों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने में प्रसन्नता होगी। मैं सदस्यों की चिंता से सहमत हूं कि यह एक समस्या है तथा इसका समाधान किया जाना चाहिए।

महोदय, इन नीलामियों में एजेंटों का प्रयोग किए जाने के संबंध में, मैं एसटीसी और एमएमटीसी को निर्देश दूंगा कि वे इस नीलामियों में भाग लें तथा देखें कि इन नीलामियों के उद्देश्यों को सही प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है।

महोदय, मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि जहां आवश्यकता हो, वहां गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम को दुरूस्त बनाया जाए। यदि इस संबंध में कोई सुझाव है, तो मैं उस पर विचार करूंगा।

अपराह्न 1.00 बजे

जहां तक चाय बोर्ड के सहायक कर्मचारियों का संबंध है, माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि चाय बोर्ड के सहायक कर्मचारी वहां नहीं हैं, इस पर मैं यह कहूंगा कि यदि कोई कमी है, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा।

दूसरे माननीय सदस्य ने कहा है कि केरल में बंद कारखाने या बंद प्लांटेशंस कारखाने हैं। मैं इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करूंगा। माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जो कुछ कर सकती हैं, यदि वह व्यावहारिक है, तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री आर. प्रभु: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने का निमंत्रण देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, वे आपके निमंत्रण की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं।

श्री आर. प्रभु: महोदय, मैं उन्हें वहां इस सभा से ही आमंत्रित करता हूं।

अपराह्न 1.01 बजे

सरकारी विधेयक–पुर:स्थापित

(एक) पंजाब साधारण विक्रय कर (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त) निरसन विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करने से पहले, हमारे समक्ष पुर:स्थापन के लिए दो विधेयक हैं। हमें यह कार्य अत्यंत शीघ्र कर लेना चाहिए।

श्री रघुपति।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त, को निरसित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त, को निरसित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. रघुपति: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 1.01$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानक उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध कांत सहाय: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज भोजनावकाश नहीं होगा और हम चर्चा जारी रखेंगे। अब मैं "अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा आरंभ करूंगा। में श्री देवेगौड़ा को बोलने का अवसर दूंगा। परंतु उससे पहले दो माननीय सदस्य अपने-अपने मुद्दे अत्यंत संक्षेप में रखेंगे। श्री अजय माकन।

[हिन्दी]

श्री अजय माकन (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

दो दिन पहले दिल्ली के अन्दर सात गरीब आदमी, जो फुटपाथ पर रात को अपनी जिंदगी बसर करते हैं, दो ट्रक्स उनको रौंदते हुए मारकर चले गये। यह कोई पहली बार ऐसी वारदात नहीं हुई। इससे दो मुख्य बातें उभरकर सामने आती हैं। दिल्ली

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.8.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री अजय माकन]

के अंदर डी.डी.ए. ने खुद यह माना है कि 1.50 लाख ऐसे लोग हैं, जो होमलैस हैं, जो शैल्टरलैस हैं, जिनके सिर के ऊपर रहने के लिए कोई छत नहीं है। 2001 की सेंसस में यह आइडेंटीफाई किया गया कि दिल्ली में 3.80 लाख मकान हैं, जिनमें से 3.78 लाख मकान खाली हैं। यह अपने आपमें कैसी विडम्बना है कि दिल्ली के अन्दर सेंसस के अन्दर यह पाया जाता है कि 3.78 लाख मकान अमीर लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदकर रखे हुए हैं। हम द्वारिका चले जायें, हम रोहिणी चले जायें, वहां मकान के मकान खाली हैं और डेढ़ लाख आदमी दिल्ली के अन्दर ऐसे हैं, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, 20 लाख आदमी स्लम्स के अन्दर रहते हैं। हमारी हाउसिंग पालिसी अमीरों के प्रति इतनी फेवरेबल रही है कि केवल अमीर लोगों को और मध्यमवर्गीय लोगों को रहने के लिए छत मिलती है और जो गरीब आदमी हैं, उनको दिल्ली में कहीं पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती, जो फुटपाथ पर रात बसर करते हैं और गरीब होने की वजह से कुचले जाते हैं।

एक और चीज इसके साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि दिल्ली में बहुत सख्त जरूरत है कि पैरीफरल एक्सप्रैस हाईवे बनाया जाये, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां दिल्ली से जाती हैं, ये दिल्ली के लिए डिस्टेंड नहीं होती हैं। इन गाड़ियों के जो ड्राईवर्स होते हैं, दिल्ली से इनके ड्राईवर्स नहीं बने होते हैं, इनकी फिटनैस चैकिंग वहां पर नहीं होती है, इनके इन्दर स्पीड गवर्नर्स नहीं होते हैं। जितनी भी चीजें दिल्ली में व्हीकल चलाने के लिए मेण्डेटरी होनी चाहिए, वे इनमें नहीं हैं। दिल्ली के अन्दर गरीब लोगों के लिए हाउसिंग पालिसी ढंग की बननी चाहिए, साथ ही साथ पैरीफरल एक्सप्रैस हाईवे दिल्ली में बनना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 1.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आतंकवादियों की घुसपैठ में कथित वृद्धि के बारे में

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं स्वयं को उस मुद्दे से जोड़ रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि दिल्ली में अभी हैदराबाद के सांई बाबा मंदिर में विस्फोट करने वाला आतंकवादी धरा गया। यह व्यक्ति अब्दुल रज्जाक मसूद लश्करे-तोइबा का कर्त्ता-धर्त्ता है और दुबई में इसका नेता बना हुआ है। इसने जो बताया है, वह बहुत गम्भीर और खतरनाक है। पिछले एक वर्ष में दिल्ली में सौ से ज्यादा आईएसआई, पाकिस्तानी एजेंट, आतंकवादी, जेहादी और खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। उनके पास से इतना आरडीएक्स और हथियार पकड़ा गया है, जिससे दिल्ली के अधिकांश इलाकों को उड़ाया जा सकता है। उनके पास नकली करेंसी बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी गई है। उनसे जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, उनसे लगता है कि वे कोई बहुत बड़ी सनसनी करना चाहते हैं, किसी बड़ी जगह को उड़ाना चाहते हैं, किसी बड़ी जगह पर हमला करना चाहते हैं। उसमें संसद भवन भी शामिल है और अन्य बड़े-बड़े भवन भी शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसके कुछ दिनों बाद दशहरा व दिवाली का त्यौहार भी होगा। सरकार को इस मामले में सावधानी बरतनी होगी। पकड़े गए लोगों ने जो-जो चीजें और जगहें बतायी हैं, उनमें दिल्ली की बड़ी-बड़ी जगहों पर बड़ी घटनाएं करने का, सनसनी फैलाने, आतंकवाद फैलाने की उनकी साजिश है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में विशेष ध्यान दे कि जो पाकिस्तानी वीजा लेकर भारत आए थे, वे वापस नहीं गए हैं, यहीं पर रह गए हैं। जो बांग्लादेशी यहां पर आ गए हैं, उनको वापस भेजने के लिए हाई कोर्ट ने भी कहा है, उन्होंने यहां पर अपने अड्डे बनाए हुए हैं। गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में इन आतंकवादियों के अड्डे बन गए हैं। सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई घटना ये आतंकवादी न कर सकें। यह तो केवल टिप आफ आइसबर्ग है। कहीं यह बहुत बड़ी घटना न हो जाए इसलिए इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। क्या मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

मंत्री जी यह बहुत गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक गंभीर मामला है। स्वाभाविक है, आप इस पर विचार करेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, यह एक गंभीर मामला

है। मैं निश्चित रूप से इस मामले को संबंधित मंत्री महोदय की जानकारी में लाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के जबलपुर मंडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशन खुटहा में मनिकपुर से सतना की ओर जोन वाली डीएमयू गाड़ी में दिनांक 18 अगस्त, 2005 को चढ़ते वक्त दोपहर 11 बजे सतना से मानिकपुर की ओर जाने वाली माल गाड़ी पैसेन्जरों को रौंदते हुए आगे निकल गई और उसके इंजन के आगे लगे बैरियर पर एक 7 वर्षीय लड़की की लाश 70 किलोमीटर दूर डमौरा रेलपे स्टेशन में मिली। घटनास्थल तथा अस्पताल में अब तक पांच लोगों की मृत्यु हो गयी है। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनके हाथ-पांव का पता नहीं है। खुटहा रेलवे स्टेशन से डमौरा के बीच 5 स्टेशन पड़ते हैं तब भी किसी ने ट्रेन में लिपटी लाश को नहीं देखा यह आश्चर्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने घटनास्थल तथा पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात की है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रेलवे प्रशासन की ओर से कल दिनांक 23 अगस्त, 2005 तक किसी भी पीड़ित परिवार को एक रुपये की भी मदद नहीं दी गई है।

उक्त एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। डीएमयू गाड़ी में पांच डिब्बे हैं और उसमें स्थानीय पैसेंजरों की बड़ी भीड़ होती है। स्टेशन के अंदर दोनों रेल लाइनों के बीच में कोई प्लेटफार्म नहीं है। इसलिए गाड़ी में प्राय: यात्री दोनों तरफ से चढ़ते उतरते हैं। इसलिए यह हादसा हुआ है। यदि स्टेशन मास्टर चाहते तो मालगाड़ी को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए यह हादसा हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि यह हादसा रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हुआ है। अभी तक रेल प्रशासन ने उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं की है। मेरी मांग है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवायी जाए तथा घटना में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को कम से कम पांच-पांच लाख रुपये की तथा घायलों को एक-एक लाख रुपये की मदद तत्काल दी जाए।

साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खुटहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को अपग्रेड किया जाए तथा डीएमयू गाड़ी में डिब्बे बढ़ाए जाएं साथ ही उक्त स्टेशन में अन्य सभी पैसेंजर गाड़ियों को रोका जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: "शून्य काल" 2 बजे तक जारी रहेगा। 2 बजे के बाद हम गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य पर विचार करेंगे। कृपया सहयोग कीजिए। श्री देवेगौडा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं। सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अन्य विषय महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते थे।

अपराह्न 1.08 बजे

(दो) कर्नाटक के विभिन्न जिलों में बाढ़ के बारे में

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हाल ही में हुई अभूतपूर्व बारिश और अत्यधिक बाढ़ के कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बहुत नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक राज्य से संबंधित मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से हाल ही में उठाया गया था। दुर्भाग्यवश, उस समय मैं उस क्षेत्र का दौरा कर रहा था। मैं इस सभा पटल पर यह मुद्दा उठाने के पहले वास्तविक स्थितियों को जानना चाहता था। माननीय प्रधानमंत्री उस क्षेत्र का दौरा करना चाहते थे किन्तु खराब मौसम के कारण वे वहां जाने में असमर्थ रहे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कतिपय राहत उपायों की घोषणा की है। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी बेलगाम जिले में कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने भी कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने अत्यधिक बाढ़ के कारण हुई क्षति को भी देखा है।

मैं केन्द्र सरकार को कल लगभग 400 करोड़ रुपए-300 करोड़ रुपए तथा पहले 100 करोड़ रुपए जारी करने के लिए धन्यवाद देता हूं। परंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपदा राहत कोष से दिए गए 114 करोड़ रुपए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर दिए गए थे। परंतु इसकी गणना उस राहत के लिए नहीं की जानी चाहिए जो सरकार द्वारा दी गई है। 114 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आपदा राहत कोष से धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्य की क्या हकदारी है? भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैंने वित्त मंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने इस संबंध में कल ही निर्णय लिया है तथा राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी है। मैं इनमें से कुछ मुद्दों पर विशेष रूप से विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ हैं जो वास्तविक स्थितियों को दर्शाते हैं। मैं उन्हें सभा को दिखाना चाहता हूं किंतु मैं आपकी अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता हूं।

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

कर्नाटक में दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पूरी फसल नष्ट हो गई है। राहत के सामान्य उपायों से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग चाहते हैं कि उन्हें भी उसी प्रकार की राहत दी जाए जो सुनामी और गुजरात के भूकंप पीड़ितों को दी गई थी। लोग अत्यंत आक्रोश में हैं और वे इन दो घटनाओं का उदाहरण देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया जाए, अन्यथा वे पूर्णत: बरबाद हो जाएंगे। मैंने इन फोटो ग्राफों को माननीय वित्त मंत्री को भी दिखाया। मैंने माननीय कृषि मंत्री को भी दिखाया। उन्होंने इन स्थानों का दौरा भी किया जब वे वहां गए उस समय पानी का स्तर नीचे नहीं आ रहा था। पानी पूरी तेजी से बह रहा था। मैंने कई बूढ़े व्यक्तियों से पूछा कि क्या उन्होंने पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है। उनका उत्तर था कि कावेरी बेसिन में पिछले 100 वर्षों के दौरान ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं आई। वस्तुस्थिति यह है। अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि जहां तक राहत कार्यों का संबंध है उसके लिए विशेष दर्जा देकर कार्य करे।

माननीय प्रधान मंत्री ने गोवा में लगभग सौ करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। जहां तक मैं समझता हूं वे बेलगाम में भी उपस्थित थे। खैर मैं उन पहलुओं पर नहीं जाना चाहता। यदि किसी के परिवार में किसी की जान गई है तो उसे एक लाख रुपए दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए दिया गया है। किंतु फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्हें अब शीघ्र दुबारा फसल लगाए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब "नाबार्ड" को उसके लिए विशेष राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिए गए हैं। यहां पर समस्या आती है। 'नाबार्ड' के क्या दिशा निर्देश हैं? कृपया सुनामी से प्रभावित किसानों को दिए गए राहत की भांति ही राहत दिए जाने पर विचार करें। फसल के लिए 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया गया है जो 1600 रु. प्रति एकड़ बनती है और सिंचित नम भूमि के लिए 2500 रु. है जो 800 रु. प्रति एकड़ बनती है तथा शुष्क भूमि के लिए 1000 रु. है जो प्रति एकड़ 400 रुपए बनती है। हजारों एकड़ जमीन में सोयाबीन और गन्ने की खेती होती है।

जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र से बेलगाम, बीजापुर, रायचूर आदि क्षेत्रों से होकर सात से आठ नदियां बहती हैं। उनमें अप्रत्याशित रूप से अचानक बाढ़ का पानी आ गया। मैं किसी पर यह दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं कि ऐसा उनके द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण हुआ। ये अनावश्यक बातें हैं। पिछले पचास वर्षों में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी गई। मेरे राजनीतिक जीवन में प्रवेश के बाद से अब तक मैंने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी।

राहत के बारे में मेरी मांग है कि इसे यथाघोषित रूप में जैसे कि ऋण को सात वर्षों की अवधि में पुनर्निधारण करना जिसमें पहले दो वर्ष के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और अगले पांच वर्षों के लिए सात प्रतिशत ब्याज होगा, जैसी बातों के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें केवल वही चीजें होनी चाहिए जो सरकार प्रभावित किसानों के राहत के रूप में देने का प्रस्ताव करती है। मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि कर्नाटक राज्य के किसान पिछले चार वर्षों से भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं। सूखे के कारण लगभग 850 लोगों की मृत्यु हो गई है और अभी तक लगभग 450 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है। मेरे अपने जिले हासन में भी कुछ मौतें हुई हैं।

अपराह्न 1.16 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? किसान भीषण सूखे से पीड़ित हैं। वे अपना पुराना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। इस वर्ष के फसल ऋण को सात वर्षों के लिए पुन:निर्धारित किया गया है। इन सभी उपायों से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। किसान किस प्रकार अपनी दूसरी फसल बोने के लिए तैयार हो सकेंगे? सरकार उन्हें क्या मदद दे रही है? सरकार ने 'नाबार्ड' को केवल ऋण देने के लिए कहा है, किंतु अभी भी किसान उनकी जमीन को हुए नुकसान के कारण दूसरी फसल बोने में असमर्थ हैं। भूमि का कटाव हुआ है जिसे सुधारा जाना है। दूसरी फसल की बुवाई के लिए जाने से पहले किसानों को इन सभी समस्याओं का सामना करना होगा। यदि कोई इस इलाके का दौरा करता है तो वह पाएगा कि उस क्षेत्र की ऊपरी भूमि पूरी तरह से बह गई और स्थिति इतनी खराब है कि उस क्षेत्र तक पहुंच पाना भी बहुत कठिन है। जैसा कि आपको पता चलेगा कि यहां की मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी है। मुझे विश्वास है कि अंतर-मंत्रालयीय समूह जिसमें माननीय वित्त मंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय कृषि मंत्री शामिल हैं, इस पर कार्य कर रहा है। यद्यपि मैं यह समझता हूं कि इससे केन्द्रीय सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा पर किसानों को इससे लाभ हो सकेगा। मैं ईमानदारीपूर्वक और सद्भाव से यह मांग करना चाहूंगा कि इस वर्ष किसानों के लिए स्वीकृत ऋण की पूरी राशि—विशेषकर उन किसनों के मामले में जिनकी पूरी फसल जैसे गन्ना, ज्वार, सोयाबीन नष्ट हो गई है उनका ऋण इस वर्ष के लिए माफ कर दिया जाए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। सरकार को चाहिए कि वह केवल सामान्य राहत उपलब्ध कराने पर विचार न करे। यह एक उपनिवेशवादी प्रवृत्ति है जो उसने साम्राज्यवादी ताकतों से अपनाई है। किंतु मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। उनके ऋण की समस्त राशि को इस वर्ष लिए माफ करने के लिए सभी संभव कदम उठाएं। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से गठित सभा की समिति

को क्षेत्र के दौरे के लिए भेजा जा सकता है। प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है क्योंकि राज्य के पास बहुत ही सीमित संसाधन है।

महोदय, नाबार्ड ने एक निर्णय यह लिया है कि छोटे किसानों के 50,000 रुपए के ऋण को मध्यम अवधि के ऋण में परिवर्तित किया जाए और जिसे सात साल की अवधि में चुकाना होगा तथा पहले दो वर्ष तक ऋण को चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां कोई बड़ा किसान नहीं है जो स्वर्गीय मोरारजी देसाई के समय में शुरू किए गए भूमि सुधार की नीति को कड़ाई से लागू किए जाने का परिणाम है। अत: सभी किसानों का ऋण कम से कम चालू वर्ष के लिए माफ किया जाना चाहिए। सरकार पिछले वर्ष के ऋण की अवधि पुन: निर्धारित कर सकती है।

जहां तक गन्ने का संबंध है किसानों ने चीनी मिल मालिकों के साथ 1200 रुपये प्रति टन की दर से करार किया है। यदि आप प्रति एकड़ उपज 50 टन मानते है तब भी 1200 रु. प्रति टन की दर से इसका मूल्य 60,000 रु. प्रति एकड़ बनता है? समयावधि को पुन: निर्धारित करके दो वर्ष की विलंबित अवधि प्रदान करने से क्या लाभ होगा? मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इस वर्ष के लिए ऋण की पूरी राशि माफ कर दी जाए। चाहे यह ऋण किसी वाणिज्यिक बैंक से लिया गया हो या जिला केन्द्रीय बैंक से पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि सरकार द्वारा फसल बीमा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परंतु गन्ना, सोयाबीन और कुछ बागवानी की फसलों के संबंध में किसी भी प्रकार के बीमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन फसलों का बीमा वैकल्पिक है। यदि वे चाहते हैं तो वे बीमा करा सकते हैं। अन्यथा वे बीमा नहीं कराते। मैंने कई लोगों से इस बारे में पूछताछ की। उनमें से किसी ने भी कथित फसल बीमा के अंतर्गत संरक्षण नहीं लिया है। जब कोई फसल बीमा ही नहीं होगी, किसान लोग कैसे रह पाएंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान खोजना होगा। माननीय कृषि मंत्री यहां पर हैं। मैं उनका आभारी हूं कि वह सभा में उपस्थित हैं और वे उपयुक्त उत्तर देंगे। मैं यह अनुरोध करता हूं कि केवल इस वर्ष के लिए न कि सभी वर्षों के लिए-वर्तमान ऋण को माफ कर दिया जाए। अगली फसल के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाए। यह मेरी विनम्र मांग है।

मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि 10000/- रु. है। यह 'नाबार्ड' द्वारा दिया गया दिशानिर्देश है। यह राशि देना क्या मजाक नहीं है? इतनी राशि में लोग अपने पूरी तरह नष्ट हो चुके मकान का पुनर्निर्माण कैसे कर पाएंगे? अनुसूचित जातियों और भूमिहीन मजदूरों के पास कुछ भी नहीं बचा है। अत: मकानों के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी सरकार द्वारा स्वयं ली जानी चाहिए। इन लोगों को भी सुनामी से बुरी तरह प्रभावित होने वाले लोगों की भांति 40,000 रुपये की राशि दी जाए। 40,000 रुपये की राशि प्रत्येक परिवार को दी जानी चाहिए चाहे वह परिवार अनुसूचित जाति का हो, भूमिहीन श्रमिक हो या वह किसी भी समुदाय का हो। इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में क्या सोचा गया है? ऐसे सभी लोगों के मकानों का पुनर्निर्माण किया जाए और उसकी पूरी लागत सरकार द्वारा वहन की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुल राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा। मैं समझता हूं कि 'इंदिरा आवास योजना' या 'अम्बेडकर आवास योजना' के अंतर्गत कुल राशि 20,000 या 25,000 रुपए है। उन्हें केवल 10,000 रुपए दिए जाएं और शेष राशि ऋण के रूप में दी जाए। अन्य लोगों के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मैं माननीय कृषि मंत्री से इस विषय पर अनुरोध करना चाहूंगा। यद्यपि मैंने वित्त मंत्री से इस विषय पर चर्चा की है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह अपील करूंगा जिन्होंने अगले दिन इनमें से कुछ मुद्दों का निराकरण किया। किसानों की स्थिति इतनी खराब है कि उनके लिए जीवित रह पाना मुश्किल हो गया है। वे जीवित नहीं रह सकेंगे इसलिए वे आत्महत्या करने को मजबूर हो सकते हैं? दक्षिण कर्नाटक में भी, विशेषकर हेमावती में मैं स्वयं जानता हूं कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पहली बार इतनी भयानक बाढ़ आयी।

हमने ऐसी चीज अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। इस बार यह अप्रत्याशित वर्षा थी, यहां तक कि कावेरी बेसिन में भी भारी वर्षा हुआ। सभी दक्षिणी जिले प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

जहां तक अदरक की खेती का संबंध है, इसकी खेती की लागत 1,35,000 रु. है। आप अपने अधिकारियों से इस विषय के बारे में पूछ सकते हैं।

स्वयं खेती की लागत 1,35,000 रु. है। यह सत्य है कि यदि अच्छी फसल पैदा होती है, तो वे 6 लाख रु. अथवा 7 लाख रु. अथवा 8 लाख रु. दे सकती हैं। दुर्भाग्यवश, इस वर्ष हसन जिले में 30,000 एकड़ से अधिक की अदरक की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मैंने अधिकारियों के साथ स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया है। यह पूरी तरह से सड़ गई है तथा उससे दुर्गंध आ रही है। आप उसे देख तक नहीं सकते हैं। जब केन्द्रीय दल ने उन क्षेत्रों का दौरा किया था, उस समय बाढ़ उतरी नहीं थी। वे पूरे तथ्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। आप दल को दुबारा भेज

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

सकते हैं। वे वहां जाकर पूरी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करें। वे पूरी स्थिति की अद्यतन जानकारी लें कि फसल को कितना नुकसान हुआ है, वित्तीय संस्थाओं से, वाणिज्यिक बैंकों से अथवा सहकारी बैंकों से वास्तविक ऋण की राशि की क्या स्थिति है। किसानों के इस साल के सभी ऋण माफ किए जाने चाहिएं। अगले वर्ष में, फसल के ऋण का केवल ब्याज ही वसूला जाना चाहिए। मकान बनाने के लिए सभी प्रभावित व्यक्तियों को 40,000 रु. दिए जाने चाहिए चाहे वे अनुसूचित जातियों के लोग हों, भूमिहीन मजदूर हों अथवा अन्य समुदायों से संबंधित लोग हों। भारत सरकार द्वारा इसे एक विशेष स्थिति और परिस्थिति माना जाना चाहिए। कृपया सामान्य दिशा-निर्देशों अथवा नाबार्ड के दिशा-निर्देशों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की आड़ में शरण न लें। यह एक चेतावनी देने वाली स्थिति है। अन्यथा, एक बार जब किसान अपना धैर्य खो देंगे, तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। पूरी निष्ठा के साथ आप वहां गए थे तथा स्थिति का अध्ययन किया था। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री भी स्थिति का जायजा लेने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी भी वहां गई थीं। आपको स्थिति को संभालना है। श्री शरद पवार, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री, तीनों को साथ मिलकर गरीब किसानों की मदद के लिए आगे आना होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा): किसानों, विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक में किसानों की व्यवस्था के बारे में माननीय सदस्य श्री देवेगौडा ने जो भी कहा, मैं स्वयं को उससे सहयोजित करना चाहती हूं। माननीय सदस्य ने स्थिति का अत्यंत सटीक वर्णन किया है। श्री शरद पवार, जो धरती के सच्चे सपूत हैं, किसानों की व्यथा के बारे में जानते हैं। कर्नाटक राज्य में पिछले साढ़े चार सालों से सूखा पड़ा हुआ है। मैं केन्द्रीय सरकार, विशेष रूप से श्री शरद पवार तथा वित्त मंत्री की अत्यंत आभारी होऊंगी यदि वे साढ़े चार वर्षों का ऋण तथा उसका ब्याज माफ कर देंगे। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): मुझे कृपया उस बात से स्वयं को सहयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो माननीय सदस्य श्री देवेगौडा ने अभी-अभी कही है। मैंने लगभग तीन से चार दिन तक उन सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से इन चार जिलों अर्थात् बेलगांव, बीजापुर, बागलकोट और गुलबर्गा का दौरा किया है। यह बात सही है कि आपने भी हमारे जिलों का दौरा किया। ये सभी क्षेत्र कृष्णा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। पानी महाराष्ट्र से उतर चुका है, शायद उज्जैनी, कोयना आदि से भी उतर चुका है। जब भारी वर्षा होती है, जब कृष्णा बेसिन के आवाह-क्षेत्रों विशेष रूप से महाराष्ट्र में बादल फटता है, तो आप उसे टाल नहीं सकते हैं। वहां भारी बाढ़ आई थी। हजारों घर नष्ट हो गए। एक ही जिले में लगभग 26,000 घर नष्ट हुए। मैं इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तथा प्रभावित लोगों, जिन्होंने अपनी-अपनी संबंधित जमीनों में खड़ी फसल अन्यथा अपने घर खोए हैं, के लिए कतिपय राहत उपायों की घोषणा करने के लिए माननीय मंत्री श्री शरद पवार का अत्यंत आभारी हूं।

हमेशा की भांति जो एकमात्र मांग हम कर रहे हैं, वह है राज्य सरकार को अधिक निधि जारी किया जाना। अन्यथा राज्य सरकार स्थानीय लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंगारप्पा, आप कृपया स्वयं को केवल माननीय सदस्य के साथ ही सहयोजित कीजिए।

श्री एस. बंगरप्पा: मैंने ऐसा ही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप लंबा भाषण दे रहे हैं।

श्री एस. बंगरप्पा: मैं यह समझता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं स्वयं को उस बात से सहयोजित करता हूं, जो उन्होंने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह पर्याप्त है।

श्री एस. बंगरप्पा: शिमोगा में, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वर्धा नदी है। वह भी कृष्णा बेसिन के अंतर्गत आती है। हजारों एकड़ भूमि पूरी तरह जल मग्न हो गई है। आज भी, वहां पानी भरा है। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा एकड़वार नुकसान तथा ऐसी सभी चीजों का आकलन किया गया है। परंतु मुद्दा यह है कि जब तक भारत सरकार से अधिक धनराशि जारी नहीं की जाती है, राज्य सरकार इन लोगों की सहायता करने के लिए आगे आने की स्थिति में नहीं है। अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री से तथा माननीय कृषि मंत्री से भी निवेदन कर रहा हूं। साथ ही, मैंने दोनों को पत्र भी लिखे हैं। संभवत: आपको यह पत्र कल मिल गया होगा या आज आपको यह पत्र मिल जाएगा। कृपया तत्काल कार्रवाई करें। श्री देवेगौडा ने इन सभी बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है तथा मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। इस समय मुद्दा यह है कि हम आपसे कर्नाटक की राज्य सरकार को तत्काल अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर): महोदय, मैं स्वयं को इससे सहयोजित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया रुकिए। हालांकि यह कोई परम्परा नहीं है, श्री मल्लिकार्जुनैया, मैं आपको इसलिए अनुमति दे रहा हूं

क्योंकि आप भी इसी राज्य से संबंध रखते हैं। आप केवल इसी से ही सहयोजित हो सकते हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: बिलकुल ठीक है, महोदय। मैं स्वयं को इससे सहयोजित करता हूं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री देवेगौडा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है जिसका सामना कर्नाटक राज्य ने हाल में ही किया है। यह सही है कि इस वर्ष की बाढ़ और वर्षा, विशेष रूप से कृष्णा और भीमा बेसिनों में, असामान्य थी। वास्तव में, श्री देवेगौडा जी, मैं और श्री बंगारप्पाजी पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को कृष्णा बेसिन और भीमा बेसिन में और अधिक पानी छोड़ना चाहिए या नहीं। परंतु यह पहला वर्ष था कि दोनों ही राज्य एक भिन्न दृष्टिकोण अपना रहे हैं। एक अनुरोध किया गया था कि यदि पानी को रोकना संभव है, तो उसका प्रयोग। ...*(व्यवधान)* यह सत्य है कि समूचे क्षेत्र में असामान्य वर्षा हुई। वर्षा और बाढ़ ने दोनों राज्यों में वास्तव में तबाही मचा दी। वहां हुआ नुकसान असामान्य है तथा जो भी जानकारी माननीय देवेगौडा जी द्वारा दी गई है, जिसका समर्थन माननीय सदस्यों श्रीमती तेजस्विनी और श्री बंगारप्पा जी द्वारा तथा दूसरे पक्ष से श्री मल्लिकार्जुनैया द्वारा किया गया था, मैं उस समस्या से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने स्वयं भी कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था परंतु सभी जिलों का नहीं। बेलगांव, चिकोरी, रायबाग, अथनी और कतिपय अन्य क्षेत्रों में मैंने स्वयं देखा कि इस बाढ़ तथा अतिरिक्त वर्षा द्वारा किस प्रकार से नुकसान हुआ है। अनेक अवसरों पर, हमने देश में इस प्रकार की स्थिति को देखा है। परंतु नुकसान का समग्र आकार ऐसा है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अकेले कर्नाटक इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं कर सकता है। अत: इस स्थिति में यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि वह इन प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करे। समूचे क्षेत्र में जो फसल बर्बाद हुई है उसने वास्तव में उस क्षेत्र के समस्त कृषक समुदाय को तबाह कर दिया है। सार्वजनिक संपत्ति को हुई क्षति भी असामान्य है। इस स्थिति में, हमें एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सत्य है कि ऐसे अन्य मानदण्ड हैं जो देश में लागू किए गए है और जिन्हें हम अनेक वर्षों से कार्यान्वित कर रहे हैं। देवेगौडा जी ने एक प्रस्ताव और सुझाव दिया है कि हमें समस्त मानदण्डों पर पुन: विचार करना होगा। यह सत्य है कि जब सुनामी के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी, तो भारत सरकार ने उस समस्या को हल करने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था। मैं इस सभा को और इस सभा के माध्यम से इन सभी राज्यों के प्रभावित लोगों को, चाहे वे गुजरात, महाराष्ट्र अथवा कर्नाटक के हों या किसी अन्य राज्य के, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन मानदण्डों के मामले को अवश्य देखेंगे। हम एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। उदाहरण के लिए श्री देवेगौडा जी ने घरों के निर्माण के लिए निगरानी करने के बारे में सुझाव दिया है।

यह सच है कि आज 10,000 रुपये का प्रावधान है। यह भी सच है कि सुनामी समस्या के समय हमने नए मानक शुरू किए थे जिसमें 40,000 रुपये के अतिरिक्त जमीन की कीमत का प्रावधान था। मुझे माननीय सदस्य श्री देवेगौडा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है।

फसलों के नष्ट हो जाने की समस्या भी है। विशेषत: गन्ना, टमाटर, सोयाबीन, केला और मूंगफली प्रत्यक्षत: नष्ट हो चुकी हैं। मैं नहीं सोचता कि किसान इस स्थिति में हैं कि वे परिस्थितियों का सामना कर सके। वह कम से कम अगले दो या तीन साल तक खेती नहीं कर सकता। इसीलिए उनके बारे में अलग तरह सोचना पड़ता है।

माननीय सदस्य ने कई चीजों की सलाह दी है, उदाहरण के लिए ब्याज की माफी कर्ज की माफी। ये वे मुद्दे हैं जिन पर हमें नाबार्ड और रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करनी होगी। सरकार ये निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि धन विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जब तक कि हमारे द्वारा कोई व्यवस्था न की जाए, हम समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम निश्चय ही मामले पर ध्यान देंगे।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक टीम भेजी गयी थी। कल रात ही टीम कर्नाटक से लौटी है। हम उम्मीद करते हैं कि वे अगले तीन या चार दिनों में रिपोर्ट दे देंगे। मुझे आज ही गुलबर्गा से कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री और बंगलौर से माननीय उप मुख्य मंत्री का अनुरोध प्राप्त हुआ है कि कर्नाटक सरकार द्वारा जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है वह पर्याप्त नहीं है; वह एक आरंभिक प्रस्ताव है और कर्नाटक सरकार जल्द ही दूसरा प्रस्ताव देना चाहेगी।

श्री एच.डी. देवेगौडा: वे एक व्यापक प्रस्ताव देना चाहते हैं।

श्री शरद पवार: हां, वे एक सप्ताह की समयावधि में एक व्यापक प्रस्ताव देना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने मुझसे बात की है। वे और उनके सहयोगी अगले सप्ताह दिल्ली आना चाहेंगे और वे फसलों के नुकसान के बारे में माननीय प्रधानमंत्री व अन्य को एक पावर प्वाइंट प्रतिवेदन देना चाहेंगे। वे पहली या दूसरी

[श्री शरद पवार]

तारीख को दिल्ली आने वाले हैं। निश्चय ही हमें राज्य सरकार से पूरी सूचना मिलेगी।

हमें महाराष्ट्र से भी ऐसा ही अनुरोध प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अपनी टीम के साथ दिल्ली आना चाहेंगे, एक विस्तृत प्रतिवेदन और अपनी अंतिम रिपोर्ट देना चाहेंगे। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट, सूचना, अतिरिक्त सूचना दी जाएगी उसका पुनः आकलन भी किया जाएगा। हम जितना जल्दी संभव हो सके एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएंगे और तीनों राज्यों में उनकी समस्याएं हल करने के लिए उचित सहायता प्रदान करेंगे।

यह सच है कि स्थिति सामान्य नहीं है। इसीलिए भारत सरकार को बहुत सकारात्मक कदम उठाना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सकारात्मक कदम उठाएंगे। इस स्थिति में भारत सरकार दोनों राज्यों की सहायता करेगी।

श्री एच.डी. देवेगौडा: कृषि मंत्री को धन्यवाद देते समय मैं संघ सरकार के विचारार्थ केवल एक सलाह देना चाहूंगा। जहां तक ऋण राशि की प्रतिपूर्ति की बात है, मैंने यह मांग की है कि इसे माफ कर दिया जाए। जब तक केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रतिपूर्ति नहीं कर देती वे इससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि हमें रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशानिर्देशों का पता है। जब तक कि भारत सरकार कम से कम इस साल के लिए पूरी राशि की प्रतिपूर्ति का उत्तरदायित्व नहीं लेती यह व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसीलिए सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह इस पर विचार करे। मैं यह केवल सभा में ही नहीं रख रहा हूं बल्कि मैं पहले ही माननीय वित्त मंत्री जी से भी मिल चुका हूं। मुझे कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए जो कि इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से मिलूंगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरा सदन चिन्तित है। अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्थिति इतनी दयनीय है कि तुरंत कुछ किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं उदारतापूर्वक विचार करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कि मैं वहां जाऊं और इसके पहले कि अन्य नेता वहां पहुंचे आप वहां गए आपने वहां बेलगांव जिले के कुछ गांवों को देखा। प्रायः पूरे क्षेत्र में किसान कष्ट में हैं। कृष्णा श्रेणी क्षेत्र की दशा खराब है। कावेरी श्रेणी की हालत भी उतनी ही खराब है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार पुनः वहां आएं और स्वयं स्थिति का जायजा लें। अन्तर्मंत्रिमण्डलीय दल ने उस दयनीय स्थिति को देखा है जिसका सामना कर्नाटक कर रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप उसे इस स्थिति से उबारें। हम आपके आभारी रहेंगे।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। शुरू में, मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री देवेगौडा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बंगारप्पा की चिन्ता अपने साथ बांटना चाहता हूं। जैसा कि सदन को अच्छी तरह पता है पिछले हफ्ते मैंने ध्यानाकर्षण का मामला उठाया था तब माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी यहां थे। इस पर श्री शिवराज पाटिल जी ने उत्तर दिया था। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि कर्नाटक में सुनामी की तरह बाढ़ आयी है और पूरा कर्नाटक राज्य तबाह हो गया है। यहां पांच लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गयी है। अतएव आडवाणी जी, मैं स्वयं, रमेश जिगाजिनागी जी और येदिउरप्पाजी ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। महोदय, 130 लोग मर चुके हैं। 12000 से अधिक पशु मर चुके हैं। हमने अनुरोध किया है कि 3,272 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाना चाहिए। हमने यह भी अनुरोध किया था कि आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाए क्योंकि अभी एक एकड़ सूखी भूमि के लिए वे 400 रुपये दे रहे हैं और नम भूमि के लिए 1000 रुपये और बगीचे की भूमि के लिए वे 1600 रुपये दे रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही यह कह दिया है। वे मामले की जांच करेंगे।

श्री एच.डी. देवेगौडा: इस बार पूरा फसल ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पूरा फसल ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए। हम केवल यह ही नहीं कह रहे हैं कि पूरा फसल ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए अपितु हम यह भी कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और क्षतिपूर्ति भी दी जानी चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा: हमें मामले को कमजोर नहीं करना चाहिए। इस वर्ष के लिए सभी किसानों का पूरा फसल ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तविक हानि पर आधारित फसलों के लिए क्षतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। मैंने यह सब अनुरोध किया है। वे इस मुद्दे को कैबिनेट के समक्ष रखना और इस पर विचार करना चाहते थे। यह बिल्कुल अलग तरह का मामला है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह मामला उठाया है कि पूरा फसल ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपना पक्ष रख दिया है।

श्री अनंत कुमार: पूरा फसल ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए और माननीय कृषि मंत्री पूरी फसल हानि की क्षतिपूर्ति के

लिए तैयार हैं। हम जरूरत से ज्यादा प्रसन्न हैं लेकिन यही हमारी मांग है। वे कृपया पुन: प्रत्युत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। उन्होंने उत्तर दे दिया है। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज 25 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक बिहार के 80 हजार कर्मचारियों को जुलाई महीने का वेतन नहीं मिला है। बिहार का खजाना खाली हो गया है। संसद ने 5 महीने का जो बजट पारित किया था, तीन महीने के भीतर वह पैसा खत्म हो गया है। बजट का केवल 9 परसैंट पैसा खर्च हुआ है।

[अनुवाद]

बिहार में पूर्व प्रशासनिक अव्यवस्था है।

[हिन्दी]

बिहार में पूरी प्रशासनिक अराजकता है। बिहार के जो एकमात्र सलाहकार हैं, उनके भी सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। चीफ सैक्रेटरी छुट्टी से लौट कर आए हैं। उनका कहना है कि होम कमिश्नर हटाए जाएं। वह इसी शर्त पर लौट कर आए हैं। केन्द्र के मंत्री का आपस में मतभेद चल रहा है। विश्वविद्यालय के 33 हजार कर्मचारी जो तीन महीने से हड़ताल पर थे, वे लौट कर आए हैं। वहां जो परिस्थिति पैदा हो गई है, वह कंट्रोल से बाहर है। वहां प्रशासनिक अराजकता पैदा हो गई है। राज्यपाल ने रेल मंत्री को जो पत्र लिखा है, उसके कारण पूरी नौकरशाही का मनोबल गिरा है। बिहार के राज्यपाल को अविलम्ब हटाया जाए और उन पर महाभियोग लगाया जाए ताकि बिहार को प्रशासनिक अराजकता से बचाया जा सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अगर 9 परसैंट खर्चा हुआ है तो खजाना कैसे खाली हुआ? इसलिए यह तथ्यात्मक गलत है कि खजाना खाली है। सभी को वेतन मिलेगा और सारा काम होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में रेलवे के क्लास द्वितीय और तृतीय जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी सुविधाओं में विभेद बरता जा रहा है। जो रनिंग स्टाफ है, उन्हें 15 दिन की कैजुअल लीव की बजाय केवल 10 दिन की कैजुअल लीव दी गई है। जबकि उन्हें सात दिन ड्यूटी करनी पड़ती है और सप्ताह में एक दिन रेस्ट दिया जाता है। दूसरी तरफ जो आफिस का स्टाप है उन्हें भी दस दिन की सी.एल. दी जा रही है। उनसे पांच दिन काम लिया जाता है और उन्हें दो दिन छुट्टी मिलती है। यह बहुत बड़ा विभेद है।

दूसरी बात यह है कि रेलवे कर्मचारियों को जो पास दिया जाता है वह वाइफ और बच्चे के लिए होता है जबकि जिन माता-पिता ने पैदा किया, उनके लिए पास नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पन्द्रह दिन की सी.एल. रनिंग स्टाफ को दी जाए और रेलवे का पास जिन मां-बाप ने पैदा किया है, उनके लिए भी दिया जाए ताकि यह विभेद दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़-दक्षिण): महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के लिए फसल बीमा, विशेषकर खरीफ फसल बीमा की राशि जारी करने के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। इस संबंध में, लगभग 10,000 लोगों ने कर्नाटक के हवेरी जिले में फसल बीमा, विशेषकर धान की फसल की बीमा राशि जारी करने के लिए आवेदन किया है। कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में 30.4.2005 को कर्नाटक में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में, यह निर्णय लिया गया है कि किसानों को

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मंजुनाथ कुन्नूर]

2,10,00,000 रुपये तक की फसल बीमा राशि दी जानी है। कर्नाटक सरकार ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी, नई दिल्ली को अपना प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है किन्तु कृषि बीमा कंपनी ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। अत:, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से उक्त राशि तुरंत जारी करने का आग्रह करता हूं। कृषि बीमा कंपनी तकनीकी आधार पर राशि का भुगतान करने से इंकार कर रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। प्रीमियम का भुगतान किसानों द्वारा किया जाता है। जैसी कि हम सबको जानकारी है, पिछले तीन या चार वर्षों से कर्नाटक में सूखे की स्थिति थी। इस वर्ष हम बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में, मैं कृषि मंत्री जी से इस धनराशि को तुरंत जारी करने का आग्रह करता हूं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, मुझे अपने राज्य से संबंधित एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। यह मामला गुजरात के प्रस्तावित इंडस्ट्रीयल पार्क अध्यादेश को सहमति दिए जाने के बारे में है। गुजरात सरकार ने उद्योग अधिनियम, 1947 में संशोधनों सहित प्रस्तावित इंडस्ट्रीयल पार्क अध्यादेश के लिए केन्द्र सरकार की सहमति मांगी थी। परंतु भारत सरकार ने अपनी सहमति अब तक प्रदान नहीं की है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले की समीक्षा करे और अपनी सहमति शीघ्र प्रदान करे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, केरल के लोग प्रत्येक वर्ष "ओणम" नामक एक बड़ा त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार सितम्बर महीने में मनाया जाता है। केरल के लोग यह पर्व पूरे विश्व में मनाते हैं। वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। वे हरेक वर्ष इस त्यौहार के मौसम में अपने घरों को आते हैं। अब विमान कंपनियां कों इस विशेष अवधि के दौरान हवाई यात्रा किराए में वृद्धि करने के संबंध में आदत बन गई है। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कामगारों का बिना किसी औचित्य के शोषण किया जाता है। जब कभी "ओणम" का त्यौहार आता है, तब वे हवाई यात्रा किराए में 100 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक की तुरंत वृद्धि कर देते हैं। अब, आज भी, हवाई यात्रा किराए में वृद्धि की गई है। यह अत्यंत अन्यायपूर्ण बात है। यह मानवाधिकार के उल्लंघन तथा शोषण का स्पष्ट मामला है।

निजी विमानन कंपनियों ने एयर इंडिया, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, से बात की है। वे नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं तथा इस त्यौहार के मौसम में अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने इन कंपनियों के साथ सांठ-गांठ की है और इससे खाड़ी देशों में रह रहे केरल के लोगों के और अधिक शोषण का रास्ता खुल रहा है। सरकार को गरीब लोगों के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। अत:, मैं यू.पी.ए. सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ओणम त्यौहार के दौरान खाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था के लिए तत्काल कदम उठाए। यह केरल के लोगों का एक अनुरोध है। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस मामले पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। मैं एक बार पुन: एयर इंडिया के प्राधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वह त्यौहार के इस मौसम के दौरान अतिरिक्त उड़ानों को संचालित करे।

श्री सुशील खां (दुर्गापुर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई अनेक बैठकों तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को लिखे गए पत्रों के बावजूद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर सड़क के एक छोटे हिस्से, विशेषकर मोरेग्राम बाईपास प्वाइंट से पानागढ़ बेस एरिया तक की सड़क का निर्माण अब तक नहीं किया गया है। तीन वर्ष पहले जिस सड़क उपरिपुल का निर्माण किया गया था, वह क्षतिग्रस्त हो गया है और इस कारण से मोरेग्राम बाईपास प्वाइंट पर माल से लदे ट्रकों की लम्बी कतारें बन रही हैं तथा कोई भी वाहन घंटों तक इन कतारों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। रोचक बात तो यह है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही वाली नीतियों के कारण इस कार्य में किसी-न-किसी बहाने विलम्ब हो रहा है। किसी भी स्थिति में, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, जो पूर्वी भारत की जीवनरेखा है, पर इस जाम के कारण व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की यह राय है कि ठेकेदार और कुछ अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ है तथा इसी कारण से यह विलम्ब हो रहा है। इसलिए, मैं इस मामले में तत्काल जांच किए जाने तथा सड़क के हिस्से का निर्माण किए जाने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, हिन्दुस्तान में रोडवेज की बसें अलग-अलग प्रांतों में चलती हैं। इन रोडवेज की बसों में पहले फर्स्ट एड बाक्स हुआ करते थे। यदि कहीं किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को उल्टी या दस्त लग जाए तो गोली देने से आदमी ठीक हो जाता था। ये फर्स्ट एड बाक्स जो पहले देश की हर बस में लगे होते थे, हटा दिये गये हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि राज्य सरकारों से कहकर सारी बसों में फर्स्ट एड बाक्स लगाये जाएं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि रोडवेज की बसों में पहले सुझाव पुस्तिका होती थी। मैं शिकायत पुस्तिका की बात नहीं कर रहा हूं। वह सुझाव पुस्तिका भी बसों से हटा दी गई है। कृपया वह भी बसों में रखवाने की कृपा करे।

मेरा तीसरा सुझाव है कि रोडवेज की बसों में बोर्ड नहीं लगे होते हैं, जिससे बस कहां से कहां जा रही है, यह पता नहीं लगता है। यदि हम राजस्थान की बसों की बात करें तो वहां जो बसें चलती हैं, उनमें बोर्ड्स नहीं होते हैं। जिसके कारण जो आदमी दिल्ली से जयपुर जा रहा है वह जयपुर जाने वाला व्यक्ति दिल्ली वाली बस में बैठ जाता है। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं- बसों में फर्स्ट एड बाक्स रखवाये जाएं, सुझाव पुस्तिका की व्यवस्था की जाए तथा बसों में बोर्ड्स भी लगाये जाएं, जिससे कि बस के गंतव्य स्थान का पता लग सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने जो सुझाव रखे हैं, केन्द्र सरकार इस संबंध में विचार करके इन्हें राज्यों को पहुंचाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश के 80 से अधिक छावनी क्षेत्रों में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, पिछले दो वर्षों से वहां चुनाव लम्बित हैं। नया बिल न आने के कारण ये चुनाव रुके हुए हैं। इस कारण सारे छावनी क्षेत्र सैन्य अधिकारियों के द्वारा संचालित हो रहे हैं और सिविल का कोई आदमी इनका सदस्य नहीं है। मैं पिछले काफी समय में माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। चूंकि अभी तक जनप्रतिनिधि सांसद या विधायक छावनी क्षेत्र के मनोनीय सदस्य नहीं हुआ करते थे। मेरा आग्रह है कि जब तक वहां चुनाव न हों, चूंकि जब बिल आयेगा, उसके बाद ही वहां चुनाव होगा और इसमें अभी काफी समय लगेगा। इसलिए उन सभी सांसदों को यदि उनके क्षेत्र में संबंधित छावनी क्षेत्र हैं, उन्हें उनमें मानद सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए। इसके अलावा भविष्य में जो बिल बने, उसमें भी संसद सदस्यों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए, जैसे अन्य स्थानीय निकाय संस्थाओं में सांसद सदस्य के रूप में मनोनीत रहते हैं, उसी तरह से उन्हें भी इसमें मनोनीत किया जाए। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस ओर प्राथमिकता के आधार पर सभी छावनी क्षेत्रों में सांसदों को सदस्य के रूप में मनोनीत करेगी।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): माननीय सभापति जी, हमारे उत्तरांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने 2004 में अनेक पेयजल योजनाओं की स्वीकृति की घोषणा की जिनमें बरकिण्डा-मानिला, गंगोलीहाट, दन्या-धौलादेवी, चमड़खान व चिलियानौला-गगास, भौनखाल-काठ की नाव आदि प्रमुख हैं। सैकड़ों गांवों में पेयजल के प्राकृतिक स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं और पम्पिंग लिफ्ट पेयजल योजना के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रदेश के मुख्य मंत्री इस संबंध में केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध पत्र भी लिख चुके हैं और मैं भी प्रत्यक्ष रूप से माननीय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी से मिलकर निवेदन कर चुका हूं। चूंकि मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, इसलिए मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और जिन पेयजल योजनाओं का मैंने उल्लेख किया है, इनके लिए केन्द्रीय स्तर से धनराशि प्रदान करने की कृपा करें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कमलापुरी वैश्य जाति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में सूचीबद्ध होने के लिए काफी समय से प्रयत्नशील है। पिछली लोक सभा में भी कई बार यह मामला उठा था मगर दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार इस पर सकारात्मक रूख अख्तियार नहीं कर रही है। अभी तक कमलापुरी वैश्य जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि बिहार राज्य इस जाति को पिछड़ा वर्ग सूची के एनैक्सर 2 में 1978 में ही सूचीबद्ध कर चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामानन्द प्रसाद ने 1996 में ही अनुशंसा की थी जो अभी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के एनैक्सर 2 के क्रम संख्या 86 पर है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी तक इस पर सरकार कोई सकारात्मक रवैया अख्तियार नहीं कर रही है। कमलापुरी वैश्य जाति जो देश में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, यदि उसे पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर यह जाति आगे बढ़ सकती थी मगर दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन होगा कि यथाशीघ्र कमलापुरी वैश्य जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध करें ताकि आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपका पाइंट आ गया है।

श्री राम कृपाल यादव: पाइंट तो आ गया है मगर सरकार इस पर कोई रिस्पान्ड नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर असोसियेट करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): हम भी असोसियेट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं भी असोसियेट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: जिन माननीय सदस्यों ने असोसियेट करना है, वे लिखकर भेज दें।

श्री अनिवाश राय खन्ना (होशियारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत पाकिस्तान के बार्डर पर कांटेदार तार लगाई गई है। खास तौर से पंजाब का जो बार्डर है, वहां किसानों की जमीन तार के दोनों तरफ है। जब किसानों को अपनी जमीन पर काम करने जाना होता है तो वहां जाने के लिए दिन में दो-दो घंटे का समय ही निश्चित है। इससे किसान अपनी खेती पूरी नहीं कर पाते क्योंकि न तो बार्डर पर 24 घंटे बिजली मिलती है और जो नहर का पानी छोड़ा जाता है, वह भी कभी-कभी रात को छोड़ा जाता है। इसलिए किसानों को खेती करने में मुश्किल होती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों के आने जाने के लिए जो गेट है, वह सुबह से शाम तक खोला जाए।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो महिलाएं खेती या मजदूरी करने के लिए जाती हैं, उनकी चैकिंग के लिए वहां कोई महिला कर्मचारी नहीं है। पुरुषों की हाजिरी में पुरुष ही महिलाओं की चैकिंग करते हैं। इसलिए वहां महिलाओं द्वारा चैकिंग का इंतजाम भी कराया जाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पंजाब में खेती की कटाई कंबाइन्स से होती है। जो बड़े कंबाइन्स हैं, वे भी बार्डर के बाहर नहीं जा सकते। एक बात और बार्डर के एरिया में है कि वहां न स्कूलों में टीचर जाते हैं और न ही अस्पतालों में डाक्टर जाते हैं। इस कारण बार्डर के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरी सरकार से विनती है कि बार्डर एरिया डैवलपमैंट बोर्ड बनाएं, ताकि बार्डर के लोगों की समस्याओं को अलग ढंग से देखा जाए।

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और गंभीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बार्डर पर माइंस वगैरह बिछाई गई हैं और उसके लिए सरकार को मुआवजा देना होता है, लेकिन किसानों को मुआवजा देने में देरी हो रही है। जिन किसानों की जमीन में माइंस बिछाई गई हैं और जो जमीनें तार के नीचे आई हैं, उन किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरपंचों, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स और वहां के प्रशासन की मीटिंग होती थी, लेकिन यह मीटिंग न होने के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि यह मीटिंग नियमित रूप से हो, जिसके कि बार्डर के पास रहने वाले लोगों की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, आयोडिन रहित सामान्य नमक पर रोक लगाने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। साधारण नमक की अनुपलब्धता के कारण केरल और अन्यत्र स्थानों पर समस्त मात्स्यिकी क्षेत्र में गतिविधियां ठप्प हैं। जैसी कि आपको जानकारी है, ''सूखी मछली'' उद्योग नमक के बिना चल नहीं सकता। सरकारी आदेश के अनुसार, आयोडिन रहित नमक को खरीदने, बेचने या प्रदर्शित करने संबंधी कार्य नहीं किया जा सकता है। अब मात्स्यिकी क्षेत्र को आयोडिन-युक्त नमक का प्रयोग करना होगा। मात्स्यिकी क्षेत्र में 80 रुपये प्रति बोरे साधारण नमक के स्थान पर 500 रुपये प्रति बोरे का भुगतान कर आयोडिन युक्त नमक के प्रयोग द्वारा एककों को चलाना बिल्कुल संभव नहीं है। अनेक एककों को पहले ही बन्द कर दिया गया है तथा अनेक अन्य एकक बन्द होने के कगार पर हैं। केरल में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, उनका 40 प्रतिशत भाग छोटी मछलियों का होता है और उन्हें बिना नमक के रखा नहीं जा सकता। केरल में हजारों ऐसे छोटे एकक है जहां छोटी मछलियों को संसाधित करने के साथ-साथ उनका भंडारण और वितरण किया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतर कामगार महिलाएं हैं और उन्होंने अपनी आजीविका खो दी है। बर्फ संयंत्रों को चलाने के लिए भी काफी बड़ी मात्रा में नमक की आवश्यकता पड़ती है। बर्फ की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है तथा मत्स्य एकक ऐसी महंगी कीमत पर बर्फ के ब्लाकों को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं।

बोट ओनर्स एसोसिएशन तथा अन्य एसोसिएशंस ने माननीय प्रधानमंत्री को पहले ही एक ज्ञापन दे दिया है और वे हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आयोडिन-रहित नमक पर रोक लगाने संबंधी आदेश के प्रावधानों को शिथिल करें और मात्स्यिकी क्षेत्र में हजारों लोगों की आजीविका बचाएं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले भी यह मुद्दा उठाया था और बहुत ही गंभीर मामला है। ओएनजीसी के प्लेटफार्म में आग लगी थी और जिस तरह से मंत्री महोदय ने जवाब दिया, यह बहुत ही संदेहास्पद है। मैंने उनसे पूछा था कि एन-7 में जो घायल व्यक्ति था, वह कौन था? वह जिंदा है या मर गया है। उसके हाथ में चोट आई थी और एन-7 और बीएचएनएल दोनों प्लेटफार्म दूर-दूर हैं और बीएचएनएल जो हाई नार्थ का प्लेटफार्म है उसमें हेलिकाप्टर था और वह घायल व्यक्ति ओएनजीसी का है या कंट्रिक्टर का है, यह इस सदन को नहीं बताया गया है।

उस घायल को ले जाने के लिए मल्टी परपस सपोर्ट वैसल एन-7 पर गई। वह बोट एन-7 से घायल व्यक्ति को लेकर किनारे पर भी जा सकती थी, वह बोट किनारे पर क्यों नहीं गई और उन्होंने बताया कि बीएचएनएल प्लेटफार्म से वह टकरा गई। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है। वह बोट वहां नहीं डूबी जहां 72 मीटर गहरा पानी था और बाद में जहां 22 मीटर गहरा पानी था, वहां बोट कैसे डूब गई? इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग उस दुर्घटना में बच गए, मैं स्वयं उनसे मिला हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पन्द्रह मिनट पहले हैड्रोफाइल बोट जा रही थी। वह सबमेरीन हैड्रोफाइल बोट थी, जिससे टारपिडो मार सकते हैं। एक टारपिडो इंजन पर मारा गया, जिस कारण इंजन में पानी आ गया और दूसरा टारपिडो राइजर पर मारा गया, जिससे आग लग गई। मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया कि:-

[अनुवाद]

"अचानक उछाल और अप्रत्याशित फैलाव ने इस बेसल को अप्रत्याशित रूप से व पूरी तरह अभूतपूर्व रूप से फेंक दिया। यह रेंज से बाहर हो गया और ऐसा प्रतीत होता है कि वह एमएसवी का निचला हिस्सा ही था जो प्लेटफार्म से जा टकराया।"

[हिन्दी]

जब इंजन इतना पावरफुल था तो वह पोजिशन क्यों नहीं ले सका। यह बोट यूएस नेवी की हैड्रोफाइल सबमैरीन बोट थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब एक षड़यंत्र के तहत हुआ है। इसकी पब्लिकली न्यायिक जांच होनी चाहिए कि कौन-सा देश इसके पीछे है और सरकार क्यों चुप बैठी है?

सभापति जी, सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है। इसलिए मैं पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री मणि शंकर अय्यर के रैजिगनेशन की मांग कर रहा हूं। वहां 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, दो घंटे में सारा प्लेटफार्म जलकर राख हो गया और 11 व्यक्तियों का पता नहीं है। क्या वे अब तक जिन्दा होंगे? मुझे नहीं लगता। अत: मैं आपके माध्यम से हम्बल रिक्वैस्ट करता हूं कि इस मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री मणि शंकर अय्यर इस्तीफा दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपका पाइंट आ गया। अब आप बैठिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी जीरो आवर का नोटिस है। मैं भी बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैंने पहले आपको देखा था, लेकिन आप नहीं थे। अब छ: बजे के बाद आपको समय देने पर विचार किया जाएगा।

अपराह्न 2.06 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी। हम मद संख्या 41 लेंगे।

श्री जय प्रकाश (हिसार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 24 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 24 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.07 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) सभी राज्य विधानमंडलों और संसद की दोनों सभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं. 42, श्री सी.के. चंद्रप्पन द्वारा पेश किया गया संकल्प लेंगे। आबंटित समय चार घण्टा था, और हम तीन घण्टे पहले ही ले चुके हैं। हमारे पास केवल 59 मिनट बचे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अब, मैं प्रो. रासा सिंह रावत से अपनी बात जारी रखने का अनुरोध करता हूं। वह उपस्थित नहीं है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता - उपस्थित नहीं।

श्रीमती तेजस्विनी सीरमेश - उपस्थित नहीं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा पुर:स्थापित संकल्प का समर्थन करने में अति प्रसन्नता हो रही है। मूलत: वह केरल से हैं। जाहिर है, देश के अन्य भागों में अनेक लोगों से भिन्न, वह महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किए जाने के समर्थन में अधिक है। यद्यपि मैं केरल का नहीं हूं फिर भी मैं इस विधेयक की काफी सराहना करता हूं क्योंकि यह पुरुष सदस्य की ओर से महिलाओं के लिए आरक्षण के समर्थन में आ रहा है। कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास के कारण मेरी यह राय है कि उनके द्वारा सुझाए अनुसार हमें महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना ही चाहिए।

इसका कारण है कि शुरुआती समय में पुरुषों की भूमिका तय की गई थी कि वे बने ही परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए हैं। इसकी वजह है कि उन दिनों कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं थे। शारीरिक क्षमता ही मानदण्ड थी। उन दिनों वन में जाने, जानवरों का शिकार करने, भोजन जुटाने और ऐसे ही तमाम कार्यों के लिए शारीरिक क्षमता अपेक्षित होती थी। इसी प्रकार, शत्रुओं आदि से लड़कर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी शारीरिक क्षमता अपेक्षित होती है। जाहिर है, समय के साथ-साथ यह पुरुषोन्मुखी समाज बन गया है। कई अन्य लोगों ने इस बात का लाभ उठाया और महिला पर यह थोप दिया कि वह तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए और घर की जरूरतों को देखने के लिए भी बनी है। निश्चित रूप से उसे घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए और न ही उसे पुरुषों की बराबरी करनी चाहिए। हजारों वर्ष तक यही राय कायम रही। यह धारणा लोगों के खून, समाज और सर्वत्र व्याप्त हो गई। समाज में एक आम धारणा बन गई कि पुरुष बाहर के कार्यों के लिए बने हैं और महिलाएं घर में रहने के लिए ही बनी हैं। वे केवल बच्चों की देखभाल करने, उनकी परवरिश करने और खाना पकाने तथा घरेलू कामकाज करने के लिए ही बनी हैं। जैसे-जैसे समय बीता, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ-साथ, काफी परिवर्तन देखने में आया। मेरे दादाजी के समय में कोई भी महिला घर से बाहर नहीं आया करती थी। महिला भी इसे बुरा नहीं समझती थी। समाज भी इसे कभी बुरा नहीं मानता था। अब जागरूकता और चेतना आ गई है। संचार का विकास हुआ है। महिलाओं के विचार बदल गए हैं। पुराने समय में महिलाएं शिक्षित नहीं थी। यहां तक कि कुछ धनी और संभ्रांत परिवार भी अपनी बालिकाओं को घर से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं करने देते थे। शिक्षक उनके घर आकर उन्हें पढ़ाते थे। इसका अर्थ है कि उन्हें घरों से बाहर निकलने से रोका जाता था। धीरे-धीरे, बदलाव आने लगा है। अब, समाज ने महिलाओं को भी शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को महसूस किया है। उन्हें इसकी अनुमति दे दी गई है।

अब, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अगर घरों में महिलाएं शिक्षित होंगी तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, समाज में बेहतर तालमेल बनाने में आसानी होगी, और परिवार समाज में तरक्की करेगा। इसलिए, एक सीमा तक इसे स्वीकार कर लिया गया है। अब, स्थिति तकरीबन ऐसी आ चुकी है कि स्कूलों में लड़कियों और लड़कों दोनों की संख्या समान है, और आश्चर्य की बात है कि लड़कियों का प्रदर्शन शिक्षा में लड़कों से कहीं बेहतर है। अनेक अवसरों पर, ऐसा शिक्षा में उनके ध्यान केंद्रण और यह सिद्ध करने के लिए उनके अनुशासन अथवा दृढ़निश्चय के कारण है कि वे पुरुषों से अधिक समर्थ है। इन सभी बातों से उनकी क्षमता सिद्ध हुई है। इसका अर्थ है कि यह सिद्ध हो चुका है कि अवसर मिलने पर महिला जीवन के किसी भी क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र सहित, पुरुषों से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। शारीरिक गठन की दृष्टि से, हममें से कोई भी यह सोच सकता है कि महिलाएं शरीर से कमजोर हैं, और पुरुष उनसे अधिक मजबूत व आत्मविश्वासी होते हैं। हो सकता है ऐसा हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आज के सुधार को देखते हुए,-माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं-लड़ाई हाथों से नहीं अपितु हथियारों से होती है। महिलाओं ने अपनी क्षमता भी दिखा दी है, और सिद्ध कर दिया है कि वे पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ हैं। वे आज कराटे भी सीख रही हैं। आज, आप भेद नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि महिला कमजोर होती हैं। वह पुरुष के समान ही क्षमतावान है।

अन्य बात जो है, चाहे प्रौद्योगिकी हो, क्षमता हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, महिलाएं अपनी उत्तमता सिद्ध कर रही हैं। अब, जो कमी है वह है विधानमण्डल और संसद में उनकी उपस्थिति। हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए संविधान में आरक्षण किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था कि आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण दिया जाए, अन्यथा वे खुली प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कुछ वर्षों तक तो उनको अवसर दिया ही जाना चाहिए ताकि वे भी अग्रसमुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी क्षमता, आत्मविश्वास और अन्य सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। उन्हें ऐसा अवसर दिया जाता है।

अब, बारी महिलाओं की है। आप नहीं कह सकते कि महिलाओं को विधानमण्डल में निर्बाध रूप से आने और चुनाव जीतकर समाज में उसे लोकप्रिय बनने का अवसर दिए बिना, अगर आप उसे रातोंरात चुनाव में उतार देते हैं तो वह चुनाव जीत सकती है। इसका कारण है कि वह समाज में लोकप्रिय नहीं बन पाई है। पहले से ऐसे काफी पुरुष मौजूद हैं जो बहुत लोकप्रिय है। अगर पुरुष और महिलाओं के बीच मुकाबला होता है-हर स्थान पर नहीं-तो पुरुषों को ही लाभ होगा। जाहिर है, हमें उसी सिद्धांत का अनुपालन कर कुछ आरक्षण करने होंगे जैसा हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों के लिए कम से कम कुछ वर्षों के लिए किए हैं। मैं नहीं कहता कि आरक्षण हमेशा के लिए होना चाहिए, लेकिन हमें महिला को कौशल, सामर्थ्य, ज्ञान, साहस, आत्मविश्वास आदि हासिल करने का अवसर देना ही चाहिए ताकि उसे भी पुरुष से कम न आंकी जाए; यहां तक कि राजनीतिक जीवन, विधान बनाने, निष्पादन करने, कार्यान्वयन करने और न्यायपालिका में भी उसे अवसर अवश्य दिए जाने चाहिए।

उसी सादृश्यता पर, जो हमने वंचित वर्गों को दी है, हमें महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए।

आज, महिलाएं समाज के उत्पीड़ित वर्गों में आती हैं। देश ने तो 1947 में ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी लेकिन हमारी महिलाओं ने नहीं। महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त करनी शेष है। प्रत्येक दल कहता है कि वह महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में है लेकिन वास्तविकता में कुछ निकलकर नहीं आता।

यह लज्जा की बात है। महिलाओं को किन पर भरोसा करना है? उन्हें किस दल पर विश्वास करना है? जब विधेयक पारित करने की बात होती है तो हर कोई पीछे रह जाता है। मेरी राय है कि आम सहमति हो सकती है। किस तरह से यह किया जा सकता है इस पर विधान मंडल के बाहर चर्चा की जा सकती है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आरक्षण के स्वरूप और तरीके के बारे में आम समझ बना सकते हैं। यदि दलों के बीच 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर मतैक्य नहीं बन पाता है, उन्हें अपेक्षाकृत कम प्रतिशत आरक्षण दे दो। आज हमारे विधानमंडलों में लगभग 8 से 10 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसलिए उन्हें शुरू में 20 अथवा 25 प्रतिशत से शुरू करने दे और बाद में बढ़कर 33 प्रतिशत फिर 50 प्रतिशत तक बढ़ाने दें। पूरी आबादी की लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं और उन्हें सीटों से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें वंचित कर विधानमंडलों में सीट लेना हमारा अनन्य विशेषाधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि श्री कपिल सिब्बल जो कि मशहूर वकील है, उनके जैसे लोग इस पर विचार करे और विधान बनाने हेतु वैकल्पिक पद्धति सुझाएं अथवा विभिन्न दलों के बीच एक आम राय कायम करें ताकि हम आरक्षण देने के मुद्दे को लम्बे समय तक लंबित रखने की बजाय एक पहल करें।

आज यदि हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इसका श्रेय श्री राजीव गांधी को जाता है। 40 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने, श्री राजीव गांधी हमेशा बड़ी संख्या में युवकों को विधानमंडलों में लाने की सोचते थे। इसी प्रकार, वे महिलाओं को भी बड़ी तादाद में विधानमंडलों में लाना चाहते थे। युवकों और महिलाओं को उनके द्वारा किया गया प्रोत्साहन अविस्मरणीय है। अपने शासनकाल में, संविधान में संशोधन किया गया था जिसके तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसलिए एक पहल की गई है और अब इसका अनुसरण किया जाना है।

आज, संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी इस बात पर विशेष ध्यान दे रही हैं कि हमारे विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक लोक सभा के मौजूदा कार्यदल के दौरान ही पारित किया जाना चाहिए। वे चाहती हैं कि सभी दलो को व्यापक मासिकता से बदलते परिदृश्य में एकजुट होकर आगे आना चाहिए और इस विधेयक को पारित करने पर विचार करना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आरक्षण सदा के लिए होगा। यह केवल एक शुरूआत भर है। हम अभी आरक्षण दे दें जिसे बाद में समाप्त कर देंगे जब उनका सबलीकरण हो जाएगा और वे विधानमंडलों में पुरुषों की बराबरी में आ जाऐंगी।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हमारी शिवसेना पार्टी भी है। मातृ शक्ति को तो बढ़ना ही चाहिए और हर जगह उनको स्थान मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का कहना है कि आरक्षण दिया जाए, लेकिन किस तरह से आरक्षण देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार में महिलाओं को लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण देने की कोशिश चल रही थी, लेकिन नेताओं तथा राजनीतिक दलों में एकमत न होने के कारण इसे मूर्त रूप न दिया जा सका। मेरा तो यही कहना है कि महिलाओं को लोक सभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण चुनाव क्षेत्र के तहत नहीं होना चाहिए। जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उन्हें अपनी-अपनी पार्टी के माध्यम से जितने भी उम्मीदवार खड़े करने हैं, उनमें से 33 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। चुनाव आयोग ने भी यह सुझाव दिया था कि आपकी लिस्ट में जितने उम्मीदवार हैं, उनमें से 33

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। हम भी उसी पक्ष में हैं, क्योंकि अगर किसी कौन्सटीटूएंसी का कार्यकर्त्ता अच्छा काम करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सीट महिला के लिए हुई, तो फिर कोई कार्यकर्त्ता जबरदस्ती अपनी पत्नी या किसी रिश्तेदार को खड़ा करेगा। इसमें ऐसे भी चांसेज होते हैं कि जिसे खड़ा किया जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण स्थानीय निकाय, महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर परिषद् और जिला पंचायत आदि में देखने को मिलते हैं। हमारे यहां अगर कोई महिला सभापति बन जाती है तब भी उसका पति ही कार्य करता है। महिलाओं को बोलने का अवसर नहीं मिलता। राजनीति में कई अच्छी महिलाएं होती हैं, जैसे इंदिरा जी थीं, सरोजिनी नायडू थीं और महाराष्ट्र में मृणाल गोरे थीं। अभी भी हमारे पास कई अच्छी महिला कार्यकर्त्ता हैं। लेकिन अगर उनके क्षेत्र की सीट पुरुषों के लिए हो, तो उनका चांस खत्म हो जाता है।

माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने यही कहा था और एनडीए सरकार के समय हमने अपनी यही भूमिका रखी थी। बाबा आम्टे बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, जो गड़चिरौली में सभी कुष्ठ रोगियों की मदद करते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी साधना ताई भी कार्य करती हैं। मान लें साधना ताई को गड़चिरौली से चुनाव के लिए खड़े करना चाहते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगा, तो उनका चांस खत्म हो जाएगा। दूसरे कार्यकर्त्ता कहेंगे कि उनका यहां रिजर्वेशन नहीं है, इसीलिए हमें चांस देना चाहिए। उस समय पार्टी भी यही सोचेगी कि साधना ताई कुष्ठ रोगियों की सेवा करती हैं, आदिवासी लोगों के लिए काम करती हैं, ये चुनकर आ सकती हैं, लेकिन वहां उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है।

कल हमने यूपीए सरकार को भी यही कहा था कि शिवसेना पार्टी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन चुनाव क्षेत्र से नहीं। आप चुनाव क्षेत्र छोड़कर पार्टियों को दे दें। मान लें हमारी पार्टी पूरे देश में सौ सीटें लाना चाहती हैं, तो उनमें 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। इस समय शिवसेना के 12 सांसद हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खुदा-न-खास्ता अगर रिजर्वेशन हो गया। ...*(व्यवधान)* हम तैयार हैं। उनका कार्य अच्छा होने के बावजूद भी अगर माननीय बाला साहब ठाकरे कहें कि इनको वापिस करना है, तो आटोमैटिकली महिलाओं की संख्या उसमें बढ़ जाती है। अभी हमारे यहां महापालिका का जो चुनाव हुआ, उसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का कोटा बराबर पूरा हुआ जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी सबका रिजर्वेशन था। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है। हमने चार महिलाएं खड़ीं कीं-दो शिवसेना की तरफ से और दो बीजेपी की तरफ से। वे सभी चुनाकर आ गईं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमें मातृ शक्ति का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि किसी भी चुनाव क्षेत्र पर सीट आरक्षित कर दी जाए। आरक्षण पार्टियों पर होना चाहिए। उनके लिए कम्पलसरी करना चाहिए कि आप जितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे, उनमें 33 प्रतिशत महिलाओं को खड़ा करेंगे। इस तरह का कानून बनाना चाहिए ताकि उसमें सभी महिलाओं को स्थान मिले। ...*(व्यवधान)* जो महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं, वे इनमें काम कर सकेंगी। ...*(व्यवधान)* राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्य मंत्री रही हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसा और जगह भी हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रकांत खैरे, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए किसी और को नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अभी भी अपने देश में महिला मुख्यमंत्री हैं। क्या वे आरक्षित सीट में से चुनकर आई हैं? वहां आरक्षण नहीं है लेकिन वे फिर भी काम कर रही हैं। श्रीमती शीला दीक्षित दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं। इसी तरह सुश्री मायावती और राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये महिलाएं काम नहीं कर रही हैं? मेरा कहना है कि स्ट्रेटअवे पार्टियों के ऊपर 33 परसेंट आरक्षण का रूल बनाया जाये और उसी माध्यम से बिल पास किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा और मेरी पार्टी का जो मत है, उसे मैंने यहां रखा है।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं दु:ख और निराशापूर्वक इस चर्चा में भाग ले रही हूं। दीर्घाधिक, लंबी और मैराथान चर्चाओं के बाद भी वह मुद्दा वहीं का वहीं है। वस्तुत: यह शर्म की बात है। महोदय, इस देश की महिलाएं किसी विशेष मद की मांग नहीं कर रही हैं। यह उनका वैध और जनतांत्रिक अधिकार है जिसकी वे मांग कर रही हैं।

हमारे राष्ट्र की सामूहिक बुद्धि इस बारे में राष्ट्रीय विधायन बनाने हेतु आम राय कायम करने और किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में आज तक बिल्कुल विफल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोण से व्यापक स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह वास्तविक और वैध अधिकार है और विशेषाधिकार है जिसे इस देश की महिलाओं को उपलब्ध

कराया जाना है जो जनसंख्या का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है। अतः मुझे अपनी पार्टी माकपा (मार्क्सवादी) पर गर्व है कि यह अन्य वामदलों के साथ शुरू से ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था की इस मूलभूत अपेक्षा के लिए निरंतर संघर्षशील रही है। फिर भी हमारी इच्छा है कि हम मूल विधेयक को पारित कराएं। मौजूदा संख्या में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अधिनियम एक आदर्श चीज है। विधान सभाओं में भी मौजूदा संख्या के भीतर यही व्यवस्था कायम की जा सकती है।

ऐसी भी तर्क दिया जाता है कि महिलाएं प्रशासन का उत्तरदायित्व नहीं संभाल सकती हैं। लेकिन हमारे अनुभव से साफ-साफ पता चलता है कि देश में आज की महिलाएं किसी भी कार्य को बिल्कुल कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने रिकार्ड कायम किया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का हमारा प्रयोग सकारात्मक रहा। महिलाएं साबित कर सकती हैं कि वे ऐसे मामलों में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। बहुत सी पंचायती राज संस्थाएं जो महिलाओं द्वारा संचालित हैं, कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

केरल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रतिशतता 33 प्रतिशत से अधिक है। गांवों में विकासात्मक परियोजनाओं में नेतृत्व प्रदान करने में उनकी भूमिका काबिले तारीफ है। इस क्षेत्र में महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और स्वीकार्य पाई गई हैं और स्थानीय जनता तथा निर्धन व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के प्रति वे कहीं अधिक संवेदनशील हैं।

मैंने स्वयं केरल में अलप्पूजा के जिला पंचायत में अध्यक्ष के रूप में आठ वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मेरे स्त्री होने के कारण जिले में विकास का कोई कार्य दुष्प्रभावित नहीं हुआ। सच तो यह है कि समग्र कार्यनिष्पादन के दृष्टिगत मेरे पंचायत को सर्वोत्तम जिला पंचायत का पुरस्कार मिला। मैं यहां इसका उद्धरण यह बताने के लिए दे रही हूं कि अवसर दिए जाने पर हम महिलाएं अपने पुरुष साथियों की तरह ही कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकती हैं। महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सन् 1996 में विधेयक तैयार होने के समय से ही वाद-विवाद जारी है। अब लगभग एक दशक हो चुका है और इस मुद्दे पर हम आम राय नहीं कायम कर पाए हैं। इस मुद्दे पर असीम चर्चा हुई है किन्तु किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। फिर दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे पर पुरुष प्रधान समितियों में चर्चा की जा रही है और हो सकता है कि इसी कारणवश, इस मुद्दे को अपेक्षित गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है। हमें राजनीतिक इच्छाशक्ति दर्शानी चाहिए। महिलाएं उम्मीद कर रही थी कि इसी सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। बिल्कुल निराशाजनक बात है कि ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं चल सकता है। कम से कम आगामी शीतकालीन सत्र में इसी वर्ष इस विधेयक को पारित करने के लिए हमें कोई समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

अनुरोध है कि सरकार इस बारे में और विलंब किए बगैर इस आशय का विधेयक प्रस्तुत करे।

[हिन्दी]

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिला आरक्षण के संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत हो लेकिन संविधान में जो अनुसूचित जातियों का आरक्षण है, उसमें 33 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण हो सकता है लेकिन पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के आरक्षण के लिए मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती है कि अलग से बिल लाकर उनको भी आरक्षण दिया जाए। इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से, इस सरकार से अनुरोध है कि आज तमाम बिन्दुओं पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। एक सवाल और भी आया था कि राज्य सभा में और विधान परिषद में भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि पूरे देश में सीटें बढ़नी चाहिए। इस बारे में लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद में भी एक सवाल आएगा। सरकार के सामने यह बहुत ही अहम मुद्दा है। इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि लोक सभा और राज्य सभा मिलाकर केवल एक लोक सभा रखी जाए तथा विधान सभा और विधान परिषद् में विधान सभा रखी जाए। पूरे देश में लोक सभा के सदस्यों की संख्या लगभग एक हजार कर दी जाए। उसी तरह से पचास राज्यों में लगभग बराबर जनसंख्या और बराबर क्षेत्रफल के अनुपात में पूरे देश को लगभग पचास राज्यों में बांटा जाए। यहां पर जो परेशानी आ रही है, इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जो मत जिस पार्टी को मिलते हैं, समानुपातिक नौमिनेट पार्टी की तरफ से सदस्य नौमिनेट किये जाएं। यह मेरा अलग से हटकर विचार है। किस पार्टी को कितने मत मिल रहे हैं और लोक सभा तथा विधान सभा के सदस्यों की संख्या में जितने मत प्राप्त होते हैं, जितने वोट पाते हैं, उसके हिसाब से कितनी उनकी संख्या नौमिनेट होनी चाहिए, उसमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक का आरक्षण करना चाहिए, फिर उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यह मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि इस तरह से चाहे विधान सभा हो या लोक सभा का मामला हो, हर मामले का समाधान हो सकता है। जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत में भी इस संबंध में मैं अपना व्यक्तिगत सुझाव रख रहा हूं। आरक्षण का समाधान हो सकता है, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करे।

[श्री लालमणि प्रसाद]

अंत में, मैं पुनः इस महिला आरक्षण के संकल्प का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा लाये गये महिला आरक्षण के बारे में जो संकल्प पेश किया गया है, उस स्वरूप का हम समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। महिला आरक्षण हो, इसका हमारा विरोध नहीं है। लेकिन किस रूप में होगा, सबसे पहले उसका स्वरूप चेन्ज होना चाहिए। दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही यह आरक्षण बिल सदन में लाया जाए। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है लेकिन वहां आज भी महिलाएं काम करने में सक्षम नहीं हैं, वे काम नहीं कर पाती हैं। उनके सारे काम उनके पति करते हैं। पूरे देश और विश्व में कहीं संसद में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

कभी-कभी यहां चर्चा होती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसके लिए सीटें बढ़ा दी जाएं, सदन की संख्या बढ़ा दी जाए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके काम करना कठिन हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में जितने विधायक हैं, सदन में विधायकों के बैठने के उतने ही स्थान है। अगर वहां सीटें बढ़ा दी जाएंगी तो इसके लिए राजस्व पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, सदन में सीटें बढ़ानी पड़ेंगी और इसके लिए तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर लोक सभा में सीटें बढ़ाई जाती हैं तो वही दिक्कतें आएंगी। इन सब तमाम दिक्कतों को देखते हुए, 33 प्रतिशत आरक्षण का यह जो संकल्प पेश किया गया है, वह असंभव है। सभी पार्टियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए जिसमें सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से अपने-अपने आरक्षण लागू करें और उसमें भी दलितों, पिछड़े लोगों और अल्पसंख्यक-सभी के लिए प्रावधान किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, श्री देव, कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किया गया यह संकल्प स्वागत योग्य है। यह वाद-विवाद का विषय है।

आज हमारे देश की जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है। यदि हम महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्थिक सूचकों का अध्ययन करें तो स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा को ही लें, हमारे देश में महिला निरक्षरता दर सर्वाधिक है। उनके सम्मुख आने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों की संख्या भी अधिक है। शिशु मृत्यु दर हमारे देश के उड़ीसा राज्य में और विश्व के देशों में भारत में सबसे अधिक है।

जहां तक महिला अधिकारों के उल्लंघन का संबंध है वह भी हमारे देश में काफी अधिक है। कल इसी विषय से संबंधित विधेयक जिसका नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक है, भी पारित किया गया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान न डालें। कृपया सभा में शांत रहें।

श्री बिक्रम केशरी देव: यदि हम महिलाओं से सामान्यतः संबंधित इन सभी मानवीय समस्याओं पर ध्यान दें तो यह उचित समय है कि हम इस सम्मानित सभा में तथा संबंधित विधान सभाओं में और अधिक महिला प्रतिनिधियों को स्थान देने के बारे में सोचना आरंभ करें। इससे वे अपनी समस्याओं को बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकेंगी और कुछ सीमा तक समस्या का समाधान भी हो सकेगा। अतः यह एक स्वागत योग्य कदम है।

मुझे याद है मेरे राज्य उड़ीसा में स्व. श्री बीजू पटनायक ने अपने समय में 73वें संशोधन में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के सशक्तीकरण की शुरूआत की। उन्होंने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया, और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आज जो उड़ीसा में शासन कर रही है हमारी गैर कांग्रेसी सरकार ने "मिशन शक्ति" शुरू की है। कई महिला कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अन्य कार्यक्रमों पर काम होने ही वाला है।

लेकिन यदि आप स्थायी समिति की रिपोर्टों, प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों आदि की बारीकी से संवीक्षा करें तो यह पता चलता है कि महिला कल्याण संबंधी योजनाओं की उपलब्धियां निराशाजनक या बहुत ही कम हैं। अतः, महिलाओं को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इस सम्मानित सभा में आना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोग यह कह रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। किंतु मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि मेरे जिले कालाहांडी में जिसके बारे में मैंने तीन या चार पत्र लिखे, मैं यह नहीं जानता कि माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह जानते है या नहीं कि-बालिका समृद्धि योजना-जिसके अंतर्गत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति के रूप में छोटी सी राशि दी जाती है-के लिए पिछले दो वर्षों से कोई राशि नहीं मिली है। मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं मुझे विश्वास है कि वे इस बात पर गौर करेंगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहती हूं कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है।

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं जानता हूं कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चूंकि आप उनकी केबिनेट सहयोगी हैं और महिला भी हैं, अत: आपसे गुजारिश है कि आप इस सभा की भावनाओं, मेरी और मेरे जिले की जनता की भावनाओं से उन्हें अवगत कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप देखें तो पता चलेगा कि आईसीडीएस कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। वे महिलाएं जो मानदेय पर कार्य कर रही हैं मैं उनकी इस बात की सराहना करता हूं कि दूर-दराज के जनजातीय इलाकों में वे देश के बच्चों की बेहतरी के लिए अवैतनिक सेवा प्रदान कर रही हैं। यदि संसद और विधान मंडलों में उनके लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया जाता है तो अच्छा रहेगा, किंतु यह चरणबद्ध रूप किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हमने उड़ीसा में महिला आरक्षण विधेयक लागू किया तो पहले वर्ष के दौरान कुछ कठिनाइयां आई। उसके बाद स्थिति में सुधार होने लगा। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि कालाहांडी जिला जो केबीके कार्यक्रम के अंतर्गत आता है यहां पर मिशन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, यहां स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और आज ये सब सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। मैं इस बात से शत-प्रतिशत आश्वस्त हूं कि जब देश का नेतृत्व इंदिरा गांधी द्वारा महिला होने पर भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जब रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है तथा रानी दुर्गावती जो पूरे देश में विद्रोह का नेतृत्व कर सकती है तो आज महिला इस देश को क्यों न चलाए और क्यों न महिला नेतृत्व की अगली पंक्ति में आए।

चन्द्रप्पन जी इस बात को समझेंगे कि विश्व के कुछ देश जिन्होंने आरक्षण दिया है यह कार्य चरणबद्ध ढंग से किया है। इसलिए हम इसकी शुरूआत 10 प्रतिशत आरक्षण देकर करें। जैसा कि निर्वाचन आयोग ने कहा संबंधित पार्टियों द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस कार्य को करने की बजाय हमें यह कार्य अपने दल से ही शुरू करना चाहिए। आप महिला आरक्षण विधेयक का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। इसके लिए हमें जनता की राय जाननी होगी। कृपया इस पर देश की जनता की राय, मतदाता और देश की आम जनता की राय जानने के लिए किया जाए। अन्य स्थानों से क्या राय आती है उसका भी इंतजार करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के बोलते हैं तो उनके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री सुनील खां की टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बिक्रम केशरी देव: मेरा कहना है कि अच्छे कार्य की शुरूआत अपने घर से ही होती है। मैं समझता हूं कि यदि हम अपने दिल से आरक्षण देना चाहते हैं और यदि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं तो हमें चाहिए कि हम इस बात को अपने राजनीतिक घोषणापत्र में स्थान दें और चुनाव के टिकट के वितरण के समय महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्राथमिकता दें। मेरी यह राय है कि यह कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाए न कि अचानक और हमारी यह इच्छा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं चुनाव जीतकर इस सभा में आएं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): धन्यवाद, महोदय, मुझे खेद है कि इससे पहले मेरा नाम पुकारे जाते समय मैं वहां नहीं थी। मैं पुन: खेद प्रकट करती हूं।

आज मुझे यहां पर एक ऐसे विषय जो हम सबके लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। इस सभा में इस संकल्प को प्रस्तुत करने में श्री चन्द्रप्पन जी द्वारा दर्शाई गई सहृदयता के लिए मैं उनकी भी सराहना करना चाहूंगी। चूंकि इस पर पहले से ही चर्चा हो रही है इसके लिए मैं उनकी अवश्य सराहना करूंगी।

मैं विधेयक के तकनीकी स्वरूप गुणावगुण पर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि विधेयक को अभी तक वास्तविक रूप में सभा पटल पर नहीं रखा गया है। मैं स्वयं को केवल संकल्प तक सीमित रखना चाहूंगी, वह यह कि केन्द्रीय सरकार सभी विधान मंडलों और संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों को आरक्षित करने के लिए उपयुक्त विधान लाए। अत: मैं केवल इस बारे में बोलना चाहूंगी कि इस सभा में यह विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की आवश्यकता क्यों है। मैं आरंभ में ही यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि मेरे द्वारा इस चर्चा में भाग लेने का उद्देश्य पुरुषों के वर्चस्व का विरोध करना नहीं है जो हमारे देश की सामाजिक संरचना में पहले ही व्याप्त है। मैं महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगी जिसका शिकार हमारी भारतीय महिलाएं हो रही है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

महिलाओं के प्रति व्यापक भेदभाव पूर्ण व्यवहार समाज में पहले से ही व्याप्त है। यह एक संरचनात्मक समस्या है जो संसद, विधान मंडल और यहां तक की उच्च स्तरीय पदों पर कार्य के क्षेत्र में महिलाओं की अल्प भागीदारी से परिलक्षित होता है। यदि हम पीछे मुड़कर अपनी परंपराओं में झांके तो हम देखते हैं कि पारंपरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय धर्म और दर्शन में महिलाओं को हमेशा सम्मानजनक और देवी का उच्च स्थान प्रदान किया जाता रहा।

हम हमेशा देवी माताओं से प्रार्थना करते हैं जब धन की आवश्यकता हो तो देवी लक्ष्मी से, ज्ञान की अपेक्षा के लिए सरस्वती से और साहस की प्राप्ति के लिए हम देवी काली को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति जिसने भी हमें प्रचुरता में सब कुछ दिया है उस प्रकृति को हमेंशा "प्रकृति माता" कहा जाता है न कि "प्रकृति पिता"। बच्चा भी पहले-पहल बोलना अपनी मातृभाषा में सीखता है पितृभाषा में नहीं। अत:, यह महत्व है जो हमेशा से ही महिला को दिया गया है।

यहां तक कि जब हम अपने अतीत में जाकर अपने प्राचीन धर्मग्रंथों को देखते हैं तो हमें समाज का मातृसत्तात्मक रूप ही हमेशा देखने को मिलता है जो देश में विद्यमान था। हमारे देश के कुछ भागों में तो आज भी समाज का मातृसत्तात्मक रूप ही देखने में आ रहा है। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में महिलाओं को हमेशा ही सम्मान और आदर का उच्च स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए कुंती, मैत्रेयी, गार्गी, सावित्री, सीता आदि को मान-सम्मान का बहुत उच्च स्थान दिया गया है। इस प्रकार, यह सभी संदेह से परे है कि महिलाओं को हमारे इतिहास में हमेशा ही सम्मान दिया गया है और पूजा गया है।

यहां तक कि अगर हम इस संबंध में अपने आज के धार्मिक नेताओं जैसे रामकृष्ण परमहंस, या स्वामी विवेकानन्द को देखें तो हम अपने नेताओं जैसे महात्मा गांधी, या भारती, रविन्द्र नाथ टैगोर जैसे महापुरुषों, या राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों को देखें तो पाएंगे कि उन सभी ने महिलाओं को देवत्व के मातृत्व गुणों और प्रेम की गाथा को गाया है। इस प्रकार, संदेह की बात ही नहीं है कि महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया गया, उनकी पूजा की गई, और मुझे आशा है कि उनका आज के समय में भी सम्मान किया जाना जारी रहेगा।

लेकिन, आज स्थिति में भारी बदलाव आ गया है और आज हमारी महिलाओं की दशा में व्यापक परिवर्तन देखने में आता है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हम सभी जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था जैसा कि श्री चन्द्रप्पन ने उस दिन अपने प्रारंभिक भाषण में उचित ही कहा था। स्त्री-पुरुष ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था और यह अपेक्षा की गई थी कि इस राजनीतिक उत्थान से सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार होगा। लेकिन, दुर्भाग्यवश, हमारे सामाजिक सुधार आशा से कम पड़ गए हैं। आज संकल्पना और वास्तविकता के बीच भारी अंतर है, और महिलाओं को ऐसे दर्जे पर ढकेल दिया है जो अत्यधिक निकृष्ट है, उनको कम आंककर दमन तक किया गया है।

आर्थिक समीक्षा जो हमारे आज के समाज में महिलाओं की स्थिति का नवीनतम और अधिप्रमाणित सरकारी दस्तावेज है, में बताया गया है:

> "वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की संख्या देश की कुल जनसंख्या की 48 प्रतिशत है। महिलाएं शिक्षा, श्रम सहभागिता, मजदूरी और आमदनी के क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में कई तरह के नुकसान में रहती हैं।"

यह हमारे यहां ऐसा संविधान होने के बावजूद है जो देश का सर्वोत्तम कानून है, जो लिंग भेद का निषेध करता है तथा जिनमें ऐसे उपाय भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिनके अनुसार महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, अनुच्छेद 14, 15, 16(2), 21, 23, 39(क), 39(घ) और 39(ङ) के उपबंधों में सभी में, पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ एक समान व्यवहार बरते जाने की बात कही गई है। इससे यह संदेश और अधिक बुलंद व स्पष्ट हो जाता है कि राज्य को ऐसे उपाय करने चाहिए जिनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की मानव सभ्यता के तमाम अनुग्रहों तक एक समान पहुंच होनी चाहिए। इन सांविधिक उपायों के होने के बावजूद, अनगिनत न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद, वास्तविकताएं पूर्णत: अलग और भिन्न हैं। वे ऐसी नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं। वे बिल्कुल भिन्न हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में पता चला है कि महिलाओं की संख्या वयस्क जनसंख्या की 50 प्रतिशत है और महिलाएं कुल श्रम शक्ति को लगभग एक-तिहाई हैं। वे कार्य के कुल घण्टों में से दो-तिहाई घण्टे कार्य करती हैं। वे विश्व आय का 1/10 भाग प्राप्त करती हैं लेकिन फिर भी उनके पास विश्व सम्पत्ति का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। हममें से प्रत्येक को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आज महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण कोई दान नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में उनके योगदान का प्रतिफल है। निराशावादी लोगों का मानना है कि पित्रसत्तात्मक स्त्री-पुरुष संबंधों में जिनमें महिला को सीमित और संकुचित रखा जाता है, महिला पुरुष के

राजनीतिक स्वार्थ और दबदबे में एक खिलौना मात्र बनकर रह जाएगी। वे ऐसा भी मानते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने से पहले से बंटे समाज में दरार और अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन महोदय, हमें यह समझने की जरूरत है कि महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में सीधे पहुंच सुनिश्चित करने से उन्हें समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हो जाएगा जिससे समाज में उनकी स्थिति बदल जाएगी। समाज में एक अच्छा दर्जा प्राप्त कर लेने, निर्णय करने की हैसियत पा लेने से घर में भी महिलाओं की स्थिति बेहतरी के लिए बदल जाएगी।

जब 73वां संविधान संशोधन आया तो काफी बहस हुई और अटकलें लगाई गईं तथा आशंकाएं व्यक्त की गईं लेकिन 73वें और 74वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पूर्ण संख्या की दृष्टि से महिलाओं की सहभागिता पर निश्चित प्रभाव पड़ा है। कुछ स्थानों पर जहां इन महिलाओं ने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव लड़े उन्हें अपेक्षित 33 प्रतिशत से अधिक स्थान मिले। इस प्रकार बाहर आ जाने के बावजूद महिलाएं अपने व्यावसायिक और घरेलू दोनों मोर्चों को काफी अच्छी तरह संभाल सकने में समर्थ हो सकी हैं।

जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो पारिवारिक और सामाजिक मानदण्ड, शिक्षा का अभाव और घरेलू कार्यों के प्रति उनका समर्पण तता घरेलू कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही है जिसने इन महिलाओं को बाहर आने से वास्तव में रोका हुआ है। इस प्रकार के अवसर प्रदान कर हम उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए बाहर आने का अवसर दे रहे हैं। इतना ही नहीं हम युवा पीढ़ी को राजनीति की मुख्यधारा में ला रहे हैं जो पुरुषों और कुछ प्रभावशाली महिलाओं का गढ़ रहा है।

यहां तक कि चुनावों की दृष्टि से भी, अगर हम महिलाओं की कुल संख्या पर नजर डालें जिन्होंने 1984 से चुनाव लड़े, 32.43 प्रतिशत महिलाएं जो चुनाव जीतीं, जाने-माने दलों की थीं। जब हम पुरुषों की संख्या पर नजर डालते हैं तो उनका कार्य विवरण मात्र 26.50 प्रतिशत रहा है। इसका अर्थ है कि मतदाता महिलाओं से भेदभाव नहीं करते। लोग ही हैं जो महिलाओं को सीटें देंगे और वे लोग ही उनसे भेदभाव बरत रहे हैं। इसलिए, लिंग-आधारित भेदभाव अत्यंत खेदजनक है तथा इसके कारण समस्त महिला वर्ग मुख्यधारा से अछूता रह जाता है। मुझे आशा है हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझेगा।

भारत में महिलाएं अनेक व्यवसायों में लिंग-आधारित अड़चन को तोड़ने में समर्थ रही हैं। महिलाएं शीर्ष कार्यपालक पदों पर आसीन हो गई हैं, सिविल सेवाओं में आ गई हैं। वे पुलिस सेवा में, पत्रकारिता में तथा ऐसे अन्य अनेक क्षेत्रों में आ गई हैं जो पहले पुरुषों के गढ़ माने जाते थे। इसलिए, महिलाओं को आज राजनीति से दूर कदापि नहीं रखा जाना चाहिए। आज हमारे संविधान को अपनाए जाने के 50 वर्ष बाद भी, महिलाओं को समानता, पुरुषों के साथ राजनीति में एक-समान आधार पर सहभागिता दूर की बात ही प्रतीत होती है। इसलिए, न केवल आलोचक बल्कि हम महिलाएं भी महसूस करती हैं कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य बनाया जाए और सभा में लाया जाए ताकि हम भी सभा में आ सकें। महोदय, मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री ब्रह्मानन्द पंडा।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): मेरा रिजाल्यूशन भी है, क्या टाइम एक्सटेंड करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: आपका रिजाल्यूशन भी आएगा।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): महोदय, मुझे इस स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों कि विधानमंडलों और संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किये गये संकल्प पद चर्चा में भाग लेने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि हमारी सभ्यता में महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारे सामाजिक जीवन में वे प्रेरणा की स्रोत हैं। इसलिए यह उचित समय है कि अब उन्हें राजनीतिक मंच पर आना चाहिए। मै लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कतिपय संशोधनों के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.56 बजे

(श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* **हुए)**

महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे महान दिवंगत नेता बीजू पटनायक हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते रहे थे, जिसके फलस्वरूप, पंचायत स्तर पर और शहरी निकायों में भी, महिलाओं को सर्वाधिक अधिमान्यता दी गई है।

महोदय, यहां मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी भी उड़ीसा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। हमें सदैव इस बात को ध्यान

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

में रखना होगा कि महिलाएं किस प्रकार लोगों के संदेश को कुशलतापूर्वक सम्प्रेषित करती हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती नन्दिनी सत्पथी हमारी मुख्यमंत्री थी। वह बहुत ही सक्रिय महिला थी। उड़ीसा राज्य के समग्र विकास में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।

इसलिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, यदि महिलाएं वस्तुत: अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करती हैं तो नि:संदेह लोग उन्हें स्वीकार करेंगे और उनकी सराहना करेंगे। अब इस बात की जांच किये जाने की जरूरत है कि जब तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार अथवा संशोधन नहीं किया जाता है तब तक इस प्रस्ताव की कोई भूमिका हो सकती है या नहीं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में संकल्प का संबंध है। इस बारे में कोई राजनैतिक लाभ या ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए।

एक बार पुन: मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि चूंकि संविधान में महिलाओं के लिए समान अधिकार का उपबंध किया गया है और महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान विशेषाधिकार दिये गये हैं तो यह उचित समय है कि उन्हें जहां तक राजनीतिक मंच का संबंध है अधिमान्यता दी जानी चाहिए।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस अवसर पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा सभी राज्यों के विधानमंडलों और संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों पर आरक्षण दिये जाने संबंधी गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के समर्थन में कुछ शब्द बोलते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है।

महोदय, हम लोग ऐसे समय में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जब हम लोग अपनी स्वतंत्रता के करीब-करीब छठे दशक को पूरा करने जा रहे हैं। हम लोग संविधान से शासित होते हैं जिसमें लैंगिक समानता का सिद्धांत इसकी प्रस्तावना, मूल अधिकारों, मूल कर्त्तव्यों और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था विधि के ढांचे के भीतर नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विकास संबंधी नीतियां, योजना और कार्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

महोदय, यहां विचार रखने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में संविधान में उल्लिखित लक्ष्यों और जमीनी हकीकत के बीच भारी अंतर है।

अपराह्न 3.00 बजे

सत्ता की साझेदारी में महिलाओं की समानता और सभी स्तरों पर और सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यावश्यक है।

महोदय, अब, जब हम स्वतंत्रता के 59वें वर्ष और 14वीं लोक सभा में हैं तो महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत मात्र 8.34 है। विभिन्न राज्यों में स्थिति क्या है? 2002 से 2004 के बीच 20 राज्य विधान सभाओं में कुल 2432 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इनमें केवल 1525 महिला प्रत्याशी थी। इन चुनावों में इन 1525 महिला प्रत्याशियों में से केवल 137 विजयी हुई। यह मात्र 5.7 प्रतिशत है।

महोदय, पंचायत स्तर पर स्थिति सिर्फ इस कारणवश काफी बेहतर हुई है क्योंकि पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की संवैधानिक अपेक्षा है। सन 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का आधारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं अर्थात् स्थानीय निकायों में पूर्ण संख्या के मामले में महिलाओं की भागीदारी पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। देश में 475 जिला परिषदों में से 158 जिला परिषदों में अध्यक्ष महिलाएं हैं। विकास के लिए औपचारिक राजनीतिक शक्ति और संसाधनों में महिलाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने से महिलाओं की सामाजिक स्थिति स्वत: ही परिवर्तित हो जाएगी। समुदाय में बेहतर स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति से अपने घरों में भी उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके अलावा, पंचायती राज स्तर पर हमारे अनुभव से यह सत्य उभरकर सामने आया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम भ्रष्ट हैं और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अधिक जिम्मेवार हैं क्योंकि वे अभिभावी सामंतवादी एवं राजनैतिक संस्कृति से अधिक दूषित नहीं हुई हैं।

महोदय, संसद में पुर:स्थापित यह विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। श्रीमती गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली इस समिति में 9 दिसम्बर, 1996 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से इस विधेयक को और बल मिला। 12वीं और 13वीं लोक सभाओं में पुर:स्थापित विधेयक पूरी तरह विफल रहा है क्योंकि सत्तासीन दलों के बीच भी इस पर आम राय नहीं बन पायी थी। अब हम 14वीं लोक सभा में भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं।

चुनाव आयोग ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए अप्रैल, 2000 में सुझाव दिया था कि सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीट का प्रावधान करना चाहिए। अभी भी सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये इस सुझाव के विरुद्ध हैं। यदि सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के सुझाव का अनुसरण करते हैं तो स्थिति क्या होगी। प्रत्येक राजनीतिक दल उन्हें केवल वही सीट देंगी जहां उसे अपने जीतने की कोई आसार नहीं होगा स्वाभाविक ही है कि राज्य विधान सभाओं और संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या मौजूदा स्थिति के दृष्टिगत ऐसी ही बनी रहेगी। अनेक राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये सुझाव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया है कि अन्य पिछड़े समुदायों एवं अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तब दोहरे निर्वाचन क्षेत्र सदस्यता का प्रस्ताव देकर सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के बीच एक आम सहमति बनाने की कोशिश की अर्थात् आरक्षण कोटा हटाकर 20 प्रतिशत करना और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए उप-कोटा की अनुमति देना। इस विषय पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई।

सभापति महोदय: कृपया एक मिनट के लिए बैठिए और फिर बोलिए।

इस संकल्प के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है। इस चर्चा में 8 और सदस्यों को भाग लेना है। यदि सभा सहमत हो तो इस संकल्प पर चर्चा की अवधि एक घंटा और बढ़ाई जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: ठीक है, एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्रीमती सतीदेवी, आप अपनी बात जारी रख सकती हैं और शीघ्र अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती पी. सतीदेवी: हां, मैं अपना भाषण समाप्त कर रही हूं।

संप्रग सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात को दोहराया गया था कि सरकार लोक सभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को पुर:स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। किन्तु पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा हो रही है उससे पता चलता है कि संप्रग सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दलों के बीच कोई आम राय बनने की संभावना नहीं है। इस राष्ट्र का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के बाद हुआ था जिसमें महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई और महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। किन्तु संसद ने इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रतिबिम्बित नही किया है। महिलाएं कई व्यवसायों में स्त्री-पुरुष के भेदभाव को तोड़ने में सफल हुई हैं। लेकिन, उनकी यहां सहभागिता अभी भी एक स्वप्न बना हुआ है। अत: संवैधानिक गारंटी देकर इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में ही पुर:स्थापित और पारित किया जाना चाहिए। इस विधेयक को उन सभी राजनीतिक दलों, जो संप्रग सरकार को तथा इस विधेयक को समर्थन दे रहे हैं, द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए तथा जिसके लिए सरकार ने पहले ही आम जनता को वादा किया है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: कृपया प्रत्येक सदस्य तीन से पांच मिनट का समय लेकर अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। किसी भी सदस्य को पांच मिनट से अधिक का समय नहीं लेना चाहिए। यदि कोई सदस्य तीन मिनट का समय लेता है और अपनी बात समाप्त करता है, केवल तभी इसे आज समाप्त किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, परन्तु फिर भी हमें अध्यक्षपीठ का सम्मान करना चाहिएं।

सभापति महोदय: प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: मुझे इस बारे में आशंका है। सम्मानपूर्वक, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब कभी भी महिलाओं के मामलों की बात आती है, हमें बोलने तक का समय नहीं मिल पाता है। मैं अपनी भावनाओं को यहां व्यक्त करना चाहती हूं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): इस विषय के लिए दो बार समय बढ़ाया गया है। यही कारण है कि हम इस विषय को आज ही पूरा करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: आप कृपया अपनी बात आरंभ कीजिए।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: धन्यवाद। मैं अपने कामरेड चन्द्रप्पन की सराहना करना चाहती हूं जो हमेशा ही महिलाओं से संबंधित मुद्दों को समर्थन देते हैं। वास्तव में, वाम दल में अनेक कामरेड ऐसा करते हैं। उन्हें आश्वस्त करने तथा हमारी भावनाओं को

[श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश]

व्यक्त करने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है। हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है इस विधेयक का इस सभा में पारित कराने के लिए हमें उनके तथा दलगत भावनाओं से ऊपर उठते हुए सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

मानव समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं द्वारा दिये गये योगदान पर नजर डालिए। आप मां के योगदान का मूल्य नहीं लगा सकते हैं। मां परिवार में सब कुछ है, मां शासक है। मां शासन करती है, मां रुपये-पैसे का हिसाब-किताब रखती है। वह जानती है कि किसी विषय को किस प्रकार निपटाया जाना है। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में हम उसका योगदान देख सकते हैं। मैं इसके लिए पुरुष वर्ग को दोष नहीं देना चाहती हूं, परन्तु प्रणाली यही है।

हमने कुछेक गलतियां की हैं। हमने हमारी महिलाओं को शिक्षित नहीं किया और इस प्रकार, हम आज अपने अधिकारों के लिए भीख मांग रही हैं। फिर भी, हम हमारी जनसंख्या के पचास प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी हम श्रमिक बल के पचास प्रतिशत भाग का योगदान देती हैं और इसके बावजूद हमारे नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। यह हमारा दोष है और इसलिए मैं अपने अधिकारों के लिए इस सभा में भीख नहीं मांगना चाहती हूं। हम इस मुद्दे को हमारी महिलाओं को शिक्षित करके, सामाजिक आंदोलन को और आगे संगठित करके उठाएंगे।

मैं इस सभा को विनम्रतापूर्वक बताना चाहती हूं कि हम केवल 44 महिला सदस्य ही हैं, जो इस सभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। राजनीति के अपराधीकरण के बावजूद, उनके द्वारा खर्च की जा रही अत्यधिक धनराशि के बावजूद, क्या कोई ईमानदार महिला चुनाव लड़ सकती है? मैं यह प्रश्न यहां उपस्थित अपने सभी भाइयों से पूछ रही हूं। क्या कोई ईमानदार महिला चुनाव लड़ सकती है? अनेक योग्य महिलाएं हैं, अनेक अच्छी अध्यापिकाएं हैं, अनेक अच्छी नर्सें हैं तथा अनेक अच्छे डॉक्टर हैं जो राजनीति में प्रवेश करना चाहती हैं, परंतु वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अत: उन्हें कम करके न आंका जाए।

सभापति महोदय: आप भी यहां उनमें से एक निर्वाचित सदस्य हैं। लोगों ने आपको निर्वाचित किया है।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: यह एक पूर्वाग्रह है कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकेंगी। हमने ऐसा अपने घरों में किया है, हमने घर को उचित रूप से व्यवस्थित किया। परंतु हम इस स्तर तक पहुंची हैं, कृपया इसे मत भूलिए। हमारे पास परंपराएं हैं। यदि कोई यह पूछता है कि हम क्या कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते।

महिलाएं एक दिन में 24 घंटे कार्य करती हैं। यदि शिशु आधी रात को जाग जाता है, तो माता उसे दूध पिलाती है। क्या कोई पिता किसी भी रूप में कोई चिंता दर्शाता है? यदि शिशु अस्वस्थ है, तो मां ही चिंता दर्शाती है। क्या इसके लिए आप उसे पैसा देते हैं? महिलाओं के व्यक्तित्व, उनकी मर्यादा को कम करके न आंका जाए। वह अपने अधिकार के प्रति जागरूक है परन्तु वह उसके लिए लड़ने में समर्थ नहीं है। जब तक कि वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं हो जाती, भारतीय महिलाएं कभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकती हैं।

लोग सदैव ही महिलाओं को अपमानित करते हैं। मैं विधेयक के समर्थन में इस सभा में दिये जा रहे अनेक भाषणों को सुन रही थी। किसी ने भी इसका विरोध करने का साहस नहीं दिखाया क्यों हर कोई जानता है कि पचास प्रतिशत महिलाएं उन्हें चुनाव में समर्थन नहीं देंगी। फिर भी आप इस विधेयक को पारित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर एक बार महिलाएं संसद में पहुंच गई, तो वे उस राजनीतिक शक्ति को नहीं छोड़ेंगी, जो आज पुरुष-वर्ग के पास निहित है। मैं हमारे राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं द्वारा दिए गये योगदान का स्मरण कराना चाहती हूं।

विश्व राजनीतिक परिदृश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ ने संसद में महिलाओं के आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। संसदीय देशों की संख्या 26 से बढ़कर 176 हो गई है। पिछले 50 वर्षों से, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.6 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह दर्शाता है कि विश्व के संसदीय राष्ट्रों में, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। स्कैंडिनेवियन देशों, जैसे नार्वे, अर्जेंटीना, बेलजियम, ब्राजील तथा कोरिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 30 प्रतिशत है जबकि भारत में यह केवल 11.6 प्रतिशत है।

हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधान मंत्री के रूप में भारत को 18 वर्ष तक शासित किया। उन्होंने कितना अधिक योगदान दिया? गुट निरपेक्ष आन्दोलन को आरंभ करके उन्होंने भारत को विश्व परिदृश्य में ला दिया। विश्व आज भारत की सराहना करता है। उस लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिये गये योगदान को मत भुलाइए। मैं सभा में इनका स्मरण करना चाहूंगी क्योंकि उनकी सेवाओं को याद करना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आज हम एक परमाणु शक्ति के रूप में अपनी शेखी बघार रहे हैं। ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र को दिये गये उनके योगदान के कारण हुआ है। वे श्रीमती इंदिरा गांधी ही थीं जिन्होंने ये सभी युद्ध लड़े थे। उन्होंने एक निर्भीक फैसला लिया। आरएसएस ने श्रीमती गांधी की निर्भीकता और दृढ़ता की सराहना की है। मैं उनकी सराहना करती हूं क्योंकि उन्होंने श्रीमती गांधी द्वारा दिये गये योगदानों के प्रति सम्मान दर्शाया है।

मैं कहना चाहूंगी कि हम एक महिला के नेतृत्व में अपनी राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रख सकते हैं। कृपया महिलाओं को कम न आंकिए। यदि उन्हें अवसर दिया जाए, तो वे सफल हो सकती हैं। आप महिला मुख्य मंत्रियों का उदाहरण भी ले सकते हैं। उनके प्रशासन के साथ राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु पुरुषों की तुलना में वे अधिक सत्यनिष्ठ हो सकती हैं क्योंकि उनमें शालीनता होती है। वे वास्तविक समस्याओं को जानती हैं। वे जानती हैं कि गरीबी, भूख और निरक्षरता क्या होती है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि महिलाओं को एक अवसर दिया जाए। यदि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से इंकार कर दिया जाएगा, तो एक दिन, चाहे मैं यहां रहूं या नहीं, इतिहास आपको बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत। भविष्य यह दर्शाएगा कि उन्होंने सभा में 50 प्रतिशत आरक्षण हासिल कर लिया है। विनम्रतापूर्वक मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि हमसे सहयोग करें और भारतीय महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करें। यह आपके लिए भी सम्मान की बात होगी। वह कितने वर्षों से एक मां के, एक पत्नी के और एक पुत्री के रूप में आपकी सेवा कर रही है। इस बात के विपरीत, आप यह भी देखें कि महिलाओं को साथ किस प्रकार भेदभाव किया जा रहा है।

जब श्रीमती सोनिया गांधी बेल्लारी, कर्नाटक से चुनाव लड़ रही थीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल सुषमाजी को वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया। उस स्थान से कोई भी चुनाव लड़ सकता था। सुषमा जी वास्तव में एक महान नेता हैं। वे किसी अन्य स्थान से जीत सकती थीं परन्तु भाजपा दो महिलाओं के बीच झगड़ा करवाना चाहती थी। वह एक महिला को एक महिला द्वारा ही हटाना चाहती थी। मैं महसूस करती हूं कि भाजपा में भी महिला वर्ग, हमारी बहनें, बदला ले सकती थीं। कांग्रेस में भी, हम किसी महिला को हारने देना नहीं चाहते। हम इस सभा में और अधिक महिलाओं को देखना चाहते हैं। हम सत्तापक्ष में भी और अधिक महिलाओं को लाना चाहते हैं।

सभापति महोदय: हम महिलाओं का सम्मान करते हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, महिला अधिकारिता पर मेरे माननीय साथी श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आमतौर पर, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश राजनीतिक दल और संसद सदस्य निर्णय एवं नीति बनाने वाले इस सर्वोच्च निकाय, भारतीय संसद तथा विधानमंडलों में भी 33 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में हैं। परन्तु ऐसे कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, वे यह कहकर समस्या पैदा कर रहे हैं कि इसे 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए अथवा यह राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के आवंटन में आरक्षण की कतिपय प्रतिशतता के बारे में निर्णय ले सकें। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। हमें इस आरक्षण की अभी आवश्यकता क्यों है? विश्व में सामान्यतया इस समय चार प्रकार के भेदभाव किये जा रहे हैं अर्थात् नस्ल, धर्म, लिंग और भारत के मामले में इसमें जाति भी शामिल है। लिंग भेद कई सदियों से जारी है और भारत में मनुवादी शास्त्रों ने इस विभेद को विधिसम्मत बना दिया है। शताब्दियों से इस पितृ-सत्तात्मक समाज ने, समाज में औरतों की भूमिका को कम करके आंका है। उन्होंने औरतों को दबाना चाहा है।

आजादी के छह दशकों के पश्चात भी दुर्भाग्यवश, आज हम पाते हैं कि विधान सभाओं और संसद में दस प्रतिशत महिलाएं भी नहीं आ पायी हैं। महिलाओं का प्रतिशत 49.8 के आसपास है। वास्तव में आरक्षण तो 50 प्रतिशत होना चाहिए परन्तु हम 33 प्रतिशत आरक्षण स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन संबंधी बीजिंग घोषणापत्र में इस बात पर सहमति हुई है कि विभिन्न देशों में निर्णय लेने और नीति नियामक निकायों में कम से कम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। सामान्यत: इस बात को सम्पूर्ण विस्व में स्वीकार किया गया है।

अब कुछ लोग यह मुद्दा उठा रहे हैं कि पंचायतें, जिला परिषद इत्यादि नीति नियामक निकाय नहीं हैं और वे केवल निर्णय कार्यान्वयन निकाय हैं। लेकिन पंचायतों में महिलाओं द्वारा नेतृत्व का अनुभव वास्तव में उत्साहवर्धक रहा है। वे पंचायतों का नेतृत्व करने में बहुत सफल रही हैं। इस अनुभव के पश्चात् ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस बात पर कोई विरोध अथवा बहस हो कि क्या महिलाएं प्रतिनिधित्व अथवा नेतृत्व कर सकती हैं या नहीं।

मैं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिकाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन मैं विश्व की कुछ सफल राजनैतिक नेताओं को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभायी हैं चाहे वे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी रही हों, चाहे इजराइल की प्रधान सुश्री गोल्डा मायर रही हैं, चाहे ब्रिटेन की प्रधान मंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर हों अथवा श्रीलंका की सुश्री श्रीमाव भण्डारनायके और अब सुश्री चंद्रिका कुमारतुंगे हों अथवा पेरू की सुश्री इवा पेरान इत्यादि। उन्होंने अपने संबंधित देशों में तब राजनैतिक नेतृत्व का उत्तरदायित्व संभाला जबकि उनके देशों में अशांति थी और राजनैतिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने अपने-अपने देशों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यहां तक कि लैटिन अमरीका में भी इसके अनेकों उदाहरण हैं। इण्डोनेशिया की मेधावती सुकर्णोपुत्री ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अपने देश का नेतृत्व अति सफलतापूर्वक किया।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

हमारे सामने बर्मा की सुश्री औंग सान सू क्यो का उदाहरण है जिसने लोकतंत्र की बहाली के लिए सैनिक तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष के लिए अपने देश का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। जब पूरे विश्व में महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध कर चुकी हैं चाहे यह सबसे निचले स्तर की पंचायत हो अथवा देश का शीर्ष नेतृत्व, तब उनके लिए संसद और विधायी निकायों में उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल सकता?

इस बारे में बहुत वाद-विवाद होता रहा है और प्राय: सभी दल, जब हम संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो महिलाओं को संसद और विधायी निकायों में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सहमत होते हैं। पर्दे के पीछे अनेक तरह के विचार विमर्श चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री एक तरफ तो यू.पी.ए. के राजनैतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो दूसरी ओर एन.डी.ए. के घटकों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं ताकि संसद और विधायी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के विधेयक पर आम सहमति बन सके। यह एक अच्छी बात है। यह संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुख्य आश्वासनों में से एक है। लेकिन मैं संप्रग के नेताओं से एक बात पूछना चाहूंगी कि वे इस मुद्दे पर सभी राजनैतिक दलों की आम सहमति बनाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। राजनैतिक दलों के विरोध के बावजूद संसद अनेक प्रस्ताव पारित करती है और अनेक निर्णय लेती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा है अगर हम इस पर आम सहमति बना सकें। लेकिन अगर हम सभी दलों की आम सहमति नहीं बना सके तब भी कम से कम हममें इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए कि जितना जल्द संभव हो, हम इस विधेयक को अधिनियम बना दें।

महोदय, मेरा विश्वास है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सदन को इस ऐतिहासिक विधेयक को लाना चाहिए। इस चौदहवीं लोक सभा के दौरान यह सभा ऐतिहासिक विधेयकों यथा सूचना का अधिकार विधेयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी विधेयक को पहले ही पारित करा चुकी हैं। इस लोक सभा को संसद और विधायी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के विधेयक को पारित करने का निर्णय लेने का सम्मान प्राप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि महिला सशक्तीकरण एवं विधायिका की उनकी भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे मौका दिया।

सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने एवं अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। आज महिला आरक्षण के ऊपर बहुत सी महिलाओं ने और पुरुष भाइयों ने अपने विचार रखे। मुझे खुशी है कि इस पर मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का आपने मौका दिया। आप जानते हैं कि भारत 100 करोड़ की आबादी वाला देश है और इसमें 50 प्रतिशत महिलाएं जहां रहती हैं तो हम चाहते हैं कि महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी हर क्षेत्र में दी जाये। परन्तु जब हम इसकी आवाज उठाने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि महिलाओं की आवाज दबकर रह जाती है। उसे बुलन्द करने के लिए हमें आपकी, सरकार की और पार्लियामेंट के माध्यम से उस आवाज को उठाने का मौका मिले। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं।

यदि हम अपने प्राचीन इतिहास पर एक नजर डालें, तो हम देखेंगे कि हमारा अतीत बहुत सुनहरा रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि सभी युगों में महिलाओं का स्थान प्रतिष्ठित एवं पूजनीय रहा। सीता, राधा, रुक्मिणी, अहिल्या, सती अनुसुइया, रानी लक्ष्मीबाई एवं ऐसी अनेक बहादुर महिलाओं से भारत का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन आजादी के बाद देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा में महिलाएं पिछड़ती गई।

आज मैं भारत में रहने वाली महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। यहां पर हम जानते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देते हुए सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान की बात कही गई है।

महोदय, सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के अनेक प्रयासों के बावजूद भारतीय समाज में महिलाएं पिछड़ती गई क्योंकि भारत गांवों का देश है और 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। गांवों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं के अभाव में उनकी स्थिति में उत्साहजनक सुधार नहीं होने के कारण सरकार की चिन्ता बढ़ती गई और इसी परिप्रेक्ष्य में सांसदों, राज्य सरकारों, एनजीओज, महिला आर्गेनाइजेशन्स, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, अनुसंधानकर्त्ताओं एवं विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर वर्ष 1996 में सरकार ने महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति का एक प्रारूप तैयार किया।

महोदय, महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत जो उद्देश्य रखे गए, उनमें सभी स्तरों पर सभी डिसिजन मेकिंग बौडीज में महिलाओं को समानता का अधिकार देने एवं निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देना शामिल है जिनमें प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर्स, लेजिस्लेटिव, एक्जिक्यूटिव, जूडिशियरी, लोकल बौडीज, कॉर्पोरेट

और स्टेचूटरी बाडीज के साथ-साथ एडवाइजरी कमीशन, कमेटीज, बोर्डस, ट्रस्ट्स आदि भी शामिल हैं।

महोदय, देश के उत्थान के लिए यह अत्यावश्यक है कि नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और यह बराबरी सिर्फ नीचे के स्तर पर ही नहीं बल्कि हर स्तर पर और हर क्षेत्र में हो। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो गया है कि जहां पंचायत, स्थानीय निकायों एवं म्युनिसिपेलटीज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, वहीं अब विधान सभाओं एवं संसद में भी उन्हें प्रतिनिधित्व देने हेतु कम से कम 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाए। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि कोटा एवं परमिट प्रणाली लम्बे समय तक नहीं चल सकती है क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण संसद और विधान सभाओं में मिलता है, तो मैं समझती हूं कि इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

महिला एवं पुरुषों की संख्या में विश्व में जो असंतुलन व्याप्त है, उसे दूर करने तथा महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक पाया गया है। महिला सशक्तीकरण हेतु एक राष्ट्रीय नीति वर्ष 2001 में घोषित की गई। इस नीति में महिलाओं को प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में समानता तथा निर्णय लेने की महत्वपूर्ण शक्तियां देने की बात कही गयी है। इस नीति के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे आवश्यक पग उठाए गए जिनसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सैक्टर, लेजिस्लेटिव, एक्जिक्यूटिव, जूडिशियरी, लोकल बौडीज, कॉर्पोरेट और स्टेचूटरी बौडीज और एडवाइजरी कमीशन, कमेटीज, बोर्डस आदि में महिलाओं का कोटा निर्धारित करने तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात शामिल है।

महोदय, महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर बढ़ाने के साथ-साथ यह भी महसूस किया गया कि महिलाओं की भागीदारी को विधान सभाओं एवं संसद में बढ़ाने के प्रयास किये जाएं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि वर्ष 1984-85 में देश की विधान सभाओं में 141 महिला विधायक थीं जो वर्ष 1993-94 में घटकर 62 रह गई। इसी प्रकार केन्द्रीय मंत्रिमडंल में महिला मंत्रियों की संख्या बहुत न्यून रही है। 1985 से 2001 के बीच केवल दो कैबिनेट और 6 स्टेट मिनिस्टर महिलाएं थीं, जिनमें दो को स्वतंत्र विभाग दिया गया था। इस स्थिति से उबरने के लिए यह आवश्यक हो गया कि राजनीति में महिलाओं के आने में जो कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर किया जाए और पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के सभी प्रयास किये जाएं, परन्तु ऐसा करना तभी सम्भव है, जब उन्हें संसद और विधान सभाओं में एक निश्चित अनुपात में आरक्षण दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें अथवा अगर आपको और अधिक बिन्दुओं का उल्लेख करना है तो आप उन्हें सभा पटल पर रख सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को संसद में रखना चाहूंगी कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। यह गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प है। श्री सी.के. चन्द्रप्पन साहब ने इसे प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधान मंडल और संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल बेसिक रूप से इसके पक्ष में है कि महिलाओं को निश्चित तौर पर 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं, अगर 50 प्रतिशत आरक्षण की जरूरत भी पड़े, तो दिया जाना चाहिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इसके स्वरूप का विरोध करते हैं।

एक बहन ने यहां बहुत वेदना व्यक्त की। देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए महिलाओं ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। वह जननी है। मैं इस बात को मानता हूं कि महिला हर रूप में देवी है, मां है, बहन है, क्या-क्या कहा जाए, उसने सबमें सफल स्थान प्राप्त करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 7-8 सालों तक हमारी पार्टी ने एक महिला को नेतृत्व प्रदान किया। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां की मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी रही हैं जो गांव की महिला हैं। हमारी पार्टी इस बात को मानती है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का समान अवसर देना चाहिए, लेकिन मैं उन महिलाओं की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो गांवों में रहती हैं, मिट्टी काटने वाली हैं। लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लक्ष्य तय किया और मिट्टी और गिट्टी काटने वाली की बेटी, भगवती देवी को संसद में भेजने का काम किया। वह दलित महिला थी और सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हम देश की इतनी बड़ी पंचायत में जाएंगे। वह मूसर जाति की थी। हम उनकी तरफ ध्यान आकर्षित

[श्री राम कृपाल यादव]

करना चाहते हैं, जिनकी आबादी 98 प्रतिशत है। शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, पिछड़े और माइनौरिटी आदि, सबने एक स्वर से कहा है कि हम महिलाओं के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। फिर क्या कारण है और यह सब क्यों हो रहा है?

संविधान की मूल धारा 15(4) में पहले आरक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। उसमें स्पष्ट रूप से एससी, एसटी और ओबीसी लिखा हुआ है, फिर लोगों की जुबान में क्यों नहीं आ रहा है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। क्या कारण है कि आज बहुत से लोग केवल राजनीति कर रहे है। वे शैडयूल्ड कास्ट्स, माइनौरिटी और बैकवर्ड जाति की बात तो करेंगे, लेकिन जब उनको जगह देने की बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो उन्हें रोकने का काम करेंगे-क्या हो गया है लोगों को? यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल महिला आरक्षण का विरोधी है, कदापि विरोधी नहीं है। मैं आगे बढ़कर फिर कहना चाहता हूं कि आप 33 प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं, 50 प्रतिशत कीजिए, लेकिन खेत-खलिहान में काम करने वाली महिलाओं, रात-दिन खून-पसीना बहाकर हमारी सेवा करने वाली महिलाओं का क्या होगा। आप कितने प्रतिशत गरीब तबके के लोगों को लोक सभा में भेजने का काम कर रहे हैं। अगर उनकी उपेक्षा की गई, उनको हकमारी करने का काम किया गया, तो क्या हम समझते हैं कि सबको समान रूप से हिस्सेदारी देने की बात करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप संविधान में आरक्षण का प्रावधान करते हैं, तो आपको उन गरीब लोगों के प्रति भी ध्यान देना पड़ेगा जो बैकवर्ड हैं, ओबीसी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो वर्षों से सताये हुए लोग हैं, जो समाज के बैंकबैंचर्स हैं, जिनके तन पर कपड़े फटे रहते हैं और जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है-उनकी आवाज कौन उठा पायेगा, उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो पायेगा? जो एनआरआई हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनके माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व हो पायेगा?

आज मैं उन सामाजिक न्याय के योद्धाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। जो हमारे सामाजिक न्याय के पूरोधा रहे हैं, उनका सपना लोक सभा में साकार हो रहा है। पहले जो व्यवस्था थी, उसके तहत लोक सभा में बड़े-बड़े नेताओं के बाल-बच्चे आया करते थे या करोड़पति-अरबपति आया करते थे। हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोक सभा में आयेंगे, मगर राष्ट्रीय जनता दल और श्री लालू प्रसाद यादव के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आज दूध दोहने वाले का बेटा भी भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आकर उनकी आवाज को उठाने का काम कर रहा है।

जिस जगह पर बड़े-बड़े लोग चुनकर आया करते थे, मैं सिर्फ अपने बिहार की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि देश के अन्य भागों में भी परिवर्तन की धारा चली है और आज गरीब और पिछड़े वर्ग का बेटा भी इस लोक सभा में अपनी आवाज उठा सकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मैं अपनी बात कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: आपको बोलते हुए छः मिनट हो गये हैं। समय की पाबंदी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमें सदन चलाना है, कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मैं को-आपरेट कर रहा हूं। सामाजिक न्याय एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को राष्ट्रीय जनता दल ने कभी छोड़ने का काम नहीं किया और न कभी करेगी। हमारा इस संबंध में कमिटमैंट है। हमारी लोक सभा में 24-25 मैम्बर्स की स्ट्रेंथ है। अपने उसूलों के बल पर ही हमने जनता से मैनडेट लेने का काम किया है। हमने कहा है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे मगर जब तक ओबीसी, एससी, एसटी और माइनोरिटीज की महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा तब तक हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक इस देश में मिट्टी-गिट्टी काटने वाला, खेत-खलिहान में काम करने वाला जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, झोपड़ियों में रहता है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम इस बिल के पक्ष में नहीं हैं। हम कदापि महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। आप इस बिल में संशोधन करके लाइये, तो सबसे अगली पंक्ति में राष्ट्रीय जनता दल रहेगा और आपके इस बिल को सपोर्ट करने का काम करेगा। यह मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस बिल का आप जो प्रारूप लाने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, यह बिल नौ साल से लंबित पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों यह नौ साल से लंबित पड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): हम तो इस बिल को लेकर आये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: आप किस वजह से लेकर आये हैं, मुझे मालूम है। ...*(व्यवधान)* आपकी इसके पीछे जो भावना रही है, वह मुझे मालूम है। आप आधे अधूरे मन से लेकर आने वाले लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: आपका कमिटमैंट गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप सिर्फ घड़ियाली आंसू रोने का काम करते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुले मन से आइए। ...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कभी भी गरीबों और पिछड़ों के प्रति कमिटमैंट नहीं है। ये तो एनआरआईज को रिप्रैजेंट करने वाले लोग हैं। ऐसे संस्कार में बसने वाले लोग हैं। ...*(व्यवधान)* एनआरआईज के प्रति, अंग्रेजी बोलने वालों के प्रति इनका कमिटमैंट है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: आप दो परसेंट महिलाओं को आरक्षण देने वाले लोग हैं इसलिए आप क्या बोलेंगे? ...*(व्यवधान)* आपकी आवाज कहां चली गयी? आप क्यों नहीं पिछड़ों, दलितों और शोषितों की बात करते? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: क्या वे इस देश की आबादी नहीं हैं? देश की आबादी के 98 परसेंट लोग यही हैं। ...*(व्यवधान)* देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ...*(व्यवधान)* न्याय की बात नहीं की जा सकती। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इसलिए मैं सदन के सभी पक्षों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब-जब महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाया है। ...*(व्यवधान)* अगर आप दलितों, पिछड़ों, शोषितों और अकलियतों को पीछे छोड़कर रखेंगे तो हिन्दुस्तान की तकदीर कभी बदल नहीं सकती। इस बिल का जो स्वरूप है, अगर वह उसी स्वरूप में आयेगा, तो उनको तब तक हिस्सेदारी नहीं मिल सकती जब तक आप समान रूप से सबको हिस्सा देने की बात नहीं करते। यह सिर्फ दिखावा होगा, ढकोसला होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने पहले ही 12 मिनट ले लिए हैं। आप बहुत विद्वान, उत्तरदायी और अच्छे सदस्य हैं। कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत की

[श्री राम कृपाल यादव]

तकदीर बदलना चाहते हैं, भारत को अगर सब वर्गों का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो आइए, मुख्य धारा में गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और दलितों को लाने के लिए इस आरक्षण बिल में संशोधन करके लाइए। राष्ट्रीय जनता दल इसमें हमेशा से आगे रहा है और आगे रहने का काम करेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री पी. करुणाकरन को बोलना है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री पी. करुणाकरन के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय सदस्य श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। यह बड़े दुख की बात है कि आजादी के 58 वर्षों के पश्चात अभी हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हमें महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए अथवा नहीं। हम अभी आपस में ही झगड़ रहे हैं किसको दिया जाना चाहिए और किसको नहीं? हम क्यों नहीं दे सकते? मैं समझ नहीं पाता। बात यह है कि महिलाएं पूरे विश्व के मतदाताओं और पूरे विश्व की आबादी का आधा हिस्सा हैं। भारत के मामले में भी यह सच है। यह केरल के मामले में भी सच है और किसी अन्य राज्य के बारे में भी। जब हम मंत्रिपरिषद की ओर देखते हैं तो हमें स्थिति बहुत खराब नजर आती है। मंत्रियों के मामले में हमें 33 प्रतिशत अंक नहीं मिले हैं। हमें सांसदों के मामले में इतने अंक नहीं मिले हैं। हम राज्य सभा के सांसदों के मामले में भी इसे पाने में असमर्थ रहे हैं। यह विधायिकाओं के मामले में भी सच है।

आजकल हम प्रत्येक क्षेत्र में देखते हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कार्य करने में सक्षम हैं चाहे वह आई.ए.एस. अधिकारी के रूप में प्रशासन हो अथवा राजनैतिक क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य सेवा हो अथवा शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा कोई भी अन्य क्षेत्र हो, हम यह देखते हैं कि महिलाएं वह सब कार्य कर सकती हैं जोकि आदमी कर रहे हैं। तब हम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हम महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमत हो सकता हैं?

73वें और 74वें संविधान संशोधनों के आलोक में यह सुस्पष्ट है कि महिलाएं प्रशासन के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती हैं। मुख्य बात यह है कि महिलाओं को राजनैतिक निर्णय लेने वाले निकायों में एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों और जिला पंचायतों के मामले में भी जब हमने महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया तो, जहां तक केरल का संबंध है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने भारी परिवर्तन किए हैं। वे पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम इनकी तुलना अन्य पंचायतों से करते हैं तब पाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि क्योंकि मुझे दिल्ली में ही संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला है और राजीव गांधी पेय जल अभियान में भी। ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों में कौन अध्यक्ष है और कौन अध्यक्षपीठ वे सब महिला सदस्य हैं। जहां तक केरल का संबंध है उन सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमने इसे निचले स्तर के संगठनों में देखा है वे पंचायत की बैठकों, वार्ड की बैठकों में भाग ले रही हैं, वे आई.ए.एस. अधिकारों व अन्य बहुत से अधिकारियों के संपर्क में हैं। हम देखते हैं कि ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में है। तब हम उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? जब हम आंकड़े देखते हैं तो किसी भी देश में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 प्रतिशत है। तो वस्तुत: यह दया दिखलाने वाली बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि यह चर्चा अपने आप में सहानुभूतिपरक है। कोई सहानुभूति दिखलाने की जरूरत नहीं है। यह उनका अधिकार है। हमें उनके साथ न्याय करना होगा। हमें महिलाओं को उनका हिस्सा देना होगा।

मैं कह सकता हूं कि संसद में और इसके बाहर भी महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बहस चल रही है। इसे संसद में पेश किया जाना है। जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों का कहना है, हमें चिन्ता क्यों होनी चाहिए? हम सदन में विधेयक पेश क्यों क्यों नहीं कर सकते? चलिए चर्चा शुरू करें। यह किसी को छुपाने का प्रश्न नहीं है। ऐसा इसलिए है कि अगर हम महिलाओं को उनका उचित महत्व नहीं दे सकें तो यह सदन और यह शताब्दी भी एक तरह का अपराध कर रही होगी। दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों में महिलाओं को हमारे देश की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है।

हमारा एक प्राचीन इतिहास रहा है, हमारी महान परंपरा रही है। हमारे कुछ साथियों और कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ महान नेताओं के उदाहरण दिये हैं जैसे महिला प्रधान मंत्री और अन्य बहुत से स्थान भी। आप देखें कि यह सामाजिक न्याय का प्रश्न है जो कि हमें महिलाओं को देना है। राजनैतिक निर्णय प्रमुख मुद्दा है। महिलाओं को उन क्षेत्रों में भाग लेना है। अब यह

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थानीय निकायों में संभव है लेकिन राज्य विधान सभाओं अथवा संसद में संभव नहीं है। इस सभा को एक निर्णय लेना है। वास्तव में यह सत्य है कि इस बात पर कुछ एकमतता होनी चाहिए। ऐसा करना कहां तक संभव है? अगर हम एकमत नहीं होंगे तो भी यू.पी.ए. सरकार को मूल विधेयक के साथ आगे आना चाहिए। हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप देखें यहां इस पर चर्चा हो रही है कि सदस्यता को 800 तक बढ़ाया जाए। मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तब हम सभा में 800 सदस्य होने पर स्वयं की पहचान कैसे करेंगे और सुरक्षा का क्या होगा? इस संबंध में अपनायी जा रही सोच क्या है? यह सामंती दृष्टिकोण संबंधी सोच है कि हम महिलाओं को कोई हिस्सा नहीं दे सकते हैं। महिलाएं अपना हिस्सा ले सकती हैं। आप अधिक सीटों का सृजन करें और केवल तब ही हम हिस्सा दे सकते हैं। अत:, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। महिलाओं को राजनीतिक निर्णय करने वाले निकायों से दूर नहीं रखा जा सकता, उन्हें इन निकायों से दूर नहीं रखा जाना चाहिए तथा उन्हें इन निकायों से दूर नहीं रखा जाएगा। सभी दलों को इसे समझना होगा। अन्यथा, उन्हें भविष्य में इस बड़े अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदय, मैं न तो इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और न विरोध करने के लिए। मैं अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम कभी विरोध कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम उस पार्टी से संबंध रखते हैं, जिनकी सर्वोच्च नेता एक महिला है, एक ऐसी दलित महिला जो तीन-तीन बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे कौन लोग हैं जो बिना किसी तफरीक के 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं? ये वही मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने हजारों सालों से, अपनी ताल-तिकड़म से और अपनी बुद्धि या विवेक, चाहे जो कह लीजिए, से पूरे समाज को एक तरह से गुलाम बना रखा है। पूरी दुनिया में इन्कलाब आए, इस्लाम की आंधी भी आई, वे अपना झण्डा यहां लहरा कर चले गये, लेकिन यहां के समाज में वे परिवर्तन नहीं ला सके क्योंकि यह पूरा समाज हमेशा मुट्ठी भर लोगों की जकड़न में रहा है। जो लोग इस जमाने में भी सती प्रथा को जिन्दा करने का प्रयास करते हैं, क्या वे महिलाओं के हमदर्द हो सकते हैं? जो मां के पेट में ही लड़कियों की हत्या करने में नम्बर एक पर हैं, क्या वे लोग महिलाओं के हमदर्द हो सकते हैं? क्या वे लोग महिलाओं के हिमायती हो सकते हैं, जिन्होंने महिलाओं के बारे में पता नहीं क्या-क्या लिख रखा है? ये लोग महिलाओं के हमदर्द नहीं हो सकते हैं।

असली बात यह है कि यह वे लोग हैं जो मुट्ठी भर होने के बावजूद, अपने ताल-तिकड़म से विधायिका पर कब्जा किये हुए थे। जागरूकता, शिक्षा के प्रसार से विधायिका पर उनका कब्जा और एकाधिकार समाप्त हो रहा है। इसीलिए अब वे महिलाओं के नाम पर इस अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर महिलाओं के हमदर्द हैं तो आगे आइए, मैं आपको चुनौती देता हूं कि 35 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए बिल लाइए। लेकिन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और ऊंचे लोगों को आबादी के अनुपात में बांटकर आरक्षण दीजिए, तो हम 50 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम यह नहीं मानेंगे कि ये सिर्फ महिलाओं की बात करें। ये लोग जानते हैं कि हजारों सालों से चला आ रहा इनका ताल-तिकड़म अब खत्म हो रहा है, इसीलिए महिलाओं के नाम पर उसे किसी तरह से बचाना चाहते हैं। अगर महिलाओं का आरक्षण बैकवर्ड, एससी और माइनारिटी महिलाओं में बांट दिया जाए तो क्या महिलाओं की जगह पुरुष आ जाएंगे? जी नहीं, महिलाओं की जगह पर पुरुष नहीं आ जाएंगे, महिलाएं ही आएंगी। अगर आप महिलाओं के हमदर्द हैं तो लाइए इस बिल को। अगर तुम महिलाओं के प्रति इतने ही हमदर्द हो, तो फिर 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल सदन में लाएं, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हमारा लोकतंत्र धीरे-धीरे तंत्र लोक में बदल चुका है। तंत्र ही असल मालिक हो चुका है। इस सदन में ही सिर्फ लोक का महत्व रह गया है, बाहर नहीं। 13-13 लाख, 15-15 लाख लोगों के हम प्रतिनिधि एक मामूली नौकर के सामने लोगों का काम कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। चूंकि दौलत उन्हीं के पास है, ताकत उन्हीं के पास है* ये विधायिका पर जिस दिन कब्जा कर लेंगे, वह दिन इस देश की तारीख का, लोकतंत्र की तारीख का सबसे काला दिन होगा। इस साजिश में भी शरीक हैं, क्योंकि सारा धन उन्हीं के पास जमा हो चुका है। इसलिए इन सब बातों पर अच्छी तरह से गौर करना चाहिए।

सभापति जी, मैं कभी चेयर की अवहेलना नहीं करता इसलिए इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): किसी महिला के बारे में या उसके अच्छा या बुरा होने के बारे में उल्लेख करना उचित नहीं है। आप हमें रिजर्वेशन दें या न दें, कम से कम महिलाओं के बारे में ऐसा न कहें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: महिलाओं के बारे में गलत बात न कहें। जो भी गलत कहा गया है, वह रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें।

[अनुवाद]

हम इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देंगे।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: क्या बैकवर्ड क्लास और एस.सी. की महिलाएं महिला नहीं हैं।

सभापति महोदय: आप उसमें न जाएं, हम गलत शब्द कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति जी, चन्द्रप्पन साहब ने सदन में जो संकल्प पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए दो-चार शब्द कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, यह कहा जाता है कि महिलाएं इस विश्व में अभिव्यक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। वे स्वर्ग के सितारे अथवा प्रतिमूर्तियां हैं जो स्पष्ट प्रकाश और समरसता प्रदान करती हैं। वे भौमिक ग्रह हैं जो मानव के भाग्य का निर्धारण करते हैं।

[हिन्दी]

जब हम लोग होश सम्भालते हैं, तो मां कहकर पुकारते हैं। आज वह मातृ जाति अगर अपना हक मांगने के लिए कोई विधेयक लाना चाहती है, उसका विरोध हो, तो यह हम सबके लिए बड़े खेद की बात है। यह भी खेद की बात है कि महिला जाति को अपना हक प्रदान करने के लिए इतनी बहस करनी पड़ रही है। मैं सदन में सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि बिना किसी बहस के यह विधेयक जल्द से जल्द सरकार पेश करे और पारित कराए। कुछ माननीय सदस्यों ने इस संकल्प के बारे में जो बातें कहीं, मुझे लगता है कि उससे मेल शॉविनिज्म की बू आती है। कोई न कोई एक्सक्यूज खड़ा करके इस महत्वपूर्ण संकल्प की जो स्पिरिट है, जो एसेंस है, उसे वे नष्ट-भ्रष्ट करना चाहते हैं।

एक जमाने से इस देश में महिला जाति को श्रद्धापूर्वक नजरों से हम देखते आ रहे हैं। एनशिएंट पीरियड से शुरू होकर आज तक हिन्दू मैथोलॉजी को आप देखें, वह चीज रिफलेक्ट होती है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद संविधान सभा में सबसे पहले महिला संरक्षण के बारे में चर्चा हुई थी। लेकिन उस वक्त महिला सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि जब हिन्दुस्तान में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में इन्हैरेंट, इन्ग्रिडिएंट जो आते हैं, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। यह कहा गया कि देश आजाद हो गया है, जब हम समानता की बात करते हैं तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हालात ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि हम लोग उस चीज को रिअलाइज नहीं करते। इसलिए अवसर देने के नाते हमें यह विधेयक लाने की जरूरत है।

यूपीए सरकार आम सहमति से विधेयक पेश करने का प्रयास कर रही है। यूपीए सरकार के माननीय प्रधान मंत्री, नेशनल एडवाइजरी कौंसिल की चेयरमैन श्रीमती सोनिया जी, सब पार्टियों से विचार-विमर्श करके, आम सहमति से यह विधेयक लाना चाहती हैं। पिछली सरकार बार-बार यह विधेयक लाई और 81वें, 84वें एवं 85वें अमेंडमेंट के द्वारा नये-नये इनकारनेशन हुए, लेकिन उनका कोई रिफलेक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी आये और देश की 50 प्रतिशत महिलाओं को उनका हक मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री तथागत सत्पथी, कृपया अत्यंत संक्षेप में बोलिए क्योंकि दो और वक्ता हैं तथा उसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदय, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान किया है। मैं केवल दो मिनट का ही समय लूंगा।

यही मुख्य प्रश्न है। आरक्षण की आवश्यकता किसे है? क्या कमजोर वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता है? क्या असहायों को इसकी आवश्यकता है? आरक्षण की आवश्यकता किसे है? क्या हम इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी माताओं, बहनों, भारत की लक्ष्मी, काली और दुर्गा को आरक्षण की आवश्यकता है? मैं ऐसा नहीं समझता। भारत की महिलाएं सभी प्रकार की उत्पीड़नों, अभाव के कष्टों के विरुद्ध लम्बे समय से डटी रही हैं तथा उनमें इस राष्ट्र को दिशा प्रदान करने का साहस और आंतरिक बल है। उन्होंने ऐसा कर दिखाया है और उन्होंने बार-बार इसे साबित भी किया है।

महोदय, यह आश्चर्यजनक बात है कि जब कांग्रेस पार्टी, जो गठबंधन सरकार का एक भाग है, के सदस्य अपने नेतृत्व की बात करते हैं, तब वे इन दिनों स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में बात करते हैं। वे तुरंत इन दो महिलाओं

के नाम लेते हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि इन दोनों महिलाओं को किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि मंत्री महोदया, जो संघर्ष कर राजनीति में आई है, को भी इस सभा में आने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उड़ीसा में भी, जब मेरी मां मुख्यमंत्री थीं, तो उन्हें किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं के पास बल है और उन्हें पुरुषों की दया की जरूरत नहीं है। यह 33 प्रतिशत या 50 प्रतिशत वाली क्या बात है? संभवतः एक ऐसा समय आ सकता है जब महिलाओं का इस सभा में शत प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सकता है। हमें उस समय का स्वागत करना चाहिए। पुरुषों को 'दयालु' होने संबंधी इस सोच से बाहर आना होगा। क्या हम ऐसा कहकर महिलाओं के प्रति दयालु दृष्टिकोण रख रहे हैं कि हम महिलाओं की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए उनके साथ थोड़ी दया करेंगे? यह एक बेतुका विचार है। हम सती के बारे में बात करते हैं और उसी क्षण पर्दा संबंधी विचारधारा को भी स्वीकार करते हैं। हमें इस देवबंदी की मानसिकता से अलग हटना होगा। हम एक आधुनिक देश में इस प्रकार की मानसिकता को स्वीकार नहीं कर सकते।

महोदय, मैं आरक्षण का जोरदार विरोध करता हूं तथा मैं ऐसा समझता हूं कि सभी महिलाओं को स्वयं के बल पर आगे बढ़ने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रगति की है और वे नेतृत्व करेंगी। वे हमारी माताएं हैं, वे दुर्गा हैं, काली हैं। भारतीय नारी अमर रहें।

सभापति महोदयः अनेक ऐसे सदस्य हैं जो भाग लेना चाहते हैं। परंतु समय की कमी के कारण मैं अभी केवल एक या दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा बशर्ते कि वे संक्षेप में बोलकर अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः सभी संकल्प महत्वपूर्ण हैं। सभी वक्ता महत्वपूर्ण हैं। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, परंतु समय भी महत्वपूर्ण है। अब श्री सुनील खां बोलेंगे। कृपया अत्यंत संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सभापति महोदय, श्री सी.के. चन्द्रप्पन जो रैजोल्यूशन लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 1996 से जब से मैं इस सदन में आया हूं, उसी समय से देख रहा हूं कि 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोक सभा में एक सरकारी बिल के माध्यम से इस पर कई दफा चर्चा हुई। यदि इधर से कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा समर्थन व्यक्त किया जाता है लेकिन उसके ऊपर भी सामंती मानसिकता काम करती है इसलिए उस समय उसका समर्थन नहीं किया जाता है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि महिलाएं इस दिशा में कैसा काम कर रही हैं? आजादी के समय से हम महिलाओं की शक्ति के बारे में देख रहे हैं। प्रीतिलता वड्डेडर ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मातंगिनी हाजरा को भी हमने देखा था। लीला मित्रा को भी उस समय देखा था। लक्खी सहगल नेता जी के समय आईएनए की कैप्टन बनी थी। महिला की शक्ति जब विकसित होती है तो उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। ईश्वर चन्द विद्यासागर जिन की मां का नाम भगवती देवी था, जब वह मां की शरण लेते थे तो हमने देखा कि दामोदर में इतना तूफान आया कि वह उसमें क्रश हो गये थे। मां की शरण लेने पर इतना जोश बढ़ जाता था। नन्दनी सत्पथी का लड़का यहां एमपी बन कर आया है। जब वह भी बोलने के लिए खड़े हुए तो उनमें जोश पैदा हो जाता है। वे एक अच्छी नेता भी थीं। असैम्बली और संसद में महिलाओं के लिए 33 परसैंट रिजर्वेशन होना चाहिए। यदि यह बिल संसद में पास हो जाए तो अच्छा है, वरना हर महिला यह सोचेगी कि जो इसके बारे में बोलते हैं, वे भी इसमें डिसक्रिमिनेशन करते हैं। इस बिल के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, इसके बारे में सब जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 73वें अमैंडमेंट के आगे भी पंचायतों में महिलाओं को सीटें देकर ज्यादा से ज्यादा प्रधान बनाया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः हम महाराष्ट्र में भी ऐसा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुनील खांः कोलकाता म्युनिसिपल कार्पोरेशन में महिलाओं को 40 परसेंट सीटें दी गईं। यह बिल ज्यादा से ज्यादा सहमति से पारित कर दें, तो बहुत अच्छा है। हमारी पार्टी इस बिल का 1996 से समर्थन कर रही है और अभी भी कर रही है। हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि हमने पश्चिमी बंगाल में छः सभापति बनाए हैं। उधर मैन हैडिड नहीं होता है, वूमैन ही चलाती हैं, लेकिन दूसरी जगहों में ऐसा नहीं होता है। मैं सभी दलों के

[श्री सुनील खां]

लीडर्स से कहना चाहता हूं कि कृपया इस सदन में महिलाओं के लिए 33 परसैंट रिजर्वेशन संबंधी बिल सर्वसम्मति से पास करिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): सभापति महोदय, मैं अपने विद्वान सहयोगी कामरेड सी.के. चन्द्रप्पन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विद्यमान महत्व का यह संकल्प इस सभा के समक्ष पेश किया। ...*(व्यवधान)*। इसी के साथ-साथ, इससे इस विधान के संबंध में सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी स्पष्ट होती है। ऐसा इसलिए है कि यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक भाग है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसके संबंध में मैं चाहता हूं कि सभा में चर्चा हो, यह है कि यू.पी.ए. सरकार महिला आरक्षण विधेयक लाने के प्रति वचनबद्ध है।

महोदय, अब अचानक सहमति संबंधी बातचीत सामने आई है। मुझे यह नहीं मालूम कि सहमति की यह बातचीत कब सामने आई हैं। एक महत्वपूर्ण सामाजिक विधान लाने के संबंध में, इस देश के इतिहास से पता चलता है कि कभी सहमति नहीं बनी है। अब हिन्दू कोड बिल को ही देखिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में सभी प्रकार के प्रतिक्रियावादी विरोध का सामना करते हुए इस सभा में अकेले ही विधेयक पेश किया था और उसे पारित कराया था। अत:, सरकार और सत्ताधारी दल की इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इसी कारण से लोगों ने इस सरकार को चुना है। यह सरकार लोगों के समक्ष रखे गए एक कार्यक्रम के आधार पर सत्ता में आई है तथा बाद में सभी सहयोगी दलों का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया। इसलिए, इस सरकार को संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक पुर:स्थापित करने और उसे पारित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए। जब मुस्लिम महिला विधेयक, जो एक प्रतिक्रियावादी विधेयक था, सभा में पुर: स्थापित और पारित किया गया था, तब मैं सभा में सदस्य था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे मालूम है। मैं भी सभा में था।

श्री सुरेश कुरूप: देश में सभी प्रगतिशील शक्तियों के सभी प्रकार के विरोधों के बावजूद उस विधेयक को पारित किया गया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सुरेश कुरूप, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

अब, इस विधेयक के लिए आवंटित बढ़ा हुआ समय समाप्त हो गया है। मंत्री महोदय को उत्तर देना है। हम इस विधेयक के लिए 15 से 20 मिनट तक का समय बढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात्, हमें अगले संकल्प पर भी चर्चा करनी होगी।

क्या सभा इस बात पर सहमत है कि इस विधेयक के लिए 20 मिनट तक का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: अत:, इस विधेयक के लिए और 20 मिनट तक का समय बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेश कुरूप, अब आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, एनडीए सरकार ने ही महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में इस सहमति कार्यवाही को आरंभ किया था। उन्होंने आतंकवाद निवारण विधेयक, जो राज्य सभा में पारित नहीं हुआ था, को संसद के दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र आयोजित कर पारित करा लिया तथा उन्होंने जोरदार विरोध के बावजूद उसे पारित करने का उतावलापन दिखाया। ...*(व्यवधान)* काली और अन्य ऐसी बातें कहना आसान है किन्तु वास्तविक तथ्य यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

महोदय, इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या अध्ययन किया है? महोदय, आप मुझे और दो मिनट का समय दीजिए। आपने समय भी बढ़ा दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। यदि आप अन्य सदस्यों को संबोधित करना आरंभ करते हैं, तो समय नष्ट हो जाएगा और आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्ययन यह दर्शाता है कि, "जबकि विश्व व्यस्क जनसंख्या में महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है तथा अधिकारिक श्रम बल में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व है, तथापि वे समस्त कार्य घंटों के लगभग एक-तिहाई भाग का निष्पादन करती हैं; विश्व में समस्त आय का दसवां भाग प्राप्त करती हैं तथा विश्व की कुल संपत्ति के एक प्रतिशत से भी कम भाग का स्वामित्व रखती हैं।" पूरे विश्व में महिलाओं की यही स्थिति है। यह किसी की दानशीलता नहीं है। इस देश की महिलाओं का यह अधिकार है कि उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों, विशेषकर विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व मिले। उनकी आवाज संसद और राज्य विधानमंडलों में सुनी जानी चाहिए। तिरासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक, जिसके द्वारा सभी पंचायत समितियों में महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व दिया गया है, सफल सिद्ध हुआ है और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप ठीक कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप: जब आपने पंचायत समितियों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया था, कोई मुसीबत नहीं आ गयी थी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री सुरेश कुरूप: मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

इन सभी निकायों में उच्च प्रतिनिधित्व दर्शाता है कि भ्रष्टाचार का स्तर कम होगा। अध्ययनों से पता चला है कि इन सभी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से भ्रष्टाचार में कमी आई है।

इसलिए, मैं जो यह कहना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक को लाने के लिए संप्रग सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और सभी प्रकार के विरोध तथा किसी के भी विरोध करने के बावजूद, इस सरकार को इस सभा में विधेयक लाना चाहिए तथा इसे पारित करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, कृपया मुझे एक और मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: कृपया सहयोग करें। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश कुरूप: अन्तिम वक्तव्य के रूप में, मैं एक बात कहना चाहूंगा। दक्षिण अफ्रीका की संसद में हेलेन होल्समेन एकमात्र महिला सदस्या थी। जिन्होंने कहा था कि रंगभेद का उन्मूलन किया जाना चाहिए। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और सभा से बाहर फेंक दिया गया। किसी भी पुरुष सदस्य ने उसका समर्थन नहीं किया।

सभापति महोदय: अब, मंत्री जी, कृपया सहयोग करें। अपनी बात संक्षेप में कहिए।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, मैं यह नोट करके बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे प्रिय मित्र श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किये गये संकल्प के माध्यम से यह सभा सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं पर भी चर्चा कर सकती है।

प्रस्ताव यह है:

"राज्य विधानमंडलों और संसद में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार सभी राज्य विधानमंडलों और संसद की दोनों सभाओं में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए एक उपयुक्त विधान लाए।"

इस संबंध में, मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख किया है कि सरकार लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए विधेयक प्रस्तुत करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। 7.6.2004 को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यही कटिबद्धता दर्शायी गई थी। चूंकि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण न्यूनतम साझा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बिन्दू है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी निदेश दिया कि विधेयक पुर:स्थापित करने के विषय पर सर्वप्रथम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए। कतिपय राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने के बाद, इस सरकार ने एक नया विधेयक तैयार किया है। इस विधेयक की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. विधेयक में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए लोक सभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण किये जाने संबंधी उपबंध है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक तिहाई आरक्षण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों जैसी भी स्थिति हो के लिए आरक्षित सीटों के भीतर होगा। जहां कुल सीटों की संख्या एक या दो है खण्ड-वार सूत्र को अंगीकार कर चक्रीय आधार पर एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था करने का भी उपबंध है।

2. विधेयक में लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मामले में, मनोनीत किये जाने में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

3. विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण किये जाने का उपबंध है।

[श्री के. वेंकटपति]

4. महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध इस विधेयक के अधिनियमित किये जाने के दिन से 15 वर्ष की समयावधि बीत जाने पर प्रभावी नहीं होगा।

5. इस विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है साथ ही राज्य सभा में महिलाओं को इसी प्रकार का आरक्षण दिए जाने का भी प्रावधान नहीं है।

एक आम राय बनाने के लिए 23 अगस्त को संप्रग की एक बैठक हुई। हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक की। अलग-अलग राय को देखते हुए, कोई आम राय नहीं बन पाई। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में कोई स्वीकार्य राय तैयार कर ली जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन आयोग की राय शामिल है।

अत: तीन तरह के विचार हैं। एक विचार यह है कि मौजूदा सीटों में, एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। दूसरा मत यह है कि 33 प्रतिशत सीटें बढ़ा दी जाए ताकि मौजूदा 543 सीट बढ़कर 724 हो जाएं जिससे महिलाओं को अपेक्षित सीटें दी जा सके और तीसरा प्रस्ताव भाजपा द्वारा दिया गया है वह यह है कि राजनीतिक दलों को एक-तिहाई सीटें आरक्षित करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

जी हां, निर्वाचन आयोग का भी यही मत है। इसलिए राजनीतिक दलों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण देने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

इसलिए इनमें से कोई भी सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए, उपरोक्त के दृष्टिगत यह नोट किया जाए कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधान आम राय कायम करने के लिए सरकार गहन प्रयास कर रही है। मामले पर संपूर्ण तौर पर विचार किया जाना चाहिए और राजनीतिक दलों के बीच अभी भी आम राय नहीं बन पाई है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री के. वेंकटपति: अत: जब तक आम राय नहीं बनती है, इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देना संभव नहीं होगा। इसमें कुछ और समय लगेगा।

इसलिए, इन परिस्थितियों में, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे संकल्प वापिस ले लें। *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): आपने कहा कि किसी बात के मद्देनजर मुझे संकल्प वापिस लेना चाहिए। लेकिन किस आधार पर, मुझे इसे वापिस लेना चाहिए? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मुझे मंत्री जी की बात सुनना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सरकार आम राय कायम करने का भरसक प्रयत्न कर रही है और फिर वह विधेयक लाएगी।

श्री के. वेंकटपति: मैंने बताया है कि इन परिस्थितियों में, मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे संकल्प वापस लें। *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या आप चाहते हैं कि मैं संकल्प वापिस ले लूं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जी हां, वे चाहते हैं कि आप संकल्प वापिस लें।

...(व्यवधान)

श्री के. वेंकटपति: मुझे इसके लिए बहुत प्रशंसा मिली है और हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार और अपनी राय व्यक्त की है *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या आप विधेयक एक निर्दिष्ट समय में लाएंगे?

श्री के. वेंकटपति: इस संबंध में निश्चित रूप से आम राय बनेगी। मैं पूरी आशा करता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, कृपया संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कम से कम मूवर को तो बोलने दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल, प्रस्ताव करने वाला ही संकल्प को वापस ले सकता है।

*...(व्यवधान)**

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मुझे उत्तर देना होगा। यह मेरा अधिकार है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे वापस ले लें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं वास्तव में मंत्री महोदय के उत्तर से निराश हूं। इस सम्माननीय सभा के पैंतीस सदस्यों ने इस संकल्प से संबंधित चर्चा में भाग लिया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरा मानना है कि थोड़े ही सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने संबंधी विधान के पक्ष में थे। हम आपसे ऐसा करने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक भाग है। यदि आप यह कह रहे हैं कि आप आम राय बनने के पश्चात् ही ऐसा करेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि आम राय कभी नहीं बनेगी। हमने देखा है कि उन्होंने पांच वर्षों तक आम राय के लिए किस प्रकार प्रयास किया है और ऐसा नहीं हो पाया। मैं नहीं चाहता कि यह सरकार वही कार्य करे। उन्हें देश के लिए किये गये वादे के प्रति और अधिक वचनबद्ध होना चाहिए तथा उन्हें एक मजबूत स्थिति में भी होना चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की विरासत को लेकर चल रही है। जब भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन लाए गए, तब कोई आम राय नहीं बनी। गोलक नाथ मामले से संबंधित निर्णय को अधिभूत करे हेतु किये गये संवैधानिक संशोधन में, आम राय नहीं बनाई गई। इस पर मतदान हुआ और निर्णय लिया गया। इस संबंध में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। यह केवल इस देश की जनता को धोखा देने और ऐसा कहने का एक प्रयास है कि हम ऐसे-ऐसे कार्य करेंगे।

भा.ज.पा. ने जो कलाबाजी संबंधी कार्य किया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह महज एक कलाबाजी संबंधी कार्य है। आप लोगों ने ही खाली चेक का वादा किया था। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 4.19 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): हमने खाली चेक दे दिया है। हमने उसे वापस नहीं लिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: अब भी आपके पास खाली चेक है। *...(व्यवधान)* जी नहीं, उसे कल वापस ले लिया गया। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: जी नहीं, हमने उसे वापस नहीं लिया है। *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह एक अन्य खाली चेक है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि उन्होंने एक अन्य सुझाव दिया है। *...(व्यवधान)*

अब दो खाली चेक हैं; पहले, उन्होंने एक खाली चेक के बारे में बताया था।

अब मुद्दा यह है कि हम इस विधेयक को पेश होने देना चाहते हैं। यह कोई उदारता नहीं है। यह सामाजिक न्याय करने का मामला है। यह बात संविधान की भावना में ही है कि इसकी उद्देशिका में वचन दिया गया है कि इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब, महिलाओं के विरुद्ध भेद-भाव हो रहा है। अत:, हम चाहते हैं कि यह विधान लाया जाए। मुझे खेद है कि सरकार कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दे रही है कि वह विधान लाएगी। *...(व्यवधान)*

वे चाहते हैं कि मैं अपना संकल्प वापस ले लूं। क्या यह दोस्ती दिखाने की ही बात है कि मुझे इसे वापस ले लेना चाहिए?

श्री के. वेंकटपति: यू.पी.ए. एक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए। माननीय मंत्री जी अब उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, मैं कुछ क्लैरीफाई करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* हमने एक सुझाव दिया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के. वेंकटपति: सभापति महोदय, यू.पी.ए. एक विधेयक लाने के लिए वचनबद्ध है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इस तथ्य के बारे में भी कोई संदेह नहीं है कि हम महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सभी क्षेत्रों में शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं किन्तु हम राजनीतिक दलों के साथ इन मामलों पर चर्चा कर रहे हैं और हम आम राय बनाना चाहते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यदि आम राय न बनती हो, तो आप क्या करेंगे?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. वेंकटपति: यह तथ्य कि सभी माननीय सदस्य स्पष्ट रुचि और उत्साह से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस तथ्य को भी उजागर करता है कि इस मामले में हम सबकी रुचि है। अत:, हमें इस सभा को विश्वास में लेना होगा। निश्चित रूप से, हम सबकी आम राय बनने के बाद ही इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, क्या आप माननीय मंत्री महोदय का अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जी हां, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अध्यक्षपीठ का भी यही कहना है कि उन्होंने एक विधेयक लाने का वचन दिया है और इस तथ्य की दृष्टि से कि इस देश के लोग ऐसे किसी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे जो महिलाओं के साथ विश्वासघात करेगा, मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अपराह्न 4.23 बजे

(दो) उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेलमार्गों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा सरकार से निम्नलिखित के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की सिफारिश करती है:

(1) पनीकोइली और राजामुंडा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215;

(2) बोंरपाल और रांची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23; और

(3) तालचेर से बिमलागढ़ और दैतारी से बांसपानी तक रेल मार्ग ताकि उड़ीसा राज्य में क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिले के भीतरी क्षेत्रों से पारादीप पत्तन तक खनिजों की आवाजाही को सुकर बनाया जा सके और क्षेत्र का समग्र विकास हो सके"।

सभापति महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा सरकार से निम्नलिखित के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की सिफारिश करती है:

(1) पनीकोइली और राजामुंडा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215;

(2) बोंरपाल और रांची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23; और

(3) तालचेर से बिमलागढ़ और दैतारी से बांसपानी तक रेल मार्ग ताकि उड़ीसा राज्य में क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले के भीतरी क्षेत्रों से पारादीप पत्तन तक खनिजों की आवाजाही को सुकर बनाया जा सके और क्षेत्र का समग्र विकास हो सके"।

श्री जुएल ओराम: महोदय, मैं दो नेशनल हाईवे और दो रेलवे लाइनों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करके, इनका समाधान चाहता हूं। पहले मैं इन दोनों नेशनल हाईवे और दोनों रेलवे लाइनों की विशेष स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। अगर एक दिन में करीब 15 हजार ट्रक, कमर्शियल वाहन हाईवे पर चलते हैं तो इस हाईवे की स्थिति कैसी होगी?

माननीय सभापति जी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो चार-पांच दिन तक ब्लॉकिड हो जाता है। नैशनल हाइवे को दुरुस्त करने के लिए, उसे खाली करने के लिए और चालू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है। दोनों जिलों के एस.पी. सुबह उठकर डेली वायरलैस पर मैसेज देते हैं कि नैशनल हाइवे चालू है कि नहीं। उन पर हुए एक्सीडेंट्स में कितने लोगों की जान गई, इसका पता नहीं है। आयरन ओर, मैगनीज ओर तथा कोयले के मार्केट रेट बढ़ने, उनकी मांग ज्यादा होने के कारण, इन दोनों मार्गों पर आवागमन बहुत बढ़ गया है। उड़ीसा के दोनों जिले, सुंदरगढ़ और क्योंझर, खानों से भरपूर हैं। वहां मैंगनीज और कोयले की खदानें प्रचुर मात्रा में हैं।

सभापति जी, उन नैशनल हाइवे का आकलन मैं बताता हूं। प्रति दिन उनसे 17 हजार ट्रकों का आवागमन होता है। सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, उनके अनुसार नैशनल हाइवे नंबर 215 की क्या स्थिति है, वह मैं आपको बताता हूं। नैशनल हाइवे नंबर 215-कुल किलोमटीर 269, इसमें से सिंगल लेन 143 किलोमीटर, इंटरमीडिएट लेन 111.7 किलोमीटर और डबल लेन 14.3 किलोमीटर। दूसरा नैशनल हाइवे नं. 23-रांची और झारखंड एरिया को छोड़कर, उड़ीसा राज्य में कुल रनिंग एरिया 209.2 किलोमीटर, सिंगल लेन 27.3 किलोमीटर, इंटरमीडिएट लेन 19.7 किलोमटीर, डबल लेन

139.108 किलोमटीर और मिसिंग लिंक यानी नॉट मोटरेबल 23 किलोमीटर। ऐसा देश में और दूसरा कोई भी नैशनल हाइवे नहीं होगा, जो मोटरेबल न हो और जिस पर चला न जा सके।

सभापति जी, अभी ये दोनों नैशनल हाइवे आलमोस्ट कोलैप्स्ड हैं। इनमें से एक नैशनल हाइवे का बाईपास, अर्थात् स्टेट हाइवे से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं एक बार इनसे मिला था और तब भी मैंने आग्रह किया था कि आप मेरा काम करेंगे या नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी एक प्रार्थना इतनी जरूर स्वीकार करें कि एक बार इस नैशनल हाइवे पर आप भुवनेश्वर से निकल कर, नैशनल हाइवे नंबर 23 पर चल कर, हाइवे नंबर 42 को लेकर आप आ सकते हैं, और फिर नैशनल हाइवे 215, जहां जाइंट हो रहा है, वहां से आप भुवनेश्वर का एक राउंड लेकर आइए-तब आपको पता चलेगा कि उसकी कितनी दुर्दशा है। आज भी मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हं। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उस पर पैदल चलने की स्थिति भी नहीं है। अगर मंत्री जी के पास समय हो, तो मैं उसे दिखाने के लिए तैयार हूं। उस पर दिन में कॉमर्शियल विहीकलों का चलन बन्द कर दिया जाता है, दिन में सिर्फ बस और जीप चलने दी जाती हैं और रात को कामर्शियल विहीकल्स अलाऊ करते हैं।

सभापति जी, अगर पारादीप पोर्ट को सामान पहुंचना है, तो बहुत तकलीफ होती है। वैसे वहां दो रेलवे लिंक्स भी हैं। वे 1969 में ...*(व्यवधान)* हां, जब मैं मंत्री था, तब हम लोगों ने नैशनल हाइवे डिक्लेयर किये और पैसा दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जुएल ओराम जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री जुएल ओराम: सर, अगर ऐसी बातें शुरू होगी, तो ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार 30 साल तक नैशनल हाइवे डिक्लेयर नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने उन्हें नैशनल हाइवे डिक्लेयर किया, पैसा दिया और कुछ काम भी हुआ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जुएल ओराम जी, आप चेयर को एड्रैस करिए। आपको दूसरों को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है।

श्री जुएल ओराम: सभापति जी, सरकार किस की आती है, किस की नहीं, यह अलग बात है, लेकिन हमारी सरकार के समय हमने दोनों को नैशनल हाइवे डिक्लेयर किया, पैसा दिया और कुछ डबल लेन का काम भी हुआ।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से दर्ख्वास्त करता हूं कि इन दोनों नैशनल हाइवे को चार लेन का किया जाए और स्पेशल पैकेज दिया जाए। इसके साथ-साथ नैशनल हाइवे नंबर 215 का आवागमन, जो स्टेट हाइवे पर शंटिंग कर रहा है-कोइरा टू कलईपुर वाया टैंसा बरसवां, जिसकी लम्बाई 45 किलोमीटर है, उसे नैशनल हाइवे नंबर 215-ए डिक्लेयर किया जाए।

[अनुवाद]

आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 215 को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 215-क के रूप में घोषित करना चाहिए। अब सभी वाणिज्यिक वाहन, ट्रक आदि उस सड़क से होकर गुजर रहे हैं। आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 215 बंद है।

[हिन्दी]

नेशनल हाईवे 215 क्लोज्ड है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री जुएल ओराम, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब हम मद सं. 47-विधेयकों का पुर:स्थापन पर चर्चा करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। कम से कम अगली बार रेल मंत्रालय से किसी को यहां उपस्थित होना चाहिए। यह विषय राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे दोनों से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगली बार निर्धारित दिन पर आप कंटीन्यू कर सकेंगे।

अपराह्न 4.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) अंतरराज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अंतरराज्य नदी जल के वितरण के लिए अंतरराज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 25.8.2005 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अंतरराज्य नदी जल के वितरण के लिए अंतरराज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.32$^{1}/_{4}$ बजे

(दो) छोटा परिवार संवर्धन विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटा परिवार सन्नियम को प्रोत्साहित करने के उपायों तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि छोटा परिवार सन्नियम को प्रोत्साहित करने के उपायों तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.32$^{1}/_{2}$ बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(सातवीं अनूसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 25.8.2005 में प्रकाशित।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.33 बजे

(चार) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2005* (पैरा 3, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.33 बजे

(पांच) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और समाज के अन्य सुविधाहीन वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और समाज के अन्य सुविधाहीन वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.34 बजे

(छह) कृषि बीमा स्कीम विधेयक, 2005*

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों की फसलों और उनके पशुधन के अनिवार्य बीमा का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषकों की फसलों और उनके पशुधन के अनिवार्य बीमा का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.34$^{1}/_{2}$ बजे

(सात) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तरीकों का तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तरीकों का तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 4.35 बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 25.8.2005 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 4.35$^{1}/_{2}$ बजे

(नौ) स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लाभ के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लाभ के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.36 बजे

(दस) नागरिक (पहचान पत्र) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के सभी नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 25.8.2005 में प्रकाशित।

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.36½ बजे

(ग्यारह) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005*
(धारा 375 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.37 बजे

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 25.8.2005 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.37½ बजे

(तेरह) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005*
(धारा 2 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.38 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004
(नए अनुच्छेद 47 क का अंत:स्थापन)–*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम मद सं. 60—संविधान (संशोधन) विधेयक लेंगे। श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी अपनी बात कह रहे थे।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैंने नए अनुच्छेद 47 क के अंत:स्थापन के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक इस विचार के साथ पुर:स्थापित किया था कि भारत में प्रत्येक गांव में सभी चिकित्सा सुविधाओं, औषधियों और अन्य सुविधाओं से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अब, कल्याणकारी समाज होने के नाते, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश की जनसंख्या के लिए सड़कों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए न्यूनतम मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत की सड़सठ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में अनेक अनुमान हैं। सरकार दावा करती

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 25.8.2005 में प्रकाशित।

है कि यह जनसंख्या के 28 प्रतिशत से कम है जबकि अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि जनसंख्या के लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अब हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही हो तो स्वाभाविक रूप से यह सरकार का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह इस देश के लोगों के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए।

महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि विगत कुछ वर्षों में, काफी प्रौद्योगिकीय नवीनताएं हासिल कर लेने के बाद और उपग्रह प्रक्षेपण, प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण तथा परमाणु बमों का निर्माण कर लेने का गौरव हासिल कर लेने के बाद, हम दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

महोदय, मैं 25 अगस्त, 2005 के समाचार-पत्र में प्रकाशित एक लेख को उद्धृत करना चाहूंगा जो इस प्रकार है:

> ''शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अस्पताल से इतर उपचार में विगत 20 वर्षों में कमी आई है। वर्ष 1986 में, शहरी क्षेत्रों में, 33 प्रतिशत जनसंख्या सरकारी स्रोतों का और 67 प्रतिशत जनसंख्या गैर-सरकारी स्रोतों का लाभ उठा रही थी।''

ये आंकड़े जनसंख्या के निर्धनतम 20 प्रतिशत के बारे में है। स्वाभाविक है कि जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, अर्थात् मध्यम वर्ग, धनी वर्ग आदि के लोग, वे प्राइवेट अस्पतालों में उपचार कराते हैं। देश में जनसंख्या के निर्धनतम 20 प्रतिशत में, सरकारी स्रोतों में वर्ष 1986 में 33 प्रतिशत से वर्ष 2004 में 10 प्रतिशत तक कमी आई है। दूसरी ओर, गैर-सरकारी स्रोतों में, यह वर्ष 1986 में 67 प्रतिशत से बढ़कर यह वर्ष 2004 में 90 प्रतिशत हो गया है।

यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के निर्धनतम 20 प्रतिशत में, वर्ष 1986 में सरकारी स्रोतों में 27 प्रतिशत प्रयोग करती थी जबकि वर्ष 2004 में यह घटकर 17 प्रतिशत रह गई। जहां तक गैर-सरकारी स्रोतों से, अर्थात् प्राइवेट अस्पतालों, आदि से, आंकड़ों का संबंध है यह संख्या वर्ष 1986 में 73 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004 में 83 प्रतिशत हो गई। इसका अर्थ है कि विगत 20 वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं में अधिकाधिक सुधार होने की बजाए इसमें गिरावट आई है।

दूसरी दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि चूंकि अधिकाधिक प्राइवेट अस्पताल उपलब्ध हैं, इसलिए इसी कारण लोग इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है। यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेक प्राइवेट क्लीनिक खुल रहे हैं, लेकिन लोगों की आमदनी इतनी अधिक नहीं बढ़ी है कि वे प्राइवेट क्लीनिकों में उपचार कराना वहन कर सकें। आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग अंधविश्वास, झोला छाप चिकित्सकों, स्वयंभू चिकित्सकों पर निर्भर करते हैं, और इससे काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसे चिकित्सकों के नुस्खों से गलत दवाएं ले रहे हैं, और कुछ लोग तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण मर भी जाते हैं।

हाल ही में ऐसा आंदोलन चला था कि इन चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने दी जाए। ऐसे चिकित्सकों को लोगों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि वे ऐसे लोग चाहते हैं जो, यदि ऐसे चिकित्सक अपने क्लीनिक बंद कर देते हैं तो, उन्हें दवाई दे सकें। वे पूछते हैं: ''अगर वे अपने क्लीनिक बंद कर देते हैं तो दवाइयों के लिए हम कहां जाए? जाहिर है, ऐसी स्थिति में सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा।

मैंने पिछली बार भी इस तथ्य का उल्लेख किया था कि हमारा देश चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च करने में दुर्भाग्यवश, नीचे से छठे स्थान पर आता है। इसका अर्थ है कि विश्व में केवल पांच देश ही तुलनात्मक रूप से भारत से नीचे हैं। हम औद्योगिक रूप से विकसित देशों में दसवें स्थान पर हैं। हमारे देश को यूरोप और कई अन्य लैटिन अमरीकी देशों की तुलना में सर्वाधिक उन्नत देशों में से एक माना जाता है है, लेकिन एक प्रतिशत से भी कम राशि इसके लिए खर्च की जाती है।

अब, न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी एम पी) में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का कम-से-कम 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए बड़ा नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए एक अति महत्तवाकांक्षी और अच्छी योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है।

लेकिन, मेरा मानना है कि बजट आबंटन उतना नहीं हो रहा है जितना न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्रस्ताव किया जा रहा है। इसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

महोदय, इस वर्ष फिर मानसून के साथ मलेरिया, डायरिया, हैजा, डेंगू ज्वर आदि जैसी अनेक महामारियां आ गईं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मलेरिया के 20 लाख मामले बताए गए; 4,17000 लोग टी.बी. से मर गए, इसके अलावा हर वर्ष 25 लाख लोगों का इलाज किया जा रहा है; और वर्ष 2003 तक एचआईवी/एड्स के 5.1 मिलियन रोगियों की पहचान की गई। मेरे पास नवीनतम जानकारी नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, दक्षिण

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

अफ्रीका के बाद अगला देश भारत ही है जहां एच आई वी/एड्स के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं: प्रतिवर्ष 5 लाख लोग एड्स के रोगियों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एड्स को रोकने में असमर्थ हैं। ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म चिकित्सा सुविधा के बिना, एड्स के विस्तार को रोक पाना असंभव होगा जो हमारे देश में अत्यंत खतरनाक रोग के रूप में सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है।

महोदय, मैं आंध्र प्रदेश से हूं। पिछले कई वर्षों से जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया के मामले देखने में आ रहे हैं। इस वर्ष, तेलुगु देशम पार्टी के हमारे मित्रों ने लोक सभा में यह मुद्दा उठाया कि अकेले वन क्षेत्रों में ही 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। विशेष रूप से, ये लोग जनजातीय क्षेत्रों के हैं। इस वर्ष राजनीति के कारण हमारे मित्र इन मामलों को लोक सभा की जानकारी में लाए। लेकिन यह सत्य है कि मलेरिया से जनजातीय क्षेत्रों में हर वर्ष काफी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। वहां यह जांच करने की न्यूनतम सुविधा तक नहीं है कि यह बीमारी मलेरिया है या नहीं। हजारों लोग इस मलेरिया से पीड़ित हैं जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद उन्मूलन हो जाना चाहिए था। यह बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। एक समय तो मलेरिया उम्मूलन कार्यक्रम इस देश में काफी सफल नजर आता था। लेकिन दुर्भाग्यवश, मलेरिया समाप्त हो जाने की घोषणा के अगले दो या तीन वर्ष के भीतर ही, कमोबेश, यह भयंतर रूप में फिर आ गया। हर बार, जब हैजा आदि बीमारी आती है तो हम यही कहते हैं कि यह कोई एक-आध मामला ही है क्योंकि हैजा तो इस देश के अधिकांश भागों से कमोबेश समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी तक हम इसका एक मर्तबा भी उन्मूलन नहीं कर सके हैं। हर मानसून ग्रामीण लोगों के लिए भयावह रूप लेकर आता है। इसके लिए, जाहिर है कोई व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए क्योंकि स्थिति काफी निराशाजनक है। अब सरकार प्रस्ताव कर रही है कि इसका धीरे-धीरे विस्तार किया जाए।

महोदय, वैश्वीकरण और उदारीकरण से अनेक क्षेत्रों में कारपोरेट संस्कृति आई है। अब, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, कारपोरेट होटलों, कारपोरेट शिक्षा की तरह कारपोरेट अस्पताल आ गए हैं। यह लोगों के लिए काफी खर्चीला बन गया है; यहां तक कि मध्यम वर्ग के लोग इन कारपोरेट अस्पतालों में खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। यह सही है कि कुछेक कारपोरेट अस्पतालों में काफी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं। उन्होंने काफी बड़ी-बड़ी मशीनें मंगाई हुई हैं जिनकी कीमतें कई करोड़ रुपए हैं।

परंतु वे समूची राशि जल्दी से जल्दी गरीब रोगियों से इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है।

पिछले 20 वर्षों की तुलना में, आज हम अत्यंत असाध्य रोगों का भी बहुत जल्दी निदान कर लेते हैं। परंतु पिछले बीस वर्षों की तुलना में, दवाइयों का मूल्य, चिकित्सा का मूल्य तथा अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराने का मूल्य इतना महंगा हो रहा है कि मध्यम वर्ग तक इसे वहन करने में सक्षम नहीं है। गांवों में स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है। दुर्भाग्यवश, पेयजल की सुविधाओं का समुचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। पेयजल में फ्लोराइड अवयव एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है जिसके कारण लोग अनेक नए रोगों का शिकार हो रहे हैं।

निचले स्तर पर लोगों को समझाने की तथा लोगों की चिकित्सा-संबंधी समझ को बेहतर बनाने में उनकी सहायता करने की संभावना विद्यमान है ताकि अनेक रोगों को रोका जा सके। उदाहरण के लिए इस वर्ष आंध्र प्रदेश में एक अत्यंत गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई जब यह पाया गया कि लाखों छोटे बच्चे हृदय के रोगों से पीड़ित हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों तथा निगमित अस्पतालों में शल्य-चिकित्सा करने का निर्णय लिया। तथापि, मैं समझता हूं कि बेहतर प्रयासों के बावजूद भी वे 10 प्रतिशत ऐसे बच्चों की शल्य-चिकित्सा नहीं कर पाए जिनको हृदय की इन शल्य-चिकित्साओं की आवश्यकता थी।

एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यदि बच्चों को छोटी आयु में ही टीकाकरण उपलब्ध करा दिया जाए, तो कुछ प्रकार के हृदय रोगों से बचाव संभव हो सकता है। इन बच्चों की हृदय शल्य-चिकित्सा के लिए अकेले आंध्र प्रदेश में ही, यह अनुमान लगाया गया है कि पांच करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी जबकि प्रत्येक वर्ष केवल पांच लाख रुपये के व्यय से युवा लोगों में हृदय के रोगों से बचाव किया जा सकता है। अतः, यह दर्शाता है कि निवारक औषधि अत्यंत लाभदायक होगी। यदि ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए निचले स्तर पर, निम्नतम स्तर पर निवारक औषधि का उपयोग किया जाना है, तो इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसा बताया जाता है कि उनमें से अनेक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे है। दुर्भाग्यवश जो हो रहा है, वह यह है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए आबंटित किए जाने वाले बजट का 90 प्रतिशत, कभी-कभी 95 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जा रहा है जबकि राशि का केवल पांच से दस प्रतिशत भाग ही दवाइयों और अन्य चिकित्सा सहायता के लिए बच पाता है। ऐसा करना लाभप्रद नहीं होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का तात्पर्य एक भवन का निर्माण करना नहीं है। एक नर्स, एक कंपाउंडर तथा एक डाक्टर उपलब्ध कराना पड़ता है। लोगों को उचित दवाइयां दी जानी चाहिए जो उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले। मुझे बताया गया है कि देश में पहले ही 1,45,000 उप-केन्द्र हैं परन्तु वे देश की केवल 20 प्रतिशत जनसंख्या की ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से टेली-मेडीसिन जैसी अद्यतन-प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक बड़ी स्कीम के भाग के रूप में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के लिए 2125 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है। यह एक बहुत अच्छी घोषणा है। यह यूपीए सरकार द्वारा की गई आकर्षक घोषणा है। परंतु घोषणा को सही रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसका लक्ष्य अवसंरचना का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें शामिल है, इस देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार के रूप में प्रत्येक गांव में लोक स्वास्थ्य केन्द्र की मूलभूत अवसंरचना जिसमें औषधियों, चिकित्सा के क्षेत्र में पेशेवरों जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। मेरा दृढ़ता से मानना है कि जब तक संविधान के अनुच्छेद 47 में संशोधन नहीं हो जाता और राज्य प्रत्येक गांव में बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना नहीं करता, तब तक सरकार के लिए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना संभव नहीं है।

अब, इस समय, सरकारी क्षेत्र केवल 18 प्रतिशत बाह्य रोगियों को ही सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है, जबकि 40 प्रतिशत अंतरंग-रोगियों को ही सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब, निजी उद्यमों द्वारा लोक स्वास्थ्य की जिम्मेवारी भी लेने की बात भी उठ रही है।

जहां तक मैं समझता हूं, दो प्रकार के निजी क्षेत्र हैं। कुछ दातव्य और स्वैच्छिक संगठन हैं, जो कुछ सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, वे मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चिकित्सा सुविधाओं के एक विशेष प्रकार पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जहां वे यथाशीघ्र लाभ प्राप्त कर सकें। एक बड़ी धनराशि का निवेश किया जा रहा है। वे अपने क्रियाकलापों को केवल लाभ कमाने के लिए ही चला रहे हैं।

उदाहरण के लिए गांवों में टीकाकरण को ही लीजिए। कोई भी निजी संगठन इसे उपलब्ध नहीं करा सकता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों के लिए सरकार का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए एमएमआर का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है जो जन्मजात हृदय रोगों से रक्षा करेगा और इस पर 600 करोड़ रु. की लागत की संभावना है। कौन सा निजी संगठन यह टीकाकरण प्रदान कर सकता है? विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित लाभ घटना विश्लेषण ने निवारक तथा सांस्कृतिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयुक्त प्रयोग की जांच की, जिसके अनुसार 20 प्रतिशत निर्धन लोगों ने भारत सरकार द्वारा दी गई सार्वजनिक निवल आर्थिक सहायता में से 10 प्रतिशत का लाभ उठाया जबकि आश्चर्य की बात है कि धनाड्य लोग इसका 36 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं।

अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करवाना सहायक लाभ को एक अन्य प्रमुख योगदान देता है। ग्रामीण सार्वजनिक अस्पतालों का बढ़ता हुआ उपयोग सरकार की आर्थिक-सहायताओं को गरीबों के और अधिक अनुकूल बनने में समर्थ हो पाएगा। 61 प्रतिशत गरीब लोग किसी भी प्रकार की गरीब देख-रेख सुविधा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक अस्पतालों का लाभ उठाने के पक्ष में पाए गए हैं। परंतु दुर्भाग्यवश, वे इसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि अंतरंग-रोगी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम हैं। अनेक आलोचनाओं के बावजूद सार्वजनिक अस्पताल आज भी, शहरों में रह रहे लोगों के लिए भी अधिक सुलभ हैं। अत: मैं महसूस करता हूं कि भारत में, जहां बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं तथा ऐसे देश में जहां 67 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक है तथा भारत सरकार की यह जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वे इसे शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराए। हमें केवल औद्योगिकीकरण में ही प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, हमें केवल वैज्ञानिक विकास में ही प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी बुनियादी तथा न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में भी होना चाहिए जो इस देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य के सुधार और बचाव के लिए आवश्यक हैं।

श्री के.एस. राव (एलुरू): महोदय, मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तथा उनमें भी विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु यह विधेयक लाने के लिए अपने माननीय साथी श्री सुधाकर रेड्डी की सराहना करता हूं। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह सराहनीय है कि हमारे देश ने पिछले दो दशकों में स्वास्थ्य देखरेख में प्रगति की है। उत्कृष्ट कार्य किया गया है। परंतु ये सभी सुविधाएं मुख्य रूप से धनी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। धनी व्यक्ति निगमित अस्पतालों में जा सकते हैं, किसी भी रोग का इलाज करवा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसी प्रकार, संगठित क्षेत्र को भी प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है। वे भी निगमित अस्पतालों में जा सकते हैं तथा प्रतिपूर्ति प्राप्त

[श्री के.एस. राव]

कर सकते हैं। अत: ये सभी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग उस प्रकार से स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त कर सकते हैं, जैसी उनकी आवश्यकता है।

परंतु जैसाकि श्री सुधाकर रेड्डी बता रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी भी बहुत खराब है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बात छोड़ दीजिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग अत्यंत दु:ख भोग रहे हैं, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग स्वास्थ्य देखरेख की कीमत को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। निगमित अस्पतालों की बात छोड़ दीजिए, नर्सिंग होमों में भी कीमतें इतनी अधिक हो गई हैं कि शल्य-चिकित्सा अथवा किसी दुर्घटना आदि के किसी बड़े इलाज के लिए इन अस्पतालों में जाने के लिए लोगों को अपनी संपत्ति तक बेचनी बड़ती है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति है जिनका सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। अत: सरकार का ध्यान पूर्णत: अथवा अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों पर होना चाहिए।

महोदय, यहां पर मुझे कुछ बातों का उल्लेख करना है। सरकार को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य देखरेख बीमा प्रदान करने के संदर्भ में अवश्य विचार करना चाहिए। इस पर अधिक खर्च नहीं होगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): हमारे पास उसके लिए पहले ही एक स्कीम है।

श्री के.एस. राव: बहुत अच्छा, मंत्री जी, यदि आप विस्तार में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अधिक लागत नहीं आती है। यद्यपि हमने पहले ही अपने बजट में सर्व स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है फिर भी स्थिति दयनीय है। पहले यह योजना राजग सरकार द्वारा अलग नाम से शुरू की गई थी किन्तु उनके कार्यकाल में कुल बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 9,000 थी। मैं इस संदर्भ में इस सरकार की भी सराहना नहीं करता हूं क्योंकि अभी भी, बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। यह राजग सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्य की अपेक्षा थोड़ी अधिक है। अत: मैं राजग अथवा संप्रग के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहता हूं। लेकिन फिर भी बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या कुल मिलाकर वही है। यह संख्या बढ़कर 14,000 या इससे भी कम हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि जब हम व्यापक प्रचार-प्रसार करते हैं और कहते हैं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को स्वास्थ्य-देखभाल में सब्सिडी देकर बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है और उन्हें यह कहती है कि "आप 1 रु. प्रतिदिन अदा करें और हम एक परिवार में 200 रु. की रियायत; पांच सदस्यों के लिए 300 रु. की रियायत और सात सदस्यों के लिए 400 रु. की रियायत देंगे" किन्तु कुल परिणाम शून्य है।

इसलिए मेरी मंत्री महोदय को सलाह है कि इन लोगों से 1 रु. अदा करने की बात कहने की बजाय, आप इनका बीमा करा दें इन सभी व्यय पर अधिक लागत नहीं आएगी। मेरी राय में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए पूरे देश में अधिक लागत व्यय नहीं आएगी। मेरा अनुमान है कि हमारी आबादी का 40 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है और इसलिए इन लोगों का बीमा करने में 4,000 करोड़ रु. से अधिक का व्यय नहीं होना चाहिए।

कल, हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पारित किया था जिसके लिए संबंधित माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने इस वर्ष 24,000 करोड़ रु. दिए थे और अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाने वाला है। अब यह 24,000 करोड़ रु. अथवा 40,000 करोड़ रु. की धनराशि जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए दी गई है, इनका अधिकांश हिस्सा, भ्रष्ट लोगों के हाथों में जाएगा। वस्तुत: यह पूर्णत: निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेगा हालांकि निश्चित तौर पर यह अच्छी योजना है। इसी प्रकार, अगर इस बीमा के लिए 4,000 करोड़ रु. का आवंटन किया जाता है, इससे गरीब लोगों के स्वास्थ्य की पूर्ण देखभाल हो पाएगी। उन्हें प्रतिवर्ष 25,000 रु. व्यय तक की स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु अस्पताल जाने का अवसर मिलेगा। दुर्घटना होने पर, यह राशि 50,000 रु. होगी।

महोदय, मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री की सराहना करता हूं जिन्होंने, मेरी समझ से, असम के सभी 30 मिलियन लोगों का बीमा कराया है और आई.सी.आई.सी.आई. बीमा कंपनी असम के तीन करोड़ लोगों के लिए मात्र 25 करोड़ प्रीमियम ही दे पाई है। इसका तात्पर्य है कि आनुपातिक आधार पर इसका लागत व्यय 400 करोड़ रु. से अधिक का नहीं होगा। यह बात अवश्य है कि वे उस प्रीमियम पर इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते हैं इसलिए उन्हें इसे अगले वर्ष बढ़ाना पड़ सकता है जो 3,000 करोड़ रु. से 4,000 करोड़ रु. तक हो सकता है जिसका व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध खराब सुविधाओं को देखते हुए सरकार को वहन करना पड़ेगा।

महोदय, इस संदर्भ में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाने के लिए छोटे रोग यथा बुखार इत्यादि के लिए उन्हें स्नातकोत्तरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस पर अधिक व्यय की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए, इस संदर्भ में, माननीय मंत्री जी, कृपया विचार करें कि क्या वे आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी को बढ़वा दे सकते हैं। क्या वे औषधि में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बारे में विचार कर रहे हैं? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति को एमबीबीएस होना चाहिए। इन दिनों कुछ लोगों के लिए एम.बी.बी.एस. की डिग्री लेने में लगभग 1.5 करोड़ रु. का व्यय

आता है। यहां तक कि अन्य व्यक्तियों के लिए, किसी छात्र को सभी सुविधाएं देने में 30 लाख रु. से 40 लाख रु. तक का व्यय आता है। आशा है मंत्री महोदय इस पर मुझसे सहमत होंगे। इतने सारे छात्र सरकारी धन के व्यय पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे गांवों में नहीं जाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में रहना चाहता है। उन्हें वहां जाने में कोई अवरोध/रुकावट नहीं है। वे 5,000 रु. या 10,000 रु. के लिए शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार रहते हैं भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें 15,000 रु. से 20,000 रु. तक मिलता हो। मैं इस सम्माननीय सभा से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका समाधान ढूंढा जाए। मैं माननीय युवा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि क्या इन ग्रामीण क्षेत्रों में पांच वर्ष कार्य करने के बाद ही चिकित्सा क्षेत्र में एम.बी.बी.एस. की डिग्री देने की शर्त रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं करना चाहता है, उसे उसकी शिक्षा पर सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि यदि तत्काल नहीं तो अपने जीवनकाल के दस अथवा पन्द्रह वर्ष की समयावधि तक आय अर्जित करने के पश्चात् लौटानी होगी। अन्यथा, अपने राजकोष से 30 लाख रु. की संदायगी कर हम धनी लोगों को शिक्षा प्रदान क्यों करें जब वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्वयं के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं? माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि व्यक्त भावनाओं और मौजूदा परिस्थितियों को अच्छी तरह जानने के बाद क्या वे उन चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि देने के बारे में विचार करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग होम शुरू करने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार का प्रोत्साहन होना चाहिए।

यदि चिकित्सकों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वे जाएंगे और वहां नर्सिंग होम बनाएंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग होम शुरू करने के लिए उपस्करों पर से उत्पाद और सीमा-शुल्क अथवा इसी तरह के अन्य शुल्क को माफ करने पर विचार कर सकते हैं। यह दिया जा सकता है। यहां तक कि प्रतिपूर्ति पर ये हजारों करोड़ रुपए व्यय करने में कोई दोष नहीं है बशर्ते कि यह लोगों तक पहुंचे।

मेरे माननीय साथी ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में गत कई वर्षों में कई सौ लोग मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से मरे हैं। इस पर हजारों करोड़ रु. व्यय करने की बजाय, हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों और नर्सिंग होम को प्रोत्साहन राशि देकर इन चीजों को रोक सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन्हीं रूपरेखाओं पर विचार करें। हम लोगों का स्वयंभू चिकित्सकों से भी बचाव कर सकते हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है। वे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासी लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।

महोदय, मैं नहीं जानता कि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। यदि इसकी आवश्यकता है तो मैं कहूंगा कि यह अत्यावश्यक है और इस पर विचार किया जा सकता है। यदि इसकी आवश्यकता नहीं है तो कोई वैकल्पिक समाधान तत्काल ढूंढा जाना चाहिए। इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी विधेयक महत्वपूर्ण है और गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक महत्वपूर्ण नहीं है। उनके द्वारा अत्यंत अच्छे सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैंने आज और पहले भी पुर:स्थापित किए गए अधिकतर विधेयकों पर विचार किया है। कुछ बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। मैं सरकार तथा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे पुर:स्थापित किए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की उपयोगिता और महत्व की पहचान करें। यदि कुछ बहुत अच्छे विधेयक हैं, तो सरकार स्वहित का विचार किए बिना उन्हें बेहतर बना सकती है और तत्पश्चात् उन्हें सरकारी विधेयकों के रूप में पुर:स्थापित कर सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्री सुधाकर रेड्डी जी को बधाई देता हूं तथा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को गंभीरतापूर्वक लें और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं प्रदान कर गांवों के गरीबों और ग्रामीण जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं कि जो बिल यहां प्रस्तुत किया गया है वह समय के अनुरूप और जरूरत के अनुरूप ही माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विधेयक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में जो नीति-निदेशक तत्व हैं, उनमें जो उपाय किये गये हैं, उनके अंतर्गत लाया गया है और मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि "पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य-राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।" सभापति जी, इसी में अनुच्छेद 47 (क) जोड़ा जाए। यहां जो संविधान संशोधन का विधेयक प्रस्तुत हुआ है जिसमें माननीय सदस्यों ने यह बात व्यक्त की है कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाए, ताकि भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य का रक्षण हो सके। मैं उनकी भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूं। उसी मांग को दोहराते हुए कि वास्तव में देश

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

की जहां 102 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है और यह तथ्य सभी की संज्ञान में है कि अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसमें भी पूरे देश की लगभग 26 परसैंट जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही है यानी उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि दो जून की रोटी प्राप्त होने के अलावा अन्य विषय पर सोचना दुश्कर है। कैसे इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है? पौष्टिक आहार का अभाव है। उसके लिए केवल सूखी रोटी की व्यवस्था हो रही है। शासन की ओर से जो दायित्व अपने संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 47 में सौंपा था उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए सरकार किस मुस्तैदी और दृढ़ता के साथ आगे आएगी, यह समय की आवश्यकता है।

मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विषय देखने में आया है। मुझे लगता है कि अभी प्रथम चरण में ऐसा होना संभव नहीं है। विकास खंड के स्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कम्युनिटी हैल्थ सैंटर की स्थापना की गई है। उसके नीचे स्टेट आयुर्वेदिक डिसपैंसरीज राज्य के भीतर स्थापित हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल में बेस अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। आने वाले समय में न्याय पंचायत के केन्द्र स्तर तक एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हो जिन में सारी व्यवस्थाएं जैसे अल्ट्रा साउंट हो, ब्लड एनेलाइजर हो, एक्स-रे की मशीन हो और उसका टैक्निशियन भी हो। इसी प्रकार औषधियों के वितरण के लिए फार्मेसिस्ट की व्यवस्था हो जहां निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हों। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत बड़ी समस्या चिकित्सा के क्षेत्र में है, इससे वह पूरी होगी। गांव के लोगों को मजबूरी में ओझा के पास या झोला छाप डाक्टरों के पास जाना पड़ता है। कोशिश करने के बाद भी इन पर नियंत्रण लगा नहीं है। गांव-गांव घूम कर आज जो लोग दवाइयां दे रहे हैं, जनता को मजबूर होकर उन्हीं के पास जाना पड़ता है। विषय की गम्भीरता अपने आप में दिखायी देती है। एनडीए की सरकार ने इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूरत को महसूस करते हुए, देश के भीतर एम्स की तरह 6 अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था। उत्तरांचल को भी इसका सौभाग्य मिला था क्योंकि मैं उत्तरांचल से हूं। ऋषिकेश में यह अस्पताल खोलने के काम में बीच में रुकावट आई थी लेकिन मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रारम्भिक स्वीकृति हुई थी, सरकार उसे आगे बढ़ा रही है। सरकार इस काम को और तेजी से बढ़ाए। ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में आम बीमारियों का उपचार हो सकता है जैसे बुखार या दूसरी छोटी-छोटी बीमारियां हैं। उसकी थोड़ी बहुत दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन जब वहां के लोग कठिन और गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं तो दिल्ली आते हैं। अपोलो और बतरा जैसे बड़े-बड़े अस्पतालों में गांव के व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो घर, जायदाद बेच कर जाते हैं। वहां एम्स खोलने की जरूरत थी। 6 एम्स देश में खोलने का और 6 मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करके एम्स के स्तर तक लाने का जो निर्णय हुआ है वह सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस दिशा में प्रगति होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में एक कानसैप्ट आया है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्त्ता का मानदेय 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपए किया गया था। वर्तमान में प्रत्येक गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को ढ़ाई हजार रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे। हमारी सरकार ने पचास हजार का इंश्योरेंस भी किया है। उसके जिम्मे अनेक प्रकार के कार्य हैं। जिस प्रकार से आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ता है, 1990 के दशक के विलेज हैल्थ वर्कर योजना भारत सरकार की ओर से लागू की गई थी और उसको भी आंगनवाड़ी का मानदेय जिस प्रकार से दिया जा रहा है वैसे ही भारत सरकार की ओर से दिया जाता था। कालांतर में यह सारा कार्यक्रम बंद हो गया जबकि आज आवश्यकता है आज हम एन.जी.ओ. को एड्स अवेयरनेस के लिए, कुष्ठ रोग की जानकारी के लिए, प्रचार-प्रसार के लिए पैसा दे रहे हैं ताकि यह उनके माध्यम से हो। ग्रामीण क्षेत्र में यह कन्सेप्ट है और जहां आंगनवाड़ी केंद्र के भवन बन रहे हैं मेरा सुझाव है कि उसे मल्टी परपज किया जा सकता है। इसमें मिनिस्ट्री आफ हैल्थ की ओर से कोआरडिनेट किया जाए ताकि उन्हें मल्टी परपज वर्कर के रूप में इस्तेमाल कर सकें क्योंकि हर गांव में उसका नेटवर्क होता है इससे हर ग्रामीण क्षेत्र को लाभ मिल सकता है।

सबसे मुख्य समस्या परचेज की है, यहां से स्टेट्स को ग्रांट्स जाती है। प्रैक्टिकली और व्यावहारिक रूप से देखा गया है कि जहां मशीनें खरीदनी हैं और इक्विपमेंट्स लेने हैं वहां खरीद-फरोख्त तो हो जाती है और अस्पताल में वे सब मशीनें स्थापित हो जाती है, लेकिन पदों का सृजन ठीक से नहीं होता है। मुझे अपनी कांस्टीटूएंसी के बारे में मालूम है कि उत्तरांचल के भीतर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में केवल एक एक्स-रे का टैक्नीशियन है और बाकी हर प्राइमरी सैंटर में मशीन रख दी गई है क्योंकि वहां पैसा गया है, खरीद-फरोख्त आसान है, खरीदा गया और रख दिया गया, वर्षों से वे जंग खा रही हैं। जहां से भी जानकारी मिलती है लगभग यही परिस्थिति रहती है। यही हाल अन्य इक्विपमेंट्स का भी है, इस ओर ध्यान दिया जाए कि उसका अधिकतम उपयोग हो। ग्रामीण क्षेत्र से जो व्यक्ति आ रहा है, वहां मशीन रखी गई है लेकिन उसे कहा जा रहा है कि बाजार से दो सौ या तीन सौ रुपए का अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। उसे यह सुविधा हैल्थ की दृष्टि से होनी चाहिए।

इसमें मेरा एक अनुभव है उसे मैं यहां व्यक्त करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी उस पर थोड़ा विचार करें। महामहिम राष्ट्रपति, जो अभी हैं, सन् 2001 के आसपास डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी में टाइफेक संस्था के चेयरमैन थे, उस डिस्कशन में विचार आया कि एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करें कि प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अलावा अन्य जो भवन या ह्यूज बिल्डिंग बनाने में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी जगह मोबाइल हास्पिटल का कन्सेप्ट शुरू करें। उसकी सैंक्शन की गई और शुरूआत के दौर में 60 लाख रुपए का एक मोबाइल अस्पताल शुरू किया गया। टाटा की बड़ी चेसिस पर उसे तैयार किया गया और बम्बई में उसका डिजाइन किया गया। उसमें 10 केवीए का जैनरेटर, एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और दवा आदि के वितरण का प्रबंध किया इसके साथ में छोटी गाड़ी, डाक्टर और टीम भी थी। उसने टाइमटेबल शैड्यूल किया और वह तीन डिस्ट्रिक्ट्स के भीतर लगभग 42,000 मरीजों के लिए वह अस्पताल काम कर रहा है। इसे वर्ष 2002 में महामहिम राष्ट्रपति के करकमलों द्वारा लांच किया गया था। यह लगभग 42,000 मरीजों को देख चुका है इसके चार्जिज नामिनल हैं, दस रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, हाथ के हाथ एक्स-रे मिलता है और दवाओं आदि का वितरण होता है। एक जगह इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर अस्पताल रोड साइड में जाकर डेट्स तय करें, ऐसा ही कुछ प्रपोजल मेरी जानकारी में है। हम इसे कितना बढ़ा सकते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। यह अनुच्छेद 47 में है।

इसके अलावा अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य द्वारा इसका उल्लेख आया था। यह बहुत गंभीर विषय है, यह नहीं कह सकते कि प्राइवेट मैम्बर की ओर से आया है। अगर प्राइवेट मैम्बर की ओर से विषय अच्छा आए तो सरकार को उसे स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है–

[अनुवाद]

> **"प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण**–किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

[हिन्दी]

इसका उल्लेख तब किया गया था जब हम पेटेंट कानून पर बहस कर रहे थे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राण का अधिकार में है कि सस्ती और उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध हों, उचित मूल्य पर चिकित्सा सुविधा मिले, इस तरह से स्वास्थ्य के विषय को, प्राण के अधिकार के भीतर सम्मिलित किया गया है। ऐसी वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की आई है। जहां आर्टिकल 21 का सवाल है, यह अधिकार के रूप में है, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व नहीं है तथा आर्टिकल 21 रैड विद आर्टिकसल 47 और आर्टिकल 13 सारे फंडामैन्टल राइट्स की गारंटी करता है। यह नीति निर्देशक तत्व में है कि राज्य को इसका प्रयास करना है। मैं समझता हूं कि आज हम महिलाओं के बारे में आरक्षण की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं और जिस तरह से एन.डी.ए. ने विधेयकों पर विचार किया था तथा ड्राफ्ट किया था, उन्हें आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हर जगह हमारी सहमति आपके साथ है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर पूरा सदन तथा सदन के हर सैक्शन का समर्थन माननीय मंत्री जी को मिलेगा। अभी इस विधेयक को पारित होने दें या फिर जैसी परिस्थिति बनेगी, उस हिसाब से आप इसे लेकर आयेंगे।

सभापति महोदय, मैं दवाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। प्रथम एलोपैथिक दवाओं को लें, जिनके बारे में हम यह कह सकते हैं कि ये दवाएं आम आदमी की पहुंच के भीतर नहीं रह गई हैं। ये बहुत महंगी है। इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स और भी ज्यादा महंगी है। लेकिन इसके साथ जितनी रिसर्च आयुर्वेदिक मैडिसिंस के बारे में चल रही है या जो ट्रेडीशनल मैडिसिंस और हर्बल मैडिसिंस हैं, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि विदेशों में इनका बहुत मार्केट है और वहां ये दवाएं सस्ते में उपलब्ध हैं। इसलिए हर्बल मैडिसिंस को बढ़ावा देने के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में हर्बल प्लान्टेशन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जड़ी-बूटियों का उत्पादन करके, उनका प्रसंस्करण करके हम कैसे उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि अच्छी और शुद्ध दवाएं कम दामों पर आम लोगों को उपलब्ध हो सकें। भारत के संविधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा के दायित्व का हम निर्वाह कर सकें।

ग्रामीण विकास मंत्री, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आये हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। यदि इसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय भी कार्य करता है तो उसे हमारा पूरा समर्थन रहेगा। मैं पुन: इस बिल का प्रबल रूप से समर्थन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी जी द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक, 2004 सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसमें सभी आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं के साथ प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की बात कही गई है। मैं इसका समर्थन करता हूं। यह बहुत ही सामयिक विषय है और इस पर न सिर्फ चर्चा करनी आवश्यक

[श्री रामजीलाल सुमन]

है, बल्कि इस चर्चा के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार हो तथा ग्रामीण अंचलों के लोग यह अहसास करें कि यह सरकार गरीबी की रेखा से नीचे ग्रामीण अंचलों में जीवनयापन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत है। यह संदेश सरकार के माध्यम से उन लोगों तक जाना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के अनुसार यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना कर्त्तव्य माने। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम न तोड़े, किसी व्यक्ति की जान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण न जाए। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्त्तव्य है। लेकिन आज स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। हमारे देश में तरह-तरह की शक्ल में बीमारियां आ रही हैं। आज लोगों को जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, वे स्वास्थ्य सेवाएं, वे चिकित्सा सेवाएं इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि सरकारी क्षेत्र आज लोगों को संरक्षण नहीं दे पाता है। परिणामस्वरूप लोग निजी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन प्राइवेट चिकित्सा सुविधा इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि वह आम आदमी की पहुंच के बाहर है। उसकी आर्थिक स्थिति उसको इजाजत नहीं देती कि वह अपना इलाज करा सके। तमाम गरीब और ग्रामीण अंचलों के लोग स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया न होने के कारण असमय दम तोड़ देते हैं।

सभापति महोदय, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब हैं। मशहूर चिकित्सक बी.एन. टंडन जिनको सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उन्होंने कहीं भाषण दिया और कहा कि पांच साल पहले भारत दुनिया के देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर 124वें नंबर पर था और आज स्थिति यह है कि भारत का स्थान 129वां हो गया है। 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, लेकिन उनके लिए 10 प्रतिशत से भी कम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे देश में औसतन 2500 लोगों पर एक डाक्टर का अनुपात बताया जाता है। खास तौर से ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत यह है कि न तो वहां जांच की व्यवस्था है, न एक्स-रे मशीन है और न ही विशेषज्ञ हैं। डाक्टर्स भी यदा-कदा वहां जाते हैं। स्थिति बहुत खराब है। मैं जब इस सदन में भाषण कर रहा हूं तो यहां स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं और कुछ दिन पहले इनका बयान छपा था कि हिन्दुस्तान में 20 प्रतिशत लोगों को ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। जब हम दुनिया के तमाम देशों से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अमेरिका में वार्षिक उत्पादन का मूल्य 11667 बिलियन डालर है जबकि भारत में यह 691 बिलियन डालर है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेकिा की प्रति व्यक्ति आय 41400 डालर है जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 620 डालर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आबादी अधिक होने की वजह से हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, वह औसतन बहुत कम है। मैं यह भी जरूरत कहना चाहूंगा कि देश की बढ़ती हुई आबादी और हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस तरफ भी ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, विश्व की तुलना में भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी व्यय है, उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। हम अमेरिका और यूरोप की स्पर्द्धा में खड़े होना चाहते हैं लेकिन अमेरिका में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पर स्वास्थ्य संबंधी व्यय 4877 डालर है, जबकि भारत में यह सिर्फ 24 डालर है। अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 14 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है जबकि भारत में पांच प्रतिशत खर्च होता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है और श्रीलंका में 30 डालर प्रति व्यक्ति खर्च होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार जो प्राथमिकताएं सुनिश्चित करती है, जब तक उनमें स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता नहीं होगी, बजट का बड़ा हिस्सा जब तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी आबादी के साथ हम किसी भी कीमत पर इंसाफ कर सकते हैं।

सभापति महोदय, पूरे प्रदेशों की हालत देखें, ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह यहां बैठे हैं, बहुत अजीब चौंकाने वाले तथ्य हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च की दर है, वह केवल 167 रुपए है। चूंकि आबादी कम है तो गोवा जैसे छोटे राज्य में यह खर्च 1081 रुपए है और ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह आपके राज्य में सिर्फ 50 रुपए है और उत्तर प्रदेश में 83 रुपए है। ये जो खर्च है, क्या इस खर्च से सरकार किसी की जान बचा पाएगी या स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बना पाएगी या गरीब लोगों का इलाज कैसे हो पाएगा, यह समझ से परे है।

केंद्रीय सरकार का जो बजट है, उस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.3 प्रतिशत रुपया खर्च होता है। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वर्ष 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मुताबिक हमारी प्रतिबद्धता थी कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट में होने वाले खर्च में हम बढ़ोत्तरी करेंगे, लेकिन उसमें इजाफा नहीं हुआ, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे देश में मांग होती है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर और ज्यादा दौलत खर्च करने की आवश्यकता है, वही क्रमशः कम होती जा रही है। वर्ष 1992-93 में केन्द्र और राज्यों का सरकारी खर्च में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला व्यय 3.12 प्रतिशत था और स्वास्थ्य मंत्री जी, वर्ष 2003-04 में यह घटकर 2.99 प्रतिशत रह गया। होना तो यह चाहिए था कि

स्वास्थ्य सेवाओं पर हम प्राथमिकता के आधार पर पैसा खर्च करते। सरकार को अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं को अव्वल नम्बर पर रखना चाहिए था। लेकिन बजाए बजट में खर्च बढ़ाने के वह पैसा और कम हुआ है। मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है।

इस बारे में समय-समय पर अलग-अलग तरीके से प्रयास किए गए। वर्ष 1997 में जब श्री राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने जन-स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम शुरू किया था और 6 लाख गांवों में 323197 जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए गए थे और इनका मानदेय 50 रुपए था। जब स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब दें तो इस बारे में जरूर बताएं। वे लोग आन्दोलन करते रहे हैं और वर्षों तक उन्हें 50 रुपए तनख्वाह भी नहीं मिली और अब सरकार ने यह योजना बन्द कर दी है। अव्वल तो जो मानदेय था, उससे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी मदद होती, लेकिन इसके बावजूद वह योजना बन्द कर दी गयी।

सभापति महोदय, देश में अभी पांच हजार की ग्रामीण आबादी पर एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र होता है। जिसकी संख्या 1,45,980 है। छः स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं, जिनकी संख्या इस समय 22842 है और चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, जिनकी संख्या 3043 है और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर का मतलब यह होता है कि वहां 30 बिस्तरों वाला एक छोटा अस्पताल होगा।

सभापति जो, देश की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा है और 30 बिस्तर वाले अस्पतालों यानी कम्युनिटी हैल्थ सेंटरों की पूरे देश में संख्या 5479 है। इनके अलावा अन्य अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या को जोड़कर, इसका अगर हिसाब लगाएं, तो 3,80,000 बिस्तर होते हैं। रामदास जी, 110 करोड़ की आबादी जिस देश की हो और जहां 80 फीसदी लोग ग्रामीण अंचल में रहते हों, वहां 1 अरब 10 करोड़ लोगों के लिए, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: राज्य सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन: मैं आपसे उस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अंततः आप जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

लोगों को मदद मिलनी चाहिए। हर मामले को यह कह कर नहीं टाला जा सकता है कि स्वास्थ्य या शिक्षा, राज्य सरकार के विषय हैं। यदि किसी राज्य में कोई महामारी फैल जाए, कोई ऐसी बीमारी फैल जाए, दवा-दारू न मिले और हजारों लोग मर जाएं, तो क्या केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? इसलिए इस प्रश्न को इस प्रकार से नहीं टाला जा सकता कि यह राज्य का विषय है। यह ठीक है कि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य के विषय हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा, लोगों की जिंदगी बचाने का काम आपको ही करना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य को परेशान नहीं करना चाहता। मूल रूप से, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। तथापि, सभी स्वास्थ्य मानदंडों और स्वास्थ्य की स्थितियों के संबंध में केन्द्र सरकार भी जिम्मेदार है। मैं माननीय सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करते हैं। राज्य सरकारों को और अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की कुल भागीदारी दिखाने हेतु आंकड़े बताकर उत्तर देने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, इस संघीय ढांचे में, राज्य के विषय क्या हैं और भारत सरकार के विषय क्या हैं, मैं जानता हूं। राज्य सरकारों की अपनी आर्थिक सीमाएं हैं, वे सीमित होती हैं। रामदास जी, मेरे भाषण करने का लब्बोलुबाव यह है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से अपेक्षित मदद राज्य सरकारों की नहीं होगी, तब तक लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। तमाम ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक नहीं है। मेरा मतलब यह है कि इतने गम्भीर सवाल को जब तक आप गम्भीरता के साथ नहीं लेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त करने का इनीशिएटिव नहीं लें, तब तक हम इतनी बड़ी समस्याओं पर काबू नहीं पा सकते हैं। खाली यह कह कर कि यह विषय राज्य सरकार का है, इस विषय को छोड़ा नहीं जा सकता है। कानून-व्यवस्था भी राज्य का विषय है, लेकिन जिस समय नक्सलवाद पनप रहा हो, हत्याएं हो रही हों, तो क्या आप यह कह कर चुपचाप बैठे रहेंगे कि यह राज्य का विषय है। ...*(व्यवधान)* सभापति जी, मेरा कहना यह है कि भारत सरकार को और ज्यादा चिन्तित होने और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह सही है कि भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना का कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि

[श्री रामजीलाल सुमन]

अब तक जो दौलत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुई, उससे सही मायने में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थीं, वे उपलब्ध नहीं हुईं। जो बन्दोबस्त किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। जो पैसा खर्च किया जाता है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं, लेकिन उनमें डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं जाती हैं, स्टाफ नहीं जाता है। उनकी दवाएं पहले ही बाजार में बेच दी जाती हैं और बाजार में जो दवाएं मरीजों को मिलती हैं, वे नकली होती हैं। इसके अलावा जो आवश्यक उपकरण होने चाहिए, वे नहीं हैं। वहां एक्सपर्ट्स नहीं हैं और कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ग्रामीण स्तर पर जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वे आम आदमी को मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास नहीं है। निजी सेवाएं इतनी महंगी हैं कि वे आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्या आपको मालूम है कि अपोलो या एस्काट्र्स अस्पतालों में कोई आ जाए, तो इनमें आने के बाद, 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, जैसे 100-200 रुपए खर्च होते हैं। गांव के आदमी की यह मजबूरी हो जाती है, अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए वह अपनी जमीन बेचता है, ऋण लेता है। घर-परिवार के लोग तो छोड़िये, वह अपने मिलने-जुलने वालों से भी ऋण लेता है, इतना महंगा इलाज हो गया है। नई-नई बीमारियां विकसित हो गई हैं और उनके लिए महंगे इलाज की व्यवस्था होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुल-मिलाकर ग्रामीण अंचल में रहने वाला जो व्यक्ति है, वह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत असुरक्षित है, उसकी बहुत ज्यादा मदद की आवश्यकता है।

रेड्डी साहब बहुत अच्छा बिल लाये हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि इसमें प्रभावी पहल राज्यों के साथ बात करके हो और जैसा मैंने कहा कि राज्यों के अपने सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं, भारत सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए और सभी क्षेत्रों से ज्यादा सशक्त और स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा इमदाद करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा विधेयक के रूप में पेश किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, यद्यपि संविधान में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक द्वारा संशोधन करने का प्रयास राज्य की नीति के निदेशक तत्व में विशेषरूप से "अनुच्छेद 47क" के रूप में विशिष्ट उपबंध को शामिल करने के लिए किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि:

> "राज्य प्रत्येक ग्राम में सभी मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करेगा।"

संविधान में जैसा कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में कहा गया है, यह एक निदेश है जिसे केन्द्र सहित सभी राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे संविधान निर्माताओं की सोच मात्र नहीं थी बल्कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोकप्रिय सरकारें प्रयासरत हैं। ये उपबंध आम जनता की बेहतरी के लिए होने चाहिए। इस संबंध में कई उपबंध किए गए हैं जिनमें महिलाओं की गरिमा को बढ़ाना, जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराना तथा समाज में बेहतर श्रम संबंध स्थापित करना जैसे कई पहलू हैं जिनमें से कुछ पहलुओं पर आंशिक रूप से कानून भी बने हैं, निदेश यह है कि इन सिद्धांतों को प्राप्त किया जाए यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह उन कुछ बातों को निर्दिष्ट करती है जिनकी उपलब्धि के लिए राष्ट्र द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध अनुच्छेद 47 में विशेष निदेश है, जिसके अनुसार-

> "पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य"

अनुच्छेद 47 के तीन मुख्य पहलू है जहां संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

> "राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया..."

यह राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य होगा। पोषाहार के स्तर को बढ़ाने का कार्य मात्र स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है। यह महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत भी आता है। जो अन्य मंत्रालय के अधीन आता है। परंतु महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें अनुच्छेद 47क को जोड़े जाने से यह विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तक सीमित रहेगा। मुख्य बात ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराना है। यह भी कहा गया है:

> "...विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

इसके साथ ही माननीय सदस्य उन बातों को शामिल करना चाहते हैं जो मैंने पहले कही है:

> "राज्य प्रत्येक ग्राम में सभी मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करेगा।"

'सभी मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं' से हमारा क्या तात्पर्य है? ये सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध होनी चाहिए। जहां तक मुझे याद है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने की योजना दूसरे पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। उस समय ब्लाक विकास कार्यालय आरंभिक चरण में था। वस्तुतः यह पहली पंचवर्षीय योजना का योगदान था। 50 के मध्य में या 50 के अंतिम वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में सोचा गया कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरी क्षेत्रों, सब डिविजनल क्षेत्रों या जिला स्तर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए सोचा गया कि गांव में हमारे कई विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। यह महसूस किया गया कि पंचायत समिति या ब्लाक विकास एजेंसी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। इसे सामुदायिक विकास परियोजना कहा गया।

इसके लिए कुछ क्षेत्रों के कुछ गांवों का पता लगाया गया और यह कहा गया कि ये सामुदायिक विकास क्षेत्र हैं और प्रत्येक सामुदायिक विकास क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि इन केन्द्रों में कम से कम एक चिकित्सा अधिकारी, एक एम बी बी एस स्नातक और एक फार्मेसिस्ट, स्टाफ नर्स, सहायक स्टाफ, पैरा मैडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जानी चाहिए। इनमें खून की जांच, एक्स-रे मशीन और अन्य उपकरण भी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी को क्षेत्र का दौरा करने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसमें वह आवश्यकता पड़ने पर रोगी को बड़े शहरों में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जो काफी दूर होते हैं, में पहुंचा न पाने की दशा में कम से कम सब डिविजनल स्तर के चिकित्सा संस्थान या जिला संस्थान में पहुंचा सके। यह बात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में थी। निस्संदेह माननीय मंत्री महोदय ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए यह कहा कि यह राज्य का विषय है। जी हां, यह राज्य का विषय है। परंतु जब हम इस बात पर चर्चा कर ही रहे है तो हम अपने उत्तरदायित्व को टाल भी नहीं सकते।

महोदय, हम सभी यह जानते है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पिछले 15 महीनों के सफल कार्यकाल में क्या किया गया। इस दौरान कई परिवर्तन आए और आगे भी कई परिवर्तन आएंगे। मुझे उन पर बहुत भरोसा है। परंतु इस पर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने हमारे राज्य उड़ीसा सहित कई राज्यों का दौरा किया। स्वास्थ्य देखरेख के लिए विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है परंतु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारें इस दिशा में असफल हो रही हैं। ये केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी असफल सिद्ध हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल राज्य सरकारें ही विफल हो रही हैं। राज्य भी एक तंत्र के रूप में असफल हो रहे हैं। ये नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल हो रहे हैं और राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी असफल रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के 58 वर्ष के बाद भी राज्य एक तंत्र के रूप में असफल सिद्ध हो रहे हैं। ऐसा हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिकों का सोचना है। जब भी हम जन उपयोगी सेवा केन्द्र में जाते हैं तो हम देखते है कि नागरिकों को यह सुविधा और देखरेख नहीं मिलती जिसकी अपेक्षा होती है। संविधान निर्माताओं ने इस बात को संविधान में स्थान देने से पूर्व एक प्रतिज्ञा की, वह प्रतिज्ञा जो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए इस देश के प्रति प्रतिज्ञा की थी। जैसा कि मैंने कहा है। राज्य एक तंत्र के रूप में असफल हो रहे है। न केवल संसद या हमारे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में बल्कि इस देश के जागरूक नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? यह वह जागरूकता है जो इस देश के नागरिकों में धीरे-धीरे पैदा हो रही है। हमें क्या करना चाहिए? पिछली सरकार ने 'सर्व शिक्षा अभियान' को शुरू करने का सराहनीय कदम उठाया हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। हम देखते है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए जिन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली इसका हमारे समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हमें सुबुद्धि आई और यूपीए सरकार द्वारा उस परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए विशेष उपकर लगाया गया है। हमने कई अवसरों पर पहले भी इस बात पर चर्चा की कि इससे 5000 और कुछ करोड़ रुपए जमा किए गए थे जिनका उपयोग सर्वशिक्षा अभियान के लिए दिया जा रहा है। क्या मैं सं.प्र.ग. सरकार और माननीय रक्षा मंत्री जी को सलाह दे सकता हूं?

क्या हम पूरे देश के लिए "सर्व स्वास्थ्य अभियान" शुरू नहीं कर सकते हैं?

अपराह्न 5.52 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए।*]

जैसे हम "सर्व शिक्षा अभियान" चला रहे हैं वैसे ही हम "सर्व स्वास्थ्य अभियान" नहीं चला सकते? इसके लिए भी धन जुटाया जा सकता है? उपकर लगाना एक पहलू है। जैसे आयकर में दो प्रतिशत उपकर लगाया गया है वैसे ही कुछ नए विचार सामने आ सकते हैं। सामान्य बजटीय आवंटन से अलग वित्तपोषण की कोई अन्य प्रणाली विकसित की जा सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर भी गौर करे। इसके साथ ही मैंने यह ध्यान भी दिलाया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन 18 राज्यों में किया जा रहा है। इनमें से आठ ई.ए.जी. राज्य है-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार,

[श्री भर्तृहरि महताब]

राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। इसी प्रकार से इसमें उत्तर पूर्व के आठ राज्य भी हैं। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश सहित इन 18 राज्यों पर आपके द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस बात पर संदेह नहीं कर रहा हूं। परंतु, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन राज्यों पर विशेष ध्यान से भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य में, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कमियां हैं। वस्तुत: गांव में जब मैं स्कूल जाया करता था तब अस्पताल में जितनी दवाइयां उपलब्ध रहती थी और जितने स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होते थे, वह आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध नहीं हैं। जनसंख्या में वृद्धि हुई है; समस्या बढ़ी है; बीमारियां बढ़ी हैं, बाजार का विस्तार हुआ है तथा दवाइयों में भी बढ़ोत्तरी हुई है परंतु इसके साथ ही कार्मिकों की संख्या में कमी आई है। मेडीकल कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई है, डाक्टरों की संख्या बढ़ी है।

परंतु, इसके साथ-साथ ही, कुछ असंगति भी है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में डाक्टर नहीं हैं। जब हम अधिक संख्या में अस्पताल खोलने का विचार करते हैं, तो सबसे पहले डाक्टरों को नियुक्त करने की बात ध्यान में आती है। हम किसी डाक्टर के बिना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसे स्थापित कर सकते हैं? पिछले छह दशकों से स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार का विचार इसी अवधारणा के उत्तरार्द्ध पर किया जा रहा है। श्री रबी राय ने 70 के दशक के उत्तरार्द्ध में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि हमें चीन में चल रही व्यवस्था के अनुरूप सादगी वाले डाक्टर चाहिए। हमारे पास ऐसा स्वास्थ्यकर्मी होगा जो कम-से-कम ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद रोगियों या जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आ सकते हैं। तत्पश्चात्, अस्सी के दशक के अंत में उस परियोजना को बिल्कुल छोड़ दिया गया। इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है और मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य एक्टिविस्ट, जिसे उन्होंने 'आशा' (ए एस एच ए) नाम दिया है, के माध्यम से लोगों के अंदर अत्यधिक उम्मीद जगाई है। उम्मीद का दूसरा नाम 'आशा' (ए एस एच ए) है। पुरुष या महिला डाक्टर गांवों, दूरस्थ क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और अगम्य क्षेत्रों में यात्रा करेंगे। यही धारणा है; यही दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत वह जनसंख्या के कतिपय हाशिए पर पहुंचे वर्गों पर ध्यान देगा। वस्तुत:, काफी बातें उस विशेष व्यक्ति पर निर्भर करती हैं और इस परियोजना की सफलता प्रशिक्षणार्थी की भर्ती अथवा पुरुष या महिला डाक्टर की उन लोगों, जिनकी सेवा के लिए उसकी नियुक्ति की गई है, के प्रति समर्पण की भावना पर निर्भर करेगी। मूलरूप से, स्वास्थ्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां समर्पण की भावना होने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा होने पर ही स्वास्थ्य क्षेत्र समाज के विकास के लिए सहायक हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान का लक्ष्य अवसंरचना का विकास करना है। भवनों का निर्माण किया गया है; एक्स-रे कक्ष बनाए गए हैं तथा वार्डरूम तैयार किए गए हैं। उड़ीसा में भी काफी हद तक हमें इस संबंध में सफलता मिली है। परंतु जो मूल समस्या उत्पन्न हुई है, वह कार्मिकों की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। उड़ीसा के संबंध में पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि आज उड़ीसा में सरकार के पास 1884 मेडीकल डाक्टरों की कमी है। इसके साथ ही, भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम सी आई) इस बारे में लापरवाही बरत रहा है; वह और अधिक सीटों की अनुमति नहीं देगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कटक का एस सी बी मेडीकल कालेज 70 वर्ष से भी अधिक समय पुराना है। यह पूर्वी भारत के पुराने सरकारी मेडीकल कालेजों में से एक है तथा यहां शिक्षा प्राप्त अनेक डाक्टर अब न केवल इस देश में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सेवारत हैं, बल्कि विदेश में भी कार्य कर रहे हैं। आज, उड़ीसा में बाल मृत्यु दर अधिक है। यह दर देश में सबसे अधिक बाल मृत्यु दरों में से एक है। यद्यपि पिछले तीन वर्षों में इसमें कमी आई है, तथापि अब भी यह सबसे अधिक है। हमें अधिक संख्या में बाल रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है। मैंने पिछले दिनों यह कहा था कि उड़ीसा सरकार ने बाल रोग चिकित्सा में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि वह एम.बी.बी.एस. के बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे सुदूरवर्ती के वी के जिलों में जाकर कम-से-कम तीन वर्षों के लिए सेवा प्रदान करनी होगी। वहां तीन वर्षों तक सेवा करने के पश्चात् ही उसे स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु किसी परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त हो सकती है। वहां तीन वर्षों तक सेवा करने के पश्चात् वह स्नातकोत्तर के लिए योग्य होगा। और वह बाल रोग चिकित्सा की पढ़ाई कर पायेगा। दस महीनों तक अध्ययन पूरा करने के बाद, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) इन विद्यार्थियों को बाहर करने के लिए निरंतर पत्र लिखता रहा है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, मैंने पिछले बजट सत्र के दौरान इस मामले की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। यद्यपि पिछले वर्ष नवम्बर में एक जांच दल वहां गया था और कतिपय कमियों की ओर ध्यान दिलाया था, पुन: मंत्री महोदय के हस्तक्षेप के बाद एक समिति मई के महीने में वहां गई थी और उसने पाया कि सभी कमियां दूर कर ली गई हैं। परंतु हमें यह आश्चर्य हुआ कि जुलाई के महीने में पुन: उन्हें एक पत्र मिला जिसमें उनसे कहा गया कि वे पहले इन विद्यार्थियों को बाहर कर दें। भारतीय चिकित्सा परिषद् का क्या इरादा है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): इरादा धन लेने का है।

श्री भर्तृहरि महताब: अत:, मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। कोई भी व्यक्ति उनको लेकर गलतफहमी में नहीं रहेगा और वे उड़ीसा के लोगों के लिए एक बड़ा कार्य कर पाएंगे। वे आपके अत्यधिक आभारी रहेंगे क्योंकि यह कार्य उस विशेष वर्ष के कुछ विद्यार्थियों के ही संबंध में नहीं है बल्कि यह उस दृष्टिकोण के बारे में भी है कि आप समस्याओं को किस रूप में लेते हैं। यही स्थिति है जिसका सामना हमारे उड़ीसा राज्य तथा अन्य राज्यों को भी कहना पड़ रहा है।

मैं निजी मेडीकल कालेजों का पक्ष नहीं ले रहा हूं। परंतु मुद्दा यह है कि आज हमारे पास सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में अनेक मेडीकल कालेज हैं। निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, किन्तु उनके लिए विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी किए जाने चाहिए। इसके साथ-साथ ही, क्या हम एसे एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को, जो देशांतरण कर रहे हैं, इस देश से बाहर जा रहे हैं, को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? वे समाज और राष्ट्र की सहायता और समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं को लोगों की सेवा हेतु योग्य बना रहे हैं और उसके बाद वे अपने परिवारों की सहायता करने तथा दूसरे देश की सेवा करने के लिए विदेश चले जाते हैं। इससे हमारे देश को दीर्घकाल में कोई लाभ नहीं हो पाता। इसे 1960 और 1970 के दशकों में प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) कहा जाता था। क्या हम इसे रोकने या हतोत्साहित करने के लिए कुछ कर सकते हैं?

उन तीन अविकसित क्षेत्रों अर्थात् अविकसित उड़ीसा के के बी के जिलों में यात्रा करते समय हम देखते हैं कि वहां किसी डाक्टर के लिए मूल सुविधाओं की कमी हैं। किसी डाक्टर को रहने योग्य स्थान की आवश्यकता होती है जहां 24 घंटे जलापूर्ति, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की सुविधा हो और जब वह कतिपय परीक्षण करना चाहता हो तो उसे कम-से-कम वे सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। निश्चय ही, इन सबके लिए धनराशि की जरूरत पड़ती है और राज्य सरकार के पास ये सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उतना अधिक धन नहीं है। मेरा विचार है कि जब समाज में व्यापक रूप से काफी जागरूकता बढ़ रही है, तो केन्द्र और विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ ही, हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सरकार को उन्हें कतिपय मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए कि निजी नर्सिंग होम्स को न केवल ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो फीस या खर्चे का भुगतान करते हों, बल्कि उन्हें जरूरतमंद लोगों को कतिपय बिस्तरों, कतिपय वार्डों की नि:शुल्क सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए।

अंतत:, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में रखा गया विचार एक बहुत विवेकपूर्ण विचार है, परंतु इसके लिए काफी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी): सभापति महोदय, मेरे आदरणीय साथी श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेवारी को सरकार का एक कर्त्तव्य बनाना है। मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं जिस पर गैर-सरकारी विधेयक के रूप में इस सभा में चर्चा की जा रही है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम में सभी चिकित्सा सुविधाएं से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना है।

तमिल के किसी छन्द मुक्त कवि ने कहा है

"वी वोन फ्रीडम एट मिडनाइट; एन्ड इट इज यट टू डान" स्वतंत्रता के 58 वर्षों के पश्चात भी निर्धन ग्रामीण जनता के जीवन में सुधार लाया जाना शेष है। स्वास्थ्य देखरेख अभी भी ग्रामीण निर्धनों, शहर में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों और दूर दराज के जनजातीय क्षेत्र में झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पहुंच से परे है। मैं यहां किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। जो भी सरकारें आयी किसी ने भी इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। यह एक कटु सत्य है।

महोदय, 60 प्रतिशत बीमारियां पानी और हवा के प्रदूषण से होती है और हम अभी भी अपने सभी ग्रामों तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए है। यही स्थिति आवास, स्वच्छता और रोगमुक्त स्वस्थ जीवन के अनुकूल वातावरण की है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक विकास के लिए उचित शिक्षा स्वास्थ्य देखरेख और आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है। सरकार इस दिशा में पूरी कोशिश कर रही है या नहीं यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। ग्रामीण निर्धनों को स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। एक बात और यह है कि बीमारी के फैलने के पश्चात उसके उपचार की बजाय उसे उत्पन्न होने से पहले ही रोकने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए इसे रोकना आवश्यक है। बीमारियों के खतरे को शुरूआत में ही रोक लिया जाना चाहिए। इसीलिए प्रसिद्ध तमिल संत तिरूवल्लूर ने कहा है।

"नोई नाडी नोई मुढ़ाल नाडी आधान वाई नाडी वैपा सेयाल"।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. अप्पादुरई]

इसका अर्थ है बीमारी को होने से रोकना उसके पता लगाने या उपचार करने से अधिक महत्वपूर्ण है। रक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते है। परंतु लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है यह अभी भी एक प्रश्न बना हुआ है। मैं सभा से आग्रह करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

हमने 1947 में आजादी हासिल की और 1950 में हमने अपना संविधान अपनाया। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 47 क्या कहता है? संविधान में स्वास्थ्य की देखरेख को राज्य का उत्तरदायित्व बताया गया है और लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य का कर्त्तव्य बताया गया है।

अब समय आ गया है कि हम अनुच्छेद 47 में खण्ड 'क' अंत: स्थापित करने के लिए एक मत से इस संविधान (संशोधन) को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि हम दलगत राजनीति से हटकर इस विधेयक को पारित करें।

सरकारी सामान्य अस्पतालों में हम क्या देखते हैं? यदि वहां डाक्टर है तो दवाइयां नहीं हैं। यदि वहां दवाईयां मिल रही हैं तो नर्सें और अन्य कर्मचारी वहां पर नहीं रहते। यदि दोनों उपलब्ध हैं तो वहां उचित उपचार नहीं है। यह बात तमिलनाडु के लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी ही दयनीय स्थिति देश के अन्य सभी भागों में है।

हमारे देश में 96 प्रतिशत डाक्टर कस्बों और नगरों में रहते हैं। जबकि हमारी आबादी की 63 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है। लेकिन हमें वे डाक्टर नहीं मिलते जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हो। हमें ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने के लिए पर्याप्त डाक्टर नहीं मिल पाते हैं। वहां चिकित्सा सुविधाएं, यहां तक कि दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं। राजधानी की सी जी एच एस डिस्पेंसरियों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। मैंने यह बात हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ व्यक्तिगत रूप से भी उठाई थी।

यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रत्येक ब्लाक में हमारे चिकित्सा केन्द्र हैं। परंतु प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का होना आवश्यक है।

दूर दराज के ग्रामों में रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। साधारण नागरिक और आम जनता जो निर्धनता में जीवन यापन करती है वह स्वास्थ्य देखरेख अपनी क्रम क्षमता के भीतर प्राप्त नहीं कर पाती है। आजकल प्रधानमंत्री राहत कोष से हृदय रोग के उपचार के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है कुछ मुट्ठी भर लोग ही इस सहायता का लाभ उठा पाते हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग जन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में प्राइवेट क्लीनिक में जाने के लिए बाध्य हैं जो इन नि:सहाय लोगों का जमकर शोषण करते हैं। प्राय: प्राइवेट अस्पताल के इलाज का खर्च उठा पाना आम आदमी के बस से बाहर है।

इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार लोक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में असफल रही है जिसके फलस्वरूप प्राइवेट क्लिनिकों और अस्पतालों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। बहुमंजिली अस्पताल चिकित्सीय उपचार के लिए मनमाने दर से पैसे वसूलने की प्रवृत्ति प्राइवेट क्षेत्र में बढ़ रही है। सरकारी सामान्य अस्पताल सुविधाओं की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में हैं।

प्राइवेट अस्पताल चलाना स्टार होटल चलाने से अधिक लाभदायक व्यवसाय बन चुका है। इन अस्पतालों में दरें इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि निर्धन वर्ग वहां जा ही नहीं सकता। आम आदमी को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। यह राज्य सरकारों का उदासीन और गैर-जिम्मेदार दृष्टिकोण ही है जिसके कारण यह दशा हुई। एक प्रकार के उपचार के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क प्रभार लिए जाते हैं। यह कीमत हर अस्पताल में भिन्न-भिन्न है। इसलिए निर्धन और गरीब जनता को झोला छाप डाक्टरों के पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

महान बुद्धिवादी नेता श्री तनतई पेरियार ने अपने समर्पित अभियान के द्वारा तमिलनाडु की जनता के दिमाग से अंधविश्वास मिटाने का प्रयास किया। परंतु वहां लोग पीछे मध्यकालीन युग में जाना चाहते हैं। मंदिर, अनुष्ठान छद्म सन्यासियों और झोला-छाप डाक्टरों के पास इलाज के लिए जाते हैं। इसका कारण समुचित और क्रय क्षमता के भीतर जन स्वास्थ्य प्रणाली का उपलब्ध न होना है। मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान इस दयनीय स्थिति से उबरने तथा इस समस्या का समाधान खोजने की ओर दिलाना चाहता हूं।

कुछ समय पहले मैंने चेन्नई की सड़कों पर मेडिकल छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा जो "नए मेडिकल कालेजों को बंद करो" के नारे लगा रहे थे। पूछताछ करने पर यह पता चला कि सरकारी नौकरियों के अभाव में वे आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर डाक्टरों की भर्ती बंद है। यह कैसा विरोधाभास है? जहां ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों का अभाव है और वहीं नए मेडिकल कालेज खोले जाने का विरोध किया जा रहा है।

विश्व के किसी भी देश में जाएं ऐसा कोई ही देश होगा जहां भारतीय डाक्टर नहीं है। यहां तक कि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में भारतीय डाक्टर हैं। सरकार प्रत्येक मेडिकल विद्यार्थी पर अपने खजाने से पांच लाख रुपए खर्च करती है। वर्तमान मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को देखें तो मेडिकल कालेज से एक डाक्टर तैयार करने का खर्च 10 लाख रुपए से अधिक हो सकता है।

क्या उन्हें प्रतिभा पलायन के लिए शिक्षित किया गया था? देश में डाक्टरों की कमी की पूर्ति न हो पाते हुए भी इन डाक्टरों को विदेश जाने की बाध्यता के लिए कौन जिम्मेदार है। समाचार पत्रों में हम रोज ही ऐसे विज्ञापन देखते है जिनमें विदेशों में नौकरी के लिए डाक्टरों और नर्सों को प्रलोभन दिया जा रहा है? क्या हमने अपनी स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को मजबूत करने के लिए पर्याप्त योजना बनाई है? केन्द्रीय सरकार यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती कि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों तक जन स्वास्थ्य को पहुंचाने के पूरे प्रयास करने होंगे।

प्रत्येक ग्राम में सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊचाईयां हासिल की हैं। हमारे पास जन्म से पूर्व ही भ्रूण का लिंग निर्धारण करने के आधुनिक उपकरण हैं। हमारे पास भ्रूण में हो रहे अवांछित विकास को ठीक या दूर करने की उन्नत सुविधाएं भी हैं। परन्तु क्या हमने यह सुनिश्चित किया है कि इन वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ ग्रामीण लोगों तक पहुंचे?

ऐसी उन्नत चिकित्सा सुविधाएं हमारे निर्धन ग्रामीणों और समाज के निर्धन वर्गों की पहुंच से बाहर हैं। क्या हमने कामगार वर्ग के लोगों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है? यह संविधान (संशोधन) विधेयक समाज के वंचित वर्गों को चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा का उपबंध करने के लिए संबंधित सरकारों पर इसका उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य सौंपता है।

आज केन्द्रीय और राज्य दोनों ही सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, औषधि, परिवहन, संचार तथा आर्थिक विकास के लिए आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हम एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते हैं जो कार्य करे। उपनिवेशीय शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमारे स्वाधीनता संग्राम के पीछे निहित विचारों तथा सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि निजीकरण का समर्थन करना हमारे स्वाधीनता संग्राम के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

हमारे माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. अंबुमणि रामदास अच्छा काम कर रहे हैं। वे उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं को विभिन्न राज्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं। इस विधेयक के पारित होने से गांवों में जनस्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।

हमारे संविधान में अनुच्छेद 47क अंत:स्थापित करके तथा इसे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का एक भाग बनाकर इसे केन्द्र तथा राज्य, दोनों ही सरकारों का कर्त्तव्य बनाया जाएगा। ऐसा होने पर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाला जा सकेगा। मुझे आशा है कि प्रत्येक गांव में समुचित स्वास्थ्य देखरेख की व्यवस्था हो जायेगी। इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 6.15 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 6.16 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004

(नए अनुच्छेद 47-क का अंत:स्थापन)–*जारी*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): सभापति जी, माननीय रेड्डी साहब जो संविधान संशोधन लाए हैं वह बहुत ही अच्छा है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत पहले ही स्वास्थ्य सेवाओं का जो प्रावधान किया गया है वह बहुत पहले से है। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी खामियां हैं,

[श्री जय प्रकाश]

इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये अच्छा अमेंडमेंट लाए हैं और सदन इस पर गहराई से बहस और विचार कर रहा है। मैं तीन-चार सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। पिछले दस वर्षों से केन्द्र और प्रदेश सरकारों का एक नारा रहता है कि "सस्ती शिक्षा, सस्ती चिकित्सा"-मेरा सुझाव यह है कि चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। छोटी से लेकर बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में होना चाहिए। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 58 वर्षों के बाद भी, देहात के गरीब आदमी को, किसान को, इलाज और दवाओं के अभाव में अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसे आप प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाते हैं लेकिन इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए डाक्टर नहीं होते हैं। मशीन होती है आपरेटर नहीं होते हैं। अल्ट्रा-साउंड की मशीन प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में होती है लेकिन डाक्टर मरीज को अल्ट्रा-साउंड व एक्सरे बाहर से कराने के लिए कह देते हैं, जोकि गरीब आदमी नहीं करा पाता है। गांव में अच्छे डाक्टर होने चाहिएं जो गरीबों का उचित ख्याल रखें।

मैं हरियाणा से आता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि गांवों में डाक्टर्स की नियुक्ति करते हैं और वे डाक्टर्स कुछ दिन बाद शहरों में प्राइवेट क्लीनिक खोल लेते हैं। मेरा निवेदन है कि जिन डाक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों से एमबीबीएस या एमडी की है, सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो गांव में इतने वर्षों तक सरकारी सेवा नहीं करेगा, वे अपना अस्पताल नहीं खोल सकेंगे। गांव छोड़कर वे अपना अस्पताल खोल लेते हैं और सरकार की पालिसी धरी की धरी रह जाती है। मल्टी-परपज हैल्थ वर्कर्स गांव में लगाने चाहिए। दो हजार से कम की आबादी पर एक एएनएम अवश्य होनी चाहिए।

गांव में क्या हो रहा है कि प्रसव के समय में, दवा के अभाव में या सैप्टिक हो जाने के कारण, जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो जाती है। इसलिए गांव लैवल पर दाई के रूप में एक एएनएम हर गांव में जरूर होनी चाहिए, जिससे प्रसव के समय में गरीब औरतों की जिंदगी को बचाया जा सके। अगर आप रिकार्ड्स मंगवाएंगे तो पाएंगे कि अधिकतर केसेज में, प्रसव के दौरान ही, गांव में गरीब औरतों की मौत हो जाती है। कारण यही है कि गरीब औरतों को गांव में प्रसव के दौरान, स्वास्थ्य संबंधी सहूलियतें नहीं मिल पाती हैं और औरतें मर जाती हैं। इसलिए प्रत्येक गांव में एक एएनएम होनी चाहिए। जो ज्यादा छोटे गांव हैं, वहां दो गांव में एक एएनएम लगा दो। एक प्रावधान यह किया जाना चाहिए कि वे गांव में रहें। वे गांव में नहीं रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके कई प्रोग्राम आते हैं। देश में मलेरिया एक बड़ी भयंकर बीमारी है। गांवों में चौमासे में, जिस का मतलब है बरसात का महीना, कीचड़ ज्यादा होता है, मच्छर ज्यादा होते हैं जिससे मच्छर काटने से मलेरिया फैल जाता है। झुग्गी-झोंपड़ियों की सफाई प्रापर नहीं हो पाती है। केन्द्र सरकार को हर गांव में डीडीटी पाउडर जरूर उपलब्ध कराना चाहिए। वह पहले उपलब्ध कराती थी। मुझे मालूम है कि अब इसका अभाव है जिससे झुग्गी झोंपड़ी में डीडीटी छिड़की नहीं जाती है। 10 वर्ष पहले हर सातवें दिन गांव में डीडीटी का छिड़काव होता था। आज देहात में डीडीटी का छिड़काव नहीं होता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सारा देश चिंतित है। एक पिटीट्यूरी का इंजैक्शन है। जो भैंस दूध नहीं देती है उसे लगा देते हैं। उससे वह तत्काल दूध देती है। उससे इन्सान के शरीर को बहुत नुकसान होता है। घीये की सब्जी लगाने पर रात-रात में वह आधा फुट बढ़ जाता है लेकिन सुबह खाने पर वह स्वास्थ्य को बहुत नुकसान देता है। आप इसका पता लगाइए। मेरा सुझाव है कि इस इंजैक्शन पर पाबंदी लगायी जाए। यह इंजैक्शन उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने इसे पशु के लिए यूज करना है न कि अपनी सब्जी बढ़ाने में। आज कई चीजों में इसका यूज होता है।

एनजीओज की बात आई। एनजीओज योजना चलाएं, अच्छी बात है। बहुत सी एनजीओज ऐसी हैं जो आपकी स्कीम्स का पैसा लेती हैं। वे केवल सरकारी कार्यक्रम कराती हैं। उसका आम आदमी को कोई लाभ नहीं है। मल्टीपरपज हैल्थ स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाए और मल्टी परपज हैल्थ वर्कर्स से काम लिया जाए और उनको ज्यादा काम दिया जाए। हरियाणा प्रदेश में कई एनजीओज काम कर रहे हैं। उनके केवल कार्यालय हैं। वे एड्स पर और दूसरी बड़ी बीमारियों के लिए हैं। उन्होंने आम लोगों के लिए रजिस्टर्ड बनाया है। वे बस स्टैंड पर बैठे हैं। वे लिख लेंगे कि क्या नफा और नुकसान हुआ? जो गरीब आदमी हैं, खास तौर पर जो छोटा किसान और मजदूर है, उनको इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज जो प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के थ्रू विधेयक आया है वह अति महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के अपने-अपने दायित्व हैं। चाहे प्रदेश सरकार का मामला हो, लेकिन केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को समय-समय पर दिशा-निर्देश दे। केन्द्र सरकार की दवाइयां भी प्रदेश में पहुंचते-पहुंचते बहुत समय लग जाता है। कई दवाइयों की डेट एक्सपायर हो जाती है। समयबद्ध दवाइयां बेची जाएं। कई जगह मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं जैसे मलेरिया, टीबी और एड्स की दवाइयां हैं। ये दवाइयां बाजार में कौन बेचता है, इसकी भी मानिटरिंग होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की तरफ से इसका विजिलैंस होना चाहिए कि गांव में ये दवाइयां किस माध्यम से बिकती हैं? दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि सजा होनी चाहिए।

आज हिन्दुस्तान में एडल्ट्रेशन का बहुत बड़ा व्यवसाय हो रहा है। इसके कारण सस्ती दवाइयां मिल जाती हैं। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दवाइयां बेचते हैं। नकली दवाइयां बनाने की बहुत सी फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं। नकली दवाइयों के ऊपर भी पूर्ण रूप से और जबर्दस्त नियंत्रण करना चाहिए। उसमें सख्ती बरतनी चाहिए। जैसे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मिलावट है। डीजल में मिट्टी का तेल डालने से इंजन खराब हो जाएगा। यदि इंसान को नकली दवाई दी जाएगी तो एक आर्थिक नुकसान होगा, दूसरा शारीरिक नुकसान होगा और पूरे देश का नुकसान होगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन कंपनियों के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। जो नकली दवाएं बनाती हैं। उनके लिए कठोर कानून बनाया जाए। जिस तरह से बलात्कार और दहेज के केस में सख्त कानून बनाए गए हैं उसी तरह से, दहेज और बलात्कार के केस की तरह अडल्ट्रेशन कानून बनाकर बड़ी सख्ती से लागू किया जाए। जो लोग नकली दवाएं बनाते हैं उनको 20 वर्ष की सजा होनी चाहिए, मैं फांसी की बात नहीं कहता लेकिन 20 वर्ष की कैद होनी चाहिए क्योंकि इससे पूरे देश में नुकसान होता है। अच्छे-अच्छे लोग नकली दवाओं से मर जाते हैं, रिएक्शन हो जाता है। ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिससे वे सारी उम्र के लिए जेल में ही रह जाएं। खास तौर से मेडिसन को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। आप सर्वे करा लीजिए जो नकली दवाइयां बनाते हैं, जो दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, वे आज फलफूल रही हैं उनका मिशन नकली है। वे सस्ता बेचते हैं और गरीब आदमी को मालूम नहीं है। इससे नुकसान किसका होता है, जो गांव में रहते हैं, जिन बेचारों को पता नहीं है कि पन्ने पर क्या लिखा दिया है, वे दवाएं खोलकर डिब्बे में रखते हैं, मुट्ठी भर कर पकड़ा देते हैं। अगर गरीब आदमी, देहात के आदमी को बचाना है तो इन फैक्ट्रियों के ऊपर नियंत्रण किया जाए और कठोरता से कानून लागू किया जाए, इनके लिए सजा का प्रावधान किया जाए।

अंत में, मैं मंत्री जी से एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि जो ए.एन.एम. या डाक्टर को आप लगाते हैं, सामुदायिक केन्द्र या प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स में, वे केवल नाम के हैं। वहां बिस्तरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राइमरी हैल्थ सैंटर में एक या दो बिस्तर होते हैं या कहीं नहीं भी होते हैं। आप गांव में सामुदायिक केंद्र में जाकर देखिए, वह नाम का सामुदायिक केंद्र है। चार बजे उन पर ताला लग जाता है। मरीज रात को जाता है तो सरकारी डाक्टर कहते हैं कि हमारे पास दवाएं नहीं हैं, हमारे पास एक्स-रे मशीन नहीं है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाइए। प्राइवेट अस्पताल में गरीब आदमी जाता है तो उसकी जेब काट ली जाती है, उसे महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केंद्र सरकार बार-बार यह कहती है कि सस्ती चिकित्सा और सस्ता इलाज करेंगे। मेरा सुझाव है कि जो सरकारी डाक्टर हैं सबसे पहले उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में कुछ करना चाहिए। आपने चाहे उन्हें बोनस दिया है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं कि बोनस के रूप में पैसा उनको कितना दिया जाता है लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसके लिए केंद्र में कोई कानून बनाना चाहिए। यदि कोई डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया जाए तो उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। ट्रेनिंग और कोर्स में जो खर्च होता है, जैसे माननीय सांसद श्री मेहताब जी कह रहे थे कि सरकारी मेडिकल कालेज में डाक्टर बनाने पर सरकार का बड़ा खर्च आता है। वे डाक्टर बनते ही पांच या सात साल की ट्रेनिंग मेडिकल कालेज के अस्पताल या किसी अस्पताल में लेते हैं उसके बाद सिविल अस्पताल में चले जाते हैं। जिस दिन उनका नाम चल पड़ता है उसके अगले दिन वे कहते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूं अब मैं प्राइवेट अस्पताल खोल लूंगा। मंत्री जी आप सर्वे कराइए कि शहरों में कितने प्राइवेट अस्पताल खुल गए हैं और गांव में जो सामुदायिक केंद्र हैं उन केंद्रों में पशु रह रहे हैं। न डाक्टर है, न ए.एन.एम. है, न कम्पाउंडर है, न डिस्पेंसरी है और न ही दवाएं हैं, वहां सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है। मेरा सुझाव है कि जच्चा-बच्चा के लिए जैसे प्रबंध है वैसे ही मैटरनिटी हट्स बनाई जाएं जो एक-एक या दो-दो गांव के ऊपर हों। यदि बड़ी आबादी है, पांच हजार की आबादी का गांव है तो उसके लिए अलग बना दिया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान संशोधन लाएं। पहले जितनी बातें हैं, जितनी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाए ताकि इस देश का गरीब आदमी मर न जाए। उसे बचाना है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसे लागू करने की आवश्यकता है, बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा (चित्रदुर्ग): सभापति, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रारंभ में, मैं अपने कामरेड मित्र श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी को इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा विधेयक पुर: स्थापित किया है, जो, मेरे अनुसार, समाज के गरीब वर्गों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने सभा से यह अपेक्षा की है कि यह विधेयक पारित हो जाए ताकि तथाकथित चिकित्सीय न्याय, जिनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सुनिश्चित किया जा सके। परंतु विचार यही है कि तथाकतिथ चिकित्सीय न्याय को प्रत्येक गांववासी, गरीब और दलित-शोषित के दरवाजे तक ले जाया जाए।

[श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा]

पूर्व में बोल चुके माननीय सदस्य ने सभी पहलुओं पर बल दिया है। मैं उन्हें पुन: उठाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने से अनावश्यक रूप से सभा का समय नष्ट होगा। मैं केवल दो अथवा तीन मुद्दों पर बल देना चाहूंगा।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि स्वर्गीय महात्मा गांधी ने क्या कहा था, "भारत गांवों में बसता है।" हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता, जिसका सभी नागरिकों द्वारा सम्मान करना चाहिए, सामाजिक न्याय है, जो मेरे विचार से महत्वपूर्ण है। चाहे वह भोजन है, स्वास्थ्य अथवा शिक्षा हो, देश के प्रत्येक नागरिक, अर्थात् 110 करोड़ लोगों की जनसंख्या को बेहतर जीवन तथा बेहतर स्वास्थ्य के बारे में भी आग्रह करने का अधिकार है। परंतु, दुर्भाग्यवश, स्वास्थ्य का तथाकथित समान वितरण समाज के ऐसे गरीब वर्गों तक नहीं पहुंचा है, जो अधिकांशत: गांवों में रहते हैं तथा यह केवल कस्बों और शहरों तक ही सीमित रहा है।

संभवत: नीति-निर्माताओं की धारणा यह है कि लोग केवल दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में ही रहते हैं और वे यह भूल गए हैं कि इनके अलावा और भी लोग हैं जो गांवों में रहते हैं तथा जो भोजन और स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हैं। परंतु, दुर्भाग्यवश, शहर में रहने वाले हमारे भाइयों के विपरीत भी लोग हैं जिन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी दवाइयां चाहिएं। उनके पास उठकर खड़े होने और यह कहने की ताकत नहीं है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। उनमें यह जागरूकता भी नहीं है कि उनके पास स्वास्थ्य की मांग करने का अधिकार है। ऐसा इसलिए है कि वे सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत निर्बल हैं तथा उनकी उपेक्षा की जाती है।

संविधान कहता है, हालांकि यह मौलिक नहीं है, परंतु राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में यह कहा गया है कि राज्य इस बात को देखने के लिए बाध्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। जैसाकि मेरे माननीय साथियों, विशेष रूप से श्री के.एस. राव और अन्य ने उल्लेख किया है, जो धन हम खर्च कर रहे हैं, वह प्रति व्यक्ति केवल 167 रु. है जोकि वस्तुत: नगण्य है। इससे यह दर्शाता है कि हमारे राज्य ने हमारे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को अधिक अधिकार और लचीलापन नहीं दिया है तथा उन्हें पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की है ताकि वे गांवों की स्वास्थ्य देख-रेख पर और अधिक धनराशि खर्च कर सकें।

महोदय, यह एक सामान्य बात है कि जो लोग गांवों से आते हैं वे लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की दयनीय स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। प्रसव के समय चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में या तो शिशु जन्म लेते ही मर जाता है अथवा अनुचित देखरेख के कारण मां और शिशु दोनों ही मर जाते हैं। सभी गांवों में चिकित्सा केन्द्र बिल्कुल भी नहीं हैं। वास्तव में, पहले भी यह सोचा गया था कि प्रत्येक पंचायत केन्द्र में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं तथा अन्य सभी सुविधाएं होनी चाहिए। वस्तुत: पहले सदस्य ने सोचा था कि वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह अभी प्रारंभिक अवस्था पर ही है तथा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यह बिल्कुल सही है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए आबंटित किया गया समय समाप्त हो गया है। यदि सभा सहमत है, तो इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय को एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: महोदय, मैं एक या दो मिनट और लूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए बढ़ाया गया समय आज के लिए नहीं है। इस विधेयक के लिए आबंटित समय एक घंटा बढ़ाया गया है। यदि सभा सहमत है, तो हम समय बढ़ा दें।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: अब मैं गांव में रहने वालों को इस प्राथमिक अर्थात् प्रारंभिक चिकित्सा देखरेख उपलब्ध न कराए जाने वाले मुद्दे पर आता हूं। हमने अनेक ऐसी माताओं को देखा है जिनकी इस कारण मृत्यु हो जाती है। वे अनुचित स्वास्थ्य देखरेख आदि के कारण मर जाती हैं।

महोदय, गांव में रहने वाले लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है, वह है-तथाकथित स्वास्थ्य देखरेख का विकेन्द्रीकरण और वितरण।

इसे शहरों और कस्बों तक ही सीमित नहीं रखा जाए। आधुनिक विशेषज्ञता वाले अस्पताल जिला केन्द्रों तथा अन्य स्थानों तक भी ले जाएं ताकि इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य केन्द्र गांववासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जब भी कभी कोई गंभीर रोग हों, वे कस्बों तथा निकटवर्ती शहरों में जा सकें। आप प्रत्येक गांववासी से आशा नहीं कर सकते हैं कि वे राजधानियों अथवा महानगरों में जाएं। यह समय की मांग है। चिकित्सा न्याय देश के प्रत्येक नागरिक के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अन्यथा तथाकथित अनुच्छेद 14 का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जोकि कहता है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे,

अनुच्छेद 47 भी अर्थहीन हो जाएगा जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है तथा हमारे आग्रह का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा कि सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए। ये सभी चीजें मात्र एक मजाक बनकर रह जाएंगी। यहां पर कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करने पर मैं क्षमा चाहता हूं।

जैसाकि माननीय सदस्य श्री के.एस. राव ने बिल्कुल सही उल्लेख किया है, आजकल हम देख रहे हैं कि अधिकांश छात्र जो अपनी एमबीबीएस शिक्षा पूरी कर लेते हैं, वे एक अथवा अनेक कारणों से गांवों में जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इस बात को देखना चाहते हैं कि सभी ग्रामवासियों को स्वास्थ्य देखरेख मिल सके जिसके कि वे हकदार हैं, तो आपको लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में एलएमपी अथवा आरएमपी जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जोकि हमारे पास पहले होते थे। अब भी हम उन्हें आरंभ कर सकते हैं। इसमें कम खर्चा होता है। प्रत्येक जिला केन्द्र ऐसे लोगों को रख सकता है। ये लोग गांवों में जाने तथा वहां काम करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

इसके अलावा, जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था, हैल्थ विजिटर की एक स्कीम भी विद्यमान है जो पूर्व में प्रारंभ हुई थी। अब वे लोग गांवों में नहीं जा रहे हैं। ऐसी बाध्यता होनी चाहिए कि स्वास्थ्य शिक्षक अथवा स्वास्थ्य निरीक्षक प्रत्येक दिन प्रत्येक गांव में जाए। ऐसी बाध्यता वहां होनी चाहिए।

इसके अलावा, हम यह कह रहे हैं कि कुछ गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकाइयां मौजूदा हैं। जैसाकि मेरे मित्र श्री जय प्रकाश तथा अन्य ने उल्लेख किया है कि इन केन्द्रों में कोई डाक्टर नहीं होते हैं तथा यदि वहां कोई डाक्टर होता भी हैं तो वहां कोई नर्स नहीं होती है। यदि वहां दोनों होते हैं, तो वहां फार्मासिस्ट नहीं होता। यदि वहां तीनों होते हैं, तो वहां कोई भी दवाई अथवा उपस्कर नहीं होते हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे गांवों के अस्पतालों की यह दशा है।

हमें गांवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यदि हम गांवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम चाहे जितनी भी योजनाएं प्रारंभ कर लें, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। कल, कोई आलोचना सामने आ सकती है कि वे योजनाएं केवल समाज के सभ्रांत वर्ग के लिए ही बनी हैं तथा समाज के गरीब वर्गों के लिए नहीं हैं। समय की मांग है कि चिकित्सा न्याय देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से गांवों के गरीब वर्गों के दरवाजों तक पहुंचना चाहिए।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि ग्रामीण स्वास्थ्य विकास योजना जैसी कोई योजना होनी चाहिए। हमारे पास अनेक विकास कार्यक्रम हैं। यह नहीं है कि हमारे पास राष्ट्रीय कार्यक्रम है। परंतु इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विकास जैसे ग्राम आरोग्य विकास जैसी योजना पर बल दिया जाना चाहिए अथवा इस प्रकार की कोई योजना प्रारंभ की जानी चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: हमारे पास राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है।

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: महोदय, मैं जानता हूं कि आपने इसकी परिकल्पना की है। मैं शुद्धि करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं पूर्व वक्ताओं द्वारा पहले ही दिए जा चुके तर्कों से स्वयं को सहयोजित करता हूं। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के इस गैर-सरकारी विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी की सराहना करना चाहता हूं। हम सब इस मुहावरे को जानते हैं कि 'स्वाध्य ही धन है'। स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है। हम सभी को पता है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या काफी गरीब है। उसके उन्हें उत्तम स्वास्थ्य रक्षा उपलब्ध नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा की लागत कई गुना बढ़ गयी है और यह प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। जब शहरी क्षेत्रों की यह हालत है तो मैं गांवों के बारे में यहां ज्यादा जोर नहीं देना चाहता ।

गांवों में रहने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार जब वे गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शहरों तक की यात्रा करना काफी दुरुह होता है। कभी-कभी वे अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते हैं। आज यही स्थिति है।

संयुक्त प्रगनिशील गठबंधन (यूपीए) भारत निर्माण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात कर रहा है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा के लिए कितनी राशि जारी की गयी है?

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

भारत में लगभग 600 जिले और तीन लाख से ज्यादा गांव हैं। हजारों गांव तो ऐसे हैं जहां एक डिस्पेंसरी तक नहीं है अस्पताल की तो बात ही क्या? यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी बच्चा जनने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई गांवों में तो मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं तक नहीं हैं।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बड़े जोर-शोर से हाल ही में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य हमारे देश के प्रत्येक गांव में प्रत्येक नगारिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि इस मिशन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इस बारे में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस मिशन के जरिये क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अविलंब कार्यान्वित किया जाए और यह सभी सूचनाएं सार्वजनिक की जाएं।

मैं समझता हूं कि संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सात प्रमुख क्षेत्रों में से एक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में यह प्रस्तावित है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी.डी.पी. के वर्तमान .9 प्रतिशत व्यय को अगले पांच सालों में बढ़ाकर जी.डी.पी. का दो से तीन प्रतिशत किया जाएगा जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। अगर उनके पास यह प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटन, जी.डी.पी. के एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया जाएगा तो भी मुझे विश्वास है कि अगले पांच सालों में सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ खास नहीं करने जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर वापस आते हुए ऐसा कहा गया है कि आवश्यक दवाईयां खरीदने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों को लगभग 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की अनुमानित राशि उपलब्ध करायी जाएगी। गणना करने पर हम पाते हैं कि यह राशि 30 रुपये रोजाना के हिसाब से है जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र के हजारों लोगों की देखभाल करनी है। यह राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति स्वास्थ्य केन्द्र किया जाना चाहिए।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगले दो महीनों में 18 राज्यों में 2,50,000 मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) को चिन्हित किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो योग्यता में छूट प्रदान की जाएगी। मुझे डर है कि इस बात की संभावना है कि अयोग्य व्यक्तियों को बिना प्रशिक्षण अथवा अनुभव के नियुक्त किया जाएगा और इस कारण हमारे लाखों ग्रामीण भाइयों और बहनों की जिन्दगी खतरे में पड़ सकती है।

सायं 6.43 बजे

[श्री पवन कुमार बंसल *पीठासीन हुए।*]

डा. अंबुमणि रामदास: आप कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी विवरणिका देखें।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: महोदय, मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार इतने कम वेतन पर इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की भर्ती कर सकेगी।

महोदय, सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागेदारी पर भी निर्भर करती है। यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये लोग गरीबों और ग्रामीण लोगों की देखभाल करेंगे। कोई भी निजी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पूंजी के निवेश का इच्छुक नहीं होगा। अगर यही स्थिति है तो मुझे नहीं पता कि सरकार गांवों में किस तरह स्वास्थ्यरक्षक केन्द्र खोलने जा रही है। मुझे विश्वास है कि इसका एकमात्र हल जो कि व्यावहारिक है वह यह है कि सरकार हर गांव में स्वास्थ्यरक्षक केन्द्र स्थापित करे और अगर प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक केन्द्र स्थापित करना संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसमें गर्भावस्था की देखभाल की सुविधाएं, प्रयोगशाला और अन्य प्राथमिक उपचार सुविधाएं होनी चाहिए।

सरकार को तालुका स्तर पर एक अच्छा अस्पताल स्थापित करना चाहिए जहां सारी आधुनिक सुविधाएं हों और जहां सभी बड़े आपरेशन, आपात मामले, सर्जरी वैगरह की सुविधाएं भी उपलब्ध हों। जिला स्तर पर सरकार को रेफरल हास्पिटल और रिसर्च सेंटर स्थापित करने चाहिए जहां पूरे जिले की आवश्यकताओं का देखभाल हो सके। जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं समझता हूं कि स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होगा। अनेक वर्षों के पश्चात् भी हम स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर ही रहेंगे।

महोदय, मैं आपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कर्नाटक में बेल्लारी में विजयनगर इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज (विम्स) है। यह एक बहुत बड़ा अस्पताल है और यहां आस-पास के गांवों और पड़ोसी राज्यों से भी अनेक मरीज आते हैं। लेकिन यहां गरीब रोगियों को सामान्य दवाईयां तक नहीं मिलती। यहां सभी गरीब लोगों और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को अपने पैसे से ही दवाईयां खरीदनी पड़ती हैं। इससे गरीब मरीजों को बहुत असुविधा होती है। अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन गरीबों की सहायता करें और संस्थान को यह निदेश दें कि कम-

से-कम गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराएं।

केन्द्र सरकार हमेशा दोष राज्य सरकार के मत्थे मढ़ देती है। माननीय मंत्री पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है अतएव राज्य सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्यरक्षक सुविधाओं के लिए प्रावधान करे। क्या यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व नहीं है कि अगर अस्पताल बनाने में नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा अस्पतालों को बनाने में वह राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करे? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि हम सबको पता है अनेक राज्य सरकारें इस स्थिति में नहीं हैं कि वे ऐसी स्वास्थ्य रक्षक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए वांछित वास्तविक धनराशि खर्च कर सकें क्योंकि इसमें पर्याप्त राशि का निवेश वांछित है अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरजोर आग्रह करता हूं कि या तो केन्द्र सरकार सभी स्कीमों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाकर पूरा खर्च खुद उठाये अथवा इस समस्या का निदान करने के लिए एक अलग स्वास्थ्यरक्षक योजना तैयार करे।

अब मैं दिनांक 7 जुलाई 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 409 के माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को उद्धृत करना चाहूंगा। उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि:

> "...जनसंख्या के आधार पर वर्तमान मानकों के अनुसार, स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सीज) की संख्या और 1991 की जनसंख्या के अनुसार वांछित संख्या के अन्तर को भरने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं...।"

मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं। सरकार ने मानकों को संशोधित करते समय 2001 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जबकि 2001 की जनगणना के आंकड़े पहले से ही उपलब्ध हैं और सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। मुझे निश्चित तौर पर पता है 2001 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता निश्चित तौर पर 1991 की जनगणना के आधार पर आकलित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से ज्यादा होती। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि सरकार इस बारे में आवश्यक कदम उठाए।

इसके अलावा उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि:

> "...वर्ष 2004-2005 के दौरान 405 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोला जाना प्रस्तावित है।"

मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। वर्ष 2004-2005 के दौरान कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं? वर्ष 2005 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं?

अंत में, मैं, माननीय मंत्री जी द्वारा 27 जुलाई, 2005 को अतारांकित प्रश्न सं. 599 के दिए गए उत्तर को भी उद्धृत करना चाहूंगा। अपने उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि:

> "...देश के असेवित क्षेत्रों में छह एम्स-जैसे संस्थान स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं, और राज्यों में अन्य सात संस्थान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के अंतर्गत एक-मुश्त सहायता प्रदान कर एम्स के स्तर तक उन्नत बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।"

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्ष 2003 में आश्वासन दिया था कि बेल्लारी स्थित विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान (बी आई एम एस) को एम्स के स्तर तक उन्नत बनाया जाएगा। लेकिन संघ सरकार ने इस बारे में अब तक कुछ नहीं किया है। इसलिए, मैं संघ सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी दे और कार्य में तेजी लाए।

हम सभी जानते हैं कि अनेक गरीब लोग अपने दिल के आपरेशन, कैंसर उपचार आदि के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सिफारिशी पत्र लेने के लिए संसद सदस्यों के पास आते हैं. हम ऐसे मामलों की सिफारिश करते हैं, लेकिन कुछ ही मामलों में प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता मिल पाती है, और उसमें भी खर्च का 50 प्रतिशत या 40 प्रतिशत या 30 प्रतिशत ही उनके द्वारा दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, गरीब लोगों को बाकी का खर्च अपनी स्वयं की जेबों से करना पड़ता है, जबकि यह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एकमात्र सहायता है। इसलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों और गरीब लोगों को पूरी धनराशि की सहायता देनी चाहिए जिन्हें दिन के आपरेशन, कैंसर उपचार आदि जैसी बड़ी बीमारियों के लिए विशेष उपचार कराने हों।

महोदय, मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि विशेषकर, गरीब रोगियों की पूरे खर्च की अदायगी कर सहायता करे।

महोदय, उपचार से रोकथाम भली। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छी प्रयोगशालाएं स्थापित करें ताकि रोगों को रोका जा सके। स्वास्थ्य की देखरेख का यह बेहतर तरीका है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं, जो यह गैर-सरकारी महत्वपूर्ण विधेयक लाये हैं।

मूल रूप से प्रत्येक गांव में चिकित्सा केन्द्र खुले, ऐसी भावना माननीय सदस्य की है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन और आप स्वयं भी इस प्रस्ताव के, इस संकल्प के पक्ष में होंगे। आजादी के 58 वर्ष के बाद हम बहुत विकसित हुए, 58 वर्ष में हम बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हैं। हमारे संविधान में अधिकार प्राप्त है कि देश के एक-एक आदमी को, एक-एक नागरिक को चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो, शिक्षा उपलब्ध हो, पानी की व्यवस्था हो, मकान की व्यवस्था हो, ये आम जन-जीवन के लिए बेसिक नीड्स हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी भी है, मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि 58 साल की आजादी के बाद भी अगर हम गांव के 90 प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी भारी कमी है। चाहे जिन लोगों के ऊपर भी यह दायित्व रहा, लेकिन हमें लगता है कि अपने दायित्वों का निर्वहन हमने नहीं किया, चाहे जो भी सरकारें रही हों। इसके कारण आज भी परेशान हालत में गांव की अवाम है। आज भी बिना इलाज के हजारों-लाखों की संख्या में लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या नौजवान हों, हर तबके के लोग बड़ी संख्या में मौत के मुंह में जा रहे हैं।

मैं आपकी परमीशन में आपके समक्ष एक छोटा सा आकंड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, उसमें यह स्थिति है कि शहर में लगभग 74.8 प्रतिशत लोग प्राइवेट हास्पिटल्स में इलाज के लिए जाते हैं, जबकि 23.5 परसेंट लोग ही सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं और लगभग 1.7 परसेंट लोग एन.जी.ओ. के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से जो इलाज की व्यवस्था की जा रही है, उसमें अपना इलाज कराते हैं। गांवों की तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वहां 66.2 परसेंट लोग प्राइवेट अस्पतालों में डाक्टरों के पास अपने इलाज के लिए जाते हैं और 30.6 परसेंट लोग सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराते हैं और 3.2 परसेंट लोग ट्रस्ट वगैरह जो अन्य संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से इलाज कराते हैं।

देश की स्थिति यह है कि जहां स्वास्थ्य के अभाव में 15 से 49 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं, उनमें 50 परसेंट से अधिक सात राज्यों में सात परसेंट से अधिक महिलाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं और एनीमिया की शिकार होने की वजह से मेरे ख्याल से हर पांच में से एक गर्भवती महिला मौत की शिकार हो जाती हैं। देश में रोजाना 400 महिलाएं ठीक ढंग से डिलीवरी नहीं होने के कारण दम दोड़ देती हैं। हर बीस मिनट में अबोध बच्चा भी शिकार हो जाता है और लगभग 30 हजार बच्चे पांच वर्ष से कम उम्र में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। मैं सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनका कमिटमेंट है और उसी के अनुसार इन्होंने गांव के स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया है जिसमें पिछड़े राज्यों को भी शामिल किया गया है। बिहार राज्य भी इनमें से एक है जिसे इस मिशन में शामिल किया गया है। वहां लोगों को बहुत परेशानी है। मैं समझता हूं कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की यही हालत है। आम तौर पर गांव और गरीब के बीच में जो सेवाएं उपलब्ध हैं, चाहे वे केंद्र के माध्यम से हों या राज्य सरकार के माध्यम से हों, वे स्वास्थ्य सेवाएं सही ढंग से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। आज गांव में आपने हेल्थ सेंटर खोले हुए हैं, वे भी कारगर ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। वहां के डाक्टर जिनकी प्रतिनियुक्ति होती है, जो ब्लाक हैड क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति गांव में भी होती है और यह उनकी ड्यूटी होती है कि वे सप्ताह में एक-दो दिन गांव में जाकर लोगों का इलाज करें। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां डाक्टर तो क्या छोटे स्वास्थ्य कर्मचारी भी गांव में नहीं जाते हैं। मैं पटना शहर की बात आपको बताना चाहता हूं। पटना के ग्रामीण इलाके में कई ऐसे स्वास्थ्य उप-केंद्र और ब्लाक लेवल के अस्पताल हैं, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पर बड़े पैमाने पर डाक्टर एपांयट भी किए गए हैं, लेकिन वे वहां जाते नहीं हैं। पटना से लगे हुए डेरा इलाके में भी डाक्टर नहीं जाते हैं। अब जब डाक्टर ही नहीं जाएंगे तो गरीब तबके के लोग, जिनकी आधी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल या कहीं और से अपना इलाज करवा सकें। उनकी बिना इलाज के बुरी हालत हो जाती है। बहुत से नौजवान जो खेत-खलिहान में काम करते हैं, जिनके पास दवा-दारु के लिए पैसा नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि इसके कारण अनेकों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। हमारा यह बेसिक दायित्व बनता है और लोगों का यह संवैधानिक अधिकार भी है कि उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। पता नहीं कब वह समय आएगा, कब वह दिन आएगा जब हर घर को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। निश्चित तौर पर आपने एक पालिसी बनाई है और आपकी मंशा है कि हर गांव को स्वास्थ्य सेवा मिल सके, लेकिन जो व्यवस्था है उसे चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उसकी देख-रेख करने की आवश्यकता है। डाक्टरों को यदि दंड दिया जाए तो मैं समझता हूं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डाक्टरों का गिरोह वहां काम करता है। वह गिरोह इतना जबरदस्त है कि अगर उनके

ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश करता है तो वह गिरोह हंगामा खड़ा कर देता है।

सायं 7.00 बजे

सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर जो डाक्टर काम कर रहे हैं, उन्हें सुविधा है, वे निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, निजी प्रैक्टिस में ज्यादा विश्वास करते हैं और सरकारी अस्पतालों में जाने का काम नहीं करते। क्यों नहीं सरकार राज्यों को कौन्फीडैंस में लेकर देश में कोई सख्त कानून बनाती कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर बिल्कुल बैन लगा दे, जैसे आपने एम्स और दूसरे सरकारी अस्पतालों में किया है? जब तक डाक्टरों में सख्ती नहीं करेंगे, तब तक वे नहीं जाएंगे। डाक्टरों की सेवाओं में यह शर्त लगा दी जाए कि जब तक आप इतने साल गांवों में पूरे तौर पर काम नहीं करेंगे, तब तक शहरी इलाकों में पोस्टिंग या प्रमोशन नहीं होगी। ऐसे कुछ सख्त उपाय सोचने पड़ेंगे।

यह सौभाग्य है कि मंत्री जी स्वयं चिकित्सक हैं। चिकित्सक की हैसियत से भी सोच रहे हैं और अब इनके ऊपर बड़ा दायित्व है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर रोका नहीं जाता है।

सभापति महोदय: ठीक है, आप अगली बार पांच मिनट ले लीजिए क्योंकि अब समय हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अभी अपनी बात समाप्त नहीं करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक-दो मिनट और बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर आप अभी अपनी बात समाप्त करेंगे तो बोलिए, नहीं तो अगली बार बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव: ठीक है, मैं अगली बार बोलूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम विशेष उल्लेख पर बात करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक उल्लेख के लिए दो मिनट से अधिक का समय न लें।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं लाखों बागान कर्मकारों की समस्याओं से सभा को अवगत कराने के लिए खड़ा हुआ हूं, जैसे केरल में 26,000 से अधिक कर्मकार लगभग 23 चाय बागानों के बंद हो जाने और छोड़ दिए जाने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित तथा पीड़ित हैं। रबड़, चाय, काफी और इलायची सहित मसालों के बागान कर्मकारों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि निर्धन कर्मकारों की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं: (1) बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए वर्ष 2003-04 के केंद्रीय बजट में घोषित किए अनुसार निधि का सृजन; (2) निर्धन बागान कर्मकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता आदि जैसी बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक क्षेत्र निधियों का आबंटन; (3) कर्मकारों और उनके परिवारों को बागान श्रम अधिनियम में विहित किए अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं प्रदान करना; (4) कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना; (5) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकारों को देय भविष्य निधि उनके खातों में नियमित रूप से जमा की जाए और उनकी सेवानिवृत्ति के समय जारी की जाए; और (6) समस्त बागान क्षेत्र में कर्मकारों को देय भविष्य निधि के मुद्दे को सुलझाने के लिए समाधान तलाश करना।

सभापति महोदय: श्री पी. करूणाकरन-उपस्थित नहीं।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री छत्तर सिंह दरबार (धार): सभापति महोदय, मेरे डिवीजन नम्बर 437 के आगे पोल आ जाता है।

सभापति महोदय: आप आगे आकर बोलिए।

श्री छत्तर सिंह दरबार: सभापति महोदय, साप्ताहिक आउटलुक 15 अगस्त, 2005 के अंत के पृष्ठ संख्या 50 पर एक बहुत बड़े नेत्र विशेषज्ञ का लेख छपा है जिसे पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 'एम्स' के नेत्र विभाग प्रभाग, आर. पी. सेंटर में रेटिना के जाने माने सर्जन डा. राजवर्धन आजाद जिन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सिल्वर जुबली रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया है, उन्होंने आउटलुक साप्ताहिक से सनसनीखेज बात की है।

[श्री छतर सिंह दरबार]

देश में बेहद उपयोगी आंखों के इलाज के लिए लेजर तकनीक का उपयोग अधकचरे रेटिना विशेषज्ञों द्वारा होने से यह तकनीक दृष्टिलेवा साबित हो रही है। डाक्टर ने अपने लेख में उसका हैडिंग दिया है कि 'अधकचरे सर्जनों के कारण हो रहे लोग अंधे'। इस कारण यह तकनीक दृष्टिलेवा साबित हो रही है। यह गंभीर चिंता की बात है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लेजर के गलत उपयोग से अंधे होने की घटनाएं सामने आई हैं।

मैं मध्य प्रदेश के जिस संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में इस प्रकार की कई घटनाएं हुईं। आई कैम्पों में सर्जन लेजर किरणों या किसी और चीज से आपरेशन करते हैं। कई ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें आपरेशन के बाद लोगों में अंधत्व आ गया। मैं धार जिले के लुन्हेरा गांव का रहने वाला हूं। वहां भी मोतियाबिंद के आपरेशन में करीब चार-पांच आदिवासी और हरिजन लोग अंधे हो गये।

सभापति महोदय, देश में आंख के मरीजों की काफी संख्या होने के कारण इलाज के हमारे अनुभवों के सामने पश्चिमी देश भी कहीं नहीं ठहरते तथा अत्याधुनिक मशीनों के मामले में भी हम उनके समकक्ष हैं। इसके बावजूद कम प्रशिक्षित तथा अधकचरे ज्ञान वाले नेत्र सर्जनों की लापरवाही के चलते सैंकड़ों लोग अंधत्व का शिकार हो रहे हैं।

सभापति महोदय, कम उम्र के बच्चों में नेत्र दोष पैदा होने में टेलीविजन, कम्प्यूटर गेम तथा इंटरनेट चैटिंग आदि कारण उत्तरदायी हैं। उनको इसके प्रति विभिन्न सूचना माध्यमों से जागृत करने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समाप्त करिये।

श्री छत्तर सिंह दरबार: मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। मुझे काफी समय बाद बोलने का मौका मिला है। अंत में, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में अंधत्व निवारण तरीकों को और बेहतर बनाया जाये तथा इलाज हेतु अप्रशिक्षित तथा अधकचरे सर्जनों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों के प्रयोग पर तुरंत रोक लगाई जाये और ऐसे लोगों के प्रति आवश्यक कार्रवाई की जाये।

यह बहुत बड़ी बात है कि ऐसे सर्जन जो आपरेशन करते हैं और उससे लोगों की आंख चली जाये, तो यह बहुत गंभीर बात है क्योंकि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आंख है। यदि आदमी के जीवन में अंधकार हो जाये, तो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, वह सांसद हो या कोई और हो, उसके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय को गंभीरता से लें। जब एम्स जैसे बड़े अस्पताल में ऐसा होता है तो छोटे अस्पताल में क्या होता होगा? वहां कितने लोगों को इस कारण अंधत्व हुआ होगा।

मेरा आपके माध्यम से सरकार और मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस विषय पर गंभीरता पूर्वक जांच करायें और ऐसे जितने अधकचरे डाक्टर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। एम्स के नेत्र विशेषज्ञ के सबसे बड़े डाक्टर ने आउटलुक के सामने स्वीकार किया है कि ऐसे अधकचरे डाक्टरों के द्वारा कई लोगों को अंधत्व हो गया। मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान देकर इसे रोका जाये।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य-अनुपस्थित

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता-अनुपस्थित

श्री हन्नान मोल्लाह-अनुपस्थित

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं लोकप्रिय प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। चूंकि उन्होंने इस देश के भारतवासियों को मध्यम मार्ग पर भगवान गौतम बुद्ध के संदेश को लेकर चलने के लिए कहा है। उनका आज तक अखबारों में स्टेटमेंट भी आ रहा है। भारत की पावन धरती से तथागत गौतम बुद्ध का सन्देश सम्पूर्ण संसार में मानव मात्र के कल्याण के लिए पहुंचा था और आज भी सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नालंदा, राजगीर, बुद्ध गया, लऊरिया, केशरिया आदि तमाम बुद्ध स्थलों पर विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। वे यहां से अपने जीवन को सफल एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए बुद्ध के तिशरण, पंचशील तथा आर्य आष्टांगिक मार्ग का संदेश लेकर गदगद होकर जाते हैं और शांति सुख का अनुभव करते हैं किंतु जब उनका ध्यान बुद्ध स्थलों पर आतंकवादियों द्वारा धर्म के नाम पर अतिक्रमण की तरफ जाता है तो उन्हें गहरी ठेस लगती है और भारत सरकार व भारतीय जनता से दुखी दिखाये पड़ते हैं जिसे भारत सरकार एवं भारतीय जनता झुठला नहीं सकती क्योंकि सारनाथ के मुख्य मंदिर द्वार के सामने सरकारी फर्श पर हनुमान मंदिर के नाम पर कब्जा कर लिया गया है जहां शांति का संदेश लेने आए पर्यटकों को अशांति का शब्द उनके कानों तक गूंजने लगता है। इसी कारण से सभी बुद्ध स्थलों पर धार्मिक आतंकवादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिसे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद की सरकारें अनदेखी करती चली आ रही हैं। जिस सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के संदेश को संसार में फैलाने के लिए अपने बेटा-बेटी तक को विदेशों में भेजकर भारत का मान-सम्मान व वर्चस्व कायम करके दयामैत्री व करुणा की लहर पैदा कर दी थी जो

आज भी इतिहास व भूगोल में परिलक्षित है। ऐसे सम्राट अशोक के लाट को भारतीय मुद्रा से हटाने का षडयंत्र एन.डी.ए. सरकार ने कर दिया। ये सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक के शासन में भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा गया क्योंकि खेती का कार्य सबसे उत्तम माना जाता था तभी से अभी तक किसानों में यह कहावत कही जाती है। "उत्तम खेती मध्यम बान, निष्कृष्ट चाकरी, भीख निदान" ऐसे सम्राट अशोक के प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण देश के लिए घातक हो सकता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामाया नगर जिले के नाम से महामाया नाम हटाकर नफरत भरी भावनाओं का प्रदर्शन करके बुद्ध जगत के प्रति राष्ट्रीय अपराध किया गया है।

भारत को अपने जटिल से जटिल समस्याओं से निजात पाना है तो बुद्ध स्थलों एवं बुद्ध की संस्कृति को प्रतिस्थापित करना होगा।

अयोध्या का राष्ट्रीय विवाद भी, अयोध्या की खुदाई से प्राप्त बुद्ध के अवशेषों से किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार दुनिया में अपने देश की प्रबुद्धता का वर्चस्व कायम रखने के लिए अयोध्या में मंदिर-मस्जिद के स्थान पर संसार में भाईचारा का संदेश देने के लिए "भाईचारा प्रेरणा केन्द्र" का निर्माण करा दिया जाए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, मैं भी इनके साथ एसोशिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री छत्तर सिंह दरबार: सभापति जी, मैंने इनके बारे में कहा है तो स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ इस पर बोलें। कुछ इस पर उनकी टिप्पणी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह ओवर हो गया। ऐसे नहीं होता है।

[अनुवाद]

मैंने सोचा आप कुछ और बात सभा की जानकारी में लाना चाहते हैं। इसलिए, मैंने आपको अनुमति दी।

सुश्री महबूबा मुफ्ती-उपस्थित नहीं।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): लिंग-चयन अल्ट्रा साउण्ड परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रसवपूर्व नैदानिक परीक्षण अधिनियम वर्ष 1994 में प्रवृत्त हुआ था। लेकिन केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों को छोड़कर, 0-6 वर्ष के आयु समूह में लिंग अनुपात वर्ष 1991 में प्रति 1000 पुरुष पर 945 महिलाओं की तुलना में तेजी से गिरकर वर्ष 2001 में 927 महिलाएं रह गया।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे कुछ सम्पन्न राज्यों में यह गिरावट काफी चिंताजनक है। पंजाब में, जहां प्रति व्यक्ति आय किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक है, लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 793 महिलाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वीकार्य अनुपात 1000 पुरूषों पर 950 महिलाएं हैं।

पटेल नगर, वसंत विहार, पंजाबी बाग और प्रीत विहार जैसे स्थानों पर लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर क्रमशः 937, 856, 840 और 780 महिलाएं है। लिंग अनुपात में गिरावट घोर चिंता का विषय है। जींद के कखरोड़ गांव में, लगभग 500 पुरुष विवाहयोग्य आयु पार कर चुके हैं लेकिन अपने लिए दुल्हन तलाश नहीं कर पाए हैं क्योंकि वहां लड़कियां बहुत ही कम हैं। कुछ डाक्टर, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउण्ड स्कैनिंग सेंटर इन जघन्य अपराधों में लिप्त हैं।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि प्रसवपूर्व नैदानिक परीक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले इन अनैतिक डाक्टरों, नर्सिंग होमों, अल्ट्रासाउण्ड स्कैनिंग सेंटरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं पहले मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले बिलासपुर जिला मध्य प्रदेश में था और बिलासपुर जिले में 18 सीटर हवाई जहाज चलते थे, चक्करभाटा उसका एयरोड्रम है। उसके बाद वहां 18 सीटर हवाई जहाज बन्द कर दिए गए और छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या और उनके विकास को देखते हुए वहां हवाई जहाज सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

बिलासपुर में एचसीएल का आफिस है, बिलासपुर में हाईकोर्ट, रेलवे जोन का जोनल आफिस भी हैं। वहां सीपत में एनटीपीसी के कारखाने हैं और कोरबा में भी विद्युत कारखाने हैं। वहां औद्योगिक दृष्टिकोण से लोगों का आवागमन प्रायः लगा ही रहता है, जिसके लिए लोग हवाई यात्रा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आने-जाने में लोगों के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि या तो वहां 18 सीटर हवाई जहाज पुनः चलाए जाएं या फिर बिलासपुर की चक्करभाटा हवाईपट्टी का चौड़ीकरण करके नयी हवाई जहाज चलाने के लिए स्वीकृति दी जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री हरिभाऊ राठौड़-उपस्थित नहीं।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने देश में ग्रामीण जनता को रोजगार देने के लिए काम के बदले में अनाज योजना चल रही है, जिसमें जनता को काम के बदले में अनाज दिया जाता है। वह ग्रामीणों के हित में चलने वाली योजना है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि सरकार यह जो योजना चला रही है, वह बहुत अच्छी है। लेकिन इस कार्यक्रम को चलाते समय, गरीब मजदूरों के लिए जो अनाज दिया जाता है, उसमें भारी चोरी और कालाबाजारी हो रही है। अनेक स्थानों पर, अनेक जिला पंचायतों में बोगस मजदूरों के नाम लिखकर अनाज को गलत तरीके से मार्केट में बेचा जा रहा है। अनेक स्थानों पर ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मजदूरों को मिलने वाले कूपन को व्यापारी लोग परचेज करके सस्ते दामों पर अनाज प्राप्त करते हैं और उसे मंडियों में बेच रहे हैं। इससे जहां एक ओर अनाज की चोरी और कालाबाजारी हो रही है, वहीं जो किसान मेहनत करके अनाज का उत्पादन करते हैं, उस अनाज-गेहूं, चावल आदि—के दाम मार्केट में गिरते जा रहे हैं, अनाज सस्ता होता जा रहा है। इसलिए किसान की आय कम होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस अच्छी योजना को चलाने के लिए कानून सख्त किए जाएं जिससे कालाबाजारी और चोरी रुके। जिस तरह से बोगस मजदूरों का नाम लिखकर हेराफेरी हो रही है, सख्त से सख्त नियम और कानून बनाकर उसको रोका जाए।

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य एक नया प्रदेश बना है। नया प्रदेश बनने के बाद काफी पूंजी निवेश की दृष्टि से और औद्योगिकरण की दृष्टि से बहुत-सी रियायतें छत्तीसगढ़ सरकार ने दी हैं। इसके परिणामस्वरूप देश का सर्वाधिक पूंजी निवेश छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हुआ है। छत्तीसगढ़ आयरन, ओर, कोयला, बाक्साइट जैसे अनेक खनिज सम्पदा से भरपूर राज्य है। खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिए लोगों ने वहां भारी संख्या में एमओयू किए हैं। कुछ लोगों ने अपनी यूनिट लगा भी दी हैं और उनमें काम प्रारम्भ हो चुका है। राज्य सरकार के द्वारा आयरन ओर की माइन्स के लिए केन्द्र सरकार की अनुशंसा हेतु कई प्रस्ताव प्रेषित किए हैं। लगभग 50 से अधिक आवेदन पत्र केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं, जिन पर समय के अंदर निर्णय नहीं होता है, तो उससे पूंजी निवेश करने वाले व्यक्तियों के मन में हताशा पैदा होगी। इस कारण कई प्रकार की कठिनाइयां उनके सामने खड़ी हो रही हैं। अत: मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के माइन्स विभाग से अनुरोध है कि राज्य सरकार ने जिन प्रस्तावों को केन्द्र सरकार के पास अनुशंसा हेतु प्रेषित किया है, उन प्रकरणों का समय-सीमा के अंदर निराकरण करे, ताकि वे प्रस्ताव वहां वापस जाएं और जिन्होंने अपनी यूनिट्स स्थापित कर ली हैं, वे कच्चा माल निकाल कर उसका वेल्यू एडीशन करके अधिक से अधिक राजस्व राज्य सरकार को दें। इसके अलावा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर समाज में लोगों के लिए निर्मित करने का काम भी करें। इसलिए यह आवश्यक है कि समय-सीमा के अंदर यह काम सुनिश्चित हो। अत: केन्द्र सरकार इस दिशा में सक्रियता से काम करके उन प्रकरणों का निपटारा करे, जिससे वहां उद्योगों को गति प्रदान हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब उन सदस्यों को बुलाऊंगा जिनसे इस अनुरोध के साथ प्रात: 9.30 बजे के बाद सूचनाएं प्राप्त हुई थीं कि वे अपने निवेदन बहुत ही संक्षेप में करेंगे।

सायं 7.22 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(तीन) देश में बीमारियों के फैलने के बारे में

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं भाटपारा, कोलकाता में डेंगू तथा साथ ही काला-आजार और मलेरिया के प्रकोप के मुद्दे को उठाने के प्रति काफी उद्विग्न था।

स्थिति ने खतरनाक रूप ले लिया है। पूरा कोलकाता शहर भय और आतंक की गिरफ्त में आ गया है। राज्य सरकार को कोलकाता में डेंगू ज्वर का पहला मामला 13 अगस्त को सामने आया लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर केवल बयानबाजी की। अभी हाल ही में उन्होंने इस ओर कदम उठाने शुरू किए हैं। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को एस्प्रिन की गोलियां न खाने की सलाह दी है। छिड़काव करवाने या दवा उपलब्ध कराने सहित कोई भी कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जहां तक काला-आजार का संबंध है, इसका प्रकोप मुर्शीदाबाद, बांकुरा और पुरूलिया जिलों में अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक जांच किए गए रक्त के 120 नमूनों में से 86 नमूनों में डेंगू वायरस की पुष्टि हुई है। सही पाए गए परीक्षण की दर इतनी अधिक और अरक्षणीय है कि यहां तक कि रक्त के अब तक परीक्षण किए गए 70 प्रतिशत नमूनों में मैक एलिजा जांच में डेंगू वायरस के पाए जाने की पुष्टि हुई है।

राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। एन आई एस ई डी को वहां पहले ही तैनात कर दिया गया है। मैं काफी भाग्यशाली हूं कि स्वास्थ्य मंत्री सभा में उपस्थित हैं। इसलिए, इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि स्थिति से निपटने के लिए विशेष उपाय किए जा सकें क्योंकि स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा, मलिन बस्तियों में रह रहे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई सहयोग अथवा कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। पश्चिम बंगाल की चिकित्सा अवसंरचना इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो कोई टिप्पणी करें और कोई समुचित उपाय करें ताकि पश्चिम बंगाल विशेषकर कोलकाता, भाटपाड़ा, मुर्शीदाबाद, बांकुरा, पुरूलिया और उन क्षेत्रों के लोग जो डेंगू, काला-आजार और मलेरिया से प्रभावित हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं इस बारे में देखूंगा। निस्संदेह, हम चिंतित है। वहां डेंगू के कुछ मामले बताए गए हैं। मैंने इस मुद्दे पर निगरानी करने और ध्यान देने के लिए अपने अधिकारियों को पहले ही हिदायतें दे दी हैं। हम इस स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखेंगे और सभी निवारात्मक उपाय करने तथा साथ ही सुधार की ओर भी ध्यान देने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की सहायता करेंगे।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं अपने राज्य में ताड़ी उद्योग के कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, ताड़ी एक नशीला पेय होता है जिसे नारियल और ताड़ के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। हालांकि इसे एक नशीला पेय माना जाता है फिर भी इसमें अल्कोहल तत्व मात्र छह प्रतिशत है और वह अति पोषक भी है।

मेरे राज्य में, करीब दो लाख कर्मकार ताड़ी उद्योग में लगे हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार आबकारी नीति में खामियों के कारण यह क्षेत्र उपेक्षित है और अन्य मादक पेयों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा, नारियल के वृक्ष के रोगग्रस्त हो जाने के कारण ताड़ी का उत्पादन भी कम हो जाता है। परिणामस्वरूप, इस उद्योग में कर्मचार अपने काम-धंधे खो रहे हैं और यह उद्योग गिरावट पर है।

यहां, मैं माननीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें से अल्कोहल तत्व को निकाल देने से और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। इसका प्रयोग साफ्ट ड्रिंक या हल्के पेय के रूप में किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को केंद्र की सहायता की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ प्रस्ताव और परियोजनाएं पहले से मौजूद हैं। इसलिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस उद्योग को कुछ सहायता दी जानी चाहिए ताकि इसे बचाया जा सके और इस उद्योग में कार्य कर रहे दो लाख कर्मकारों के काम-धंधों को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: सभापति जी, मुम्बई शहर पर बहुत बड़ा संकट वर्षा के कारण आया है, वहां की स्थिति बहुत खराब है और वर्षा के बाद, बीमारी के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि नागपाड़ा एरिया के टेमकर रोड पर सताफ बिल्डिंग के गिर जाने के कारण 11 लोगों की मौत हुई है और 50 लोग घायल हुए हैं और 8 लोगों की स्थिति सीरियस है। जब हम मुम्बई को शंघाई बनाने पर विचार कर रहे हैं तो भारत सरकार से हमारी मांग है कि वह एक टीम भेजकर 100 साल पुरानी 19,000 बिल्डिंग की मरम्मत कराए, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा, सोमवार 29 अगस्त, 2005 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.27 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 29 अगस्त, 2005/7 भाद्रपद, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री बी. विनोद कुमार	421
2.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ श्री हितेन बर्मन	422
3.	श्री थावरचन्द गेहलोत	423
4.	श्री जुएल ओराम	424
5.	श्री सुभाष महरिया	425
6.	श्री सीताराम सिंह श्री बसुदेव आचार्य	426
7.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	427
8.	श्री बीर सिंह महतो श्री सुनिल कुमार महतो	428
9.	डा. के.एस. मनोज श्री एस.के. खारवेनथन	429
10.	श्री अनंत नायक श्री मोहन सिंह	430
11.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	431
12.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री जीवाभाई ए. पटेल	432
13.	श्री रघुराज सिंह शाक्य डा. के. धनराजू	433
14.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री बृज किशोर त्रिपाठी	434
15.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री संजय धोत्रे	435
16.	श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" श्री रामजीलाल सुमन	436
17.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	437
18.	श्री रायापति सांबासिवा राव	438
19.	डा. आर. सेनथिल	439
20.	श्री प्रबोध पाण्डा	440
21.	श्री पी.एस. गढ़वी	441

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	4481
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4487, 4534, 4554, 4584
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	4428
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4368, 4466
5.	अजय कुमार, श्री एस.	4419
6.	अनंत कुमार, श्री	4446
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	4444, 4515
8.	आठवले, श्री रामदास	4573
9.	बैठा, श्री कैलाश	4395
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	4470, 4536, 4560
11.	बर्मन, श्री रनेन	4380
12.	बखला, श्री जोवाकिम	4415
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	4450, 4568
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4481
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	4456, 4585
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4441
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4379, 4494
18.	बोस, श्री सुब्रत	4415
19.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	4569
20.	चन्द्र कुमार, प्रो.	4457
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4580
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4488
23.	चिन्ता मोहन, डा.	4491
24.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4451
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	4427, 4496, 4505

1	2	3
26.	चौधरी, श्री पंकज	4409, 4414, 4431, 4492
27.	चौधरी, श्री अधीर	4398, 4574, 4583
28.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4580
29.	धनराजू, डा. के.	4580
30.	धोत्रे, श्री संजय	4499
31.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	4421
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	4392, 4518
33.	गांधी, श्री प्रदीप	4440, 4514
34.	गांधी, श्री राहुल	4449
35.	गंगवार, श्री संतोष	4409, 4581
36.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	4392, 4481, 4570
37.	गुढ़े, श्री अनंत	4431, 4442
38.	हमजा, श्री टी.के.	4432, 4580
39.	जय प्रकाश, श्री	4371, 4495, 4588
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	4394, 4474
41.	जैन, श्री पुष्प	4384
42.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4372
43.	झा, श्री रघुनाथ	4405, 4482, 4538, 4561
44.	जोगी, श्री अजीत	4417, 4452
45.	जोशी, श्री प्रहलाद	4572
46.	कनोडीया, श्री महेश	4439, 4513
47.	करूणाकरन, श्री पी.	4479
48.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	4404, 4542
49.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4367, 4463
50.	खां, श्री सुनील	4391, 4473, 4529
51.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	4501
52.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	4397
53.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4415, 4453, 4508, 4546
54.	कोली, श्री रामस्वरूप	4378
55.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4377, 4464
56.	कृष्ण, श्री विजय	4577
57.	कुरूप, श्री सुरेश	4412
58.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4423
59.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	4491
60.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4436, 4509
61.	महाजन, श्री वाई.जी.	4376
62.	महतो, श्री बीर सिंह	4578
63.	महतो, श्री सुनिल कुमार	4511
64.	महताब, श्री भर्तृहरि	4438
65.	माझी, श्री शंखलाल	4430
66.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	4424, 4503
67.	मंडल, श्री सनत कुमार	4400
68.	मनोज, डा. के.एस.	4479, 4528, 4553, 4566
69.	मेघवाल, श्री कैलाश	4382
70.	मिश्रा, डा. राजेश	4392, 4481
71.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4374, 4516, 4589
72.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4422, 4502
73.	मोहन, श्री पी.	4450
74.	मो. ताहिर श्री	4423, 4458
75.	मोहिते, श्री सुबोध	4383, 4448, 4467, 4547
76.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4408, 4496, 4537, 4580, 4594
77.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4433
78.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	4453

1	2	3
79.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	4416
80.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4417
81.	नायक, श्री अनन्त	4486, 4504, 4531
82.	नायक, श्रीमती अर्चना	4386, 4580
83.	निखिल कुमार, श्री	4574, 4583
84.	ओराम, श्री जुएल	4483, 4531
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4420, 4497
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4478, 4539, 4556
87.	पाण्डेय, श्री लक्ष्मीनारायण	4555, 4580
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4567
89.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4488
90.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4485, 4533, 4552, 4565
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	4435, 4507, 4545, 4562
92.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4429, 4580
93.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	4458
94.	पॉल, डा. सिबैस्टियन	4455
95.	पिंगले, श्री देविदास	4431, 4506, 4544
96.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4580
97.	प्रधान, श्री प्रशान्त	4569
98.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4511
99.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4411
100.	राजेन्द्र कुमार, श्री	4396, 4489
101.	रामदास, प्रो. एम.	4393, 4413, 4453
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4480, 4535, 4555, 4580
103.	राणा, श्री काशीराम	4410, 4413
104.	राव, श्री के.एस.	4407, 4510
105.	राव, श्री राममपति सांबासिवा	4403, 4498, 4586, 4595
106.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4376
107.	रावत, श्री अशोक कुमार	4458, 4522
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	4519, 4580
109.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4446, 4460, 4527
110.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4447, 4517, 4531
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4373, 4500, 4540, 4557
112.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	4426, 4521
113.	साई प्रताप, श्री ए.	4418, 4495, 4513
114.	सज्जन कुमार, श्री	4538
115.	सांगवान, श्री किशन सिंह	4575
116.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4385, 4468, 4542, 4559, 4595
117.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	4493
118.	सरोज, श्री तूफानी	4481
119.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	4479, 4576
120.	सत्पथी, श्री तथागत	4389
121.	सेनथिल, डा. आर.	4579
122.	सेठ, श्री लक्ष्मण	4569
123.	सेठी, श्री अर्जुन	4399
124.	शाहिद, मोहम्मद	4376, 4423, 4458, 4522
125.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4580
126.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4437, 4487, 4512, 4534, 4591
127.	शिवन्ना, श्री एम.	4453, 4454
128.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4376, 4458
129.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	4387
130.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4388, 4469, 4523

1	2	3
131.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4410
132.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4490, 4587
133.	सिंह, श्री दुष्यंत	4445
134.	सिंह, श्री गणेश	4369, 4461, 4487, 4543, 4560
135.	सिंह, श्री मोहन	4434
136.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4402, 4520, 4548, 4593
137.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	4370
138.	सिंह, श्री राकेश	4571, 4582, 4590
139.	सिंह, डा. राम लखन	4406, 4501
140.	सिंह, श्री सीताराम	4484, 4532
141.	सिंह, श्री सुग्रीव	4477, 4484, 4485, 4592
142.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	4390, 4472, 4525, 4549, 4563
143.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4439, 4513
144.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	4404, 4493, 4536
145.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4375, 4462
146.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4471, 4524, 4550, 4564, 4580
147.	स्वाईं, श्री खारबेल	4409
148.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4381, 4465
149.	थामस, श्री पी.सी.	4443
150.	दुम्मर, श्री वी.के.	4570
151.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4580
152.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4476, 4530, 4535, 4552
153.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4425, 4504, 4541, 4558, 4580
154.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	4376
155.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4580
156.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4487, 4534, 4554, 4596
157.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4413
158.	यादव, श्री गिरिधारी	4413
159.	यादव, श्री राम कृपाल	4401, 4475, 4526, 4551
160.	यादव, श्री सीता राम	4403

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	426, 427, 430, 434
संस्कृति	:	
रक्षा	:	429, 437, 440
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	423, 436
पंचायती राज	:	422
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	421, 425, 438
रेल	:	424, 431, 433, 435
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	428, 432, 439, 411

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	4369, 4383, 4386, 4389, 4392, 4406, 4419, 4422, 4426, 4427, 4434, 4443, 4446, 4447, 4449, 4453, 4462, 4465, 4477, 4480, 4485, 4598, 4505, 4517, 4518, 4520, 4524, 4531, 4541, 4543, 4548, 4555, 4561
संस्कृति	:	4368, 4381, 4403, 4407, 4416, 4438, 4459, 4460, 4471, 4478, 4501, 4553, 4563, 4564, 4567
रक्षा	:	4375, 4405, 4409, 4410, 4411, 4412, 4425, 4442, 4481, 4490, 4494, 4500, 4530, 4545, 4565, 4566, 4570, 4574, 4582, 4595
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	4391, 4420, 4473, 4486, 4512, 4529, 4547
सूचना और प्रसारण	:	4384, 4397, 4428, 4437, 4455, 4463, 4470, 4492, 4495, 4499, 4519, 4527, 4549, 4569
पंचायती राज	:	4466
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4378, 4380, 4393, 4394, 4400, 4404, 4415, 4429, 4430, 4432, 4441, 4444, 4472, 4474, 4479, 4482, 4484, 4487, 4491, 4504, 4507, 4508, 4509, 4513, 4521, 4525, 4528, 4532, 4534, 4536, 4537, 4542, 4556, 4558, 4559, 4562, 4575, 4579, 4580, 4583, 4587, 4591, 4592
रेल	:	4370, 4374, 4376, 4377, 4379, 4388, 4390, 4395, 4396, 4398, 4399, 4401, 4402, 4408, 4414, 4417, 4418, 4421, 4423, 4424, 4431, 4435, 4436, 4439, 4440, 4445, 4448, 4451, 4452, 4454, 4456, 4457, 4458, 4461, 4464, 4467, 4469, 4475, 4476, 4483, 4488, 4489, 4493, 4502, 4503, 4506, 4511, 4514, 4515, 4516, 4522, 4523, 4526, 4535, 4539, 4540, 4544, 4546, 4550, 4551, 4554, 4557, 4568, 4571, 4572, 4573, 4576, 4577, 4578, 4581, 4584, 4585, 4586, 4588, 4589, 4590, 4593, 4594, 4596
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	4367, 4371, 4372, 4373, 4382, 4385, 4387, 4313, 4433, 4450, 4468, 4496, 4497, 4510, 4533, 4538, 4552, 4560.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/13/22/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।